

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**  
**KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

# सामाजिक समाजशास्त्र

GENERAL SOCIOLOGY.

डॉ ओमप्रकाश जोशी

७

कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

## ***Topics for Study***

- 1 Nature of Sociological Enquiry
- 2 Status and Role Socialisation Groups Stratification
- 3 Social Process Interaction, Co-operation, Competition and Conflict  
Activity Sentiment and Norms
- 4 Theories of Social Change, Evolution and Progress
- 5 Social Control and Major Institutions

## दो शब्द

‘सानान्य समाजशास्त्र’ में पाठ्यक्रमानुसार ‘टापिक्स’ की सरल और आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। पुस्तक की विषय-वस्तु को विषय के आधिकारिक विद्वानों की रचनाओं के भरपूर सहयोग से छानों के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। किसले डेविस, टी. बी. वाटोमोर, रावर्ट बीरस्टीड, मेवाइवर एवं पेज, सेजनिक एवं ब्रूम, हैरी एम जानसन आदि विदेशी विद्वानों के ग्रन्थों का भी उपयोग किया गया है। भारतीय विद्वानों की रचनाओं का भी यथावश्यकता सहयोग लिया गया है। लेखक को इन सभी देशी-विदेशी विद्वानों के प्रति एतदर्थं अपना हार्दिक आभार प्रदर्शित करने में हर्ष है।

पुस्तक की जटिल विषय वस्तु को सरल, सुदोष रूप में प्रस्तुत किया गया है। विषय-सामग्री व्यवस्थित और क्रमबद्ध रहे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। समाजशास्त्रीय हिन्दी शब्दों को अप्रेज़ी में भी दिया गया है ताकि विषय-वस्तु को समझने में अनावश्यक अम न रहे। विभिन्न समाजशास्त्रीय पत्र पत्रिकाओं के सहयोग से विषय सामग्री को यथासाध्य अद्यतन बनाया गया है। पुस्तक के अन्त में चुने हुए विश्वविद्यालय प्रश्न भी दिए गए हैं ताकि छानों को प्रश्न पत्रों की शैली, द्वंग आदि का ज्ञान हो सके।

आशा है, पुस्तक पाठकों को प्रसन्न आएगी। आप सभी के उपयोगी सुझाव सहर्ष आमन्त्रित हैं ताकि पुस्तक के भावी सस्करण को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

ओमप्रकाश जोशी

## अनुक्रमणिका

<b>1 समाजशास्त्रीय अन्वेषण की प्रकृति</b> (Nature of Sociological Enquiry) <sup>1</sup>	1
समाजशास्त्रीय अन्वेषण की प्रकृति	....
समाजशास्त्रीय अन्वेषण की सीमाएँ	....
विज्ञानवाद के खण्डन के रूप में उभरा मानवतावादी समाजशास्त्र	7
यदा समाजशास्त्र एक विज्ञान है ?	....
समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है ? अथवा समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की प्रमुख विशेषताएँ	....
समाजशास्त्रीय हिटिकोण	....
समाजशास्त्र का भूलय	....
समाजशास्त्रीय अन्वेषण के उपायम्-	....
<b>2 प्रस्थिति और भूमिका</b> (Status and Role) <sup>1</sup>	<b>25</b>
प्रस्थिति और भूमिका का अर्थ एवं परिभाषा	....
प्रस्थिति और भूमिका के आवश्यक तत्त्व	....
सामाजिक प्रस्थितियों का वर्गीकरण	....
(क) प्रदत्त प्रस्थिति	....
(ख) अंगित प्रस्थिति	....
प्रदत्त तथा अंगित प्रस्थिति में मन्त्र और सम्बन्ध	....
ध्यक्ति और उमकी प्रस्थितियाँ	....
कुछ प्रस्थिति सम्बन्ध	....
प्रस्थिति, सधर्य और विपर्यय	....
प्रस्थिति के प्रतीक	....
भूमिका की धारणा	....
भूमिका-ली, विशेषताएँ	....
प्रस्थिति और भूमिका का महत्व	....
<b>3 समाजीकरण</b> (Socialization)	<b>51</b>
समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा]	....
समाजीकरण के उद्देश्य	....

## II अनुक्रमणिका

समाजीकरण के प्रक्रियात्मक पहलू	56
समाजीकरण और अनुरूपता	57
समाजीकरण की प्रक्रिया	58
पृथब्बकृत वच्चे के क्या प्रदर्शित करते हैं ?	63
समाजीकरण की स्थाएँ	65
समाजीकरण के सिद्धान्त	<u>70</u>

### 4 समूह

(Groups)

सामाजिक समूह का अथ एव परिभाषा	76
ग्रामाजिक समूह की विशेषताएँ	77
सामाजिक समूहों का वर्गीकरण	78
प्राथमिक समूह अथ एव परिभाषा	82
प्राथमिक समूह की विशेषताएँ	83
प्राथमिक समूहों का महत्व	87
प्राथमिक समूहों के अकाद	89
द्वैतीयक समूह अथ एव परिभाषा	91
द्वैतीयक समूहों की विशेषताएँ	92
द्वैतीयक समूहों का महत्व	93
प्राथमिक एव द्वैतीयक समूहों में अन्तर	95
अढ़ समूह अथ एव परिभाषा	98
प्राथमिक समूहों और अढ़ समूहों में अन्तर	99
जाति एव बग	100
ग्रामीण एव नगरीय समुदाय	104
समुदाय अथ एव परिभाषा	105
ग्रामीण समुदाय अथ एव परिभाषा	106
ग्रामीण समुदाय की विशेषताएँ	107
ग्रामीण समुदाय के विकास के कारण	109
नगरीय समुदाय अथ एव परिभाषा	112
नगरीय समुदाय की विशेषताएँ	114
नगरों के विकास के कारण	117
ग्रामीण और नगरीय समुदाय की तुलना	121
ग्रामीण और नगरीय समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व	127
भीड़ और जनता	131
भीड़ अथ एव परिभाषा	133
भीड़ की विशेषताएँ भव्यता उसके लक्षण	133

भीड़ के प्रकार	....	....	134
विवाहीत सीड़ की मानसिक विशेषताएँ	....	....	138
भीड़ व्यवहार की आवश्यकता	....	....	141
जनता : धर्म एवं परिभाषा	....	....	144
जनता और प्रमुख विशेषताएँ	....	....	145
जनमत का प्रभाव	....	....	146
आधुनिक समाज में जनता का बदला हुआ महत्व	....	....	146
भीड़ और जनता में सन्तर	....	....	147
<b>5 सामाजिक स्तरीकरण</b>	....	....	<b>149<sup>1</sup></b>
(Social Stratification) *			
सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता	....	....	149
सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता विशेषताएँ	....	....	151
सामाजिक स्तरीकरण के आवाद	....	....	154
सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप या प्रकार	....	....	154
सरकार और सामाजिक स्तरीकरण	....	....	162
सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धान्त	....	....	163
<b>6 सामाजिक प्रक्रियाएँ—अन्त क्रिया, सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा और सघर्ष</b>	....	....	<b>169</b>
क्रिया, स्थायीभाव और प्रतिमान	....	....	
(Social Processes—Interaction, Co-operation, Competition and Conflict, Activity, Sentiment and Norms)			
सामाजिक प्रक्रियाएँ	....	....	169
सामाजिक ग्रन्ति, क्रिया-धर्य, परिभाषा, तत्त्व एवं महत्व	....	....	172
सहयोग : धर्य, स्वरूप एवं महत्व	....	....	176
प्रतिस्पर्द्धा धर्य, विशेषताएँ, स्वरूप एवं महत्व	....	....	181
सघर्ष : धर्य, विशेषताएँ, स्वरूप और महत्व	....	....	186
सघर्ष और प्रतिस्पर्द्धा में सन्तर	....	....	191
सामाजिक क्रिया परिभाषा और वत्त	....	....	193
सामाजिक क्रिया से सम्बन्धित दुर्लभ, परेटो और चैक्स वेदार के सिद्धान्त	....	....	195
स्थायीभाव	....	....	198
सामाजिक प्रतिमान अवबोधन आवश्यक-नियम	....	....	199
सामाजिक प्रतिमान का स्वरूप एवं प्रकृति	....	....	200
सामाजिक प्रतिमानों की विशेषताएँ	....	....	201
पृष्ठ क्रिया-धर्य-प्रतिमानों का वर्णकरण	....	....	203
की संज्ञा	....	....	204

## १८ अनुक्रमणिका

लोकाचार अथवा रुद्धियाँ	206
प्रथाएँ	209
परम्परा	212
परिपाठी एवं शिष्टाचार	214
फैशन तथा सनक	215
नैतिकता एवं धर्म	217
बैधानिक नियम	218
सस्थाएँ	219
सामाजिक प्रतिमान तथा व्यक्ति	220
हम प्रतिमानों से अनुरूपता क्यों रखते हैं ?	222
१९ सामाजिक परिवर्तनों उदार्वकास-भारे-प्रगति-कोरिद्धाता-	
(Theories of Social Change Evolution and Progress)	
सामाजिक परिवर्तन अथ एवं परिभाषा	225
सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ	227
सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान	229
सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ	231
सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन	233
सामाजिक परिवर्तन से सम्बंधित अन्य घारणाएँ	234
परिवर्तन की दर	241
सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के कारक	242
२० सामाजिक नियन्त्रण और प्रमुख सम्बंध	
(Social Control and Major Institutions)	
सामाजिक नियन्त्रण अथ एवं परिभाषा	249
सामाजिक नियन्त्रण के स्वरूप	251
सामाजिक नियन्त्रण की आवश्यकता और महत्व	253
सामाजिक नियन्त्रण के साधन	254
प्रश्नावली	275
(University Questions)	
Suggested Readings	278

# 1

## समाजशास्त्रीय अन्वेषण की प्रकृति

(NATURE OF SOCIOLOGICAL ENQUIRY)

समाजशास्त्र, अन्य सामाजिक विज्ञानों की भाँति, समाज के किसी एहसू विशेष को लेफर नहीं चलता बल्कि समूहों समाज पर प्रकाश डालता है, मनुष्य के भीतर विद्युगान मामाजिकता (Sociability) का वैज्ञानिक रूप में विवेचन करता है। समाजशास्त्र को विभिन्न हिटिकोणों से देखा गया है भिन्न प्रकार इसे परिभाषित विद्या गया है, इसके द्वार पर स्वरूपात्मक और सम्बन्धात्मक सम्प्रदायों में मतभेद है तथापि—इन भिन्नताओं के बावजूद—समाजशास्त्र को केन्द्रीय सामग्री पर भी समाजशास्त्रियों में मतभेद है। इस बात पर संगभार सभी सहमत हैं कि समाजशास्त्र मनुष्य का अध्ययन है यह मनुष्णान का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह मनुष्य के व्यवहार वा व्यवहार का अध्ययन है और यह उन सभूहों के सम्बन्ध में जिनके माध्यम से व्यवहार करता है, गनुष्य का अध्ययन है।

### समाजशास्त्रीय अन्वेषण की प्रकृति (Nature of Sociological Enquiry)

कोई भी विषय हो, उसका अपना एक विशिष्ट परिपेक्ष्य होता है जिसके माध्यम से किसी भी सामाजिक घटना को समझने समझाने वा प्रयत्न किया जाता है। समाजशास्त्र में भी विभिन्न हिटिकोणों में, विभिन्न प्रकार के उपायों के माध्यम से सामाजिक धरार्थ को विश्लेषित करने वा प्रयत्न किया गया है। इन उपायों की विवेचना हम आगे धरार्थ स्थान करेंगे, पहले हम रामाजणार्थीय अन्वेषण अध्ययन विभर्ण (Sociological Enquiry) की प्रकृति की व्याख्या करेंगे। समाजशास्त्रीय अन्वेषण में वैदानिक तथा पद्धति शास्त्रीय दोनों प्रकार के आधार मिलते हैं।

यद्यपि प्रारम्भ से ही विद्वान् सामाजिक जीवन, समाज, सामाजिक समस्याओं आदि पर विचार प्रकट करते रहे हैं, तथापि फ्रैंच विद्वान् आगर्स्ट काम्पे (1798–1857) ही वह व्यक्ति था जिसने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एक पृथक् विज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया और उसे 'समाजशास्त्र' (Sociology) की नाम दी। आगर्स्ट काम्पे ने समाजशास्त्र की जो रूपरेता प्रस्तुत की, समाजशास्त्रीय

## 2 सामाज्य समाजशास्त्र

अन्वेषण की प्रकृति की जो अपेक्षा प्रस्तुत की, उसका आगे चलकर विभिन्न रूपों में विकास हुआ। आगस्ट कास्टे समाजशास्त्रीय अन्वेषण की प्रदृष्टि को वैज्ञानिक मानता था लेपणि वह समाज-सुधार की भावना से प्रेरित था और आज वैज्ञानिक तथा मानवतावादी समाजशास्त्र के समुक्त रूप के पक्ष में जो विचार प्रचल है, उन्हें हम कास्टे की भावना की विजय कह सकते हैं। कास्टे ने समाजशास्त्र का एक ऐसे विज्ञान के रूप में प्रकट किया जो सम्पूर्ण मानव जीवन और उसकी त्रियांगों का अध्ययन करे। कास्टे के बाद आगे वाल समाजशास्त्रीयों ने समाजशास्त्रीय अन्वेषण को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाजशास्त्रीयों वो ध्यावस्थित रूप से आँकड़े एकत्रित करने चाहिए ताकि वैज्ञानिक पढ़ति से उनका विश्लेषण किया जा सके और समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रदृष्टि को अधिक परिपत्र हट्टिय दी जा सके। बीसवीं सदी के प्रथम चरण तक समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में महत्व पा चुका था और पढ़निश्चालनीय हट्टियों से विषय में काफी प्रगति हो चुकी थी। ध्यावस्थित रूप से आँकड़े एकत्र करने की दिशा में विभिन्न प्रकार की पढ़तियों का विकास हुमा, इस क्षेत्र में काफी उन्नति हुई और कलस्वरूप समाज-शास्त्रीयों को नई नई समन्यांशों को समझने समझाने तथा विश्लेषित करने का अवसर मिला। समाजशास्त्र में व्यापक स्तर पर सरयात्मक विवेचन को स्वीकार किया गया। जैसा कि डॉ नरेन्द्र कुमार सिंघबी ने लिखा है—‘एक प्राचार से सह्यात्मक विवेचना एवं सांतिकी निरूपण समाजशास्त्र में आवश्यक समझा जाने लगा। कम्प्यूटर के आविकार ने वृहद् एवं जटिल आँकड़ों वा विधिवत् वर्गीकरण सम्भव कर दिया जिसके अन्तर्गत निष्कर्षों का विभिन्न चरों के साथ सम्बन्ध दिखाना कर नए फल प्रस्तुत किए जाने लगे। अमेरिका में विशेषकर यहां वडे पैमाने पर आँकड़ों वा एकत्रीकरण किया गया एवं बड़ी सरयात्रों में प्रतिवेदनों का निर्माण हुआ जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों और भाँति भाँति भी सामाजिक समन्यांशों के बारे में विधिवत् आँकड़े प्रस्तुत किए गए थे। भौतिकी प्रारूप को सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए उपयुक्त माना गया और साथ ही विषय एवं वस्तु का हिभाजन किया गया जिससे कि वस्तु परकता एवं मूल्य तटस्थिता की स्थापना सम्भव हो सके। ये तत्त्व वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आवश्यक थे। इस भौतिकी प्रारूप का स्पष्ट अर्थ यह था कि समाजशास्त्र को भी भौतिकशास्त्र का दर्जा दिया जा सकता है और सामाजिक व भौतिक यथार्थ में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं है।’

उपरोक्त विश्लेषण में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप पर गत दिया गया है। पर समाजशास्त्र का विज्ञान की श्रेणी में लाने का अर्थ यह नहीं है कि इसके सैद्धान्तिक स्वरूप का महत्व कम हो गया है। बास्तव में विज्ञान जान भी है और पढ़नि भी और इन दोनों स्वरूपों में इसके दो तत्त्व प्रमुख हैं—तर्ब (Rationality), एवं इन्द्रियगत अनुभव (Empiricism)। डॉ सिंघबी के शब्दों में ‘सैद्धान्तिक हट्टि-कोण से विज्ञान में ऐसे प्रावधानों को प्रस्तुत किया जाता है जो वि नाकिं आधार पर परस्पर जुड़े हैं एवं जिनका सत्यापन इन्द्रिय अनुभव पर निर्भर करता है।

विज्ञान के लिए यह भी आवश्यक है कि यह वस्तु परक रूप से विश्वसनीयता के आधार पर यथार्थ को समझे। प्रत्येक यह स्वाभाविक ही है कि विज्ञान के अधूरे आधार आमदानी माने जाएंगे। यह कहना कि विज्ञान एक व्यवस्थित अध्ययन है अथवा विज्ञान ज्ञान का व्यवस्थित स्वरूप है हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम विज्ञान को सैद्धान्तिक एवं पढ़ति शास्त्रीय आवासों के द्वारा स्पष्ट व याकूब रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान की लांकप्रिय धारणा वास्तविकता से बहुत परे है। लोकप्रिय धारणा के मन्तर्गत हम विज्ञान का अर्थ एक ऐसी स्थिति रो जाते हैं जहाँ एक व्यक्ति सकेद पौष्टक में प्रयागशाला में टेस्टट्यूब का उपयोग करता है और विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का मिश्रण। विज्ञान, सोटर, पाला, विजली अथवा अन्य ऐसे उपकरण भी नहीं हैं जो कि टेक्नोलॉजी का भाग माना जाएगा। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी दो एक मानना बुटियुरु होगा।"

समाजशास्त्रीय अन्वेषण जब हमें समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की ओर ले जाता है तो स्पष्ट हो जाते समझ प्रश्न प्रस्तुत होता है कि समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं? प्राय रामाजानार्थ की विषय-बस्तु की परिवर्तनशीलता के आधार पर ही समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता के प्रति सन्देह प्रकट होता जाता है। पर यह वास्तव में एक पश्चीम दृष्टिकोण है। हम यह तो मानते हैं कि विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र वी प्रकृति उन्होंने सुनिश्चित नहीं है जिनमी कि प्राकृतिक विज्ञानों की है, लेकिन हम इस बात की उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं कि समाजशास्त्र के अन्तर्गत वैज्ञानिक पदार्थ से सामाजिक तथ्यों का अध्ययन होता है और यह शास्त्र पूर्णतः सिद्धान्तों को प्रतिशादन से ही समर्पित होकर उनका निर्वचन भी करता है। इस प्रकार समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक ही है। विष्यात समाजशास्त्री, वीरस्टीड ने तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सामाजिक घटनाओं में कुछ भी कृतिमता, विनाशकता अथवा अलौकिकता नहीं है और जब नामाजिक घटनाएँ उनमी ही प्राकृतिक हैं जिनमी कि श्रमध्याक्षण शक्ति या विद्युत शक्ति, तो उनका अध्ययन करने वाले शास्त्र—समाजशास्त्र—को विज्ञान कहने में "हमें सकौच क्यों होगा? समाजशास्त्र प्राकृतिक यामजिक घटनाओं का शास्त्र है, अत यह विज्ञान भी है!"

समाजशास्त्रीय अन्वेषण की वैज्ञानिक प्रकृति के अन्तर्गत हमें कुछ धारणाएँ स्वीकार होती हैं—

प्रथम प्रकृति की एकत्रिता (*Uniformity of Nature*) को स्वीकार करना होगा अर्थात् यह मानना होगा कि एक भी स्थिति होने पर एक भी घटनाएँ प्रतित होती है। दूसरे शब्दों में, प्रकृति के भी अपने नियम होते हैं और विशेष स्थितियों के मध्यों के फलत्वरूप एक ही प्रशार के फल उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के नियम सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं।

द्वितीय, सत्य की वस्तुपरकता (*Objectivity of Truth*) को स्वीकार करना होगा अर्थात् हमें यह मानना होगा कि हम अपने स्वयं के विश्वासों या स्वयं वी आस्थाओं द्वारा सत्य की सही या वास्तविक प्रकृति दो नहीं बदल सकते। दूसरे

## 4 सामान्य समाजशास्त्र

अबदो में, हम इस विश्व या बगत् को हमारी आशाओं, आकृक्षाओं, आस्थाओं और हमारे विश्वासों से स्वतन्त्र होकर भी समझ सकते हैं।

तृतीय, हमें यह स्वीकार करना होगा कि सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए इन्द्रियपरक अनुभव का होना नितान्त आवश्यक है।

समाजशास्त्रीय अन्वेषण की प्रकृति के सन्दर्भ में जोवर्ग एवं नेट (Sjoberg and Nett) ने विज्ञान वे अन्तर्गत चार कथनों का उल्लेख आवश्यक माना है—

- (1) घटनाओं की पुनरावृत्ति का एक निश्चित रूप है।
- (2) ज्ञान, अज्ञान से बेहतर है।
- (3) वैज्ञानिक और वाह्य यथार्थ में एक सचार का माध्यम जुड़ा हुआ है। जिसका आधार इन्द्रियक अनुभव है।
- (4) सामाजिक व्यवस्था में कार्य और करण का सम्बन्ध रहता है।"

इन प्रावक्षणों के आधार पर विज्ञान की प्रकृति दो ठीक से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि—(1) विज्ञान आनुभाविक (Empirical) है, विज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्रावक्षणों का प्रमुखीकरण किया जाता है (Science is Propositional) विज्ञान तार्किक (Logical) है, विज्ञान समस्या को सुलभाता या हल करता है (Problem-solving) एवं विज्ञान में निरन्तरता (Continuity) है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि यथार्थ को हम अपने अनुभव के आधार पर अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं और यह अनुभव हमें अपने इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। वैज्ञानिक अध्ययन में विभिन्न प्रकार के ग्रांकडों को व्यवस्थित स्वलृप देना आवश्यक है, अन्यथा हम यह नहीं कह सकते कि कोई वस्तु वैज्ञानिक ढंग से प्रमुख की गई है। विज्ञान में जो सामग्री एकत्र की जाती है, उसे तर्क के माध्यम से जाँचा और परखा जाता है। कोई भी घटना जिसे हम समझाना चाहते हैं, विज्ञान के लिए एक समस्या मानी जाती है अर्थात् विज्ञान का एक उद्देश्य और अभिप्राय समस्याओं को सुलभाता है। विज्ञान की प्रकृति सच्ची ही है और उसमें एक निरन्तरता पाई जाती है। पिछली सोजों के आधार पर नई सोजों की जाती है और नए ज्ञान का विकास होता रहता है। गिलिन एवं गिलिन ने वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बड़ा महत्व दिया है। एक बहुत ही व्यवस्थित पद्धति का उपयोग करते हुए भी यह सम्भव है कि अनुसन्धानकर्ता की पक्षपातपूर्ण मनोवृत्ति उसके सम्पूर्ण अध्ययन को अवैज्ञानिक बना दे। अतः उसी अध्ययन को 'वैज्ञानिक' कहा जा सकता है जिसमें अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति द्वारा तथ्यों का मग्न करे। वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विशेषताएँ हैं—(क) घटनाओं का तटस्थ अर्थात् 'ज्यों का त्यों' अध्ययन किया जाए, (ख) निष्कर्ष पर पहुँचने और निर्णय लेने में कोई शीघ्रता न करके धैर्य पूर्वक काम किया जाए, (ग) परिश्रम से मुख न मोड़ा जाए क्योंकि तभी वैज्ञानिक पद्धति अधिक सत्य बन सकती है, (घ) जिज्ञासा प्रवृत्ति बनाई रखी जाए अर्थात् उस समय तक खोज करते रहा जाए जब तक कि विषय से सम्बन्धित स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध न हो जाएं, एवं (ङ) विचार शक्ति दो रचनात्मक बनाए रखा जाए, क्योंकि तभी जटिल तथ्यों को सुरक्षित रूप में स्पष्ट किया जा सकेगा।"

मर्टन (Merton) ने विज्ञान की मूल्य व्यवस्था (Value System) को अधिक महत्व दिया है। उसके अनुसार विज्ञान के पाँच मूल्य पंज हैं—

1 सार्वभौमिकता (Universalism) अर्थात् विज्ञान के नियम प्रीर सिद्धान्त सर्वत्र सभी स्थितियों में एक से लागू होते हैं।

2 व्यवस्थित शका (Organised Scepticism)—अर्थात् विज्ञान के लिए शका का होना आवश्यक है क्योंकि विज्ञान शब्द के हम किसी वस्तु या घटना को समझने की इच्छा नहीं करेंगे। परं पहला शका व्यवस्थित होनी चाहिए ताकि हम विषय वस्तु को विधिवत् रूप से समझ सकें। जिज्ञासा विज्ञान की कुंजी है।

3 सामुदायिकता (Communalism) अर्थात् विज्ञान हारा प्राप्त परिणामों की जीपनीय नहीं रखा जाता, ज्ञान को प्रचार प्रसार हेतु दूसरों के साथ बोटा जाता है और पत्र-पत्रिकाओं के माइदान से नई शोध का पूरा प्रसार होता है ताकि उसके सर्वाधान में कोई शका न रहे।

4 नीतिक तटस्थिता (Ethical Neutrality) अर्थात् विज्ञान नीतिकदा के प्रश्न पर तटस्थ रहता है, इस बारे में कोई निर्णय नहीं देता है कि क्या होना चाहिए। विज्ञान का कार्य वस्तु का विश्लेषण कर उसके कार्यकरण-सम्बन्ध को स्पष्ट करना है।

5 रुचि तटस्थिता (Disinterestedness) अर्थात् वैज्ञानिक अपनी अध्ययन वस्तु के प्रति भावनात्मक रूप से इस तरह तटस्थ रहता है कि उसकी व्यक्तिगत रुचियों, दुरुआग्रही शादि से उसका अध्ययन प्रभावित न हो सके।

विज्ञान के अधिकार्य और वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के समझ लेने के पश्चात् हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि विज्ञान तथ्यों की वह व्यवस्थित और क्रमबद्ध व्याख्या है जिसमें निम्नलिखित आवश्यक तत्त्व विद्यमान हो—

- (1) वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना,
- (2) प्रबलोकन या निरीक्षण हारा तथ्यों का सब्रह, विश्लेषण और वर्णकरण करना,
- (3) 'क्या है' का वर्णन करना,
- (4) 'कैसे' का उत्तर देना अर्थात् कार्य और कारण का सम्बन्ध स्थापित करना तथा उनकी व्यवस्था करना,
- (5) वास्तविक घटनाओं के आधार पर भविष्य की ओर सकेन करना।

जब हम समाजशास्त्रीय अन्वेषण की वैज्ञानिक प्रकृति की चर्चा करते हैं तो हमें विज्ञान की उपरोक्त प्रकृति और विशेषताओं को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये उसमें समाविष्ट हैं। हमें अपने मन्त्रिष्ठ में यह बात बैठा लेनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी व्यवस्थित और क्रम-बद्ध रूप से तथ्यों का अध्ययन करके निष्पक्ष निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाएं वही विज्ञान का निर्माण हो जाता है, जाहे तथ्य प्राकृतिक क्षेत्र में ही अधिक सामाजिक क्षेत्र में।

## समाजशास्त्रीय अन्वेषण की सीमाएँ (Limitations of Sociological Enquiry)

समाजशास्त्रीय अन्वेषण की अपनी सीमाएँ हैं, जिनकी भौतिक बस्तुओं की प्रकृति और सामाजिक घटनाओं को प्रकृति में सूलभता अन्तर है। कार (Carr) ने सामाजिक द्वेष के अन्तर्गत निम्नलिखित चार प्रकार की सीमाएँ बताई हैं—

- (1) हमारी इच्छाएँ एक विशेष प्रवार का फल या परिणाम चाहती हैं।
- (2) हम व्यावहारिक फल के आकर्षकी हैं।
- (3) हम सामाजिक द्वेष में वस्तुपरक हृष्टिकोण प्राप्त नहीं प्रपना पाते।
- (4) हमारे व्यक्तिगत अनुभवों के जगत् में परे सम्बन्ध बहुत अस्पष्ट रूप में ज्ञात होते हैं।

फ्रांसिस बेविन ने सामाजिक विज्ञानों में चार सीमाओं का उल्लेख किया है—

1 नृशस्तीय सीमाएँ (आन्तिर्यां) (Idols of Tribe)—हम प्राकृतिक नृष्टियों की ओर ही भुकाव रहते हैं, फलस्वरूप मनुष्य की मनुष्य होने की अपनी सीमाएँ उसे सत्य के प्रत्येक पहलू का दिग्दर्शन नहीं करा सकती।

2 समाजीकृत भ्रान्तियाँ (Idols of the Cave)—सामाजिक विज्ञानों पर एक सीमा व्यक्ति के गलत विचारों और धारणाओं की है जिनमें वह अपने समाजीकरण की प्रतिक्रिया में सीद लेता है। जन्म से लेकर बड़े होने तक व्यक्ति समाजीकरण की प्रतिक्रिया में विभिन्न प्रवार की गलत आदतों, धारणाओं और विज्ञासों को आत्मभान कर लेता है फलस्वरूप वह ‘सही हृष्टि’ से विचलित हो जाता है।

3 शादिक भ्रान्तियाँ (Idols of the Market Place)—सामाजिक विज्ञान भाषा सम्बन्धी सीमा का गिकार बना रहता है। भाषा के अनेक अर्थ निकलते हैं जो कि ‘सन्दर्भ से जुड़े रहते हैं। जब तक हम वार्तालाप के सन्दर्भ और वार्तालाप में अलग व्यक्तियों के बारे में मसुचित ज्ञान रखते हो, तब तक हम अव्ययन की घटना के बारे में सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते।

4 वाद-विरोध की भ्रान्तियाँ (Idols of the Theatre)—यह स्वाभाविक है कि मनुष्य किसी विशेष विचारधारा या वाद के प्रति निष्ठावान हो। यदि सामाजिक वैज्ञानिक इस प्रवार की निष्ठा में लिप्त हो तो वह अपने अध्ययन हृष्टिकोण को एक विशेष धूमाव दे देता है और उसका परिप्रेक्षण उसकी विचारधारा (Ideology) के अनुरूप बन जाता है।

हाइक (Hayek) आदि विद्वानों ने तीन नृष्टियों की ओर सकेत किया है—(1) वस्तुपरवता के प्रति आस्था (Fallacy of Objectivity), (2) पद्धतिशास्त्रीय जागूहिकता (Methodological Collectivism) एवं (3) इतिहासवाद (Historicism)। हाइक हारा बताई गई इन तीन नृष्टियों को स्पष्ट करते हुए डॉ॰ मिथवी ने लिखा है—“वस्तुपरवता के अन्तर्गत यह मान लिया जाता है कि मनुष्य को मनन की छूट नहीं है और उसके चिन्तन का कोई भृत्य नहीं है। दूसरी

धारणा के अन्तर्गत वस्तु को पूर्ण रूप में देखने का प्रयास निया जाता है जो कि आन्तिमय है। इतिहासवाद के अन्तर्गत घटनाओं को विशिष्ट रूप में न देखकर साधारणीकरण के उद्दिकोण से देखा ब समझा जाता है। इन सब सीमाओं के प्रतिरिक्त अन्य कई सीमाएँ भी हैं। उदाहरण के तौर पर सामाजिक विज्ञानों में हम प्रयोगशालाओं का निर्माण नहीं कर सकते और न ही घटनाओं पर नियन्त्रण रख सकते हैं। कृत्रिम तरीकों से घटनाओं का निर्माण भी सामाजिक विज्ञानों में सम्भव नहीं है। इसके प्रतिरिक्त क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य का अध्ययन करता है इनके परस्पर प्रभाव प्राच्ययन को मजबूत ढंग में सच लित कर सकते हैं। मनुष्य एक जटिल प्राणी है और उसके व्यवहार में इन्हीं जटिलता है कि किसी भी एक नियम के आधार पर उसके व्यवहार को समझने का प्रयास असफल ही माना जाएगा। यह मनुष्य ही है जो कि सोचता कुछ और है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है।"

### विज्ञानवाद के खण्डन के रूप में उभरा मानवतावादी समाजशास्त्र (Humanistic Sociology as a CounterCulture to Scientism)

समाजशास्त्र को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाने, सामाजिक अन्वेषणों का पूरी तरह वैज्ञानिक सांकेतिक हालने के आन्दोलन का परिणाम यह निकला कि समाजशास्त्र न तो सामाजिक पुनरोत्थान में कोई योग दे सका, न इस ज्ञान का उपयोग शोधित वर्म के लाभ के लिए किया गया और न विभिन्न सामाजिक भौमस्थानों के निदान की दिशा में विशेष प्रयत्न किया जा सका। अत विगत कुछ दशकों से समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता के विराष में मानवीय समाजशास्त्र (Humanistic Sociology) का जन्म और विकास हुआ है। विभिन्न प्रशार के असन्तोष इस मानवीय या मानवतावादी समाजशास्त्र के उदय के लिए उत्तरदायी है। उदाहरणार्थ, ईक्वावादी या कजरबेटिव प्रसन्नतोष (Conservative Dis-satisfaction) इस बात का दोतक है कि 'समाजशास्त्र को अधिक बेचा गया है। हम जितना कहते हैं उससे कम जानते हैं और हमारा ज्ञान लोक-ज्ञान की सीमाओं से अधिक ऊपर नहीं उठा है।' टेक्नोटेक्निक प्रसन्नतोष (Technocratic Dis-satisfaction) इस बात को लेकर है कि समाजशास्त्र न सामाजिक पुनरोत्थान में कोई भूमिका अदा नहीं की है और इसकी सुधारात्मक प्रग्रहिति प्राप्त मिटनी जा रही है। रैडीकल प्रसन्नतोष (Radical Dis-satisfaction) इस बात का लेकर है कि शोधित एवं विज्ञानवाद के उल्पाण के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान का उपयोग नहीं किया गया है। वास्तव में इन विभिन्न तिरोधी विचारधाराओं का जन्म इसलिए हुआ कि तकनीकी विकास ने मानव के सामाजिक जीवन पर इतना गहरा प्रहार किया कि वह 'बीमार या रोग्यल' बन गया। ऐरिक फोर्म ने पूरी अमेरिकी समूहति को 'बीमार यस्कृति' की गजा दी है तो स्पैनिश ने पाश्चात्य सस्कृति के हास दी भविष्यवाणी की है। विज्ञान और ईक्वावादी व कुप्रभावी को देखकर बीदिक जगत् में चिन्ता और असन्तोष पैदा हो जाना स्वाभाविक था। फलस्वरूप परिचम में ऐसे कितने की सामाजिक आन्दोलन

का जन्म हुआ जिन्होंने वैभव, विलासिता, और उपभोग की समृद्धि का विरोध किया। समाजशास्त्रीय द्वेष में इस बात का विरोध किया जाने लगा कि केवल अर्थात् एकत्र करना और नई पढ़तिपाँ विकसित करना ही मन कुछ नहीं है। इस बात पर बल दिया जाने लगा कि मामाजिक यथार्थ को समझने का प्रयत्न करना होगा योकि हम अभी इस स्थिति से बहुत दूर हैं। समाजशास्त्रीय अन्वेषण को एक नया भोड़ दिया गया और यह कहा जाने लगा कि यहाँ एक नवीन समाजशास्त्र का निर्माण आवश्यक है जो मानवतावादी पहलुओं को लेकर चले, मामाजिक यथार्थ को समझने, समझने में सहायक हो। इसीलिए मानवतावादी समाजशास्त्र का पीपण किया गया जिसके अन्तर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान को सामाजिक पुनरस्थान के कार्य में लगाना चाहिए, शोषित और निम्न वर्ग के लोगों के लाभ के लिए इस ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र को वेचने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। समाजशास्त्रियों को यह अनुभव करना चाहिए कि विज्ञानवाद ने हमारी समृद्धि को कितना धक्का पहुँचाया है। समाजशास्त्रियों में एक ऐसी जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए जो 'बन्द किवाड़ी में भौंक सकें।' समाजशास्त्रीय सवेदना और भमाजिक अन्वेषण की मांग है कि समानुभूति (Empathy), अन्त ज्ञान (Intuition) आदि तरीकों से सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाए।

इस सम्पूर्ण विवेचन के निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय अन्वेषण की प्रकृति (Nature of Sociological Enquiry) मानविकी एवं वैज्ञानिक दोनों रही है। दोनों ही हिटिकोण या उपागम परम्पर विलुप्त भिन्न हैं। तथापि दोनों ही हिटिकोणों का समुचित सम्बन्ध ही समाजशास्त्रीय अन्वेषण को मही दिशा में ले जा सकता है। प्रारम्भ से पिछले पांच-छ दशकों तक समाजशास्त्र को विज्ञान देखने में ही प्रस्थापित विए जाने का प्रयत्न रहा। लेकिन तत्पश्चात् मानविकी या मनवतावादी समाजशास्त्र का विकास होने लगा और आज यह विचारधारा सोशियलिंग बनती जा रही है।

**यथा समाजशास्त्र एक विज्ञान है ?**

**(Is Sociology a Science ?)**

समाजशास्त्रीय अन्वेषण की प्रकृति के सन्दर्भ में हमने समाजशास्त्र की दैनानिकता के सम्बन्ध में सांकेतिक और अप्रत्यक्ष विवेचन किया है। समाजशास्त्रीय अन्वेषण की प्रकृति के सन्दर्भ में ही प्रायः यह सीधा प्रश्न किया जाता है कि समाजशास्त्र किस प्रकार एक विज्ञान है? समाजशास्त्र यो विज्ञान मानने में—एक मामाजिक विज्ञान मानने में बोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए योकि उसकी प्रवृत्ति में विज्ञान के मध्ये आवश्यक तत्त्व मौजूद है।

**(1) समाजशास्त्र वैज्ञानिक पढ़ति का प्रयोग करता है—समाजशास्त्र मामाजिक घटनाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है जो अपने प्रध्ययन-विषय**

का मनमाने द्वारा से अध्ययन नहीं करता। समाजशास्त्र ने कुछ निश्चित और वैज्ञानिक पद्धतियों को विकसित कर लिया है जिनकी सहायता से वह मूर्त और अमूर्त (Concrete and abstract) दोनों ही प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। इनमें व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, समाजगति तथा ऐतिहासिक पद्धति प्रमुख हैं।

(2) समाजशास्त्र निरीक्षण द्वारा तथ्यों का संप्रह, विश्लेषण और वर्गीकरण करता है—समाजशास्त्र की सभूर्ण पद्धति एकदम व्यवस्थित और क्रमबद्ध है। विभिन्न पद्धतियों के आधार पर समाजशास्त्री सर्वप्रथम एक उपकल्पना (Hypothesis) बनाकर प्रश्नावली अथवा अनुसूची की सहायता से तथ्यों का सङ्ग्रह करते हैं। फिर इन एकत्र किए हुए तथ्यों को इनकी समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बाँट लेते हैं। प्रत्येक वर्ग में ऐसे ही तथ्य रखे जाते हैं जो एक दूसरे से निश्चित रूप में सम्बन्धित हों। इतना कर लेने के बाद प्रत्येक वर्ग का विश्लेषण किया जाता है ताकि उसके आधार पर कुछ निश्चित नियर्थ निकाले जा सकें।

(3) समाजशास्त्र “क्या है” का विवेचन करता है—समाजशास्त्र में केवल “क्या है” अर्थात् वर्तमान वास्तविक घटनाओं का ही विवेचन किया जाता है, “क्या होता चाहिए” से यह सम्बन्ध नहीं रखता। दूसरे शब्दों में “श्राद्धा” अथवा दर्शन से समाजशास्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। समाजशास्त्रियों का काम सामाजिक तथ्यों को “ज्यों का त्यों” प्रस्तुत करना है। समाजशास्त्र यह स्पष्ट करेगा कि अपराध क्या है, वयो होते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं, आदि। लेकिन वह इस बात से सम्बन्ध नहीं रखेगा कि अपराध होने चाहिए अथवा नहीं। समाजशास्त्र में “ह्याली पुलाव” पकाने का प्रयत्न किसी भी स्तर पर नहीं किया जाता। स्पष्ट है कि घटनाओं का वास्तविक विवेचन करने के कलस्वरूप समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक हो जाती है।

(4) समाजशास्त्र कारण सम्बन्धों को बताता है—समाजशास्त्र में तथ्यों का विश्लेषण और निरूपण करके घटना के वास्तविक कारणों का भी पता लगाया जाना है। यह काम इम विश्वास के आधार पर किया जाता है कि प्रत्येक सामाजिक घटना किसी न किसी निश्चित कारण के फलस्वरूप घटित होती है। उदाहरणार्थ समाजशास्त्र केवल यही नहीं बताता कि भारत में तेजी से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं वरन् उन कारणों की भी व्याख्या करता है जो इस हिति के लिए उत्तरदायी हैं। गिन्मध्ये ने समाजशास्त्र की अपनी परिभाषा में कार्य-कारण के पक्ष पर पर्याप्त बल देते हुए इसे एक विज्ञान माना है।

(5) समाजशास्त्रीय नियमों में “सर्वव्यापी” प्रकृति पाई जाती है—समाजशास्त्रीय नियम एक क्षेत्र-विशेष में निश्चय ही वैज्ञानिक और “सर्वव्यापी” प्रकृति के मिल होते हैं। उदाहरणार्थ, अनेक समाजशास्त्री नियम इस कथन की प्रामाणिकता स्पष्ट कर सकते हैं कि समान प्रकृति वाले समाजों में समान “कारण” का सदा समान “प्रभाव” होगा। समुक्त परिवार कही भी हो, उनमें स्थियों की स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न होगी। जनस्वाक्षरी की अधिकता जहाँ कही भी हो,

किसी न किसी मात्रा में बेरोजगारी फैलेगी। सामाजिक वन्धनों में तनाव कही भी पैदा हो, उनके बढ़ने पर सामाजिक विघटन की स्थिति अवश्य उत्पन्न होगी।

(6) समाजशास्त्र के नियमों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा सम्भव है—जोई भी वैज्ञानिक पद्धति किसी व्यक्ति विशेष की वपौती नहीं होती। रसायनशास्त्र या भौतिकशास्त्र भी इसी हृष्टि में पूर्ण विज्ञान माने जाते हैं कि उनके नियमों की परीक्षा वही भी और कभी भी की जा सकती है। समाजशास्त्रीय नियमों में भी यही वार्ता लागू होती है कि उनकी प्रामाणिकता की पुनर्परीक्षा किसी भी समय की जा सकती है। जो निष्कर्ष आज एक समाजशास्त्री ने निकाल हैं, दूसरा समाजशास्त्री वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उस निष्कर्ष की फिर से जाँच कर सकता है। इस परीक्षा और पुनर्परीक्षा के दौरान ही नए निष्कर्ष सम्भव होते हैं इस प्रकार का हृष्टिहोग सर्वथा वैज्ञानिक है और इसीलिए समाजशास्त्र को एक प्रगतिशील विज्ञान स्तरीकार करने में जोई आपत्ति नहीं होती चाहिए।

(7) समाजशास्त्र भविष्य को श्रोत सकेत कर सकता है—समाजशास्त्र में वर्तमान घटनाओं के आधार पर भविष्य की सम्भावित परिस्थितियों की प्राप्ति सकेत करने की क्षमता है। उदाहरणार्थ, यदि समाजशास्त्री जातिप्रथा के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन कर रहा है तो उसका यह भी कार्य होगा कि वह इस विषय में सम्बन्धित सभी तथ्यों का सम्बन्ध, वर्गीकरण, विश्लेषण, निष्पत्ति आदि करके ऐसे निष्कर्ष निकाले जिनके आधार पर यह भविष्यवाणी करना सम्भव हो कि यदि ये परिस्थितियाँ या अवस्थाएँ बनी रही तो आगे चल कर जातिप्रथा का क्या बास्तविक रूप अवश्य स्वरूप होगा। यदि समाजशास्त्री ऐसा करने की क्षमता नहीं रखता तो वह वैज्ञानिक होने वा अधिकार नहीं रखेगा। चूंकि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की शक्ति है अत उसे विज्ञान की धेरणी में रखा जाना चाहिए।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में विज्ञान के सभी ग्रावर्यक तत्त्व भौदूद हैं तथा यह वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समाजशास्त्री और सामाजिक प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में ज्ञान का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध संप्रह करने में सक्षम है। अत नि सकोच समाजशास्त्र एक विज्ञान है।

समाजशास्त्र को विज्ञान कहने में जो आपत्तियाँ हैं वे निरर्थक हैं

### (Objections against the Scientific Nature of Sociology are Useless)

समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि उन प्राप्तियों का मूल्यांकन किया जाए तो इसे विज्ञान कहने पर की जाती है। अग्रिम पक्षियों में हम समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्तियों को लेंगे और साथ ही उनका निराकरण भी करते चलेंगे।

1 समाजशास्त्र में वैज्ञानिक तटस्थिता का अभाव-सबसे पहली आपत्ति यह ही जाती है कि समाजशास्त्र का अध्ययन विषय मुद्द इस प्रकार का है कि उसके अध्ययन में वैज्ञानिक तटस्थिता (Scientific objectivity) को बनाए रखना सम्भव

नहीं है। इस सम्बन्ध में दो प्रमुख कारण हैं—(i) समाजशास्त्र का सम्बन्ध सामाजिक घटनाओं से है जो कि अत्यधिक जटिल होती है, एवं (ii) सामाजिक घटनाएं निरन्तर परिवर्तनशील हैं। समाजशास्त्र का प्रमुख सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्धों और प्रक्रियाओं से है जो कि एक ओर तो अमूर्त हैं और दूसरी ओर इनमें अत्यधिक भिन्नता भी पाई जाती है। इन कारणों से समाजशास्त्रीय नियमों का पक्षपातपूर्ण होना स्वाभाविक है। अध्ययनकर्ता किसी विषय का प्रध्ययन करते समय अपनी भावनाओं और विश्वासों से सर्वथा आप्रभावित नहीं रह सकता, अत उसके नियम पक्षपातपूर्ण हो जाने हैं। हटिकोण में ताकि सी भी असावधानी उसके नियमों को गलत बना देनी है।

उपरोक्त आपत्ति भ्रामक है—सामाजिक तथ्यों की जटिलता के आधार पर समाजशास्त्र को वैज्ञानिक न मानना भ्रामक है। वास्तव में किसी भी वस्तु की जटिलता या सरलता का सम्बन्ध तो हमारे ज्ञान के स्तर में है। ज्ञान की कमी होने पर साधारण तथ्य भी हमें जटिल लगेगा और वास्तविक ज्ञान होने पर एक जटिल तथ्य भी हमारे लिए सरल बन जाएगा। समाजशास्त्र एक नवादित विज्ञान है, अत यदि अध्ययन वस्तु जटिल लगे तो इस आधार पर उसे अवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समाजशास्त्र में विभिन्न आवृत्तिक प्रविधियाँ विकसित होती जा रही हैं जिनके द्वारा सामाजिक पठनाओं की जटिलता को सरलता से गम्भीर रामबन होता जा रहा है।

2 समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं को ठीक से माप नहीं पाता—ममाज्ञास्त्र की वैज्ञानिकता के विरुद्ध दूसरी आपत्ति है कि यह अपनी प्रध्ययन वस्तु वो ठीक से माप नहीं सकता। सामाजिक घटनाएं अमूर्त होनी हैं अत उन्हें निश्चित रूप से मापना या तौलना सम्भव नहीं है। फलस्वरूप समाजशास्त्र में वह यथायता नहीं आ पानी जो अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में है।

उपरोक्त आपत्ति निराधार है—सामाजिक घटनाओं को मापन सम्बन्धी जटिनाई के आधार पर समाजशास्त्र वी वैज्ञानिकता से इन्कार करना भी भ्रामक है। विज्ञान के लिए माप का होना सदैव अनिवार्य नहीं है। एक दर्जी कष्टड़ी को एक एक इन्व या उच्चर कर बनाता है, लेकिन हम उसे वैज्ञानिक नहीं कहते। अति प्राचीन काल से वीमारी या ऊपर को मापने वी कोई प्रविधिया नहीं थी, लेकिन महीं ग्रदलोकन और भ्रनुमान के आधार पर चिकित्सा विज्ञान का अस्तित्व था। अत स्पष्ट है कि विज्ञान और माप का कोई प्रयोग नम्बन्यन नहीं है। मापने की क्षमता विज्ञान के लिए केवल एक सहायक तस्व है। फिर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ज्यों ज्यों समाजशास्त्रीय ज्ञान उमुक्त होता जा रहा है, सामाजिक घटनाओं की माप बरता भी सम्भव बनता जा रहा है।

3 समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव—समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध तीसरी आपत्ति यह है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला-पद्धति का प्रयोग ग्राद नहीं हो सकता। दूसरी ओर प्राकृतिक विज्ञानों को यह सुविधा पूर्णत प्राप्त है कि

## 12 सामान्य समाजशास्त्र

वे अपनी प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोग कर सकें और उनके आधार पर यथार्थ तथा निश्चित निष्ठाएं निकाल सकें। चूंकि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव है, अत प्राप्त तथ्यों को विसी प्रकार प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। गान्हर के शब्दों में 'हम समाज के एक भाग को हाथ में नहीं ले सकते और उसे विभिन्न अवस्थाओं में रखकर टेस्ट-ट्यूब (Test tube) में डालकर न तो उसकी परीक्षा कर सकते हैं, न अपनी जिज्ञासा को सन्तुष्ट कर सकते हैं और न सामाजिक समस्याओं का हल खोज सकते हैं।' समाजशास्त्री अपनी प्रावश्यकतानुसार एक बच्चे को जगल में रखकर मानव-जीवन पर समाज के महत्व का मूल्यांकन नहीं कर सकता और न ही किसी व्यक्ति वो रातो-रात अपराधी चोर या डाकू बनाकर उसकी विशेषताओं का निष्पण कर सकता है। जब समाजशास्त्र में प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग नहीं हो सकता तो उसे विज्ञान भी नहीं कहा जा सकता।

यह आपत्ति भी आमक है—चाहे समाजशास्त्र के पास भौतिक विज्ञानों की भाँति कोई कृत्रिम प्रयोगशाला नहीं है, लेकिन हमें यह भी भूलना चाहिए कि समाजशास्त्रीय नियमों की प्रकृति भी ऐसी होती है कि उन्हें किसी बन्द और कृत्रिम प्रयोगशाला के अन्दर समझा नहीं जा सकता। समाजशास्त्र की प्रयोगशाला तो सम्पूर्ण समाज है, और यही उसके लिए स्वाभाविक है। हमें इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि प्राचीनकाल में विल्यात् भौतिक वैज्ञानिकों ने अपने विश्व-विल्यात् वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन आज जैसी यन्त्र-सञ्जित बन्द प्रयोगशालाओं में नहीं किया था, बल्कि उनकी प्रयोगशाला सम्पूर्ण प्रकृति थी। फिर यदि समाजशास्त्रीय नियमों का प्रतिपादन खुले बातावरण में किया जाता है, तो उसे वैज्ञानिक कहने में आपत्ति क्यो होनी चाहिए। गिलिन और गिलिन ने ठीक ही लिखा है कि नूक्षम अवलोकन अथवा निरीक्षण (Accurate observation) प्रयोगशाला पद्धति की सबसे बड़ी कसौटी है, इसलिए समाजशास्त्र की यह कोई बमी नहीं है कि उसके पास अन्य विज्ञानों की भाँति कृत्रिम प्रयोगशाला नहीं है। जब समाजशास्त्र में, बिना प्रयोगशाला के ही, सूक्ष्म और यथार्थ अवलोकन-शक्ति है, तो उसकी विज्ञान की ओर बढ़ती हुई प्रगति को रोका नहीं जा सकता।

4 समाजशास्त्र भविष्य के बारे में निश्चित घोषणा नहीं कर सकता—समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पर अन्तिम मुख्य आरोप यह लगाया जाता है कि इसमें भविष्यवाणी करने की योग्यता नहीं है। सामाजिक घटनाएं इतनी परिवर्तनशील हैं कि समाजशास्त्रीय नियम किसी भी प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते। दूसरी ओर प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों में निश्चित भविष्यवाणी करने की शमता होती है, उनमें नियम छिलकुल ठीक और सब जगह समान लागू होने वाले होते हैं।

उपरोक्त आपत्ति भी एकपक्षीय है—वास्तव में देखा जाए तो निश्चित भविष्यवाणी करने सम्बन्धी कमी सामाजिक विज्ञान में तो क्या, प्राकृतिक विज्ञानों तक में स्पष्ट है। चेस्टर अलेक्जेंडर के अनुसार, अनु विज्ञान विशेषज्ञ 5 दिन पहले

भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि भविष्य में क्या होगा अथवा प्राणीगत्वी तुरन्त यह नहीं बता सकता कि कौनसा धरणीश नवअकृति मटर के पौधे के अनुरोदों को खा जाएगा, अथवा भू-गर्भ शास्त्री यह नहीं कह सकता कि आगामी शीतकाल में कौनसी रेत की पटरी दूटेगी ? लुष्कर्वन ने एक उदाहरण देते हुए लिखा है कि गुरुत्वाकर्पण का नियम भी तभी खरा उत्तरता है जब कुछ प्रवस्थाएँ विद्यमान हों। इस नियम के अनुसार भारत भार की नभी वस्तुएँ पृथ्वी की आवरण शक्ति से समान रूप से प्रभावित होती हैं, परं यदि हम कुछ कागज के टुकड़ों को एक साथ ऊंची मीठार से फेंके तो कुछ टुकड़े घरती परं पहले पिरेंग और कुछ बाद में, और यदि हवा तेज चल रही हो तो टुकड़े हवा में ही उड़ते रहेंगे। प्रभिप्राय यह हमारे जब विभिन्न परिस्थितियों का प्रभाव प्राकृतिक नियमों पर भी पड़ता है और भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों की भविष्यवाणी करने सम्बन्धी सीमाएँ हैं, तो समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता को दुकानात् एक पक्षीय है। फिर पर्मन्स का यह नियम कि “सामाजिक क्रिया से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया की दशा एवं गति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि कोई विरोधी प्रेरक शक्ति उसके सामने आधाराएँ उत्पन्न न करदे”<sup>1</sup> उतना ही सही है कि जितने कि प्राकृतिक विज्ञानों के नियम।

स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता के विरुद्ध समाई गई आपत्तियाँ निराधार हैं, उनके आधार पर इसे विज्ञान की मान्यता देने में सक्रिय करना हटकादिता या दुराप्राप्त है।

### समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है ? (What is the Real Nature of Sociology ?)

प्रथम

### समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की प्रमुख विशेषताएँ (Main Characteristics of the Scientific Nature of Sociology)

समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमाओं को यदि हम जान लें तो हमारे समय समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट हो जाएगी और इस सम्बन्ध में अनेक अधिक धारणाएँ दूर हो सकेंगी। इस सम्बन्ध में हम दो विद्यात् समाजशास्त्रियों के मतों का उल्लेख करेंगे—प्रथम है रॉबर्ट बीरस्टीड (Robert Bierstedt), एवं दूसरे है हैरी एम जानसन (Harry M. Johnson)।

बीरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमाएँ अथवा विशेषताएँ

बीरस्टीड ने अपनी पुस्तक “The Social Order” में दृढ़ 11 से 15 तक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति का निहित किया है—

**1. समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है न कि प्राकृतिक विज्ञान (A Social and not a Natural Science)**—बीरस्टीड के अनुसार समाजशास्त्र प्रत्येक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान है न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक सम्बन्धों और प्रक्रियाओं का विज्ञान है। इस प्रकार इसका अध्ययन-विषय मौलिक रूप से सामाजिक है। भौतिक या प्राकृतिक घटनाओं से इसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि समाजशास्त्र इस बात का प्रध्ययन करता है कि प्राकृतिक या भौतिक घटनाओं का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन सामाजिक एवं गैर-सामाजिक घटनाओं के ग्रापसी सम्बन्धों और सह-सम्बन्धों का यह अध्ययन मूल रूप में सामाजिक दृष्टिकोण से ही किया जाता है। अतः समाजशास्त्र को हम एक सामाजिक विज्ञान कहेंगे, न कि प्राकृतिक विज्ञान।

**2. समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है न कि आदर्शात्मक विज्ञान (A Categorical not a Normative Discipline)**—समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का उसी रूप में अध्ययन करता है जिस रूप में कि वे वास्तव में हैं। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्र 'क्या है' का अध्ययन करता है 'क्या होना चाहिए' अर्थात् आदर्श से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। सामाजिक घटनाओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हुए समाजशास्त्री का दृष्टिकोण पक्षपात रहित अथवा निर्भेद रहता है, वह अपने अध्ययन अवदा निष्पत्ति में किसी घटना विशेष या समूह विशेष की तरफ दबारी नहीं करता। क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत, क्या नीति पूर्ण है और क्या नीति के विरुद्ध आदि विषयों पर विवेचना करना समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के बिंदु है। वर्तमान परिवित्रियों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना इसका काम है। समाज में एक समय विशेष में विद्यमान सामाजिक मूल्य, विश्वासों, कार्य प्रणालियों आदि का अध्ययन ही इसे रचिकर है।

**3. समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यावहारिक विज्ञान नहीं (A Pure Science, not an Applied Science)**—विशुद्ध विज्ञान का प्रमुख कार्य ज्ञान का अवरित्ति और नमबद्ध संग्रह करना है न कि उस ज्ञान को व्यावहारिक क्षेत्र में प्रयोग करने के सम्बन्ध में सुझाव देना या स्वयं उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप में प्रयोग में लाना। एक समाजशास्त्री यही करता है। विशुद्ध विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उद्देश्य मानव-समाज से सम्बन्धित वास्तविक ज्ञान का संग्रह है, उसे उपयोग में लाना नहीं। विशुद्ध विज्ञान सेंद्रान्तिक होता है जबकि व्यावहारिक विज्ञान का कार्य है सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणात करना। इस प्रकार जहाँ भौतिकशास्त्र, सेंद्रान्तिक व्याख्या होने के फलस्वरूप, विशुद्ध विज्ञान है वहाँ इनीनियरिंग-शास्त्र भौतिक शास्त्र के नियमों को व्यावहारिक रूप में लायू करने के कारण एक व्यावहारिक विज्ञान माना जाएगा। समाजशास्त्र में केवल सामाजिक सिद्धान्तों का निर्माण किया जाता है, इसका काम उन्हें सामाजिक जीवन पर लायू करना नहीं है। इन सिद्धान्तों को व्यवहार में लाने का कार्य 'सामाजिक कार्य' (Social works) तथा ग्रन्थ विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों का है।

**4 समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं (A Relatively Abstract Science and not a Concrete one)**—समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है अर्थात् इसका सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्धों के अध्ययन से है जो कि व्यक्ति अमूर्त होते हैं। यत् समाजशास्त्र को भी मूर्त नहीं बल्कि प्रमूर्त विज्ञान कहना होगा। सामाजिक घटनाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हुए समाजशास्त्र अपने का किसी भी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित नहीं करता। इसका उद्देश्य व्यक्ति विशेष का अध्ययन करना नहीं बल्कि उनके बीच पाए जाने वाले सम्बन्धों का अध्ययन करना है जो कि अमूर्त होते हैं अर्थात् जिन्हे हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं।

**5 समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है न कि विशेषीकरण वा वैयक्तिकरण विज्ञान (A Generalizing and not a Particularizing or Individualizing Science)**—बोर्टीड ने समाजशास्त्र की पाँचवीं निशेपता यह बताई है कि इन सामान्यीकरण विज्ञान कहना चाहिए न कि विशेषीकरण अथवा वैयक्तिकरण विज्ञान। समाजशास्त्र मानव अन्त क्रिया और सब के बारे में, मानव समूह तथा समाजों की प्रकृति व्वश्वप विषय वस्तु और सम्बन्धों के बारे में सामान्य नियम या सिद्धान्त (General Laws or Principles) ढूँढ़ने का प्रयत्न करता है, न कि विशिष्ट समाजों अथवा विशिष्ट घटनाओं के सम्पूर्ण और व्यापक विवरणों का जानने का, जैसाकि इतिहास में होता है। समाजशास्त्र की रूचि इस एनिहासिक नियम में नहीं है कि मूलोलिङ्गी के नेतृत्व में इतली ने कभी इथियोपियावासियों पर मुद्र लादा था बल्कि इस समाजशास्त्रीय सिद्धान्त में है कि वाहा आक्रमण किमी समूह के धान्तरिक संगठन को इद्दता या तीव्रता देने का एक तरीका (One way to intensify the internal solidarity of a group) है।

**6 समाजशास्त्र तार्किक और अनुभवसिद्ध दोनों विज्ञान है (Both a Rational and an Empirical Science)**—समाजशास्त्र अपने अध्ययन-कार्य में हिमी भी आधारितिक या दार्यनिक दृष्टिकोण को प्रयोग नहीं देता। यह वैज्ञानिक पद्धतियों का लद्दाना से प्रयोग करता है ताकि जो भी निष्कर्ष वह निकाले वे न केवल तार्किक अथवा युक्तियुक्त हो बल्कि अनुभवसिद्ध भी हो। दूसरे शब्दों में, समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में एक और ती उन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हे तर्क के अधार पर स्पष्ट किया जा सके एवं दूसरी और तथ्यों का अध्ययन उस पृष्ठभूमि के आधार पर भी किया जाता है जो अनुभव पर आधारित है। शर्तेक सामाजिक तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हे हम तर्क से प्रमाणित नहीं कर सकते लेकिन जो अनुभव में मिछ है। इस प्रकार समाजशास्त्र तार्किक विज्ञान भी है और अनुभवसिद्ध विज्ञान भी।

**7 समाजशास्त्र एवं सामान्य सामाजिक विज्ञान है विशेष सामाजिक विज्ञान नहीं (A General and not a Special Social Science)**—समाजशास्त्र में केवल कुछ विशेष सम्बन्धों का नहीं अपितु सामान्य सम्बन्धों का अध्ययन किया

## 16 सामान्य समाजशास्त्र

जाता है, अतः यह एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र के अध्ययन-द्वेरा के प्रमाण में हम बता चुके हैं कि सभी सामाजिक विज्ञानों में कुछ सामान्य (Common) तत्व पाए जाते हैं और समाजशास्त्र ऐसे ही तत्वों का अध्ययन करने के फलस्वरूप एक सामान्य विज्ञान की शैली में आता है। साथ ही यह भी है कि समाजशास्त्र किसी भी घटना का विवेचन करते हुए किसी एक विशेष कारण या उस घटना के विशेष पहलू पर अधिक जोर नहीं देता बरन् उस घटना के सभी पक्षों को सामान्य रूप से देखता है और सामान्य कारण ढूँढने तथा विश्लेषण करने का प्रयत्न करता है। अतः इस दृष्टि में भी समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान ही है, विशेष विज्ञान नहीं।

बीरस्टीड ने समाजशास्त्र की प्रकृति को बड़े संश्लेष और सरल रूप में एक चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया है जिसे हम निम्ननुसार रख सकते हैं (वार्द्धकालम के शब्द समाजशास्त्र की प्रकृति को इग्नित करते हैं)—

समाजशास्त्र विषया है	विशेष नहीं है
सामाजिक (Social)	प्राकृतिक (Natural)
निरपेक्ष या वास्तविक (Categorical or positive)	आदर्शत्विक (Normative)
विशुद्ध (Pure)	व्यावहारिक (Applied)
भूतं (Abstract)	अमूर्त (Concrete)
सामान्यीकरण (Generalizing)	विशेषीकरण (Particularizing) <sup>1</sup>
तार्किक तथा अनुभवसिद्ध (Rational & Empirical)	—
सामान्य (General)	विशेष (Particular)

इस प्रकार 'समाजशास्त्र' एक सामाजिक, एक वास्तविक, एक विशुद्ध, एक अमूर्त, एक सामान्यीकरण, तार्किक और अनुभवसिद्ध दोनों, तथा एक सामान्य विज्ञान है।<sup>2</sup>

हैरी एम. जानसन के अनुसार समाजशास्त्र में विज्ञान की विशेषताएँ

हैरी एम. जानसन ने अपनी विद्यात पुस्तक "समाजशास्त्र एक विधिवत् विवेचन" (हिन्दी अनुवाद) में पृष्ठ 3 पर लिखा है कि समाजशास्त्र में किस सीमा तक विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं—

1 यह सौकिक (यथार्थवादी, पार्थिव) है, अर्थात् यह प्रेक्षण और तार्किक चिन्तन पर आधारित है, न कि अति-प्राकृतिक अन्तर्बोध पर। इसके परिणाम

1 "Generalizing" और "Particularizing" को कभी कभी अमर्ष, Idiographic हमा Nomothetic भी कह दिया जाता है।

2. तिथवी एवं योस्याकी समाजशास्त्र विवेचन, पृष्ठ 5

अनुमानों पर आधारित नहीं होते, यह सच है कि अपने रचनात्मक कार्य की प्रारम्भिक स्थितियों में सभी वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं, किन्तु अपने इन अनुमानों को वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में घोषित करने से पूर्व तर्यों के घरातल पर इन्हे वे ग्रांक सेते हैं।

2 यह सेद्धान्तिक है; अर्थात् यह जटिल प्रेक्षणों का सार्वांश प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यह सार्वांश भक्षित, तर्वं सम्मत, परस्पर सम्बन्धित प्रस्तावनाओं के रूप में होता है जिनका प्रयोजन कार्य-कारण सम्बन्धावलि को स्पष्ट करना होता है।

3 यह सच्ची है, अर्थात्, समाजशास्त्रीय सिद्धान्त एक के आधार पर दूसरे बनते हैं, नए सिद्धान्त पुराने सिद्धान्तों का सुधार, विस्तार और परिव्याप्त करते हैं।

4 यह नंतितता मुक्त है, अर्थात् तमाजशास्त्री की इसमें रचि नहीं होती है कि अमुक सामाजिक कार्य भले ही अथवा बुरे, वह तो केवल उनकी व्याख्या करता है।

इन सभी पक्षों में समाजशास्त्र प्रभी पूर्णता नहीं पा सका है, किन्तु इन दिशा में प्रगति क्रमिक है।

### समाजशास्त्रीय हृष्टिकोण (Sociological Perspective)

समाजशास्त्र क्या है? को समझने के लिए समाजशास्त्रीय हृष्टिकोण को समझ लेना भी आवश्यक है। इसे स्पष्ट करते हुए डॉ॰ मिथिली एवं गोद्वामी ने लिखा है—“समाजशास्त्र एक विशिष्ट हृष्टिकोण से सामाजिक प्रघटना का अध्ययन करता है। समाजशास्त्रीय हृष्टिकोण के अन्तर्गत एक एक तो सामाजिक सम्बन्धों का है जिसके अन्तर्गत हम दा या दो में अधिक व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्धों का चाहे वे सहयोग के हों या सधर्प के हों, एवं उससे उत्पन्न प्रभावों व उनके निर्माण की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। इसी हृष्टिकोण का दूसरा पक्ष यह है कि कोई भी वस्तु या प्रघटना हमारे सामाजिक सम्बन्धों, सामाजिक सम्मानों, सामाजिक मूल्यों सामाजिक प्रतिविधि, सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक नियन्त्रण को किस रूप में प्रभावित करती है। हम सम्बन्धों के अर्थशास्त्रीय अथवा भलोवैज्ञानिक पक्ष को समाजशास्त्रीय अध्ययन के अन्तर्गत विचारणीय नहीं समझते।”<sup>1</sup>

वास्तव में, यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी वस्तु-विशेष वा एक ही विषय के अन्तर्गत रखें। महत्वपूर्ण वात तो यह है कि हम उस वस्तु का किस हृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं और हमारे अध्ययन की मन्त्रमंडरिति क्या है? इस हृष्टिकोण से, हम एक ही वस्तु का कई विषयों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कुर्सी का अध्ययन अर्थशास्त्री भी कर सकता है, बनस्पतिशास्त्री भी और समाजशास्त्री भी लेकिन अध्ययन का हृष्टिकोण विश्व होगा। बनस्पतिशास्त्री इस हृष्टिकोण से अध्ययन करेगा कि कुर्सी की सकड़ी किस वर्ग में आती है।

प्रथंशास्त्री इस हृष्टिकोण से अध्ययन करेगा कि कुर्सी कितने भेद खरीदी गई, कितने में बेची गई, उससे हानि-लाभ क्या हुआ आदि। समाजशास्त्री कुर्सी को प्रतिवर्ति प्रतीक (Status symbol) के रूप में देखेगा। यह यह देखेगा कि कुर्सी पर किस पद का व्यक्ति बैठता है। कुर्सी की लकड़ी वही है लेकिन एक कुर्सी कमरे के बाहर चपराई के लिए सुरक्षा रहती है। इस प्रकार विभिन्न कुर्सियाँ विभिन्न पदों के प्रतीक के रूप में देखी जाती हैं। यह हृष्टिकोण समाजशास्त्री हृष्टिकोण है। हम इसे एक दूसरे उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। एक पोपाहार विशेषज्ञ डलब रोटी का अध्ययन प्रोटीन, विटामिन प्रादि की मात्रा को छांक कर सन्तुलित आहार की हृष्टि से करेगा। एक अर्थं शास्त्री उसका अध्ययन बाजार-वस्तु के रूप में करेगा, उसके अर्थ मूल्य, विकल्प मूल्य, उपभोक्ता की बचत आदि को ध्यान में रखेगा। पर यदि डबन रोटी के जन जाने पर पतिष्ठती में झगड़ा हो जाए, तबाव हो जाय तो यह प्रमाण समाजशास्त्री के लिए अध्ययन को विषय-वस्तु बन जाएगा विषेषज्ञ यहाँ डबल रोटी पति पत्नी के सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित करती है। अभिप्राय यह हुआ कि समाजशास्त्री हृष्टिकोण एक विशिष्ट हृष्टिकोण है जिसके माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसी कारण धर्म के समाजशास्त्र, कला के समाजशास्त्र, सभीत के समाजशास्त्र आदि का विशिष्ट विषयों के रूप में अध्ययन किया जाता है।

### समाजशास्त्र का मूल्य (Value of Sociology)

समाजशास्त्र के मूल्य अथवा महत्व या उसकी उपयोगिता को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने व्यापक हृष्टि से प्रस्तुत किया है। किसके देविस ने अपनी पुस्तक "मानव समाज" (Human Society) के पृष्ठ 11 से 14 में "समाजशास्त्र का मूल्य" शीर्षक से बड़ा सारगमित विवेचन प्रस्तुत किया है। अन्य समाजशास्त्रियों ने भी समाजशास्त्र के महत्व को अपने अपने ढंग से विवेचन किया है। यहाँ हम विभिन्न हृष्टिकोणों को समन्वित रूप में प्रस्तुत करेंगे—

(1) समाजशास्त्र का साधनात्मक मूल्य—समाजशास्त्र के साधनात्मक मूल्य की चर्चा करते हुए विग्नल डेविड ने लिखा है कि इस हृष्टिकोण से यदि एक बार समाज के कुछ उद्देश्यों पर हम एक मत हो जाते हैं तो सामाजिक विज्ञान उन सभी साधनों को निश्चित करने में सहायता करता है जिनसे उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। एक जटिल समाज में सामाजिक नीतियों का पालन बेवन प्रथाओं और भावनाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता। कुछ मात्रा में अध्ययन विए जाने वाले समाज के ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक नीतियाँ जिनमें विमृत और व्यापक होंगी उनमें ही अधिक समाजशास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी जो कि पूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक ज्ञान से भिन्न कोटि का होता है। उदाहरणार्थ, किसी राष्ट्र के अधिकांश नागरिक जनम-दर में बढ़ि करना

उचित समझते हैं तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के साधनों को केवल प्रार्थिक या राजनीतिक घर्षों में ही पूर्खता नहीं किया जा सकता। इसके साधनों का पता लगाने के लिए पारिवारिक समठन, जनसंख्या की घटिश्चीतता, प्रजनन तथा, परम्परागत मूल्यों से सम्बन्धित विद्यय आदि पर भी विचार करना होगा। इसके लिए समाजशास्त्रीय प्रकार के विश्लेषण की आवश्यकता होती है।

(2) समाजशास्त्र द्वारा सम्पूर्ण मानव-समाज के बारे में हृष्टिकोण को विकसित करना—यमाजशास्त्र मानव समाज का वास्तविक विज्ञान है, यह समाज के सभी समाजों से सामान्य रूप में सम्बन्धित है। यह सभी समाजों की विशेषताओं और प्रकृति के सम्बन्ध में हमें वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। इस ज्ञान का हमारे लिए भारी महत्व है क्योंकि इसके द्वारा हमारे हृष्टिकोण का विस्तार होता है। किसी समूह विशेष या समाज-विशेष के बारे में हमारी सभीर्णता दूर होती है और हम पहुँचमध्य पाते हैं कि प्रत्येक समाज आवश्यक रूप में एक प्राकृतिक व्यवस्था है, अत विभिन्न समाजों में जहाँ ऊपर से अन्तर दिखाई दे, लेकिन मौलिक रूप से ये सभी एक है। जब यह ज्ञान हमें ही जाता है तो हम मकीर्ण जातिवाद या राष्ट्रवाद से ऊपर उठ सकते हैं। विश्व शान्ति के प्रसार और एक सुधरकास्तित अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक जीवन को प्रोत्साहित करने में समाजशास्त्र की उपयोगिता हमें स्वीकार करनी होगी। समाज के वास्तविक प्रवर्य प्रौद्योगिकी को समझें दिना हम सफल व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते, इस हृष्टि से भी समाजशास्त्र का महत्व देखना होगा।

(3) यमाजशास्त्र आधुनिक यमाज की जटिल समस्याओं को सुलझाने में सहायक—प्राचीन समाज और जीवन बड़ा सरल था, अत उपर्युक्त सामाजिक समस्याओं को प्रकृति भी जटिल न थी और यमाजशास्त्र जैसे किसी विज्ञान की विशेष आवश्यकता न थी। लेकिन आधुनिक समाज उत्तरोत्तर जटिल होता जा रहा है और साथ ही सामाजिक जीवन लघा उससे सम्बन्धित समस्याएँ भी बढ़ते जटिल बन रही हैं। इन समस्याओं को मुलभाने के लिए इनके सम्बन्ध में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होना नितान्त आवश्यक है। हम जानते हैं कि कोई भी समस्या किसी एक विशेष वारण से उत्पन्न न होकर प्राय सामान्य कारणों से उत्पन्न होती है। समाजशास्त्र इन सामान्य कारणों के विषय में बताता है, अतः हमारे लिए यह सम्भव होता है कि हम समस्याओं की वास्तविक प्रकृति को समझकर उन्हें सही रूप में सुलझाने का प्रयत्न करें। समाजशास्त्र की यह भारी उपयोगिता है कि इसके द्वारा व्यक्ति को एक व्यावहारिक प्रौद्योगिकी और सामाजिक हृष्टिकोण विभिन्नत करने में सहायता मिलती है।

(4) व्यक्तिगत समठन में सहायक—समाजशास्त्र व्यक्तिगत जीवन को समठन करके सामाजिक समठन के लिए एक उचित बातावरण तैयार करने की हृष्टि से बड़ा उपयोगी है। यहकि समाज की राबड़ी छोटी किन्तु तबसे महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि वही सम्बन्धों वा जाल जैविता है, समाज के नियमों के अनुमार वार्य करता है अथवा समाज-विरोधी कार्यों से विभिन्न सामाजिक नमस्याएँ उत्पन्न

कर देता है। अत यदि व्यक्तिगत जीवन को संगठित और व्यवस्थित न रखा जाए तो सामाजिक संगठन के लिए यह घातक बात होगी। आज सभी समाज इस तथ्य को समझने लगे हैं कि व्यक्तिगत जीवन को संगठित करने का दायित्व समूर्ण समूह पर है, क्योंकि व्यक्ति और समाज परस्पर विरोधी नहीं बरन् एक दूसरे के पूरक हैं। समाजशास्त्रीय नियमों का भावत्व इस बान में है कि उनके द्वारा व्यक्तिगत परिस्थितियों को सामाजिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है, इस प्रकार समाज के भीतर ही समस्याओं का समाधान ढूँढ़ा जाता है। समाजशास्त्र न केवल बाह्य व्यक्तित्व (वेश-भूषा, बोल-चाल, व्यवहार, पारस्परिक सम्बन्ध आदि) का ग्राह्ययन करता है वल्कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अंतरिक कारकों (मूल प्रवृत्तियाँ, प्रेरणाओं, उद्देश आदि) का भी अध्ययन करता है। अन्तरिक और बाह्य व्यक्तित्व का भली प्रकार अध्ययन करके ही व्यक्ति के जीवन को संगठित किया जा सकता है, और समाजशास्त्र इस कार्ये में अत्यधिक सहयोगी है।

(5) समाजशास्त्रीय अध्ययन में अन्य व्यक्तिगत लाभ—जिससे डेविस के अनुसार समाजशास्त्रीय अध्ययन में एक बड़ा व्यक्तिगत लाभ है जो सामाजिक लाभ से विलकूल भिन्न है। डेविड न लिखा है शिक्षित व्यक्ति का एक लक्षण यह है कि वह उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है जिनको सामाज्य व्यक्ति स्वीकार कर चुक होते हैं। अत उसको अपने बारे में और दूसरों के बारे में अधिक अच्छा जान होता है। वह नई परिस्थितियों से अपना अभियोजन करने में अधिक समर्थ हो जाता है। वह परम्परागत साधारण दिचारों की अपेक्षा आधारभूत सिद्धान्तों के हापिकोए से विचार करने योग्य हो जाता है। अत परिणामों को सोचने भ वह दूरदर्शी बन जाता है। अन्य समाजी और वर्गों का अपने समाज से तुलनात्मक अध्ययन कर सकने के कारण उसे अपने अस्तित्व के लिए बहुत सी वस्तुएं संगत दिखाई देने लगती है जो कदाचित् उसके ध्यान में नहीं आती। इस प्रकार, समाजशास्त्रीय ज्ञान के कलश्वरूप, व्यक्ति का जीवन अधिक समृद्ध और समूर्ण हो जाता है। इसी कारण उदार कलात्मक पाठ्यक्रम में भागीजिक, मनोविज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान तथा समाजशास्त्र का इतना महत्वपूर्ण स्थान हो गया है।

(6) समाजशास्त्र पारिवारिक संगठन को स्थायित्व देने में सहायक—समाज शास्त्र हमें सामाजिक सम्बन्धों का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है तथा उन अन्वयक दशाओं के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करता है जो पारिवारिक जीवन को मुखी और स्थायी बनाने के लिए जरूरी है। समाजशास्त्र में पारिवारिक नियमों आदर्शों और मूल्यों का अध्ययन किया जाता है सम्पानुसार सामाजिक मूल्यों में आवश्यक परिवर्तन करने का अनुमति दी जाती है तथा समाजशास्त्र से हमें ज्ञान होता है कि रोमांस आदि बातें पारिवारिक जीवन से मेल नहीं खाती, इसीलिए रोमांटिक विवाहों का अन्त रोमांटिक विवाह विच्छेद के रूप में प्राप्त होता है। पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित ऐसी ही अनेक समस्याओं के बारे में सही और व्यावहारिक उत्तर प्रदान करके समाज शास्त्र पारिवारिक जीवन को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। पारिवारिक

जीवन से सम्बन्धित विभिन्न विषयों नें से जीवन-साथी का चुनाव और उसके गुण, पति पत्नी का पारिवारिक अनुबूलन, परिवार नियोजन का महत्व, सन्तान वा समुचित लालन-पलन, पारिवारिक बजट-नियमिति का ढग आदि के बारे में समाजशास्त्र हमें वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि पारिवारिक आदतों में किस प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न हैं, ये परिवर्तन व्यक्ति के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं आदि। संक्षेप में, समाजशास्त्र से हमें उन विषयों का ज्ञान होता है जिनसे पारिवारिक सम्बन्धों की स्थायित्व मिल सकता है और परिवार के विभिन्न सदस्यों की प्रस्तिति और कार्य (Status and Role) में सुलूल बनाए रखा जा सकता है।

(7) सामाजिक कल्याण की दृढ़ि में सहायक—आधुनिक लोकवित्याणकारी राज्यों में समाजशास्त्र का इस दृष्टि से विशेष महत्व है कि वह इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है कि सामाजिक व्यवस्था को इस प्रवार स्थापित किया जाए, जिससे पिछड़े और साधनहीन वर्गों को न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने की सुविधाएं मिल सकें तथा उन्हें विकास के अवसर प्राप्त हो सकें। सामाजिक ज्ञान की व्यावहारिक उपायेना इसी बात से स्पष्ट है कि विभिन्न केन्द्रीय समाज कल्याण संस्थाओं, श्रम-कल्याण क्षेत्रों, परिवार नियोजन, शामीली विकास समाज-सुधार, दण्ड-मुधार, जन-जातीय कल्याण, प्रोवेशन तथा पैरोल आदि क्षेत्रों में समाजशास्त्रियों को प्राप्तिरूप दी जाती है। बीरस्टीड के अनुसार, समाजशास्त्र इतना व्यावहारिक हो चुका है कि उसे शिक्षा संस्थान के बाहर प्रयोग किया जा सकता है। आधुनिक युग सामाजिक नियोजन का युग है जिसकी सफलता बहुत कृद्ध इस बात पर निर्भर है कि समाज शास्त्रीय ज्ञान में अधिकाधिक वृद्धि हो।

(8) समाजशास्त्र धार्मिक भगडों को दूर कर मानवीय एकता स्थापित करने में सहायक—समाजशास्त्र का मानवीय एकता के आधार के रूप में विशेष महत्व है। इतिहास बताता है कि धर्म, जाति-भेद आदि के नाम पर अनाचार होते रहे हैं, धर्म के नाम पर इसी ने तलबार उठाई, तो इसी ने कुलेष किया। इन परिस्थितियों को मुद्धारने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह विभिन्न धर्मों की वास्तविकताओं के सम्बन्ध में हमें यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है और सामाजिक जीवन वाला धर्म के पारहृष्टिक सम्बन्ध, एवं महत्व को बतलाता है। इसी दृष्टि में, व्याप्ति, एक विशेष शब्द 'धर्म का समाजशास्त्र' (Sociology of religion) विकसित हो गई है जिसका प्रमुख कार्य धर्म के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान की अग्रियृद्धि है ताकि धार्मिक भगडों को भूलाकर धार्मिक एकता का मार्ग प्रशस्त हो सके। समाजशास्त्र की वस्तुत यह तब्दी उपयोगिता है कि इसके हारा सधौंपूर्ण मानव समूहों को दूसरे के निकट लाया जा सकता है। यह हमें सक्तीएंद्रा के ऐरे से निकाल कर ददार जरिय प्रदान करता है।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र के ग्रन्थयन से व्यक्ति और समाज को भारी लाभ है। हमारी नियन्त्र बढ़ती जा रही जटिल सामाजिक गमरथाओं का

सुलभाने में अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र धर्मिक उपयोगी और महत्वपूर्ण मिहू है, क्योंकि यदि एक मात्र वह सामाजिक विज्ञान है जो किसी सामाजिक घटना या समस्या को सम्पूर्ण समाज की विभिन्न दशाओं की पृष्ठ भूमि में स्पष्ट करता है। पुनर्शब्द, किसके देविम के ये शब्द शारपूर्ण हैं कि "समाजशास्त्र वे मूल्य" के प्रश्न का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है अधिकार नहीं बल्कि प्रश्न तो यह है कि सामाजिक विज्ञान का प्रयोग यथार्थ रूप में कैसे किया जाए? १ स्पष्टत इससे सामाजिक और धर्मित दोनों प्रकार के लाभ हैं और ये लाभ ही, मार्ग में विभिन्न वाधाओं के बाबजूद, समाजशास्त्र की उपयोगिता को, इसके प्रति बढ़ती हुई सहानुभूति को स्पष्ट करते हैं।<sup>2</sup>

आधुनिक जटिल समाज में समाजशास्त्र की उपयोगिता निरन्तर विवासमान है। लेकिन समाजशास्त्र केवल स्वतन्त्रता के बास्तव रूप में ही पनप सकता है (Can thrive only under freedom)। बास्तव में, जिस सीमा तक समाजशास्त्री अपने उद्देश्यों की पूर्ति में, अपने परिणामों को प्रकाशित करने में और अपने निष्कर्षों को उन्मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने में स्वतन्त्र होंगे, समाजशास्त्र का उत्तरा ही धर्मिक विकास सम्भव हो सकेगा। समाजशास्त्र के विकास के लिए यह बात विजेय महत्वपूर्ण है कि एक राष्ट्र कहाँ तक एक उन्मुक्त और स्वतन्त्र समाज के रूप में उपस्थित है।<sup>2</sup>

### समाजशास्त्रीय अन्वेषण के उपागम

#### (Approaches of Sociological Enquiry)

जैक्सनिंग हॉटिं से प्रत्येक विषय का अपना एक विशिष्ट सैद्धान्तिक एवं पढ़तिशास्त्रीय हॉटिंकोरण या उपागम होता है। समाजशास्त्र को नें तो यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने समाज के बारे में अपने विचार भग्य-भग्य पर रखे हैं, और सामाजिक जीवन, सामाजिक स्थानों तथा सामाजिक प्रतिमानों की व्याख्या की है, तथापि एक विशिष्ट परिप्रेक्ष में सामाजिक प्रघटनाओं को समझाने का वैज्ञानिक प्रयास आगम्य काम्टे के समय से माना जाएगा। पिछले पृष्ठों में हम समाजशास्त्रीय अन्वेषण की वैज्ञानिक और मानवतावादी दोनों प्रहृतियों पर प्रकाश ढाल चुके हैं, जिन्हे हम समाजशास्त्रीय अन्वेषण के (1) विज्ञानवादी, और (2) मानवतावादी उपागम या हॉटिंकोरण वी सज्जा देते हैं। इन दो उपागमों के अतिरिक्त समाजशास्त्र में अन्य और भी कई उप अभिमुखन हैं और प्रत्येक उप अभिमुखन के अन्तर्गत सामाजिक प्रघटना को एक विशिष्ट परिप्रेक्ष में समझाने का प्रयास हुआ है। हेगडोन और उनके सहयोगी ने समाजशास्त्र में तीन मुख्य अभिमुखन माने हैं—

1. मरचनात्मक अभिमुखन (Structural Orientation) .

2. सामाजिक क्रिया का अभिमुखन (Social Action Orientation)

3. व्यावहारात्मक अन्तःक्रिया का अभिमुखन (Behavioural Orientation)

1. किसके देविम वही, पृष्ठ 14.

2. Alex Inkeles What is Sociology ?, P. 117.

**सरचनात्मक अभियुक्तग—**इसके अन्तर्गत हम उन तत्त्वों की चर्चा करते हैं जो व्यक्ति से स्वतन्त्र हैं और उन व्यक्तियों पर एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने का दबाव ढालते हैं। जैसा कि डॉ० सिंधी ने लिखा है कि “ऐसा माना जाता है कि वे व्यक्ति जो कि एक ही सरचनात्मक दबावों की अनुभव करते हैं एक विशेष प्रकार से व्यवहार करते हैं। यह भी माना जाता है कि सरचना का एक भाग दूपरे भाग को प्रभावित करता है और यह सभी भाग परस्पर जुड़े हुए रहत है। इस सरचनात्मक अभियुक्त के चार अन्य सम्बन्धित तत्त्व हैं। पहला तत्त्व इकोनोजिकल तत्त्व कहलाता है जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक साधन जबसख्ता एवं टैक्नोलॉजी के तत्त्वों को सम्बन्धित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर वे लोग जो कि गहन जटस्यात्मक स्थलों में रहते हैं पर्याधिक सामुदायिक सम्पदों के मदस्य होते हैं। अत इकोनोजिकल तत्त्व सामाजिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। दूसरा तत्त्व समाज में परस्पर आश्रित स्थितियों की चर्चा करता है। ये स्थितियाँ व्यक्ति से स्वतन्त्र होनी हैं। हम प्राय देखते हैं कि हालांकि व्यक्ति विशेष किनी भी सामाजिक व्यवस्था से चले जाते हैं किर भी यह व्यवस्था विशेषता रहनी है। इसका स्पष्ट उदाहरण या कारण यह है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। परिनुस्खितियाँ अधिक महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी कक्षा निरन्वर रूप से चलती रहनी है उसका कारण किसी विशेष विद्यार्थी का हीना नहीं है लेकिन विद्यार्थी की स्थिति का हीना बहरी है इस इटिकोण से जब विद्यार्थी, अ, ब, स, चले भी जाते हैं तो भी अन्य विद्यार्थी या जाते हैं और कक्षा की नियन्त्रता बनी रहती है। अत विद्यार्थी की प्रसिद्धि का हीना आवश्यक है न कि किसी एक विशिष्ट विद्यार्थी का हीना। सामाजिक सरचना को समझने के प्रति स्थिति व भूमिका जैसे शब्दों का महत्व स्पष्ट हो जाता है। तीमण तत्त्व समूह सरचना का है। इसके अन्तर्गत सचार व्यवस्था सत्ता अम विभाजन, सत्ता सरचना इत्यादि तत्त्व प्राप्त हैं। जीवे तत्त्व के अन्तर्गत हम प्रतिमानों की सरचना का उल्लेख करते हैं। इस विवारधारा के अन्तर्गत समाज एवं समूह जियमो, प्रतिमानों कानूनों, प्रथाओं इत्यादि से भक्तिपूर्ण होते हैं और अगर समूह व्यवस्था समाज के सदस्यगण इन प्रतिमानों का पालन न करे तो सामाजिक व्यवस्था छिन भिन व्यवस्था विघटित हो जाएगी।”

**सामाजिक क्रिया अभियुक्तन—**इसके अन्तर्गत व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति की विद्यय परक विवारधारा और उसके द्वारा को समाज में अधिक महत्व पूर्ण माना जाता है। व्यक्ति क्या सोचता है, उसकी वया धारणाएँ हैं और आस्थाएँ हैं, उसकी क्या भावनाएँ हैं—इन तत्त्वों पर अधिक बल दिया जाता है। सामाजिक क्रिया अभियुक्तन को प्रारम्भ में विकल्पित करने का ऐसे मैत्रि वेदन को है। सामाजिक जीवन को समझने समझने की दृष्टि से व्यक्ति के विद्यय परक इसादो का बड़ा महत्व है। क्रिया अभियुक्तन के अनुसार समझन क्रियाएँ किनी न जिनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होती हैं। साथ ही ये क्रियाएँ किसी स्थिति में होती हैं। व्यक्ति

की सभी क्रियाएँ मानाजिक प्रतिमानों द्वारा निर्धारित होती हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

ध्यवहारात्मक अन्त किया का अभिमुखन—इस अभिमुखन के अन्तर्गत हम बाह्य व्यवहार के उन प्रतिमानों (जिनको देखा जा सकता है) के माध्यम से सामाजिक जीवन को समझाने का प्रयास करते हैं। इस अभिमुखन में व्यक्ति के इरादे और विषय परक स्थिति को महत्व नहीं दिया जाता। इस अभिमुखन के प्रतिपादकों का कहना है कि व्यक्ति के इरादों को समझन का कोई सही मापदण्ड नहीं होता। होमन्स ने सामाजिक विनियम वे सिद्धान्त द्वारा व्यवहारात्मक अभिमुखन को समझाने का प्रयास किया है जिसके अनुसार व्यक्ति तक परस्पर अन्त किया करते रहते हैं जब तक कि दोनों पक्षों को परस्पर लाभ होता रहता है।

पिछले कुछ वर्षों से एथनोमैथोडोलॉजी अभिमुखन (Ethnomethodology Orientation) ने, जिसके प्रमुख प्रवर्तक गारिफ्कल है, सामाजिक जीवन को समझने में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। इस अभिमुखन के अन्तर्गत मुख्यत तीन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है—(1) दिन प्रतिदिन का जीवन (2) भाषा के सामाजिक पक्ष का विश्लेषण, एवं (3) सामाजिक प्रतिमानों का व्यक्ति वास्तविक जीवन में जिस तरह उपयोग करते हैं उसका विश्लेषण। इस अभिमुखन का आप्रह है कि सामाजिक सम्बन्धों तथा सामाजिक जीवन के आधारभूत आयामों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों को समझें। हम इस बात को महत्व दें कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों का वास्तविक जीवन में जिस तरह उपयोग करता है।

एक अन्य उपागम “रेडीकल सोशियोलॉजी” (Radical Sociology) है जिसका प्रादुर्भाव 1967 के पश्चात् समाजशास्त्र में एक विशिष्ट शाखा के रूप में हुआ है। यह उपागम समाज के उन वर्गों के अध्ययन पर बहु देता है जो अब तक शोषित और उपेक्षित रहे हैं। यह उपागम एक नवीन समाजशास्त्र का निर्माण करना चाहता है जिसके माध्यम से समाजशास्त्रीय ज्ञान का उपयोग समाज के नवनिर्माण में किया जा सके।

इस प्रकार समाजशास्त्रीय ग्रन्थेषण के विभिन्न उपागम हैं और प्रत्येक उपागम एक विशिष्ट संदर्भान्तक एवं पढ़तिशास्त्रीय आधार को लेकर सामाजिक धरार्थ को समझाने का प्रयास करता है।

समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित प्रस्थिति और भूमिका होती है। विषय के गम्भीर प्रतिपादन से पूर्व, सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रस्थिति सामाजिक पद है जिसे धारण करने वाले को शक्ति और सम्मान की एक निश्चित मात्रा प्राप्त रहती है। सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी समय-विशेष पर व्यक्ति का जो दर्जा होता है, उसके अनुसार हम उसकी प्रस्थिति को घोकते हैं। कुछ व्यक्ति समाज में उच्च पदों पर आसीन होते हैं जो कुछ व्यक्तियों को अपेक्षाकृत निम्न स्थिति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, एक ही व्यक्ति भिन्न-भिन्न स्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार की सामाजिक स्थिति धारण करता है। उदाहरणार्थ परिवार में किसी व्यक्ति को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हो सकते हैं तो किसी राजनीतिक दल या कार्यालय में उसकी स्थिति दूसरों के अधीन हो सकती है। सामाजिक प्रस्थिति के साथ कोई न कोई भूमिका (अर्थात् कार्य) जुड़ी रहती है। भूमिका के महत्व के अनुपात में ही व्यक्ति की प्रस्थिति कम या अधिक भहत्वपूर्ण समझी जाती है। इस प्रकार समाज में प्रस्थिति और भूमिका का चोली-दाढ़न का साथ है। भूमिका अथवा कार्य को लिटन ने "सामाजिक प्रस्थिति के संक्षिप्त भाग" को सज्जा दी है। प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह हर परिस्थिति में अपनी सामाजिक प्रस्थिति के अनुरूप एक विशेष भूमिका का निवाह करेगा। इस स्थिति अथवा दशा को हम "प्रस्थिति और भूमिका का सन्तुलन" कहते हैं, और यह सन्तुलन ही गणाजिक सुगठन का कानूनिक आधार है।

प्रस्थिति और भूमिका के सम्बन्ध में प्रस्तुत अध्याय में हमारे अध्ययन की रूपरेखा को हम निम्नांकित शीर्षकों में विभाजित करना उपयुक्त समझें—

(1) प्रस्थिति एवं भूमिका का अर्थ और परिभाषा

(2) प्रस्थिति और भूमिका के आवश्यक तत्व

- (3) सामाजिक प्रस्थितियों का वर्गीकरण
  - (क) प्रदत्त प्रस्थिति
  - (ख) अंजित प्रस्थिति
- (4) प्रदत्त तथा अंजित प्रस्थिति में अन्तर एवं सम्बन्ध
- (5) व्यक्ति और उसकी प्रस्थितियाँ
- (6) कुछ प्रस्थिति-सम्बन्ध
- (7) प्रस्थिति संघर्ष और विपर्यय
- (8) प्रस्थिति के प्रतीक
- (9) भूमिका की धारणा
- (10) भूमिका की विशेषताएँ
- (11) प्रस्थिति और भूमिका का महत्व।

### प्रस्थिति और भूमिका का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Status & Role)

किसी व्यक्ति की प्रस्थिति का अभिप्राय उस पद या स्थिति (Position) से है जो वह अपने किसी प्राणिशास्त्रीय व्यक्तिगत गुण अथवा सामाजिक-सास्कृतिक नियम के प्राधार पर प्राप्त करता है, जबकि भूमिका से अभिप्राय वह कार्य है जिसे उस व्यक्ति को उस पद पर होने के कारण निभाना पड़ता है। इस प्रकार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई प्रस्थिति अवश्य प्राप्त होती है और तदनुसार उसे अपनी भूमिका निभानी पड़ती है।

समाजशास्त्रीयों ने प्रस्थिति और भूमिका को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है—

लिन्टन के अनुसार, “किसी व्यवस्था-विशेष में एवं किसी-समय-विशेष में एक व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है, वही उस व्यवस्था के सन्दर्भ में उस व्यक्ति की प्रस्थिति होती है।”<sup>1</sup> अपनी प्रस्थिति का औचित्य सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को जो कुछ करना पड़ता है, उसी को भूमिका (अथवा कार्य) कहते हैं।<sup>2</sup>

इतिहास एवं मेरिल ने लिखा है कि “प्रस्थिति व्यक्ति की वह स्थिति (Position) है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग-व्यवसाय, विवाह अथवा प्रपलो आदि के कारण प्राप्त करता है। भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक प्रस्थिति के फलस्वरूप निभाता है।”<sup>3</sup>

बीरस्टीड के अनुसार, “प्रस्थिति समाज या किसी समूह में एक स्थिति भाग है। हर समाज और हर समूह में ऐसी बहुत-सी स्थितियाँ होती हैं और हर व्यक्ति ऐसी बहुत-सी स्थितियों में रहता है—वास्तव में जितने समूहों से उनका सम्बन्ध है

उसनी स्थितियों उसके साथ हैं। समूह की किस्म के साथ उसकी प्रस्तुति बदल जाएगी, उदाहरण के लिए—एक सागठित समूह में उसकी प्रस्तुति एक तरह की होती और दूसरे में दूसरी तरह की।”<sup>1</sup>

### स्थिति-संकुल तथा स्थिति-समूह (Station and Stratum)

प्रस्तुति के सन्दर्भ में “स्थिति-संकुल” और “स्थिति-समूह” शब्दावली को समझ लेना आवश्यक है। किससे डेविस ने इन शब्दों का अच्छा स्पष्टीकरण दिया है।<sup>2</sup> हम कह चुके हैं कि समाज में व्यक्ति के बीच एक प्रस्तुति प्राप्त नहीं करता बरन् एक ही समय में अधिक अवसरों पर अनेक स्थितियों प्राप्त करता है और उससे यह ध्यान की जाती है कि वह अपनी योग्यता तथा कुशलता के अनुसार विभिन्न स्थितियों में संगत बनाए रखेगा। डेविस ने इन विभिन्न स्थितियों की समवता को “स्थिति-संकुल” (Station) नाम से सम्बोधित किया है। डेविस ही के अनुसार ‘स्थिति-संकुल का सात्पर्य अनेक स्थितियों तथा आफिसों के गुच्छे (Cluster) से है जो किसी व्यक्ति के अधिकार में होते हैं तथा जिनको सार्वजनिक मान्यता प्राप्त होती है।’

किसी समाज में बहुत से व्यक्ति, जो लगभग एक ही प्रकार के स्थिति-संकुल से सम्बन्धित होते हैं, उनके लिए डेविस ने “स्थिति-समूह” (Stratum) शब्द का प्रयोग किया है। दूसरे शब्दों में, स्थिति-समूह का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो समाज में लगभग समान पदों को प्राप्त किए होते हैं। स्थिति-समूह किसी भी समाज के ढाँचे का एक प्रमुख अंग होता है। एक ही स्थिति-संकुल के व्यक्ति एक स्थिति-समूह का निर्धारण करते हैं, भत उनके दृष्टिकोणों, स्वाधीनों और उनकी समस्याओं में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। कभी-कभी इसी आधार पर वे दूसरे स्थिति-समूहों से अपनी रक्षा के लिए नियम भी बनाते हैं। इस सामूहिक रक्षा की मानवाने के कारण ही स्थिति-समूह में संगठन की आरणा पाई जाती है जिसे, किससे डेविस के शब्दों में “हम स्थिति-समूह का संगठन” (Stratum solidarity) कह सकते हैं। प्रस्तुति का प्रतिष्ठा, सम्मान और अंगों से अन्तर

कभी-कभी प्रस्तुति को प्रतिष्ठा (Prestige), सम्मान (Esteem) तथा श्रेणी (Rank) का पर्यावर मान लिया जाता है। लेकिन इस प्रकार का कोई भी विचार भावक है।

प्रत्येक व्यक्ति की प्रस्तुति का एक विशेष मूल्य (Value) होता है जिसे हम प्रस्तुति की प्रतिष्ठा (Prestige of the Status) कहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुति और प्रतिष्ठा समानार्थी नहीं होते। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का निर्धारण उसकी उच्च

1. शीर्षीड़ : सामाजिक व्यवस्था, चौथी, देव 278.

2. किससे डेविस, चौथी, देव 76-77

अथवा निम्न प्रस्थिति के अनुसार ही होता है। कोई भी व्यक्ति जो समाज में एक स्थिति को प्राप्त किए हुए है वह उससे सम्बन्धित प्रतिष्ठा भी गहण करता है।

उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति एक उच्च प्रशासनिक भविकारी हो और अनजान व्यक्ति उसे सामान्य कलंक समझ ले तो प्रस्थिति की भारणा के अनुसार ही उसकी प्रतिष्ठा का मूल्यांकन होगा। यद्योही अनजान व्यक्ति को पता चलेगा कि उसके सामने कोई सामान्य कलंक नहीं बरन् उच्च पदाधिकारी है, तो उसकी निगाह में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पहले से अधिक बढ़ जाएगी।

प्रस्थिति और सम्मान (Esteem) में भी अन्तर है। हम देखते हैं कि एक ही पद पर आसीन अनेक व्यक्ति अपने पद का दायित्व समान रूप से नहीं समाल पाते, अत उनका समाज में एक सा स्थान नहीं होता। समान स्थिति के कारण उनकी प्रतिष्ठा जाहे समान हो, लेकिन उनके कार्य के मूल्यांकन को हमें दूसरे नाम से जानना होगा और इस मूल्यांकन को समाजशास्त्रीय भाषा में हम "सम्मान" कहते हैं। एक व्यक्ति की स्थिति उच्च प्रतिष्ठापूर्ण हो सकती है, लेकिन यदि उसका कार्य असन्तोषजनक है, बेढ़गा है तो उसका सम्मान कम हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति जो समाज के विभिन्न पदों पर आसीन है, प्रत्येक पद के दायित्व को नहीं निभा पाता तो सोग उसे मूर्ख, गधा, भक्ती, पागल या कपाक-कपा नहीं कह डालते।<sup>1</sup> इस प्रकार सम्मान का सम्बन्ध सदैव किसी दिव्यांत-सम्बन्धी प्रस्तावा से होता है।

प्रस्थिति और श्रेणी में भी स्पष्ट अन्तर है। कुछ व्यक्तियों को उच्च पद प्राप्त होते हैं तो कुछ को निम्न। विभिन्न उच्च और निम्न स्थितियों की सम्पूर्णता को ही समाजशास्त्रीय शर्त में हम "श्रेणी" (Rank) कहते हैं। इन श्रेणियों द्वारा ही सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति का निश्चय होता है।

### प्रस्थिति और भूमिका सम्बन्ध

हमें बता चुके हैं कि समाज में हर व्यक्ति की जगती प्रस्थिति होती है जिसके साथ कोई-न-कोई भूमिका भर्ता (कार्य) जुड़े रहते हैं। कार्य अथवा भूमिका के महत्व के अनुपात में ही उस व्यक्ति की स्थिति को कम या अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। अभिप्राय यह हुआ कि समाज में प्रस्थिति और कार्य का चोली-दामन का साथ है। प्रत्येक दशा में दोनों एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं, हम एक को दूसरे की अनुपस्थिति में स्पष्ट नहीं कर सकते। प्रस्थिति व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक पद अथवा स्थिति प्रदान करती है जबकि भूमिका वह ढग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति से सम्बन्धित दायित्वों का निवेदन करता है।

### प्रस्थिति और भूमिका के आवश्यक तत्व

(Essential Elements of Status and Role)

प्रस्थिति और भूमिका का जो विवेचन हमने दिया है, उसके भावार पर इनके कुछ आवश्यक तत्वों का सकेन हम अप्रानुसार कर सकते हैं—

(1) प्रथम भावशक तत्त्व यह है कि इनका निर्धारण सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत सांस्कृतिक कारकों द्वारा होता है। किसको कौनसी प्रस्तुति प्राप्त होगी तथा उस प्रस्तुति से सम्बन्धित कौनसे कार्य उसे करने होंगे, इसका निर्धारण सकृत ही करती है।

(2) हम किसी भी व्यक्ति की प्रस्तुति और भूमिका या कार्य को दूसरे व्यक्तियों की प्रतिस्थितियों और भूमिका के सन्दर्भ में भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की प्रस्तुति और भूमिका दूसरे व्यक्तियों की प्रस्तुति और भूमिका से कुछन-कुछ सम्बन्धित होती है तथा उनके द्वारा प्रभावित भी होती है। उदाहरणार्थ पिता की प्रस्तुति के सन्दर्भ में ही हम माता की प्रस्तुति और भूमिका को समझ सकते हैं। यदि पति और सन्तान नहीं हैं तो माता की प्रस्तुति और भूमिका का कोई पर्याप्त नहीं होगा।

(3) प्रस्तुति और भूमिका की अधिव्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपने डग से करता है। हो सकता है कि एक पिता जो बड़ा कठोर और कट्टर है, पिता की भूमिका जो बड़ी कठोरतापूर्वक निभाये जबकि एक सहनशील पिता, प्रपनी भूमिका को माफुरता और इया के साथ निभाए।

(4) व्यक्ति की प्रस्तुति और भूमिका सामाजिक स्थिति का केवल एक प्राण या घण होती है। इसीलिए समाज में व्यक्ति केवल एक ही प्रस्तुति और भूमिका प्राप्त नहीं करता बल्कि एक ही समय में घरवाल विभिन्न घरसरों पर प्रत्येक प्रस्तुतियों और भूमिकाओं को प्राप्त करता है। उदाहरणार्थ, एक ही व्यक्ति पिता, प्रिशिपन, विश्विद्यालय का परीक्षक और किसी बच्चे का प्रेसिडेंट ही सकता है और इनमें से प्रत्येक स्थिति से सम्बन्धित घरग-घरवाल भूमिकाएँ भी निभा सकता है।

(5) प्रत्येक प्रस्तुति के साथ कुछन-कुछ प्रतिष्ठा का तत्त्व जुड़ा रहता है। उदाहरणार्थ शिक्षक की प्रतिष्ठा हम शास्त्राता के रूप में और माता की प्रतिष्ठा हम जननी के रूप में करते हैं।

(6) समाज के सभी व्यक्ति प्रपनी प्रत्येक प्रस्तुति से सम्बन्धी सभी भूमिकाओं को उचित प्रकार से निभा नहीं पाते। एक व्यक्ति शिक्षक के रूप में कठीनपरायण ही सकता है लेकिन पति के रूप में एक लापरवाह पति भी बना रह सकता है। जिस रूप में घोर जिस दृष्टि से वह अपनी भूमिका निभाता है, आय उड़ी घनपूर्ण में वह सम्मान का पात्र होता है।

(7) उच्च से निम्न प्रस्तुति के आधार पर समाज के सदस्य विभिन्न शेषियों में बैट जाते हैं। ये शेषियों सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति का निश्चय करती हैं। ये समाज में उद्यग (Vertical) रूप में अपवा क्षीतिज (Horizontal) रूप में स्तरीकरण (Stratification) तथा विभेदीकरण (Differentiation) की प्रतिस्थितियों उत्पन्न करती हैं।

(8) व्यक्ति कुछ प्रस्तुतियों को परम्परागत रूप में स्वत ही प्राप्त करता है जबकि कुछ प्रस्तुतियों को वह प्राप्त जलकर अनित करता जाता है।

## सामाजिक प्रस्थितियों का वर्गीकरण (Classification of Social Statuses)

लिन्टन ने लिखा है कि किसी समाज व्यवस्था में किसी व्यक्ति विशेष को एक समय विशेष में जो पद या स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यवस्था के सन्दर्भ में उस व्यक्ति की प्रस्थिति होती है तथा अपनी इस प्रस्थिति का ग्रौचित्य सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को जो कुछ करना पड़ता है, वह उसकी भूमिका होती है। समाज-व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई प्रस्थिति प्रबन्ध होती है। यह सामाजिक व्यवस्था कूँकि अशत प्राकृतिक और अशत भानव निर्मित होती है, अतः स्वामानिक है कि व्यक्ति की सभी प्रस्थितियाँ भी समान प्रकृति की नहीं हो सकतीं। व्यक्ति कुछ प्रस्थितियों को सामाजिक विरासत के रूप में स्वत प्राप्त करता है तो कुछ प्रस्थितियों को निजी प्रयत्नों से प्राप्त करता है। दूसरे शब्दो में विभिन्न प्रस्थितियों के निर्धारण में व्यक्ति के प्राकृतिक और सामाजिक दोनो युगों का महत्व होता है। इस प्रकार सभी प्रस्थितियों को हम मोटे रूप में दो प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं।

(क) प्रदत्त प्रस्थिति (Ascribed Status), तथा

(ख) अर्जित प्रस्थिति (Achieved Status)

अधिम पक्तियों में सर्वप्रथम हम दोनों प्रस्थितियों के अभिप्राय और कठिपय प्रत्य पहलुओं का विस्तार से वर्णन करेंगे और तत्पश्चात इन दोनों के अन्तरों और सम्बन्धों पर प्रकाश ढालेंगे।

(क) प्रदत्त प्रस्थिति

(Ascribed Status)

### प्रदत्त प्रस्थिति का अर्थ

जो प्रस्थिति व्यक्ति को अपने समाज से प्राप्ता, परम्परा आदि के अनुसार विना किन्ही प्रयासों के अपने आप प्राप्त हो जाती है, उसे हम प्रदत्त प्रस्थिति कहते हैं। पिता, माता, भाई, बहन आदि प्रदत्त प्रस्थितियों के उदाहरण हैं। इन प्रस्थितियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की किसी योग्यता का प्रश्न नहीं उठता और न ही उसके निए किसी विशेष शिक्षा, कार्यकुशलता या प्रयत्न की आवश्यकता होती है। किसी डेविस के शब्दो में, “आरम्भ के ये पद क्योंकि जन्म से ही आरोपित या प्रदत्त (Ascribed) होते हैं, उस समय ही देख लिए जाते हैं जबकि उस बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ भी नहीं जानता।” वास्तव में, यह आवश्यक भी है कि समाज स्वत ही व्यक्ति को कुछ ऐसी प्रस्थितियों प्रदान करें जो न केवल उसके व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए आवश्यक हो बल्कि समाज से अधिकाधिक अनुकूलन कर माने की दृष्टि से भी अपरिहार्य हों।

### प्रदत्त प्रस्थितियों के ग्राहार

प्रस्थितियों का आरोपण बच्चे की आन्तरिक क्षमता के हिटकोण से नितना

ही विचारपूर्ति या मनमाना कर्यों न हो ऐसा भविकारात् एक शब्देतन नियम-व्यवहार्या द्वारा किया जाता है।<sup>1</sup> समाज द्वारा प्रदान की जाने वाली विवाह आदेषित प्रतिविधि परम्परागत नियमों के अनुसार स्वतः निर्भारित होती हैं और व्यक्तित्व का समुचित विकास होने से इन्हे स्पायित्व प्राप्त हो जाता है। यद्यपि इस व्यवस्था का रूप प्रत्येक समाज में विभिन्न होता है, लेकिन प्रत्येक समाज में इसके आधारों में एकहृषकता पाई जाती है। किसले डेविस ने प्रदत्त प्रतिविधि के चार प्रमुख आधारों का उल्लेख किया है—लिंग (Sex), आयु (Age), नातेदारी (Kinship), उथा अन्य आधार (Other bases)।

(1) लिंग भववा यौन-भेद (Sex dichotomy)—यौनिक भिन्नता प्रस्तिविधि प्रदान करने का एक अत्यधिक सरल आधार है। प्रत्येक समाज में इस आधार का उपयोग केवल प्रतिविधि प्रदान करने के लिए ही नहीं अल्लि भविता पदों (Ascribed statuses) को विशेषाधिकार देने के लिए भी किया जाता है, जिसका भविष्यात् यह है कि बहुत से अन्य वद भी एक विशेष योनि के कारण ही प्राप्त होते हैं।

लिंग-प्रतिविधि प्राणिशास्त्रीय परिविधियों पर निर्भर करती हैं और उनके बारे में हृष कुछ नहीं कर सकते। लिंग भववा यौन-भेद के आधार पर ही समाज में स्त्री तथा पुरुष की प्रस्तिविधि और भूमिका में महत्वपूर्ण अन्तर पाया जाता है। प्राप्ति विधियों को पुरुषों से निम्न समक्ष जाता है और उन्हें ऐसे कार्य नहीं सौंपे जाते जो उनके गुम्भकाल को विपरीत रूप से भ्रमाविन करें, भववा जिन कार्यों से के एकदम थक जाएं, भववा जिनकी बजह से उन्हें घपने बच्चों के पालन-पोषण का भवसर न मिले। किसले डेविस के शब्दों में, “स्त्रियों के व्यक्तित्व सम्बन्धी लक्षणों की प्रयोक्ता उनकी प्रजनन-क्रिया समाज में उनकी प्रतिविधि-निर्धारण का प्रमुख कारण है। नारी को ऐसा काम सौंपा गया है जो उसकी प्रजनन-क्रिया के अनुकूल है। नारीत्व की परिवर्त्त प्रदत्त प्रस्तिविधि द्वारा की जाती है, किसी अन्य प्रकार से नहीं।”

यद्यपि, लिंग भववा यौन-भेद के आधार पर स्त्रियों और पुरुषों में अम-विभाजन याता जाता है, लेकिन यह अम-विभाजन किन्हीं भी दो सम्भृतियों में समान नहीं होता। छदाहरणार्थ, कुछ सम्भृतियों में यह बनाने का कार्य पुरुषों को सौंपा गया है तो कुछ दूसरी सम्भृतियों में यह कार्य नारियों करती हैं। कुछ जातियों में पुरुष जागूर्णी का कार्य करते हैं, कहीं स्त्रियों यह कार्य करती हैं। एकमात्र सर्वव्यापी सत्य यह है कि प्रत्येक स्पान पर योनि के आधार पर विशेषीकरण पाया जाता है और प्रत्येक स्पान में स्त्रियों का विशेषीकरण सन्तान के पालन-पोषण तथा प्रजनन के क्षेत्र से सम्बन्धित है।

वर्तमान समय में, अन्य समाजों में यद्यपि यौन-भेद को ग्राहिक भवत्वपूर्ण न मान कर स्त्री-पुरुषों को सभी दोनों में कार्य करने के भवसर दिए जाते हैं, लेकिन

योनि के आधार पर अम विभाजन समाप्त नहीं हुआ है, और न हो सकता है। यह अत्यधिक सदेहृणुएँ हैं कि योनि के आधार पर प्रदत्त प्रस्थिति का भेद समाज से कभी पूर्णत हो सकेगा।

(2) आयु-भेद (Age Differences) — प्रदत्त प्रस्थिति का दूसरा महत्वपूर्ण आधार आयु (Age) का है। योनि को तरह यह भी एक निश्चित और पूर्णतः स्पष्ट शारीरिक तथ्य है जो जन्म से ही स्पष्ट होता है। आयु-प्रस्थितियाँ भी प्रारिष्ठात्त्वीय परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं और उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ, ऊपरी बनावट और टीप-टाप से अपनी उम्र को छिपा जल्हर सकते हैं।<sup>1</sup> आयु के आधार पर ही बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि की प्रस्थितियाँ प्रत्येक समाज में अलग-अलग होती हैं।

योनि के विपरीत, आयु सदैव बदलती रहती है अत इसके आधार पर आजीवन बोई स्थायी प्रस्थिति किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति आयु के आधार पर निश्चित विभिन्न श्रेणियों को प्राप्त करता है। यदि आयु के आधार पर किसी को स्थायी पद मिलता है तो वह कुछ व्यक्तियों के आयु-सम्बन्धों के हृष्टिकोण से ही है, जैसे—पिता-पुत्र का सम्बन्ध, बड़े-छोटे भाई-बहनों का सम्बन्ध, नए-नुराने सदस्यों का सम्बन्ध। इन सभी दशाओं में समय की अवधि ही स्थायी रहती है, स्वयं आयु नहीं।

आयु के आधार पर प्रस्थितियाँ थोड़ी सी होती हैं। ये प्रस्थितियाँ प्रत्येक स्तरकृति में तो स्थायी होती हैं लेकिन किसी व्यक्ति के लिए स्थायी नहीं होती, और यदि व्यक्ति जीवित रहता है तो उसे इन प्रस्थितियों से होकर ही आगे बढ़ना चाहता है। आयु के यद्यपि बोई निश्चित स्तर नहीं बनाए जाते, तो भी साधारण रूप से, डेविल के अनुसार, इनको पांच भागों में विभाजित किया जा सकता है—गिर्जुअल (Infancy) बाल्यकाल (Childhood), युवावस्था (Puberty), प्रौढ़ावस्था (Maturity) तथा बृद्धावस्था (Old age)। इन सभी आयु-समूहों में व्यक्ति को विभिन्न प्रस्थितियाँ और अवसर प्राप्त होते हैं, साधारणत आयु बढ़ने के साथ-साथ प्रस्थिति का महत्व भी बढ़ता जाता है, लेकिन आयु-समूह का महत्व ग्रामीण-समाजों में जितना अधिक है, उतना नगरीय समाजों में नहीं। यह सर्वेक्षित है कि चीन और जापान की प्राचीन सस्कृति में व्यक्ति की आयु का बहुत अधिक महत्व था, जबकि पारस्यात्य सस्कृति में आयु का अपेक्षाकृत बहुत कम महत्व है।

वर्तमान समाज के अनेक व्यावसायिक समाजों में उच्च वेतन तथा उत्तरदायित्व बहुत कुछ मुच्छ आयु पर आधारित होता है। पर साथ ही, पदों का निर्वाचित सामान्य आयु में सम्बन्धित पदों की तरह पूर्णतया आयु पर ही निर्भर नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक थोणी के लिए व्यक्ति के प्रयत्न महत्वपूर्ण होते हैं। एक स्वेच्छावाची

1. बीरस्टीड सामाजिक व्यवस्था (The Social Order), p. 281.

व्यापारिक सम्पद में व्यक्ति की पदोन्नति उसकी वरिष्ठता (Seniority) के आधार पर होती है, लेकिन श्रीसत बुद्धि से बहुत नीचे के व्यक्ति की कोई पदोन्नति नहीं हो सकती। पुनरावृत्ति, प्रीढ़ व्यक्ति को दिए गए पदों में आवश्यक रूप से अनुभव का तत्त्व सम्मिलित हो जाता है जो जन्म के समय प्रदत्त प्रस्तियति में नहीं हो सकता।

आयु-प्रस्तियति पर योन-प्रस्तियति का प्रभाव भवरण पड़ता है क्योंकि सभी सम्बूद्धियों में एक ही आयु के पुरुषों और स्त्रियों के साथ प्रायः भिन्न प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं। आयु-प्रस्तियति नातेदारी से सम्बन्धित प्रस्तियतियों द्वारा भी प्रभावित होती है। विभिन्न आयु-प्रस्तियतियों का सम्बन्ध विभिन्न रीतियों से होता है। जिन व्यक्तियों का प्राप्ति में कोई सम्बन्ध नहीं होता, वे आयु-प्रस्तियति द्वारा ही आय एक दूसरे को सम्बोधित करते हैं।

(3) नातेदारी (Kinship)—नातेदारी व्यवस्था के आधार पर भी व्यक्ति की प्रस्तियति और मूलिका का निर्धारण होता है। उदाहरणार्थ, वचन से ही माता-पिता की सामाजिक प्रस्तियति के अनुरूप प्रस्तियति बच्चे को प्राप्त हो जाती है। राजा का बेटा राजकुमार कहनाता है जबकि रक का बेटा फौजी। इसी प्रकार जाति व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति का जन्म जिस प्रकार होता है, उसी के प्रानुरूप जाति व्यवस्था में उसकी प्रस्तियति का निर्धारण होता है। दूसरी ओर वांग-व्यवस्था द्वारा संगठित समाज में जहाँ नातेदारी का महत्व कम होता है व्यक्ति अपने वैयक्तिक गुणों, अपनी शिक्षा और सफलताओं के प्रभाव पर अपने माता-पिता से भी उच्च प्रस्तियति को प्राप्त कर सकता है। किसीसे डेविल ने लिखा है कि "माता-पिता की योग्यताओं और शिशु की योग्यताओं में कोई सम्बन्ध होता आवश्यक नहीं है। प्रतिभाशाली माता-पिता की सताने मूले भी हो सकती हैं तथा इसका उलटा भी हो सकता है। अत प्राणिशास्त्रीय आधार पर नातेदारी के अनुसार व्यक्ति की प्रदत्त प्रस्तियतियों को उचित रूप से नहीं समझा जा सकता। इनकी व्याप्ति अवश्य ही समाजशास्त्रीय मिदान्तों के आधार पर होनी चाहिए।"

नातेदारी के कारण व्यक्ति को समाज में ही नहीं बरन् परिवार में भी कुछ विशेष परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे एक पुत्र के रूप में व्यक्ति किसी का भाई या भतीजा या प्रपोत्र, चाचा तथा इसी प्रकार की कोई भी प्रस्तियति अद्भुत न रह सकता है। समाज में इन नातेदारियों के साथ कुछ विशेष प्रकार के भविकार और कर्तव्य जुड़े रहते हैं जिनसे एक ओर तो व्यक्ति की प्रस्तियति का पता चलता है और दूसरी ओर समाज में उसे एक विशेष स्थान मिलता है।

(4) अन्य आधार (Other Bases)—प्रदत्त प्रस्तियति सम्बन्धी आधारों में दोनि, आयु एवं नातेदारी ही व्येष्ट नहीं है, कुछ और भी आधार प्रभावी होते हैं। उदाहरणार्थ, शजारीय लक्षणों के आधार पर शिशु को समाज में एक प्रस्तियति मिल सकती है और इस प्रकार समाज में प्रजाति से सम्बद्ध जातियों की व्यवस्था का

जन्म होता है। एक नीयो प्रभावित की समाज को जन्म में ही निम्न स्थिति प्राप्त हीती है, चाहे उसका शारीरिक रण गोय ही क्यों न हो। दूसरा भाषार 'पर्वेष्टा' है। यदि बच्चे का जन्म अवैष्ट है तो उसे दूसरे बच्चों की प्रवेष्टा एक भिन्न प्रस्थिति प्राप्त होती है तथा समाज के लोग उसे प्राय ग्रनेतिक और हीन इष्ट से देखते हैं। कुछ समाजों में जुट्ठां बच्चों को अद्भुत प्रकार की प्रस्थिति मिलती है, जिसका परिणाम कभी-कभी उनकी मृत्यु तक के रूप में सामने आता है। बीरस्टीड ने लिखा है कि अपने जन्म-स्थान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति की कोई रुचि नहीं होती, और फलस्वरूप उसकी धोत्रीय तथा राष्ट्रीय प्रस्थितियाँ अर्जित न होकर प्रदत्त ही होती हैं। यह प्रस्थितियाँ बाद में बदली जा सकती हैं लेकिन उनके लिए कोई बुनियादी पसंद नहीं होती। किसी विशेष धार्मिक समूह जैसे प्रोटेस्टेन्ट, कैथोलिक, या पूर्वी के रूप में किसी की प्रस्थिति भी मूलत प्रदत्त ही होती है।

### (स) अर्जित प्रस्थिति (Achieved Status)

जिन प्रस्थितियों को व्यक्ति अपनी शिक्षा, ज्ञान, विशेष योग्यता, साहस अवधार, राजनीतिक अधिकार, कलात्मक गुण आदि के पाधार पर अपने व्यक्तिगत प्रयासों से प्राप्त करता है, उन्हें अर्जित प्रस्थिति कहते हैं। हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों को समाज में प्रदत्त प्रस्थितियों की तनिक भी सुविधा न होने पर भी वे प्राप्तवर्यजनक रूप से उच्च प्रस्थिति प्राप्त कर सकते हैं जब कि अनेक व्यक्ति समाज-द्वारा प्रदत्त उच्च प्रस्थितियों के सम्मान तक को बनाए रखने में अमरकल रह जाते हैं। हम देखते हैं कि साधारणतया दयालु, योग्य, चतुर और मौलिक विचार वाले व्यक्तियों को समाज में सभी लोग अधिक महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में सदृश होते हैं जो सभी जात वाताओं पर विजय प्राप्त करके समाज के नेता बन जाते हैं। प्रत्येक विशेष और प्रत्येक समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इतिहास का निर्माण करते हैं और सम्मूण सम्मानक अवस्था को इस प्रकार सूक्ष्म रूप से बदल देते हैं कि उन्हें सम्मूण अवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान मिल सके। एक व्यक्ति, जिसे निम्न जाति या प्रजाति का सदस्य होने के कारण समाज द्वारा कोई उच्च प्रस्थिति प्रदत्त नहीं होती, अपने प्रयत्नों और योग्यता के बल पर अपनी अवस्था को उच्च प्रस्थिति अर्जित कर सकता है। यह मरणश्य है कि प्रदत्त प्रस्थिति के अधार में व्यक्ति को उच्च प्रस्थिति अर्जित करने में प्राय उन व्यक्तियों की तुलना में अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिन्हें समाज के यहाँ से ही उच्च प्रस्थिति के रखते हैं।

हमें असामान्य व्यक्तियों को छोड़कर केवल सम्मानक अवस्था पर ही विचार करना चाहिए। हम प्रयत्न कर सकते हैं कि किसी भीमा तक सामाजिक अवस्था व्यक्तिगत सफलताओं की भान्यता को अपनी सम्मानक योग्यादा में स्वीकार करता है? किस सीमा तक समाज व्यक्तिगत प्रतिभा और प्रयत्नों की सफलता के मनुसार प्रस्थितियों के नियन्त्रित और वैधानिक परिवर्तन को स्वीकार करता है? किससे

हेविस ने लिखा है कि यदि सामाजिक व्यवस्था अपने सदस्यों को प्रोत्साहन देती है तो वह न केवल आसाधार्य व्यक्तियों की क्षमताओं का उपयोग सामान्य सामाजिक लक्ष्यों की पुणि के लिए करेगी बल्कि ऐसे व्यक्तियों से भी लाभ उठाएगी जिनमें बाधाओं से लड़ने की प्रतिभा तो नहीं होती पर जिन्हे प्रोत्साहन दिया जाय तो वे अपनी योग्यताओं को समाज के कल्याण में लगा सकते हैं। इसके प्रतिरिक्त, समाज प्रस्थितियों में नियमित परिवर्तन करके उच्च प्रस्थितियों अथवा पदों पर उन प्रयोग्य व्यक्तियों को बैठने से रोक सकता है जो अनुत्तरदायी व्यक्तियों के हाथ का खिलौना भाज बन जाते हैं। यह बताना कठिन है कि कुछ समाज अंजित प्रस्थितियों को संस्थानम् क वयों बनाते हैं और कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाते।

हेविस ने लिखा है कि आधुनिक समाजों में व्यापार की प्रवृत्ति, शम-विभाजन, भागरिक जीवन और तीव्र सामाजिक परिवर्तन अंजित प्रस्थिति या पद के बदले हुए महत्व से सम्बन्धित है। व्यापार में व्यक्ति आधिक श्वेत्र में आत्म-निर्भर बनता है और “आत्म” (Self) की भावना का विकास कर सकता है। विकलित शम-विभाजन उस व्यक्ति को अपनी योग्यता का लाभ उठाने का अवसर देता है जो अपने काव्य में विशेष रूप से दक्ष है। इस प्रकार वह व्यक्ति उच्च प्रस्थिति की आशा कर सकता है। एक नगर (City) विभिन्न प्रकार के साहसियों का सहारा लेकर व्यक्ति को अपने प्रयत्नों के फ़गुनासार प्रस्थिति अंजित करने का अवसर देता है। तीव्र सामाजिक परिवर्तन निरन्तर नवीन प्रस्थिति प्रदान करता है।

आधुनिक घन-प्रधान समाजों में घन या सम्पत्ति वा भी व्यक्ति की प्रस्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योग है। युणों से हीन होने पर भी केवल घन के आधार पर उच्च प्रस्थिति पर विराजमान अनेक व्यक्तियों को समाज में हृष्म देव रखते हैं। कालंशक्ति ने इस दशा की ओर सकेत करते हुए कहा था कि सम्पत्ति ने सम्पूर्ण समाज को दो प्रमुख प्रस्थिति वर्गों में बांट दिया है प्रौढ़ वे हैं—सम्पत्ति के मालिक तथा सम्पत्ति विहीन वर्ग। हम इन्हीं दो बाँड़ों को पूँजोपति और अधिक वर्ग कहते हैं। प्रथम वर्ग की प्रस्थिति निश्चय ही द्वितीय वर्ग की प्रस्थिति से ऊँची होती है। उल्लेखनीय है कि कुछ ऐसे प्रादिम समाज भी हैं जिनमें व्यक्ति समाज में उच्च प्रस्थिति तब प्राप्त करता है जब वह अपनी सम्पत्ति का अधिकाधिक त्याग करता है अथवा अपनी सम्पत्ति दूरारों को दे देता है।

वेदाहूरु और पैतृक प्रस्थितयों अंजित होतो हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी का पति या पत्नी या माता पिता नहीं बन पाता। इसी तरह शैक्षणिक प्रस्थिति भी है। कौलिज स्नातक की प्रस्थिति अंजित की जाती है। अ्यावसायिक प्रस्थिति भी अंजित ही होती है, क्योंकि प्रदल प्रस्थिति ढारा कोई भी व्यक्ति मिस्त्री, टेकेडार, प्रोफेसर या गणक नहीं बनता। राजनीतिक दल प्रस्थिति भी हमारे समाज में अंजित प्रस्थिति का एक अन्य उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति कायेस दल या जनसंघ या ताम्यवादी प्रस्थिति को अंजित करता है। बीरस्टीड ने लिखा है कि “वस्तु-स्थिति

यह है कि ज्यादातर सध (अर्थात् संगठित समूह) ऐच्छिक हैं और फलस्वरूप इन सभों की सदस्यता से उत्पन्न प्रस्थितियाँ अर्जित प्रस्थितियाँ हैं।<sup>1</sup>

उल्लेखनीय है कि कुछ प्रस्थितियों की प्रकृति स्वयं ऐसी होती है कि समाज उन्हे किसी व्यक्ति को स्वयं नहीं दे सकता बरन् उन्हे तो अर्जित ही किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, कोई भी सामाजिक व्यवस्था अपने ग्राप किसी व्यक्ति को महान् समीक्षा या गणित शास्त्री या अभिनेता या लेखक नहीं बना सकती। इन प्रस्थितियों को तो व्यक्ति निरन्धर प्रयत्न और व्यक्तिगत रुचि तथा योग्यता द्वारा ही अर्जित करता है।

यह भी रोचक बात है कि कुछ समाजों की अर्जित प्रस्थितियाँ दूसरे समाजों में प्रदत्त होती हैं। उदाहरण के लिए—मध्यकालीन समाज में धार्मिक प्रस्थिति, वर्ग प्रस्थिति और प्राय व्यावसायिक प्रस्थिति प्रदत्त थी, वे अर्जित नहीं की जा सकती थी और न मौखिक आरोपण को बदला ही जा सकता था। कुछ समाजों में सभी मादस्यों की व्यावसायिक प्रस्थितियाँ आयु, लिंग और वृश्च की भूमिकाएँ अर्थवा कार्य होती हैं, और इन समाजों में पुश्च से आशा की जाती है कि वे अपने पित्रों के पदचिह्नों पर थले। कठोर वर्गात्मक ढंचे वाले और कम सामाजिक गतिशीलता वाले समाजों में वर्ग-प्रस्थिति प्रदत्त होती है और प्राय अर्जित नहीं बन सकती।

अन्त में, अर्जित प्रस्थिति कभी भी पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं होती बरन् इसे विभिन्न सामाजिक भूलयों और व्यवहार-नियमों को ध्यान में रखते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, समाज व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वह अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग उन्हीं कार्यों में करेगा जिनसे सामाज्य कल्याण में वृद्धि होती हो। अर्थवा समाज के हितों को कोई ठेस न पहुँचती हो। सामाजिक व्यवस्था उन व्यक्तियों को भी उच्च प्रस्थिति पर जाने से रोकती है जो प्रतिभागाली या बुद्धिमान होते हुए भी अनुत्तरदायी और धर्मावधान व्यक्तियों के हाथ का लिनीना मात्र बन जाते हैं। पुनर्श, प्रत्येक समाज में अर्जित प्रस्थिति के आधार समान नहीं होते, बरन् इनका निर्धारण एक विशेष सास्कृतिक व्यवस्था के अनुसार होता है। उदाहरणार्थ, कुछ आदिम समाजों में उच्च प्रस्थिति का आधार युद्ध और भयानक पशुओं का शिकार करना, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना आदि है। चेयनी लोग (Cheyenne) शत्रु पर तीन बार आधार करते थे, अर्थात् यदि किसी शत्रु के शरीर को तीन व्यक्तियों ने क्रमशः स्पर्श किया तो उन तीनों को क्रमानुसार सम्मान मिलेगा।<sup>1</sup>

**प्रदत्त तथा अर्जित प्रस्थिति में अन्तर और सम्बन्ध**

(*Distinction Between Ascribed and Achieved Status and Their Relation*)

प्रदत्त और अर्जित प्रस्थिति—दोनों का व्यक्ति के जीवन में समान महत्व है

1. किंश्ले देवित : वही, पेज 95

तथा पि इनकी प्रकृति मे और सामाजिक जीवन मे इनके योगदान मे भल्तर होता है। साथ ही, प्रकृति की भिन्नता के बावजूद, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। हम पहले दोनों मे अन्तरों को लेंगे और तब दोनों मे सम्बन्ध को।

### प्रदत्त व अर्जित प्रस्तिति मे अन्तर

(1) प्रदत्त प्रस्तिति व्यक्ति को समाज से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है जब कि अर्जित प्रस्तिति उसे अपने व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर प्राप्त होती है।

(2) प्रदत्त प्रस्तिति का मुख्य छोत समाज की प्रथा, परम्परा आदि है जब कि अर्जित प्रस्तिति का प्रमुख छोत व्यक्ति स्वयं होता है, जोकि वह स्वयं के प्रयासों के आधार पर ही उसे प्राप्त करता है।

(3) प्रदत्त प्रस्तिति के निर्धारण मे व्यक्ति की आनुवंशिकता, माता-पिता की स्थिति, लिंग, आयु, नातेदारी-सम्बन्धों आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है, जब कि अर्जित प्रस्तिति शिक्षा, सम्पत्ति, योग्यता, विशेष कृपालता, राजनीतिक प्रधिकार, कलात्मक गुण, आविष्कार की योग्यता आदि पर निर्भर करती है। यह माता-पिता और वश-परम्परा से विलकृत भिन्न हो सकती है।

(4) प्रदत्त प्रस्तिति अपेक्षाकृत स्विर होती है जिसे सामान्यतः बदला नहीं जा सकता, पर अर्जित प्रस्तिति को प्रयासों द्वारा बदला जा सकता है और प्राप्त व्यक्ति के जीवनकाल मे ही इसमे अनेक बार परिवर्तन आते हैं।

(5) प्रदत्त प्रस्तिति अनिश्चित होती है जोकि यह प्रथा, परम्परा पर आधारित होती है जो कि स्वयं ही अनिश्चित होते हैं। पिता का प्रधिकार कहाँ पारम्परा और कहाँ समाप्त होता है, इसे कोई भी निश्चिवा रूप से नहीं बता सकता। पर अर्जित प्रस्तिति इस अपेक्षे मे अधिक निश्चित होती है।

(6) प्रदत्त प्रस्तिति मुख्यतः समाज की सौस्थलिक व्यवस्था और सामाजिक पूँजी के अनुसार निर्धारित होने के कारण बहुत कम गतिशील होती है। इसके विपरीत अर्जित प्रस्तिति समाज की आधिक व्यवस्था से अधिक सम्बद्ध होने के कारण अधिक गतिशील होती है। वर्तमान युग मे आधिक अवसरों मे दृढ़ि के साथ-साथ अर्जित प्रस्तिति का महत्व भी बढ़ता जा रहा है।

(7) प्रदत्त और अर्जित प्रस्तिति मे फिल्ड ने एक महत्वपूर्ण भिन्नता का उल्लेख किया है। फिल्ड के अनुसार, प्रदत्त प्रस्तिति और उससे सम्बद्ध भूमिका मे सामन्जस्य होना सदैव आवश्यक नहीं होता जबकि अर्जित प्रस्तिति और इससे सम्बद्ध भूमिका के बीच अधिकांश दशाओं मे सामन्जस्य देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रदत्त प्रस्तिति व्यक्ति को कुछ सौस्थलिक नियमों के अनुसार स्वतः ही प्राप्त हो जाती है जबकि व्यक्ति की स्विर्या, मनोवृत्तिया, योग्यता आदि इसके विपरीत हो सकती है।

## प्रदत्त और अंजित प्रस्थिति में सम्बन्ध

संदान्तिक रूप से एक दूसरे की विरोधी प्रतीत होने पर भी कार्यालयक रूप से प्रदत्त और अंजित प्रस्थिति एक दूसरे की पूरक हैं, अतः समाज के लिए दोनों ही भावशक्ति हैं।<sup>1</sup> प्रदत्त प्रस्थितियों का महत्व स्पष्ट है कि (1) इनका जीवन में पहला स्थान है, योकि एक तो इनकी सहायता से सांस्कृतिक विरासत स्थाई रहती है और दूसरे व्यक्ति को भावी विकास के उचित अवसर मी प्राप्त होते हैं। (2) ये उन उद्दे श्यों को स्पष्ट करती हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को प्रशिक्षण मिलना चाहिए। जब हम बच्चे की योनि, आयु, आयु-सम्बन्ध, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, समुदाय तथा उसके माता-पिता का राष्ट्र आदि जान लेते हैं तो हम भली प्रकार यह समझ जाते हैं कि उसका समाजीकरण और उसका जीवन किस प्रकार का होगा।<sup>2</sup> (3) इनसे व्यक्ति को सुरक्षा की भावना मिलती है, जिसे अंजित प्रस्थिति कभी नहीं दे सकती। जीवन के सभी कार्यों में प्रतिस्पर्द्धा से काम नहीं चल सकता। मजदूर, व्यवसायी, पदाधिकारी सभी व्यक्ति और समूह प्रायः इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उनके वर्ग में कम से कम प्रतियोगिता हो। व्यापारी कीमत को ऊंची रखने का समझौता करते हैं तो उत्पादक विदेशी माल की प्रतिस्पर्द्धा से अपने को बचाने के लिए आयात-करों का पक्ष लेते हैं। यह तत्त्व व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है कि समाज साधारण बात के लिए विवाह-विच्छेद को, धार्मिक विश्वासों में निरन्तर परिवर्तन को, सभी बातों में सदैव अवसरवादिता को अत्यधिक हेय हृषि से देखता है।<sup>3</sup>

दूसरी ओर, समाज में अंजित प्रस्थिति का भी कम महत्व नहीं है। यह भी अनिवार्य है क्योंकि—(1) अंजित प्रस्थितियों से न केवल उचित व्यक्ति उचित प्रस्थिति या पद पर पहुंच जाता है, व्यक्ति को प्रयत्न करने की प्रेरणा भी मिलती है। (2) अंजित प्रस्थितियों में प्रतिस्पर्द्धा की भावना होती है और व्यक्ति कठोर प्रयत्नों तथा कर्तव्यपरायणता से ही सफलता प्राप्त करता है। फलस्वरूप समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है और व्यक्तियों में अपने कार्यों के प्रति दायित्व और जागरूकता की भावना व्याप्त रहती है। बास्तव में अंजित प्रस्थितियों की व्यवस्था सभूएं समाज में जीवन-शक्ति का सचार किए रहती है।

स्पष्ट है कि प्रदत्त और अंजित प्रस्थितियाँ समाज के लिए अनिवार्य हैं। प्रदत्त प्रस्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की रूपरेखा द्वारा निर्मित होनी है और अंजित प्रस्थिति उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। डेविस के ही जन्मद्वारे “समाज की सामान्य स्थिति यह होनी चाहिए कि प्रस्थितियों की स्थूल रूपरेखा प्रदत्त प्रस्थितियों (अथवा आरोपित पदों) द्वारा निर्विचित हो, जबकि कुछ विशेष प्रस्थितियाँ अंजित

1. किम्बले डेविस वही, पृष्ठ 97

2. वही, पृष्ठ 97.

3. वही, पृष्ठ 97.

करने के लिए व्यक्ति को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाना चाहिए।<sup>1</sup> हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रदत्त प्रस्तुति के लिए भी कुछ न कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उदाहरणार्थ—यदि कोई राजा परम्परागत या स्वर्णीय अधिकार में प्रजा पर शासन करता है तो भी उसे राजा के अनुरूप व्यवहार तो जानना ही चाहिए। इसी प्रकार अंजित प्रस्तुति के लिए भी कुछ विशेष योग्यताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति ज़रूरी है। भारत के राष्ट्रपति का पद एक अंजित पद या प्रस्तुति है, लेकिन सविधान ने इस प्रस्तुति या पद के लिए कुछ विशेष योग्यताओं और आवश्यकताओं की सीमाएँ बीच दी है, जैसे व्यक्ति प्रायमिक रूप से भारत का नामिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, किसी साम्राज्य के पद पर कार्य न कर रहा हो, आदि। प्रथागत सीमाएँ भी उतनी ही प्रभावपूर्ण होती हैं जितनी कि सविधान में लिखित सीमाएँ।<sup>2</sup> उदाहरणार्थ, कोई भी स्त्री, नीप्री, या यहूदी अमीर तक अमेरिका का प्रेसीडेन्ट नहीं हुआ है। यह सम्भव है कि इनमें से कोई व्यक्ति किसी दिन अमेरिका का प्रेसीडेन्ट बन बैठे, लेकिन इसके लिए उसे बहुत-सी वाधाओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी।

### व्यक्ति और उसकी प्रस्तुतियाँ (Individual and his Statuses)

रॉबर्ट बीरस्टीड के विस्थात पन्थ “सामाजिक व्यवस्था” (The Social Order) से उद्धृत इस शीर्षक का विवरण हमारे समक्ष प्रस्तुतियों को और भी भली प्रकार स्पष्ट कर सकेंगा। बीरस्टीड ने लिखा है कि हमारे जैसे जटिल समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक ही दिन के अन्दर विभिन्न प्रस्तुतियों को धारणा करता है और अपने जीवनकाल में असल्य प्रस्तुतियों को।<sup>3</sup> इसे उन्होंने एक रोचक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है—

“एक श्रीसत कॉलेज छात्र को ही ले लीजिए। वह अपने अध्यापकों और नगर-निवासियों के लिए एक विद्यार्थी हो सकता है तो रजिस्ट्रार के लिए एक ग्राउंडेज्यूएट, नाई के लिए एक ग्राहक, बैंक-ग्राहक के लिए एक जमा करने वाला, बस-चालक के लिए एक सवारी मोटर वाले के लिए एक पैरल-यात्री, माता-पिता के लिए एक पुत्र, बहन के लिए भाई, शनिवार के दिन काम करने वाले विभागीय गोदाम के प्रबन्धक के लिए एक लिपिक, अपने फुटबाल कोच के लिए एक मैकिड-स्ट्रिंग क्वाटर-चैंप, अपनी किसी समिति के सदस्यों के लिए एक चेपरमैन, बैंड के निर्देशक के लिए एक तुरही बजाने वाला, सभी विदेशियों के लिए एक अमेरिकन, सभी लहकियों के लिए एक पुरुष, अपने डॉक्टर के लिए एक रोगी, मिनिस्टर के लिए उसके क्षेत्र का भवितव्या, इत्यादि हो सकता है।”

1. वही, पृष्ठ 97.

2. वही, पृष्ठ 98.

3. बीरस्टीड : सामाजिक व्यवस्था (The Social Order), वही, पृष्ठ 283.

स्पष्ट है कि एक ही दिन के दौरान विद्यार्थी विभिन्न प्रस्थितियाँ धारण करता है, लेकिन इन से भी उसकी सभी प्रस्थितियों का परिचय नहीं होता। ये तो उसके बर्तमान समय की ही कुछ प्रस्थितियाँ हैं। यदि हम जीवन में उसके द्वारा प्राप्त करली गई तथा प्राप्त की जाने वाली प्रस्थितियों को जोड़ने की कोशिश करें तो हमारा काम कभी समाप्त नहीं होगा। बीरस्टीड के ही शब्दों में, “ऐसी किसी भी गणना में एक विस्तृत सूची नहीं बन सकती, और यह विषमता एक अत्यन्त जटिल समाज के विशेष लक्षणों में से एक है। समाज जितना अधिक छोटा और सादा होगा, उतनों ही कम प्रस्थितियाँ एक व्यक्ति के पास होगी।”<sup>1</sup> बीरस्टीड ने आगे लिखा है कि हम एक ऐसे समाज में जन्मे हैं जिसमें प्राहुक और लिपिक, अध्यापक और विद्यार्थी और न जाने क्या-क्या पहले से ही भौजूद हैं। जिन प्रस्थितियों को हम पहले करेंगे उन्हें हम कानून के रूप में उत्पन्न नहीं करते, बरन् वे तो पहले से ही हमारे समाज के ढाँचे का एक भाग हैं। यदि हम इस बात को देखते और समझते हैं तो हमारे पास एक मौलिक और वास्तविक समाजज्ञास्त्रीय अन्तर्भूति है।

### “आवश्यक प्रस्थिति” (“Key Status”)

समाज में व्यक्ति की स्थिति का निश्चय करने में कुछ प्रस्थितियाँ औरों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और महत्व की कसीटी भिन्न-भिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न होती है। इसी कारण, ईटी हिलर नामक समाजज्ञास्त्री ने “आवश्यक प्रस्थिति” (“Key Status”) की महत्वपूर्ण विचारधारा का प्रतिपादन किया है।<sup>2</sup> बीरस्टीड के अनुसार आमरोकी समाज में व्यवसाय (Occupation) ही आवश्यक प्रस्थिति है। इसका औरों से अधिक महत्व है और यह सब में अग्रणी है। वास्तव में “तुम क्या करते हो?” — यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो व्यक्ति के “सामाजिक घराना” में उसकी स्थिति को बहुत ही मुरक्कापूर्वक स्थिर करता है। हमारे लिए किसी व्यक्ति के बारे में सबसे अधिक महत्व की बात, विशेष कर जब हम उसे पहले-पहल मिलते हैं, यह है कि वह जीविका के लिए क्या करता है अर्थात् उसका व्यवसाय क्या है। आधुनिक समाज में व्यक्ति की व्यावसायिक स्थिति ही हमें उसके बारे में सबसे अधिक ज्ञान दे देती है। कुछ समाजों में वश-नमन्दन प्रस्थितियाँ या धार्मिक प्रस्थितियाँ या राजनीतिक प्रस्थितियाँ अधिक महत्वपूर्ण होती हैं और इसलिए “आवश्यक प्रस्थिति” हो सकती है। उदाहरणार्थ भारत में किसी भूमिका जाति-प्रस्थिति (Caste status) प्रायमिक महत्व की थी और बर्तमान रूप में राजनीतिक प्रस्थिति (Political status) सर्वोच्च है।

### कुछ प्रस्थिति सम्बन्ध

#### (Some Status Relations)

हम कह चुके हैं कि समाज में प्रदत्त और ग्रन्ति प्रस्थितियों का जाल पाया जाता है। रोबर्ट बीरस्टीड के शब्दों में, “समाज में बहुत-सी प्रस्थितियाँ दूसरी

प्रस्तितियों के साथ एक प्रकार के यथा सम्बन्ध में युद्धी हुई है।" हमारे समाज में साथ-साथ रहने वाली युग्म प्रस्तितियों (Paired statuses) की सत्त्वा बहुत अधिक है, तथा उनके अपने प्रतिमान हैं। बीरस्टीड ने इन युग्मों यथा जोड़ों (Pairs) में से कुछ की निम्नानुसार व्यक्त किया है—

भाता-पिता	—	शिशु
पति	—	पत्नी
डॉक्टर	—	रोगी
दक्षिण	—	मुव्विकल
अध्यापक	—	छात्र
भाई	—	रहन
मरी	—	देवत्रवासी
मालिक	—	प्रबन्धक
न्यायदादी	—	गवाह
विक्रम प्रबन्धक	—	सचिव
कोष	—	खिलाड़ी
जमीदार	—	किराएदार
कलाकार	—	मोड़िल
बस चालक	—	तवारी
गाहक	—	लिपिक
फौरमेन	—	कर्मचारी
मालिक	—	वैतनमोगी
पुजारी	—	अपराधी
नस	—	रोगी
सामाजिक कार्यकर्ता	—	मुव्विकल
टैक्स कलक्टर	—	नागरिक
ऐजवनिन	—	यतिथि
थीटर रीडर	—	गृह-स्वामी
मिलानकर्ता	—	जनाकर्ता
निदेशक	—	गायक
अधिकारी	—	शूचीकृत आदमी
दगर-सम्पादक	—	समादाता
पुस्तिसर्वन	—	मोटरवाला
क्रिता	—	विक्रेता
कलान	—	नाविकगण
सेविवर्ग प्रबन्धक	—	सेवा व्रार्यी
राष्ट्रपति	—	मन्त्रिमण्डल सदस्य

ये मुग्म यथापि अमेरिकी समाज के सन्दर्भ में दिए गए हैं, तथापि इनमें से भविकाँश और न्यूनाधिक हेल्फेर के साथ लगभग सभी, अन्य सम्य समाजों में भी लागू होते हैं।

### प्रतिमानों और प्रस्थितियों का सम्बन्ध

यदि समाज में सभी युक्त परिस्थितियों (Paired statuses) को बतलाने का प्रयत्न किया जाय तो इस प्रकार की सूची अनेक पृष्ठों तक जा सकती है। समाजशास्त्रीय घटनाओं के महत्व के प्रमाण के रूप में इतनी सूची ही पर्याप्त है। इन युक्त प्रस्थितियों से यह तथ्य प्रकट होता है कि “एक जटिल समाज में हम दूसरे लोगों के साथ जितने अधिक सम्बन्ध रखते हैं वे व्यक्तिगत सम्बन्धों की मापेशा प्रस्थिति सम्बन्ध (Status relations) ही हैं (हालांकि वे से वे दोनों ही हो सकते हैं) और यह कि ऐसे समाज में प्रकट होने वाले प्रतिमान सामान्य प्रतिमान मात्र नहीं हैं बल्कि वे विशिष्ट प्रस्थितियों से जुड़े हुए प्रतिमान ही हैं।”<sup>1</sup> उदाहरणार्थ, कोई भी छात्र अपने प्रोफेसर से यह नहीं पूछता कि उसकी आमदनी क्या है और उसमें से वह कितनी बचत कर लेता है। यह प्रतिबन्ध इतना प्रबल है कि धनिष्ठ मिश्र भी प्राय इस सूचना का एक दूसरे से विनिमय नहीं करते। लेकिन यह प्रतिमान सभी प्रस्थितियों पर लागू नहीं होता। जब किसी बैंक गणक से हम अरण की प्राप्तिना करते हैं तो हमारी आय के बारे में जानकारी प्राप्त करना उसका अधिकार और कर्तव्य है। इसी प्रकार टैक्स कलकटर तथा नागरिक के मध्य होने वाले प्रस्थिति सम्बन्धों में भी यह प्रतिबन्ध शिखित हो जाता है और यह लगभग सर्वव्यापक प्रतिमान के लिए एक अपवाद बन जाता है। एक दूसरा उदाहरण लें कि हमारी मस्तृति में नमता (Nudity) पर प्रबल प्रतिबन्ध है। लेकिन यह प्रतिबन्ध ऊपर दी गई सूची के प्रस्थिति सम्बन्धों में से बहुतों पर लागू नहीं होता तथा उनसे सलग प्रतिमानों का कोई अग नहीं है। यह डाक्टर-रोगी सम्बन्ध की रोगी प्रस्थिति में पूरी तरह शिखित हो जाता है। एक डाक्टर उस प्रस्थिति के एक युवा स्त्री से कपड़े रखारने के लिए निवेदन कर सकता है जबकि वह रोगी की प्रस्थिति घारण करती है। पति और पत्नी तथा छोटे बच्चों की प्रस्थितियों में भी नमता सम्बन्धी प्रतिबन्ध लुप्त हो जाता है। सारांश में, इन उदाहरणों से पता चलता है कि प्रतिमान प्रस्थितियों से संलग्न होते हैं और भिन्न प्रतिमान भिन्न प्रस्थिति से संलग्न होते हैं।<sup>2</sup>

### प्रस्थिति सघर्ष और विपर्यय (Status Conflicts and Reversals)

रॉबर्ट बीरस्टीड ने लिखा है कि भिन्न-भिन्न प्रतिमान भिन्न-भिन्न प्रस्थितियों से मतलब हैं, और यदि किसी काम को करने की एक प्रस्थिति में छूट है तो वही

1. बीरस्टीड : वही, पृष्ठ 286

2. वही, पृष्ठ 287

काम दूसरी किसी प्रस्थिति में निविद्ध हो सकता है। वही एक काम किसी एक प्रस्थिति में एक कर्तव्य के रूप में स्वीकृत हो सकता है तो किसी दूसरी में एक अपराध की भाँति निविद्ध भी हो सकता है।<sup>1</sup> उदाहरणार्थं, यदि कोई व्यक्ति बकील-बगं (Bar) का सदस्य नहीं है तो उसका कानूनी सलाह के लिए फीस लेना गैर-कानूनी है। इसी प्रकार सैनिक कर्मचारियों के लिए विशेष अवसरों पर एक गणवेश (Uniform) पहनना आवश्यक है, लेकिन किसी असैनिक व्यक्ति को सैनिक गणवेश पहनने पर गिरफ्तार किया जा सकता है।

कभी-कभी प्रस्थिति विशेषाधिकारों और कर्तव्यों में रोधक विपर्यय (Reversal) देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति एक सागरनाट्यक पद-नौजान की सर्वोच्च कोटि पर है, लेकिन वह भी गुप्त सेवा (Secret Service) के अधिकारियों से आदेश प्राप्त करता है जो कि उसके जीवन की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार है। एक एडमिरल (नौसेनाध्यक्ष) नेवी के सभी अफसरों पर फौजों आदेश लाना करता है लेकिन जब वह इन्हीं में से किसी एक डॉक्टर को देखरेह में रोगी की प्रस्थिति को प्राप्त कर लता है तो उस समय संपर्कनेट कमांडर एडमिरल उसको आदेश देता है। “इस तरह अधिकार शक्ति (Authority) का निर्धारण पूर्णतः प्रस्थिति द्वारा ही होता है और भिन्न प्रस्थितियों को धारण कर लेने पर एक ही व्यक्तियों को (The same individuals) विपरीत सम्बन्धों (Reverse relationships) में जाना पड़ सकता है।”<sup>2</sup>

“जब प्रस्थितियों को यात्रा रूप में समझा जाता है तो सामाजिक अन्तःक्रिया (Social interaction) दूट जाती है। जब वे अस्पष्ट होती हैं, तो सामाजिक अन्तःक्रिया कठिन हो जाती है। पर सौभाग्यवश, अधिकठर प्रस्थितियाँ स्पष्ट रूप से सुनभी हुई और मान्यता प्राप्त (Clearly articulated and recognized) हैं, उनसे संबन्ध प्रतिमानों को प्रत्येक व्यक्ति जानता है क्योंकि उसने उसी संस्कृति का उपयोग किया है जिसके कि वे एक भग हैं। जीवन के आरम्भ में बच्चा माँ-बाप और एडोसी, चचेरे भाई और सहपाठी, अध्यापक और चौकीदार, मन्त्री और पुलिसमैन, प्रतिथ और पत्रिका-विक्रेता के द्वीप के घन्टर को सीखता है। बहुत से विषयों में मान्यता (Recognition) को चिह्नों और संकेतों द्वारा (By signs and symbols) सुनगम बना दिया जाता है।”<sup>3</sup>

### प्रस्थिति के प्रतीक (Symbols of Status)

कुछ प्रस्थितियाँ बहुत अधिक “प्रत्यक्ष” (Visible) होती हैं, सामूहीकरण के जौ आमुं लिंग और स्व-बगं मान्यता की प्राणिशास्त्रीय व्येणियों पर आधारित हैं।

1. वही, ऐत 289.

2. Bierstedt: Op. cit., Page 257.

3. Ibid, 259.

किन्तु अनेक प्रस्तियतियाँ ऐसी भी हैं जो प्राणिशास्त्रीय मन्तरों पर निर्भर नहीं हैं, किन्तु आसानी से पहचानी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय प्रस्तियतियाँ (Nationality Statuses) सामान्य दौर पर पहनावे के भेदों से और भाषा भव्यता उच्चारण से समझी जा सकती हैं। प्रायः धनीय या भौमिक प्रस्तियतियाँ (Regional and Territorial Statuses) भी उच्चारण अथवा मुहावरे से पहचानी जा सकती हैं। व्यावसायिक प्रस्तियतियाँ (Occupational Statuses) भी विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की वेशभूषा द्वारा प्रायः प्रतीकात्मक होती हैं। उदाहरण के लिए, हाइटरो और नसों की सफेद फ्रेस से उनके रोगी या दर्शक होने का भ्रम दूर हो जाता है। पुलिसमैन, पादरी और सैनिक को गणवेश के भेदों के कारण आसानी से अलग-अलग पहचाना जा सकता है। बहुत से विषयों में, जिनमें कोई विशेष गणवेश या दूसरे किसी की पोशाक या सजावट व्यावसायिक प्रस्तियति का सकेत नहीं करती, वहाँ दूसरे प्रतीक होते हैं। प्रायः प्रस्तियतियों के ये चिह्न भौतिक सास्कृतिक सदारुणों के विशिष्ट प्रकार होते हैं। एक नियम-कार्यकारिणी का पुरुष-सचिव खाड़े दैसी ही वेशभूषा पहने जैसी कि उसका "बॉस" (Boss) पहनता है, लेकिन उसको डंक छोटी होगी और वह एक आरामदेह जगह पर लगी होगी। वास्तव में, प्रस्तियति प्रतीकों के रूप में भौतिक सम्झूलि के उपकरण (Items) समाज के प्रत्येक कार्यालय में पाए जा सकते हैं। काम की शारीरिक स्थिति भी एक प्रस्तियति प्रतीक (Status symbol) होती है, जैसे बड़ारों (Stores) में लिपिक लोग काउन्टरों के पीछे देखे जाते हैं, और ग्राहक उनके सामने। इसी तरह हम बैरो, होटल-लिपिकों, नाइयो और टेक्स्टी-चालकों को दुनिया में किसी भी जगह पर पहचान सकते हैं।<sup>1</sup>

बीरस्टीड के शब्दों में, साधारणतया ये सब प्रस्तियति प्रतीक (Status symbols) हाथारे जटिल समाज में पूरणतया स्पष्ट होते हैं, फलस्वरूप नासमझी या असमज्जसता से उत्पन्न गडबडियाँ अपेक्षाकृत कम हो जाती हैं। भौतिक सम्झूलि के उपकरण (Material culture items) सभी समाजों में प्रस्तियति प्रतीकों का काम करते हैं, और भौतिक सम्झूलि का एक घना संग्रह (A rich collection) प्रस्तियति को बहुत अच्छी तरह से पहचानने में सहायता करता है।<sup>2</sup>

### भूमिका की धारणा (Concept of Role)

हम पिछले पृष्ठों में प्रस्तियति के सन्दर्भ में "भूमिका" की चर्चा कर चुके हैं। समाजशास्त्रीय धर्याँ ने "भूमिका" प्रस्तियति का नाम दिया है अर्थात् यह, जिसी नीं प्रस्तियति का व्यवहारात्मक पहलू है। भूमिका (जिसे कभी-कभी 'सामाजिक भूमिका' Social role भी कह दिया जाता है) सामाजिक सरचना की एक माधारभूत इकाई है<sup>3</sup> जिसे

1. Bierstedt op cit., Page 260

2. Ibid., Page 260

3. Broom and Selznick Sociology, P. 18

व्यवस्थित रखे बिना सामाजिक संरचना अथवा सामाजिक समठन की व्यवस्था भी नहीं जी जा सकती।

भूमिका का निर्माण करने वाले तत्व प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं—  
(क) व्यक्तियों वो आशाएं (Expectations), एवं (ख) इन आशाओं के अनुरूप दो जाने वाली बाह्य क्रियाएं (Overt actions)। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ विशेष कार्यों को करने की आशा करता है। कुछ काय ऐसे होते हैं कि जो विशेष परिस्थिति (Situations) में करना उचित समझे जाते हैं तो कुछ कार्य सामृद्धिक नियमों को बनाए रखन के लिए आवश्यक होते हैं और कुछ कार्यों की अपेक्षा इसलिए की जाती है कि व्यक्ति का जीवन समर्थित बना रहे। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों वी इन आशाओं के अनुरूप बाह्य क्रियाएं सम्पादित करता है तो समाजशास्त्र में इन क्रियाओं को 'भूमिका' की सज्जा दी जाती है। बास्तव में, ममूरुं सामाजिक व्यवस्था स्थिति और भूमिका के सन्तुलन पर ही निर्भर होती है। जब समाज के अधिकांश व्यक्ति प्रस्थिति की अपेक्षाओं के अनुसार भूमिका नहीं निर्माते तो सामाजिक समठन बिगड़ने लगता है और समाज में असन्तुलन बढ़ता चला जाता है।

**परिभ्रायाएं** कुछ समाजशास्त्रियों के विचार

भूमिका को समाजशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है। लिटन (Linton) ने भूमिका को प्रस्थिति से सम्बद्ध करके समझाया है। उसके शब्दों में 'कोई भी भूमिका प्रस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है।' इसका अभिप्राय यह है कि प्रस्थिति का दूसरा पक्ष भूमिका है, प्रस्थिति की हम भूमिका से अलग नहीं कर सकते। लिटन ने अधिक स्पष्ट रूप से एक अन्य स्थल पर लिखा है "भूमिका के प्रत्यंगत हम उन सभी अभिवृत्तियों (Attitudes) मामाजिक मूल्यों (Values) और व्यवहारों (Behaviour) को सम्मिलित करते हैं जो विशेष प्रस्थिति से सम्बन्धित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान की जाती है।"<sup>1</sup>

डेविस (Davis) ने लिखा है कि भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति मानवी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।<sup>2</sup> इसका आशय है कि किसी भी अनुष्ठ को किसी निश्चित प्रस्थिति में कुछ न कुछ विशिष्ट भूमिका नियानी पटती है जिसकी कि लोग उससे अपेक्षा करते हैं। डेविस का मत है कि यद्यपि किसी व्यक्ति का किसी पद या प्रस्थिति पर कायं (भूमिका) तो निर्धारित होता है, लेकिन पह आवश्यक नहीं है कि वह वैसा ही कायं करेगा भी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को समद-सदस्य चुन लिया जाता है तो हम केवल यह प्रत्याशा करते हैं कि वह अपने समीय दायित्वों का पालन करेगा, लेकिन उसद में जा कर बास्तुव में वह क्या करेगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यदि वह अपनी प्रस्थिति के अनुसार भूमिका निभाएगा तो उसे पुन चुना जा सकता है और यदि वह प्रस्थिति

1 Linton, The Cultural Background of Personality, P. 77

2 लिटन डेविस द्वारा, पृष्ठ 75

के अनुसार भूमिका का पालन नहीं करता तो उसका राजनीतिक भविष्य अन्धकार में पड़ सकता है। अभिप्राय यह हुआ कि "सामाजिक सरचना की हृष्टि से 'भूमिका' में न्यूनता का एक ऐसा गुण समाविष्ट है, जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।"<sup>1</sup>

ब्रूम तथा सेल्जनिक (Broom and Selznick) के अनुसार, 'भूमिका' वी परिभाषा किसी निश्चित सामाजिक स्थिति (जैसे पिता, शिक्षक, नियोजक या रोगी) से सम्बद्ध व्यवहार के रूप में की जा सकती है। आदर्श भूमिका (The Ideal Role) एक सामाजिक स्थिति से सम्बद्ध अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित कर देती है, यह व्यक्ति को बताती है कि एक पिता या शिक्षक की भूमिका के हृप में उससे क्या आशा की जाती है, किसके प्रति उसके कर्तव्य हैं और किसी पर उसका अधिकारयुक्त दावा है। वास्तविक भूमिका व्यवहार (Actual role behaviour) पर संदेव किसी विशेष सामाजिक स्थिति (Social setting) और साथ ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है।"<sup>2</sup>

सर्जेंट (Sargent) के शब्दों में "किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रत्येक (Type) है जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की आशाओं या अपेक्षाओं के अनुसार एक विशेष परिस्थिति में ठीक समझता है।"<sup>3</sup> अभिप्राय यह हुआ कि समूह प्रत्येक व्यक्ति से उसकी प्रस्तियति को ध्यान में रखते हुए तदनुसार एक विशेष प्रकार के व्यवहार की आशा करता है। यह व्यवहार ऐसे होते हैं जो उस समूह की स्वरूपि या परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त माने जाते हैं। इन्हीं व्यवहारों को हम "भूमिका" कहते हैं तथा समूह के प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह अपनी भूमिका का समुचित निर्वाह करेगा।

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि "सामाजिक भूमिका" कुछ प्रत्याशाओं एवं क्रियाओं की वह परस्पर सम्बन्धित व्यवस्था है जिसे हम सामाजिक संगठन का सबसे आनंदरिक अंग कह सकते हैं।"<sup>4</sup> सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक प्रस्तियति का अपना स्थान होता है तथा भूमिका ऐसी ही प्रस्तियति की अपेक्षाओं को कहते हैं। चूँकि व्यक्ति विभिन्न सामाजिक स्थितियों में समय-समय पर अपने आप को पाता है, अत उसके अनेक कार्य होते हैं। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति ग्राहक, पिता, यति, भाई, चाचा, मित्र आदि की भूमिकाएँ निभाता है। ये भूमिकाएँ इन प्रस्तियतियों को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए सुनिश्चित होती हैं। जब कभी समाज के अधिकतर सदस्य प्रस्तियतियों की अपेक्षाओं के अनुसार भूमिकाएँ नहीं निभा पाते जो समाज की सरचना बिगड़ने लगती है, चारों ओर असन्तोष व्याप्त होने लगता है। सामाजिक असन्तुलन फैलने लगता है और इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था विषट्टि हो जाती है। बस्तुत, प्रस्तियति और भूमिका का मन्तुलन सामाजिक व्यवस्था का भाषार है।

1. वही वेज 75

2. Broom and Selznick op. cit., p. 18

3. Sargent : Social Psychology at Cross Road, p. 360.

4. M. E. Olsen : Processes of Social Organization, p. 107.

इस सम्बन्ध में हमें यह नहीं भूलना होगा कि "भूमिका" की धारणा एक प्रकार व्यक्ति की भूमिका नहीं है। भूमिका सदैव "पारस्परिक" (Reciprocal) होती है, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका किसी दूसरी स्थिति अथवा व्यक्ति की तुलना में होती है और इस प्रकार परिस्थिति के प्रतुसार यह परिवर्तनशील है।

**भूमिका-यातन, भूमिका-प्रहरा, अभिनय की भूमिका**

भूमिका के सम्बन्ध में हमें अब तीन सम्बन्धयों के घर्ष को भी समझ लेना चाहिए—

(1) **भूमिका-यातन (Role-playing)**—जब व्यक्ति समाज द्वारा अपेक्षित प्रतिमानों वे आधार पर अपनी भूमिका निभाता है तो हम इसे "भूमिका-यातन" कहते हैं। व्यक्ति भाई, छात्र, मिश्र, पिता, पति भादि की विभिन्न स्थितियों में विभिन्न भूमिकाएँ आदा करता रहता है।

(2) **भूमिका-प्रहरा (Role-taking)**—इस प्रक्रिया के अन्तर्गत हम विशिष्ट भूमिकाओं को सीखते हैं। समाज में व्यक्ति से जिन भूमिकाओं की धारा की जाती है और उनके प्रतुसार व्यक्ति जिन कार्यों का निर्वाह करता है, उसे "भूमिका-प्रहरा" कहा जाता है। कफा में धात्र के रूप में कंसा व्यवहार करना होगा, मई बबू कैसे व्यवहार करे भादि भूमिका-प्रहरा की प्रक्रिया के अन्तर्गत भाते हैं।

(3) **अभिनय की भूमिका (Playing at-role)**—जब व्यक्ति अभिनय के माध्यम से किसी अन्य पक्ष की भूमिका निभाता है तो इसे "अभिनय की भूमिका" कहते हैं। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति द्वारा लैला, यज्ञ, जिवाजी या प्रताप या अन्य किसी पात्र का अभिनय करना इसके अन्तर्गत भाता है।

**भूमिका-प्रत्याशा, भूमिका-संघर्ष**

भूमिका के घर्ष को समझने के सन्दर्भ में हमें "भूमिका-प्रत्याशा" (Role expectation) तथा भूमिका-संघर्ष (Role-conflict) को भी समझ लेना चाहिए।

1 **भूमिका-प्रत्याशा (Role-expectation)**—समाज में भिन्न-भिन्न स्थितियों की ही एक पृष्ठ की भूमिका नहीं होती बरन् एक ही स्थिति में रहकर भी व्यक्ति से विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न भूमिकाओं की धारा की जाती है। उदाहरणार्थ, एक अध्यापक के रूप में ही हम व्यक्ति से विद्यालय के प्रधानाचार्य, छात्रों, अधिभावकों संथा क्रमचारी वर्ष के व्यक्तियों से भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यवहारों की धारा करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में दोनों प्रकार की भूमिकाओं का योग होता है। समाज में व्यक्ति से जिन भूमिकाओं की धारा की जाती है, उसे "भूमिका-प्रत्याशा" कहकर सम्बोधित किया जाना है। भूमिका-प्रत्याशा (Role-expectation) तथा भूमिका-प्रहरा (Role-taking) के बीच सन्तुलन ही समाज के समान का आधार है, और इन दोनों के बीच खाई होने का घर्ष है सामाजिक अस्वत्था।

**2 भूमिका-संघर्ष (Role-conflict)**—अधिकांशत हम सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप ही भूमिका यदा करने का प्रयास करते हैं, पर अनेक ऐसे प्रवसर भी पाते हैं जब हम अपेक्षाओं अथवा प्रत्याशा के अनुरूप भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाते। जब किसी प्रस्तिति की अपेक्षाओं के अनुसार भूमिका का पालन नहीं किया जाता, या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दो भिन्न प्रस्तितियों की भूमिका निमानी हो और हम भानसिक उलझन या अन्तर्दृढ़ का अनुभव करने लगें, तो इसे 'भूमिका-संघर्ष' कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक भूमिका एक और तो मित्रता की माँग करती है और दूसरी ओर निष्पक्ष निरंय की। इस स्थिति में भूमिका-संघर्ष पैदा हो जाएगा। एक प्रोफेसर की भूमिका में व्यक्ति को छात्रों के प्रति मौजूदीभाव भी रखना पड़ता है पर साथ ही उसे एक न्यायाधीश के रूप में छात्रों के कार्य का निष्पक्ष मूल्यांकन भी करना पड़ता है। प्रोफेसर की भूमिका के रूप में यह परस्पर विरोधी माँगें उसके लिए भूमिका-संघर्ष की स्थिति पैदा कर देती है, और उसके लिए सामन्जस्य बैठाना कठिन हो जाता है। एक दूसरा स्पष्ट उदाहरण लें कि एक और तो पति अपनी पत्नी को सिनेमा दिखाने का वायदा करता है और जब वे सिनेमा जाने के लिए तंदार हैं तभी पति को उसके आकिसर द्वारा कार्यालय में दुला लिया जाता है। यहाँ पति की प्रस्तिति और आकिस के वर्मचारी की प्रस्तिति में और फलस्वरूप अपेक्षित भूमिकाओं में संघर्ष हो जाएगा। अब पति को यह निरंय करना होगा कि वह किस भूमिका को प्राप्तभिक्ता दे। वास्तव में, विभिन्न भूमिकाओं को एक साथ निमाना आसान नहीं होता और भूमिका-संघर्ष की स्थिति में हम प्रभावी भूमिका वो चुन लेते हैं। यदि हम इस प्रकार का सामन्जस्य (Adjustment) नहीं कर पाते तो हमारा व्यक्तित्व खण्डित होकर गम्भीर परिणामों का हिकार बन जाता है। जब समाज के अधिकांश सदस्यों के साथ ऐसा होता है तो सामाजिक संगठन द्विप्रभिन्न होने लगता है।

### भूमिका की विशेषताएँ (Characteristics of Role)

उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हम भूमिका (अथवा सामाजिक भूमिका) की निम्नलिखित विशेषताओं का सकेत कर सकते हैं—

(1) भूमिका का आशय उन विभिन्न व्यवहारों की सम्मुण्ठता से है जिन्हे एक विशेष प्रस्तिति पर होने के कारण व्यक्ति से पूरा दी जाने की आशा की जाती है।

(2) भूमिका प्रत्याशा का निर्धारण संस्कृति विशेष के नियमों द्वारा होता है, अर्थात् भूमिका की स्वीकृति (Sanctum) समाज द्वारा की जाती है।

(3) हम प्रत्येक व्यक्ति से एक विशेष भूमिका दी आशा दो कारणों से बरते हैं—प्रथम तो प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुकूल आचरण करे और दूसरे, समाज में व्यवस्था बनी रहे।

(4) प्रस्तिथि की मौति भूमिका भी 'प्रदत्त' और 'भर्जित' होती है। एक प्रस्तिथि के सभी व्यक्तियों की प्रदत्त भूमिका तो समान होती है लेकिन भर्जित भूमिका में प्रलतर होना स्वामाजिक है और इसीलिए हमें लोगों के व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न भ्रतीत होते हैं।

(5) भूमिका समयानुकूल परिवर्तनशील है। समाज और सत्कृति के साथ व्यक्ति जर्दों-जर्दों अधिकाधिक अनुकूलन करता जाता है, उसकी भूमिका भी परिपक्वता मात्री जाती है।

(6) प्रत्येक भूमिका व्यक्ति से एक विशेष प्रकार के व्यवहार की माँग करती है और इसीलिए समाज में एक व्यक्ति निम्न-निम्न व्यतीयों विसे निम्न-निम्न प्रकार का व्यवहार करता हुआ पाया जाता है।

(7) यद्यपि हम सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप भूमिका प्रदा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में सभी भूमिकाओं को समुचित स्थान में निभाना कठिन है। अतः जिस भूमिका में हमारी अधिक रुचि होती है उसका निर्वाह हम अधिक अच्छी तरह कर पाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की भूमिका का उसको उचियों, मनोवृत्तियों और योग्यता से विशेष सम्बन्ध है।

(8) सभी भूमिकाएँ समान प्रकृति की नहीं होतीं। कुछ "प्रमुख भूमिकाएँ" (Key roles) होती हैं जिनमें धर्मिक दायित्व और शम निवृत्त होता है तो कुछ "सामाज्य भूमिकाएँ" (General roles) होती हैं जिनका निर्वाह हम बड़ी सरलता से कर पाते हैं।

### प्रस्तिथि और भूमिका का महत्व

(Importance of States and Role)

प्रथ्याय में प्रसारानुसार ग्रनेक स्थलों पर हम प्रस्तिथि और भूमिका के महत्व का सकेत दे सकते हैं। स्पष्टता के लिए इसे अनग-अलग निर्मांकित बिन्दुओं में रखा जा सकता है—

(1) इनका सामाजिक संगठन और व्यवस्था को बनाए रखना महत्वपूर्ण योग है। सामाजिक संरचना में एक निश्चित प्रस्तिथि और उससे सम्बन्धित कुछ निश्चित भूमिका का निर्धारण होने से समाज में संघर्ष की सम्भावनाएँ कम हो जाती हैं और सामाजिक संगठन बना रहता है।

(2) इनके फलस्वरूप सामाजिक धर्म-विभाजन सरल बनता है, क्योंकि इनके प्राधार पर सामाजिक कायों का विभाजन बहुत कुछ स्वत ही हो जाता है।

(3) ये अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिक नियन्त्रण का एक प्रभावशाली साधन है। सभी प्रस्तिथियों और भूमिकाओं का नियमन कुछ निश्चित सामाजिक नियमों द्वारा होता है, और जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी प्रस्तिथि पर रहते हुए अपनी-अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता रहता है तो सामाजिक नियन्त्रण की स्थिति स्वतं उत्तम हो जाती है।

(4) प्रस्तिति और सूमिका व्यक्ति में कुछ विशेष मनोवृत्ति को पनाने में ज़हायद हैं। उदाहरणार्थ, पर्दि बनने के बाद ही व्यक्ति पली के प्रति एक निर्दिष्ट और दिशित मनोवृत्त प्रदान सहता है तथा एक मातृसत्तात्मक समाज में लिंगों की उच्च प्रस्तिति उनमें पुरुषों के प्रति भवहेतुता वी आदान पनाना देती है।

(5) इनसे व्यक्ति में सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता रहती है। उदाहरणार्थ, पिता की प्रस्तिति पाने के बाद एक लापरवाह परि नी एकाएक ही पिता के उत्तरदायित्व को समझने लगता है।

(6) इनसे व्यक्ति प्रगति के लिए प्रेरित होता है। निम्न प्रस्तिति व्यक्ति प्रगति प्रयासों से उच्च प्रस्तिति प्राप्त करने की और प्रयास करता है। इस प्रकार प्रस्तिति और सूमिका समाज तथा व्यक्ति दोनों के लिए जीवन हक्कित है।

बास्तुद में, प्रस्तिति और सूमिका दोनों में अधिकांशत तात्त्वनेन रहता है और इसीलिए समाजव्यवस्था सुहृद बनी रहती है। जब प्रस्तिति वी धरेहारों के अनुमार सूमिका नहीं होती तभी सामाजिक दौरि में दरार-नी पढ़ने लग जाती है और सामाजिक विषटन की स्थिति उन्नत हो जाती है। समाज को सुचारू हन दे चलाने के लिए व्यक्तित्व के स्तर पर (At the level of personality) तथा समाज के स्तर पर (At the level of society) प्रस्तिति और सूमिका में समन्वय आवश्यक है। यदि व्यक्तित्व के स्तर पर दोनों में समन्वय नहीं होता तो व्यक्ति वा व्यवहार विपरगामी हो जाएगा जिससे समाज की हानि पहुँचेगी। जो लोग अपनी प्रस्तिति के अनुकूल सूमिका का निर्दाह नहीं करते, उन्हें प्रसामाजिक कहा जाता है।

## समाजीकरण

(Socialization)

“समाजीकरण एक देसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा सास्कृतिक विशेषताओं, धार्मण तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है।” — श्रीम

समाज के हस्तिकोण से, समाजीकरण वह तरीका है जिसके द्वारा सास्कृति राखारित (Transmitted) की जाती है और व्यक्ति को जीवन के एक रागठित तरीके में फिट किया जाता है। समाजीकरण एक जीवन-पर्यावरण चलने वाली प्रक्रिया है। यह बहुत प्रारम्भ में ही भारती हो जाती है और तभ्य के साथ-साथ बच्चा समूह-जीवन (Group life) में भाग लेना सीखता है और कुछ अब्जों में अपने समाज के मूल्य और समाज के समूहों के मूल्यों को प्रहरण करता है। ज्यो-ज्यो व्यक्ति नए सामाजिक स्वरूपों और स्थापनों (New social forms and institutions) में भाग लेता जाता है वह नए-नए अनुशासन सीखता है और उसमें नए-नए मूल्यों का विकास होता है। जहाँ भाता-पिता बच्चे के समाजीकरण के मुख्य अभिकरण होते हैं वहाँ वे स्वयं भी भाता-पिता की भूमिका और मूल्यों का निर्वहन करने के द्वारा समाजीकृत होते जाते हैं।<sup>1</sup> समाजीकरण न केवल हमारे व्यवहार को नियमित करता है बल्कि व्यक्तित्व और आदम-जागरूकता (Individuality and self-awareness) के विकास के लिए अपरिहार्य शर्त मानी जाती है। इस प्रकार समाजीकरण के दो परम्परा पूरक हैं—संस्कृति का संचारण (Transmission of Culture) और व्यक्तित्व का विकास (Development of Personality).<sup>2</sup>

समाजीकरण से ही व्यक्ति मनुष्य बनता है और पमुझों से श्रेष्ठ माना जाता है। समाजीकरण ने मनुष्य का व्यक्तित्व सतुरित होता है और वह समाज के हित में, अपने पर नियन्त्रण करना सीखता है। समाजीकरण से व्यक्ति में भावनाका विकास होता है और वह अन्य लोगों से सहयोग करना सीखता है।

इस पृष्ठभूमि के उपरान्त यह हम समाजीकरण पर विस्तार से विचार करें और हमारे धर्मण की क्षरेत्रा अपारित विन्दुओं पर केंद्रित होंगी—

1 Broom & Seznick: Sociology, p 84

2 Ibid, p 84

- 1 समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा
- 2 समाजीकरण के उद्देश्य
3. समाजीकरण के प्रक्रियात्मक पहलू
- 4 समाजीकरण और अनुरूपता
- 5 समाजीकरण की प्रक्रिया
- 6 पृथक्कृत बच्चे वे क्या प्रदर्शित करते हैं ?
- 7 समाजीकरण की स्तराएँ
- 8 समाजीकरण के सिद्धान्त ।

### समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा (Meaning and Definition of Socialization)

समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक सावधी शरीर को सामाजिक मानव बनाया जाता है । शिशु अपने जन्म के समय के बावजूद अस्थि मौस का ढाँचा होता है । समाज की गतिविधियों में मात्र सेने या समाज के रीत-रिवाजों, मूल्यों आदि को समझने में वह सर्वथा असमर्थ होता है । लेकिन धीरे-धीरे ये सब बातें समाजीकरण की प्रक्रिया में वह सीखता है । सावधी शरीर (Organic Body) में सीखने को जो क्षमता होती है उसका विकास समाज के सम्पर्क से होता है और सीखने की यह प्रक्रिया ही सारभूत रूप में समाजीकरण है । समाजशास्त्रीय अर्थ में समाजीकरण का आशय सामाजिक प्रतिमानों अथवा मानदण्डों के सीखने से है ताकि व्यक्ति समाज का सक्रिय सदस्य बन सके । दूसरे शब्दों में, हर समाज में अपने कुछ सामाजिक मूल्य, परम्पराएँ, नियम आदि होते हैं जिनके पालन की उस समाज के प्रत्येक सदस्य से आशा की जाती है । इन सभी बातों को व्यक्तित्व में आत्मसात करने की प्रक्रिया को ही हम समाजशास्त्रीय माया में "समाजीकरण" कहते हैं ।

समाजीकरण को समाजशास्त्रियों ने विभिन्न शब्दावलियों में स्पष्ट किया है । जॉनसन (H M Johnson) के अनुसार, "समाजीकरण वह सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं के निर्वाह करने योग्य बनाती है ।"<sup>1</sup> जॉनसन ने स्पष्ट किया है कि समाजीकरण के कारण ही मानव शिशु मानव-समाजों के पूर्ण सदस्यों के रूप में विकसित हो जाते हैं । सर्वत्र वह है जो समाजीकरण से सीखी जाए ।

"गिल्लर एवं गिल्लर" (Gillier and Gillier) ने लिखा है कि "समाजीकरण" से हमारा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य (A functioning member) बनता है, समूह की कार्यविधियों में समन्वय स्थापित करता है, समूह की परम्पराओं का ध्यान रखता है, और सामाजिक

परिस्थितियों से अनुकूलन करके प्रपते साधियों के प्राप्त सहनशक्ति की भावना विकसित करता है।<sup>1</sup> स्पष्ट है कि गिलिन के अनुसार समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को समाज का क्रियाशील मदस्य बनाना है अर्थात् समाजीकरण के अभाव में व्यक्ति समाज से विलग हो जाएगा, सहकृति से अद्वृता रहेगा और सामाजिक सम्बन्धों को स्थापित करने में समर्थ नहीं हो सकेगा।

ब्रूम के अब्दी में समाजीकरण के दो पूरक अर्थ हैं—‘सहकृति का सचारण और व्यक्तित्व का विकास।’<sup>2</sup> अबूम ने अपने मन्त्रम् को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि समाजीकरण के माध्यम से ही एक सावधानी जारीर को सामाजिक मात्रव बनाया जाता है और बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होने के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों, रीति रिवाजों, मूल्यों आदि को प्राप्तनाता जाता है। समाजीकरण के प्रस्तवरूप ही व्यक्ति “सामाजिक” बन जाता है।

ग्रीन (A. W. Green) ने मतानुसार, “समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सास्कृतिक विशेषताओं आत्मपन (Sell-hood) और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है।”<sup>3</sup> इस परिभाषा का भी मतेत है कि कोई बच्चा सास्कृतिक विशेषताओं को जन्म से ही प्राप्त नहीं करता वरन् समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा वह इन्हे प्राप्तनाता है और इनके अनुसार व्यवहार करना सीखकर व्यक्तित्व का विकास करता है।

किंबाल यंग (Kimbal Young) की हास्टि में “समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक एवं सास्कृतिक दोनों में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का मदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों तथा मानकों (Standards) को स्वीकार करने की प्रेरणा प्राप्त होती है।”<sup>4</sup> फिचर (Ficher) ने अनुसार, “समाजीकरण एक व्यक्ति एवं उसके अन्य साधियों के पारस्परिक प्रभाव की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता और उनसे अनुकूलन करना शीघ्रता है।”<sup>5</sup>

इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजीकरण ही व्यक्ति के सामाजिक पहलू का निर्माण करता है। इसके माध्यम से ही व्यक्ति एक जैवकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। समाजीकरण सामाजिक सीख की प्रक्रिया है अर्थात् इसके द्वारा शिशु क्रमशः समाज की उन विशेषताओं को सीखता है जो समाज के मूल्यों और मान्यता प्राप्त आचरणों के अनुकूल हों। समाजीकरण की प्रक्रिया तीन आवारभूत पहलुओं पर प्राधारित है—जीव रचना (Organism),

1 Gillin and Gillin op cit., p 643

2 Broom and Selznick op cit., p 84

3 A. W. Green. op cit., p 127

4 Kimbal Young op cit., p 89

5 J. H. Fischer. op cit., p 22

व्यक्ति (Individual) एव समाज (Society)। जीवन्रचना अथवा सावधानी भरीर द्वारा वे क्षमताएँ प्राप्त होती हैं जिनकी सहायता से मनुष्य अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को सीखता है और भाषा द्वारा उन्हें भ्रमित्यक करता है। व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया का वास्तविक आधार है, वयोंकि व्यक्ति में "आत्म" का विकास होने पर ही यह प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। समाज वह क्षेत्र है जिसमें रहते हुए व्यक्ति विभिन्न प्रकार से अन्त कियाएँ करता है।

सार्वांश रूप में, समाजीकरण में ये विशेषताएँ सन्तुष्टि हैं—(1) यह सामाजिक सीख की एक प्रक्रिया है, (2) यह सीख सांस्कृतिक विशेषताओं और सामाजिक मूल्यों की होती है, (3) समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा न केवल इन सांस्कृतिक विशेषताओं और सामाजिक मूल्यों की सीखा जाता है बरन् इनका पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरण भी होता रहता है, (4) समाजीकरण की प्रक्रिया से ही व्यक्ति में 'आत्म' (Self) का विकास होता है एव (5) समाजीकरण की प्रक्रिया ही एक सावधानी भरीर (Organic body) को सामाजिक प्राणी में परिणत कर देती है।

समाजीकरण के सम्बद्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि हम संगठनात्मक प्रक्रियाओं को ही समाजीकरण मानते हैं विषटनात्मक प्रक्रियाओं को नहीं। सामाजिक प्रनियानों, मूल्यों और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है और इन्हें सीखने वाला व्यक्ति ही समाज का क्रियाशील सदस्य (A functioning member) बन सकता है। चोरी करना, बलात्कार करना आदि विषटनात्मक प्रक्रियाओं को सीखना समाजीकरण नहीं होगा।

### समाजीकरण के उद्देश्य (Aims of Socialization)

समाजीकरण की जो व्याख्या ऊपर की गई है उससे हमें इसके उद्देश्यों का आमास हो जाता है। समाजीकरण के माध्यम से ही समाज बच्चे को सिखाता है कि समुदाय (Community) में प्रूलन-मिलने के लिए उसे किन बानों की सावधानता है, उसकी क्षमताओं का विकास करने और स्थाई तथा अर्थपूर्ण सन्तुष्टियों (Stable and Meaningful Satisfactions) को प्राप्त करने के लिए उसे किन बातों को जानना पौर सीखना चाहिए।<sup>1</sup> समाजीकरण के चार प्रमुख उद्देश्यों का बूझ एव मेजिनिक (Broom and Selznick) ने उल्लेख किया है—

(1) आधारभूत नियमबद्धता या अनुशासनों का विकास—समाजीकरण द्वारा आधारभूत अनुशासनों (Basic disciplines) का विकास किया जाता है। है। अनुशासनहीन व्यवहार को दूर कर व्यक्ति के जीवन को नियमबद्ध करने और अनुशासित बनाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति समाजीकरण से ही होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया इस बात पर बल नहीं देती। कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को

<sup>1</sup> Broom and Selznick, op. cit., p. 86-87

तत्काल ही पूरा करे वरन् इस बात की सीख देती है कि वह सामन्जस्य करना सीखे अर्थात् परिस्थितियों के अनुसार सद्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, आवश्यक होने पर उन्हें स्पष्टित करदे या छोड़ दे या सशोधित करदे। भावी उद्देश्यों और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति व्यवहार करना सीखे।

(2) आकांक्षाओं की पूर्ति—समाजीकरण नियमबद्धता के साथ ही आकांक्षाओं की पूर्ति (Instills aspirations) करता है। अनुशासन स्वयं ही व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं देता वरन् यह तो आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होता है और साथ ही आकांक्षाएँ भी नियमबद्धता बनाए रखने में सहायक होती हैं। समाजीकरण के माध्यम से समाज मनुष्य में न केवल आम सीस्कृतिक मूल्यों का उचारण करता है बल्कि उसमें विशेष आकांक्षाओं की प्राप्ति की प्रेरणाएँ भी पैदा करता है। उदाहरणार्थ, विकसित तकनीक पर आधारित एक अर्थव्यवस्था तभी सार्थक है जबकि वह प्रणते कुछ सदस्यों में वैज्ञानिक और इन्जीनियर बनाने की आकांक्षाएँ जापते करे। समाजीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य है कि व्यक्ति में आकांक्षाओं के स्वरूपों का निर्धारण करके उनकी व्यावर्जन-पूर्ति में सहायता दे।

(3) सामाजिक भूमिकाओं के निभाने की सीख—समाजीकरण वा तीसरा उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक भूमिकाओं और उनके सहायक व्यवहारों की सीख देना (Teaches social roles and their supporting attitudes) है। समूह की सदस्यता (Group membership) की मींग है कि सामाज्य धोखता के साथ-साथ उन और भी योग्यताओं को प्राप्त किया जाय जो सामाजिक सम्बन्धों के निर्वाह के लिए आवश्यक हैं, विशिष्टिकृत भूमिकाओं (Specialized roles) निर्वाह के लिए जहरी है। समाज में रहते हुए एक व्यक्ति को नेता, प्रनुयायी, छाच, शिक्षक, बक्ता और श्रोता आदि वीं एक दूसरे से गिरफ्त किन्तु एक दूसरे की पूरक भूमिकाएँ निभाती पड़ती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया मनुष्य को खिलाती है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों से किस प्रकार मामन्जस्य और अनुकूलन स्थापित करे।

(4) शमताओं का विकास—समाजीकरण सामाजिक शमताओं (Social Skills) का विकास करता है। सामाजिक शमताओं का अभिप्राय वै मुण्ड है जो व्यक्ति को समाज से अनुकूलन करना सिखाते हैं। साधारण समाजों में, परम्परागत व्यवहार यीढ़ी-दर्योढ़ी हस्तान्तरित होते रहते हैं और आमतौर पर अनुकरण द्वारा (By Imitation) उन्हें सीखा जाता है और व्यवहार में लाया जाता है। ऐसिन जो उच्च तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण समाज होते हैं उनमें शैक्षणिक शिक्षा द्वारा सामाजिक शमताओं का विकास करना समाजीकरण का एक केन्द्रीय कार्य होता है। दूसरे शब्दों में, शैक्षणिक समाजों में शैक्षणिक शिक्षा (Formal education) प्रभावी समाजीकरण की सेवा से एक प्रावश्यक शर्त बनती जा रही है।

## समाजीकरण के प्रक्रियात्मक पहलू (Processual Aspect of Socialization)

समाजीकरण एक जीवन-पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके प्रक्रियात्मक पहलुओं का अभिशाय है कि हम यह देखें कि कौन-कौन से पहलू इस प्रक्रिया में आते हैं जो व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। इनका आमास हमें समाजीकरण के अर्थ और उद्देश्यों से हो चुका है, तथापि सधेंप में हम इन्हें निम्ननुसार व्यक्त कर सकते हैं—

(1) समाजीकरण एक निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, कभी स्थगित नहीं होती। जीवन-पर्यंत व्यक्ति नई-नई प्रस्थितियों (Statuses) को प्राप्त करता है जिनके लिए वह पहले से तैयार नहीं होता। व्यक्ति को सीखना पड़ता है कि इन प्रस्थितियों से वह किस प्रकार व्यवहार करे। दूसरे शब्दों में, प्रस्थितियों के प्रनुरूप भूमिकाओं का निर्वाह किए बिना व्यक्ति "सामाजिक" नहीं बन पाता, और इस सम्बन्ध में प्रावश्यक सीख व्यक्ति को समाजीकरण द्वारा ही प्राप्त होती है। चूंकि जन्म से मृत्यु तक नई-नई प्रस्थितियाँ आती रहती हैं और उनसे सम्बन्धित व्यवहारों का सीखना चलता रहता है, अत समाजीकरण एक वह प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती।

(2) समाजीकरण की प्रक्रिया समय-सापेक्ष और स्थान-सापेक्ष दोनों है। समय-सापेक्ष होने का तात्पर्य है कि एक समाज में दो भिन्न समयों में समाजीकरण की अन्तर्वंतु (Contest) अलग-अलग हो सकती है। जहाँ प्राचीन भारत में नव-वधु को पर्दा करने की शिक्षा दी जाती थी वहाँ आधुनिक भारत में नए मूल्य स्थान लेते जा रहे हैं और नव-वधु से पर्दा-व्यवहार की अोरा प्राय नहीं की जाती। मूल्यों में परिवर्तन के साथ-साथ समाजीकरण की विधि में भी अन्तर आता रहता है। स्थान सापेक्ष का अभिशाय यह है कि एक स्थान पर साखने की जो प्रक्रिया पुरुषकार योग्य है वही क्रिया दूसरे स्थान पर दण्डनीय हो सकती है। उदाहरणार्थ, अफ्रीका की भारती जनजाति में एक-दूसरे के प्रति भम्भान दिलाने के लिए एक-दूसरे पर घूबना मिलाया जाता है, लेकिन किसी भी समय समाज में यह तरीका अनुचित माना जाएगा और इसे हम विपर्यासी व्यवहार (Deviant behaviour) की श्रेणी में लेंगे।

(3) समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समृद्धि को आत्मसात किया जाता है। इस प्रक्रिया में हम सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों तथा स्वीकृत व्यवहार के तरीकों को सीखते हैं और इस प्रकार समृद्धि हमारे व्यक्तित्व का प्रग बन जाती है। समृद्धि के भौतिक और अभौतिक दोनों ही पक्षों को समाजीकरण द्वारा आत्मसात करना सम्भव होता है।

(4) समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज का क्रियात्मक प्रकार्यात्मक सदस्य (Functioning Member) बन पाता है। इसका अभिशाय

यह है कि समाजीकरण वो प्रक्रिया हमें समाज की क्रियाओं में भाग लेने के लिए समर्थ बनाती है, हमें विभिन्न परिस्थितियों में समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को लिखाती है।

### समाजीकरण और अनुरूपता (Socialization and Conformity)

ब्रूम एवं सेजनिक (Broom and Sezneck) के शब्दों में, "समाजीकरण अनिवार्य रूप से कुछ तक अनुरूपता उत्पन्न करता है। समाज परिस्थितियों में फाले-पीसे गए व्यक्ति यथानी चाहती, मूल्यों और व्यक्तित्व में एक दूसरे से समानता रखते हैं। किन्तु, समाजीकरण पूर्ण अनुरूपता (Complete Conformity) उत्पन्न नहीं करता। अनेक ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्तित्व और अनोदेपन को उत्साहित करते हैं।"<sup>1</sup> ब्रूम ने इस प्रकार के तीन प्रमुख कारकों का उल्लेख किया है—

(1) समाजीकरण मर्दव सुगम और एकमा (Smooth and Uniform) नहीं होगा। व्यक्ति विभिन्न समिकरणों यथा सत्याओं द्वारा समाजीकृत होता है, जैसे परिवार, स्कूल, साधियों, व्यवसाय और एक जीवधर्म समाज में लिखित शब्दों द्वारा। यदि यह सत्याएँ अपने विभिन्न मूल्यों पर बल देती हैं और इस प्रकार व्यक्ति को प्रत्यन्-यथाने मूल्यों की ओर आकर्षित करती हैं तो यामाविक है कि कुछ समूह-मूल्यों के प्रति व्यक्ति की अनुरूपता (Conformity to some group values) कम हो जाती है। उदाहरणार्थ, निम्न योगी के परिवारों के कुशाप बच्चों को स्कूल में उनके ग्राध्ययन के लिए प्रोत्साहित विद्या जा मकता है लेकिन पारिवारिक मूल्य (Family Values) उनमें बौद्धिक प्राकरक्षाओं की हतोत्साहित कर सकते हैं।

(2) गैर-अनुरूपता (Non-conformity) स्वयं से एक मूल्य हो सकती है और किसी भी मन्य मूल्य की माँति समाजीकरण के माध्यम से इसका भनारण हो सकता है। उदाहरणार्थ, व्यक्तियों को उन लोगों की प्रशंसा करना निखाया जा सकता है जो कि स्वतंत्र और गृहीं तक कि विद्वाही हैं।

(3) समाजीकरण के प्रकार पर व्यक्ति की यथानी असाधारण योग्यताओं का भी प्रभाव पड़ता है। नवजात शिशु की जैवकीय क्षमताओं और एक परिपक्व दयस्क की योग्यताओं के बीच जो सम्बन्ध होता है उसके बारे में हमें कुछ जात नहीं होता। यद्यपि सभी धर्मताओं का विद्याम समुचित प्रतिक्षण पर बहुत कुछ निर्भर करता है, को भी कुछ धर्मतादेशनकार जन्मजात होती है, जैसे कि होशियारी की क्षमता अथवा भगीर की प्रतिभा। स्पष्ट है कि व्यक्ति के समाजीकरण पर किसी न किसी सीधा तक इन धर्मताओं और प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। यद्यपि बच्चा वही सीखता है जो उसे मिलाया जाता है, लेकिन उसे जो कुछ सिखाया जाता है वह भी कुछ असो तक इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा वहा सीख सकता है।

1. Ibid, p. 87

प्रथमतः उसमें सीखने की कितनी क्षमता है। इस बात का अधिक स्पष्टीकरण उस विवरण से हो सकेगा जो हमने 'पृथक्कृत बच्चों' वाले शीर्षक के अन्तर्गत दिया है।

### समाजीकरण की प्रक्रिया (Process of Socialization)

समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों (Stages) का उल्लेख समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने किया है। फॉयड (Freud) ने सात स्तर बताए हैं तो जॉनसन (H M Johnson) ने चार स्तरों के माध्यम से ही समाजीकरण की प्रक्रिया की समझाया है। अद्यिम पत्तियों में हम प्रो॰ जॉनसन द्वारा दिए गए चार स्तरों—(1) मौखिक अवस्था, (2) शौच अवस्था, (3) तादात्मीकरण अवस्था, एवं (4) किशोर अवस्था का उल्लेख करते थे और तत्पश्चात् सधेप में अन्य तीन स्तरों का या सोपानों को भी सकेत रूप में लेंगे—युवावस्था, प्रोड अवस्था तथा वृद्धावस्था।

#### (1) मौखिक अवस्था (The Oral Stage)

यह बच्चे के जीवन की सबसे पहली अवस्था है। जन्म के समय शिशु प्रथम सकट का सामना करता है—उसे साँस लेनी होती है, पेट भरने के लिए अम करना पड़ता है, सर्दी-गीलेपन आदि असुविधाओं की पीड़ा सहनी पड़ती है और वह काफी रोता-चिलाता है। इस प्रकार सोपान या स्तर में समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभिक लक्ष्य मौखिक रूप से बच्चे की दूसरों पर निर्भरता को स्पष्ट करना है। शिशु अपना दुख-सुख मुँह के माध्यम से, मुँह के हाव-भाव से ही अभिव्यक्त कर पाता है। इस सोपान में शिशु अपने मोजन के समय के बारे में सकेत देने शुरू करता है।

मौखिक अवस्था के सोपान में, शिशु का पूरे परिवार के साथ सम्बन्ध नहीं हो पाता। वह परिवार में अपनी माँ के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। जॉनसन के शब्दों में “वह केवल उस उप-प्रणाली में बैंधा होता है जो उससे और उसकी माता से मिलकर बनी है।” परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, जैसा कि पार्मन्स ने कहा है, बच्चा केवल एक 'सम्पदा' से थोड़ा ही अधिक होता है। अभिप्राय यह हुआ कि बच्चे का सम्बन्ध केवल माँ से होता है और उसमें केवल यही विचार उत्पन्न होता है कि वह और उसकी माँ एक दूसरे से बिलकुल पृथक् नहीं हैं। इस स्थिति को फॉयड ने 'प्राथमिक एकरूपता' (Primary Identification) की सज्जा दी है। मौखिक अवस्था के सोपान में ही बच्चा अपनी भूख पर कुछ नियन्त्रण रखना सीख जाता है। उसे माँ के शारीरिक सम्पर्क से अनन्द भी अनुभव होने लगता है। समाजीकरण के इस प्रथम सोपान की अवधि शिशु के जन्म में एक-इंच तक की रहती है।

२५/८५ ३११

## (2) शौच अवस्था (The Anal Stage)

समाजीकरण के इस दूसरे सोपान का समय, सामाजिक वर्ग एवं परिवार-विजेत दर निभंत करता है। हमारे समाज में इस स्तर पर सोपान का आरम्भ हम डेढ़ वर्ष की आयु से भान सकते हैं और तीन-चार वर्ष की आयु में यह समाप्त हो जाता है। इस स्तर पर बच्चे से श्राद्धा की जाने लगती है कि वह शौच सम्बन्धी क्रियाओं को सीखकर उन्हे स्वयं करे। बच्चे को नियत स्थान पर शौच करने, हाथ धोने, कपड़े गम्बे न करने आदि की शिक्षा दी जाने लगती है। इस सोपान में बच्चा दो भूमिकाएँ निभाने लगता है—वह माँ से प्यार की इच्छा ही नहीं रखता बरन् स्वयं भी माँ को प्यार देता है। जॉनसन के गद्दो में, “मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि इस सोपान में बालक के लिए मन एक प्रकार का दान है, अपनी माता के प्रति उसके प्यार का प्रतीक। दूसरी ओर टही न फिरना, या गलत समय पर फिरना अवहेलना की अभिव्यक्ति है। सही व्यवहार करने पर बच्चे को माँ का प्यार मिलता है और गलत व्यवहार को रोकने के लिए उसे दण्ड भी दिया जाता है।” प्राय सभी ममाजों ने बालक को तहीं और गलत व्यवहार को रोकने के लिए उसे दण्ड भी दिया जाता है। ऐसा पहले तो समाजीकरणकारी द्वारा कुछ सकेत देख दिया जाता है और बाद में सही व्यवहार के लिए पुरस्कृत करके और गलत व्यवहार के लिए पुरस्कृत न करके किया जाता है।

समाजीकरण के दूसरे सोपान का इस दृष्टि से महत्व है कि इसमें समाजीकरणकारी (माता या परिवार के सदस्य) की दौहरी भूमिका होती है उदाहरण के लिए माँ पहले तो एक सीमित-सी सामाजिक प्रणाली (जो उसके और बालक के बीच अन्त किया से बनती है) में भाग लेती है एवं दूसरे, वह मारे परिवार में भाग लेती है। फलस्वरूप व्यतिरिक्त को विविधता के आन्तरिक तत्त्व समाजीकरण के इसी सोपान में उत्पन्न होने लगते हैं। माना और परिवार के सदस्यों द्वारा स्नेह, कोश, सहयोग और विरोध का जो प्रदर्शन होता है वह बच्चे में भी प्रेम या तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है। शौच सोपान की अवस्था में बालक मामूली दौलते लग जाता है और चलने किन्तु लग जाता है। उसके सामाजिक सम्बन्धों का कुछ विकास हो जाता है, किंतु वह माता-पिता भाई-बहिन से अन्त किया करने का प्रयास करता है। जर्दाक प्रथम सोपान में यानी मौर्यिक अधस्था का मरम्य उत्तरी सम्बन्ध केवल माँ से रहना है।

## (3) तात्त्वात्मकरण अवस्था (The Identification Stage)

जॉनसन के अनुसार यह सोपान प्राय चौथे वर्ष से आरम्भ होकर बारह-तेरह वर्ष की आयु तक रहता है। इस स्तर के आरम्भ से बच्चा भूते परिवार से सम्बद्ध हो जाता है। यद्यपि शौनिक व्यवहार से वह पूर्णत परिचित नहीं होता, लेकिन अध्यवृत्त रूप से उसके भीतर यौन-भावना विकसित होने लगती है। बच्चे से प्राणी की जाने लगती है कि वह अपने निग के अनुरूप (अर्थात् लड़कों या लड़की के प्रनुरूप) प्राचरण करता था वह कर। अनुकूल व्यवहार करने पर बच्चे को स्नेह मिलता

कि युवा वालक अथवा वालिक मादारणा रूप में अपने माला-पिता के नियन्त्रण से प्रधिकाधिक युक्त हो जाते हैं।" सामाजीकरण की प्रक्रिया में यह सोचन सबसे धैर्यिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें एक और तो किंगोर प्रधिकाधिक स्वतन्त्रता चाहने लगता है और दूसरी और परिवार के सदस्यों तथा विभिन्न ममूहों द्वारा उसके सभी व्यवहारों पर कुछ न कुछ नियन्त्रण रखा जाता है। किंगोरावस्था में बच्चे से पह आशा की जाने लगती है कि वह अपने घारे में प्रहृत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रवृत्ति का विकास करे। उसे यह सीख दी जाती है कि निर्णय लेने के समय वह पारिवारिक परमाराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को व्याप में रखे। यद्यपि इस प्रकार के नियन्त्रण सामान्यतः किंगोर की मादारणों के प्रतिकूल होते हैं, लेकिन उसे इनके अनुकूल ढलना पड़ता है। यही कारण है कि इन सोचन में बच्चे में कुछ न कुछ तात्त्वाव भवित्व बने रहते हैं।

किंगोरावस्था के साथ वालक के शरीर में कुछ स्पष्ट आरीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। यदि यीन-कमे को उन्हें पर्ने सूट दी जाय तो वोई समस्ता प्राप्त खड़ी नहीं होती पर चूंकि यह सूट नहीं दी जाती, अतः परिवर्तनों से किंगोर के भव में व्यवस्थाका के प्रति दोनों मादानाएँ गहरी होती रहती जाती हैं—प्रतिवर्त्यों के प्रति अधोर होकर स्वतन्त्रता को कामना करना और माप ही स्वतन्त्रता में मध्यभीत भी रहती।

किंगोरावस्था में दानका न केवल परिवार के बरन अन्य ममूहों के मदम्यों के व्यवहारों में भी प्रभावित होता है। वह यडोन, विद्यालय, सेन के साधियों और नवागन्तुकों के सम्पर्क में आता है तथा इन सभी के विचारों और व्यवहारों के साथ उसे समायोजन (Adjustment) करना पड़ता है। यही समाजीहरण की प्रक्रिया उन विभिन्न निषेपात्मक नियमों (Incest Taboo) में प्रभावित होती है जिनका किमी भी यस्कृति में विशेष महृष्य होता है। किंगोरावस्था समाजीकरण-प्रक्रिया का वह सोचन है जिसमें किंगोर को अनेक नए प्रनुभवों और परिस्थितियों का मादाना करना पड़ता है जिनका मादाना उसे पहले नहीं करना पड़ता था। किंगोर के प्रनभव उसे विभिन्न परिस्थितियों का मादानीकरण (Generalization) करना सिद्धात है। इस मोशन के प्रनिम चरण में उसमें तुङ्ह-तुङ्ह नीतिकृता की मादाना भी जाप्त रहती है।

अमेरिका जैसे अकिञ्चनी देशों में जो किंगोरावस्था ये ही रिगोरों को अवश्य में भी लग जाना पड़ता है। इस प्रकार किंगोर और आवश्यायिक और पारिवारिक दोनों दायित्वों को निभाना सीखना पड़ता है।

समाजीकरण के अन्य सोचन मुद्रावस्था, प्रोडावस्था तथा घट्टावस्था

उपरोक्त चार समाजीकरण के मुख्य सोचन हैं, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इन सोचनों के पूरा ही जान के बाद मादानीकरण होना ही नहीं है।

वास्तविकता यह है कि ये चार सोपान व्यक्तित्व के लिए विशेष रूप से रचनात्मक हैं, जिनकी हमारा प्राधारभूत व्यक्तित्व (Basic Personality) इस काल तक बन चुका होता है। लेकिन इन सोपानों के उपरान्त भी समाजीकरण की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है और जन्म तीन अन्य सोपानों से गुजरती है जिन्हे हम युवावस्था (The Youth), प्रौढ़ावस्था (The Adult age) तथा बृद्धावस्था (The Old age) कहते हैं।

युवावस्था में, जबकि व्यक्ति युवक हो जाता है, उसे अनेक कई प्रस्तियतियाँ प्राप्त होती हैं और उनसे सम्बन्धित भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। वह एक साथी, एक अधिकारी, एक सेवक, पति और पिता, दामाद, जीजा, साढ़ू आदि की प्रस्तियतियाँ प्राप्त करता है और तदनुसार नई भूमिकाएँ निभाना सीखता है। नई प्रस्तियतियों के अनुकूल भूमिका-प्रत्याशाओं (Role-expectations) का उसे निर्वाह करना पड़ता है और वही बार भूमिका-सघर्ष (Role-conflict) का सामना करना पड़ता है। युवावस्था वह शायु होती है जो व्यक्ति के जीवन में उत्तरदायित्व के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ला पटकती है।

प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति पर और अधिक उत्तरदायित्व आ जाने हैं। उदाहरणार्थ दब्बे बड़ हो जाते हैं जिनकी शिक्षा, विवाह आदि की व्यवस्था करनी होती है। व्यावसायिक समूहों में व्यक्ति को अधिकृत प्रस्तियति प्राप्त हो सकती है और परोन्ति के नए कर्तव्यों को निभाना पड़ सकता है। पर वयस्कों को समाजीकरण करने में वोई विशेष कठिनाई नहीं होती, उन्हें तो केवल नई स्थिति से समायोजन करना पड़ता है। जीनसन के अनुसार, वयस्कों का समाजीकरण तीन मुख्य कारणों से प्राप्त मरल होता है—(क) वयस्क सामान्यतः उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने को प्रेरित होता है, जो वह स्वयं देख चुका है, (ख) जिस नई प्रस्तियति को वह आनंदीकृत (Internalize) करने का प्रयास कर रहा है उसमें और उसकी पुरानी स्थितियों में काफी सामग्री होता है, एवं (ग) समाजीकरण करने वाला माना के भाघ्यम से सीखने की सामग्री को सरलता से बोतापन्थ करा सकता है।

बृद्धावस्था में व्यक्ति में विभिन्न शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आ जाते हैं तथा समाजीकरण की काफी आवश्यकता होती है। दादा, परदादा आदि के रूप में उसे नई प्रस्तियति प्राप्त होती है और तदनुकूल भूमिका निभानी पड़ती है। चूंकि वह प्राप्त कमाऊ सदस्य नहीं रहता अत परिवारिक स्तर पर दूसे द्यावनी इच्छु के प्रतिकूल अनेक बातों से समायोजन करना पड़ता है। यदि वह अनुकूलत कर पाता है तो कई तनावकोरी स्थितियों से बच जाता है। सारीश में, दृढ़ व्यक्तियों को सामाजिक, व्यावसायिक और वैचारिक क्षेत्रों में अनेक समायोजन करने पड़ते हैं। उन्हें नई परिस्तियों में व्यवहार के नए प्रतिमानों को सीखना ही नहीं पड़ना बल्कि उनके सन्दर्भ में आचरण भी करना पड़ता है।

स्पष्ट है कि समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती

है। जीवन में नई-नई प्रतिपत्तियाँ नए प्रकार के समाजीकरण के द्वारा खोन्ती रहनी हैं और व्यक्ति समाजीइत होना जाता है। परं जौँकि प्रथम चार सोपानों से अर्थात् किसोरावस्था तक व्यक्ति का मूलभूत व्यक्तित्व बन चुका होता है, अत इसके बाद समाजीकरण की प्रक्रिया स्वतं चालिन (Automatic) मान ली जाती है।

### पृथक्कृत बच्चे वे व्या प्रदर्शित करते हैं ? (Isolated Children : What they Show ?)

समाजीकरण एक जीवन-न्यूनत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति का समाजी-करण करते म परिवार, श्रीदा-समूह, शिक्षण संस्थान, विदाह आदि विभिन्न संस्थाओं का महत्वपूर्ण योग होता है। किससे डेविस (Kingsley Davis) ने समाजीकरण की प्रभावी करने वाले इन विभिन्न कारकों मे कुछ ज़ंबकों विशेषताओं को भी महत्वपूर्ण स्वान दिया है। डेविस का प्रभिमत है कि इन्हीं की सहायता से व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से अनुकूलन की क्षमता प्राप्त करता है। डेविस न पूर्ण पृथक् बच्चों की मालियाँ प्रस्तुत की हैं और कहा है कि “ऐ साक्षियाँ स्पष्ट करती हैं कि समाजीकरण का स्तर जैवकीय विकास के स्तर से इनी परिक मात्रा मे अत्यधिक तर ये सह-सम्बन्धित हैं।”

डेविस ने दो बच्चों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। पहला एक अर्द्ध बच्चा था जिसका नाम अश्वा था। इसके दादा इसकी माँ के घरहार मे बड़ी बूढ़ा करने लगे थे अत उन्होंने बच्चे को एक पृथक् कमरे मे बन्द कर दिया। फलस्वरूप बच्चे का बेबल इतना ही पोषण हो सका था कि वह जीवित रह सके। लगभग 6 वर्ष की अवधिया म जब उसका पता नहा तो उसे कमरे से बाहर निकाला गया। उस समय न तो अश्वा चल सकती थी, न बातें कर सकती थी न कोई ऐसे कार्य कर सकती थी जिसस उत्तमी बुद्धि का पता लगता। शरीर से वह अत्यन्त दीर्घ थी। वह भावहीन और प्रत्येक के प्रति निहत्साही थी। वह एक ऐसी मानव-प्राणी थी जिसे 6 वर्ष तक समाजीकरण का अवसर नहीं मिला था। डेविस के अनुमार, ‘उसकी इश्ता देखने मे जात होता है कि केवल हमारे जैविक साधन, यदि उन्हें अद्वेत कार्य करने के लिए दोड़ दिया जाए तो वे हमे पूरा व्यक्ति बनाने मे कितना कम जशदान दे सकते हैं। लगभग साड़े चार वर्ष के उपरान्त उन अश्वा की पाण्डू रोग से मृद्यु हड़ी तो उस समय तक वह कर्त्ता प्रदर्शन कर चुका थी। उसने सकेत पर कार्य करना, भोजनों चिरोना, कुछ रगी को पहचानना मिट्टी के धरीदे बनाना तथा मुन्दर मुन्दर चिंटो के भेद को समझना सीख निया था। मगीन उम चन्द्रा नगने लगा था और एक गुडिया को वह प्यार करने लगी थी। वह मात्र क्षण पहलना परम्पर करनी थी तथा दूसरे बच्चों का अहृणना देने वी कोशिश करनी थी। मध्ये पर यथा की उच्छित यह बतला रही थी कि समाजीकरण की प्रक्रिया चादि छहने समय बाद भी आरम्भ हो, तो भी वह उसका

एक मनुष्य बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अन्ना की बहुत शीघ्र मृत्यु हो जाने से समाजीकरण की पूरी उपयोगिता का पता नहीं लगाया जा सका। यह जात नहीं हो सकता जिसके समाजीकरण की प्रक्रिया दैर में आरम्भ होने से उसका कितना सुग्राह हो सकता था। पर, इतना निपिचत स्वर से सत्य है कि अन्ना न बहुत प्रगति की थी और यदि वह पृथक् रहती तो इनी प्रगति कभी न कर पाती। यदि वह विन्दुन् पृथक् कर दी गई होती तो वचन में ही मर जाती। पर दूसरे के माध्यम सम्पर्क के बल शारीरिक प्रकार का ही था जिसमें उसे सबहनात्मक अन्त किया (Communicative interaction) का अवसर नहीं मिलता। अतः उसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 'सबहनात्मक सम्पर्क' (Communicative contact) समाजीकरण का बेन्द्र-विन्दु है।'

डेविस ने पूर्ण पृथक्करण का दूसरा हृष्टान्त इजावेला का दिया है। यह लड़की भी नगभग उसी समय और उसी प्रकार वीं परिस्थितियों में मिली जबकि वह करीब माड़े छँ वर्ष की थी। वह भी एक अवंध बच्ची थी जिसे पृथक् रखा गया था। उसकी माँ गौमी-बहरी थी और ऐसा लगता था कि वह तथा इजावेला एक अन्धेरे कमरे में अपना अधिकांश समय बिताती थीं। फलस्वरूप इजावेला को बौल-सीखने का अवगत नहीं मिला। वह मां से बात करती थी तो विशेष भाष्यों को बनाती थी। गरीर से वह अत्यधिक शियिन और थीरण थी। किसी भी नवागम्भुक के प्रति उसका अवहार जगली जानवर जैसा था। जब इजावेला वे प्रशिक्षण वीं एक व्यवस्थित और क्षमता-पूर्ण योजना बनाई गई तो आरम्भ में तो यह कार्य निर्धारक प्रतीत हुआ, लेकिन धीरे-धीरे आशाजनक फल निकलने लगा। आरम्भ में प्रतीत होने वाली बाधाएँ समाप्त हो गई और एक आश्चर्यजनक घटना पटी। एक से छँ वर्ष तक के सामान्य बच्चे डिम प्रकार क्रम से सीधते हैं, उसी प्रकार इजावेला ने क्रम से शीखना आरम्भ किया, लेकिन सामान्य बच्चों की अपेक्षा तेजी से। साड़े आठ वर्ष की अवस्था तक वह एक मामान्य स्तर तक पहुँच गई, यद्यपि उसकी प्रशिक्षा एक और तीन वर्ष के बीच ने बच्चे के समान आरम्भ हुई थी। मध्येष में, इजावेला ने दो वर्ष में उतनी सीधे प्राप्त कर ली जिसके लिए साधारणतः दो वर्ष की आवश्यकता होती है। कुछ समय बाद उसने विद्यालय में प्रवेश किया जहाँ वह स्कूल के प्रत्येक कार्यक्रम में मांग लेनी नहीं।

डेविस का कहना है कि अन्ना और इजावेला, दोनों का आरम्भ में बीदिक स्तर शून्य विन्दु पर था और दोनों का बीड़िक स्तर बाद में बाफी उच्च विन्दु तक पहुँच गया, पर इजावेला दो वर्ष में ही सामान्य बुद्धि की हो गई जबकि अन्ना साड़े चार वर्ष के बाद भी बहुत पिछड़ी हुई रही। इस मिलता का क्या कारण है? डेविस का विचार है कि-

"सम्भवत अन्ना दा अन्मज्जत सामर्थ्य कम था। किन्तु शायद इजावेला दा अपनी माँ का भिन्नतापूर्ण सम्पर्क शिशु काल में अधिक मिला था, उससे पान के बाद उसकी शिक्षा के लिए नियमित दुग से बड़े अध्यवसायपूर्व प्रवर्तन भी किया गया था।"

बड़ा होता जाना है, विशेष रूप से एक जटिल और विभिन्नतापूर्ण समाज में, योंत्वों वह भीखता है कि सन्तोष के और भी वंकलिक स्रोत हैं और मूल्यों में चुनाव (A choice among values) का अस्तित्व है।<sup>1</sup>

जन्म के समय बच्चे में केवल ऐसी क्षमता है विद्यमान होनी है जिनका विकास करके उसे एक सामाजिक मानव बनाया जा सके। यह कार्य विभिन्न प्राथमिक ममूलों और स्थियाओं द्वारा किया जाना है। अतिक्रम इनसे जितना अधिक अनुकूलन कर पाना है, समाजीकरण की प्रक्रिया उतनी ही मुगम और पूर्ण होनी है। अनुकूलन न कर पाने अथवा कम होने का अभिप्रय है व्यक्तित्व का प्रविक्षित रह जाना। बालविकास से नवर जीवन-पद्धति विभिन्न समूहों और स्थानों का व्यक्ति के समाजीकरण में योग होता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख समूहों और स्थानों को लेंगे।

### (1) परिवार (The Family)

परिवार वह प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण स्थाया है जो बच्चे के समाजी-करण के लिए सबाधिक उत्तरदायी है। बच्चा परिवार में जन्म लेता है और माँ तथा परिवार के द्वन्द्व सदस्यों के सम्पर्क में आता है। वह उनके व्यवहारों से प्रभावित होने लगता है और शनै-शनै उन्हीं के व्यवहारों का अनुकरण भी करने लगता है। परिवार का प्रभाव प्राथमिक, स्थाई और यान्त्रिक होता है। परिवार में उमेर भाषा भस्तृति और व्यवहार-प्रतिमान मिलते हैं। परिवार में ही उमेर प्रभिति के बाय का ज्ञान होता है। परिवार के सदस्यों के पारस्परिक प्रय, स्वन्ह त्याग, भविकार मार्ग-निर्देशन आदि वा बच्चे के व्यक्तित्व पर जितना प्रभाव पड़ता है उतना व्यक्ति की मस्त्या का नहीं। अनुकरण (Imitations) की प्रक्रिया परिवार में जितनी स्पष्ट होती है उतनी अव्यक्त कही नहीं। परिवार के सदस्यों के ग्रान्तरणों से पारिवारिक नियमों परम्पराओं और आदानों से व्यक्ति में प्रारम्भ में ही अनुशासित-जीवन की भावना का विकास होता है। यही अनुशासन उसे भविष्य में राज्य के नियमों का पालन करने में और सामाजिक मूल्यों का समाज के एक अनुशासित मदहूय के रूप में गम्भीर करने में सहायता देता है।

बच्चा भविकाशत अपने परिवार का प्रतिष्ठा होता है। समाजीकरण की हृष्टि से स्वदृष्टि परिवार का विजेप महत्व है। परिवार का विष्टन समाजीकरण में बाधक होता है यही कारण है कि विवरित परिवार (Broken families) के बच्चों में प्राय प्रपराधी प्रवृत्तिया का विकास होता है। माता पिता की उक्तता या असफलता युवा विवार या अमृत विवार परवार के ढग चेहर पर पड़ने वाली विकासों आदि वा बानव पर मारी प्रभाव फैलता है। इनसे उत्तरा भावी व्यक्तिगत भाविति होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार व महत्व को इग्निट करते हुए ठरमन ने तो यहा तक वह दिया है कि कवल व वन्व ही विद ह वा मुलमप बना

1. Broom and Selznick op cit P 98-99

मक्ते हैं जिनके माता-पिता का पारिवारिक जीवन सुखी या। इसमें संदेह नहीं कि विषट्टि परिवार बच्चे का समाजीकरण करते ये प्रायः असमर्थ रहते हैं ग्रथवा प्रौढ़िक सफल नहीं हो पाते।

### (2) कीड़ा समूह (Play Groups)

ममाजीकरण करने वाला दूसरा प्राथमिक प्रमुख समूह कीड़ा-समूह है। बच्चों का ममकं समने लेने के माध्यों में होता है और उसे विभिन्न ग्रामशाँ, रुचियों तथा स्वभाव वाले दूसरे बालकों के साथ पनुकूलन करना पड़ता है। इससे बच्चे में अपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण ग्रथवा यानी इच्छाओं का दमन करने की शक्ति विकसित होती है। खेल में विजय और पराजय से बच्चे में दो महत्वपूर्ण सामाजिक गुण प्राप्त हैं—एक ग्रामन करने या नेतृत्व करने का और दूसरे, कमी-कमी परिस्थिति के अनुमार स्वयं दूसरे का अनुसरण करने का। ये गुण बच्चे को आगे चल कर समाज की लगभग प्रत्येक मिथ्यि से सन्तुष्टिन करते ही अमना प्रदान करते हैं। प्रायः देखा गया है कि कीड़ा-समूहों में लोकप्रिय और बुजल मिड होने वाले बच्चे भविष्य ने भी जीवन में मफल व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं।

जो बड़ी-बड़ी बातें बच्चे परिवार में लड़ी सीख पातं वे अपने संलग्नियों ग्रथवा मित्रों के समूह में उन्हे जानने को मिल जाती है। इस तथा मेडिनिक ने लिखा है कि मित्रों के समूह (Peer Groups) में सामाजिकता सीखी जाती है। हम महायोग और सहिष्णुता स्वतं ही मित्रों के समूहों में सीखने चले जाते हैं। बच्चे के लिए मित्रों के समूह मिलने-जुलने को इच्छि से तथा समाजीकरण के लिए ग्रामशक्ति और महत्वपूर्ण हैं—विशेषकर प्राधुनिक जटिल समाज में जहाँ कि नागरीय परिवार द्वेष होते हैं और बाह्य समाज से भी दूनका समर्पक कर होता है। मित्रों के समूह में वह ज्ञान भी मिल जाता है जो परिवार में नहीं मिल पाता।

### (3) पड़ोस (Neighbourhood)

पड़ोस वह तीसरा महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है जो व्यक्ति के समाजीकरण में सहायता है। बच्चों के लिए पड़ोस घधिकाशत मिथ-समूह के रूप में ही होता है, सेवन वयस्कों के लिए यह समाजीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। ग्रामीण जीवन में जहाँ जीवन की धैर्यक मनिदिव्यियां प्राप्त, पड़ोस तक ही सीधिन रहती हैं वहाँ उमका महत्व समाजीकरण की प्रक्रिया में लियन्नर इना रहता है। तारीख-तीक्ष्ण में पड़ोस यथां छोटा होता है और कई बार नो एवं मरान में रहने वाले लोग भी वरन्दर परिवार नहीं होते, किंतु भी समाजीकरण में पड़ोस का धोगदान रहता ही है। साथ ही यह सीखना होता है कि पड़ोसियों से बेसे व्यवहार विद्या जाय। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि बानक देव-रेख, पहाड़े, बान-बीत के ढग आदि की अनक बातें अनजाने ही पड़ोसियों में सीख लेने हैं।

### (4) नातेदारी-समूह (Kin-Groups)

समाजीकरण करने वाली पन्थ प्राथमिक सम्प्ति नातेदारी-समूह है, जिसमें वे

लोग आते हैं जो जन्म अवधा॒र विवाह के आधार पर हमसे सम्बन्धित हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ हमारा एक-सा व्यवहार नहीं होता, क्योंकि हमारे सम्बन्धियों में भाई-बहित, जीवन-साथी, साने-माली, माम-जवाहर, उनके दूर के सम्बन्धी यादि सम्मिलित होते हैं। किमी से हँसी-मजाक के सम्बन्ध होते हैं तो फिरी से परिहार्य के सम्बन्ध। इन मब के अलग-अलग सम्बन्ध-प्रतिमान होते हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं। इस प्रकार नानेशारी सभूह समाजीकरण में विशेष भूमिका यदा करता है।

### (5) विवाह (Marriage)

समाजीकरण करने वाली एक अत्यन्त प्रमुख और प्राथमिक स्थाया विवाह है। वैसे तो यह नानेशारी सम्बन्धों का ही एक प्रकार है, पर इसका अन्य सम्बन्धों में विशिष्ट स्थान है। वैवाहिक जीवन व्यक्ति का बस्तुत नवीन जीवन होता है। इस जीवन का प्रारम्भ होते ही व्यक्ति को स्वयं के तथा अपनी पत्नी के व्यवहारों के द्वीच नवीन सन्तुलन स्थापित करना पड़ता है। विवाह से पूर्व जो युवक और युवती पृथक्-पृथक विचारघाराओं, आदशों रहन-सहन और प्रथाओं के मध्य रहते आए थे, वे ही विवाह के बाद पति-पत्नी के रूप में एक दूसरे वे व्यवहारों, आदशों व विचारों में सन्तुलन बनाए रखने की जेठ्ठा बरते हैं। वही वैवाहिक जीवन सर्वाधिक मफ़्न होता है जिसमें पति-पत्नी को मनोवृत्तियों में प्रधिकारिक एकत्रिता आ जाती है। अनुकूलन वी यह भावना जिन्हीं अधिक होती है, समाजीकरण की प्रक्रिया उतनी ही अधिक सफल होती है। विवाह में व्यक्ति अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनता है। उसकी अत्यक्तवादी भावना अपेक्षाकृत शिविल हो जाती है और उसके स्थान पर पारिवारिक कल्याण की भावना अधिक विकसित होती है। उसमें त्याग भावना का विकास होता है और वह कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है। व्यक्ति की ये मरी दशाएँ समाजीकरण म सहायक होती हैं। यदि वैवाहिक जीवन से अनुकूलन नहीं हो पाए तो समाजीकरण की प्रक्रिया में बड़ी बाता उत्पन्न हो जाती है।

### (6) शिक्षण संस्थाएँ (Educational Institutions)

इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हृतीयक संस्थाओं का वास्तविक प्रभाव तब ग्राम्य होता है जब यात्रक किशोरावस्था को पार कर जाता है। यह वह अवस्था होती है जिसमें बच्चे में नवीन विचार उत्पन्न होने लगते हैं। पत्र-पत्रिकाओं के पढ़ने में, पुस्तकों के ज्ञान और साहित्य की मीमांसा में बच्चे के सैद्धान्तिक अनुभवों में बृद्धि होती है। बच्चे में उन आदतों का निर्माण होने लगता है जो जीवन-पर्यन्त उसके व्यक्तिगत का अभिन्न अंग बनी रहती हैं। शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक और थेट विद्यार्थी बच्चे के लिए आदर्श नमूना बन जाते हैं और समाजिकता की प्रक्रिया महायात्रा होती है। इस रूप में बच्चे के शारीरिक अवयवों में विकास होता है यत् उसमें नवीन भावनाओं जन्म लेती है। इन भावनाओं के अनुमान ही व्यवहार-प्रतिमानों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। बच्चे को शिक्षण संस्था में अपने से मिय आपु एवं लिंग के सदस्यों में अनुकूलन करना पड़ता है। इस प्रकार उसकी अनुकूलन

क्षमता या अभियोजनशीलता (Adaptability) में विकास होता है। शिक्षण सम्याचों में बच्चे में अनुशासन की भावना बहु पकड़ती है और अनुशासन समाजीकरण का आधार है।

### (7) अन्य संस्थाएं (Other Institutions)

समाजीकरण जीवान-पर्यावरण जलनी रहने वाली प्रक्रिया है और इसके प्रत्येक स्तर पर सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करना पड़ता है, प्रत केवल समृद्धि और सम्पाद्य ही नहीं बल्कि योग भी प्रतेरु प्रकार की सम्पाद्य व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व को प्रभावित करनी रहती है। इन विभिन्न प्रकार संस्थाओं को हम विभिन्न विभिन्न शीर्षकों में वर्णियकर कर सकते हैं—

(अ) राजनीतिक संस्थाएं (Political Institutions)—ये सम्पाद्य व्यक्ति को शासन, कानून और अनुशासन ने परिवर्तन रखती है। उनमें डाक राजनीतिक दौड़ और समाज-दर्जन की मम का पाने है। राजनीतिक संस्थाएँ में विश्वास-ममा राजनीतिक दल, दबाव एवं हित समृद्धि, सरकार आदि सम्मिलित हैं। इन संस्थाओं में ही व्यक्ति को अपने प्रधिकारों प्रौढ़ करनेवालों का बोध होता है। द्वितीयक समृद्धि से अनुकूलन करने में राजनीतिक संस्थाओं का ज्ञान वश महायक होता है।

(ब) आर्थिक संस्थाएं (Economic Institutions)—विभिन्न आर्थिक संस्थाओं के आधार से व्यक्ति प्रतिवर्द्धा व्यवस्था, सहकारिता, समायोजन आदि के सिद्धान्तों को सीखता है। इम प्रकार समाज में अनुइकूलन कारण उसके लिए अधिक गरल हो जाता है। आर्थिक संस्थाओं के कनस्वरूप ही व्यक्ति विभिन्न व्यावसायिक मध्यों से सम्बन्धित होता है। आधुनिक युग में आर्थिक जीवन की सफलता समाजीकरण को गफल बनाने में अद्यतिक सहायक है।

(स) धार्मिक संस्थाएं (Religious Institutions)—धार्मिक संस्थाओं में शास्ति, च्याप, पवित्रता, सचिन्तन और सेनिकता के प्रति प्रेम विकसित होता है। वह हर त्वरित में प्रसव रहना और अपना कर्तव्य पालन करना सीखता है। धार्मिक संस्थाएँ हमारे विश्वासों को दृढ़ करना मिलाती हैं। हिन्दू धर्म ने व्यक्तिगत समाजीकरण में जितना योग दिया है वह सम्मिलन विषय के अन्य किसी भी समाज में देखने वाली नहीं मिलता।

(द) सांस्कृतिक संस्थाएं (Cultural Institutions)—ये सम्पाद्य व्यक्ति को समाज की समृद्धि में पर्यावरण करती हैं। प्रथाओं, परम्पराओं, माहित्य विज्ञान व वा, भाषा आदि से जितना व्यक्तिक अनुकूलन दोई व्यक्ति का सुनना है उनमा ही अविक उसके व्यक्ति व वा विकास ही पाता है। समृद्धिक सम्पाद्यों द्वारा जानावरण का नियमण वर्तती है जिसमें व्यक्ति सरलतापूर्वक अनुकूलन कर पाता है।

इस विवेचन में स्पष्ट है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही सम्पाद्य योग समृद्धि का व्यक्ति के समाजीकरण में प्रशंसनीय दोगदान है। सामाजिक सीधे भी प्रक्रिया

विभिन्न मस्थायों अथवा एजेन्सियों के द्वारा क्रियाशील होती है। व्यक्ति इनसे जितना अनुकूलन कर सकता है समाजीकरण की प्रक्रिया उतनी ही प्रधिक पूर्ण होती है।

### समाजीकरण के सिद्धान्त

#### (Theories of Socialization)

समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। उन्होंने इस प्रकार के प्रश्नों का उन्नर देने का प्रयास किया है कि समाजीकरण कैसे होता है, बालक के मस्तिष्क में समाजीकरण की प्रक्रिया में वया प्रेरणाएँ कार्य करती हैं, आदि। कूल, मीड, फॉयड दुर्खाम मादि समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धान्त को बालक में “आत्म विकास” (Development of the Self) के आधार पर समझा है। अत इन समाजशास्त्रियों के सिद्धान्तों को जानने में पूर्व हमें समझ सेना चाहिए कि “आत्म” है क्या? “आत्म” (Self) से अभिप्राय बालक द्वारा अपने अस्तित्व के बोध में है। डेविस के शब्दों में, “बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब सबहनात्मक मम्पर्क (Comminunitive Contact) होता है, तब ‘आत्म’ का विकास होता है। आत्म ‘एक मानसिक तत्त्व है शारीरिक सत्ता नहीं। जब बालक अपने आप को पहचान जाय, आपने स्वयं के मन्दर्भ में और दूसरों की हटिट में तो इसका अभिप्राय है कि बालक को अपना अस्तित्व-बोध हो गया है। “आत्म अथवा ‘स्व समाजीकरण का केन्द्र विन्दु है क्योंकि व्यक्ति को ‘आत्म’ ज्ञान के बाद ही व्यक्तित्व प्राप्त होता है। “आत्म” मनोवैज्ञानिक अस्तित्व का बोध करता है। ‘आत्म’ का अभिप्राय यहीं परम्परा अथवा अहकार से नहीं बल्कि “अपने स्वयं के बारे में जान से है—ऐसा ज्ञान जो समाज में अन्त किया करने के लिए व्यक्ति को समर्थ बनाता है।

इस पृष्ठभूमि के उपरान्त नव हम कमश कूले मीड फॉयड और दुर्खाम के सिद्धान्त को लेंगे।

### कूले का सिद्धान्त

#### (Cooley's Theory of Socialization)

चाल्स कूले न समाजीकरण के अपने सिद्धान्त को व्यक्ति तथा समाज के बीच सम्बन्धों और उनके मूल्याकान के आधार पर स्पष्ट किया है। कूले का अभिप्राय है कि व्यक्ति और समाज वे सम्बन्धों पर जो मैदानिक व्याकरणों की गई हैं वे वाम्तव में भ्रामक हैं। मनुष्य की प्रक्रिया का निर्माण पारस्परिक सम्पर्क में होता है सम्पर्क द्वारा ही व्यक्ति एक दूसरे के विचारों को समझ पाता है और उन्हीं के आधारों पर अपने बारे मापदं धारणा बनाता है।

कूले के अनुमान प्रत्यक्ष बालक निम्नलिखित नीन प्रवस्थाओं पर विचार करता है—<sup>1</sup> (अ) दूसरे लोग भेर बारे में क्या माचत है? (ब) दूसरे लोगों ने जो धारणा भेर बारे में बनायी है उम्बर मन्दर्भ में अपने बारे में क्या सोचता है?

१ विद्यो एवं शोषणम् ‘समाजशास्त्र विवेचन से उदयृत, पृष्ठ 128.

(स) मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कौन सा भावना हूँ, प्रथात् स्वय को हीन समझता हूँ या थेण्ट ? कूले का कहना है कि समाज रूपी दर्पण में व्यक्ति अपना विन्द देखता है। जिस प्रकार हम दर्पण में देखते हैं कि हमारे वस्त्र स्वच्छ हैं अथवा नहीं, मुँह साफ है या उस पर कुछ लगा हुआ है, उसी तरह बालक इस समाज रूपी दर्पण में प्रथात् समूह की हस्ति में अपने बारे में जानना चाहता है। दूसरे लोगों का उसके प्रति जो व्यवहार है, वही उसके लिए दर्पण है जिसमें वह स्वय को देखता है। जब उसे पता चल जाता है कि समाज की उसके बारे में क्या धारणा है तो फिर वह अपने बारे में राय बनाता है और फलस्वरूप अन्ततः इस राय से या तो उसके मन में हीनता के भाव जापत होने हैं अथवा थेण्टता के भाव पैदा होते हैं।

कूले ने अपने सिद्धान्त में समाजीकरण और आत्म-विकास का सीधा सम्बन्ध घटाया है। "आत्म" प्रथवा "स्व" का विकास समाजिक अनुभव का विषय है और यह सामाजिक अन्त किया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। "व्यक्ति समाज के द्वारा अपना मूल्यांकन करता है और उसी के अनुभार हीनता या थेण्टना का अनुभव कर अपने समाजीकरण की दिशा निर्धारित करता है। कूले का सिद्धान्त यह सिद्ध करता है कि व्यक्ति समाज का प्रतिबिम्ब है, यह प्रतिबिम्ब अन्त किया और सामाजिक मानदण्डों के परिपालन के रूप में और भी स्पष्ट भलकता है।"<sup>1</sup>

### मीड का सिद्धान्त

#### (Mead's theory of Socialization)

हम कह चुके हैं कि "समाजीकरण का केन्द्र-बिन्दु 'आत्म' (Self) या 'महसू' (Ego) का उद्भव और क्रियिक विकास है। 'आत्म' की पदावली में ही व्यक्ति का एक रूप निश्चित हीता है तथा सम्बिल अपना कार्य आरम्भ करता है।"<sup>2</sup> जांजे एवं योड़ का विचार या कि "आत्म" की एक यहस्त्वपूर्ण विशेषता उसका सहज क्रियात्मक चरित्र है। इससे उनका अभिप्राय यह है कि "आत्म स्वय में कर्त्ता भी हो सकता है और कर्म भी। वह स्वय अपने बारे में विचार वर्त मकता है, अथवा जैसा कि अक्सर हम कहते हैं, वह स्वय के प्रति चेतनाशील हो सकता है। इसके बाद यीह कहते हैं कि प्रात्मजैनना या आत्मवाद की सबसे बड़ी ममस्या यह है कि—कोई व्यक्ति अपने से बाहर निकल कर अपने चिन्त का विषय स्वय किस प्रकार बन सकता है ?—वह ऐसा बहन दूसरों के साध्यम में कर सकता है, प्रथात् योड़ों देर के लिए अपन की दूसरों पे रुप में भावकर वह अपनी प्रोग्रेस देते, मात्रों वह दूसरों की शाखों रा अपने को देख रहा है। इस प्रकार वह कल्पना करना संखिता है कि वह दूसरों को कैसा दिखाई पड़ता है दूसरे व्यक्ति उसकी आकृति के बारे में क्या सोचते हैं और इस प्रकार वह यह भी मीख जाता है कि दूसरों के निर्गाय के प्रति अपनी कल्पना के

1. लिखी एक थोस्वाली, समाजशास्त्र विवेचन, पृष्ठ 129

2. किसीसे बैशिष : वही, पृष्ठ 178

अनुसार वह किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा ?" यही से समाजीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है।

मीड का सिद्धान्त पर्याप्त जटिल है, अतः उसे सख्तीकृत हृष्ट में ही सारांश म समझाया गया है। बालक दूसरी की हथियार को इसलिए देखता है क्योंकि वह गमधृता है कि दूसरों को सन्तुष्ट करके ही वह मानसिक सन्तुष्टि पा सकेगा अथवा दूसरों को पसन्द रख कर ही वह अपने आवश्यकताओं को पूरी कर सकेगा। समाज म उसकी अन्त क्रिया प्रतीकात्मक सचार द्वारा होगी, अत वह भाषा सीखना है। वह कुछ प्रश्नों का उत्तर सीख लेता है और स्वयं मे ही प्रश्नोत्तर करते रहता है। बच्चे की स्वयं क बारे मे चेतना ही उसके 'आत्म' का निर्माण करती है और इस 'आत्म' का विकास ही समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य है। मीड के अनुसार, बच्चा जुह से ही अपन माता-पिता, भाई-बहित तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से प्रभावित होने लगता है, पर उसमे 'आत्म' का विकास तब होता है जब गुडियों आदि के खेल मे वह स्वयं माता-पिता या भाई-बहित के कार्य की भूमिका निभाने लगता है। उदाहरणार्थ वह गुडिया को बाथरूम मे नहाने के लिए ने जाता है क्योंकि गुडिया का तादाद्य उसने शायद अपनी माँ अथवा बहन से कर लिया है। मीड के अनुसार इस प्रकार की सभी क्रियाओं के दौरान बच्चा अपने बारे मे एक विशेष धारणा बना लेता है। यह धारणा उस बच्चे के प्रति दूसरे लोग अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के विचारों ने प्रभावित होती है। वस्तुत, बच्चे की यही तस्वीर उसका "आत्म" है और इस आत्म के समुचित विकास से ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण सम्भव होता है, तथा इस आत्म का विकास ही समाजीकरण की प्रक्रिया का मर्व-प्रमुख उद्देश्य है।

### फॉयड का सिद्धान्त

#### (Freud's Theory of Socialization)

फॉयड ने अपने सिद्धान्त को काम-वृत्तियों (Sex instincts) के आधार पर स्पष्ट किया है। फॉयड का मत है कि काम-वृत्तियाँ ही मानव के मनुष्यों व्यवहार को सचालित करती हैं।

फॉयड ने समाजीकरण के सिद्धान्त को "इड" (Id) "ग्रहम्" (Ego) तथा "पराहम्" (Super-ego) शब्दों द्वारा समझाया है। "इड" व्यक्ति की मूल प्रेरणाओं मे मन्मन्धित है। दूसरे शब्दों मे हमारी सभी इच्छाएँ "इड" द्वारा प्रेरित होती हैं। "ग्रहम्" वास्तविकता है अर्थात् ममाज ने व्यक्ति की डच्छा-पूति के लिए क्या नियम आदि बना रखे हैं—इसका ज्ञान हम "ग्रहम्" देता है "पराहम्" व्यक्ति की वह चेतना अथवा अन्तरात्मा है जो नियन्त्रण करती है कि व्यक्ति को अमुक कायं करना चाहिए अथवा नहीं। हम एक उदाहरण द्वारा "इड" "ग्रहम्" तथा "पराहम्" की

भूमिकाओं को समझ सकते हैं। मान सीजिए कि व्यक्ति में एक सुन्दर लड़की को देखकर उससे यौन सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा जाप्रत होती है। यह इच्छा व्यक्ति के “इड” द्वारा प्रेरित है। “इड” इस इच्छा को “अहम्” तक पहुँचा देगा और तब “अहम्” यह देखेगा कि समाज के नियम द्वारा क्या यह यौन-सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है? “अहम्” यह भी कहेगा कि समाज के नियमों के अनुसार अपनी पत्नी के प्रतिरिक्ष अन्य स्त्री से यौन-सम्बन्ध करना भ्रामाजिक है। इन्हें मेरे यह मामला “पराहम्” के पास जाएगा जो कि व्यक्ति की भ्रामाजिक है। “पराहम्” निश्चय करेगा कि व्यक्ति को लड़की से काम सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य करना चाहिए अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में “पराहम्” इस बात का निर्णय करेगा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। फॉयड का कहना है कि जिन व्यक्तियों का समाजीकरण हो चुका है वे प्राय “अहम्” द्वारा भेजी गए इच्छा को “पराहम्” से स्वीकार करता नहीं है वे फलस्वरूप समाज में अवधारणा बनी रहती है। पर जिन व्यक्तियों वे “अहम्” और “पराहम्” में सधर्य होता है, वे गैर-सामाजिक कार्यों में सलग होकर समाज के सगठन को हानि पहुँचाते हैं। फॉयड का नियन्त्रण है कि “इड”, “अहम्” एवं “पराहम्” वे अलाद़ाद़ की प्रक्रिया में ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है।<sup>1</sup>

“इड” बच्चे की बाल्यकाल की उन क्रियाओं से स्पष्ट होता है जब वह अचेतन रूप से व्यवहार करता है। इसके बाद परिवार में माता-पिता की सीख और सामाजिक परम्पराओं व मूल्यों के शिकाय आदि से ‘अहम्’ का विकास होता है। तटपश्चात् जब बच्चा किसी बाह्य दबाव के फलस्वरूप अपनी सहस्रति के अनुसार व्यवहार करने लगता है तो वह “पराहम्” या समाजीकृत स्थिति है। प्राय बच्चे को अनेक ऐसी क्रियाएं नहीं करने दी जाती जिन्हें वह करना चाहता है और अनेक ऐसे कार्य करने के लिए कहा जाता है जो वह करना नहीं चाहता। इसी कारण बच्चे में एक ही व्यक्ति के प्रति जाहे वह गाँ बाप ही वर्षों न हो प्रेम या द्वेष की भावना माय साथ याई जाती है। “पराहम्” (Super-ego) के कमज़ोर तथा अचेतन इच्छाओं के प्रधिक शक्तिशाली होने पर व्यक्ति प्राय अपराध करने लगता है। यही कारण है कि माझी सहस्रायों का प्रशास पही होता है कि व्यक्ति में “पराहम्” का विकास किया जाय। इस कार्य में परिवार का स्थान सर्वोन्नति है। उत्स्लेखनीय है कि बतंगान में फॉयड का मिदान्त उपयुक्त नहीं माना जाता।

### दुर्कोम का सिद्धान्त

#### (Durkheim's Theory of Socialization)

समाजोकरण को दुर्कोम के “सामूहिक प्रतिनिधित्व (Collective

1. विषी एवं गोत्वायी : समाजशास्त्र विवेचन, ऐज 128

representation) की धारणा के भाषार पर स्पष्ट किया है। दुखीम का कहना है कि समाज में कुछ भावनाएँ और विचार प्राय सभी के द्वारा मान्य होते हैं। समूण समूह की स्वीकृति होने के कारण ही ये भाव और विचार समूण समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस तरह एक सामूहिक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इनी धारणाओं व विचारों को दुखीम ने “सामूहिक प्रतिनिधानों” की सज्जा दी है। सामूहिक प्रतिनिधान का सामाजिक मूल्यों से धनिष्ठ सम्बन्ध होता है, प्रत इनके प्रति सदस्यों के मन से सम्मान का भाव तो होता होता है, किन्तु साथ ही वे इनकी शक्ति को धपने से कहीं ऊंचा भी समझते हैं। इस प्रकार सामूहिक प्रतिनिधानों के अनुसार ही व्यक्ति धपने व्यवहारों को नियन्त्रित रखते हैं। स्पष्ट है कि सामूहिक प्रतिनिधान समाजीकरण का साधन और उद्देश्य दोनों ही हैं।

---

समूह मानव समाज की अत्यन्त महत्वपूर्ण इकाई है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनुष्य का जीवन उही घरों में सामूहिक जीवन है। मानव समाज में समूहों के महत्व को देखते हुए बहुत से विद्वानों ने तो 'समूह' शब्द को सामाजिक संगठन का ही पर्याप्त कहा दिया है। समाज-शास्त्र में सामाजिक समूहों की अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे विषय की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। यदि हम योड़ा भी ध्यान से विचार करे तो पायेंगे कि हम समूह के बिना जीवित ही नहीं रह सकते। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर व्यक्ति कुछ समूहों का गदर्स्य होता है। हम ऐसे से प्रत्येक व्यक्ति किसी परिवार, पहाड़, मोहल्ले, गाँव या नगर का सदस्य है। हम व्यावसायिक आधार को लें या आयु-आधार को अथवा निग-आधार को, हम किसी न किसी समूह के सदस्य होते हैं। व्यावसायिक आधार पर हम व्यक्ति या अध्यापक या कलाकार या इन्जीनियर या आपारो-समूह के सदस्य हो सकते हैं। आयु के आधार पर हम बाल या ब्रौड मा दृढ़ समूहों के सदस्य होते हैं। इसी प्रकार निग के आधार पर हम हरी अथवा पुरुष समूह के सदस्य हैं। समूह किसी भी प्रकृति के हो, वे व्यक्ति का समाजीकरण करते हैं और उसे सामाजिक कियाओं में जान लेने की प्रेरणा देते हैं। वास्तव में मानव-जीवन को मार्याद बनाने में समूहों का काल्पनातीत योगदान है। समाजशास्त्र में समूह के महत्व को इतनी अधिक मात्रता दी गई है कि अनेक समाजशास्त्रियों ने तो सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए देखत समूहों का अध्ययन आवश्यक माना है तथा वे 'समूह उपायम्' (Group approach) का उपयोग करते हैं।

प्रस्तुत मध्याय में हमने प्राथमिक तथा हैतीयक सामाजिक समूहों को लिया है। हमारे अध्ययन की व्युत्तरता अप्रवर्त्त्य है—

- 1 सामाजिक समूह की अर्थ एवं परिभाषा
- 2 सामाजिक समूहों की विशेषताएँ
- 3 सामाजिक समूहों का वर्गीकरण
- 4 प्राथमिक समूह अर्थ एवं परिभाषा
- 5 प्राथमिक समूहों की विशेषताएँ
- 6 प्राथमिक समूहों का महत्व
- 7 प्राथमिक समूहों के अकार्य
- 8 द्वंद्वीयक समूह अर्थ एवं परिभाषा
- 9 द्वंद्वीयक समूहों की विशेषताएँ
- 10 द्वंद्वीयक समूहों का महत्व
- 11 प्राथमिक तथा द्वंद्वीयक समूहों में अन्तर

### सामाजिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा

(Meaning and Definition of Social Group)

समूह समाज की इकाई है। सामाजिक समूह सामाजिक प्राणियों के उस समूह को कहते हैं जो आपस में 'सामाजिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। सापिर (Sapir) के अनुसार, 'कोई भी समूह इस कारण बनता है क्योंकि उसमें ऐसे हित या स्वार्थ रहते हैं जो समूह के सदस्यों को परस्पर बांधे रखते हैं' । जब व्यक्ति 'एक या सामान्य स्वार्थ अववा हित' से आबद्ध हो जाते हैं तो समूह उत्पन्न हो जाता है। उदाहरणार्थ, श्रमिकों का सामान्य हित इस बात में है कि पूँजीपति उनका शोषण न कर सके। इसके लिए वे श्रमिक सब का सगठन करते हैं। पुरुष और स्त्री के 'एक से' स्वार्थ हैं। दोनों रहने को भकान, स्नाने को रोटी, पहिनने को कपड़ा और जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं। उनके ये सामान्य स्वार्थ परिवार के समूह की जन्म दे देते हैं। किसी भी सामाजिक समूह का सम्बन्ध विशेष रूप से पारस्परिक जागरूकता (Mutual awareness) और आदान-प्रदान की क्रियाएँ (Reciprocity) से होता है।

सामाजिक समूह को पारिमायिक रूप में स्पष्ट करते हुए मेकाइवर तथा पेज (Mac Iver and Page) ने लिखा है कि 'समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के किसी ऐसे समूह से है जिनके आपस में सामाजिक सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं।' १ स्पष्ट है कि सामाजिक सम्बन्धों का आधार पारस्परिक जागरूकता और सहयोग की भावना है।

ओगबर्न एवं निम्कोफ (Ogburn & Nimkoff) के अनुसार 'जब कभी दो ग्रामवादों से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तब वे एक समूह का निर्माण करते हैं।' २ इस परिभाषा से प्रकट है कि समूह का निर्माण

1 मेकाइवर तथा पेज समाज, पृष्ठ 197

2 Ogburn & Nimkoff A Handbook of Sociology, p. 172.

लव तक सम्भव नहीं है जब तक कि कुछ व्यक्ति अपनी कियाओ से एक दूसरे को प्रभावित न करे।

सैण्डरसन (Dwight Sanderson) की यह परिभाषा अधिक स्पष्ट है कि "समूह दो अथवा दो से अधिक उन व्यक्तियों का सम्बन्ध है जिनके बीच मनोवैज्ञानिक अन्त कियाओं के निश्चित प्रतिमान (Established patterns) पाए जाते हैं, यह अपने सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा एक सत्ता के रूप में मान्य होता है क्योंकि यह सामूहिक व्यवहार का ही एक विशेष स्वरूप है।" इस परिभाषा से समूह को तीन विशेषताएँ स्पष्ट हैं—(१) समूह का निर्माण कुछ व्यक्तियों की मानसिक अन्त कियाओ द्वारा होता है, (२) समूह एक इतना प्रभावशाली तत्व है कि इसके सदस्य और दूसरे व्यक्ति ऐसे एक सत्ता के रूप में देखते हैं, एवं (३) समूह सामूहिक व्यवहार का ही एक विशेष स्वरूप है।

समूह को समझने के लिए मर्टन (Merton) द्वारा बताए गए ये तथ्य महत्वपूर्ण हैं—(अ) समूह में दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, (ब) समूहों में सम्बन्ध होना आवश्यक है और सम्बन्ध तभी माना जाएगा जबकि व्यक्तियों में बार-बार अन्त किया होती हो, एवं (स) हम किसी भी समूह के सदस्य तभी माने जाएंगे जब हमारे में समूह के प्रति 'हम की भावना' तथा सदस्य होने का भाव हो, अर्थात् हम स्वयं अपने व्यापकों समूह का सदस्य स्वीकार करें। साथ ही समूह के व्यक्तियों का हमें सदस्य के रूप में स्वीकार करना और अन्य समूहों द्वारा भी हमें उस समूह के सदस्य के रूप में मानना आवश्यक है।

स्पष्ट है कि यद्यपि समूह की कोई सर्वभान्य परिभाषा देना कठिन है, तथापि सभी परिभाषाएँ इस बात की प्रीत लेते चरती हैं कि समूह दो अथवा दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों का सम्बन्ध है जो सामाजिक अन्त कियाओ द्वारा परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कुछ विशेष प्रतीकों के कारण एक दूसरे के द्वारा पहिजाने जाते हैं।

### *सामाजिक समूह की विशेषताएँ* (Characteristics of Social Group)

उपर्युक्त विवेचन से सामाजिक समूहों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(१) समूह उन व्यक्तियों का सम्बन्ध है जिनके बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक सम्बन्ध स्थापित होते हैं। सामाजिक अन्त कियाओ (Social interactions) के प्रयाव में केवल शारीरिक जिकटता से सामाजिक समूह का निर्माण नहीं हो सकता।

(२) समूह का एक निश्चित ढाँचा होता है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य को एक विशेष स्थिति होती है अर्थात् सदस्यों में एक स्तरीकरण (Stratification) पाया जाता है।

(3) समूह में एकता और सहयोग की मावना का होना आवश्यक है जिसे "हम मावना" (We Feeling) कहा जा सकता है। इसके कारण ही समूह के सदस्य परस्पर सहयोग करते हैं और समूह को हानि पहुँचाने वाली शक्तियों का पिलकर मुकाबला करते हैं।

(4) समूह एक सत्ता है जिसके अस्तित्व के सामने व्यक्ति अपने अस्तित्व को गौण मानता है।

(5) समूह के सदस्यों में सामान्य हित, उद्देश्य या हृष्टिकोण का होना आवश्यक है, क्योंकि इन पर ही सदस्यों की एकता आधित है। इसी बात की ओर सकेत करते हुए स्माल (Small) ने लिखा है कि "समूह उन थोड़े या बहुत व्यक्तियों को कहते हैं जिनमें इस प्रकार के सम्बन्ध होते हैं कि वे एक समझे जाएं।" अक्तिगत रूप से एक दूसरे से भिन्न होने पर भी सदस्यों में समझ रहता है।

(6) यद्यपि व्यक्ति किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है, लेकिन एक समूह-विशेष की सदस्यता ऐच्छिक होती है। यह व्यक्ति की ऊचि और योग्यता पर निर्भर है कि वह किस-किस समूह की सदस्यता स्वीकार करता है। इस हृष्टिकोण से परिवार, क्लब, पहोस, अमिक समूह, जाति, विद्यालय आदि विभिन्न सामाजिक समूह कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।

(7) प्रत्येक समूह में अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं जो उसमें स्वजातीय तथा विजातीय समूहों से अलग करती हैं। समूह की इन विशेषताओं का समूह के प्रत्येक सदस्य पर न्यूनाधिक प्रभाव पड़ता है।

### सामाजिक समूहों का वर्गीकरण (Classification of Social Groups)

सामाजिक समूहों की सूख्या इतनी अधिक है कि सभी का उल्लेख करना अत्यधिक कठिन है। अत समाजशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर निर्मित कुछ प्रमुख समूहों का उल्लेख करता ही उपयुक्त माना है। अधियम पत्तियों में हम सर्वप्रथम वर्गीकरण के कुछ सामान्य आवारों को संक्षेप में बताएंगे और तत्पश्चात् कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों ने वर्गीकरणों का उल्लेख करेंगे।

#### वर्गीकरण के कुछ आधार

वर्गीकरणों न प्राय निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर सामाजिक समूहों का वर्गीकरण किया है—

(1) संस्था आधार आकार के आधार पर—सिमल आदि समाजशास्त्रियों ने वर्गीकरण के इस आधार को लिया है। तदनुसार समूह बहुत थोटेन्थोटे, शपेकाहृत

बड़े और बहुल बड़े—सब प्रवार के होते हैं। परिवार जैसा छोटा और राष्ट्र जैसा बड़ा समूह हमें दिखाई देता है।

(2) इच्छा एवं अनिवार्यता के आधार पर—दाढ़े तथा चिर्धिभ्स जैसे अमेरिकी समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूहों को दो मुख्य वर्गों में विभक्त किया है—ऐच्छिक (Voluntary) तथा अनिवार्य (Involuntary)। अभिक सम, द्वीपारिक काम्यनियों, आर्थ समाज, खेल व क्रियादि ऐच्छिक समूह में इनके सदस्य बनना या न बनना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके विपरीत परिवार और राज्य अनिवार्य समूह हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो किसी न किसी परिवार अथवा राज्य का सदस्य न हो।

(3) आवधि के आधार पर—आवधि की हृष्टि से कुछ समूहों की सदस्यता अस्ति शर्वविधि के लिए होती है, तो कुछ समूहों की सदस्यता जीवन-पर्यावरण बलती है।

(4) स्थान, साहस्र और हितों के आधार पर—एइवाँ रॉल के अनुभार समूह तीन प्रकार के हैं—(क) स्थानीय समूह (Local groupings) जैसे एडोस, श्राम, नपर आदि। (ख) माहस्य पर आधारित समूह (Likeliness groupings) यथा, कविता, राष्ट्रीयता आदि। (ग) हितों पर आधारित समूह (Interest groupings) यथा अधिक सम व्यापारिक कर्मचारी आदि।

(5) आत्मीय हृष्टिकोण के आधार पर—मनुष्यों का जी आत्मीय हृष्टिकोण होता है तथा दूसरे के प्रति जो हृष्टिकोण होता है, उसके आधार पर समूहों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है—आत्म समूह (In-Groups) बाह्य या वहि समूह (Out-Groups)। अन्त समूहों के सदस्यों में सामान्य वहेष्य, हित प्रीत 'हम आवान' (We feeling) होती है। इन समूहों के सदस्य अपने समूह वासियों को अपने पौर बाहर वालों को गराया यापत्ति हैं, जैसे नीयों समूह। अन्त-समूह के बाहर या विवेचीय समूह वहि या बाह्य समूह होते हैं। उदाहरणार्थं मुख्तमानों के लिए गैर-मुख्तमान बाह्य समूह है जिनको ये 'फाफिर' कहते हैं।

(6) विभाग के आधार पर—कुछ नोंग विभिन्न आधारों पर समूहों का वर्गीकरण करते हैं जैसे—(क) एक सम्बद्धी समूह, यथा परिवार, जाति आदि। (ख) जारीरिक विभेदता सम्बन्धी समूह, यथा लिंग, आयु, अजाति से सम्बद्धित समूह। (ग) दोनों समूह यथा जनजाति, राज्य, राष्ट्र। (घ) धर्मार्थ समूह, यथा, मीठ, औला समूह आदि।

#### मेकाइवर तथा फेज का वर्णकरण

मेकाइवर एवं फेज ने घण्टे अवधि 'मध्याह्न' (हिन्दी अनुवाद) में पृष्ठ 199 पर समूहों के प्रमुख प्रकारों की वैज्ञाना अस्तुति की है जिसे सरलीकृत रूप में हम अध्यायन्तु सार रूप समझें हैं—

समूह अथवा संगठन

(व्यक्तियों के पारस्परिक समूह निर्माण के आधार सम्बन्ध)	उदाहरण	
1	2	3
(क) प्रादेशिक या क्षेत्रीय (1) हितों का सर्वाधिक कबीला (जनजाति), समूह या संगठन (Territorial Unities)	समावेशी विस्तार राष्ट्र, क्षेत्र, नगर, गांव, पहोस आदि	
	(2) एक निश्चित भू-खण्ड या क्षेत्र का व्यवस्थाय	
(ख) हितों के प्रति चेतन (1) समूह के सदस्यों के सामाजिक वर्ग, जाति, समूह या एकताएँ जिनका समान हित अभिजात्य वर्ग, प्रतिकोई निश्चित संगठन न हो (2) अनिश्चित सामाजिक योगी वर्ग, निगमित वर्ग संगठन (Interest Conscious Unities without definite Organization)	(3) प्रस्तिथि, प्रतिष्ठा, व्यवसार और आर्थिक प्रजातीय समूह, रग पर पद में मन्त्र साधारित समूह, (4) एक समूह से दूसरे राष्ट्रीयता समूह आदि समूहों में जाने की योग्यता	
(ग) हितों के प्रति चेतन (1) हितों का सीमित प्राथमिक समूह-परिवार, समूह या एकताएँ जिनका विस्तार क्रीड़ा-समूह, गुट क्लब निश्चित संगठन हो (2) निश्चित सामाजिक आदि संगठन (Interest Conscious Unities with definite Organization)	(3) सीमित सदस्य संस्था, बृहत् सघ-राज्य, धार्मिक मदस्यों में व्यक्तित्व मध्य, आर्थिक निगम, सम्पर्क, औपचारिक धर्मिक (कर्मचारी) स्वीकृति की मात्रा सघ आदि अर्वाचिक सम्बन्धों की विद्यमानता आदि	

**बीरस्टीड का वर्गीकरण**

बीरस्टीड ने लिखा है कि समाजशास्त्रियों ने अनेक वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं, किन्तु एक प्राप्ताधीकृत वर्गीकरण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके अलावा ऐसे वर्गीकरण यदि अधिक तर्कपूर्ण हैं तो वे कम उपयोगी हैं और यदि वे अधिक उपयोगी हैं तो कम तर्कपूर्ण हैं। अतः, प्रारम्भिक विद्यार्थी को ऐसी जटिलता से

चुटकारा दिलाने के लिए तुलनात्मक सरल वर्गीकरण सारांश रूप में निम्नोनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है—

समूह (Groups)	जातिगत (Consciousness of Kind)	सामाजिक व्यवहार (Social Inter- action)	सामाजिक (Social Organization)
(अ) साहित्यकीय (Statistical)	नहीं	नहीं	नहीं
(ब) सहयोगी (Societal)	हाँ	नहीं	नहीं
(स) सामाजिक (Social)	हाँ	हाँ	नहीं
(द) रामिति-गत (Associational)	हाँ	हाँ	हाँ

#### गिलिन एवं गिलिन का वर्गीकरण

गिलिन एवं गिलिन ने समूहों के विभिन्न सम्मानित आधारों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वर्गीकृत किया है—

समूह	उदाहरण
1 रक्त सम्बन्धी समूह	परिवार, जाति
2 आरोरिक विशेषज्ञों पर आधारित समान लिंग, आयु अथवा प्रवालि पर समूह	आधारित समूह
3 खेतीय समूह	बन्ध जाति, राज्य चर्चा
4 घरिष्ठ समूह	मीड, श्रोता-ममूह
5. स्थाई समूह	स्थान-बदौशी जैसे + दामोह-पडोस करवे, गहर तथा विशाल नगर
6 सास्कृतिक समूह	आधिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरजनात्मक तथा शिक्षा संबंधी समूह

#### चाल्स कूले का वर्गीकरण प्रायमिक एवं हेतीपक

समूहों के जो भी वर्गीकरण समाजशास्त्रियों ने प्रस्तुत किए हैं उनमें अमेरिकी संधाजपास्ट्री चाल्स कूले का वर्गीकरण सर्वाधिक सक्षिप्त, वंजामिक और मान्य है। इन् 1909 में अपने शब्द "Social Organization" में कूले ने "प्रायमिक समूह"

- 1 Robert Bierstedt . The Social Order (सामाजिक व्यवस्था, हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ 337.
- 2 वे के व्यवस्था, संयाचकाल से उद्धृत, पृष्ठ 154

(Primary Groups) शब्द का प्रयोग किया और तत्पश्चात् ऐसे समूहों से भिन्न विशेषताएँ रखने वाले अन्य समूहों को "द्वितीयक" "समूह" (Secondary Groups) कहा गया। कूले ने अपना वर्णकरण समूहों के आकार, महत्व एवं सदस्यों के ग्रापसी सम्बन्धों की प्रकृति के आधार पर प्रस्तुत किया है। कूले के अनुसार, 'प्राथमिक समूह' का तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनमें घनिष्ठ (Intimate), व्यक्तिगत और आमने-सामने (Face to Face) के सम्बन्ध पाए जाते हैं। इस प्रकार के समूहों में हमारे मित्र, साथी, परिवार के लोग और प्रतिदिन मिलने वाले लोग आते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमारे सामाजिक सम्बन्ध अविक घनिष्ठ हैं।<sup>1</sup> द्वितीयक समूह में घनिष्ठ, व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं पाए जाते, जैसे राजनीतिक दल। अधिम पृष्ठों में हम प्राथमिक और द्वितीयक समूहों का विस्तार से विवेचन करेंगे।

### प्राथमिक समूह : अर्थ एवं परिभाषा (Primary Groups Meaning & Definition)

सामाजिक समूह का केन्द्र-विस्तु प्राथमिक समूहों में ही पाया जाता है। प्राथमिक समूह द्वारा ही मनुष्य का सामाजिक जीवन प्रारम्भ होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो सर्वप्रथम किसी प्राथमिक समूह का सदस्य बन कर ही अपने जीवन की गुरुग्रात करता है। परिवार एक प्राथमिक समूह ही है।

चाल्स कूले के अनुसार, जैसाकि कहा जा चुका है, प्राथमिक समूह का प्रभिप्राय ऐसे समूहों से है जिनमें घनिष्ठ (Intimate), व्यक्तिगत और आमने-सामने (Face to Face) के सम्बन्ध पाए जाते हों। कूले के ही शब्दों में प्राथमिक समूह के अर्थ और प्रकृति को समझना उपयुक्त होगा—

"प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता है—घनिष्ठ, प्रत्यक्ष सम्बन्ध तथा सहयोग। वे अनेक हृष्टिकोणों से प्राथमिक हैं लेकिन इनमें मुख्य यह है कि वे व्यक्ति को सामाजिक प्रकृति तथा आदर्शों के निर्माण में आधारभूत हैं। घनिष्ठ साहचर्य का परिणाम—एक सामान्य समग्रता में व्यक्तियों का समन्वय हो जाना है, जिससे अनेक कारणों से एक व्यक्ति का "स्व" ही उस समूह का सामान्य-निष्ठा जीवन तथा उद्देश्य बन जाता है। इस समग्रता अथवा सम्पूर्णता (Wholeness) की व्याख्या करने की मम्मवत सबसे मरल विधि इसे 'हम' ("We") की सत्ता देना है। इसमें एक इस प्रकार की सहानुभूति तथा पारस्परिक अनुरूपता होती है जिसके लिए 'हम' एक स्वामाविक समा या प्रभिव्यक्ति है।"<sup>2</sup>

कूले की परिभाषा के अनुसार प्राथमिक समूहों में हमारे मित्र, साथी, परिवार के लोग और प्रतिदिन मिलने वाले लोग आते हैं जिनके साथ कि हमारे सामाजिक

1 बीरस्टीड वही, पृष्ठ 321

2 किंगले डिस, वही, पृष्ठ 251

सम्बन्ध बड़े घनिष्ठ होते हैं। इस अंगु भैरव में ऐसे लोग नहीं आते जिनसे हम केवल परिचित होते हैं अथवा उन्हें केवल उनकी प्रतिष्ठा के द्वारा जानते हैं। इसमें केवल वही आते हैं जिनसे हमारे निकटतम और निरत्तर सामाजिक सम्बन्ध होते हैं।<sup>1</sup>

ब्रूम एवं सेल्जनिक (Broom & Selznick) के यनुसार, "एक समूह प्राथमिक वहाँ तक है जहाँ तक वह प्राथमिक सम्बन्धों पर आधारित है और प्राथमिक सम्बन्ध रखता है। जहाँ व्यक्ति कुछ समय तक घनिष्ठ रूप से साथ-साथ रहते या काम करते हैं, वहाँ साधारणतः प्राथमिक सम्बन्धों पर आधारित समूहों का उदय हो जाता है। परिवार कीड़ा-समूह और पड़ोस प्राथमिक समूह विकास की समुचित दशाएँ प्रस्तुत करते हैं।"<sup>2</sup>

प्राथमिक समूहों के सन्दर्भ में "ग्रामने-सामने" (Face to Face) शब्दों के अर्थ में हमें सावधानी करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के साथ भी हमारा आनन्द-सामने का सम्बन्ध हो सकता है जो हमारे प्राथमिक समूहों के मदस्य नहीं है। इसके विपरीत ऐसे लोगों के साथ भी हमारे 'ग्रामने-सामने' के सम्बन्ध नहीं हो सकते जो कि हमारे प्राथमिक समूहों के सदस्य भी हैं। उदाहरणार्थ, वस ड्राइवर नाई शादि के साथ हमारे ग्रामने-सामने के सम्बन्ध तो है पर यह जहरी नहीं कि इनके साथ हमारे प्राथमिक समूह सम्बन्धी सम्बन्ध हों। दूसरी ओर यह भी होता है कि जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम वर्षों तक प्रायः अपने घनिष्ठ पित्रों में भी नहीं मिल पाते। वास्तव में, यह शारीरिक दूरी के स्थान पर सामाजिक दूरी अथवा घनिष्ठता की मात्रा है जो कि सामाजिक समूहों को निर्धारित करती है।<sup>3</sup> यह कहना उपयुक्त है कि प्राथमिक समूह का आधार 'ग्रामने-सामने का सम्बन्ध' न होकर बास्तव में "दो से अधिक व्यक्तियों के बीच घनिष्ठ, सहभागी एवं दैवतिक (Intimate, Cohesive and Personal) सम्बन्धों का होना है।"<sup>4</sup>

प्राथमिक समूहों के सर्वोत्तम उदाहरण परिवार (Family), कीड़ा-समूह (Play Group) पड़ोस (Neighbourhood) आदि हैं। ये समूह मानव जीवन पर अन्य समूहों की अवैधता अधिक प्रभाव ढालते हैं। व्यक्ति के समाजीकरण में इन प्राथमिक समूहों का किरणा जवरदस्त और भौतिक योगदान होता है यह हम समाजीकरण के अव्याय में दख चुके हैं।

### प्राथमिक समूह की विशेषताएँ

#### (Characteristics of Primary Groups)

प्राथमिक समूहों की विशेषताओं को दो बहाँ में विभक्त किया जा सकता है—

(क) भौतिक अथवा बाह्य विशेषताएँ एवं

(ख) आनंदित विशेषताएँ।

1 बीरस्टीड वही पैक 321

2 बीरस्टीड वही पैक 321

3 बीरस्टीड वही पैक 321

4 बीरस्टीड वही पैक 321

(क) भौतिक अवयवा आहा विशेषताएं  
**(Physical or External Features)**

इन विशेषताओं का सम्बन्ध प्राथमिक समूहों की सरचना से है, अतः कुछ समाजशास्त्रियों ने इन्हे सरचनात्मक विशेषताएं (Structural Features) मी कहा है। यद्यपि कूले ने इनके अन्तर्गत आमने-सामने के प्रत्यक्ष सम्बन्धों को सर्वाधिक महत्व दिया है, तथापि सदस्यों की निकटता, लधुता, निरन्तरता प्रादि ऐसी अत्यं प्रभुत्व विशेषताएं भी हैं जो प्राथमिक समूह के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। ये विशेषताएं, जिनमें से अधिकांश को डेविस ने प्रस्तुत किया है, संक्षेप में निम्नलिखित हैं—

(1) भौतिक निकटता (Physical Proximity)—मित्रता और अनिष्टता उत्पन्न करने के लिए भौतिक निकटता अर्थात् प्रत्यक्ष साहचर्य सबसे क्षेत्र होता है। एक दूसरे को देखने एवं बात-चीत करने से सूखम विचारों, सम्पत्तियों एवं मनोभावों के आदान-प्रदान में अत्यधिक सुविधा होती है। जिसे मीड (Mead) ने “सकेंठों का वार्तालाप” कहा है, वह प्रत्यक्ष सम्पर्क से ही सम्भव है। एक दूसरे के साथ रहना, खाना-पीना, सोना, उठाना-बैठना, अध्ययन करना, आलिंगन करना, चुम्बन करना—ये सब अनिष्ट एकता के बाह्य प्रतीक माने जाते हैं।<sup>1</sup> प्रत्यक्ष साहचर्य अवयवा भौतिक निकटता या शारीरिक समीपता के कारण प्राथमिक समूह के सदस्यों में सम्बन्धों का स्थायित्व बना रहता है।

(2) समूह की लघुता (Smallness of the Group)—जो समूह प्रत्यक्ष होगा, उसे अवश्य ही छोटा भी होना चाहिए, क्योंकि तभी सदस्यों के सम्बन्धों में अनिष्टता बनी रहने की सम्भावनाएं अधिक होगी। सदस्यों की सऱ्ह्या जितनी अधिक होगी, उतना ही सदस्य व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को कम जानेगे और अनिष्टता सम्पर्क का क्षेत्र कम होगा। उदाहरणार्थ, अत्यधिक सऱ्ह्या होने पर एक श्रोता-समूह न तो बक्ता को भली प्रकार देख सकता है और न उसकी आवाज को स्पष्ट सुन सकता है। वह बक्ता से आत्मीयता का अनुभव भी नहीं कर पाता।

(3) सम्बन्ध की अवधि (Duration of the Relationship)—डेविस के अब्दी में, “अन्य बातें समान होने पर समान समूह जितन अधिक समय बना रहता है, सदस्यों के बीच के सम्बन्ध उतने ही विस्तृत तथा अनिष्ट होते हैं।”<sup>2</sup> प्राथमिक समूह अन्य समूहों की तुलना में कही अधिक स्थायी प्रकृति के होते हैं और इनकी सदस्यता का परित्याग सुगम नहीं होता। प्राथमिक समूहों में पारस्परिक सम्बन्धों के ऋमिक विकास से सामाजिक बन्धन टूट होते हैं।

(4) सामान्य चरित्र (Unspecialized Character)—प्राथमिक समूहों के कार्यों की प्रकृति का निश्चय योजनाबद्ध रूप में न होकर परिस्थिति के अनुसार

1. डेविस, बहू, देव 253

2. बहू, देव 254

होता है। सभी सदस्यों के दायित्व और कर्तव्य असीमित होते हैं तथा सभी एक दूसरे को समान दृष्टि से देखते हैं। यह इसलिए होता है कि प्राथमिक समूहों का जन्म स्वतः होता है और वे प्रपना अन्तिम स्वरूप विकास की एक लम्बी प्रविष्या द्वारा प्राप्त करते हैं। सामूहिकता उनका अन्तिम लक्ष्य होता है।

डेविस का यह विचार ठीक ही है कि “मौतिक निकटता, छोटा आकार और लम्बी अवधि घनिष्ठ बन्धनों के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल स्थितियाँ हैं। यह सम्भव है कि इसमें से कोई एक स्थिति इन्हें को अनुपस्थिति में भी विद्यमान हो, लेकिन प्राथमिक समूह के विकास की सदरे अधिक अनुदृत अवस्था तभी प्रकट होती है, जब कि तीनों अवस्थाएँ उच्च मात्रा में विद्यमान हों।”<sup>1</sup>

#### (ख) प्रान्तरिक विशेषताएँ

##### (Internal Features)

कुछ समाजशास्त्रियों ने इन्हें मानसिक विशेषताएँ (Mental Features) भी कहा है। इसका प्राथमिक समूहों के सदस्यों के ग्रन्तर्जनता में सम्बन्ध होता है। बहुत अधिक श्रेत्रिक विशेषताओं के फलस्वरूप ही प्राथमिक समूहों में कुछ विशेष प्रकार की पर्यावृत्तियों का विकास हो जाता है जिन्हे हम इनकी प्रान्तरिक अधिवा भानसिक या चरित्रगत विशेषताओं की सज्जा देते हैं। यह आन्तरिक विशेषताएँ मध्ये में निम्नानुसार हैं—

(1) लक्षणों की समानता (Identity of Ends)—प्राथमिक समूह आकार में लगु होता है और घनिष्ठ सम्बन्धों द्वारा संगठित होता है। इसमें विचारों का स्वसंत्वतापूर्वक आदान-प्रदान होता है। इन सब कारणों से समूह के सदस्यों में समान उद्देश्य और हितों का विकास होता है। डेविस के अनुसार एक पूर्ण प्राथमिक सम्बन्ध से सदस्यों की व्याख्या दो दृष्टिकोणों से की जाती है—प्रथम पह है कि विभिन्न पदों की इच्छाएँ और अभिव्यक्तियाँ तमान हैं ताकि वे समान वस्तुओं की प्राप्ति का प्रयत्न कर सकें और उनमें कभी भ्रामन में विवादास्पद स्थिति उत्पन्न न हो, तथा द्वितीय, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के कल्याण के लिए अपने लक्षणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करे।<sup>2</sup> उदाहरण के लिए पर्मियार एक प्राथमिक समूह है जिसमें माँ अपने बच्चों की देख-रेख में अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं करती। वह रख्यं नाना कष्ट उठाकर भी बच्चों को मुखी और प्रसन्न देखना चाहती है।

(2) सम्बन्ध इव्य तात्पर्य होता है (The Relationship is an End Itself)—प्राथमिक समूहों का निर्माण प्राथमिक सम्बन्धों के यानार पर होता है और इन सम्बन्धों को समूह के मदस्य किसी लक्ष्य का भाधन ही नहीं मानते वरन् उनको स्वयं में ही एक माध्य अधिवा लक्ष्य समझते हैं।<sup>3</sup> किसी इवार्य को पूरा करने

1. वही, देख 253

2. वही, देख 256

3. वही, देख 257

वे सतीति' सम्बन्ध स्थापित नहीं किए जाते बल्कि सम्बन्धों को स्थापित कर सेना ही सदस्यों का अन्तिम उद्देश्य होता है। यदि मिश्रता किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाय तो हम उसे मिश्रता नहीं बल्कि स्वार्थपरता कहेंगे। इसी तरह यदि कोई विवाह के बाल धन प्राप्ति के लिए किया जाय तो इसे सही मायनों में विवाह नहीं माना जाएगा। अभिशाय यह हुआ कि प्राथमिक समूहों में सम्बन्धों की स्थापना जान-दूर कर योजनाबद्ध रूप में नहीं की जाती प्रत्युत ये स्वतं विकसित हो जाते हैं। प्राथमिक समूहों के सदस्यों के सम्बन्धों में किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती।

(3) सम्बन्ध व्यक्तिगत होता है (The Relationship is Personal)— प्राथमिक समूह में सदस्यों के सम्बन्ध वैयक्तिक होते हैं अर्थात् सम्बन्ध व्यक्ति के महत्व पर आधारित होते हैं न कि उसके गुणों और कार्यों पर। व्यक्तिगत सम्बन्ध व्यक्ति के हस्तातिरित नहीं किए जा सकते। एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति, को नहीं रखा जा सकता। परिवार में कभी मौत होती है, कभी जन्म, किन्तु जाने वाले के अभाव की पूर्ति आने वाले से कभी नहीं हो पाती। एक पत्नी वी मृत्यु पर दूसरा विवाह कर लिया जाय, सकिन पहली पत्नी की बाद बर्ना रहती है। डेविस ने यीक ही लिखा है कि हम एक नवीन व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं, एक पुराने व्यक्तिगत सम्बन्ध तोड़ सकते हैं, लेकिन एक ही सम्बन्ध में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे का प्रतिस्थापन (Substitution) नहीं कर सकते।<sup>1</sup> यदि सम्बन्ध बदले जा सकते हो और व्यक्ति की कोई चिन्ना न होती हो तो हम उन्हें अवैयक्तिक सम्बन्ध कहते हैं, वैयक्तिक नहीं।

(4) सम्बन्ध में पूर्णता होती है (The Relationship is Inclusive)— प्राथमिक सम्बन्ध सकीसं नहीं होते औपचारिक नहीं होते, बल्कि स्वयं में पूर्ण होते हैं। समूह के सदस्यों के सम्बन्ध विस्तीर्ण एक पथ को न लेकर सबींगीए होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन के प्राय सभी पहलुओं से परिचित होता है और उसके सभी प्रकार के कार्यों में हचि लेता है। प्राथमिक सम्बन्ध अन्य सभी सामाजिक सम्बन्धों से इसनिंग भिन्न है। व्योकि अन्य प्रकार के सम्बन्धों में पूर्ण व्यक्तित्व वा निर्माण नहीं होता।

(5) सम्बन्ध का स्वतं विकास होता है (The Relationship is Spontaneous)— प्राथमिक सम्बन्धों की स्थापना किसी बाहरी प्रलोभन अथवा दबाव के कारण नहीं होती। इनका जन्म और विकास अपने आप स्वाभाविक रूप से होता है, न कि कृत्रिम रूप से।— उदाहरणार्थं एक परिवार में माता-पिता, भाई-बहिन आदि होते हैं और इन सबके पारस्परिक सम्बन्ध किसी बाहु प्रभाव के कारण विकसित नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसी भावनाओं से स्वयं विकसित हो जाते हैं जिनके बारे में हमें स्वयं को निश्चिन रूप में कुछ जान नहीं। विशुद्ध प्राथमिक

सावन्य स्वेच्छा से स्थापित होते हैं और इसोलिए सविदातपक सम्बन्धों में भिन्न होते हैं। एक समझीते में शर्तें स्पष्ट होती हैं और व्यक्ति इनसे बचा होता है किन्तु प्राथमिक सम्बन्ध ऐसी किन्हीं शर्तों पर प्राप्त रित नहीं होने वाले स्वतंत्र सामाजिक मानवाओं से स्वतंत्र विवित होते रहते हैं।

(6) प्राथमिक सम्बन्धों में प्राथमिक निपन्नता शक्ति—प्राथमिक समूह अपने सदस्यों से प्राथमिक स्वामी-भक्ति वीं प्राप्त रखते हैं। उसमें प्राथमिक नियन्त्रण की शक्ति होती है। सदस्य प्रेम के बन्धन से बंधे होने हैं जो इसने जक्तिशाली होते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के प्रयास उनके समझ विकल हो जाते हैं। एक प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका की माँ-बांब का सदेन उसे उन कार्यों को करने से रोक सकता है जिन्हें राज्य के बड़े-बड़े कानून नहीं गोल सकते। प्राथमिक समूह में सदस्यों के प्राचार-विवार आदि पर पूरा अकृश रहता है। समूह किसी सदस्य की गलत रास्ते पर जाने की अनुमति नहीं देता और उसे समूह के प्राचारों तथा परम्पराओं के विषद् काम करने से रोकता है। परन्तु यह नाय नियन्त्रण उसी समय नहीं रहता है जब तक व्यक्ति इनका पानन करता है प्रयाण् यह अन्तिम रूप से उसकी दृग्दा पर निर्भर है कि वह समूहों की परम्पराओं और उनके प्राचारों का पालन करे या न करे। फिर भी व्यावहारिक जगत में व्यक्ति प्राथमिक समूहों में स्वयं वो इतना विनीत कर देता है कि वह इन नियन्त्रणों से प्राप्त स्वयं को स्वरूप न करता।

### प्राथमिक समूहों का महत्व (Importance of Primary Groups)

प्राथमिक समूह का सम्पूर्ण सामाजिक ढांचे में दिशेष महत्व है। समूहों के सदस्यों को उनसे ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं जिन्हें वे प्राप्त स्वतन्त्र कियाप्रो द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए साम दिक्षा (Social direction) में प्राथमिक समूहों के महत्व को देखने हुए ही कूने ने इन्हें 'प्रानव स्वभाव की परिचारिकाएँ' (Nurseries of human nature) नक कहा था।<sup>1</sup> प्राथमिक समूहों के महत्व का सकेत हम निम्नलिखित विनुद्घो में कर सकते हैं—

(1) प्राथमिक समूह समाजीकरण की प्रतिया में भवांधिक महत्वपूर्ण योग देते हैं। इनके समाजीकरणकारी कार्बों (Specializing functions) को हम निम्नले एक शब्दाय में देख सकते हैं। यदि हम परिवार को ही लें तो देखते हैं कि उच्चवा परिवार में ही जन्म जेता है वहीं उसका पालन-पोषण होता है उसका समाजी-करण होता है, परिवार-समूह के प्रतिमान ही उसके भावी जीवन के प्राचार बनते हैं। यदि क्रीड़ा-समूह को लें तो उसके सेल-साधियों का बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण के विनिमय पहुँचों पर भारी प्रभाव पड़ता है।

1. Broom and Selznick op cit., p 172.

(2) प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। प्राथमिक समूहों की सहायता से व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा प्राप्त होती है। इनसे उसकी वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और इही के माध्यम से व्यक्ति उच्चतर लक्षणों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है।<sup>1</sup> बूम एवं सेजनिक ने “प्राथमिक समूह सहायता के कारण है” (How the Primary Group Helps) शीर्षक में प्राथमिक समूह से प्राप्त होने वाली तीन महत्वपूर्ण सेवाओं का उल्लेख किया है।<sup>2</sup>

(क) प्राथमिक समूह में ही व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वास्तव में कुछ व्यक्ति उसे ‘अपना’ समझते हैं, और इस प्रकार समूह में रहते हुए उसे निरन्तर चौकड़ा नहीं रहना पड़ता।

(ख) प्राथमिक समूह की सदस्यता से व्यक्ति में अपनी ‘तस्वीर’ (Image) उभरती है अर्थात् उसको अपने वास्तविक व्यक्तित्व का ज्ञान होता है।

(ग) प्राथमिक समूह व्यक्ति की क्षमता और रुचि के अनुसार लक्षणों और नियमों की पुनर्व्यवस्था करता है, उनमें सधोधन करता है और इस प्रकार व्यक्ति को अधिकतम सरक्षण प्रदान करता है। प्राथमिक समूह में रहते हुए व्यक्ति स्वयं को जितना सुरक्षित और अस्वस्थ महसूस करता है, उतना अन्यन्त कही नहीं करता।

(3) प्राथमिक समूह व्यक्ति को कार्य-क्षमता में वृद्धि करता है। समूह में व्यक्तियों को एक दूसरे की सहायता प्राप्त होती है, उन्हें एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। अच्छा कार्य करने पर समूह के सदस्यों की प्रशंसा व्यक्ति को प्रोत्साहन देती है जिसका उसके भावी विकास में बड़ा मूल्य होता है। प्राथमिक समूह मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह प्राथमिक समूह ही है जहाँ मनुष्य वास्तव में प्रेम करता है और प्रेम का प्रतिदान प्रेम से पाता है। प्राथमिक समूह से व्यक्ति की साथीपन, महानुभूति विचार-विमर्श सामाजिक भावना आदि नामा आवश्यकताओं को पूर्ति होती है।

(4) प्राथमिक समूहों का महान्व इसके मनोरजनात्मक कार्यों से भी है। व्यक्ति को प्राथमिक समूह में जितना स्वस्थ मनोरजनन प्राप्त होता है उतना अन्यत्र नहीं। इन समूहों में अधिकांश कार्य इसलिए किए जाते हैं कि वे अपने प्राप में सुखदायक होते हैं।

(5) जैसाकि हम ऊपर सकेत दे चुके हैं, प्राथमिक समूह सबहन (Communication) के कार्ये द्वारा एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर देते हैं जिनमें व्यक्ति म नई-नई मनोवृत्तियाँ विकसित हो पाती हैं। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों में विचारों का सबहन या सचार करने की क्षमता उत्पन्न करता है। सदस्यों की मरणा

1 Ibid, p 126

2 Ibid, p 127

बहुत कम होने में वे एक दूसरे के सामने अपने विचारों को सुलकर रख पाते हैं और स्वस्य विचार-विवरण का पूरा लाभ उठाने में सक्षम होते हैं। प्राथमिक समूह का सबहनात्मक कार्य सकृति को स्थायित्व प्रदान करता है।

प्राथमिक समूहों के महत्व को इगति करते हुए गिलिन ने ठीक ही लिखा है कि 'प्राथमिक समूहों से व्यक्ति अपने चारों ओर की दुनियाँ, जनता एवं सामाजिक स्थानों के प्रति मौलिक अभिवृत्तियाँ प्रहण करता है। इन्हीं समूहों से सहिष्णुता, दण्डालुता, प्रेम और उदारता की अभिवृत्तियाँ प्राप्त की जाती हैं। ध्यान और स्नेह इसके मुख्य लक्षण हैं। व्यक्ति के लिए प्रेम और महानुभूति प्रतियोगिता और स्वार्थ से ऊपर रखी जाती है। कष्ट के समय परस्पर सहायता उन्मुक्त क्षण से दी जाती है। समूह के सदस्य एक दूसरे के बारे में बार्ता करते हैं और प्रनुपस्थित सदस्यों पे लवि तथा उनके प्रति ध्यान प्रदर्शित करते हैं। यदि द्वेष पौर पूणा विकसित होती है तो ये अत्यधिक और तीव्र होती हैं क्योंकि प्राथमिक समूह में विश्वासघात अक्षम्य है।'

### प्राथमिक समूहों के अकार्य (Dysfunctions of Primary Groups)

समाज-व्यवस्था के किन्हीं तत्त्वों के बे काये जो सामाजिक अव्यवस्था, असामाजिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, अर्कार्य (Dysfunctions) कहे जाते हैं। प्राथमिक समूह जहाँ व्यक्ति और समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, वहाँ इनका अकार्यात्मक पहलू भी सामने आया है जिससे समाज में अनेक दोषों को प्रोत्तराहन मिला है। प्राथमिक समूह प्राथमिक सम्बन्धों पर आधारित होते हैं और प्राथमिक सम्बन्धों के विकसित होने में कुछ अकार्य (Dysfunctions) भी उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे व्यक्ति के विकास पर घटुश लगता है, भाई-भतीजेवाद को प्रोत्तराहन मिलता है, प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तनों के मार्ग में बाधाएँ आती हैं और इसी प्रवार के कुछ अन्य दोष प्रवर्ट होते हैं जिनसे विषट्टनकारी प्रवृत्तियों की बत मिलता है। हम भर्तीकित परियों में प्राथमिक समूहों के कुछ प्रमुख अकार्य प्रथवा दोनों को अलग-अलग स्पष्ट करेंगे—

(1) प्राथमिक समूहों में सदस्यों में समानवृपता (Conformity) स्थापित करने का प्रयत्न होता है, जो मानव प्रगति के मार्ग में बाधक मिढ़ होती है। व्यक्तियों की धमताओं और योग्यताओं में तथा उनकी वृचियों में भिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन नव प्राथमिक समूहों में एक दूसरे के समान बनने का प्रयत्न (Act of Conformity) होता है तो इससे व्यक्तित्व के बास्तविक विकास को ठेस पहुँचती है। भारतीय परिवारों में बड़ी सत्त्वा में ऐसे उदाहरण देखने को मार्ग हैं कि पर के बुजुर्ग बच्चों को नए और प्रवतिशील कार्यों को ओर से मोड़ कर परम्परागत कार्यों में ही नजाने को चेप्ता करते हैं ताकि पर के सभी बच्चे समान रहें। यह प्रवृत्ति दिवियानूसी और पिछड़ेपन की प्रतीक है।

(2) प्राथमिक समूहों में भाई-भतीजेवाद, पक्षपात आदि को प्रोत्साहन मिलता है। प्राथमिक सम्बन्धों की घनिष्ठता के कारण सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति अपन प्राथमिक सम्बन्धियों को नियम-विशद लाभ पहुँचाने की चेष्टा करते हैं। प्राथमिक सम्बन्धों की घनिष्ठता के कारण ही पुलिस अधिकारी यदि कानून की अवहेलना करने वाले अपन मित्रों अथवा सम्बन्धियों को समुचित दण्ड दिलान से पीछे हट सकते हैं तो न्यायाधीश या प्रशासनिक अधिकारी भी उन स्त्रीयों के साथ वास्तविक न्याय करन में हिवकिचाहट ला सकते हैं जिससे उनके सम्बन्ध प्राथमिक हैं। कोजर एवं रोजनवग ने प्राथमिक समूहों के इस प्रकार के आकारात्मक पर्तूनों को भली प्रकार स्पष्ट किया है। हम सरकारी नौकरियों और तरिकियों में भाई-भतीजेवाद अथवा पक्षपात के दोषारोपणों से भली प्रकार परिचित हैं। प्राथमिक सम्बन्धों के कारण पूँजी के एकत्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है जिससे समाज में आर्थिक विषमता की खाई गहरी होती चली जाती है। ऐसे आरोप प्राय सुनने म आते रहते हैं कि पूँजीपति अथवा सक्षम अधिकारी अपने मित्रों और सम्बन्धियों को माइसेन्स आदि देने म प्राथमिकता देते हैं, कलम्बरूप एक ही समूह के पास पूँजी का एकत्रीकरण होता रहता है।

(3) प्राथमिक समूहों में सदस्यों के व्यवहार के सम्बन्ध में अनेक नियेध लागू रहते हैं जिससे व्यक्तित्व के वास्तविक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। भारतीय परिवारों म पिता अपनी सन्तान और पत्नी वौ समुचित अधिकार न देकर उनके हर कदम पर और उनके हर व्यवहार पर नियन्त्रण लगाने की चेष्टा करता है जिससे एक और तो सन्तान और पत्नी के व्यक्तित्व के वास्तविक विकास को गम्भीर ठें पहुँचती है और दूसरी और परिवार में अनावश्यक रूप से अप्रत्यक्ष तनाव का बातावरण बना रहता है। जब कभी तनाव के बिन्दु विस्फोटक बन जाते हैं तो उनकी परिणति परिवारिक विधटन में होती है। प्रारम्भ में बच्चे को बड़ा स्वेह देना और किर मामाजिक नियेधों को ध्यान में रखकर बच्चे को दण्ड देना—इस प्रकार की प्रवृत्तियों में बच्चे में निराशा और प्रतिरोध की भावनाएँ पनपती हैं।

(4) प्राथमिक समूह प्राय लृद्धिवादी प्रकृति के होने हैं और समयानुसार आवश्यक परिवर्तनों का स्वागत नहीं करते। सामाजिक परिवर्तन के प्रति उपेक्षा और उस पर अकृश रखने का प्रवल्पन प्राथमिक समूहों का एक बहुत बड़ा अकार्य है जो हमारी सम्झौता की न केवल आगे बढ़ने से रोकता है बल्कि उसे अन्य सम्झौतियों व मुकाबले पिछड़ी हुई बना देता है।

समुचित शिक्षा और प्रयासों के द्वारा प्राथमिक समूहों के विघटनवारी परिणामों को बहुत कुछ कम किया जा सकता है। किर भी, मानव प्रकृति की बमजोरियों की दखल हुए, इन अगाधीयों को नियमूल नहीं किया जा सकता। सकिन उनक कारण प्राथमिक समूहों की उपयोगिता कम नहीं होती ब्योकि समाजीकरण, व्यक्तित्व निर्माण वैयक्तिक सुरक्षा, वैयक्तिक संतोष नागरिक गुणों के विकास आदि को इष्ट से भक्ति और समाज दोनों के लिए अनिवार्य हैं और रहेंगे।

## द्वैतीयक समूह अर्थ एवं परिभाषा (Secondary Groups : Meaning and Definition)

प्राथमिक समूह के विचार से ही द्वैतीयक समूहों की व्यवधारणा प्रकाश में आई और चाल्स कूले ने लिखा कि “मैं वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता का पूर्णत (Wholly) और साधारणत प्राथमिक एवं अद्वैत-प्राथमिक (Primary and Quasi-primary) विशेषताओं का अधिकांशत अभाव रहता है।” प्राथमिक समूह में प्रत्यक्ष साहृदर्य अधिका आमते-सामने के सम्बन्ध होते हैं जबकि द्वैतीयक समूहों में, जो आकार में प्राथमिक समूहों से बड़े होते हैं, सम्बन्ध प्रत्यक्ष होते हैं। इनमें सम्बन्धों की उल्लंघनी घनिष्ठना स्थापित नहीं हो पाती आकार और सेवा में ये प्रायः इतने फैले होते हैं कि इनके मध्यी सदृश्य एक दूसरे को परस्पर वैयक्तिक रूप से जान भी नहीं पाते। जो मध्यन्ध होते हैं वे रख्य में ही लक्ष्य नहीं होते और न वैयक्तिक (Personal) और न ही सम्बुद्ध (Inclusive) होते हैं। राजनीतिक दल, स्कूल, कॉलेज, इत्यत्र, ग्रामिक सभ आदि द्वैतीयक समूहों के कुछ जाने पहचाने उदाहरण हैं।

रॉबर्ट बीरस्टीड ने लिखा है कि ‘द्वैतीयक समूह’ पेसे समूह हैं जो कि प्राथमिक नहीं हैं।<sup>1</sup> इसी प्रकार डेविस के अनमार, “द्वैतीयक समूहों को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभ्रष्ट किया जा सकता है।”<sup>2</sup> लुण्डबर्ग के अनुसार हम द्वैतीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें मदस्यों के सम्बन्धित अवैयक्तिक, हित-प्रबोधन तथा व्यक्तिगत पोरणता पर आधारित होते हैं।<sup>3</sup> द्वैतीयक समूहों में सम्बन्ध प्रत्यधिक ग्रीष्माचारिक होते हैं जिनमें कोई परिषट्टा या उष्णता नहीं पाई जाती, अतः लैण्डिस (Landis) ने इन्हे “शीत जगत्” (Cold world) का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा है। लैण्डिस के अनुसार, द्वैतीयक समूह वे हैं जो अपने सम्बन्धों में अपेक्षाकृत अनिस्तर और अवैयक्तिक होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति पर कुछ विशेष मर्गों ही रखते हैं, उसकी निष्ठा का केवल योड़ा-सा भाग पाते हैं और साधारणत, उसका ही कुछ सम्बन्ध और ध्यान चाहते हैं। उनमें सम्बन्ध साधारणत परस्पर सहायक होने की अपेक्षा प्रतियोगी या प्रतिस्वद्विक प्रविक होते हैं।

इन विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट है कि द्वैतीयक समूह उन मानव समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका सम्बन्ध व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए विया जाता है और जिनके सदस्यों में कोई प्राथमिक सम्बन्ध नहीं होते। समूह के मदस्य घणिष्ठता न होते हुए, भी और सम्बन्धों की स्थिरता न रखते हुए, भी वेतन प्रवोधन रूप से उन विशेष उद्देश्यों की पूर्ति से लगे रहते हैं जिनके लिए समूह का निमित्त दृढ़ा है। द्वैतीयक समूहों में घनिष्ठता का अभाव होने पर भी कार्य-सेवा इतना विस्तृत होता है कि मध्यी गदस्य प्रप्रत्यक्ष रूप से अपने हितों की पूरा करने में यफन

1 बीरस्टीड : सामाजिक व्यवस्था, पृष्ठ 324

2 डेविस, वही, पृष्ठ 261

3 Lundberg and Others: Sociology, P 765

हो जाते हैं द्वितीयक समूह में सदस्यों के सम्बन्ध अर्थव्यक्तिक इस अप्रत्यक्ष अर्थ में होते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान प्राप्त इस आकर्षण से करता है कि वह उसे साम पहुँचा सकेगा। द्वितीयक समूहों में एक दूसरे की उपस्थिति के आवाव में भी सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं और कोई व्यक्ति ग्रन्थ सदस्यों से मिले विना ही सम्पूर्ण समूह का नेता बन सकता है। वास्तव में, वर्तमान युग द्वितीयक समूहों और द्वितीयक सबधों का युग है। द्वितीयक समूहों में कृतिमता होती है और व्यक्तियों के सम्बन्ध 'चूप्रो और जाओ' (Touch and Go) के होते हैं। व्यक्ति एक दूसरे से मिलने हैं, नमस्कार करते हैं और चले जाते हैं—यह आवश्यक नहीं कि उनमें निकट समर्क स्थापित हो। वैक एक द्वितीयक समूह है जहाँ कमचारी अपने काम में लगे रहते हैं और आहक आते तथा चले जाते हैं। कमचारियों और आहकों में कोई प्रायमिक सम्बन्ध नहीं होते।

### द्वितीयक समूह की विशेषताएँ

(Characteristics of Secondary Groups)

द्वितीयक समूह की प्रकृति इनकी निर्माकित विशेषताओं में और भी स्पष्ट हो जाती है—

(1) जान बूझ कर निर्माण—द्वितीयक समूह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु जान बूझकर बनाए जाते हैं। अत इनसे सामान्य और विशेष दोनों ही प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं।

(2) व्यक्ति की स्थिति उसके कार्य पर निर्भर—सदस्यों की समूह में जो स्थिति होती है उसी के अनुरूप उन्हें कार्य करना पड़ता है। जन्म और कुल का कोई महत्व नहीं होता। व्यक्ति चाहे परिजन परिवार का हो पर समूह में उसकी स्थिति एक मजिस्ट्रेट या प्रिसिपल की है तो उसको इसी रूप में कार्य करना पड़ता है और उसकी स्थिति उसके पद के अनुरूप ही होती है।

(3) व्यक्तियों को आत्म-निर्भर होना पड़ता है—प्रायमिक समूहों की मांति द्वितीयक समूह में व्यक्ति पारस्परिक सुरक्षा और सहानुभूति के नैनिक वन्धनों में नहीं बनते होते। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनि स्वयं जागरूक होना है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता है। सम्बाध जूँकि द्वितीयक होते हैं अत लोग एक दूसरे के हितों पर ध्यान देन की चिन्ता नहीं करत।

(4) सविदा या समझोते पर अत्यधिक ध्यान—द्वितीयक समूहों में व्यक्ति मममीतो (Contracts) की जरूरी संबंधे रहते हैं। अनीवलारिक व्यवहार के स्थान पर औपचारिक व्यवहार होता है। निष्करण कठोर होता है। औपचारिक नियमों और विधियों को पहले से ही बना दिया जाता है और उन्हीं के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों की चिंता न करते हुए, कार्य किया जाता है।

(5) व्यक्तित्व के केवल एक भाग को प्रभावित करते हैं—द्वितीयक समूह

विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, अतः उनमें व्यक्तियों का समूण् व्यक्तित्व नहीं बल्कि कुछ अशा ही भाग लेता है। इनी रारण द्वंतीयक समूह व्यक्तियों के व्यक्तित्व के केवल एक भाग को ही प्रभावित कर पाते हैं।

(6) तदस्यों में व्यक्तिवाद—द्वंतीयक समूहों में सभी सदस्यों के लिए परस्पर व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने की सम्मानना बहुत कम रहती है और जारीरिक निकटता कई बार बिलकुल नहीं होती। फलस्वरूप व्यक्तिवादी भावनाओं पर प्राधान्य होता है। सम्बन्ध प्राथमिक न होकर द्वंतीयक होते हैं और स्वार्थ पूरा होने पर व्यक्ति का समूह से प्रायः कोई प्रयोजन नहीं रहता। यह स्थिति द्वंतीयक समूहों को अस्थिर बना देती है।

(7) विस्तृत आकार—द्वंतीयक समूह आकार की हालिये में प्रायः अत्यधिक विस्तृत होते हैं। एक राष्ट्र भी द्वंतीयक समूह ही है।

(8) सक्रिय एवं निष्क्रिय तदस्यता—द्वंतीयक रामूह में व्यक्ति नक्षिय और निष्क्रिय दोनों ही प्रकार का सदस्य होता है, क्योंकि वह दोनों प्रकार से समूह के जीवन में भाग लेता है। उदाहरणार्थ, एक राज्य का नागरिक अपने राज्य का अविकाश में निष्क्रिय सदस्य होता है।

(9) सम्बन्धों की स्थापना में सचार-साधन महत्वपूर्ण—द्वंतीयक समूह अप्रत्यक्ष सम्बन्धों पर आधारित होते हैं जिनकी स्थापना में तार, टेलीफोन, रेडियो, प्रेस आदि सचार साधनों का विशेष महत्व होता है। ये सम्पर्क के महत्वपूर्ण साधन होते हैं।

(10) परिवर्तनशीलता—द्वंतीयक समूहों का निर्माण आवश्यकतानुसार होता है, अतः आवश्यकताएँ बदलने के साथ समूहों की प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। चौंकि ये समूह कुछ विशेष स्वार्थों से ही सम्बन्धित होते हैं अतः ये कम स्थाई होते हैं।

### द्वंतीयक समूहों का महत्व (Importance of Secondary Groups)

आधुनिक जटिल समाज में हमारे सामाजिक मम्बन्धों की सर्वांग अधिकांशतः द्वंतीयक प्रकार की है। अतः द्वंतीयक समूहों का अत्यधिक महत्वपूर्ण होना स्वाभावित है। आज के युग में केवल प्राथमिक समूहों की चारदीवारी में बड़े रहकर हम आर्थिक, राजनीतिक और सौस्थलिक जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। केवल प्राथमिक समूहों में चिपटे रहने पर हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। जीवन के उच्चतर लक्षणों को पाने के लिए, अपने मानसिक परातंत्र को उच्चतर बनाने के लिए, अपनी धर्मतात्त्वों के समुचित प्रदर्शन के लिए, अपनी दिविध आवश्यकताओं और हितों की पूर्ति के लिए हम जिनका द्वंतीयक समूहों पर निर्भर हैं, उनका प्राथमिक समूहों पर नहीं। द्वंतीयक समूहों के महत्व को पृथक् लिन्दुओं में इगत करना अध्ययन की हालिये में उपयोगी रहेगा—

(1) आज का युग अम-विमाजन और विशेषीकरण का युग है विशेषीकरण की योग्यता की प्राप्ति और उसका प्रदर्शन द्वंतीयक समूहों में ही सम्भव है, क्योंकि द्वंतीयक समूहों की स्वयं की प्रकृति विशेषीकृत होती है।

(2) द्वंतीयक समूह उन दोषों का बहुत कुछ निवारण करते हैं जो प्राथमिक समूहों के अकार्यों से उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक समूह रुद्धिवादी प्रकृति के होते हैं जबकि द्वंतीयक समूह प्रगतिशील प्रकृति के। अतः जहाँ प्राथमिक समूह सामाजिक परिवर्तनों का स्वागत नहीं करते या घनमते ढग ने बहुत कम करते हैं, वहाँ द्वंतीयक समूह समयानुकूल परिवर्तनों को लाने में अधिकृत का काम करते हैं। द्वंतीयक समूहों के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति आशादान बनता है। भारतीय समाज में अस्वस्य प्रवाशी, परम्पराओं और अन्धविश्वासों को शिखिन करने में द्वंतीयक समूहों का सबसे अधिक योगदान रहा है। इन समूहों ने हमें उदार हृषिकोण दिया है, नए व्यवहारों को ग्रहण करने की प्रेरणा दी है और युग के अनुरूप परिवर्तनों को लाकर सकृति को आगे बढ़ाया है।

(3) द्वंतीयक समूह बौद्धिकता विवेक और तर्क पर आधारित होते हैं अत व्यक्ति और समाज में जागरूकता पैदा करत है। इन समूहों में रहकर व्यक्ति का हृषिकोण बुद्धिवादी और तार्किक बन जाता है। भारत में प्राथमिक समूह परिवार में स्त्रियों की जो हीन दशा शतांबियों से चरी आ रही है उमका तिरस्कार करके स्त्रियों को ऊपर उठाने में और अपने अधिकारों के प्रति मचेत करने में द्वंतीयक समूहों का कितना जबर्दस्त हाथ रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं। द्वंतीयक समूहों का प्रभाव इतना अधिक होता है कि अनेक उपनिवेशवादी समाजों को अपनी दमन नीति का परिस्थापन करना पड़ता है।

(4) आज के युग में व्यक्ति की आवश्यकता बहुत अधिक और विवेद रूपी है जिनकी पूर्ति प्राथमिक समूहों में नहीं हो सकती। शिक्षा नोकरी राजनीतिक कार्य-कलाप, सांस्कृतिक अभिवृचियाँ आदि बातों के लिए व्यक्ति को द्वंतीयक समूहों में प्रवेश करना ही पड़ता है। आज तो प्राथमिक समूहों के घनक कार्यों को द्वंतीयक समूहों ने सम्भाल लिया है अत उनका महत्व इनका प्रशिक्षण ही गया है कि हम उनकी अवहेलना करने की सोच ही नहीं सकते।

(5) द्वंतीयक समूह सामाजिक नियन्त्रण के महत्वपूर्ण साधन है। पुलिम, न्यायपालिका, कानून, प्रशासकीय संगठन आदि द्वंतीयक समूह व्यक्तियों पर किस रूप में और कितन अधिक नियन्त्रण कारी है, यह हर आम आदमी जानता है। आज के जटिल औद्योगिक और हित-प्रधान युग में केवल धर्म और प्रशाशी हांग व्यक्तियों के व्यवहारों पर समुचित नियन्त्रण नहीं रखा जा सकता।

(6) द्वंतीयक समूहों ने श्रम को जितना अधिक प्रोत्साहन दिया है, उनका अन्य किसी ने नहीं। जहाँ प्राथमिक समूह अकर्मण्यता को प्रोत्साहन देते हैं, वहाँ द्वंतीयक समूह व्यक्ति में काम करने की प्रेरणा भरते हैं और यह आशा जाग्रत करते

है कि अम का उसे समुचित पुरस्कार मिलेगा। द्वंतीयक समूह व्यक्ति की समताओं को जगाते हैं और अम की दिशायें करने करने की दिशा में मोड़ते हैं। इनके फलस्वरूप व्यक्ति की समताओं का जो लाभ उठाया जाता है वह न केवल व्यक्ति बरन् सम्पूर्ण समाज के लिए बहुमूल्य है।

### प्राथमिक एवं द्वंतीयक समूहों में अन्तर

(Distinction between Primary & Secondary Groups)

(1) प्राथमिक समूहों के व्यक्तियों के तम्बन्य प्राथमिक अर्थात् आनंदिक और वैयक्तिक होते हैं जिनमें आँपचारिकता या दिलाका नहीं होता। इसके विपरीत द्वंतीयक समूहों में सम्बन्ध द्वंतीयक होते हैं भर्याति वाह्य, भर्वयक्ति और अनाँपचारिक होते हैं।

(2) प्राथमिक समूहों के सम्बन्धों में निरन्तरता पाई जाती है जबकि द्वंतीयक समूहों के सम्बन्ध में यह विशेषता नहीं होती। इन समूहों के बहुत से सदस्यों को तो एक दूसरे की जानकारी प्राप्त करने के अवसर भी नहीं मिल पाते।

(3) प्राथमिक समूह में स्थिति का निश्चय जन्म एवं कुल के आधार पर होता है द्वंतीयक समूह में कापों के आधार पर स्थिति निश्चित की जाती है, जन्म एवं कुल को महत्व नहीं दिया जाता।

(4) प्राथमिक समूह हमारे विचारों को ढालते और हमारे सम्बन्धों का मार्ग-दर्शन करते हैं तथा हमारी सभी क्रियाओं को आरो और से प्रभावित करते हैं। इस तरह इनका प्रभाव सर्वव्यापी होता है। दूसरी ओर द्वंतीयक समूह विशेषीकृत होते हैं जिनका प्रभाव क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहता है। इन समूहों की प्रकृति विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, भल इन्हें सर्वव्यापी भी नहीं कहा जा सकता।

(5) प्राथमिक समूह सदस्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व से सम्बन्धित होते हैं जबकि द्वंतीयक समूह व्यक्तित्व के एक विशेष भाग से ही।

(6) प्राथमिक समूहों में नियन्त्रण की बाह्य शक्तियों का सहारा नहीं लिया जाता और नैतिक नियन्त्रण की प्रधानता रहती है। द्वंतीयक समूहों ने पुलिस, न्यायालय आदि नियन्त्रणकारी बाह्य शक्तियों का सहारा लिया जाता है और नैतिक नियन्त्रण जैसी बात की प्रधानता नहीं होती। नियन्त्रण तोड़ने पर दण्ड की व्यवस्था भी रहती है।

(7) प्राथमिक समूहों की भवेष्या द्वंतीयक समूह भवेष्याकृत बहुत अधिक विस्तृत होते हैं। प्राथमिक समूह में जाधारणत सदस्यों की सम्या दो से पचास या साठ तक हो सकती है जबकि द्वंतीयक समूह में नगर और राष्ट्र तक सम्बलित कर सकते हैं।

(8) प्राथमिक समूहों का विकास स्वत होता है जबकि द्वंतीयक समूह जानवृक्ष कर मावस्यकतानुसार निकित किए जाते हैं।

(9) प्राथमिक समूहों के सम्बन्ध सदस्यों में एकीकरण और घनिष्ठता के भाव उत्पन्न करते हैं जबकि द्वितीयक समूहों में एकीकरणकारी शक्तियाँ अधिक प्रबल नहीं होती और सम्बन्धों की प्रकृति अधिक स्वतन्त्र होती है।

(10) प्राथमिक समूह का सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह पर निर्भर रहता है और सभी सदस्यों में पूर्ण सहयोग की भावना रहती है। द्वितीयक समूहों में व्यक्तियों को आत्म-निर्भर होना पड़ता है और प्रायः किसी को किसी की चिन्ता नहीं रहती।

(11) प्राथमिक समूहों के सदस्यों के उद्देश्य समान होते हैं और अपन उद्देश्य का वे समूह के उद्देश्य से साम्य करते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक समूहों के सदस्यों में उद्देश्य समान नहीं होते, वे तो उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए परस्पर मिलते हैं। उनके उद्देश्य में साम्य स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि स्वार्य की भावना ही प्रधान होती है।

(12) प्राथमिक समूहों का मानवीकरण और समाजीकरण की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है जबकि द्वितीयक समूहों का समाजीकरण में योग तुलनात्मक रूप से बहुत कम होता है क्योंकि इनका प्रभाव प्रायः युवावस्था के बाद ही आरम्भ होता है। साथ ही प्राथमिक समूहों के समान ये श्राद्धार्थी को भी कोई प्रमुख स्थान नहीं देते।

(13) प्राथमिक समूहों में वैयक्तिक हित समूह के हित में विलीन हो जाते हैं जबकि द्वितीयक समूह में वैयक्तिक हित के समक्ष सामूहिक हितों को गोण स्थान दिया जाता है।

(14) प्राथमिक समूहों की सदस्यता अनिवार्य होती है जबकि द्वितीयक समूह की ऐच्छिक।

(15) परिवार, पडोस, बलब, छोटी-छोटी दूकानें, मन्दिर आदि प्राथमिक समूह के हृष्टान्त हैं। राष्ट्र, राजनीतिक दल, नगर के बड़े-बड़े व्यापार सघ, बड़े-बड़े संगठन, शिक्षण संस्थान आदि द्वितीयक समूहों के हृष्टान्त हैं।

व्यान रहे कि प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में जो अन्तर है वे स्थिर प्रकृति के नहीं हैं। याज के जटिल औद्योगिक युग में प्राथमिक समूहों में श्रीपचारिकता, विशेषीकरण, आदि का प्रभाव बढ़ रहा है तो दूसरी ओर द्वितीयक समूह अधिकाधिक स्थाई बनते जा रहे हैं। इसके अनिवार्य द्वितीयक समूह चाहे कितने ही अवधिकारी हो, प्राथमिक समूहों से उनका गठन या अवध्य ही होना है क्योंकि व्यक्ति प्राथमिक समूह का भी सदस्य होता है और द्वितीयक का नी। डीरा के शब्दों में, द्वितीयक समूहों के बीच वा अन्तर ऐसा है कि उसे मूल रूप में परिवर्तित करके स्पष्ट नहीं किया जा सकता।' डेविस ने प्राथमिक और द्वितीयक समूहों का एक उपयुक्त मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो अग्रानुमार्ग है—

प्रायग्निक तथा हृतीयक सम्बन्ध<sup>1</sup>

भोजिक इष्टनिर्दि सामाजिक विचेषणाएः	समवर्गाः के उदाहरण	समूहोः के उदाहरण
स्थानीय निकटवा कृप संख्या लम्बो भवानि (Primary)	तद्वारो वो पहचान समवर्गो का शोतुरिक पृष्ठावन प्रथम व्यक्तिसो का शान्तरिक मूल्यक्रिय प्रथम व्यक्तिसो का श्रियत्यागक ज्ञान संवत् अता एव विचक्षय की भावता यनोपचारिक नियन्त्रण की कार्योऽन्ता	मित्र-मित्र पति-पत्नी माला-पिता, बच्चा श्वापक-किल पूर्ण साथ काम करने वाले
स्थानीय दूरी प्रथिक संख्या प्रत्यन् प्रवर्षिप (Secondary)	तदेषो की जनेकल्पता यन्त्रवन्धी का वाहु पूर्वांकन योग व्यक्तिसो वा वाहु पूर्यकत प्रथम व्यक्तिसो का मीमित तथा विक्षणोऽनुत ज्ञान वाहु निय-कृष्ण की भावना प्रोपचारिक नियन्त्रण की कर्मशीलता	राष्ट्र भाषण देने वाला एव धोता धर्मितेता-दर्शक श्रविकारी-मधीन-ध्यक्ति निगम तेष्वक-पाठक

**अद्वं-समूह : अर्थ एवं परिभाषा**  
**(Quasi Groups Meaning & Definition)**

अद्वं-समूहो को आभासी समूह और अद्वं-प्राथमिक समूह के नाम से भी पुकारा जाता है। चाल्स कूले ने प्राथमिक समूहो की व्याख्या के अतिरिक्त अद्वं-समूह का भी उल्लेख किया है। इन समूहो के सदर्भ मे हमारे प्रध्यायन के केन्द्र-विन्दु ये होंगे—

1. अद्वं-समूहो का अर्थ एवं परिभाषा
2. प्राथमिक समूहो और अद्वं-समूहो मे अन्तर
3. जाति एवं वर्ग

**अद्वं-समूह अर्थ एवम् परिभाषा**  
**(Quasi-Groups Meaning & Definition)**

अद्वं समूहो से हमारा तात्पर्य ऐसे समूहो से होता है जिनकी अधिकांश विशेषताएँ तो हैं ताकि समूहो जैसी होती हैं, लेकिन सम्बन्धो मे इतनी धनिष्ठता पाई जाती है और सदस्यो की संख्या भी कभी-कभी इतनी कम होती है कि ऐसा आभास होती है मानो प्राथमिक समूह है। दूसरे शब्दो मे, ऐसे समूहो को "आभासी" इसलिए कहा जाता है कि ये प्राथमिक समूहो के इतने निकट होते हैं कि इनमे प्राथमिक समूही की विशेषताओ का आभास मिलता है जबकि वस्तुत ये प्राथमिक समूह नही होते। प्राथमिक समूह और अद्वं ग्रथवा आभासी समूहो मे सबसे प्रमुख अन्तर यही है कि जहाँ प्राथमिक समूह किसी विशेष उद्देश्य ग्रथवा हित की पूर्ति के लिए नही बनाया जाता वहाँ अद्वं-समूह ग्रथवा अद्वं-प्राथमिक समूह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। प्राथमिक समूहो के विपरीत इनका संगठन बहुत-नुच्छ कृत्रिम होता है।

अद्वं-समूहो की इन विशेषताओ के आधार पर ही कूले ने इन्हे परिभाषित करते हुए लिखा है—“ये धनिष्ठ मामने-सामने के सम्बन्धो द्वारा समठित वे समूह

है जो अपने सगठन सम्बन्धी विशेषताओं और अपने विशेष उद्देश्य के कारण सीमित आकार के होते हैं।” टी० बी० बाटामोर ने अर्द्ध-समूह का मर्यादित स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह व्यक्तियों का ऐसा योग है जिसमें सगठन अथवा सरचना का अभाव होता है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति कम जागरूक अथवा अनभिज्ञ हो सकते हैं। सामाजिक वर्ग, प्रत्यक्षित समूह, आयु और लिंग समूह, भीड़ आदि अर्द्ध अथवा आभासी समूह के उदाहरण हैं।<sup>1</sup>

### प्राथमिक समूहों और अर्द्ध-समूहों में अन्तर (Distinction between Primary and Quasi-Groups)

अर्द्ध-समूहों की भली प्रकार समझने के लिए यह उपयुक्त होगा कि इनमें और प्राथमिक समूहों में अन्तर के प्रमुख बिन्दुओं को समझ लिया जाय—

(1) प्राथमिक समूह में व्यक्ति का सम्मूल्य जीवन वीत जाता है और सदस्य प्राय असीमित उत्तरदायित्व की भावना का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत अर्द्ध-समूहों का सम्बन्ध केवल कुछ विशेष प्रकार के उद्देश्य और व्यवहारों से ही होता है।

(2) प्राथमिक समूहों के अन्तर्गत सदस्यों में एकीकरण की भावना को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है; दूसरी ओर अर्द्ध-समूह अपने सदस्यों में केवल तभी तक सम्झन बनाए रखने का प्रयास करते हैं जब तक कि सदस्य समूह में रहते हैं।

(3) प्राथमिक समूह आकार में बहुत छोटे होते हैं जबकि अर्द्ध-समूह प्राथमिक समूहों से कुछ बड़े किन्तु द्वितीयक समूह से कुछ छोटे होते हैं।

(4) प्राथमिक समूह ल्यत विकल्पित होते हैं, बनाए नहीं जाते। अर्द्ध प्रथमिक आभासी समूहों का आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाता है।

(5) प्राथमिक समूह अर्द्ध-समूहों की अपेक्षा अधिक स्थाई होते हैं। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि ऐसे समाज के उन आदर्शों नियमों पर आधारित होते हैं जिनकी प्रवृहजना करना सुगम नहीं होता।

प्राथमिक समूहों के प्रमुख उदाहरणों के टप म हम दरिवार, ब्रीडा समूह, मित्रसमूह, पडोस आदि की ते सकते हैं जबकि अर्द्ध-समूह वे अन्तर्गत जातीय सम्बन्ध, सामाजिक वर्ग, विवार गोप्तियाँ, स्कॉलट सगठन, प्रत्यक्षित समूह, आयु और लिंग समूह आदि लिए जाते हैं। अर्द्ध-समूह की उपर्युक्त घारए के आधार पर हम सक्षेप में जाति एवं वर्ग का उदाहरण लेकर इन समूहों की प्रकृति और भी अधिक मच्छी तरह समझ सकते हैं।

## जाति एवं वर्ग (Caste and Class)

यहा हमारा मतव्य जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था का विस्तृत विवेचन करना नहीं है। हम सक्षेप में जाति और वर्ग के अभिप्राय को समझते हुए दोनों में अंतर प्रकट करना ही पर्याप्त समझगे।

### जाति का अभिप्राय

जाति प्रया का चरम रूप हमें भारत में देखने को मिलता है तथापि यह केवल भारत की ही विशेषता नहीं है क्योंकि जाति व्यवस्था सासार के सभी स्थानों पर विद्यमान है और सभी धर्मों के लगभग सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती है। ईसाइयों में धर्म के आधार पर दो प्रमुख जातियाँ हैं—कंथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इन दोनों ही धर्मावलम्बियों में जाति के समान ही नियंत्रण और सामाजिक दूरी का प्रस्तितव्य है। अमेरिका में नीयो लोगों को निम्न जाति का समझा जाता है तो धूरोप निवासी यहूदियों को निम्न जाति का सदस्य मानते हुए उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। मुसलमानों में भी अनेक जातियाँ पाई जाती हैं।

जाति को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। हट्टन के अनुसार जाति वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण ममाज अनेक आत्म केंद्रित तथा एक दूसरे में पृथक् इकाइयों (जातियों) में विभाजित है। इन इकाइयों के आपसी सम्बन्ध ऊँच नीच के आधार पर सास्कृतिक रूप से निश्चित होते हैं। केंतकर ने लिखा है कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएँ हैं—(क) सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है जो उसी जाति विशेष के मदस्यों से पैदा हुए हैं और इस प्रकार से उत्पन्न हाने वाले सभी व्यक्तियों को वह सम्मिलित करती है एव (ख) सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। जाति व्यवस्था के लगभग सभी प्रमुख पक्षों को लेते हुए मिचेल (Mitchell) ने लिखा है कि जाति व्यवस्था धार्मिक विश्वासों पर आधारित एक ऐसे वशानुगत सस्तरण अंतविवाह और व्यावर्मायिक समूह वी और सकेत बरती है जिसमें विभिन्न कम काण्डों और मस्तारों द्वारा प्रत्यक्षीकृति की सामाजिक हितिको पूर्व निर्धारित करके उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तनों पर नियंत्रण दिया जाता है।

बास्तव में कोई भी एक या तो परिभाषाएँ जाति व्यवस्था को स्पष्ट नहीं कर सकती। हम यही कह सकते हैं कि यह एक गतिशील व्यवस्था है जिसमें मुख्यत जन्म पर आधारित सामाजिक सम्बन्ध और खण्ड विभाजन पाया जाता है और जिसके सदस्यों पर ज्ञान पान विवाह व्यवसाय सामाजिक सहवास आदि के बारे में ज्ञानाधिक प्रतिबन्ध लगे होते हैं। ये प्रतिबन्ध ऐसे नहीं होते जो तोड़ या भग नहीं किए जा सकते। ज्ञान प्रतिष्ठा अथवा सत्ता के आधार पर जाति परिवर्तन हो जाता है।

## वर्ग का अभिप्राय

जाति की माँति वर्ग भी सामाजिक सम्हरण ग्रथवा स्ट्रीकरण (Social Stratification) का एक प्रमुख आधार है। वर्तमान औदोपिक समाजों का सत्तरण जाति की बनाय प्रमुख रूप से विभिन्न वर्गों पर ही निर्भार है। औदोपीकरण के प्राज के युग में सामाजिक गतिशीलता ज्यो-ज्यो बढ़ रही है सामाजिक वर्गों (Social Classes) के महस्व में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। समाज के विभिन्न वर्गों की रचना पिरामिड जैसी होती है जिसमें सबसे ऊपर के वर्ग में सबसे कम और सबसे नीचे के वर्ग में सबसे ग्रधिक मदद्य होते हैं।

वर्ग से हमारा आशय व्यक्तियों के उम समूह से है जिनकी सामाजिक स्थिति लगभग समान त्वर की होती है। जब समान यामाजिक वर्द के कारण कुछ व्यक्ति पारत्परिक सम्बन्धों की स्थापना करते हैं तो उनके एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार वर्ग की सदस्यता जाति की भावि जन्मगत न होकर अजित होती है। प्रत्येक समाज में सब लोगों की हितनि पद और कार्य एक जैसे नहीं होते। यह निश्चित करने के लिए कि किसकी स्थिति ऊँची और किसकी नीची होगी, विभिन्न समाजों में प्राय विभिन्न आधार होते हैं। उदाहरण के लिए व्यवसाय, भूम्पति, शिक्षा, घर्म, आयु आदि के आधार पर इसका निर्धारण किया जा सकता है। व्यवसाय के आधार पर किमान, कर्म, शिक्षक आदि समूह बन जाते हैं तो सम्पत्ति के आधार पर पूँजीपति एवं अमिक वर्गों का निर्माण होता है। अभिप्राय यह हूँगा कि जब जन्म को छोड़ कर अन्य किसी आधार पर समाज विभिन्न समूहों में बंटा होता है तो उनमें से प्रत्येक समूह को एक सामाजिक वर्ग कहा जाता है।

सामाजिक वर्ग को पारिमाणिक रूप में गम्भीर, तो थोगवर्न एवं निम्नकाँफ के अनुसार, "एक सामाजिक वर्ग की आधारभूत विशेषता अन्य सामाजिक वर्गों की तुलना में उत्तरकी उच्च ग्रथवा निम्न स्थिति है।" जिम्बर्ट के शब्दों में, "एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह ग्रथवा एक विशेष श्रेणी है जिसका समाज में एक विशेष पद होता है। यह विशेष पद ही अन्य समूहों से उपर्योग्य को निर्धारित करता है।" मेकाइवर एवं पेज के अनुसार, "एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक पद ग्रथवा प्रसिद्धि के आधार पर युद्धाय के जैप भाग से अलग चर दिया गया हो।"

इन परिभाषाओं में म्पष्ट है कि सामाजिक वर्ग के तीन अनिवार्य तत्त्व हैं—  
 (क) प्रसिद्धि-निम्नसमूहों (Status Groups) का उत्तर चढ़ाव अर्थात् समाज में वर्गों को एक ऐसी श्रेणी जिसमें उच्चतम वर्ग में क्रमांक निम्नतम वर्ग हो, (ख) ऊँच-नीच की भावना अर्थात् एवं वर्ग के सदस्यों द्वारा दूसरे वर्ग के मदस्यों के प्रति व्येष्ठना वा हीनता की भावना रखना और उसे प्रदणित करना एवं (ग) वर्ग-वैतना (Class Consciousness) अर्थात् प्रत्यक्ष वर्ग का इस वास के प्रति जागरूक रहना जि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे वर्गों की व्योग्यता बन है ग्रथवा ग्रधिक। वास्तव में यह

तीसरा तत्व दृढ़त ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ग चेतना के अभाव में दर्शनशिक्षा नहीं रह सकती।

जाति और वर्ग में अन्तर

जाति और वर्ग के अनिप्राप्त को समझ लेने के उपरान्त दोनों में पाए जाने वाले विभिन्न अन्तरों पर हाप्टिपात्र कर लेना उपयुक्त है ताकि दोनों की प्रइति को अधिक अच्छी तरह समझा जा सके—

(1) जाति बन्द है जबकि वर्ग में मुलायन है। जाति में सामाजिक स्तर का निर्धारण जन्म से होता है जबकि वर्ग-व्यवस्था में व्यक्ति की असमानताओं और मान्यता मिलती है—और उसको उन्नति के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। व्यक्ति एक जाति को छोड़कर दूसरी जाति की सदस्यता प्रहरा नहीं कर सकता जबकि अपनी योग्यता के बल पर व्यक्ति एक वर्ग में दूसरे वर्ग में प्रवेश कर सकता है।

(2) प्रथम अन्तर म ही प्रवट है कि जाति जन्म पर आधारित है और वर्ग जन्म पर। व्यक्ति एक बार जिस जाति में जन्म लेता है, मृत्यु तक वह उसी जाति का सदस्य बना रहता है, लेकिन वर्ग की सदस्यता पर यह बात लागू नहीं होती। निम्नतम वर्ग का सदस्य भी अच्छे और योग्य कार्य करके ऊच्चतम वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में जाति में व्यक्तिगत क्षमता और योग्यता की प्राप्ति उपरका बीजाती है जबकि वर्ग में स्थिति इससे बिलकुल दूरी होती है।

(3) जाति में व्यवसाय का निश्चित दृढ़ जन्म से हो जाता है। इनके विपरीत वर्ग-व्यवस्था में स्वेच्छानुसार व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता होती है। सदस्य अपनी इच्छा और साधनों के अनुसार किसी भी दृष्टि को अपना सकता है, जिसकी मुखिया जाति में प्राप्त नहीं दी जाती।

(4) जाति की सदस्यता जन्मजात होती है और समाज को ओर से उसे अपने आप प्राप्त हो जाती है। दूसरी ओर वर्ग की सदस्यता अर्जित की जाती है तथा अपने प्रयासों से व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश पा सकता है।

(5) जाति में जीवन धारण के मनी कार्यों और आचरणों की प्राप्त कुछ निश्चित नियमों के अनुसार निभाना पड़ता है जबकि वर्ग-व्यवस्था इस प्राहार के बन्धनों से मुक्त होती है। वहीं खान-पान, पूजा-पाठ, आदि के नियम-बन्धन नहीं होते, अपिनु प्रत्यक्ष क्षेत्र में मुलायन होता है।

(6) जाति में सामाजिक सम्बन्ध प्राप्त निश्चित और स्थिर होते हैं जबकि वर्ग-व्यवस्था में ये सम्बन्ध ममय और परिस्थिति के प्रभुआर बदलते रहते हैं।

(7) जाति का आधार सामाजिक होता है, जिसमें शापिक आधार पर व्यक्ति वे अस्तित्व में परिवर्तन नहीं होता। करोड़पनि और माधारण चपरामी जाति की दृष्टि में ममान हैं तथा एक पर्ति में बैठे बाने हैं। दूसरी ओर वर्ग की दृच्छता

का आधार धार्मिक है। धार्मिक स्थिति में परिवर्तन होने के सावन्नाय वग को सदस्यता में अपने आप उतार-चढ़ाव होता रहता है।

(8) जाति व्यवस्था में प्राप्त हर जाति के अपने धर्म-धर्मात्मक धर्मिकार और व्यवसाय होते हैं। चौटी जातियों की सेवाएँ प्राप्त करते के लिए बड़ी जातियों में प्राप्त होड़ लगती है। दूसरी ओर वर्ग व्यवस्था में ग्रहण-तात्परक लोग ही शीर्ष स्थान पर होते हैं जो सम्पूर्ण वर्ग के लोगों का शोपण करते की चेष्टा करते हैं।

वास्तव में, जाति और वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के दो सबसे प्रमुख आधार हैं—यथापि प्रहृति एव अर्थ के आधार पर इनके बीच अनेक अन्तर प्रवर्ट किए जाते हैं, तथापि व्यवहार में यही देखा जाता है कि वर्गों के बीच भी जाति व्यवस्था के अक्षण अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। भारतीय समाज परिवर्तन के जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें वर्ग व्यवस्था का महत्व बढ़ता जा रहा है। विलासी वर्ग, प्रबन्धक एवं शासक वर्ग, व्यावसार्दिव वर्ग, मध्यस्थ वर्ग, निम्न वर्ग आदि प्रधान वर्गों में हुय भारतीय समाज को विभक्त कर रहे हैं। आज जातिगत नियमों में भी वहने की भाँति कठोरता नहीं रही है। उनमें इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं कि उनको प्रहृति बहुत-कुछ वर्ग के अनुरूप बनाती जा रही है। यदि विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने के प्रयत्नों के कारण वर्गों से जाति-व्यवस्था के लक्षण देखने को मिलते हैं तो जातिगत नियमों में शिथिलता आने से जानियाँ वर्गों के निकट आ रही हैं। फिर भी, भारतीय सामाजिक समाज में जाति-व्यवस्था आज भी इतनी जड़ जमाए हुए हैं कि वह सम्भवतः सुदूर भविष्य में भी वर्ग-व्यवस्था में पूर्ण स्पृष्टि में परिवर्तित नहीं हो सकेगी।

---

## ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय

(Rural and Urban Communities)

हम प्राथमिक, द्वितीयक और आभासी समूहों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम विशिष्ट प्रकार के प्रादेशिक समूह "समुदाय" की ओर ध्यान देगे, जिसकी एक निश्चित स्थान पर रहने के कारण होती है।<sup>1</sup> स्थानीय प्रादेशिक समूह मानव-समाज में सांबोधिक रूप से महत्वपूर्ण है।<sup>2</sup> वास्तव में "ग्रामीण समुदाय" और "नगरीय समुदाय"—ऐ दोनों अपने आकार में इतने बड़े होने हैं और इतने व्यापक तथा विविध पक्षों को अपने में समेटे हुए हैं कि इनके भीतर व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन सरलता और मनोध के साथ व्यतीत हो सकता है। यदि हम सम्पूर्ण मानव-समाज को दो ही प्रमुख समुदायों में विभक्त करें तो ये समुदाय स्थिति रूप से "ग्रामीण समुदाय" और "नगरीय समुदाय" होंगे। आकार-प्रकार और अन्य हिस्ट्रियो से एक दूसरे में काफी भिन्न होते हुए भी ये समुदाय एक दूसरे के पूरक हैं, और आधुनिक समाजों में अधिकाधिक स्थिता में ग्रामीण समुदाय नगरीय समुदायों की विशेषताओं को पहणा करते जा रहे हैं। विषय-सामग्री पर विस्तृत विवेचन से पूर्व उपर्युक्त होगा कि हम अपने अध्ययन की रूपरेखा बनाएंगे—

1. समुदाय अर्थ और परिभाषा
2. ग्रामीण समुदाय अर्थ और परिभाषा
3. ग्रामीण समुदाय की विशेषताएँ

1. मेकाइवर तथा ऐज़ : समाज, ऐज़ 286
2. किल्स्टोडेविल : वही, पृष्ठ 269.
3. वही, पृष्ठ 269.

4. ग्रामीण समुदाय के विकास के कारण
5. नगरीय समुदाय : अर्थ एवं परिभाषा
6. नगरीय समुदाय की विशेषताएँ
7. नगरों के विकास के कारण
8. ग्रामीण और नगरीय समुदाय की तुलना
9. ग्रामीण और नगरीय समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व

### समुदाय : अर्थ एवं परिभाषा

(Community : Meaning and Definition)

जहाँ कही भी मनुष्य साथ-साथ रहते हैं, वहाँ किसी न किसी मात्रा में समुदाय का प्रस्तित्व होता है।<sup>1</sup> वास्तव में, समुदाय एक ऐसा वृहत् मानव-समूह है जो किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, अर्थात् जिसकी सदस्यता एक निश्चित स्थान पर रहने के कारण होती है।<sup>2</sup> इस प्रकार समुदाय एक मूर्ति (Concrete) संगठन है।

डेविल ने लिखा है कि समस्त मानवीय समुदायों को अपने में सम्मिलित करते बाती एक सामान्य परिभाषा प्रस्तुत करने के प्रयत्न में तो वही कठिनाई उपस्थित होती है जो प्राथमिक एवं दूसरी यक्षिणी समूहों के सन्दर्भ में है, लेकिन इसकी दो प्रकार की क्षेत्रीयता रखो जा सकती है—एक भौतिक क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक निकटता (Territorial Proximity), एवं दूसरी सामाजिक पूर्णता (Social Completeness)। दोनों में से अकेले किसी एक से समुदाय की परिभाषा नहीं की जा सकती।<sup>3</sup> प्रादेशिक निकटता से अभिप्राय है कि व्यक्ति-समूह निश्चित क्षेत्र में रहता है। निकटता सम्पर्क को मुगम बनाती है, सुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है और समूह के संगठन को सुविधाजनक बनाती है। एक ही निश्चित क्षेत्र में, रहने वाले व्यक्ति-समूह में स्थानीय विवाजन के प्रतिमान बनते जाते हैं जो समूह की सरचना के प्रतीक होते हैं। सामाजिक पूर्णता का अभिप्राय है कि समुदाय सबसे छोटा प्रादेशिक समूह होता है जो सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं को अपने में समेटे रहता है, जो उन सभी विस्तृत सम्बन्धों और पदों एवं स्थियों को सम्मिलित करता है जो कि समाज का निर्माण करती है। समुदाय को अपने बाहर थन्य समूहों के प्रस्तित्व की प्राकृत्यकरता तभी पहली, जैसी प्राकृत्यकरता रही, जिन्हें भीज, ज्यादार या इर्द-जर्द होती है। समुदाय के सदस्य अधिकांश समूहों के सदस्यों की घेषणा अधिक अनिम्न प्रकृति के होते हैं। यह सबसे छोटा स्थानीय समूह है, जो पूर्ण समाज हो सकता है और बहुधा होता भी है।<sup>4</sup>

1. डेविल एवं देव : वही, पृष्ठ 284

2. किल्टे डेविल : वही, पृष्ठ 269

3. वही, पृष्ठ 269

4. वही, पृष्ठ 270-71

भेकाइवर एवं पेज के अनुसार, "सामाजिक जीवन के उस दोष को समुदाय कहते हैं जिसे सामाजिक सम्बद्धता अथवा सामजिक्स्य (Social Coherence) की कुछ मात्रा द्वारा पहिचाना जा सकता हो।"<sup>1</sup> इस परिभाषा के अनुसार समुदाय के दो मुख्य आधार हैं—स्थानीय दोष और सामुदायिक भावना। एक छोटा शहर, नगर, एक विशाल राष्ट्र या आदिवासी कबीला सभी समुदाय हैं। समुदाय की सर्वप्रमुख विशेषता उसका अपना पृथक् सामाजिक जीवन है जिसमें सदस्य लगभग समान वैदिक्यों, व्यवहारों और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण परस्पर सम्बद्ध रहते हैं। समुदाय की आधारभूत कसीटी यह है कि मनुष्य के समस्त सामाजिक सम्बन्ध उसके भीतर ही मिल जाए।<sup>2</sup>

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समुदाय एक ऐसा बृहत् मानव-समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक दोष में सामुदायिक भावना द्वारा सम्भित रहता है और जिसमें लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। वैसे, सम्भिता के विकास के साथ-नाय समुदाय की धारणा व्यापक बनती जा रही है और इसी तथ्य की ओर सकेत करते हुए बोगाङ्स ने लिखा है कि समुदाय का विचार पडोस से आरम्भ होकर सम्पूर्ण विश्व तक पहुँच जाता है।<sup>3</sup> सयुक्त राष्ट्रसंघ एक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय (An International Community) ही है।<sup>4</sup>

### ग्रामीण समुदाय : अर्थ एवं परिभाषा

(Rural Community : Meaning and Definition)

गाँवों से हम सभी परिचित हैं। गाँव अथवा ग्रामीण समुदाय एक एक आकस्मिक रूप से उत्पन्न नहीं हो गए बरत् उनका शने-शने विकास हुआ, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय वह व्यक्तिसमूह है जो लगभग निश्चित भौगोलिक दोष में दीर्घकाल से निवास करता आ रहा हो। और सदस्यों में सामुदायिक भावना तथा ऐसे सांस्कृतिक, सामाजिक, एवं आर्थिक सम्बन्धों का विकास हो चुका हो जो उनको अन्य समुदायों से अलग करते हो। पैटिल एवं एल्विच के अनुसार, "ग्रामीण समुदाय के अन्तर्गत स्थानीय और ऐसे व्यक्तियों ने सकलन होता है जो छोटे से केन्द्र के चारों ओर सम्भित होते हैं तथा सामान्य प्राथमिक हितों में भाग लेते हैं।"<sup>5</sup> पिन्मवर्ग के अनुसार ग्रामीण समुदाय का अभिप्राय उस सामुदायिक जीवन से है जो अनौपचारिक, प्राथमिक, सरल तथा परम्परावादी सम्बन्धों द्वारा समाज की प्राथमिक भावशक्तियों की पूर्ति करता है।

यथार्थ में, ग्रामीण एवं नगरीय भिन्नता एक समानुपातिक उत्तर-चढ़ाव है। नहीं पूरणत एक आदिम समाज विशुद्ध रूप से एक ग्रामीण समाज होता है और

1 भेकाइवर एवं पेज, दृष्टि, पृष्ठ 8

2 दृष्टि, पृष्ठ 8.

3 E S Bogardus : Sociology, p 22.

4 Ogburn and Nimkoff : A Handbook of Sociology, p 247.

नगरीय प्रभाव से मुक्त होता है, वहाँ प्राधुनिक सम्बन्ध समाज सदैव आर्थिक रूप से नगरीय विशेषताओं को लिए रहता है।<sup>1</sup> कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि अधिक जनसंख्या के घनत्व वाले सभी स्थान नगर हैं। बहुत से कृषि-प्रधान गांवों में भी जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है, किन्तु हम उन्हे नगर नहीं कहते। इन गांवों की कुल जनसंख्या प्रायः बहुत कम होती है तथा आवास के योग्य क्षेत्र भी कम होता है। यह कहता उपमुक्त होगा कि गांवों का वह सरल रूप आज नहीं रहा है जो पहले था। भौगोलिक, प्रादेशिक एवं जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताओं में निरन्तर परिवर्तन आते जा रहे हैं और इन परिवर्तनों के साथ-साथ ग्रामीण संगठन और विशेषताओं में भी कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। सामाजिक, ग्रामीण समुदाय में हम आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से लेते हैं जो लगभग निश्चित छोटे-से भू-भाग में दीर्घकाल से साथ-साथ रह रहे हों और जीवन की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भली-भांति कर लेते हों और जिनमें ऐसे अनौपचारिक, प्रायमिक, सरल तथा परम्परावादी सम्बन्धों की प्रवानता हो जिनके द्वारा समाज की प्रायमिक आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।

### ग्रामीण समुदाय को विशेषताएँ (Characteristics of Rural Community)

ग्रामीण समुदाय को हम किसी परिभाषा की तुलना में उभकी विशेषताओं के आधार पर अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम व्यक्तियों के ऐसे समूह को, जिसमें निम्नलिखित ग्रामीण उनमें से अधिकांश विशेषताएँ आधारभूत रूप में पाई जाती हों एक ग्रामीण समुदाय को सज्जा दे सकते हैं—

(1) अधिक स्थाई और निरन्तर जीवन—ग्रामीण जीवन में स्थायित्व और भौत निरन्तरता एक आधारभूत विशेषता है। अतिरीघकालीन प्रथाओं, परम्पराओं, स्थियों, प्रनविश्वासों, सौस्कृतिक आदर्शों आदि के कारण उनके जीवन का एक विशेष रूप बन जाता है जिसकी प्रकृति लगभग स्थाई होती है। यही कारण है कि हमें भारत का ग्रामीण जीवन गौविक रूप से आज भी बहुत कुछ जैसा ही दिखाई देता है जैसा सैकड़ी वर्ष पहले था। ग्रामीण समुदाय में आज भी परम्परागत कार्यों पर बल दिया जाता है, प्राचीनता से विशेष प्रेम है साधारिक गतिशीलता बहुत कम है और प्रनविश्वासों तथा पुराने सौस्कृतिक आदर्शों की जड़ें गहरी हैं।

(2) सीमित आकार—गांवों का आकार सीमित होता है। जनसंख्या का घनत्व प्रायः बहुत कम होता है। यदि कुछ गांवों में जनसंख्या का घनत्व अधिक हो तो भी उनकी जनसंख्या बहुत कम होती है और आवास के योग्य क्षेत्र भी बहुत कम होता है। कृषि-व्यवसाय की प्रवानता होने से लोग अपनी भूमि से अधिक दूर नहीं रहना चाहते, अतः वांद की जनसंख्या यदि अधिक बढ़ जाती है तो

प्राय दो छोटे-छोटे गाँवों में विभक्त हो जाता है। ग्रामीण जीवन की आवश्यकताएँ नगरीय जीवन की तुलना में बहुत सीमित होती हैं, अत गाँव के लोग प्राय गाँव को एक छोटी इकाई बनाए रखने के प्रभी होते हैं।

(3) कृषि-व्यवसाय की प्रधानता—सासार के लगभग सभी देशों में कृषि ही ग्रामीण जीवन का प्रमुख आधार है। विकसित देशों में कृषि का बहुत कुछ आधुनिकीकरण हो चुका है, लेकिन विकासशील देशों में कृषि बहुत कुछ 'प्रकृति की दया' पर निर्भर है। कृषि के अतिरिक्त बहुत छोटे स्तर पर दूसरे पेशे भी पाए जाते हैं, जैसे, लोहार का, सोने-चांदी का, बढ़ईगिरी का आदि। भारतीय ग्रामीण जीवन की एक विशेषता है कि देश में औदौरीगीकरण के प्रसार के बावजूद ग्रामीण जनसंख्या में बढ़ि हुई है जबकि दूसरे बहुसंख्यक देशों में ग्रामीण जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता घटी है।

(4) परिवार का विशेष महत्व—नगरों की तुलना में ग्रामीण जीवन में परिवार का केन्द्रीय महत्व है। पारिवारिक परम्पराओं और मूल्यों से ग्रामीणों का सम्पूर्ण जीवन बहुत आधक प्रभावित होता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति की प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा आधार उसके परिवार की पृष्ठभूमि ही होती है। 'सम्मानित' परिवार अथवा "असम्मानित" परिवार जैसी बात गाँव में विशेष हृषि से देखने को मिलती है और तदनुसार ही धार्मिक या सामाजिक उत्सवों में व्यक्ति की स्थिति निश्चित होती है। ग्रामीण जीवन में वैवाहिक सम्बन्धों और नियन्त्रणों की स्थापना में परिवार का जितना अधिक महत्व और प्रभाव होता है, उतना अन्य किसी संस्था या समूह का नहीं।

(5) प्रायमिक सम्बन्धों की प्रधानता—ग्रामीण जीवन के संगठन में प्रायमिक सम्बन्धों की प्रधानता पाई जाती है, अर्थात् लोग परस्पर प्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित रहते हैं, एक दूसरे के हितों की चिन्ता रखते हैं या उन्हे ठेम पहुँचाने का प्रयास प्राय नहीं करते, एक व्यक्ति की चुराई को गाँव की चुराई समझते हैं और एक दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों से प्राय सभी लोग परिचित होते हैं। गाँव वस्तुतः प्रायमिक हितों की समानता पर आधारित समुदाय होता है जिसमें लोग गाँव को एक बड़ा परिवार मानते हुए आचरण करते हैं।

(6) धार्मिक परम्पराओं, हृदियों और धार्मविशदासों की प्रधानता—ग्रामीण जीवन में धर्म का अत्यधिक परम्परागत और सनातनी रूप देखने को मिलता है। परम्पराओं और रुद्धियों से लोग प्राय जकड़े रहते हैं। धार्मिक विशदासों के प्रति परिवर्तन या नवीनता की किसी भी बात को बुरा समझा जाता है। धर्म-प्रायरण भोजों को बड़ा सम्मान दिया जाता है और अपने परिवार के धर्म में किंचित भी अविशदास करना एक बहुत बड़ा पाप और अपराध माना जाता है। लोग अपने अपने धर्म का पालन करते रहते हैं, धार्मिक हस्तशोप की प्रवृत्ति से प्राय दूर रहते हैं और इसीलिए ग्रामीण जीवन में धार्मिक सहिष्णुता अधिक देखने को मिलती है। धर्म के आधार पर ही समानता और भाईचारे को प्रोत्साहन मिलता है।

(7) सरल, शुद्ध और प्राकृतिक जीवन—प्रामीण-जीवन प्रकृति के अधिक निकट होता है और सरलता तथा सादगी लिए हुए होता है। प्रामीण लोग, जाहे आधिक इटिंग से सम्प्रभु हो या विप्रभु, प्रायः मोटे कपड़े पहनते हैं और सामान्य वस्तुओं से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नगरीय परिवारों की टाडक-मढ़क प्रामीण परिवारों में देखने को नहीं मिलती। धोखे और कपट के व्यवहार आपस में प्रायः बहुत कम अपनाये जाते हैं। अनंतिक कार्य अच्छे नहीं समझे जाते, लोग उनसे प्रायः दरते हैं। प्रामीण जीवन की सरलता को हम नगरीय लोग प्रायः “पिछड़ापन” और “दकियानूसीपन” कह देते हैं।

-3-

(8) अम के विशेषोकरण—अभाव—प्रामीण समुदाय में आधिक जीवन सरल होता है, अतः अम के विशेषोकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन से सम्बन्धित समस्याएँ भरत होती हैं अबवर नगरीय जीवन की तरह जटिल नहीं होती और गांव का लगभग हर आम आदमी गांव के सभी कामों का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है और अपना काम चला लेता है। पर्याप्त विकसित पाश्वात्य देशों के गांवों में अम-विभाजन और विशेषोकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन भारतीय प्रामीण जीवन अभी इस प्रवृत्ति से भूत्त है।

(9) शिक्षा एवं भाष्यवादिता—प्रामीण जीवन में शिक्षा का प्रसार, नगरीय जीवन की तुलना में, नग्य है—विशेषकर भारतीय तथा अन्य विकासशील देशों के सन्दर्भ में। मानव-श्रम का आधिक महत्व होने से तथा कूटि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था के कारण गांव के लोगों में शिक्षा-प्राप्ति के लिए विशेष रुचि नहीं पाई जाती। विकसित देशों के गांवों में भी शिक्षा का प्रतिशत नगरों की तुलना में कम है, लेकिन भारत में तो लगभग 5 प्रतिशत से भी कम प्रौढ़ व्यक्ति शिक्षित हैं। कलस्वरूप गांव का जीवन अन्यविश्वासों, कुरीतियों, घिसी-फिटी और बहुत कुछ प्रनुपयोगी परम्पराओं में जकड़ा हुआ पापा जाता है। पुरुषों में फिर भी थोड़ा बहुत साक्षरता है, लेकिन स्त्रियों में तो उतनी भी नहीं है। जादू टोनी, भाड़-कुँक में लोगों का बड़ा विश्वास है और भाष्य-भ्रोसे रहने की प्रवृत्ति प्रबल है।

उपर्युक्त विशेषताओं में, समय की गति के साथ “आधुनिक परिवर्तन” आते जा रहे हैं और नगरीय जीवन की विशेषताएँ प्रामीण समुदायों में प्रवेश कर रही हैं। फिर भी मौलिक रूप में हम किसी भी प्रामीण समुदाय में उपर्युक्त विशेषताओं से भी भली प्रकार देश सकते हैं।

### प्रामीण समुदाय के विकास के कारण (Factors in the Growth of Rural Community)

प्रामीण समुदाय का निर्माण नहीं, विकास हुआ है। सारभूत रूप में, मनुष्य जब तक कृषि करना नहीं सीखा था तब तक उसका जीवन धुमकठ था। लेकिन जन्म-शर्त: सेती करना सीखने के साथ-साथ मनुष्य के व्यर्थ धूमने की आदत छूटने

जगी। जहाँ-जहाँ उपजाऊ भूमि मिली, वहीं लोग स्थायी रूप से बसने और खेती करने लगे। इस तरह कुछ परिवारों के एक भू-खण्ड पर निवास करने और सुख-दुःख में एक-दूसरे का हाथ बटाने से उनमें सामुदायिक भावना का जन्म और विकास हुआ तथा ग्रामीण समुदायों की उत्पत्ति हुई। निरन्तर एक ही स्थान पर रहने से ग्रामीण समुदायों में स्वभावत एक आर्थिक संगठन का विकास हुआ। शनै-शनै व्यवहार एवं रहन-सहन के तथा सामाजिक सम्बन्धों के कुछ नियम बने जो क्रमशः रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं के रूप में हड़ हो गए। इस तरह ग्रामीण समुदाय एकाएक आक्रमिक रूप से उत्पन्न नहीं हो गए बरन् उनका शनै-शनै विकास हुआ।

आगवर्न के अनुसार गाँवों के विकास की प्रक्रिया के तीन प्रमुख स्तर रहे— सबसे पहला स्तर शिकार करना और भोजन एकत्र करने का स्तर था जिसमें किसी समुदाय का अस्तित्व नहीं था, दूसरा स्तर पशु-पालन का स्तर आया जिसमें समूहों ने एक साथ मिलकर रहना शुरू किया और परिवारिक जीवन को स्पष्ट रूप मिलने लगा पर गाँवों की स्थापना नहीं हुई, एवं इसके उपरान्त तीसरा स्तर कृषि-स्तर आरम्भ हुआ जिसमें लोगों ने स्थाई रूप से निवास आरम्भ किया और फलस्वरूप पाँवों की स्थापना होने लगी तथा सामुदायिक भावना तथा सामूहिक प्रयत्नों के विस्तार के साथ-साथ ग्रामीण समुदायों का विकास होता गया।

अत स्पष्ट है कि ग्रामीण समुदायों के विकास के मूल में कोई एक नहीं प्रत्युत अनेक कारण उत्तरदायी रहे हैं जिनमें निम्नलिखित शीर्षकों में विवरक किया जा सकता है—

(1) प्रादेशिक कारक (Territorial Factors)—प्रादेशिक कारकों के अन्तर्गत हम भौगोलिक स्थिति, भूमि की बनावट, पानी की सुविधाओं, उपर्युक्त जलवायु और उपजाऊ मिट्टी को लेते हैं। इस प्रकार प्रादेशिक कारकों में वे सभी अनुकूल भौगोलिक दशाएँ भा जाती हैं जिनके कारण लोगों का एक स्थान पर स्थाई रूप से बसना सम्भव हो। भौगोलिक स्थिति अनुकूल होने से किसी प्रदेश में लोग बसना पसन्द करते हैं और सामुदायिक जीवन अस्तित्व में आने लगता है। पर यदि भौगोलिक स्थिति प्रतिकूल हो, वर्षा न होती हो या जमीन पश्चरीली हो तो प्रथम तो लोग ऐसे प्रदेश में बसना ही नहीं चाहते और दूसरे यदि बस भी जाते हैं तो ग्रामीण समुदाय में स्थायित्व नहीं भा पाता, क्योंकि लोग वहाँ से किसी अन्य उपर्युक्त स्थानों में जाने की फिराक में लगे रहते हैं। उपजाऊ भूमि में ग्रामीण समुदाय अधिक विकसित होते हैं क्योंकि लोगों का जीवन सुगम और समृद्ध बन पाता है। पानी की सुविधा का होना सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्यों और पशुओं को पीने के लिए तथा खेतों-बाढ़ी के लिए पानी अपरिहार्य है। पर जहाँ पानी अनियन्त्रित हो वहाँ स्थाई ग्रामीण समुदायों का विकास बढ़ा कठिन हो जाता है। जिन नदियों के किनारे मीलों तक दल दल रहता हो वहाँ भी ग्रामीण समुदायों का विकास प्राय नहीं हो पाता। इसी

प्रकार अनुकूल जलवायु से ग्रामीण जीवन में स्थायित्व आता है क्योंकि इसका मानव-जीवन के विभिन्न पक्षों पर स्वस्थ प्रभाव पड़ता है। समशीतोष्ण जलवायु बाले क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय अधिक कलते-कूलते हैं जबकि विषवत् रेखा के समीपस्थ क्षेत्रों और घृत्योष्ण क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय अत्यन्त अविकृत और जगली दशा में पाए जाते हैं। ग्रामीण समुदायों के विकास में उपजाऊ मिट्टी का तो इतना भहर्त्व है कि विलकॉक्स ने मानव-सम्पत्ति के इतिहास को 'मिट्टी का इतिहास' कह दिया है। मूर्मि ऐसी होनी चाहिए जो उपजाऊ अधिक हो। तिम्बु, नील और दजला की घाटियाँ तथा गण-यमुना के नीटानों की मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है, इसीलिए इन स्थानों पर बड़े-बड़े समृद्ध गाँवों का विकास हुआ है।

(2) **आर्थिक कारक (Economic Factors)**—ग्रामीण समुदाय के विकास में सहायक आर्थिक कारकों में खेती की दशा, आर्थिक-व्यवस्था, कुटीर-उद्योगों आदि का बड़ा भहर्त्व है। ग्रामीण समुदाय में स्थायित्व तभी प्राप्त करता है जब समुदाय प्रपनी सीधा के अन्तर्गत लोगों की प्रमुख भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सम्मत साधन उपलब्ध हो, अर्थात् वहाँ कृषि-योग्य मूर्मि हो, छोटे छोटे काम-चंपने करने की अनुकूल परिस्थितियाँ हो, कृषि-उपज की समुचित उपलब्ध हो सके ऐसे क्षेत्र निकट हों और आजीविका चलाने के इसी प्रकार के दूसरे साधन मूलभूत हों। यदि आर्थिक परिस्थितियाँ इन्हीं प्रतिकूल होंगी कि आजीविका के अधिकांश साधन सुलभ न हों तो उन्हें व्यक्ति उस भू-प्रदेश में स्थाई रूप से निवास न करके अन्य उपयुक्त स्थानों की खोज करने लगेंगे। ग्रामीण समुदाय की स्थापना के बाद उसके विकास के लिए प्रावश्यक है कि यातायात-मुकियाओं का प्रसार हो, गाँव की उपज के विकल्प के लिए समुचित बाजारों की निकटता हो और प्रच्छें बैलों, प्रच्छें हत्तों, प्रच्छें बीजों, खाद आदि की मुलभता हो।

(3) **सामाजिक कारक (Social Factors)**—सामाजिक कारकों में शान्ति, सुरक्षा, सहयोग प्रब्लेम्स, सद्भावना आदि भनेक बातें आ जाती हैं। ग्रामीण विकास में इन्होंने सदैव ही सक्रिय सहयोग दिया है। यदि समुदाय में रहने वालों में परस्पर ईर्झी कलह और समर्थ बना रहेगा और वे यह अनुभव करेंगे कि समुदाय के अन्तर्गत उनके हित पूर्ण रूप से असुरक्षित है तो समुदाय का निश्चित रूप से विघटन प्रारम्भ हो जाएगा। गाँव में छोटे-छोटे समूह ही रहते हैं और उनमें भी यदि पारस्परिक अधिवेशन तथा असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो एक सुरक्षित और स्थाई जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय ग्रामीण समुदायों का विद्वाला इतिहास बताता है कि गाँवों में निम्न क्षेणी के लोगों में स्थायित्व नहीं आ पाता था और वे एक गाँव से दूसरे गाँव जाया आया करते थे। स्वतंत्रता के बाद से स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। जमीदारी प्रधा के उन्मूलन, भस्तृप्रबला निवारण और पचायत की स्थापना आदि से सामाजिक भेदभाव दूर हो रहे हैं। श्रोतोंकरण और नगरीकरण के बर्तमान युग में गाँवों के विकास में सामाजिक कारकों का अद्दत्व दिन

प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण समुदाय का विकास, अन्त में ग्रामीणों की बढ़ि और परिवर्ष पर ही निर्भर है जिसके बिना वे कृषि-क्षेत्र में और जीवन में प्राकृतिक ग्रापदायों का सामना नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं बढ़ा सकते, वैज्ञानिक लोगों का लाभ नहीं उठा सकते और समाज कल्याण के सिद्धान्त को नहीं समर्पकते। याज विश्व में जहाँ-जहाँ ग्रामीण समुदाय उन्नत अवस्था में हैं, वहाँ इस उभयति का श्रेय बहुत कुछ गांव वालों के अध्यवसाय और उनकी बृद्धि को ही है। इन दोनों गुणों के पर्याप्त रूप से विकसित होने के कारण ही पश्चिमी देशों के गांव समृद्ध और मुख्य हैं जबकि इन गुणों की अनुपस्थिति या बहुत कुछ कमी के कारण भारत के गांव इतनी पिछड़ी हुई दशा में हैं।

### नगरीय समुदाय अथवा एवं परिभाषा (Urban Community : Meaning and Definition)

नगरों में भी हम सभी परिचित हैं, पर समाजशास्त्रीय द्वारों में नगरीय समुदाय को हमें समझना है। सामान्य रूप से, ग्रामीण समुदाय की मांति ही नगरीय समुदाय के अन्तर्गत भी निवासी, सामाजिक ढाँचा, व्यवसाय एवं यातायात के साधन आदि आते हैं। अन्तर यही है कि इन सब का रूप अपेक्षाकृत बहुत अधिक जटिल और बड़ा विशाल होता है। एक नगर में विभिन्न सम्पत्ति व्यवसाय होते हैं। आवादी की हाप्टि से भी एक नगर में अनेकों ग्रामवासी को आवादी समा भकती है।

नगरीय समुदाय की कोई एकदम सर्वमान्य और निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि नगर और गांव के विभाजन की कोई स्पष्ट रेखा लीचना कठिन है। विकसित देशों के गांव जितने उन्नत हैं और जिन नगरीय विशेषताओं को ग्रहण किए हुए हैं, यदि मारत वे गांव वेंमे ही हो तो हम सम्भवत उन्हें छोटे नगर कहन नहीं सकें। किसले डेविस ने निखा भी है “हमारे समाज में गांव अनेक नगरीय प्रभावों का विषय रहे हैं। ग्रामीण तथा नगरीय भिन्नता एक समानुपातिक उत्तार-चढ़ाव है जिसमें मापदण्ड का ग्रामीण छोर कभी भी पूर्णत ग्रामीण विशेषताओं से युक्त नहीं होता।”<sup>1</sup>

विल्कॉम (W F Willcox) के मतानुसार, “नगर का अभिप्राथ उस प्रदेश से लिया जा सकता है जहाँ प्रति वर्षमील जनसंख्या का घनत्व 1,000 व्यक्तियों से अधिक हो और व्यावहारिक रूप में वहाँ कृषि न होती हो।” लेकिन किसले डेविस ने लिखा है कि “अधिक जनसंख्या के घनत्व वाले सभी स्थान नगर हैं यह बात सच नहीं है।”<sup>2</sup> डेविस के अनुसार, भारत के कुछ कृषि-प्रधान गांवों में एक कमरे में

1. किसले डेविस बहो, ऐज 273
2. विष्वले डेविस : बहो, ऐज 273

शोस्तन उतने ही व्यक्ति रहते हैं जिन्हें की बड़े-बड़े नगरों में, लेकिन हम जनसंख्या के इस धनत्व के कारण ही गांवों को नगरीय नहीं कहेंगे। देविन की हाप्टि में “प्रामीण और नगरीय विवेचन के बीच जनांकिकीय (Demographic) मन्त्र को केवल जनसंख्या और भूमि (धनत्व) के प्राप्तार पर ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि पूर्ण जनसंख्या और कुल क्षेत्र को हाप्टि में रखना आवश्यक है। इसके अनुसार एक स्थान जिस मात्रा में नगरीय होगा, उसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है—

नगरीयता-गुणक {  $\frac{\text{जनसंख्या}}{\text{क्षेत्र}}$ , जनसंख्या, क्षेत्र }

इन तीनों में से किसको अधिक महत्व दिया जाय यह मनमानी बात है और विभिन्न देश विभिन्न गुणकों को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में कुल जनसंख्या को ही अधिक महत्व देने की सामान्य प्रथा है, और बहुत आवश्यक होने पर ही धनत्व घटवा क्षेत्र को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का जनगणना व्यूरो नगरीय और प्रामीण की विभाजन-रेखा जनसंख्या के आधार पर मानता है। यह 2,500 या इसमें अधिक जनसंख्या वाले कारपोरेशन को नगर मानता है, लेकिन इससे अधिक की जनसंख्या के सभी स्थान कारपोरेशन नहीं हैं, अतः जनगणना विभाग उन स्थानों को भी नगर मान लेता है जो यद्यपि कारपोरेशन नहीं हैं पर जिनकी जनसंख्या अधिक है।<sup>1</sup> अब यदि अर्जेंटाइना को लें तो उसे 1,000 निवासियों के क्षेत्र दो नगर कहा जाता है और इटली तथा स्पेन में 10,000 निवासियों के दोष को। नगर के क्षेत्रफल के बारे में भी विभिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं, उदाहरणार्थ, हारी के नगरों में बड़त मा कुण्ड-क्षेत्र शामिल होता है तो नेटिन अमेरिका में मूनिलिपेनिटी को बहुता नगर मान लिया जाता है, यद्यपि उसपे बहुत-सा प्रामीण-क्षेत्र भी होता है।<sup>2</sup>

डेविन की मान्यता है कि “सामाजिक हाप्टिकोण में नगर केवल जीवन की एक विधि है।”<sup>3</sup> ‘नगरीय’ विशेषण से जीवनशापन के इस विशेष ढंग या विधि को और स्पष्ट संकेत होता है। यह अनेक व्यक्तियों और वस्तुओं से अधिकाधिक परिचय की ओर संवेदन करता है, और इस परिचय से उत्पन्न सहनशीलता तथा शिष्ट व्यवहारों की ओर भी संकेत करता है। एक ऐसे स्थान के रूप में जहाँ जनसंख्या का केन्द्रीयकरण है, नगर अनिवार्य रूप से सामाजिक सम्गठन की कुछ विशेषताओं दो जन्म देता है और उन्हीं पर निर्भर रहता है। नगर में लोग नवागन्तुकों के भी धनिष्ठ सम्पर्क में प्राप्त हैं, समाजारों और कौशल के शीघ्र प्रतार में सुविधा होती है, बड़ी मात्रा में वैयक्तिकरण मिलता है, प्राविष्टिकर होते हैं, सामाजिक गतिशीलता प्राप्ती है तथा साक्षिक रीतियाँ देखी जाती हैं। साथ ही नगरीय जीवन उस उद्दित अर्थ-व्यवस्था पर

1 वही, ऐव 274

2 वही, ऐव 275.

3 वही, ऐव 275

निर्भर होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का शीघ्र हस्तान्तरण, विस्तृत श्रम विभाजन, ताकिक विनियोजन आदि पाया जाता है। एक बार जब ये वस्तुएँ उत्पन्न हो जाती हैं तथा वास्तविक नगरों का निर्माण हो जाता है तो इनका प्रभाव नगर की सीमाओं के बाहर भी होने लगता है।<sup>1</sup>

अध्ययन की सरलता की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि नगर सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विभिन्नताओं से परिपूर्ण एक ऐसा समुदाय होता है जहाँ प्राथमिक सम्बन्ध कम किन्तु द्वितीयक सम्बन्ध प्रधान रूप से पाए जाते हैं, जहाँ कृत्रिमता, व्यक्तिगतिता, प्रतिस्पर्द्धा और घनी जनसंख्या का अस्तित्व होता है प्रीर इनके कारण नियन्त्रण के औपचारिक साधनों द्वारा सम्भन्न की स्थापना की जाती है।

### नगरीय समुदाय की विशेषताएँ (Characteristics of Urban Community)

नगरीय समुदाय को हम इसकी कर्तिपय आधारभूत विशेषताओं द्वारा अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं—

(1) जनसंख्या की अधिकता—नगरीय समुदाय की एक प्रमुख सरचनात्मक विशेषता इसमें अधिक और घनी जनसंख्या का पाया जाना है। फलस्वरूप नगर में विभिन्न घनी बस्तियाँ (Slums) का निर्माण हो जाता है और अनेक सामाजिक समस्याएँ पनपती रहती हैं। जनसंख्या का घनत्व कुछ नगरों के कुछ भागों में तो 25,000 व्यक्ति प्रति कर्मभील से भी अधिक पाया जाता है। यह स्थिति अस्वस्थता, स्थानाभाव, ऊंचे किराये, अस्थाई तथा अवैयक्तिक सम्बन्धों, सक्रान्तक रोगों, अस्वास्थ्यकर वातावरण आदि समस्पादों को जन्म देनी है।

(2) सामाजिक विजातीयता (Social Heterogeneity)—नगरों में जनसंख्या ही अधिक नहीं होती वरन् सामाजिक विजातीयता अथवा विभिन्नता भी बहुत अधिक पाई जाती है। नगरों के सामाजिक वर्ग ग्रामीण सामाजिक वर्गों की झपेका अधिक जटिल और सक्षम्या में अधिक होते हैं। नगरों में नाना प्रजातियों, धर्मों और सम्प्रदायों के लोग विभिन्न स्थानों से आकर रहते हैं। इस प्रकार नगरों में जनसंख्या 'स्थिचडी' होती है जिसमें दुनिया के हर कोने का नमूना प्राप्त देखने को मिलता है। नगर व्यक्तिगत भिन्नताओं को सहन नहीं करता, बल्कि उन्हे उचित पुरस्कार भी देता है। विभिन्नताओं के बावजूद अम-विभाजन, विशेषीकरण, आवश्यकताओं की श्रृंखला की समस्या आदि के कारण नगर-विकासियों में प्रारम्भिक सहयोग और सामूहिकता पाया जाता है। नगर वास्तव में एक ऐसा समुदाय होता है जहाँ सभी को अपनी रुचि और आवश्यकता बाले समूह मिल जाते हैं तथा व्यक्ति प्रपत्ती इच्छानुसूल किसी भी समूह का सदस्य बनने को स्वतन्त्र होता है।

(3) विविध आर्थिक वर्ग और प्रार्थिक क्रियाएँ—उपरोक्त बिन्दु से ही प्रकट है कि नगरो में विज्ञाल जनसंख्या आर्थिक प्राधार पर विभिन्न आर्थिक वर्गों में विभाजित होती है और हर वर्ग अपने सदस्यों के हितों के प्रति जागरूक रहता है। समूहां नगर आर्थिक क्रियाओं का जीता-जागरा केन्द्र होता है जहाँ व्यक्ति जल्दी सुबह से देर रात तक काम-धन्यों में लगे रहते हैं। व्यापक आर्थिक विषयता पाई जाती है। सम्पन्न उच्च वर्ग और विपन्न निम्न वर्ग स्पष्ट हृप से दिखाई देता है और तीसरे मध्यम वर्ग की मार्थिक स्थिति प्रायः बड़ी विषय होती है। यातायात, सचार, मुरक्खा, न्याय की व्यापक सुविधाएँ रहती हैं, लेकिन साध ही नगर सधर्वं, कलह और धनंतीक घटनाओं के भी केन्द्र होते हैं।

(4) स्थानीय पृथक्करण—नगरो में श्रम-विभाजन और विशेषीकरण के फलस्वरूप प्रायः हर समूह और हर कार्य के विशेष स्थान नियत हो जाते हैं जिनके आधार पर ही समाजशास्त्र में हम 'क्षेत्रीय सम्प्रदायों' की चर्चा करते हैं। विज्ञाल नगरो के मध्य और घने भागों में सावजनिक जीवन के लिए उपयोगी कार्यालयों की भरमार होती है जिनके चारों ओर प्रमुख व्यापारिक संस्थानों, होटलों, मनोरंजन-केन्द्रों का जल्दीरा होता है। नगर के भीतरी भागों में ही ऐसी घनी वस्तियाँ होती हैं जिनमें विशेष हृप से श्रमिक और काम प्राय वाले वर्ग निवास करते हैं। नगर के बाहरी ओर सुने क्षेत्रों में प्रायः सम्पन्न वर्ग का निवास होता है जहाँ विलासी जीवन के मूले बर्बाद होते हैं।

(5) सामाजिक गतिशीलता—नगरो में सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) बहुत मधिक होती है। राजनीति, धर्म, शिक्षा, व्यापारिक दोनों प्रादि विभिन्न कारणों से सामाजिक गतिशीलता बढ़ जाती है। नगर का विस्तृत श्रम-विभाजन, इसकी प्रतिवोगी प्रकृति और अवैयक्तिकता—सभी का प्रदत्त प्रस्थितियों पर नहीं बरन् अनित प्रस्थितियों पर बल होता है। नगरीय व्यक्ति अपने पद या अपनी प्रस्थिति (Status) को ऊँचा करने और सुधारने के लिए प्रयत्नजीन रहते हैं और इस प्रकार सामाजिक गतिशीलता तीव्र होती है। नगरो में कार्य-क्षमता आविकारक बुद्धि व्यवहारकृशलता आदि को प्रस्तुत दिया जाता है, अत व्यक्ति अपने जीवनकाल में ही अपने पद को उच्च अर्थवा निम्न कर सकता है।

(6) सामाजिक सहिष्णुता—नगरो में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं तथा सम्पूर्णों की अवैयक्तिक प्रकृति होती है। अत सहनशीलता का होना नगर की विशेषता है। देविम के शब्दों में, "व्यक्ति एक दूसरे से कम्या रगड़ कर लते हैं तो भी अभी प्रकार की चरम सीमाओं के प्रति उदासीन रहते हैं अर्थात् मत वथा हितों की चरम सीमा के प्रति, निर्दनता और सम्पत्ति की चरम सीमा के प्रति, शिक्षा और पृथु भूमि की चरम सीमा के प्रति।" जब विविताएँ और असमितियाँ रोम ही हर समय दिखाई पड़ने लगती हैं तो वे विस्तरण और असगत नहीं प्रतीत होती तथा लोगों में सहनशीलता के भाव विक्षिप्त हो जाते हैं। देविम के अनुसार, "नगर सावंजनिक

व्यवहार वो नियमित करता है तथा व्यक्तिगत व्यवहार की अवहेलना करता है। नगर का नियन्त्रण अवैयक्तिक और सामान्य होता है, जबकि आम का वैयक्तिक तथा विशेष।'

(7) द्वंतीयक सम्बन्धों की प्रधानता—नगरो में द्वंतीयक सम्बन्धों की अधिकता होती है अर्थात् अपने हितो और स्वार्थों की पूर्ति के लिए ग्रौपचारिक सम्बन्ध अधिक स्थापित किए जाते हैं। विभिन्न समितियों, समूहों, संगठनों आदि की सदस्यता का आधार द्वंतीयक सम्बन्ध ही होते हैं। डेविस के अनुसार, "मित्रो और परिचित व्यक्तियों को भी नगर के लोग केवल किसी विशिष्ट प्रसंग में ही जानते हैं, उनके जीवन के कुछ अशों से ही उनका परिचय होता है।" नगरीय सम्पर्कों को खण्डिक (Segmental) कहा गया है। व्यक्तियों के विभिन्न भागों से यह सम्बन्धित है, सम्पूर्ण परिचय व्यक्तियों की किसी सम्पूर्णता से नहीं। नगरो में लोगों के पारस्परिक सम्बन्ध ही द्वंतीयक नहीं होते बल्कि नियन्त्रण के साधन भी द्वंतीयक होते हैं।

(8) सामाजिक समस्याओं के केंद्र—जैसाकि हम सकेत दे चुके हैं, आज की अविकाश सामाजिक समस्याएँ नगरीय ही हैं। आधुनिक विशालकाय नगर विभिन्न अपराधों, घरेलिकताओं, व्याधियों और कलहों के केंद्र बने हुए हैं। नगरीय पर्यावरण व्यक्तियों में मानसिक तनाव बनाए रखता है और व्यक्तिवादिता को अत्यधिक प्रोत्साहन देता है। फलस्वरूप अपराधी व्यवहार पनपते हैं।

(9) ऐच्छिक साहचर्य—डेविस के अनुसार, नगरीय जनसंख्या का बड़ा आवार, इसमें घनिष्ठ निकटता, विभिन्नता और सरल सम्पर्क, नगर को ऐच्छिक साहचर्य (Voluntary association) के योग्य स्थान बना देते हैं। व्यक्तियों को, जाहे उनकी व्यावहारिक रुचि और उनके व्यवसाय कुछ भी हो, वे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, ममान हितो वाले व्यक्ति सदैव मिल सकते हैं। अत लगभग प्रत्येक प्रकार के समूह का एक गतिशाली ऐच्छिक चरित्र हो जाता है, जिसकी सदस्यता न तो भीगोलिक परिस्थिति के सयोग पर निर्भर होती है और न ही रक्त सम्बन्ध के सयोग पर। यहाँ तक कि प्राथमिक समूह भी इस प्रवृत्ति के बशीभूत हो जाते हैं, अर्थात् वे भी अधिक ऐच्छिक और अधिक विशेषोकृत बन जाते हैं।

(10) व्यक्तिगत (Individualisation)—नगरीय समुदाय की एक विशेषता व्यक्तिगत है। नगर में अत्यधिक जनसंख्या के एकत्र होने का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व का दमन करता नहीं होता, बल्कि इससे तो व्यक्तित्व को और बन प्राप्त होता है। नगर में अवसरों की बहुलता होती है, सामाजिक गतिशोलता होती है और साहचर्य की द्वंतीयक तथा ऐच्छिक प्रकृति पाई जाती है। ये सभी बातें व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने और अपने जीवन का नियोजन करने को बाध्य करती हैं। नगर की प्रगतियोगिता प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ऊपर तथा विरोधी बना देती है, विशेष सम्बन्ध या विशेष स्वार्थ से बंधा रहे—यह अनिवार्य नहीं है। नगरीय पर्यावरण में व्यक्ति को अवसर मिलते हैं कि वह अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह पहचाने और

उसके बारे में अधिक आत्मनिष्ठ इटिल्सोग शपवाए तथा उमे घपने चारों ओर की भीड़ के व्यक्तियों से पृथक् रख सके।

(11) शिक्षित एवं तकनीकीय जीवन—प्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय जीवन अत्यधिक शिक्षित और तकनीकीय होता है। नगर राजनीतिक जीवन के केन्द्र होते हैं भले: उनमें शिक्षा-सुविधाएं सबसे अधिक पाई जाती हैं। नगर के लोगों में सामाजिक जागरूकता होती है अत वे शिक्षा की जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ओर अनिवार्य प्रयत्न मानते हैं। शिक्षा और तकनीकीय प्रधानता के कारण नगर निवासियों में धन्यविश्वासी तथा शिक्षियों के प्रति आस्था बहुत कम पाई जाती है। परम्पराओं के प्रति उदासीनता और नवीनताओं तथा परिवर्तनों में प्रति भ्रंग—यह नगर की एक स्थाई विशेषता है और इसीलिए नगर निरन्तर तेजी से विकासमान है।

### नगरों के विकास के कारण

#### (The Origin of Cities)

नगरों के उदय के बारे में रोई भी निश्चित प्रभाण उपलब्ध नहीं किए जा सके हैं। प्रत्येक सम्भवता के इतिहास में उसके योगों का ही नहीं बरत् नगरों और उपनगरों का भी इतिहास दिया है। बीरस्टीड न लिखा है कि “सम्भवता का अर्थ नगर है और नगर का अर्थ सम्भवता, वस्तुतः मानव ने नगरों ने बढ़ावे में उसे सम्भव बनाया।”<sup>1</sup> पर इनका सब कुछ होते हुए भी नगरों का जन्म किस प्रकार और क्यों हुआ—सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कुछ विदानों ने नगरों की उत्पत्ति माज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व मानी है तो कुछ न खुदाइयों में प्राप्त अवशेषों वे धारावर पर इसा से लगभग 4-5 हजार वर्ष पूर्व से। उदय का वास्तविक समय जाहे निर्धारित न किया जा सके, पर यह निश्चिन है कि नगरों का कभी एक-एक निर्माण नहीं हुआ बल्कि स्थान विशेष पर ज्यो-ज्यो विभिन्न अनिरिक्त सुविधाएं प्राप्त होती रही, वह स्थल जन्म जन्म—नगर बार रूप लेता गया।

नगरों की उत्पत्ति और विकास में एक नहीं बरत् अनेक कारणों का सहयोग रहा जिन्हे संक्षेप में निम्नानुसार रखा जा सकता है—

(1) अतिरिक्त साधन—येकाइवर एवं पेज के अनुमार प्रारम्भिक नगरों की उत्पत्ति और विकास में अतिरिक्त साधनों (Surplus resources) का बड़ा हाल रहा। जहाँ कहीं व्यक्तियों या व्यक्ति समूह ने जीवन की आवश्यकताओं के बहुत अधिक साधनों पर अधिकार कर लिया, वहाँ नगरों का विकास हो गया।<sup>2</sup> प्रारम्भ में एक समूह से दूसरे समूह पर विजय प्राप्त करके उपहार में हथियार, स्त्रियाँ, गुलाम तथा मूल्यवान धारुएँ भारी प्राप्त करना था। बाद में इस अतिरिक्त श्रम तथा ऐंजों की सहायता से किसी भी उपयुक्त स्थान को नगरों के रूप में परिवर्तित कर

1. बीरस्टीड, बही, बैज 423
2. बीरस्टीड द्वया बैज : बही, बैज 290

दिया जाता था। भारत में आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ आदि नगरों का विकास इन अतिरिक्त साधनों के कारण ही सम्भव हुआ था। विगत दो शताब्दियों में सासार में सबसे अधिक नगरों का निर्माण और विकास होने का कारण भी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त साधनों को एकत्र कर लेना होता है। अतिरिक्त साधनों का अभिप्राय खनिज पदार्थों से भी है जिनकी सहायता से नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव होती है।

(2) श्रीद्योगीकरण—मकाइवर एवं पेज के अनुसार यह नगरों के उदय और विकास का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। विशेष रूप से श्रीद्योगिक कान्ति के कारण बड़े बड़े उद्योगों की संस्था बढ़ गई तथा विशाल पैमाने पर उत्पादन होने लगा। उद्योग-धन्यों के पनपने के साथ नए-नए नगर बसते गए। श्रीद्योगिक विकास ने नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया और छोटी-छोटी वस्तियाँ विशाल नगरों में बदलती गई। जनसंख्या बढ़ी और नगरों के विकास में सहायता मिली। भारत में जमशेहपुर, मोदीनगर, दुर्गापुर राऊकेला, मिलाई आदि नगरों के विकास पर श्रीद्योगीकरण का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है।

(3) व्यापारीकरण—यह भी हजारों वर्षों पूर्व से नगरों के विकास में महत्वपूर्ण कारण रहा है। व्यापारीकरण द्वारा बड़े-बड़े उद्योग धन्ये प्रोत्साहित होते हैं जिनसे बड़े बड़े कारखाने बढ़ते हैं, उत्पादन बढ़ता है, नाना वस्तुओं की मणियाँ स्थापित होती हैं, अन्य छोटे-छोटे उद्योग धन्ये भी विकसित होते हैं और इस तरह कुछ स्थान व्यापार के केन्द्र बन जाते हैं जहाँ बड़े-बड़े नगर बस जाते हैं। प्राचीन ग्रीक और रोमन साम्राज्य में जहाँ कहीं भी माल का वितरण होता था, व्यापारिक कियाओं का विनियम होता था और पूँजी का एकत्रीकरण था, वही बड़े-बड़े नगरों का विकास हुआ। इसी तरह भारत में तक्षशिला, नालन्दा, पाटलिपुत्र, आदि नगरों का विकास प्रारम्भ में व्यापारिक कियाओं के विस्तार के कारण ही हो सका। आधुनिक युग में भी उन्होंने नगरों का विकास हो पाता है जहाँ व्यापार की प्रधानता होती है।

(4) कृषि-कान्ति—प्रारम्भ में नगरों का उदय वहाँ हुआ जो क्षेत्र कृषि की दृष्टि से सबसे अच्छे थे। कृषि के अनुकूल स्थितियाँ नदियों की उपजाऊ घाटियों में बहुधा पाई जाती थी। परिणाम यह हुआ जैसाकि डेविग ने लिखा है, प्रथम नगर नील, दजला, फरात तथा सिन्ध की घाटियों में उत्पन्न हुए। नए सासार में (अर्थात् उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में) पहले नगर रेगिस्तान की घाटियों में, एण्डोब पवंत तथा प्रशान्त महासागर के बीच में, खटेमाला के पठार में, तथा भैंकिसको की घाटी में उत्पन्न हुए। आधुनिक युग में भी कृषि-कान्ति नगरों के विकास में सहायक है। कृषि के यन्वीकरण से बहुत धोड़े से आदमी सम्बद्ध खेतों का काम सम्भाल सकते हैं और पहले से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। फलस्वरूप लोगों की विशाल संस्था अन्य उद्योग-धन्यों में लग सकती है। लोग काम की तत्त्वानि के पास जा पहुँचते हैं और इस तरह नगर बसन लगते हैं। पाश्चात्य देशों में कृषि-कान्ति नगरों के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ है।

(5) नगर का प्रार्थिक आकर्षण—नगरों का आधिक आकर्षण जनसंख्या की बढ़िया और उच्च जीवन स्तर से सम्बन्धित है। नगरों में आजीविका प्राप्त करने के पर्याप्त साधन होते हैं, अत अन्य स्थानों के बेकार व्यक्ति तेजी से नगरों की ओर घटने लगते हैं और इस तरह नगरों का विकास होता जाता है। नगरों में यातायात व मन्देशवाहन के उच्चत साधनों के कारण भी लोग इन्ही स्थानों पर रहना पसन्द करते हैं क्योंकि इनकी सहायता से ही आधिक जीवन में समुचित उन्नति की जा सकती है। मेकाइवर वे शब्दों में, 'आधिक सुविधाओं का आकर्षण नगरों के विकास का सबैं से एक आधारभूत कारक रहा है।'

(6) राजनीतिक सुविधाएँ—राजनीतिक सुविधाओं और राजनीतिक कारणों से भी नगरों के विकास में बड़ी सहायता मिलती है। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि सत्तार के सब देशों में राजपानियों का बड़े नगरों के रूप में विकास हुआ है। यासन-व्यवस्था को चलाने के लिए प्रमुख व्यक्ति प्रमुख कार्यालय अधिकारी एवं प्रमुख न्यायिक संस्थाएँ नगरों में ही स्थित होते हैं। प्रत्यक्ष नियन्त्रण के कारण सभी व्यक्तियों को वास्तविक अधिकार प्राप्त होते हैं। इनकी सहायता से नगर निवासियों का जीवन धर्मिक सुरक्षित और शान्तिपूर्ण बना रहता है। जीवन की ये घटनाएँ लोगों के लिए आपकक होती हैं अत लोग नगरों में रह कर अपने विकास का प्रयत्न करते हैं।

(7) नागरिक सुविधाएँ और सुलोपभोग के साधन—नगरों में स्कूलों, कॉलेजों सरकारी लालयों नाव्यशालायों, श्रीदूषिक शिखण्डालयों विकित्सालयों प्रादि की सुविधाएँ होती हैं। इसके अतिरिक्त जीवन के लिए आवश्यक और भी विभिन्न सुविधाएँ नगरों में उपलब्ध होती हैं, अत इन सुविधाओं में आकर्षित होकर मनुष्य नगरों में आकर रहने लगते हैं। वे नगरों को प्रपनी और अपने बालकों की योग्यता को बढ़ाने का उपयुक्त साधन मध्यमते हैं। गांवों में पैसा होने पर भी लोगों को सुलोपभोग करने के साधन नहीं मिलते। नगरों में सिनेमाघर, कलब, होटल प्रादि मनोरंजन के विभिन्न साधन होते हैं जहाँ जीवन का आनन्द लिया जा सकता है। मनोरंजन के ये साधन सभी गांव के लोगों को अपनी और विशेष रूप से आकर्षित करते हैं और गांव के लोग गांव छोड़ कर नगरों में बसने लगते हैं।

(8) सैनिक शिविरों की स्थापना—बीरस्टीड प्रादि समाजशास्त्रियों की दृष्टि में सैनिक कारक भी नगरों के विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदार्दि रहे हैं। जिन स्थानों पर सेना के झड़े, हथियार प्रादि के कारखाने होते हैं उनके पास बड़े नगर बस जाते हैं। बीरस्टीड के शब्दों में, 'प्रारम्भिक नगर सैनिकों के शिविर थे, वही आगे चलकर किसे बन गए और सैनिक कारकों ने अपने महत्वपूर्ण योगदान को बनाए रखा।' बरगेल (Bengal) के अनुसार भी प्रारम्भ में पराजित लोगों के थोक्री में स्थानीय सैनिक छावनियों के निर्माण से ही नगरों की गोद पड़ी।

(9) धार्मिक विश्वास—नगरो के विकास में धार्मिक कारण भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। प्राय यह कहा जाता है कि जहाँ भलौकिक आत्माओं ने जन्म लिया हो वहाँ रहने से और वहाँ की यात्रा करने से पापो का नाग होता है। इस प्रकार की धार्मिक धारणाओं ने नगरो के विकास में सहायता पहुँचाई है। भारत में इसी विश्वास के स्वरूप बनारस, मथुरा, हरिद्वार, घयोध्या, गया, आदि बड़े बड़े धार्मिक नगरो का निर्माण हुआ और लाखों धार्मियों को आवश्यकताओं को पूरा करने की हित से जनने-जनने इन धार्मिक नगरो में सभी प्रकार की सुविधाएँ जुटाई गईं जिनसे इन नगरो का रूप इतना विस्तृत हो गया कि आज ये प्रमुख नगर गिने जाते हैं।

(10) आमीण समस्याएँ—नगरो के विकास में आमीण समस्याएँ भी सहायक सिद्ध हुई हैं। प्राय सेतो के उपविभाजन और अनाधिक जोतो के कारण गाँवों में भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ जाता है। भूमि के थोड़े से हिस्सों पर खेती करने से भाजीविका का निर्वाह नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त गाँवों के कुटीर उद्योग मरींगों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर पाते। इन समाजीकरणों से गाँव के लोगों की अधिक स्थिति नहीं सुधर पाती और वे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए नगरों की ओर चल पड़ते हैं। इस कारण नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है।

उपर्युक्त सभी कारक नगरों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। वास्तव में “प्रारम्भ से लेकर अभी तक नगरो (Cities) के इतिहास का अन्वेषण (Trace) करना अनावश्यक है। निश्चित रूप से विशुद्ध सांख्यकीय प्रमाण 19वीं शताब्दी के आरम्भ से, नगरीकरण के निरन्तर विकास के विषय में कुछ सकेत देते हैं। 1800 ई० में सासार में एक भी ऐसा नगर नहीं या जिसकी जनसंख्या 10 लाख अधिक हो। पच्चीस से भी कम ऐसे नगर ये जिनमें अधिक से अधिक एक लाख निवासी थे। 1950 में 150 वर्ष बाद 46 महानगरीय शेष ये जिनकी संख्या 10 लाख या उसमें अधिक थी और 700 की एक लाख से अधिक थी। 1962 में सासार के 112 नगरीय होत्रों में इस लाख या उसमें अधिक जनसंख्या थी और इनमें से 31 में 20 लाख से भी अधिक थी। 1960 में केवल टोकियो नगर की ही लगभग एक करोड़ जनसंख्या थी जबकि लन्दन की जनसंख्या न्यूयॉर्क से कुछ अधिक थी, न्यूयॉर्क की जनसंख्या 80 लाख से कुछ ही कम थी। 1962 में न्यूयॉर्क के नगरी शेष की जनसंख्या एक करोड़ 20 लाख तक पहुँच जाएगी। ..... एशिया और अफ्रीका में सासार के बड़े-बड़े होत्रों की अपेक्षा नगरीकरण बहुत कम है। नगरीकरण और शौचालयीकरण में स्पष्टत एक सम्बन्ध है। जैसे-जैसे शौचालयीकरण का निरन्तर प्रसार होता रहता है उसी प्रकार नगरों भी सास्या और भाकार में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।”<sup>1</sup>

## प्रामीण और नगरीय समुदाय की तुलना (Comparison between Rural and Urban Communities)

हम प्रामीण और नगरीय समुदायों के भिन्नप्राय और उनकी विशेषताओं तथा प्रकृति की विस्तृत विवेचना कर चुके हैं। अब, दोनों समुदायों के बीच तुलना करना अधिक इनमें भिन्नता प्रकट करना हमारे लिए अब सुगम है। अग्रिम पत्तियों में सम्प्रथम हम तुलना के सम्बन्ध में आजे वाली कठिनाइयों का और तत्पश्चात् दोनों में भिन्नताओं का उल्लेख करें।

### तुलना में कठिनाइयाँ

#### (Difficulties in Comparison)

प्रामीण और नगरीय जीवन का अन्तर यद्यपि बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन यथार्थ में इस सम्बन्ध ने मुख कठिनाइयाँ हैं जिनका उपयुक्त समाधान अभी नहीं खोजा जा सका है। मेकाइवर तथा पेज ने इस सम्बन्ध में तीन प्रमुख कठिनाइयों का उल्लेख किया है—

(1) नगरीय तथा प्रामीण जीवन में अन्तर केवल मात्रा का है—शराबिद्यों से मानव-वस्ती के ये दो अत्यधिक मात्र्य और साधारण स्वरूप रहे हैं, लेकिन हम दोनों के बीच कोई ऐसी स्पष्ट सीमा रेखा नहीं स्थित सकते कि नगरीय जीवन अमुक बिन्दु पर समाप्त होता है और प्रामीण जीवन अमुक बिन्दु पर शारम्भ होता है। विलगे हए किसानों के घर धीरे-धीरे अदृश्य हप से गांवों में और गांव नगरों में प्रवेश कर जाते हैं। प्रामीण और नगरीय जीवन सामुदायिक जीवन की पढ़तियों को दूर्घटित करते हैं, वे केवल भौगोलिक स्थिति को व्यक्त नहीं करते। जनसंख्या अधिक हम नगर की परिभाषा के सन्दर्भ में डेविस द्वारा दिए गए उदाहरणों में देख चुके हैं।

(2) नगर के भीतर नाना प्रकार के पर्यावरण—नगर और याम की तुलना करने में दूसरी कठिनाई यह है कि सभी नगरों का पर्यावरण एक जैसा नहीं होता। फिर एक नगर के भीतर रहने वाले विभिन्न समूहों के तिए भी अत्यन्त विभिन्न सामाजिक पर्यावरणों की भूमिका होती है। नगर में बहुत कम सामान्य कार्य या सामान्य घटनाएँ होती हैं जिनमें कि सभी लोग भाग लें। नगर जीवन में अपार विप्रकाश है। एक दूसरे के मकानों या मकानों की मजिलों के भीतर रहने वाले निवासी ही एक दूसरे से परिचित और पूर्णतः भिन्न जीवन विताते हैं। नगर में ही कही अभिक वर्ग होता है जो अपनी विशेषताओं से बिलकुल प्रामीण होता है तो कही सम्प्रभ वस्तियाँ होती हैं जिनकी सम्मूण विशेषताएँ नगरीय होती हैं। नगर में ही कही गांवों की परियों दिखाई देती हैं तो दूसरों ओर मव्व पट्टालिकाएँ

खड़ी होती हैं। फिर, निर्धन लोगों और मध्यम वर्ग के लोगों के रहन-सहन में, उनकी मनोवृत्तियों में भारी अन्तर पाया जाता है। तब हमारे सामने कठिनाई उपस्थित होती है कि हम इनमें से किस समूह को आमीण मानें और किसे नगरीय?

(3) नगर और ग्राम का परिवर्तनसील स्वभाव—नगर और ग्राम की तुलना करने में तीसरी मुख्य कठिनाई यह है कि नगर और ग्राम दोनों ही स्थिर नहीं रहते। एक और तो योग्योगीकरण के फलस्वरूप नगर की सीमाओं से लगे ग्राम नगरीय क्षेत्रों में मिलते जा रहे हैं और दूसरी ओर उन लोगों के फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय में भी नगरीय विशेषताओं का प्रसार हो रहा है जो गाँवों से नगर में काम करने जाते हैं और लौट कर घरन साथ नगर की विशेषताओं को गौड़ में ले आते हैं। इतना ही नहीं, दोनों समुदायों की विशेषता में भी निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरणार्थे, गिरजा एवं सामाजिक जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ ग्रामीण समुदाय में आधुनिकता फैल रही है और धन्धविश्वासी, रुक्किंग इत्यरूप परम्पराओं तथा कुरोदियों में कमी आ रही है। दूसरी ओर नगरों में अधिक-वस्तियाँ बढ़ रही हैं तथा औसत परिवारों का जीवन-स्तर गिर रहा है। इस प्रकार नगरीय समुदायों में ग्रामीण विशेषताओं का बदता हुआ प्रभाव दिखाई देता है। ये स्थितियाँ ऐसी हैं कि हम सुनिश्चित रूप से नगर और ग्राम की तुलना करने में कठिनाई भनुमत करते हैं।

मेकाइवर एवं पेज ने स्वीकार किया है कि इष्ट क्षेत्र में बड़ते हुए अनुसंधान ग्रामीण के कारण ग्राम और नगर की तुलना सम्बन्धी कठिनाइयों का समाधान करना मम्भव है। हम कुछ स्पष्ट आघारों को लेहर ग्रामीण और नगरीय समुदाय की तुलना कर सकते हैं।

**ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में तुलना**

(Comparison between Rural and Urban Communities)

(1) सामाजिक स्तरीकरण सम्बन्धी अन्तर—ग्रामीण और नगरीय समुदाय में सामाजिक स्तरीकरण (Social Stratification) सम्बन्धी विभाजन पाई जाती है। दोनों में जाति और वर्ग के सिद्धान्त अधिकांशतः विभाजित हैं। गाँवों में नगरों की अपेक्षा सामाजिक वर्गों की सम्भ्या कम होती है और जातियाँ भी इनी-गिनी हैं। फिर नगरों के पारस्परिक वर्गों में जितनी दूरी है, उतनी गाँवों के वर्गों में नहीं है। यद्यपि गाँवों में जाति बन्धन बड़े कठोर है, लेकिन आमवासियों में ऊँच-नीच की भावनाएँ उतनी नहीं पाई जाती जितनी कि शहरों में हैं। गाँवों में हृषि प्रधान ग्राम-व्यवस्था होती है और अधिकांश लोग लगाधग समान आर्थिक स्थिति के पाए जाते हैं, अतः व्यावहारिक रूप में कोई विशेष मामाजिक स्तरीकरण नहीं पाया जाता (भारतीय गाँवों के संदर्भ में जाति-व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण को छोड़कर)। दूसरी ओर नगरों में लक्षपति, करोड़पति और उच्च अधिकारी अपने से निम्न वर्ग के लोगों बहुत कम सम्पर्क बनाते हैं। यह अवश्य है कि नगरों में जाति-पांति के बन्धन

गांधि के समान कठोर नहीं होते अत एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों से सम्पर्क करने में सरलता होती है।

(2) सामाजिक गतिशीलता सम्बन्धी घन्तर—गांधी में सामाजिक गतिशीलता शहरों की तुलना में बहुत कम होती है। इसका मुख्य कारण गांधी में व्यवसायों और आर्थिक कियाओं का कम होना है। ग्रामीण अपने व्यवसायों में श्रीघ्रता से परिवर्तन भी नहीं करते। उनके घर भी स्थाई और निजी होते हैं जिन्हे व सरलतापूर्वक नहीं बदलते। दूसरी ओर नगरों में व्यवसायों की भारी भिन्नता पाई जाती है। नगर आर्थिक कियाओं के केन्द्र हैं जहाँ व्यक्ति अपने पुश्टतमी पेशों से विषयके नहीं रहते बल्कि सुविधानुसार अपने व्यवसाय बदल सेते हैं। संकड़ों-हजारों व्यवसायों में से किसी भी व्यवसाय को चुनने की जो स्वतंत्रता और सुविधा नगरीय व्यक्ति को होती है, उसकी ग्रामीण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों तथा मनोवृत्तियों में श्रीघ्रतापूर्वक परिवर्तन होते रहने से भी नगरीय लोगों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आता रहता है जबकि ग्रामीण जीवन में एक स्थिरता सी पाई जाती है।

(3) सामाजिक सम्बन्धों का अन्तर सम्बन्धी घन्तर—गांधी में सामाजिक सम्बन्धों का क्षेत्र सीमित होता है जबकि नगरों में एक ही व्यक्ति विश्व गुणधूमि के हजारों लोगों से सम्पर्क स्थापित नहरता है जिससे न केवल सम्बन्धों का धार बहुत व्यापक बनता है बल्कि सम्बन्धों में विविधता भी आ जाती है। ग्रामीण समुदाय में सामाजिक सम्बन्ध स्थाई और आपगमिक होते हैं जबकि नगरों में द्वैतीयक सम्बन्धों की सक्षमा अधिक होती है। लौरस्टीड के गढ़ों में एक नगर निवासी के सम्बन्ध दूसरे के माध्यमिकता सम्बन्ध न होकर स्थितिगत सम्बन्ध ही होते हैं। वह एक ही दिन में संकड़ों लोगों के साथ अन्त क्रिया कर सकता है उनमें से कुछ को जानता है और कुछ को नहीं जानता। वह उनके साथ उनकी और अपनी प्रस्तिति के साथ जुड़े हुए प्रतिनामों के प्रावाहर पर अन्त क्रिया करता है। साराश भ. गांधी ने आर्थिक सम्बन्धों प्रायगमिक समूहों की प्रवानता होती है जबकि नगरों में द्वैतीयक सम्बन्धों, द्वैतीयक समूहों और प्रस्तितिगत सम्बन्धों की।

(4) सामाजिक संगठन सम्बन्धी घन्तर—ग्रामीण और नगरीय समुदायों में सामाजिक संगठन सम्बन्धी भिन्नता भी बहुत अधिक है। बीरस्टीड के अनुसार, गांधी में नगर की अपेक्षा मामूलिक जीवन में बहुत कम संगठनात्मक स्थिरताएँ पाई जाती हैं। एक किसान के लिए समाजित और असमाजित समूह एक ही जैसे हैं, व्यक्ति वह दोनों ही समूहों के सदस्यों को जानता है। नगरों में सामाजिक संगठन जटिल होता है जबकि गांधी में ग्रनोपचारिक और सरल। पुनर्व ग्रामीण समाज के संगठन में रायुक्त परिवार प्रणाली (भारत वे नदेश में) मुख्य आधारशिला है जबकि नगरों में मूल परिवार ही अधिक सह्या में भिन्नते हैं और जो सयुक्त परिवार हैं वे भी तेजी में विद्युतिन हो रहे हैं। इमां भुख कारण यह है कि ग्रामीण जीवन की तुलना में

नागरिक जीवन का प्रन्थ देशों की सकृतियों से सम्बन्ध होता रहता है, प्रत्यक्तिवादी भावना का नगरों में अधिक प्रसार होता है। जैवाहिक क्षेत्र में भी ग्राम्य और नागरिक समाज में अन्तर पाया जाता है। भारत के नगरों में, पाइचाट्य सम्पर्क के प्रभाव से, प्रेम और रोमान्स-जीवाह के आधार बनते जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण समाज अभी इससे मुक्त-सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाएँ और समितियाँ अधिकांशत जातीय आवार पर हैं जबकि नगरों में आवश्यकता ही समितियों और संस्थाओं के जन्म को प्रोत्साहित करती हैं।

(5) सामुदायिक भावना सम्बन्धी अन्तर—गांव का आकार छोटा होता है और वहाँ प्राथमिक सम्बन्धों की प्रमुखता होती है। दूसरी ओर नगरों का आकार बहुत बड़ा होता है जहाँ द्वितीयक सम्बन्धों की प्रधानता होती है। अत गांवों में जहाँ सामुदायिक भावना बहुत अधिक पाई जाती है वहाँ नगरों में इसका अभाव होता है। नगरों में एक ही स्थान पर विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग, जिकित और अजिकित, घनी और निवंत् सभी वकार के व्यक्ति पाए जा सकते हैं। इस प्रकार की सामाजिक विभिन्नताओं के बीच सामुदायिक भावना अथवा “हम की भावना” (We feeling) का विकास नहीं हो पाता। यह स्थिति तो गांव में ही देखने को मिलती है।

(6) मानसिक शान्ति की दृष्टि से अन्तर—रॉबर्ट बीरस्टीड ने लिखा है कि बहुत से लोगों के मतानुभार नगर की गति लीब्र है जहाँ मानसिक शान्ति नहीं मिल पाती। मानसिक शान्ति तो गांव में ही मिल सकती है। नगर में अशान्ति, मानसिक रोग, शारीरिक रोग आदि दिलाई देते हैं जिनसे तुटफारा पान वे तिए भनुष्य प्रयत्न करता रहता है। इस प्रकार की भारी कठिनाई ग्रामीण जीवन में नहीं दिलाई देती। बीरस्टीड का कहना है कि “फिर भी नगर में कुछ ऐसे बचि हैं जो इस बात का उत्तर नहीं है कि नगरों में भी मौत के क्षेत्र (Areas of Silence) और शान्ति के घटे (Hours of Peace) कहाँ पर और कब होते हैं।”

(7) सामाजिक नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर—ग्रामीण और नगरीय समुदाय में मानसिक नियन्त्रण भी गहरा विभेद प्रस्तुत करते हैं। नगरों में इसका स्वरूप द्वितीयक और औपचारिक होता है जबकि गांवों में यह प्राथमिक और अनौपचारिक होता है। ग्रामीण समुदाय में किसी बृद्ध पा समानित व्यक्ति की माझा या वचापत के फैले का महत्व अत्यधिक नियन्त्रणकारी प्रभाव रखता है जबकि नगरीय समुदाय में ऐसे निर्णयों का महत्व नगद्य है। नगरों में पारिवारिक नियम तक व्यक्ति के आचरण को नियन्त्रित नहीं कर पाने। गांवों में नैतिकता को महत्व दिया जाता है और यह सामाजिक नियन्त्रण का एक प्रमुख साधन है। लोग धर्म, प्रधानों, परम्पराओं और लोकाचारों की अवहेलना प्रायः नहीं करते। दूसरी ओर नगरों में नैतिकता को दिलाके की होती है, अन्यथा व्यावहारिक जीवन में उसे नियन्त्रणकारी साधन के रूप में मान्यता बहुत कम मिल पाती है। नगरीय औपचारिक जीवन को

नियंत्रित बरने के लिए दुलिह गुप्तवर विभाग, कानून, न्यायालय, आदि नियंत्रण के हेतुवक वाधनी का विशेष महत्व होता है।

(8) विशेषीकरण और स्थानीयकरण—प्रामीण जीवन में इसी भी क्षेत्र में विशेषीकरण नहीं पाया जाता। वहा प्राप्त सम्पूर्ण क्रियाएँ एक ही प्रधान कार्य कुपि से सम्बन्धित होती हैं। परं एकत्रिता नगरों में दिखाई नहीं देती। विभिन्नता ही वहा विशेषीकरण को उत्पन्न करती है। बीरस्टीड के प्रत्युमार, प्रथम तो नगरों में विशेषीकरण की प्रवत्ति का प्रस्तित्व है, यत् विभिन्न नगर विभिन्न कार्यों और प्रियान्मो पर विशेष बल देते हैं (विशेषकर पाश्चात्य देशों के सदर्शन म) एवं डिलीय, नगर में कुछ क्षेत्र विशेषीकरण-क्षेत्र बन जाते हैं और फनस्वरूप ऐसे स्थानों पर कुछ निश्चित समूह और क्रियाएँ भी स्थानीय विशेषता रखती हैं। प्रामीण समुदायों में ऐसी बात देखने को नहीं मिलती। प्रामीण कार्य मरल होने हैं जिन्हे करने के लिए इसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। प्रामीण जीवन को इस 'सामाजिक जीवन' (Common Life) कह सकते हैं। नगरों में जो निवासीय (Residential) स्थानीयकरण होता है, वह गांवों में नहीं पाया जाता। नगरों में स्थानीयहरण नहीं मार्गों में बट जाता है—विशेषकर प्रजातीय समूह, राष्ट्रीयता और सामाजिक वर्ग में। ऐसा कोई विभाजन गांवों में नहीं होता।

(9) आर्थिक आधारों पर अन्तर—प्रामीण और नगरीय समुदाय में आर्थिक आधार पर मारी अन्तर पाया जाता है। जहाँ गांवों में हृषि और तुरीय उद्योग-घन्थों की ही प्रधानता होती है और आर्थिक क्रियाएँ बहुत कम होनी हैं वहाँ नगरों में सैकड़ों-हजारों लाखायां होते हैं तथा अमर्याद्य आर्थिक क्रियाएँ नगरों के जीवन को अनवरत हृप से चलने वाली मशीन की तरह बनाए रखती हैं। जहाँ गांवों में व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा नहीं पाई जाती वहाँ नगरीय जीवन से हर कदम पर व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा पाई जाती है। जहाँ प्रामीण जीवन-स्तर भादा और सरल होता है तथा आवश्यकताएँ बहुत सीमित होती हैं वहाँ नगरीय जीवन अधिरांगत दिखावटी और तड़फू-भड़क का होता है तथा नोया की आवश्यकताएँ भी बहुत अधिक होती हैं। गांवों में आर्थिक साधन बहुत सीमित होते हैं अतः आर्थिक विषयता भी बहुत कम पाई जाती है। दूसरी ओर नगरों में आर्थिक साधन प्रबुर नस्या में होते हैं जिनका लाभ उठाने के लिए घोर प्रतिस्पर्द्धा होती है और फनस्वरूप भारी आर्थिक विषयताएँ दिखाई देती हैं। इन्हीं कारणों में जहाँ प्रामीण जीवन में वर्त-संघर्ज जैसी तमस्या नहीं पाई जाती वहाँ नगर वर्त-संघर्जों के केन्द्र बन हुए हैं। गांवों में मानवता का नौ मूल्य है वह नगरों में नहीं पाया जाता। नगरीय जीवन आर्थिक जीवन है और आर्थिक जीवन की सकलता ही मवच बड़ी सकलता है। प्रामीण जीवन इतना अर्थ-प्रधान नहीं है। योद्वायीकरण का जो महान स्वरूप नगरों में दिखाई देता है उससे यामीण जीवन बहुता है।

(10) सांस्कृतिक भाषाएँ पर अन्तर—सांस्कृतिक विशेषताएँ की हाजिर से

ग्रामीण और नगरीय जीवन में विशेष अन्तर नहीं पाया जाता। बास्तव में सांस्कृतिक विशेषताएँ ही वे कठिनी हैं जो गांव और नगरों को एक दूसरे से भिन्नता हैं। पहली स्वामादिक भी है क्योंकि गांव ही तो विकसित होकर आखिर नगर बने हैं। अतीत की महान सस्कृतियाँ ग्रामीण जीवन में ही फलीफूनी थीं और तब उनका प्रवेश नगरों में हुआ। परं फिर भी दोनों समुदायों में सांस्कृतिक भेद हैं अवश्य। जहाँ ग्रामीण सस्कृति में स्थिरता और मौलिकता आज भी विशेष तत्व हैं वहाँ नगरों में ऐसा नहीं है। नगरीय सस्कृति ग्रामीण सस्कृति का ही परिवर्तित रूप है और विदेशी सम्पर्क का उम पर निरन्तर व्यापक प्रभाव पड़ता रहता है। फलस्वरूप नगरीय सस्कृति में 'अपनापन' प्रम्पट हो गया है, अपनापन और विदेशीपन दोनों के तत्त्व धुल मिलने से गए हैं। गांवों में सस्कृति का जो मौलिक स्वरूप दिलाई देता है वह नगरों में नहीं, क्योंकि नगर तेजी से आधुनिकीकरण कर चुके हैं और करते जा रहे हैं। ग्रामीण सस्कृति में प्रचीनता से अब भी दूरा लगाव है जबकि नगरों में नवीनता के प्रति आकर्षण। नवीनता और आधुनिकीकरण के चक्कर ने नगरीय लोगों के आचरणों, पौष्टिक, व्यवहारों—भाषी में ग्रामीण जीवन से भिन्न भारी अन्तर ला दिया है।

(11) स्त्री पुरुषों के बीच सम्बन्ध विषयक अन्तर—ग्रामीण जीवन की तुलना में नगरीय जीवन में स्त्री-पुरुषों के बीच के सम्बन्धों पर औदोगीकरण, व्यापारीकरण, विशेषीकरण, राजनीतिक चेतना, शैक्षणिक जागरूकता आदि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। नगरों में हितयों को उपलब्ध होने वाले अवसर निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं जबकि गांवों में हितयों के लिए अवसरों के द्वारा अब भी बन्द से हैं। इसके अतिरिक्त शहरी जनसम्प्ला में अविवाहित स्त्रियों और पुरुषों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। नगरीय जीवन से हितयों का व्यक्तीकरण (Individualization) हुआ है और उसके फलस्वरूप हितयों तथा पुरुषों के बीच सम्बन्धों में अधिक स्वतंत्र पारस्परिकता आई है। अब हितयों पुरुषों के साथ रप्ताणियों के नाते नहीं बल्कि व्यक्तियों के नाते व्यवहार करती हैं।<sup>1</sup> गांवों में स्त्री-पुरुषों के बीच सम्बन्धों की स्थिति आज भी बहुत कुछ वही परम्परागत है।

ग्रामीण और नगरीय जीवन में जो महत्वपूर्ण भिन्नताएँ देती हैं उनका हमने उल्लेख किया है। बोरस्टीड ने अपना निष्ठायं देते हुए लिखा है कि "यद्यपि दोनों के मध्य कोई स्पष्ट रेखा नहीं खीची जा सकती किर भी सम्पूर्ण इतिहास में दो विभिन्न सस्कृतियों के बाएँ हैं, जिसके प्रनुसार सर्वेव से ही इनके अपने-अपने विचार, अपने-अपने प्रतिमान और अपने अपने साधन (Materials) होते हैं। यद्यपि सचार और यातायात के साधनों में होने वाले विशाल परिवर्तनों न इन दोनों के बीच असमानताओं को बहुत कम कर दिया है। यह भी सम्भव है कि नगरीकरण के साथ ही साथ इन अन्तरों के महत्व मी कम होते चले जाएंगे, परन्तु

पुस्त भेद के रहे हो जिसमें एक प्रामीण समुदाय और दूसरा नगरीय समुदाय रहेगा। इस सदर्भ में हमें गाँव और नगर को शैक्षणिक आधार पर दो विभिन्न स्थानों के रूप में लेकर नहीं अपितु सामाजिक आकार पर अर्थात् समूहों के दो विभिन्न प्रकार और जीवन की दो विभिन्न रीतियों (Modes) के आधार पर समझना चाहिए।<sup>1</sup>

### प्रामीण और नगरीय समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व (Sociological Importance of Rural and Urban Communities)

प्रामीण और नगरीय समुदाय भिन्नताओं के बावजूद एक दूसरे के पूरक हैं और विभिन्न दृष्टियों से समाजशास्त्रीय महत्व का विषय है। समाजशास्त्र जिस भानव-समाज का अध्ययन करता है वह सम्पूर्ण समाज यदि दो प्रमुख समुदायों में विभाजित किया जाए तो एक का 'नाम "गाँव" और दूसरे का "नगर" होगा। इन दोनों समुदायों में सभी प्रकार के आधिकारिक और द्वैतीयक सम्बन्धों का समावेश है जो कि समाजशास्त्र की अध्ययन-बस्तु हैं।

#### प्रामीण समुदाय का महत्व

यदि हम प्रामीण समुदाय को लें तो महत्व की दृष्टि से इसे हम लगभग सम्पूर्ण समाज का प्रतिनिधि मान सकते हैं, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में जनसङ्ख्या का एक बड़ा भाग गाँवों में ही निवास करता है। इस प्रकार गाँवों का जीवन-स्तर वास्तव में देश के जीवन स्तर का दर्पण है और गाँवों की प्रगति सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति है। हमारे देश में ही लगभग 80 प्रतिशत से भी अधिक जनसङ्ख्या गाँवों में निवास करती है और यदि गाँव पिछड़े हुए और विपक्ष हैं तो भारत भी पिछड़ा हुआ और विपक्ष है।

प्रामीण समुदाय देश के आधिक जीवन का आधार है। गाँव कच्चे माल के उत्पादक हैं जिसके प्रभाव में देश की—नगरों की आधिक सरथना ही टूट जाएगी। विशालकाय नगरों का प्रस्ताव प्रामीण समुदायों द्वारा उत्पादित कच्चे माल और अम पर जितना निमंत्र है, उतना अन्य किसी जात पर नहीं।

प्रामीण जीवन यामाजिक संगठन का प्रतीक है, प्राथमिक सम्बन्धों के मूल्यों का संस्थापक है। प्राथमिक सम्बन्धों में कितना बल है, इसका सही भाभास हमें प्रामीण जीवन देता है। अपक्रियादिता और सामाजिक कलहों से उत्पन्न अशान्ति गाँवों में प्रायः देखने को नहीं भिलती। नानांक नानांक जितनी गाँवों दे भिलती है, उतनी द्वैतीयक सम्बन्धों से परिपूर्ण नगरों में नहीं। देश की जनसङ्ख्या का तीन-चौथाई से भी अधिक भाग गाँवों में आवाद है, अतः हम प्रामीण संगठन को ही समाज के संगठन की सज्जा दे सकते हैं। यदि हमारे गाँवों में विषट्ठनकारी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं तो सम्पूर्ण समाज का विषट्ठन कोई टाल नहीं सकता।

1. शीर्षक नहीं, पृष्ठ 440

ग्रामीण समुदाय किमी भी देश की अपनी मौलिक संस्कृति के बाहक हैं। अतीत से भजोए गए सांस्कृतिक मूलयों के दर्शन किसी भी समाज के ग्रामीण जीवन में ही स्पष्ट रूप से होते हैं। ग्रामीण समुदायों में परम्पराओं, प्रथाओं, लोकाचारों मादि के माध्यम से मौलिक सांस्कृतिक विशेषताएँ विशुद्ध रूप में पीढ़ी-दर्शनीयी हस्तांतरित होती रहती हैं। गांवों से ही संस्कृति का प्रभार नगरों में हूँगा है, पर जहाँ नगर मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं की उपेक्षा कर देता है और विदेशी संस्कृतियों को ही ग्रामीण समाज अपनी ही संस्कृति को प्राथमिकता देता है अर्थात् अपने 'बीज' की रक्षा करता है। जब हम कहते हैं कि भारत गांवों में बसता है तो इसका गूँड अर्थ म्हणे है कि यदि भारत की महान् संस्कृति के दर्शन करते हैं तो जायो और गांवों को पढ़ो।

ग्रामीण समुदाय प्राचीनता का प्रेमी होता है और नित नए परिवर्तनों के प्रति उदासीन रहता है। अब ग्रामीण समाज में इस बान की आशंका नहीं रहती कि यदि परिवर्तनों से अनुकूलन न किया जा सका तो समाज विघटन की दिशा में अग्रसर होगा। विश्व का नगरभग प्रत्येक समाज अनावश्यक परिवर्तनों से बचने की चाप्ता करता है, अपनी परम्परागतता को बनाए रखना चाहता है और उन बातों को नहीं खोना चाहता है जो उसकी 'अपनी' हैं। ग्रामीण समाज इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। गांव 'जो कुछ पुराना है वह सोना है' की कहावत में विश्वाम करता है और धर्माश्रित नवीन परिवर्तनों के प्रति उदासीन रहते हुए सम्पूर्ण सामाजिक जीवन में स्थायित्वारी शक्तियों को प्रोत्साहन देता है।

किसी भी समाज की विभिन्न आवश्यकताओं और उपभव्य भागों के बीच सन्तुलन बनाए रखने की हाई से भी ग्रामीण समुदायों का विशेष महत्व है। जनसत्त्वा और उमड़ी आवश्यकताओं में निरन्तर वृद्धि होती जाती है तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों को भी बढ़ाया जाता है, लेकिन यदि आवश्यकताएँ अत्यधिक भृत्याकाशी हो जायें और साधन उपलब्ध न हो या बहुत कम हो तो इसका अनिवार्य परिणाम समाज का विघटन होगा। ग्रामीण जीवन अपने स्थान और अपने थम द्वारा आवश्यकताओं और साधनों के बीच सन्तुलन का आधार बनता है। गांव के लोग परिश्रम करते हैं, उत्पादन करते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से उपभोग बहुत कम करते हैं। इस प्रकार नगरीय जनसत्त्वा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति में गांव महयोगी बनते हैं। यदि गांव भी नगरों की भाँति ही उपभोग पर उत्तर आएँ तो नगरीय जीवन और भी कितना बढ़कर हो जाएगा इसकी सरलता से बहुत जो जा सकती है।

### नगरीय समुदाय का महत्व

नगरीय समुदाय गांवों के उत्पादन को खपाता है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था के पहिए को गतिमान रखता है। गांवों में जो उत्पादन होता है यदि वह नगरों में न खपे तो ग्रामीणों में उत्पादन के प्रति निष्ठताहृ केल जाएगा, जब उत्पादन बहुत

कम होगा या कच्चे मान की उपलब्धि नहीं होगी तो बत्तमान औद्योगिक व्यवस्था ही ढूँढ जाएगी। गांव कच्चा माल उत्पादित करते हैं और नगर उसे खपाता है और इस प्रकार आधुनिक व्यवस्था गतिमान है।

नगरीय समुदाय में नवीनता की जोखिम उठा कर ममाज वो समृद्ध बनाने की चाह होती है। नगरीय समुदाय बदलती हुई परिस्थितियों से अनुकूलन करना सिखाता है। नवरीय जीवन सहिष्णुता के भाव विकसित करता है और वह शिक्षा देता है कि दूसरी समृद्धियों के जो गुण हो उनमें प्रेरणा ली जाय, अच्छी बातों की अपनाया जाए तथा 'कृप मण्डूकता' की स्थिति से बाहर निकला जाय। नगरीय समुदाय शिक्षा और ज्ञान के केन्द्र होते हैं। विभिन्न जैक्षणिक सम्पादन, विदेशी सस्कृतियों के सम्बन्ध काव्य विद्या के फलस्वरूप नगरीय जीवन का बोडिक स्तर निरन्तर ऊंचा उठाता रहता है। यदि गांव सस्कृति के बाहक और पोषक हैं तो नगर सस्कृति के प्रमाण हैं। वे न केवल विदेशी सस्कृतियों के गुणों को अपनी सस्कृति में आत्मसात् करते हैं बल्कि अपनी सस्कृति के अच्छे तत्वों में दूसरी सस्कृतियों को प्रभावित भी करते हैं। नगर 'लैन्ड' भावना के प्रतीक है।

बीरस्टीड ने लिखा है कि "प्रत्येक सम्पत्ता के इतिहास में देवन उसके गांवों का ही नहीं बल्कि उसके नगरों और उपनगरों का भी इतिहास सम्मिलित है। सम्पत्ता का अर्थ नगर है और नगर का अर्थ सम्पत्ता। वस्तुत मानव ने नगरों का विराग्य किया और नगरों ने देवन में उतो सम्पद बनाया। विरद में नगरों के उत्पादन के साथ जब मानव नगर-नगर का एक सदस्य बना तभी वह नागरिक कहनाया। इसमें सन्देह नहीं कि नगर अपना के बैम्ब रहे हैं और हैं।

नगरीय समुदाय व्यक्तित्व के विकास के ल्योत है, ल्योक बहा वे ममी सुविधाएँ लिती हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रावश्यक हैं। सामाजिक सीख, शिक्षा, समुचित पर्यावरण मौस्तुलिक नियम आदि ममी तत्व नगरों में विकसित अवस्था में पाए जाते हैं जिनसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इनसे अनुकूलन करके व्यक्ति सफलता की भीड़ीय बढ़ते हैं और जो अनुकूलन नहीं कर पाते वे जीवन में प्रसफल रहते हैं। इस प्रकार नगरीय समुदाय ऐसा बातावरण प्रदान करते हैं जिसमें व्यक्ति महान् से महान् भी बन सकता है और निम्न स्थिति में भी पहुँच सकता है।

नगर आधिक क्रियाओं के केन्द्र हैं जहाँ रोजगार और अवसरे की प्रबुरुन्ना पाई जाती है। गांवों को बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार देने में नगरों का प्रमुख स्थान है। नगर आधिक उत्पादन के प्राधार है। गांव आधिक क्रियाओं के मौलिक केन्द्र हैं तो नगर उन मौलिक केन्द्रों को बनाए रखने या जीवित रखने वाली शक्तिशाली मशीन हैं। नगरों में ही नए-नए आविष्कार होते हैं। नगर ही आनंदिक और विदेशी व्यापार के माध्यम से देश को आधिक स्थिति को सुट्टता प्रदान करते हैं। नगरों के औद्योगिक सम्पादन विपुल मात्रा में निर्मित वस्तुओं का

उत्पादन करते हैं जिससे समूर्ख समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नगरों के उत्पादन द्वारा ही ग्रामीण जीवन आधुनिक उन्नत स्तर तक पहुँच मिला है।

नगरीय समुदाय राजनीतिक जीवन के केन्द्र हैं। समाज के विकास में जिन स्वस्थ बोहिक नीतियों, प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों आदि का भारी महत्व है, उनमें से विद्यमानता नगरों में ही केन्द्रित है। नगरीय पर्यावरण लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। नगर मनोरजन और स्वास्थ्य-नुविधाओं के मी केन्द्र हैं। सावंजनिक स्वास्थ्य विज्ञान के विकास में नगरों का अभूतपूर्व योगदान है। नगर शान्ति और सुरक्षा की शक्तियों का विकास वर्ते हैं, क्योंकि वे प्रशासनिक सुविधाओं के केन्द्र हैं। नगर व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की बहुत कम चिन्ना करते हुए जीवन के अन्य दोनों में आगे बढ़ने और बायं करने की प्रेरणा देते हैं। समाजशास्त्र में हम जिन द्वितीयक समूहों और द्वितीयक सम्बन्धों का अध्ययन करते हैं, नगर उनके साकार रूप हैं।

अन्त में, किसी भी समाज की वास्तविक मुख-समृद्धि ग्रामीण और नगरीय दोनों ही समुदायों के सल्लित विकाम पर निर्भर है, क्योंकि जीवन के हर दोनों में दोनों समुदाय एक दूसरे के पूरक हैं। गाँव नगरों को और नगर गाँवों को जीवन प्रदान करते हैं।

---

## भीड़ तथा जनता

समाज में स्थायी और समर्दित समूह भी होते हैं और अस्थायी तथा असंगठित समूह भी। असंगठित समूहों के प्रनक भेद होते हैं, तथापि इन्हे दो सामान्य श्रेणियों में रखा जा सकता है—भीड़ और जनता, जो एक दूसरे से पूर्णत विपरीत घुटों का प्रतिनिधित्व करते हैं।<sup>1</sup> प्रमुख अध्याय से हम भीड़ और जनता का अध्ययन करना निम्नलिखित स्पष्टरेखा के अनुसार करेंगे—

- 1 भीड़ अर्थं एवं परिभाषा
- 2 भीड़ की विशेषताएँ अथवा उसके लक्षण
- 3 भीड़ के प्रकार
- 4 क्रियाशील भीड़ की सामाजिक विशेषताएँ
- 5 भीड़ व्यवहार की व्याख्याएँ
- 6 जनता अर्थं एवं परिभाषा
- 7 जनता की प्रमुख विशेषताएँ
- 8 जनमत का प्रभाव
- 9 आधुनिक समाज में जनता का बढ़ना हुआ महान्
- 10 भीड़ और जनता में अन्तर

### भीड़ : अर्थं एवं परिभाषा

(Crowd Meaning and Definition)

साधारण बोल-चाल के शब्दों में हम किसी स्थान पर एकत्रित होने वाले लोगों के जमघट को भीड़ कह देते हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय हिट्र से भीड़ का अर्थ ऐसे जन समूह ने है जो अचानक ही उत्पन्न होता है और मात्रान्तर तथा अमर्गठित होना है। पर इसके सदस्यों में भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध नहीं हैं।

1 लिखते हैं डेविल ; ब्लॉ, पृष्ठ 301.

सामान्य मूल्यों द्वारा अपने को एक समझता है और जिसके सदस्य समान सबैगों को अभिव्यक्त करते हैं।"

इन विभिन्न परिभ्रापाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि भीड़ लोगों का ऐसा प्रत्यक्ष और अस्थायी समूह होता है जिसका निर्माण अस्थायी तौर पर सामान्य जिजासा, हचि अथवा उत्तेजना आदि के कारण हो जाता है। हम इसे ऐसे लोगों का असमिति समूह कह सकते हैं जिनका ज्यान किसी बस्तु, या व्यक्ति पर केन्द्रित रहता है और जिसमें लोग तकं की अपेक्षा आवेश से अधिक प्रभावित होते हैं। भीड़ में व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना में बदल जाती है। स्प्रीट ने लिखा है कि कोई भी जन समूह, जो अनुभूति के कारण त्रियाशील हो जाता है, भीड़ बन जाता है।

### भीड़ की विशेषताएँ अथवा उसके लक्षण (Characteristics or Features of Crowd)

भीड़ के अर्थ और स्वरूप को हम उसके निम्नलिखित विशेषताओं अथवा संक्षणों के आधार पर अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं—

(1) **शारीरिक विद्यमानता या निकटता**—किम्बले डेविस के अनुसार भीड़ की पहली कसीटी उसकी 'शारीरिक विद्यमानता' है। भीड़ के आकार की सीमा वही तक सीमित है जिसको आँखे देख सकती है और कान मुन मनते हैं। ऐसी शारीरिक विद्यमानता के अभाव में भीड़ दिखाई नहीं दे सकती। ज्यों ही व्यक्ति तितर-वितर हो जाते हैं, भीड़ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हात्पर्य पह हुआ कि भीड़ एक अस्थायी तथा असामिक समूह है।<sup>1</sup>

(2) **अस्थाई प्रकृति**—भीड़ कभी भी स्थायी नहीं होती। यह एक अस्थायी जनसमूह है जिसका सहसा जन्म होता है और सहसा ही अन्त भी हो जाता है। किसी भी घटना से आकर्षित होते ही चारों ओर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस आकर्षण के समाप्त होते ही विपरित तितर-वितर हो जाते हैं। इस प्रकार भीड़ के विकास के मूल में किसी न किसी घटना या तथ्य का समावेश रहता है और उस घटना या तथ्य के अन्त के साथ ही भीड़ भी मिट जाती है।

(3) **असंरचित**—भीड़ ऐसा जनसमूह है जो असमिति या अस्तु-अस्तु होता है। इसका न कोई समय होता है, न कोई निश्चित स्थान। कोई भी जोशीता व्यक्ति गहसा ही लोगों का नेतृत्व करने लगता है। भीड़ के सदस्यों में अम विभाजन की कोई योजना भी नहीं होती और पदों की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। फिर भी भीड़ मामान्यता नियन्त्रित रूप में कार्य करती है। पर यह भी कोई नहीं कह सकता कि वह कब अनियन्त्रित हो जाएगी।

1. हिन्दूले डेविस • वही, पृष्ठ 302

(4) ध्यान का सामान्य केन्द्र—भीड़ में लोगों की हवि और लह्य एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। किसी घटना, वस्तु या तथ्य की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, और उनका जमघट बन जाता है। दूसरे शब्दों में ध्यान का कोई सामान्य केन्द्र होने से लोगों में चुम्बक की तरह खिचने (Polarisation) जैसी प्रवृत्ति पैदा होती है, जो भीड़ के लिए आवश्यक दशा है।

(5) अत्यधिक सकेतदाही—किमले डेविस के शब्दों में “चूंकि भीड़ के सभी सदस्य एवं स्तर के होते हैं, चूंकि उनका ध्यान एक वस्तु पर केन्द्रित होता है, चूंकि उनकी अनियतित प्रेरणाओं को मुगमना से स्वामादिक कार्य करने की स्वतन्त्रता मिल जाती है, अत भीड़ बहुत अधिक सकेतदाही होती है। इसके सदस्य एक दूसरे के हाव-भावों और एक दूसरे की आवाजों के अनुसार एक स्वतं चालित पशुतापूर्ण अभिक्रिया करते हैं।”<sup>1</sup> भीड़ के मदस्य ‘यह नहीं जानते कि वे क्या बर रहे हैं?’ सनक, भक्त, मार पीट, आकस्मिक भगदड़, हड्डवड़ी तथा आन्दोलन समूह की अपेक्षा भीड़ की अधिक प्रमुख विशेषताएँ हैं।<sup>2</sup>

(6) समानता—भीड़ के सदस्यों में ऊँच-नीच की स्थिति नहीं पाई जाती। उसमें सम्मिलित सभी व्यक्तियों की स्थिति समान होती है। सामान्य सामाजिक जीवन में व्यक्ति का चाह वितना भी उच्च अद्यता निम्न पद हो, लेकिन भीड़ के रूप में सभी लाग समान हैं।

(7) अनानिकता—उपरोक्त परिस्थिति भीड़ के लोगों को ‘अनानिकता’ (Anonymity) प्रदान करती है, क्योंकि भीड़ में कोई सी व्यक्ति उनके सामाजिक नाम या पद को नहीं जान पाता।<sup>3</sup>

इस प्रकार के प्रमुख लक्षणों में युक्त अमण्डित जनसमूह भीड़ कहलाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भीड़ के मदस्य प्राय विवेक की कमी उत्तरदायित्व के अभाव, मक्कल शक्ति की कमी विचार की अनियता उत्तेजना आदि से प्रस्त रहते हैं। पर साथ ही भीड़ के मदस्य जब तक जमघट के रूप में एकत्रित रहते हैं तब तक वे अपने में अधिक शक्ति का अनुभव करते हैं।

### भीड़ के प्रकार

#### (Types of Crowds)

भीड़ की विशेषताओं में मात्रा रूप प्रादि का भद होता है, अत इसे नमाज शास्त्रियों ने अनक भागों में वर्णीकृत किया है। अधिस पत्तियों में सर्वप्रथम हम उद्देश्य और सक्रियता की हृष्टि से भीड़ को दो प्रधान बगों—सक्रिय भीड़ एवं निष्क्रिय भीड़ में विभाजित करते हैं और तत्पश्चात् मेकाइवर एवं पेज तथा किमले डेविस के वर्गीकरणों का उन्नेष्व वर्तते हैं।

1 वही, पेज 303

2 वही, पेज 303

3 वही, पेज 302

## सक्रिय एवं निष्क्रिय भीड़

(1) सक्रिय भीड़—इस भीड़ का आशय उस असमिति जनसमूह से है जिसके सदस्य खाली दर्शक के स्वर में इकट्ठे नहीं होते बल्कि चास्तब में क्रियाशील रहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता पारस्परिक उत्तेजना का होता है। किसी आकस्मिक घटना या परिस्थितिवश भीड़ का उदय हो जाना है और इसके सदस्य अपनी अचेतन भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। किम्बाल यग ने लिखा है कि “सक्रिय भीड़ ऐसे सोंगों का समूह है जो ध्यान के सामान्य केन्द्र के साथ कुछ अस्तरिति अभिवृत्तियों, उद्देश्यों और क्रियाओं को अभिव्यक्त करते हैं।”

क्रियाशीलता की हृष्टि से सक्रिय भीड़ को चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—(i) आकामक भीड़, (ii) भयप्रस्त भीड़, (iii) अर्जनशील भीड़, एवं (iv) प्रदर्शनकारी भीड़। आकामक भीड़ का प्रधान लक्षण ऋष और धूरा है। इसके सदस्य प्रायः पशुओं जैसा व्यवहार करते लगते हैं। भयप्रस्त भीड़ किसी भवानक परिस्थिति या घटना के घटित होने पर उत्पन्न होती है। प्रदर्शनकारी भीड़ कभी कभी अचानक ही आकामक भीड़ का स्वप्न ले लेती है।

(2) निष्क्रिय भीड़—इस भीड़ के सदस्यों में क्रियाशीलता नहीं पाई जाती। उनमें राजेगों की कमी होती है। वे सक्रिय भीड़ के सदस्यों का भौति अपने विवेक को पूरी तरह नहीं लो बैठते।

निष्क्रिय भीड़ को भी दो नामों में बोला जा सकता है—(i) दर्शकों की मीड़ एवं (ii) श्रोताओं की भीड़। प्रदर्शनी, भेले आदि को देखने के लिए लोगों का जा जमघट बनता है वह दर्शकों की भीड़ का उदाहरण है। किसी आवण, कविता आदि को सुनने के सिए श्रोताओं का जो जमघट बनता है वह श्रोताओं की भीड़ का उदाहरण है।

### मेकाइवर तथा येज का वर्गीकरण<sup>1</sup>

मेकाइवर तथा येज ने भीड़ के प्रकारों को तालिका रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

भीड़े

।

समान हित की भीड़े	सामान्य हित की भीड़े		
केन्द्रित प्रातिक्रिया भीड़े कौतूहलपूर्ण भीड़े	प्रकेन्द्रित सडक पर की भीड़े, सुटी के दिन की भीड़े	केन्द्रित आनंदिकारी भीड़े, चिरिंग भीड़े	प्रकेन्द्रित राष्ट्रीय उत्पन्नों के समय की भीड़े जैसे युद्धविराम दिवस की भीड़े

1. मेकाइवर तथा येज : वहो, पृष्ठ 375

तालिका से स्पष्ट है कि डेविस ने भीड़ के दो मुख्य प्रकार माने हैं— प्रथम, समान हित की भीड़ (Like-interest crowd) और द्वितीय, सामान्य हित की भीड़ (Common-interest crowd)। इनमें से प्रथेक को पुन दो बगों में बांटा गया है। समान हित की भीड़ केन्द्रित और अकेन्द्रित दोनों हो सकती हैं। आतंकित आचरण से एकत्रित भीड़ केन्द्रित एवं समान हित की भीड़ (Focussed and like-interest crowd) का उदाहरण है तो सङ्को पर एकत्रित भीड़ या छुट्टी के दिन की भीड़ अकेन्द्रित एवं समान हित की भीड़ (Unfocussed and like-interest crowd) का उदाहरण है। सामान्य हित की भीड़ को भी इसी प्रकार केन्द्रित और अकेन्द्रित दो बगों में विभक्त किया गया है। क्रान्तिकारी अथवा आक्रमणकारी भीड़ केन्द्रित एवं सामान्य हित वाली भीड़ (Focussed and common-interest crowd) का उदाहरण है तो राष्ट्रीय उत्सव के समय की भीड़ अकेन्द्रित एवं सामान्य हित वाली भीड़ (Unfocussed and common-interest crowd) का उदाहरण है।

### किसले डेविस का वर्गीकरण<sup>1</sup>

डेविस ने भीड़ों को तीन मुख्य प्रकारों और उनके सात उपभेदों में विभक्त किया है जिन्हे तालिका हप में हम इस प्रकार रख सकते हैं—

भीड़ें		
सामाजिक सरचना से सम्बद्ध भीड़	आकस्मिक भीड़	नियमरहित भीड़
(अ) ग्रौपचारिक थोना समूह	(अ) असुविधाजनक जमघट	(अ) क्रियाशील भीड़
(ब) सुनियोजित अभिव्यञ्जना शील समूह	(ब) आतंकित भीड़	(ब) अनैतिक भीड़
	(स) दर्जक भीड़	

(1) सामाजिक सरचना से सम्बद्ध भीड़ (Crowds articulated with the Social Structure)—ये भीड़ वे हैं जिनका गठबन्धन सामाजिक सरचना से होता है। डेविस के अनुसार इनके दो उप-भेद हैं—

(अ) ग्रौपचारिक थोना समूह (Formal audience)—फ्रेटर देखने वाले, क्रीडा देखने वाले व्यक्ति उत्सवों में भाग लेने वाले नमूह इन प्रकार भी भीड़ के उदाहरण हैं। इनमें आकर्षण का केन्द्रविन्दु एक होता है और उहेश्य भी समान होते हैं, लेकिन अपनी प्रकृति से ये नियिक्य होते हैं, अर्थात् एक व्यक्ति की उपस्थिति दूसरे को बहुत कम प्रभावित करती है।

1. किसले डेविस : वही, 

(व) नियोजित व्यभिच्यजनाशील समूह (Planned expressive groups)~-  
नुस्ख करती हुई भीड़, घमोन्मत्त भीड़ इसके उदाहरण हैं। ऐसी भीड़ों में ध्यान का केन्द्र-बिन्दु बहुत कम होता है, लेकिन ये उन समाज जट्टेश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है जो स्वयं में ही एक त्रिया होती है और कर्ता को आनन्द देती है। ऐसी भीड़ें दिन-प्रतिदिन के कार्यों की धकान और तनाव से छुटकारा दिलाती हैं। इन भीड़ों के अन्तर्गत एक दूसरे की उपस्थिति और उनकी पारस्परिक अन्त प्रेरणाओं से व्यक्ति ताजगी अनुभव करता है।

(2) आकस्मिक भीड़ (Casual Crowds) — इनके तीव्र उपभेद डेविस ने किये हैं—

### (अ) असुविधाजनक घटघट (Inconvenient aggregation)

भीड़ उन व्यक्तियों से बनती है जो यामान्य सुविधा से नाभ उठाना चाहते हैं, जैसे टिकट खरीदने के लिए जमा भीड़ या चौराहे पर दैकिक रुक जाने के कारण एकत्रित भीड़। ऐसी भीड़ों में किसी प्रतियोगी लड्य तक पहुँचने में दूसरे की उपस्थिति एक बाधा होती है, और पारस्परिक प्रो-साहन पारस्परिक सध्यों का रूप से सकता है।

(ब) भावकित भीड़ (Panic Crowds) — धकान में ग्राम जग जाने से भागती हुई भीड़, बाद, युद्ध या दगो आदि के दर से भागती हुई भीड़ भावकित भीड़ है। इन भीड़ों में लोगों में पारस्परिक उत्तेजना भगोडेपन की भावना को प्रोत्ताहन देती है अविवेक बढ़ता है और भय से छुटकारा पाने में बाधा ढालता है।

(स) दर्शक भीड़ (Spectator Crowds) — ये भीड़ें वे हैं जो किसी घटना या उत्तेजनात्मक हृश्य को साली तमाशा देखने के लिए इवट्ठी हो जाती है। सामूहिक उत्तेजना या उत्तीर्ण से ये भीड़ें बहुत कम प्रमाणित होती हैं। ऐसी भीड़ों की स्थिति श्रोता एवं समूह से भिन्नती जुलती होती है, लेकिन अन्तर यह है कि ये न तो नियोजित होती हैं और न ही इन पर सरमता से नियन्त्रण पाया जा सकता है।

(3) नियमविहीन भीड़ (Lawless Crowds) — इनके दो उपभेद हैं—

(अ) क्रियाशील भीड़ (Acting Crowds) — भागती हुई या धाम सगाती हुई घटवा लूट-भार करती हुई भीड़ें क्रियाशील भीड़ों में गिनी जाती हैं। इन भीड़ों का उहै रूप स्वर्वधानिक रूप से शारीरिक शक्ति द्वारा किसी ऐसे लक्ष्य को पाना होता है जो कानून घटवा व्यवस्था के साधारण नियमों के विपरीत हो। इसमें प्रधिक सख्त्य में व्यक्तियों की उपस्थिति के कारण ग्रनामित्ता (Anonymity) की भावना उत्पन्न होती है, उड़ेगों में बूढ़ि होती है और ऐसे बायों के प्रति प्रोत्ताहन भिन्नता है जिन्हे ग्रेक्सा व्यक्ति कठिनता से ही कर सकता है। सामान्यत श्रियाशील भीड़ में ऐसी भावना होती है कि घन्याय को दूर किया जा रहा है और मौखिक मधिकारों वाली रक्षा की जा रही है।

(ब) अनंतिक भीड़ें (Immoral Crowds)—इस प्रकार की भीड़ों में डेविस ने आवेगपूर्ण, शाराब पी हुई या टोड़-फोड़ की कारबाई करती हुई भीड़ों को लिया है। ऐसी भीड़ों को नियमों को तोड़न से ही मानसिक तनावों से छुटकारा मिलता है। समूह के सदस्यों में पारस्परिक उद्दीपन चरम सीमा पर होता है और अनामिकता (Anonymity) वी भावना से लोगों को दण्ड की अशका नहीं रहती। सामान्य जीवन की निराशा, विशेषकर धौनिक निराशा ऐसी भीड़ों का निर्माण करती है। इन निराशाओं से शान्ति पाने के लिए ही लोग जमघटों में, एकत्रित हो जाते हैं और इनकी अनंतिक क्रियाएँ तभी रुक पाती हैं जब मानसिक हृषि से तुष्टि हो जाती है।

विस्मले डेविस ने लिखा है कि कोई भी वास्तविक भीड़ एक हृषि से अधिक का भी प्रतिनिधित्व कर सकती है। उदाहरणार्थ, मार-रोट बरने वाली भीड़ भी कभी-कभी एक निश्चित व्यभिचारी प्रकृति की होती है, जिसमें अनंतिक भीड़ और क्रियाशील भीड़ दोनों के ही गुण प्रतीत होते हैं। किन्तु भीड़ के वर्गीकरण का प्रयत्न कम से कम उन अनेक मानों को अवश्य प्रस्तुत करता है जिनमें भीड़ का आव रथून लक्षण—धनिष्ठ शारीरिक सम्पर्क, पारस्परिक उत्तेजना, अस्थाई अवधि, प्रमगठित अन्त क्रिया तथा अनामिकता—मानव-समाज के अन्तर्गत क्रियाशील हान हैं।

### क्रियाशील भीड़ की मानसिक विशेषताएँ

#### (Mental Characteristics of Action Crowd or Mob)

आनंदरिक उद्गों को शारीरिक क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त करने वाली भीड़ को समाजशास्त्रीय भाषा में 'क्रियाशील भीड़' कहा जाता है। व्यक्तियों का एकत्रीकरण किसी वर्ष फटने, घूसे की लडाई आरम्भ हो जाने या कोई अनंतिक कार्य के होने से एक निष्क्रिय और असाक्षात् समूह से एक सक्रिय तथा एक दिशा में बढ़ती हुई भीड़ के रूप में परिवर्तित हो सकता है। किन्वाल यह ने क्रियाशील भीड़ों को दो भागों में विभक्त किया है—(क) ग्राक्रमणकारी भीड़, एवं (ख) आतंकित होकर भागती हुई भीड़। इस प्रकार की भीड़ों में व्यक्ति की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं रहती। विचार, अनुभव और कार्य करने के उसके द्वारा प्राय अबूदिक हो जाते हैं और उत्तरदायित्वहीनता अपना प्रभाव जमा लेती है। विवेक खोकर भीड़ का सदम्य दूसरे की देहा-देखी एक सम्मोहित व्यक्ति के समान कार्य करने लगता है। क्रियाशील भीड़ विशेष कर अन्यायिक उद्गोत्तमक, अमर्यात्, अस्थिर, अनिश्चित, अविवेकपूर्ण, अनुत्तरदायित्वपूर्ण, निरक्षण प्रकृति की, लापरवाह और अनावश्यक रूप से उत्साही होती है। समाजशास्त्रियों ने क्रियाशील भीड़ की मानसिक विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं—

(1) विवेक और बुद्धि का निम्न स्तर—भीड़-व्यवहार में विवेक की कमी होती है। एक तो प्राय निम्न-स्तरीय बुद्धि के कारण ही लोग भीड़ में एकत्रित हो जाते हैं और दूसरे भीड़ का सदस्य बन जाने के बाद उनकी बुद्धि का स्तर और भी

गिर जाता है। भीड़ के सदस्यों में तकं का उतना महत्व नहीं होता जितना आवेश और संवेदन का। एक क्रियाशील भीड़ के प्रत्येक व्यक्ति ने इतना आवेश भा जाता है कि उसे समाज विरोधी व्यवहार की ओर सुगमता से प्रेरित किया जा सकता है।

(2) उत्तरदायित्व को कमी—भीड़ में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव पाया जाता है। भीड़ असाधित होती है और इसके सभी सदस्य अपने को पूर्ण स्वतन्त्र मान भले हुए कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उम के द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए अकेला वही उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। फलस्वरूप वह अनियन्त्रित और उच्चखल डग से कार्य करने को प्रेरित होता है। मैक्डूगल की मान्यता है कि नूर्मि भीड़ में व्यक्ति को अपने आत्म सम्मान का व्याप्त नहीं रहता, भले उसमें उत्तरदायित्व की भावना बने रहने का भी प्रश्न नहीं उठता। लोग अपनी प्राकृतिक भावनाओं को नुली छुर देते हैं में लगे रहते हैं।

(3) सकल्य शक्ति का अभाव—भीड़ में सकल्य शक्ति नहीं पाई जाती। किसी घटना विशेष के कारण वह एकत्र होती है और उम घटना के समाप्त होते ही तितर बितर हो जाती है। भीड़ के सदस्यों के विचार अस्थाई होते हैं, फलत उनमें सकल्य शक्ति का अभाव रहता है।

(4) सामूहिक शक्ति का आभास—भीड़ में व्यक्ति अपनी शक्ति के बन पर नहीं कूदता बल्कि सभी लोगों के जमघट की शक्ति के बल पर कार्य करता है। इस सामूहिक शक्ति के आभास के बारण ही वह ऐसे कार्य कर बैठता है जिन्हे करने का सामान्य जीवन में उसे कभी साहस नहीं होता। भूखें और काष्ठर व्यक्ति भीड़ में मिल कर अपने को बुद्धिमान तथा शक्तिशाली समझने लगता है।

(5) तोब सकेगात्मक और अचेत प्रेरणाएँ—भीड़ व्यवहार में व्यक्तियों के सदेग बढ़े तीव्र हो जाते हैं। इस उत्तोबना की हालत में भीड़ के नेता से जो निर्देश मिलते हैं, उनके उचित श्रनुचित का व्याप्त रखे बिना व्यक्ति उन्हे ग्रहण करके प्राचिक जोशीला बन जाता है। उत्तरदायित्व के अभाव और सामूहिक शक्ति के आभास द्वारा वह किरन्मर उत्तरित होता रहता है। फायड ने इसी को अचेतन प्रेरणाओं का नाम दिया है जिनके कारण व्यक्ति की पाश्चात्यिक मावनाएँ प्रबल हो जाती हैं।

(6) सहज विवरण—मोड़-व्यवहार नवेंग और निर्देश द्वारा सचालित होता है अत इसमें ताकिक विवेचना-शक्ति नहीं पाई जाती। भीड़ के सदस्य अपनी उत्तेजनात्मक स्थिति में, बिना तकनीकित्व के प्रत्येक बात पर विषयाम करन लगता है। एक व्यक्ति के मुँह से निकली बात भीड़ के सभी लोगों द्वे विजली की तरह कैल जाती है और तोग उसका प्रमाण जानने का प्रयत्न नहीं करते।

(7) अचेतन इच्छाओं की अभिव्यक्ति—भीड़ में व्यक्ति अपनी अपूर्ण शोर दमन की दृष्टि इच्छाओं को अभिव्यक्त करन का अवसर पाता है। सामान्य जीवन में इन इच्छाओं की सूति रखित होती है। पर भीड़-व्यवहार में व्याधाओं के न होने से

लोगों को मनमाना व्यवहार करने की सूट मिल जाती है। उनका उन्मुक्त मानवरण नीतिकता व अनीतिकता का विचार नहीं करता।

(8) तौद संकेत प्राप्ति—भीड़ के सदस्यों में निर्देश और सकेत प्रहण करने की मारी शमता पेंदा हो जाती है। अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना लोग दूसरे के विचारों द्वारा प्रहण कर लेते हैं। वे अपने चरित्र और आदर्श की ओर झाँकने का प्रयत्न नहीं करते। भीड़ में कन्धे से कन्धे टकराते हैं और चारों तरफ उत्तेजना का बातावरण व्याप्त रहता है। अत सकेत-प्राप्ति बढ़ जाती है।

(9) पारस्परिक उत्तेजना—भीड़-व्यवहार सदस्यों की पारस्परिक उत्तेजना पर आधारित होता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे को और दूसरा तीसरे को उत्तेजित करता है। मेकाइवर के शब्दों में “भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति किसी मावना या अभिव्यक्ति के लिए एक ध्यनि-विस्तार यन्त्र का काम करता है।”

(10) असम्भावना-के विचार की समाप्ति—भीड़ के सदस्य अपनी उत्तेजना में सम्भावना-असम्भावना पर विचार करने की कोशिश नहीं करते। किसी भी काम को करते के लिए, चाहे उसे पूरा करना सम्भव न हो, वे कमर कम लेते हैं। अपने सामान्य जीवन में अनुशासित और सामाजिक व्यवस्था के प्रति जागरूक व्यक्ति भी भीड़ का सदस्य बनने पर असम्भव कार्य करने को तत्पर हो जाता है तथा अपना हानि लाभ प्राप्त नहीं देखता। उदाहरण के लिए सामान्य जीवन में हम पुलिस से टकराने की बात नहीं सोचते, पर भीड़ के सदस्य के रूप में पुलिस से लोहा बजाने से पीछे नहीं हटते।

(11) अस्थिरता—भीड़ चाहे किसी भी प्रकार की हो, अस्थिर होती है। इसमें उद्देशों की प्रहृति सदा समान नहीं रहती। उद्देशों के बदलने के साथ-साथ भीड़ के कार्य भी बदलते जाते हैं। भीड़-व्यवहार में इतनी अस्थिरता पाई जाती है कि इस कारण जो उसका नेता है वही दूसरे क्षण उसके ओर का शिकार बन सकता है। कभी भीड़ भयानक रूप से कूर बन जाती है तो कभी बड़े से बड़ा बलिदान देने की तैयार हो जाती है और कभी अत्यधिक आक्रमणार्थी होने पर भी एकाएक कायर बन कर भाग सड़ी होती है।

(12) नेता का प्रभाव—भीड़-व्यवहार में नेता का बहुत अधिक प्रभाव होता है और वह सुगमता से लोगों और उनकी मावनाओं को उत्तेजित कर देता है।

### भीड़ व्यवहार की व्याख्याएं (Explanations of Crowd-behaviour)

हर भीड़ के अभिप्राय, उसके सामान्य लक्षणों, उसकी मानसिक विशेषताओं आदि का अध्ययन कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि भीड़ में सम्मिलित लोगों का व्यवहार सामान्य जीवन के व्यवहारों से बिलकुल भिन्न होता है। प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है? जो लोग सामान्य जीवन में चीखने-चिल्काते नहीं हैं, नारे नहीं लगाते

है, वे ये सारे कार्य भीड़ में कर्यों कर लेते हैं ? जो लोग सामान्य जीवन में अपने काम सोच-दिचार कर और दुदिमलापूर्वक करते हैं वे भीड़ में अवौदिक कर्यों बन जाते हैं, हर सुझाव को कैसे स्वीकार कर लेते हैं ? जो लोग अपने दैनिक जीवन में समय भीर अनुशासनप्रिय होते हैं, वे ही भीड़ में आगजनी, हिंसा, पथराव आदि पर कर्यों उतार हो जाते हैं ? इन जिजासाओं के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके भीड़-व्यवहार (Crowd-behaviour) का विश्लेषण किया है। इन सिद्धान्तोंके प्रावधार पर उन्होंने बताया है कि व्यक्ति भीड़ में सामान्य से अत्याभास कर्यों बन जाता है। सलेष में ये सिद्धान्त, जो भीड़-व्यवहार को स्पष्ट करते हैं, निम्न-लिखित है—

(1) “समूह मन” का सिद्धान्त (The Group Mind Thesis)—इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मैकडूगल तथा ली बोन (Le Bon) ने किया है। इनकी मान्यता है कि भीड़ में व्यक्ति अपना मानसिक प्रस्तित्व लो बढ़ता है और समूह का प्रगृहणरण करने लगता है। भीड़ में सम्मिलित लोगों के भीतर ‘समूह चेतना’ विकसित हो जाती है, अतः सारे समूह का मस्तिष्क जो भी करता है वह सही मान लिया जाता है। भीड़ में व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता बल्कि उसका प्रवृत्तिकरण (De-individualization) हो जाता है। वह समूह की इच्छाओं और प्रादर्शों के सामने नतमस्तक हो कर काम करने लगता है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति जब दूसरों के भ्रमणपर हो जाती है तो सब के सब लोग एक से हाव-भाव करने लगते हैं। ली बोन (Le Bon) के अनुसार, “भीड़ के सभी लोगों के उद्देश और विचार एक ही दिशा में क्रियाशील हो जाते हैं और उन लोगों का चेतन-व्यक्तित्व (Conscious personality) गायब हो जाता है। इससे एक समूह-प्रस्तिष्क (A collective mind) का निर्माण होता है।”<sup>1</sup> व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत चेतना को भूल कर अपने विचारों को समूह की धारा में बहने के लिए थोड़ा देता है। समूह-प्रस्तिष्क के निर्माण में सबगों का मबसे अधिक योगदान होता है और इसीलिए भीड़ में व्यक्ति सामान्य जीवन के व्यवहार से भिन्न प्रकार के उद्देश्यात्मक व्यवहार करने लगता है। पर यदीही व्यक्ति भीड़ से बाहर थाता है, उस पर से समूह-मन या सामूहिक प्रस्तिष्क का नियन्त्रण हट जाता है और वह पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है।

समूह मन अथवा समूह-प्रस्तिष्क के मिठान को चर्चान समाजशास्त्रियों ने घटासाहिक साला है। फ्रेकाइब्रह एड ऐड के अनुसार, “इह मिठान समूहित लग्ज-शास्त्र तथा मनोविज्ञान के अनुकूल नहीं है। ऐसे समूह-मन का प्रशास्त्र उपलब्ध मही है जो भीड़ (या जनता या जन-समूह) के सदस्यों के मनों से व्यतीकृ त हो तथा उन पर नियन्त्रण कर सकता हो।”<sup>2</sup> मेकाइवर ने इसे केवल एक ‘साहित्यिक युक्ति’ मान लिया है। पर फिर भी उन्होंने इस सिद्धान्त की नोकप्रियता को स्वीकार किया है।

1. Le Bon : The Crowd, P. 3  
2. मेकाइवर तथा देख : वही, पृष्ठ 378.

(2) दमित प्रेरणाओं का सिद्धान्त (Repressed Drive Thesis) — इस सिद्धान्त का प्रतिपादन फॉयड और उसके अनुयायियों ने किया है। फॉयड के अनुसार अचेतन और अचेतन दो प्रकार के मन होते हैं। हमारी कुछ इच्छाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम पूरी कर लेते हैं क्योंकि उन पर समाज की सहमति होती है जबकि कुछ इच्छाएँ हम पूरी नहीं कर पाते क्योंकि वे समाज के आदर्शों के प्रतिकूल होती हैं जिन इच्छाओं अथवा प्रेरणाओं का हम बाह्य रूप में दमन कर देते हैं वे समाप्त नहीं हो जाती बल्कि हमारे अचेतन मन अथवा मस्तिष्क के अचेतन भाग में स्थान घरहाण कर लेती है। अचेतन मन में पड़ी हुई इन दमित इच्छाओं को ही भीड़ में फूट पड़ने का अवसर मिलता है। जब व्यक्ति भीड़ का भ्रग बन जाता है तो उसका अचेतन मन चेतन पर हावी हो जाता है और दर्ढी हुई आनंदरिक प्रेरणाओं पर से सेन्सर (Censor) कुछ समय के लिए हट जाता है और व्यक्ति ऐसा व्यवहार करने लगता है जो उसके सामान्य व्यवहार से भिन्न होता है। यही दमित प्रेरणाओं का अथवा निरुद्ध-प्रेरणाओं की मुक्ति का सिद्धान्त है।

फॉयड के मिदान्त से भीड़ व्यवहार के एक प्रमुख कारण पर प्रकाश अवश्य पड़ता है जेंकिन इस सिद्धान्त से यह स्पष्टीकरण नहीं होता कि यदि मूल अथवा नैसर्गिक प्रेरणाओं के कारण ही भीड़ में हमारा व्यवहार भिन्न होता है तो किर क्या कारण है कि पशु, जिनकी कोई भी प्रेरणा दमित नहीं होती, भूँड़ में एकदम भिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। इससे यह सन्देह होता है कि दमित प्रेरणाओं और भीड़ व्यवहार के मध्य उतना अनिष्ट सम्बन्ध नहीं है जितना फॉयड ने बताया है। मेकाइवर एवं पेज का विचार है कि दमित इच्छाओं के अलावा मानव प्रकृति की स्वाभाविक चेष्टाएँ भी भीड़-व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं।<sup>1</sup> मेकाइवर के अनुसार, “समूह-मन के सिद्धान्त की ही भाँति यह सिद्धान्त भी बहुधा विश्वसनीय लगता है, पर उसका समर्थन वास्तविक अनुसन्धानों से नहीं किया गया है।”<sup>2</sup>

(3) सामाजिक दशाओं तथा भीड़-व्यवहार का सिद्धान्त (Social Conditions and Crowd-behaviour Thesis) — इस सिद्धान्त के अनुसार भीड़ व्यवहार का कारण सामाजिक दशाएँ तथा सामाजिक व्यवहार है। मेकाइवर एवं पेज के अनुसार, विशिष्ट सामाजिक एवं सास्कृतिक स्थितियों तथा भीड़ के विशिष्ट प्रकारों के बीच सम्बन्ध अवश्य होता है। हम होली के अवसर पर रग और गुलाल खेलती भीड़ को ही लें जिसमें कि लोगों का विनिय व्यवहार सामान्य जीवन के व्यवहार से भिन्न होता है किर भी समाज द्वारा समर्थित या अपेक्षित होना है। मेकाइवर ने आदिम जनजातियों के कुछ विशेष त्योहारों का उल्लेख किया है जिनमें व्यक्तियों की भीड़ को समाज में प्रसामान्य व्यवहार करने, की फूट दी जाती है। इन त्योहारों और उसकी पर लोग भीड़-व्यवहार के समान ही क्रियाएँ करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्तियों

1. मेकाइवर एवं पेज वही, पेज 379.

2. वही, पेज 379

को मानसिक तनावों से उटकारा दिलाने की व्यवस्था समाज में प्राय की जाती है। कुछ ऐसे अवसर दिए जाते हैं जब व्यक्ति कुछ समय के लिए मुक्त रूप से अपनी प्रेरणाओं के अनुभाव काम करते हैं जिसमें उनका मन हल्का हो जाता है, उनके मानसिक तनाव को शान्ति मिलती है। यदि इन प्रेरणाओं को निकलने का या मुक्त होने का मौका नहीं दिया जाए तो वे कभी न कभी विस्कोट कर बैठेंगे जिनसे समाज में विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। अतः समाज अपनी ही प्रोट सलोगों को अपनी प्रेरणाओं का मुक्त उपयोग करने का अवसर दे देता है। आवश्यन एवं निष्काँक ने भी भीड़-व्यवहार में सामाजिक एवं सांकृतिक कारकों के महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है कि “भीड़-व्यवहार का विशेषण करते समय हमें समूह और समूहित के महत्व पर विचार करना आवश्यक है। स्थान सम्बन्धी विशेषताएँ भी भीड़-व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जहाँ नारों के द्वातीपक पर्यावरण में भीड़-व्यवहार अधिक देखने की मिलता है वहाँ प्रामीण समुदाय में प्राथमिक सम्बन्धों के कलस्वरूप और जनसंरक्षण के कम होने से भीड़-व्यवहार बहुत कम पाया जाता है। फिर, विस समस्या पर भीड़ एकत्र होगी यह भी समाज विशेष के मूल्यों पर निर्भर ही सकता है। उदाहरणार्थ हमारे समाज में दोई नर-हृत्या होने पर भीड़ उमड़ पड़ेगी जबकि कुछ जादिम समाजों में नर-हृत्या एक सामान्य वात है अतः वहाँ भीड़ एकत्र नहीं होगी।”

(4) पारस्परिक उद्दीपन या उत्तेजना का सिद्धान्त (Theory of Inter-stimulation)—भीड़ व्यवहार को मनमने के लिए आलोटे ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इसे संक्षेप में आलोटे का सिद्धान्त (Theory of Allport) भी कह दिया जाता है। आलोटे के अनुसार भीड़ की दो विशेषताएँ हैं—सामाजिक सरलीकरण और परवर उत्तेजना (Social facilitation and Stimulation)। व्यक्ति भीड़ में भी उन्हीं कार्यों को करता है जिन्हें सामान्य रूप से वह सामाजिक जीवन में करता है लेकिन भीड़ में इन कार्यों की प्रकृति भिन्न इसलिए हो जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को दूसरा व्यक्ति अपना लेता है। भीड़ में व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे के कार्यों को इस प्रकार प्रहण कर लेने से पारस्परिक उत्तेजना होती है अर्थात् एक व्यक्ति की भावनाएँ दूसरे व्यक्ति की हो जाती हैं और फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार प्रसामान्य हो जाता है। भीड़ का तदस्य यह अनुभव करता है कि जिस विधि को वह अपना रहा है वह सबसे सरल है और इसी के द्वारा सफलता प्राप्त की जा सकती है। आलोटे न भीड़ म समूह-भन के सिद्धान्त को न मानकर व्यक्ति-मस्तिष्क को ही महत्व दिया है। व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रसार भावनाओं द्वारा दूसरों में होता है और वही मनोदशा भीड़-व्यवहार म प्रकट होती है।

भीड़-व्यवहार को समझने के लिए और भी कुछ सिद्धान्त हैं, पर उनकी विवरण-बन्धु भी कुल मिलाकर उपर्युक्त सिद्धान्तों के ही इर्द-गिर्द घूमती है। वर्तमान समय म भीड़-व्यवहार को समझने में सामाजिक दशाओं को अधिक महत्व दिया

जाता है। हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि व्यक्तिगत का निर्माण करने वाले कारक भीड़-व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं क्योंकि भीड़-व्यवहार का सम्बन्ध व्यक्तिगत के सांगठन तथा सामाजिक व्यवस्था दोनों से है।

### जनता : अर्थ एवं परिभाषा

(Public : Meaning and Definition)

भीड़ की विवेचना के प्रसंग में 'जनता' की भावना को समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि दोनों में आधारभूत अन्तर है। प्राय लोग जनता और भीड़ का मतभेद करने का प्रयत्न नहीं करते, लेकिन यह गलत है। हम किसी एक स्थान पर एवं निः होने वाले लोगों या उनके जमघट को 'जनता' नहीं कह सकते। यही नहीं, किसी देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के समुच्चय को भी 'जनता' की सज्जा नहीं दी जा सकती। वास्तव में जनता की धारणा आधारभूत रूप में एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसीलिए जनता शब्द का प्रयोग हम उन लोगों के लिए करते हैं जिनके बीच किसी भी विषय के कारण एक मानसिक सम्बन्ध पाया जाता है, फिर चाहे वे लोग कितनी ही दूर वयों न हो। उदाहरण के लिए शिक्षा सम्बन्धी किसी भाषण को रेडियो पर दूर-दूर तक फेले हुए जितने भी व्यक्ति सुनते हैं, वे सब मानसिक रूप से उस विषय के प्रति जागरूक होते हैं, अत उन सभी के सयुक्त रूप को हम 'जनता' के नाम से सम्बोधित करेंगे। अभिप्राय यह हुआ कि समाजशास्त्रीय अर्थ में जनता को हम एक "मनोवैज्ञानिक समूह" कह सकते हैं जिसका निर्माण सामान्य शब्द, सामान्य चेतना, सामान्य परिस्थितियों अथवा सामान्य हितों के द्वारा होता है।

जनता की धारणा को समाजशास्त्रीयों ने विभिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है। किससे डेविस के शब्दों में, "यह (जनता) एक विचारशील तथा भावात्मक समूह है, अतः जनता का 'मत' से सम्बन्ध हो जाता है। जनता का कोई भी कार्य प्रतिनिधित्व या व्यक्तिगत कार्य जैसे बोट देना आदि के माध्यम द्वारा होता है।"<sup>1</sup> अधिक स्पष्ट रूप से, डेविस के अनुसार ही, "भीड़ के प्रतिकूल, जनता तितर-वितर व्यक्तियों का एक समूह है। छोटे तथा एकाकी समुदायों के अतिरिक्त यह कभी भी एक साथ नहीं मिलती। इसकी पारस्परिक क्रिया अप्रत्यक्ष माध्यम से घटित होती है—जैसे लम्बे व्यक्तिगत वातालाप से, कानाफूसी से, समाचारों से, रेडियो से, या टेलीविजन आदि से। अप्रत्यक्ष माध्यम के कारण जनता की सत्या भीड़ की अवैक्षणिक हो सकती है।"<sup>2</sup>

गिन्सबर्ग (Ginsberg) के अनुसार, "उन व्यक्तियों के प्रत्यक्षित एवं आकारहीन एकत्रीकरण को जनता की सज्जा दी जा सकती है जो समाज विचारों और समाज इच्छाओं (Common opinion & desires) द्वारा एक-दूसरे से बैंधे होते हैं, लेकिन जो सत्या में इतने अविक्षित होते हैं कि उनके लिए परस्पर व्यक्तिगत सम्बन्ध

1. किससे देविस : वही, पृष्ठ 310

2. वही, पृष्ठ 310

बनाए रखना सम्भव नहीं होता।<sup>1</sup> स्पष्ट है कि जनता व्यक्तियों का कोई मूल समूह नहीं होता। परस्पर बहुत दूर रहकर भी व्यक्ति यदि समाज भावनाओं और विचारों से प्रभावित होते हैं तो ऐसे आकर्त-रहित सम्बन्ध या एकत्रीकरण को हम जनता कहेंगे। जनता की प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करते हुए किम्बाल यंग (Kimbball Young) ने लिखा है कि 'जनता का अभिप्राय प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित लोगों से नहीं होता बल्कि वे व्यक्ति अनक स्थानों पर फैले हुए होने पर भी सम्पर्क के अप्रत्यक्ष और यान्त्रिक साधनों द्वारा समाज प्रेरणाएँ प्रदर्शित करते हैं।'<sup>2</sup> रेडियो पर किसी कायक्षम को सुनने वाले व्यक्ति जब समाज प्रतिक्रिया करते हैं तो वे जनता का निर्माण करते हैं।

### जनता की प्रमुख विशेषताएँ (Chief Characteristics of the Public)

उपर्युक्त अथ एव परिभाषाओं के आधार पर हम जनता की प्रमुख विशेषताओं का इस प्रकार संकेत कर सकते हैं—

(1) जनता तितर-वितर अवयवा विलये हुए बहुत से व्यक्तियों का एक मतोंवंशानिक समूह है। अब एव सेनानिक के अनुसार "जनता छितरी हुई या विलगी हुई (Scattered) हो सकती है। इसके लिए किसी निश्चित सदस्यता (A definite membership) अवयवा भूमिकाओं के किसी भी प्रचारिक संगठन (A formal organization of roles) की आवश्यकता नहीं होती।<sup>3</sup>

(2) चूंकि जनता में वे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो किसी घटना के परिणामों से सम्बन्धित हैं (Concerned with the consequences of an event), अत जनता का संगठन समय और प्रतिवर्तियों के परिवर्तन के साथ बदल जाता है।<sup>4</sup> इस प्रकार जनता भी एक अस्थाई समूह है।

(3) भीड़ के समान ही जनता का अवहार भी एक ही दिशा से सम्बन्धित होता है, अस्तर के बल यही है कि जनता विभिन्न प्रकार से विवार विमर्श करके या मतों (Opinions) का सम्बन्ध करके सामूहिक निर्णय के अनुसार कार्य करती है।

(4) जिन लोगों से जनता का निर्माण होता है उनमें समान मतों और समान इच्छाओं का होना आवश्यक है।

(5) जनता व्यक्तियों की एक प्राकारहीन समरूपता है जिसमें सम्मिलित लोगों में आमने सामने के सम्बन्ध नहीं पाए जाते क्योंकि उनकी सम्प्या इतनी अधिक होती है और प्राय वे इतनी दूर-दूर तक फैले होते हैं कि एक दूसरे में व्यक्तिगत सम्बन्धों को बनाए रखना सम्भव नहीं होता।

1 Morris Ginsberg Psychology of Society, p 137

2 Kimball Young op cit p 429

3 Broom & Selznick op cit, p 236

4 Ibid p 236

(6) जनता का निर्माण सदैव उद्देश्यपूरण रूप से होता है, यह स्वयं कभी विकसित नहीं होती। जब कभी किसी विशेष विचार, घटना आदि में जब बहुत-से व्यक्ति रुचि लेते हैं या उसके प्रति चेतन हो जाते हैं, तभी एक जनता का निर्माण हो जाता है।

(7) जनता का स्वरूप अनेक हो सकते हैं। हम इन्हें सामान्य रूप से चार भागों में बाट सकते हैं—अल्पकालीन, दीघकालीन, सामान्य और विशिष्ट। यदि रेडियो पर किसी आकस्मिक आग या बाढ़ का समाचार प्रसारित हो रहा हो तो इस समस्या का स्वरूप अल्पकालीन होने से इसे सुनने वाली जनता को भी हम 'अल्पकालीन जनता' के नाम सम्बोधित करेंगे।

(8) यद्यपि जनता भीड़ के समान अबौद्धिक नहीं होती, लेकिन प्रचार के प्रभाव से कोई भी जनता उद्भग्पूरण होकर भीड़ का रूप ले सकती है।<sup>1</sup> जब जनता भीड़ का रूप ले लेती है तो दग फसाद हो जाते हैं।

### जनमत का प्रभाव

(The Effect of Public Opinion)

किसी भी डेविस ने जनता (The public) के सन्दर्भ में जनमत के प्रभाव का उल्लेख किया है।<sup>2</sup> डेविस के अनुसार, जब हजारों-लाखों लोग व्यक्तिगत रूप से विचार करके ही समाज नियंत्रण पर पहुँचते हैं तो ऐसे नियंत्रण का सावंजनिक प्रभाव बड़ा गम्भीर हो सकता है। जनता की रुचि में परिवर्तन आने से कोई एक उद्योग पनप सकता है तो दूसरा उद्योग समाप्त हो सकता है। जनता की सशक्त ग्रमिकीया में किसी युद्ध का आरम्भ हो सकता है या कोई क्रान्ति पंदा हो सकती है। इसीलिए प्रत्येक सरकार जनमत (Public opinion) को प्रावश्यक रूप से ध्याने पक्ष में रखने का प्रयास करती है ताकि उसके उखड़ जाने का भय न रहे।

जनमत का प्रभाव बड़ा व्यापक और शक्तिशाली होता है, पर जनमत को कोई विजुद्ध भविष्यवाली नहीं का जा सकती। जनमत का परिणाम भी, बहुत-सी प्रबस्थाओं में प्राय विस्तृत अनिश्चित होता है। जो भी भविष्यवालियाँ निरन्तर की जाती रहती हैं वे एक वैचानिक उक्ति के रूप में नहीं बल्कि अन्तिम परिणाम को प्रभावित करने के प्रयत्न में प्रचार के एक साधन के रूप में की जाती हैं।

### आधुनिक समाज में जनता का बढ़ता हुआ महत्व

(Growing Importance of the Public in Modern Society)

किसी भी डेविस के इस निष्ठर्य के बारे में दो राय नहीं हो सकती कि आधुनिक शैयोगिकी के विरास के फलस्वरूप जनता का महत्व बढ़ गया है। इसमें व्यक्तियों की सूखा को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि किसी भी समस्या पर

1. Ogburn and Nimkoff op cit., p. 169

2. हिन्दूने दिविष बहौ, पृष्ठ 310

लाखों व्यक्ति एकत्र हो जाते हैं। कभी-कभी तो वह समूण्ड विचार को बीचे हुए प्रतीत होती है। अनेक समस्याओं पर इतनी विस्तृत जनता के अस्तित्व का अर्थ है कि कोई भी समाचार प्रस्त्रेन स्थान पर जाता है और किसी भी समस्या पर विचार-विषय या तक-वितर्क के लिए सभी के मस्तिष्क पिछले रहते हैं। बड़े-बड़े ग्रंथपत्रिक राज्य, बड़े-बड़े नगर, विस्तृत धार्मिक उपकरण, शौद्धोगिक वैद्यन—सभी कुछ विस्तृत जनता की उपस्थिति के बिना असम्भव हो जाते हैं। प्राधुनिक समाज प्रधान रूप से जनमत और जनता के व्यवहार पर आधारित है। अपने विभिन्न रूपों में जनमत प्राधुनिक समाज का एक बोलिक अखाड़ा है जो हमारे समाज को गत्यात्मक गुण प्रदान करता है। प्राधुनिक समाज बरतुत विभिन्न प्रकार की जनता का एक पुष्ट है।

### भीड़ और जनता में अन्तर

(*Distinction between the Crowd and the Public*)

हम भीड़ और जनता दोनों का विवेचन कर चुके हैं। भीड़ के समान ही जनता भी असमिति होती है और भीड़-व्यवहार के समान ही कोई निश्चित रूप से वह नहीं कह सकता कि जनता का आगामी व्यवहार क्या होगा। इसी प्रकार जनता में कोई निर्णय लेते समय तकावपूर्ण विचार, उत्तेजना आदि का उतना ही महत्व दीता है जितना कि गीड़ में। राष्ट्र ही भीड़ के समान ही जनता की प्रकृति भी प्रतिरक्षित होती है। एक पुरानी समस्या भिटते ही जनता का पुराना रूप भिट जाता है और नई समस्या में लहिं लेने वाली नई जनता का निर्माण होने लगता है। पर दोनों में इन समानताओं के बावजूद आधारभूत अन्तर है, अर्थात् भीड़ और जनता दो भिन्न बाहें हैं, दोनों को समान मान लेना मर्दाना चाहिए है। दोनों में प्रमुख अन्तरों का उल्लेख समाजशास्त्रियों ने निम्नवत् किया है—

(1) भीड़ में शारीरिक निकटता का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसी में उसके सदस्यों को परस्पर शक्ति मिलती है। जनता के लिए शारीरिक निकटता अनिवार्य नहीं है। जनता के सदस्य दूर-दूर तक फैले हो सकते हैं। उतने केवल मानविक सम्बन्ध ही पाया जाता है। मध्यां-साधनों के माध्यम से भी यह सम्बन्ध बना रहता है। भीड़ में ऐसा होना सम्भव नहीं होता।

(2) शारीरिक निकटता के होने पर भी भीड़ के सदस्य पूर्णत असमिति रहते हैं। इसके विपरीत जनता के मदस्य दूर-दूर फैले रहने पर भी मानित होते हैं और सचार-नापनों के माध्यम से अस्तर मत्तैक्य बनाए रखने को प्रयत्नशील रहते हैं।

(3) भीड़ में विवेक का अभाव रहता है। भीड़ के सदस्यों पर उत्तेजना यथा अनियन्त्रित जोश या भय आदि का साम्राज्य द्याया रहता है। जनता में बुद्धि और विवेक सबसे प्रबल होता है। हर व्यक्ति को स्वतन्त्र रूप से किसी भी बात पर मोनने-विचारने और उब भवना मत प्रकट करने का मौका मिलता है। जहाँ भीड़

मेरे नेता प्रायः उसी प्रकार लोगों को हाँकने मेरे सफल होता है जैसे गवाला गायों के मुण्ड को हाँकता है, वहाँ जनता मेरे ऐसा होना सम्भव नहीं है।

(4) भीड़ का शोत्र सीमित है, जनता का शोत्र असीमित है। भीड़ के आकार को पाया जा सकता है, जनता आकारहीन समग्रता होती है। भीड़ एक स्थान-विशेष तक सीमित होती है, जनता के लिए इस प्रकार का बन्धन नहीं होता।

(5) एक समय मेरे एक व्यक्ति एक ही भीड़ का सदस्य हो सकता है। इसके विपरीत एक व्यक्ति अपनी विभिन्न रुचियों के कारण अपनेक 'जनताओं' का एक साथ सदस्य हो सकता है। इस प्रकार जहाँ भीड़ की सदस्यता सीमित है वहाँ जनता की असीमित।

(6) भीड़-व्यवहार मेरे उद्देश्य और अचेतन प्रेरणाओं की प्रधानता होती है तथा उत्तरदायित्व की भावना का अभाव पाया जाता है। जनता भीड़ के समान उद्देश्य और उत्तरेजनाओं मेरे नहीं बहती। किसी भी समस्या या विषय पर जनता के सदस्य ठप्पे दिल और दिमाग से विचार करते हैं तथा अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग रह कर यथासम्भव निरांय सेने की चेष्टा करते हैं।

(7) जहाँ भीड़ मेरे नैतिकता का स्तर घिर जाता है वहाँ जनता मेरे नैतिक भावना को महत्व प्राप्त रहता है।

प्रकट है कि भीड़ और जनता परस्पर एक दूसरे से आधारभूत रूप मेरे भिन्न है। यह सम्भव है कि कुछ विशेष क्षणों मेरे जनता भी उत्तेजित और उद्दिष्ट हो जाय, लेकिन फिर भी वह भीड़ के समान अनैतिक और आकामक नहीं बनती। जहाँ भीड़ के सदस्य के रूप मेरे व्यक्ति को अपने हित-प्रनहित और मान-सम्मान की विशेष चिन्ता नहीं रहती, वहाँ जनता के सदस्य के रूप मेरे वह समूह की अपेक्षा अपने हितों के प्रति अधिक जागरूक होता है।

5।

## सामाजिक स्तरीकरण

( Social Stratification )

"समाज का वर्गों अथवा स्तरों में विभाजन, जिससे प्रतिष्ठा और शक्ति का पदसोपान बनता है, सामाजिक सरचना का एक सार्वभौमिक तत्व है जिसने सम्पूर्ण इतिहास में दार्शनिकों और जामाजिक सिद्धान्तकारों का ध्यान आकर्षित किया है।"<sup>1</sup>

—टी बी बाटोमोर

सामाजिक स्तरीकरण किसी न किसी रूप में सभी समाजों में सार्वभौमिक रूप से पाया जाता है, चाहे प्रक्रियात्मक हृष्टिकोण से इसका स्वरूप भिन्न-भिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न हो गौर इनके अलग-अलग आधार प्रस्तुत किए जा सकें। हम यह व्यापा कदम पर नहीं कर सकते कि किसी भी समाज में प्रत्येक सदस्य की स्थिति एक ही समान होगी। चाहे कोई भी समाज हो, उसके कुछ सदस्यों की ऊँची स्थिति होगी या वे ऊँचे पद पर होंगे तो कुछ दूसरे सदस्य उनसे नीचों स्थिति या पद पर होंगे। समाज के सदस्यों को इस प्रकार ऊँच-नीच की स्थिति में विभक्त करने की व्यवस्था को ही समाजशास्त्रीय भाषा में हम सामाजिक स्तरीकरण के नाम से सम्बोधित करते हैं।

### सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या

(The Explanation of Stratification)

जैसा कि हम कह चुके हैं, सामाजिक स्तरीकरण किसी न किसी रूप में सभी समाजों में पाया जाता है। बाटोमोर के शब्दों में, "समाज का वर्गों अथवा स्तरों में विभाजन जिससे प्रतिष्ठा और शक्ति का पदसोपान- बनता है, सामाजिक सरचना का एक सार्वभौमिक तत्व है।"<sup>2</sup> ऐसित ने लिखा है कि 'यदि हम विश्व की सस्कृति पर हृष्टि हालं तो जात होता है ति कोई भी समाज वर्गीन या स्तरहीन नहीं है। कुछ पुरातन ममुदाय इतने छोटे हैं कि उनमें कोई वर्ग स्तर दिलाई नहीं पड़ते, उनमें सामाजिक मगठन का आधार अधिकतर अवस्था यीनि एव रन-मन्दन्ध है। किन्तु ऐसी ममुदाय में भी समुदाय वा नेतृत्व, वर्गित्व वीरता तथा कौटुम्बिक अवशा

1. टी बी बाटोमोर : समाजशास्त्र (हिन्दी), पृष्ठ 193.

2. वही, पृष्ठ 193.

गोपीय सम्पत्ति प्रारम्भिक स्तरीकरण का निर्माण करते हैं। उपोही मुद्राय का आकार बड़ा हो जाता है तथा उसकी प्रकृति जटिल हो जाती है, त्योही समाज में स्तरीकरण का निर्माण स्पष्ट होन लगता है।<sup>1</sup>

सामाजिक स्तरीकरण, सरल शब्दों में, समाज की वह व्यवस्था है जिसके अधार पर समाज के समूहों और सदस्यों को उच्च और निम्न वर्गों, उच्च और निम्न स्थिति में विभाजित किया जाता है। किसले डेविस न लिखा है कि जब सामाज्यत जाति, वर्ग और स्तरीकरण की वात सोचते हैं तो हम उन समूहों को ध्यान में रखते हैं जिनकी सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न स्थितियाँ हैं तथा जिनकी पृथक् पृथक् प्रतिष्ठाएँ हैं। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि स्थितियों की सभी भिन्नताओं को स्तरीकरण के अन्तर्गत नहीं लिया जाता। उदाहरणार्थ, वोई भी यह नहीं सोचता कि समस्त पति एक समान सामाजिक वर्ग का निर्माण करते हैं अब वह सभी किशोर या बृद्ध व्यक्ति एक वर्ग के हैं। लेकिन एक व्यक्ति यह मानता है कि समस्त कृषक एक वर्ग का निर्माण करते हैं।<sup>2</sup> स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज में भिन्न-भिन्न वर्गों अथवा स्तरों के बीच प्रतिया है जिनमें परस्पर सामाजिक स्थितियों और तनुसार भूमिकाओं या कार्यों एवं सम्मान या आदर की मात्राओं में अन्तर पाया जाता हो। इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण एक प्रक्रिया ही नहीं है बरत् एक दशा भी है जिसमें समाज के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं।

सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा देते हुए रेमण्ड मुरे ने लिखा है कि स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया क्षेत्रिक विभाजन है।<sup>3</sup> गिस्टटन के अनुसार, "सामाजिक स्तरीकरण का आशय समाज का विभिन्न एसी स्वाई श्रेणियों और समूहों में विभाजन है जो उच्चता और अवीगता (Superiority & Subordination) के सम्बन्धों से परस्पर सम्बद्ध होते हैं।" टानकट पारसन्स के शब्दों में, "सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय इसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे के क्रम विन्यास का विभाजन है।"<sup>4</sup> स्पष्ट है कि पारसन्स ने स्तरीकरण के अन्तर्गत समाज-व्यवस्था में प्रस्थितियों के ऋम-विन्यास को महत्व प्राप्त माना है। व्यक्ति की प्रस्थिति निर्धारण में पारसन्स ने 6 कारकों का योगदान बताया है— (1) नातेदारी समूह की सदस्यता (Membership in a kinship-group), (2) व्यक्तिगत विशेषताएँ या गुण (Personal Qualities), (3) अभित उपलब्धियाँ (Achievements), (4) व्यवसाय (Possessions), (5) सत्ता (Authority), एवं (6) शक्ति (Power)। ये 6 कारक विभिन्न समाजों में व्यक्तियों की प्रस्थितियों के क्रम विन्यास का निर्माण करते हैं। विभिन्न समाजों में अलग-अलग कारक व्यक्ति की प्रस्थिति-निर्धारण करते हैं।<sup>5</sup> इन 6 कारकों

1. किसले डेविस 'मानव समाज' (हिन्दी), पृष्ठ 318

2. किसले डेविस 'वही', पृष्ठ 316

3. विधी एवं गोदावरी समाजशास्त्र विवेचन, पृष्ठ 143 के उद्देश्य

4. वही, पृष्ठ 143.

में से कोई एक कारक भी विशेष प्रभावी हो सकता है और एक से अधिक कारक भी मिलकर व्यक्ति की प्रस्थिति बनाने में सहयोगी हो सकते हैं।

सारांशत स्तरीकरण का आशय समाज का विभिन्न इकाइयों में विभक्ति करण से है जिसमें सभी इकाइयाँ उच्चता और अधीनस्थता अवश्यक निम्नता के बीच म सज जाती हैं। इस प्रकार स्तरीकरण के लिए विभिन्न सामाजिक इकाइयों और उनके ऊँच-नीच के एक व्यवस्थित जग का होना आवश्यक है। शाव ही इन इकाइयों में तुल्य स्थिरता होता भी जहरी है, क्योंकि यदि उनमें निरन्तर परिवर्तन होता रहा तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था कावश नहीं रह सकती। सामाजिक स्तरीकरण से समाज में स्थिति और कार्यों के विभाजन में समस्ता होती है और इसी हार्टिकोण से डेविस एवं मूर ने सामाजिक स्तरीकरण को समाज के हित में हुई स्थायत ग्रसमानता बताई है।

### सामाजिक स्तरीकरण की आधारभूत विशेषताएँ

#### (The Basic Characteristics of Social Stratification)

सामाजिक रूप से सामाजिक स्तरीकरण की उत्तरोक्त व्याख्या से उसके ये मुख्य लक्षण प्रबढ़ होते हैं कि—(1) इसमें समाज की प्रत्यक्ष इकाई तो स्थिति एवं ना नहीं होनी चाहन् उनमें से किसी कि स्थिति सबमें ऊँची किसी वर्ग उसमें नीची तो विगी को गढ़में नीची होती है अर्थात् सामाजिक स्थिति में उचार-चढ़ाव का कम पाया जाता है। (2) सामाजिक स्तरीकरण में ऊँच-नीच की भावना पाई जाती है। इसी आधार पर उच्च स्थिति वाले व्यक्ति या समूह अपने को निम्न स्थिति वाले व्यक्ति या समूह से अवृद्धितर मानने लगते हैं प्रौढ़ निम्न स्थिति वाले लोगों में प्राय हेतु भी भावना पनपती है। (3) सामाजिक स्तरीकरण में ऊँच-नीच की भावना के फलस्वरूप समाज की विभिन्न इकाइयों में सामाजिक मध्यवन्द्यों का विशेष स्वरूप पनप जाता है। उदाहरणार्थ विभिन्न इकाइयों में उच्चवना और अवीनता का सम्बन्ध विकसित हो जाता है और ऐसे ही सम्बन्धों के आधार पर ये इकाइयाँ परस्पर जुड़ी रहती हैं। (4) सामाजिक स्तरीकरण में विभिन्न इकाइयों या समूहों की स्थिति में कुछ न बुख स्थिरता अवश्य रहती है। (5) स्तरीकरण में समाज में एकदम शुद्ध दर्शकों का अभाव रहत है अर्थात् कोई भी सामाजिक वर्ग या समूह पारं रूप में खुला या बंद नहीं होता।

सामाजिक स्तरीकरण की आधारभूत विशेषताएँ को मेलविन एम. ट्यूमिन ने वहे वैज्ञानिक रूप से निम्नानुसार प्रस्तुत किया है<sup>1</sup>—

- (1) यह अपनी प्रकृति में सामाजिक ह (It is social in character),
- (2) यह पुरातन है, अर्थात् यह सभी प्रतीतकानीन समाजों में पाया जाता है (It is ancient, i.e., it has been found in all past societies),
- (3) यह सर्वव्यापी है, हर जगह भौद्ध द है (It is ubiquitous).

(4) यह अपने स्वरूप में विभिन्न या अलग प्रलय है (It is diverse in its forms),

(5) यह परिणामिक है अर्थात् मानव-जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अभिवाच्छिन बातें, जिनका कि असमान रूप से वितरण होता है, इसकी आधारभूत सामग्री का निर्माण करती है (It is consequential, i.e., the most important most desired, and often rarest things in human life constitute the basic materials which are distributed unequally)

(1) यह अपनी प्रकृति में सामाजिक है

ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। स्तरीकरण को सामाजिक कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि हम जैवकीय कारकों से उत्पन्न असमानताओं की चर्चा कर रहे हैं। आयु यौन-भेद, शक्ति आदि कारकों पर जो अन्तर पाए जाते हैं वे इस बात की भली भौति व्याख्या नहीं कर पाते कि समाज में कुछ पदों अथवा प्रस्थितियों (Statutes) को दूसरों की अपेक्षा अधिक सम्मान, सत्ता, आदि वर्गों प्राप्त होती है। वास्तव में समाज द्वारा पदों और प्रस्थितियों के वितरण का स्वीकृत तरीका ही स्तरीकरण का आधार बनता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को सामाजिक प्रतिमानों से परिभाषित करने में ही सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक पहलू स्पष्ट होता है। सामाजिक स्तरीकरण को हमें समूचे समाज की भूमिका में देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो मात्र इकाई है। जब बहुत से व्यक्ति समान सामाजिक भूल्यों और परस्पर एक सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान को स्वीकार करते हैं तभी सामाजिक स्तरीकरण सम्भव होता है।

स्तरीकरण के सामाजिक पहलू का अभिप्राय उस तरीके से भी है 'जिसके अनुसार समाज के प्रतिमान पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते रहते हैं। समाजीकरण के माध्यम से ही हर पीढ़ी के व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों को सीखते हैं। इस प्रकार हम अनजाने ही स्वामानिक रूप से स्तरीकरण को स्वीकार करते चलते हैं।

ट्यूमिन के अनुसार स्तरीकरण का सम्बन्ध अन्य सामाजिक स्थानों से भी है। जब हम स्तरीकरण को 'सामाजिक' कहते हैं तो इसमें यह अर्थ भी निहित है कि स्तरीकरण की व्यवस्था समाज के अन्य पहलुओं से भी सदैव सम्बन्धित है। इन सम्बन्धों को हम 'संस्थात्मक अन्तिनिर्भरता' (Institutional interdependence) अथवा 'संस्थात्मक अन्तसंबन्ध' (Institutional interrelationships) कहते हैं और इससे हमारा अभिप्राय होता है कि स्तरीकरण की बत्तमान 'प्रवस्था राजनीति, विवाह, परिवार, अर्थशास्त्र, शिक्षा, धर्म आदि अन्य मामलों से प्रभावित होता है और इन पर प्रभाव डालती भी है। राजनीति से स्तरीकरण के सम्बन्ध को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि सामन्तवादी राजनीतिक व्यवस्था में शासक वर्ग (Ruling Elite) के पुत्रों को भी उपयुक्त समय पर उत्तराधिकार में सत्ता प्राप्त हो जाती है। अर्थशास्त्र और स्तरीकरण के सम्बन्ध को लें तो हम देखते हैं कि समाज

द्वारा राजनीतिक शक्ति पर एकाधिकार और अन्य विशेषताओं के अस्तित्व की ओर सकेंट करते हैं जो कुल मिलाकर सामाजिक स्तरीकरण की एक ध्यक्षया के बराबर है। बहुत-सा राजनीतिक बाद विवाद वर्ग सम्बन्धों और राजनीतिक शक्ति के बीच सम्बन्धों पर आधारित है।" इस बादविवाद से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मानवसंबंधी व गैर-मानवसंबंधी रघनाओं में सामाजिक वर्ग का चिरप्रतिष्ठित विचार राजनीतिक शक्ति के विचार और विशेष रूप से ग्राहक वर्ग की अवधारणा में घनिष्ठत सम्बन्धित है।

### सरकार और सामाजिक स्तरीकरण (Government and Social Stratification)

यहाँ सरकार और सामाजिक स्तरीकरण के सम्बन्ध को भी देते लेना चाहिए जिसे किसले डेविम ने 'प्रमुख सामाजिक काय तथा स्तरीकरण' (Major Societal Functions and Social Stratification) के ग्रन्तरंग एक उम्मीदीर्पक में समझा है।<sup>1</sup> डेविम ने सिखा है कि धर्म की तरह सरकार भी समाज में अपरिहर्य और अनुपम दार्य करती है। सरकार कानून और प्राधिकार के माध्यम से समाज का संगठन करती है और गमाज को वास्तविकता का सहारा दियाती है। समाज के अविकारी हम आजां द मरने हैं क्योंकि उन पर प्राधिकार होता है और नागरिकों को उनकी आजां का पालन करना होता है, क्योंकि वे उम्मीदीर्पक के अधीन होते हैं। इसलिए राजनीतिक सम्बन्धों में सामाजिक स्तरीकरण भारत में ही पाया जाना है। राजनीतिक स्थितियों का मत्ताविकार इनका स्पष्ट होता है कि समाज की सभी समृद्धियों का उनकी गतिविधि अमर्नता को समझा जाना है। लेकिन किसले डेविम न बताया है कि स्तरीकरण वे दूसरे आधार भी होते हैं जिनके द्वारा राजनीतिक सत्ता को ऐसे करने के लिए निम्ननिवित नियन्त्रण व्यवहारित रूप से क्रियान्वित होते हैं—

(अ) राजनीतिक विभिन्न पर बैठने वाले व्यक्तियों की सम्मान तथा दण की राजनीति का सचानन वर्तने वाले व्यक्तियों की सम्मान अनिवार्य है सम्पूर्ण जनसत्त्वा के अनुपात में बहुत कम होनी चाहिए।

(ब) दण के ग्रामक सम्पूर्ण जनता के प्रतिनिधि होने हैं, वे केवल अपने जिन कोई काय नहीं करन इसलिए उनके व्यवहारों पर समाज के नियमा एवं लोकाचारों का नियन्त्रण होता है।

(स) राजनीतिक वद पर बैठे हुए व्यक्तियों को उनका अधिकार उनको वद प्रदान करते हैं इसलिए उनका विशेष जान बुद्धिया योग्यता केवल स्थोर भाव होती है, जिनके कारण प्राविधिक सहायता के लिए उन्हें दूसरा पर निर्भर रहना पड़ता है।

1 डिग्जले डेविम वही, पृष्ठ 324-25

वर्गों की भूमिका में भी बीच रखना था। उसके अवधि के आनुमानिक व्यवहयन बुजु़ग्ला वर्ग की उत्पत्ति और पूँजीवाद की स्थापना में सम्बन्धित थे तथा इससे भी अधिक वे पूँजीवाद के भीतर सर्वहारा वर्ग के निर्माण एवं विकास से सम्बन्धित थे। मावसं पूँजी सर्वहारा वर्ग को 'स्वयं के लिए एक वर्ग' मानता है जो ऐसे व्यक्तियों का यमूह है जिनकी आधिक स्थिति समान है। फिर मावसं यह बताने का प्रयत्न करता है कि सर्वहारा वर्ग इस प्रकार 'स्वयं के लिए एक वर्ग' बन जाता है अर्थात् इसके भद्रस्य किम प्रकार सामान्य हिनों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। मावर्म ने वर्ग-बेतना के विकास में महायक परिस्थितियों को भी गिनाया है जो हैं—उच्चोगों का सकन्द्रण, मलार-माधनों का विकास, बुजु़ग्ला वर्ग और अमिक वर्ग के बीच बहती हुई आधिक तथा सामाजिक दूरी एवं कुशल व्यापारों के पतन के फलस्वरूप अमिक वर्ग की एकता (मजातीयत्व) में बढ़ि।<sup>1</sup>

मावर्म के सिद्धान्त की अनेक आधारों पर आलोचना हुई है। मावर्म ने केवल आधिक वारक को ही सम्पूर्ण समाज में परिवर्तन का एकमात्र कारण माना है जब कि हम इस वर्ष की उपेक्षा नहीं कर सकते कि घर्म, कना, श्रीदेविमि आदि भी अपनी भूमिका निभाने हैं। दूसरे, मावर्म ने यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया है कि ममूचे समाज में स्तरीकरण का स्वरूप क्या होगा। मावर्म ने एक वर्गविहीन समाज की कल्पना की है जो अवधार्ष है क्योंकि स्तरीकरण तो किसी न किसी रूप गोर मात्रा में प्रत्येक समाज में होता है। तीसरे, मावसं की कुछ विविधवाणियाँ गलत मिछ हुई हैं और उन्नत श्रीदेविमि समाजों में अमिक वर्ग का विकास उम ढग से नहीं हुआ है जैसे मावर्म की अपेक्षा थी। चौथे, भारतीय जाति व्यवस्था जैसे सामाजिक स्तरीकरण के विशिष्ट स्पो पर मावर्म के सिद्धान्त को लागू करने में बहुत-सी निटिनाइयाँ दिखाई दती हैं। भारतीय जाति संस्था के मन्दभर में यह सिद्धान्त स्तरीकरण को नहीं समझा पाता। पाँचवें, बहुत-से अन्य मामलों में भी इस हित्तान्त की व्याख्यात्मक शक्ति कम हो जानी है क्योंकि यह गतिशीलता किया का एकमात्र आधार सामाजिक वर्ग मानने पर बिहू करता है।<sup>2</sup> अन्न में उत्पादन-कार्यों में संघर्ष के बनिस्पत सहयोग की अधिक भूमिका है। और फिर यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वर्ग विभक्त समाज कान्ति को प्रस्तुत हो।

### प्रकार्यवादी सिद्धान्त

#### (Functional Theory)

किम्बले डेविम एवं विलबट ने एक लेख में स्नग्नेकरण का प्रकार्यात्मक आधार पर बड़ा स्पष्ट विवेचन किया है। डेविम एवं मूर ने अपने लेख इस मान्यता में प्रारम्भ किया है कि सामाजिक स्तरीकरण हर एक में वैर ममाज म

1. बाटोमोर : बही, पृष्ठ 206

2. बही, पृष्ठ 207.

अपरिहार्य रूप में रहा है, कोई समाज वर्ग-विहीन अथवा अस्तरीकृत नहीं है। सभी समाजों में असकानता अथवा सामाजिक विभिन्नता अचेतन रूप से व्याप्त होती है और वह एक ऐसी युक्ति है जिससे समाज इस बात की निश्चित व्यवस्था करता है कि हर्षाधिक महत्वपूर्ण स्थितियों पर पदों पर सर्वाधिक योग्य व्यक्ति ही रहें।<sup>1</sup>

स्तरीकरण की प्रकार्यात्मक आवश्यकता को बताते हुए किंगले डेविस ने अपनी पुस्तक "भानव-समाज" में लिखा है कि किसी भी समाज को अपनी सामाजिक स्तरनाम के विभिन्न पदों पर विभिन्न सदस्यों को बैठाना पड़ता है और विभिन्न पदों ने अनुकूल उनसे कार्य लेना पड़ता है। इतनिए समाज को अपने सदस्यों में प्रेरणा सम्बन्धी समस्या को दूर करने की अभिलाषा उत्पन्न करना, एवं दूसरे, जब वे प्रपने पदों को प्राप्त कर लें तो उनमें पदों से संबंधित कर्तव्यों के पालन के प्रति अदा उत्पन्न करना। डेविस ने आगे लिखा है कि यदि समाज के विभिन्न पदों के बत्तव्य समान होते और मन कार्यों के लिए समान योग्यता तथा बुद्धि आवश्यक होनी तो इस बात का कोई महत्व नहीं रहता, कि कोन व्यक्ति किम पद पर है। ऐसी सूरत में सामाजिक स्थिति ग्रहण करने की समस्या बहुत कम रह जाती है। पर चूँकि समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता और बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है और प्रत्येक पद पर ऐसे आदमी बैठाना जहरी होता है जो अपने पद के उत्तरदायित्व की मम्भे, अत समाज के लिए वह आवश्यक होता है कि वह अपने विभिन्न पदों के लिए विभिन्न पुरस्कारों का लोभ व्यक्तियों के सामने रखें और विभिन्न व्यक्तियों में उनकी योग्यता बुद्धि तथा हक्कि के अनुसार अपने विभिन्न पदों का विभाजन करे। इस प्रकार पदों का विभाजन और प्रत्येक पद के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कार सामाजिक व्यवस्था का प्रनिवार्य प्रग है और यास्तव में यही हत्तीकरण है।<sup>2</sup>

डेविस ने उपरोक्त सन्दर्भ में आगे लिया है कि कोई भी यह प्रश्न कर सकता है कि विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर बैठने की प्रेरणा देने और उनसे आवश्यक सेवाएँ लेने के लिए समाज क्या पुरस्कार दे सकता है। डेविस का उत्तर है कि— प्रथम, समाज वे वस्तुएँ देता है जो व्यक्तियों के जीवन-धारणा एवं आराम के लिए आवश्यक होती है, अर्थात् आधिक प्रोत्साहन, तथा दूसरे, समाज मन-बहलाव तथा मौनदयें-दीधात्मक प्रकृति वी वस्तुएँ प्रदान करता है प्रथात् वह उन्हे मौनदयें-तमक प्रोत्साहन देता है, एवं अन्त में तीमरे, समाज आत्म-सम्मान तथा अहम् की तुष्टि करने वाली वस्तुएँ प्रदान करता है, अर्थात् प्रतिकात्मक प्रोत्साहन। डेविस के अनुसार, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में ये तीमरे प्रकार के पुरस्कार आधा अन्य पुरस्कारों को विभिन्न मिथियों में असमान रूप में विभाजित करना आवश्यक है।

1 वही, पृष्ठ 208

2 रिमले देविस : पृष्ठ 318-19.

सामाजिक प्रस्थिति और कार्य का निर्धारण करता है अर्थात् यह तथ करता है कि सामाजिक सुरक्षा में किस इकाई वी स्थिति कहा होगी और तब स्थिति के अनुसार विभिन्न इयों में कार्यों का भी बटवागा हो जाता है। पाँचवे, स्तरीकरण सामाजिक मगठन में स्थिता लाना है क्योंकि समाज का मगठन स्थिर तभी रह सकता है जब उमरी विभिन्न इकाइयों में हिस्ति और कार्यों का समुचित विभाजन हो। स्तरीकरण में—विशेषकर इसके द्वय-प्रवर्ध्या के रूप में हर व्यक्ति को स्वतन्त्रता होती है कि वह अपनी योग्यतानुसार समाज में स्थिति प्राप्त कर ले। बास्तव में स्तरीकरण में समाज का मनुषित रखने की शक्ति है। छठे, सामाजिक स्तरीकरण में सामाजिक सघण और अनावश्यक प्रतियोगिता वी भावनाएँ स्वतं कम हो जाती हैं क्योंकि स्तरीकरण की व्यवस्था में विभिन्न ममूहों से व्यवस्था, कार्य, स्थिति अधिकार और कत्तव्य आदि का सरल विभाजन स्वतं हो जाता है। प्रत्येक ममूह अपनी-अपनी स्थिति में रहन हुआ अपना पृथक निवारण काय करता है।

स्पष्ट है कि यहाँ अकाया के बावजूद सामाजिक स्तरीकरण की गहरी उपयोगिता है और हम इसके महत्व को या इसकी आवश्यकता को अस्वीकार नहीं कर सकते। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक नियन्त्रण की समस्या को हल करता है और इने सामाजिक ममटण्डों के अनुसार काय करने रहने का प्रेरणा देता है।

बनाए जाने, बेतन आदि चुकाए जाने, कार्य-दशाओं का निश्चय किए जाने प्रादि के सम्बन्ध में निर्णय उन होगों द्वारा लिए जाते हैं जो या तो इन निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक सम्पत्ति (Capital) का नियन्त्रण करते हैं (जैसा कि समुक्त राज्य प्रभेत्रिका में है) अथवा इन निर्णयों को नियन्त्रित करने वाली राजनीतिक मत्ता के स्वामी है (जैसा कि सोशियल रूप में है) अथवा जो कि दोनों ही है अर्थात् धन और राजनीतिक मत्ता दोनों पर अधिकार किए हैं। इम प्रकार के सम्बन्धों द्वारा अर्थ-व्यवस्था की सरचना और वार्षिक स्तरीकरण की व्यवस्था से अति निकट रूप में सम्बन्धित हो जाते हैं।

### (2) यह पुरातन है

द्यूमिन के प्रनुसार सामाजिक स्तरोकरण की दूसरी विशेषता इसकी पुरातनता है अर्थात् स्तरीकरण ममी अतीतकालीन समाजों में पाया जाता रहा है। ऐसिह सिक और पुरातत्व शास्त्रीय प्रयोगों के अनुसार स्तरीकरण उन होटे-छोटे थुमक्कड़ समूहों (Wandering hands) में भी पाया जाता था जो कि प्राचीन काल में—मनुष्य के सबसे प्रारम्भिक काल म पाए जाते थे। द्यूमिन का मत है कि इस काल में आद्य यौन-प्रेम, शारीरिक गति आदि कारक स्तरीकरण की प्रमुख कमौटी रहे होगे। मम्बवत तकालीन व्यवस्था का नबहे प्रमुख नियम या प्रादर्श “स्त्रियाँ और बच्चे सबसे अन्त में” (Women and Children last) रहा होगा। प्राचीन काल में स्तरीकरण के आधार के रूप म जहाँ जन्म का सर्वाधिक महत्व या वहाँ प्राधुनिक काल में अंजित प्रस्थिति का महत्व बढ़ना या रहा है।

### (3) यह सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है

द्यूमिन के प्रनुसार स्तरीकरण की तीसरी विशेषता इसका सर्वत्र वर्तमान रहना अर्थात् इसकी सर्वव्यापकता है। इनिहाम में किसी ऐसे समाज का उदाहरण नहीं मिलता। जिसमें सामाजिक स्तरीकरण न रहा हो। हर राष्ट्र में, तथाकथित समाजवादी दशों में भी स्तरीकरण अवश्य पाया जाता है। अधिकारी और शिकारी समाजों तक में स्तरीकरण की उपस्थिति के उदाहरण है। बुज्जोगो (Bush men) में भी, जो कि मुख्यतः शिकार हारा अनन्ती जीवका बसर करत है और 50 से लेकर 100 व्यक्तियों के भुड़ों में रहते हैं किसी न किसी रूप में स्तरीकरण पाया जाता है। उनमें भी पुरुषों और लिंगों में, वयस्कों और बच्चों में समाज द्वारा म्लीकून असमानताएँ पाई जाती हैं। आदिवासी समाजों में स्तरीकरण का प्रारम्भिक स्वरूप दबान को मिलता है।

### (4) इसके स्वरूप में भिन्नता

सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न समाजों में विभिन्न कानूनों में इसका स्वरूप भलग-भतग रहा है। यदि भारत में जाति व्यवस्था के रूप में स्तरीकरण जन्म के आधार पर रहा है तो पूरोंगीय दशा में यह अधिकाशन अंजित भुग्गो एवं योग्यतास्त्रों के आधार पर रहा है। अनेक समाजों में

आधुनिक लोकतांत्रिक युग में सामनव अधिकारों और लोकतांत्रिक विचारों के प्रसार के कारण स्तरीकरण का यह स्वरूप लगभग मिट-सा गया है। किर भी कुछ समाजों में इस आदिम स्तरीय स्वरूप का किसी न किसी रूप में अस्तित्व बना हुआ है।

### सम्पदाएँ

#### (Estates)

मध्ययुगीन यूरोप में सामन्ती सम्पदाओं की व्यवस्था थी। इन सामन्ती सम्पदाओं की तीन महत्वपूर्ण विशेषताएँ थी<sup>1</sup>—

प्रथम, उनकी वैधानिक परिभावा थी। प्रत्येक सम्पदा की अधिकारों और कर्तव्यों, विशेषाधिकारों और दायित्वों के निश्चित अर्थ में एक प्रस्तुति होती थी। इस प्रकार एक व्यक्ति की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सर्वेवयम् यह जानता जाहरी था कि वह कौन से कानून के अनुसार रहता था। सम्पदाओं के बीच अन्तर का एक अन्य आधार समान अपराधों पर दिए गए भिन्न-भिन्न जुर्मान में भी देखा जा सकता है।

द्वितीय, सम्पदाएँ विस्तृत शम-विभाजन की प्रतिनिधि थीं और समकालीन साहित्य में उनके निश्चित कार्य होते थे। कुलीन सबको रक्षा के लिए उत्तरदायी थे, पुत्रार्थी सबके लिए प्रार्थना करते थे और जनसाधारण सब के निए भौजन दुटाते थे।

तृतीय, सामन्तवादी सम्पदाएँ राजनीतिक समूह थीं। स्टडम के अनुसार सम्पदाओं का एक समूह विभिन्न नरों सम्पदाओं अधिकारों की दशाओं का एक संगठित समूह है जिनके पास राजनीतिक शक्ति होता स्वीकार किया जाता है।<sup>2</sup> परम्परागत सामन्तवाद में दो सम्पदाओं—कुलीनों और पुरोहितों का अस्तित्व था। लक्ष्मि 12वीं शताब्दी के बाद यूरोप के सामन्तवाद के पन्ने के साथ एक तीसरी सम्पदा का उदय इत्या जो नागरिकों की थी। उल्लेखनीय है कि इन तीनों सम्पदाओं का महत्व (सामाजिक वर्गों की भानि) अमीन-अपनी विशेष जीवन-शैली के अनुसार रहने थे और उनकी शैली के अनुसार रहने थे। नथापि जैमा कि जानमन का मत है कि पुरोहित या पादरी नियमानुसार जो प्रथम वर्ग में थे लेकिन अधिकार में व्यावसायिक रूप से वे राजवशीष्ट कुलीनों अधिकारों में नीचे थे। पुरोहितों या पादरियों को कोई उपाधि आदि नहीं मिली हुई थी और जिनको मिली हुई थी वे कुलीनों या सरदारों से अन्त किया नहीं कर पाते थे।

कुछ आधुनिक इनिहायकार और समाजशास्त्री यूरोप के सामन्तवादी समाजों तथा उन्हीं प्रकार के अन्य समाजों के बीच समानताओं के प्रति जहन अविश-

आकृष्ट रहे। भारतीय प्रतावदी में जापान की सामाजिक व्यवस्था को बहुधा सामनवादी कहा गया है। भारत में सामनवाद का अस्तित्व अधिक विवादास्पद है। यह मानता ही चाहिए कि यदि भारतीय इतिहास के किसी युग में सामनवादी सम्बन्धों का अस्तित्व था तो वे जातीय सम्बन्धों के राष्ट्र-नाव लग उनमें प्राप्त गुणित रहे होंगे।<sup>1</sup> अधिकांश विद्वानों का यही विचार है कि भारतीय सामनवाद का स्वरूप आधिक और सेनिक रहा था, यह जातीय-सम्बन्धी नहीं था। यद्यपि भारत में सामनवादी व्यवस्था की प्रथाएँ परमामी विद्वान एकमते नहीं हैं तथापि यह व्यवस्था है कि 'मुगल साम्राज्य की स्थापना से लेकर ब्रिटिश राज्य के प्रारम्भ तक सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप को सम्पन्न तथा राजनीतिक शक्ति के सम्बद्ध में स्पष्ट करना वा बहुत कुछ कार्य सामाजिक इनिहासकार कर सकते हैं'।<sup>2</sup>

### जाति

#### (Caste)

जब जाति भवन हमारे माझे प्राप्त है तो हमसह ज्यान भारत की ओर जाता है। सामाजिक स्तरीकरण की प्रणालियों में भारतीय जाति-व्यवस्था प्रदृष्टीय है। भारत में जाति प्रथा की पराकाष्ठा है। यथापि जाति के तत्त्व अन्यत्र भी पाए जाते हैं लेकिन भारत की जाति व्यवस्था सबसे अनोखी है। वे सामाज्य चारित्रिक लक्षण प्रदाया प्रवृत्तियाँ जो भारतीय जाति को प्रभ्य प्रदार के समूचे में पृथक करती हैं किसके डेविस के अनुसार निम्नलिखित हैं—

(1) किसी जाति से सदस्यता प्रानुवंशिक होती है। जन्म के समय ही अच्छा अपने पाता पिता के पद को प्रहरा कर लेता है।

(2) यह आनुवंशिक सदस्यता सदूळ जीवन के लिए स्वाई होती है यदि कोई व्यक्ति जाति-बहिर्भूत कर दिया जाए तो दूसरी बात है अन्यथा वह अपने किन्हीं भी प्रश्नों से अपनी जाति नहीं बदल सकता। वह अपने जातिगत पद को अपने अच्छे कार्यों से, विवाह में कपट वश वारण करके अन्यथा किसी अन्य कौशल से नहीं बदल सकता।

(3) जीवन-साधी का चुनाव पूर्णत मजातीय विवाही होता है क्योंकि इसका उसी जातीय समूह में पूर्ण होना अनिवार्य है।

(4) इसमें दूसरे समूहों से सम्झकों को स्थापना को हप्ता शहरोग भोजन, निःशास आदि के प्रतिबंधों द्वारा बहुत सीमित कर दिया जाता है।

(5) जातिगत सदस्यता की चेतना को जातीय नामों के घारण करने से प्रोग्र भी बहुत मिलता है। गमाज वहाँ के व्यक्तियों को उनकी जाति के सन्दर्भ से

1 वही पृष्ठ 196

2 वही, पृष्ठ 196-97

3 निःशास डेविस वही पृष्ठ 328-29

देखता है, उसकी जातीय प्रथाओं से व्यक्ति की अनुरूपता तथा अपनी जाति के द्वारा सरकार की अधीनता में रहता, आदि जाति को बल प्रदान करते हैं।

(6) जाति, एक सामान्य परम्परागत व्यवसाय से एकता में दरीरी है, और सामान्यनः जटीत में दरीरी रहती थी, यद्यपि वह इसके प्रतिरिक्त सामान्य जनजातीय अथवा प्रजातीय उत्पत्ति सम्बन्धी विश्वासी, सामान्य धार्मिक कृत्यों, अथवा किन्हीं अन्य नामान्य विशेषताओं के द्वारा भी संगठित हो सकती है।

(7) विसी भी स्वान पर विभिन्न जातियों की सांख्यिक प्रणिष्ठा पूर्ण है और स्थापित है तथा साथ ही ईर्ष्या से सम्पन्न है।

डेविस के प्रनुमार उपरोक्त लक्षण जाति-व्यवस्था के आदर्श-प्रारूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भारतीय कर्मकाण्डों के प्रतीक हैं और इन्हे भारतीय धर्म में नानिक एवं प्राप्त हैं। टी० बी० बाटोमोर के अनुमार, "आधुनिक भारत के प्रत्येक प्रमुख धोन में शायद 2500 जातियाँ हैं। जाति अन्तविवाही समूह है तथा व्यक्ति का मुख्य निर्देश समूह है जिसमें जीवन की एक विशिष्ट प्रणाली सञ्चिहित है, जिसे उसने प्रथागत तथा प्रारम्भिक समय में वैधानिक मान्यताओं द्वारा बनाए रखा है। जातियों की आर्थिक महत्त्वा स्पष्ट है और जाति आर्थिक विभेदीकरण से सम्बद्ध सभी सामान्य विशेषताएँ रखती है।" बाटोमोर ने जे० एव० हट्टन ने इस विचार से सहमति प्रकट की है कि भारत में मूल आकाशक आयों ने जो विशिष्ट पदों में विभक्ति के, यहाँ के समाजों में सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धान्त प्रारम्भ किया, जो पहले से ही भोजन सम्बन्धी निवेदों के प्राप्तार पर अपवर्जी जनजातीय समूहों में विभाजित था। आयों ने इन निवेदों को अपने और अधीन जनसंख्या के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए स्वीकार किया एवं सुन्दर बनाया। इस प्रवार स्तरीकृत अपवर्जी समूहों का सिद्धान्त पुन लागू किया गया तथा भोजन एवं बाद में सम्पर्क द्वारा अविवितता के घारिक एवं जारी सिद्धान्त के रूप में उसे एक शक्तिशाली मान्यता प्रदान की गई।<sup>1</sup>

बाटोमोर ने लिया है कि जाति व्यवस्था के स्पष्टीकरण में सामाजिक स्तरीकरण के किसी सामान्य मिलान्त, हिन्दू धर्म तथा विशिष्ट लक्षण गौर सम्बन्ध भारतीय समाज वा खण्डों में विभक्त होना तथा पारस्परिक अर्द्ध व्यवस्था की मिरता जैसे कारकों वा उल्लेख निहित है। भारतीय जाति-व्यवस्था में बदलने द्वारा मूल्या के साथ परिवर्तन आ रहा है और धन तथा शिक्षा, उच्च एवं निम्न जातियों के सदस्यों की पहुंच के भीतर ही गए हैं। धन, शिक्षा अथवा व्यक्तिगत गुण निम्न जाति का सदरय होने के बावजूद किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदान कर सकते हैं। किंर भी ये परिवर्तन ज्ञात्य शक्तियों के कारण आए हैं त ता प्राचीन व्यवस्था

के लिए यह भी गम्भीर चुनौती नहीं है। जो भी हो, हम इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते कि भारतीय जाति-व्यवस्था में विभिन्न कारणों से निश्चित रूप से परिवर्तन आए हैं और उग्रका कठोर रूप बद्दल कुछ ठीका पड़ चुका है। अनेक समाजशास्त्रियों का अभिभव है कि जाति सधो का, विशेष रूप से शहरों में, तीव्रता से विकास हो रहा है और शिक्षा तथा व्यावसायिक गतिशीलता के लिए अवश्यक क्षेत्रों में जाति वी महत्ता काफी बनी हुई है। उच्च शिक्षा में मुख्यत उच्च जातियों का प्रदेश है। विद्यालय के इन दोनों धरों के बीच बाटोमोर का यह मतुलित विचार ठीक ही है कि जाति वी शक्ति और परिवर्तन की प्रबुद्धियों को अनेक प्रकार से अनुमानित किया गया है जबकि प्रमाण न तो प्रचुर हैं और न स्पष्ट ही है। जो भी हो, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों में जाति-व्यवस्था का प्रमुख स्थान है और वर्तमान में भी, चाहे व्यक्ति कितना भी घनीमानी या विद्वान् या अधिकारी हो जाए, जातियों के ऊंचे-नीचे के त्रय में उसकी लगभग वही परिस्थिति रहती है। स्तरीकरण के रूप में जाति का प्रध्ययन अनेक देशी-विदेशी समाजशास्त्रियों ने किया है। उन्होंने जाति के गत्यात्मक रूपस्थ को समझने वीर स्तरीकरण के बदलते मानवण्डों की मापने की कोशिश भी है। भारतीय जाति-व्यवस्था अति प्राचीन काल से देश में स्तरीकरण की एक छोट आवारणिता रखती रही है और हम इस टिप्पणी से याज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

### सामाजिक वर्ग तथा सामाजिक स्तर

#### (Social Class and Social Status)

जाति-व्यवस्था की भाँति वर्ग-व्यवस्था भी सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख रूप है। विश्व के अधिकांश भागों में स्तरीकरण का आधार वर्ग ही है। औद्योगीकरण के द्वारा निकाल युग में सामाजिक गतिशीलता ज्यो-ज्यो बढ़ रही है, सामाजिक वर्गों के महत्व में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ग में हमारा आशय व्यक्तियों के उस समूह से है जिनकी सामाजिक प्रस्थिति लगभग एक-मी होती है। जब समान सामाजिक पद के कारण कुछ लोग आपसी सम्बन्धों की स्थापना करते हैं तो उनके ग़ढ़ वर्ग का निर्माण हो जाता है। वर्ग की सदस्यता, इस प्रकार, जन्मगत त होकर शर्मित होती है। सामाजिक वर्ग, बाटोमोर के अनुमार, तथ्यत समूह होते हैं, ये घोटाकूत खुले या उन्मुक्त होते हैं, बन्द नहीं। उनका आधार निर्विवाद रूप से अधिक है लेकिन वे अधिक समूह से अधिक हैं। वे औद्योगिक समाजों के लाक्षणिक समूह हैं जिनका विकास 7वीं शताब्दी के बाद हुआ है।

सामाजिक वर्ग की निर्माण मुख्य विकेपताएं ये हैं—(1) एक वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों नी लगभग एक-मी सामाजिक प्रस्थिति होती है, (2) वर्ग-व्यवस्था में व्यक्ति अपनी प्रस्थिति को सुधारने के लिए प्रयास कर सकता है अर्थात् प्रनिरूपणों को स्थायात्मक स्वीकृति प्राप्त होती है, (3) वर्ग में दीर्घकालीन स्थायित्व की प्रवृत्ति होती है, अर्थात् यद्यपि पूरे वर्ग विशेष का सदस्य गतिशीलता के आधार

पर अपने वर्ग से ऊंचे उठ सकता है या नीचे घिर सकता है, लेकिन इसमें काफी समय लगता है, (4) प्रत्येक व्यक्ति में एक वर्ग-वेनता की भावना पाई जाती है, (5) वर्ग की वस्तुपरक विशेषता होती है अर्थात् भक्ति के प्रकार, पड़ोस, मोहल्ले की प्रतिष्ठा, शिक्षा, आदि विभिन्न तत्त्वों के प्राधार पर व्यक्ति की प्रस्तुति प्राप्त कर्त्त्वी या नीचो मानी जाती है अथवा उसकी प्रस्तुति का घबलोरुन किया जाता है, एवम् (6) वर्ग की सदस्यता जन्म पर नहीं बल्कि योग्यता, कुशलता, आर्थिक सम्पन्नता या विपन्नता पर निर्भर करती है अर्थात् इसकी सदस्यता अजित होती है। वास्तव में वर्ग व्यवस्था एक खुले समाज का रूप है। सामाजिक वर्गों में उत्तर-चढ़ाव होते रहना भी एक सामान्य बात है। गरीब व्यक्ति आर्थिक स्थिति से दुर्बल होकर मध्यम अथवा निम्न वर्ग में जा सकता है। वर्ग गत स्थिति में यह परिवर्तन आर्थिक स्थिति के अनुरूप अपने ग्राप हो जाता है। बाटोमोर ने लिखा है कि समाजशास्त्रियों में मतभेद साधारणतः विभिन्न वर्गों की संयोगशीलता, समाज में उनकी भूमिका और उनके भविष्य जैसे विषयों को लेकर प्रारम्भ होता है।

प्रत्येक वर्ग की अपनी एक उप-संस्कृति होती है, रहन-सहन, खान-पीन, छद्महार आदि की एक विशेष जीवन शैली होती है। जिन जोगों की जीवन शैली लगभग एक-सी होती है उन्हें मैक्सवेबर न प्रस्तुति-समूह (Status-groups) की सज्जा दी है। मैक्सवेबर ने वर्ग की एक विशेषता 'जीवन-प्रवस्तर' (Life-chances) की ओर सकेत किया है, तदनुसार 'हम एक समूह को तब वर्ग कह सकते हैं जब उसके सदस्यों को जीवन के कुछ विशिष्ट प्रवस्तर समान रूप से प्राप्त हो।'

समाजशास्त्रियों ने विभिन्न वर्गों का अध्ययन किया है। प्रमेक समाजशास्त्रियों को मध्यम वर्ग विशेष प्रिय रहा है। थमिक वर्ग के बारे में जी० ब्रीप्स की प्रतिलिपि रखना 'दी प्रोलेटेरियट' है जो कि मार्क्सवादी परिभाषा म आरम्भ होती है थमजीवी वर्ग तथा सफेद पोश मध्यम वर्ग = वे ३ प्रविश स्टेट अन्वर इरनी हैं। ब्रांगर ज० के मामान्य अध्ययनों में सी० राइट, मिल्य वी० हाइट कारर ग्रार नविम ग्रो० मा० की 'दि इगलिश मिडिल क्लास' को सम्मिलित किया जा सकता है लेकिन म यम वर्गों के भीतर और विशेष रूप से उदार व्यवसायों के भीतर विशिष्ट समूहों के यर्दा विवरण उपलब्ध हैं। उच्च वर्ग का अध्ययन करना कम सरल रहा है और इस लेने में समाजशास्त्रीय लेखन अभिजात वर्गों के संदान्तिक एवं ऐतिहासिक अध्ययनों से लेकर सम्पत्ति के स्वामित्व, आय, जैक्षणिक विशेष सुविधाओं के बारे में सालिकीय मूल्यना पर आधारित अध्ययनों तक प्रमरित है।<sup>1</sup>

सामाजिक वर्ग और सामाजिक स्तर का विद्यनायुग्म अध्ययन करते हुए

## सामाजिक प्रक्रियाएँ—अन्तःक्रिया, सहयोग, प्रतिस्पर्द्ध और संघर्ष, क्रिया, स्थाई भाव और प्रतिमान

(SOCIAL PROCESSES—INTERACTION,  
CO-OPERATION COMPETITION  
AND CONFLICT, ACTIVITY,  
SENTIMENT AND NORMS)

समाज सामाजिक सम्बन्धो का जाल है। इन सामाजिक सम्बन्धो में निरन्तर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और इसलिए समाज स्थिर न होकर एक गतिशील इकाई है। इन सामाजिक सम्बन्धो की प्रकृति परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि व्यक्ति एक ही समय भिन्न-भिन्न प्रकृति के सम्बन्धों से प्रभावित होते हैं एक विशेष प्रकृति का सम्बन्ध ही विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न अर्थ क्यों लिए होता है? आदि प्रश्न हमारे सामाजिक जीवन की कुछ प्रमुख जिज्ञासाओं से प्रतीत होती है। इन जिज्ञासाओं का समाधान सामाजिक प्रति क्रिया एवं सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रकृति उनके विभिन्न रूपों एवं सामाजिक जीवन में उनके महत्व आदि से बहुत कुछ हो जाता है। सांस्कृतिक मानवशास्त्रियों ने यक्षिया, जो सामाजिक सम्बन्धो से मलबन हैं, को और धर्मिक ध्यान नहीं दिया है, किन्तु समाजशास्त्रियों ने इस और पर्याप्त ध्यान दिया है और यह महसूस किया है कि हमें न केवल समाज की सरचना को जानना चाहिए बल्कि अन्त क्रिया की विभिन्न प्रक्रियाओं को भी जानना चाहिए।

### सामाजिक प्रक्रियाएँ (Social Processes)

सामाजिक सम्बन्ध केवल दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ही नहीं होते बरन् दो या दो से अधिक तमूहों के बीच भी होते हैं। हम प्राय सुनते रहते हैं कि दो राष्ट्र परस्पर युद्धत हैं अथवा अमुक अमुक सामाजिक वर्गों में मन मुटाब चल रहा है अथवा अमुक दो व्यापारिक प्रतिष्ठान आपसी प्रतिस्पर्द्ध में मलबन हैं। इस प्रकार, सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा अभिप्राय अन्त क्रिया के चून तरीकों से है

जो हमे व्यक्ति और समूह मे मिलते हैं और जिनसे हम आपसी सम्बन्ध स्थापित करते हैं।

सामाजिक प्रक्रियाओं को ग्रीन एवं ग्रीन ने तीन भागों मे विभाजित किया है—

- (1) सामान्य सामाजिक प्रक्रियाएँ,
- (2) संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएँ एवं
- (3) असमिति सामाजिक प्रक्रियाएँ।

सामाजिक अन्त क्रिया सामान्य प्रशिक्षणों मे आती हैं। सहयोग, आत्मीकरण तथा व्यवस्थापक की प्रक्रिया को हम संगठनात्मक प्रक्रियाओं मे लेते हैं। असमिति प्रक्रियाओं मे सधर्य और प्रतिरक्षण का अव्ययन किया जाता है।

सामाजिक अन्त क्रिया और सामाजिक प्रक्रिया तो एक दूसरे से पृच्छ करके नहीं सम्भव जा सकता क्योंकि वास्तव मे अन्त क्रिया के विभिन्न रूप ही सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं।

सामाजिक अन्त क्रिया (जिसका आगे पृष्ठक शीर्षक मे वर्णित है) और सामाजिक प्रक्रिया के अन्तर को मरन शब्दों से स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध समाज शास्त्री प्रो॰ नी के अनुवाल ने लिखा है—

अन्त क्रियाएँ पूर्णतया मानसिक होने के कारण अत्यधिक सङ्क और अमूर्त होती हैं। इनके अन्तर्गत हम मानसिक रूप मे दूसरे व्यक्ति की क्रिया का अथ निकालते हैं। लेकिन यब हम किमी व्यक्ति की अन्त क्रिया को समझने ही नहीं बल्कि उसे व्यवहार मे परिणित भी करने लगते हैं, तब यही अन्त क्रिया के प्रियोग सामाजिक प्रक्रिया के रूप मे स्पष्ट हो जानी है। उदाहरण के लिए दो व्यापारियों के बीच आरम्भ मे सम्पर्क और सावार के कारण कुछ अन्त क्रिया उत्पन्न होनी है और तब अनेक घटनाओं के माध्यम ने यह अन्त क्रिया एक स्पष्ट 'प्रतियोगिता' के रूप मे परिणाम हो जाती है, तब हम इसे सामाजिक प्रक्रिया कह देते हैं। इसमे यह निप्पत्ति निकलता है कि प्रक्रिया कुछ घटनाओं का क्रम है जो एक स्पष्ट और सम्बद्ध व्यवहारों मे परिणत होकर किसी परिणाम की ओर बढ़ने का प्रयत्न भरती है। अन्त क्रियाओं का कोई वैज्ञानिक अन्वेषण सम्भव नहीं है, जब कि सामाजिक प्रक्रिया ने सम्बन्धित घटनाएँ इतनी स्पष्ट और परस्पर सम्बन्धित होनी है कि उनका वैज्ञानिक अन्वेषण करके किमी निष्कर्ष तर फूहांचा जा सकता है।

स्पष्ट है कि नमाज के प्रक्रियों अथवा तमूहों मे जो अन्त क्रिया होती है, उसे सामाजिक प्रक्रिया (Social Process) कहते हैं। दूसरे शब्दों मे सामाजिक अन्त क्रिया के साधारण एवं वार-प्रार उपस्थित होने वाले रूपों को सामाजिक प्रक्रिया कहना चाहिए। पारं तथा वर्णन ने सामाजिक प्रक्रिया को परिभाषित करत हुए कहा है—“सामाजिक प्रक्रिया से अर्थ उन समस्त परिवर्तनों से है जो समूह के जीवन मे परिवर्तन माने जाने हैं।” सामाजिक प्रक्रिया के विभिन्न रूप

होते हैं और इन्हें ही सामाजिक अन्त क्रिया के रूप में या सामाजिक प्रक्रियाओं की सज्ञा दी जाती है। सामाजिक प्रक्रियाएँ प्रकृति से मानविक जीवन की प्रक्रियाएँ हैं। ये सार्वभौम हैं। ये सभी समूहों एवं सभी सांस्कृतिक हस्तरों पर होती हैं। पुनर्जन्म, ये अर्थात् सामाजिक प्रक्रियाएँ व्यवहार की ऐसी समलूपताएँ हैं जिनका वैज्ञानिक अन्वेषण हो सकता है। आधुनिक समाज में मानव व्यवहार पूर्वेक्षा अत्यधिक जटिल हो गए हैं भले ही अत्र अत्रेक सामाजिक प्रक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं जो अन्त क्रिया के अति जटिल रूप होते हैं। उदाहरणार्थ, प्रेम, या मन्त्र सामाजिक अन्त क्रियाओं का एक विशेष रूप प्रथमात् सामाजिक प्रक्रिया है। प्रेम के अन्तर्गत यह जरूरी नहीं है कि यम्पुरुण घटनाएँ केवल प्रेम से ही सम्बन्धित हों। इसमें सधर्ष, विरोध और तनाव के तत्त्व भी सम्मिलित हो सकते हैं किन्तु चूंकि केवल यह तत्त्व प्रेम का है, अतः सधर्ष और विरोध का प्रभाव अरथात् रह जाता है। इस प्रकार यह विशेष प्रकार की अन्त क्रिया अर्थात् प्रेम एक सामाजिक प्रक्रिया है। दो राष्ट्रों या समूहों में सधर्ष, युद्ध, तनाव, आदि की स्थिति में दोनों दलों में सधर्ष के साथ उनमें से प्रत्येक के मित्रों में सहयोग, समाज उद्देश्यों को लेकर अपरिवितों में भी परस्पर एकता आदि विभिन्न जटिल सामाजिक प्रक्रियाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

सामाजिक प्रक्रिया (Social Process) की ओर भी अधिक स्पष्ट हम इस प्रकार कर सकते हैं कि प्रत्येक प्रक्रिया में प्रायः निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं —

- 1 वह एक विशिष्ट परिणाम की ओर जे जाती है।
- 2 उसमें सम्बन्धित घटनाओं का कम एक बार से अधिक होता है।
- 3 उससे घटनाओं से सम्बन्ध होता है।
- 4 उसमें निरन्तरता पाई जाती है।

वारीत यही विशेषताओं से युक्त सामाजिक सम्बन्धों के क्षेत्र की त्रियाएँ ही सामाजिक प्रक्रियाएँ (Social Process) कहलाती हैं। दीसेन्ज और दीसेन्जने लिखा है कि शिक्ष-भिन्न प्रकार की अन्त क्रियाएँ सामाजिक प्रक्रियाएँ कही जाती हैं।

सामाजिक अन्त क्रिया का माध्यम सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं। ये सामाजिक प्रक्रियाएँ ही समूह के जीवन में परिवर्तन करती हैं। इनके रूप ही सामाजिक अन्त क्रिया के रूप हैं।

सामाजिक प्रक्रियाओं को सरल रूप देने के लिए समाजशास्त्रियों ने इन्हें वर्गीकरणों द्वारा समझाने का प्रयास किया है, हालांकि सभी समाजशास्त्री किसी एक वर्गीकरण के बारे में एक मत नहीं है। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक प्रक्रिया के रूपों की रैख्य सैकड़ों या कम पहुंचा दी है तो कुछ ने केवल दो ही रूपों को प्रधान बताया है। दो रूपों को प्रधानता देने वालों में कुछ समाजशास्त्रियों ने इन्हें सामाजिक प्रक्रियाओं को सहजाती (Associative) और असहजाती (Disassociative) कहा है जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने इन्हें सम्बोधित (Conjunctive) और विभाजक (Dis Conjunction) प्रक्रियाओं के नाम से सम्बोधित किया है। परन्तु

आजकल ये दोनों ही मत अमान्य हैं। इस वर्गीकरण से हमारे अध्ययन में अधिक जटिलता आ जाती है। चूंकि इन दोनों प्रकार की सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख कर सकना बड़ा बहिन है।

वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि केवल उन्हीं प्रक्रियाओं को अध्ययन में सम्मिलित किया जाए जो आधारभूत हैं एवं उनकी सहायता से अन्य प्रक्रियाओं की सामान्य रूपरेखा भली प्रकार समझी जा सकें। इसी हिट्कोलु से दाकें और वर्गोंने सामाजिक प्रक्रियाओं के निम्नलिखित चार मुख्य रूप (Major Types) माने हैं—

- 1 प्रतिस्पर्द्धा (Competition)
- 2 सघर्ष (Conflict)
- 3 समायोजन (Accommodation)
- 4 सात्मीकरण (Assimilation)

मैकाइवर, मार्टिन और मेरिल ने इन चारों के अलावा सहयोग (Co-operation) को भी इनके साथ सम्मिलित कर दिया है। इनमें पहले दो विभाजक हैं और बाकी तीन सहगामी अथवा समुक्त हैं।

### सामाजिक अन्त क्रिया-अर्थ, परिभाषा, तत्त्व एवं महत्त्व (Social Interaction : Meaning, Definition, Elements and Significance)

सामाजिक अन्त क्रियाएँ सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का वास्तविक आधार हैं। इन्हीं के कारण समाज में एक गतिशील और अनुकूलनशील व्यवस्था बनी हूँड़ है। यद्यपि समाज की सरचना, प्रस्त्रिति, भूमिका, सामाजिक मूल्य आदि का समाजशास्त्रीय अध्ययन में बहुत महत्त्व है, लेकिन इसका सर्वाधिक आधारभूत सम्बन्ध सामाजिक अन्त क्रियाओं से है। सदरलैण्ड के अनुमार सम्पूर्ण सहकृति और समाज वस्तुता सामाजिक अन्त क्रियाओं की ही उपज है जो सभी स्थानों को और सभी प्रबन्धरों पर व्यक्ति तथा समूह के सम्बन्ध के स्वरूप का निर्धारण करके समाज का व्यवस्थित बनाए रखती है।

#### अन्त क्रिया का अर्थ

सामाजिक अन्त क्रिया से तत्त्वयं व्यक्तियों अथवा समूहों के कार्यशील सामाजिक सम्बन्धों से है। समाज को एक जागरूक और चेतन इकाई इसीलिए कहा जाता है नि अन्त क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण करता है।

सामाजिक अन्त क्रिया के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, उसके दिना यह नहीं हो सकती। दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों या दो से अधिक समूहों के मध्य ही सामाजिक अन्त क्रिया हो सकती है। उदाहरणार्थं जब कभी दो व्यक्ति परस्पर मिलते हैं और एक-दूसरे का अभिवादन करते हैं, तो अन्त क्रिया हो जानी है क्योंकि एक व्यक्ति की बात का अर्थ दूसरे व्यक्ति ने लगाकर फिर उसका उत्तर दिया है। 'अर्थमूलं किम्' ही सामाजिक अन्त क्रिया का आधार है और इसी

के फलस्वरूप सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना होती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक अन्त क्रिया का पारस्परिक सम्पर्क से घनिष्ठ नम्बन्ध है, तथागि मूलतः यह हमारी मानसिक जागरूकता से सम्बन्धित है। हम ज्योही जिसी व्यक्ति या समूह की उपस्थिति महसूस करते हैं, हमारी चेतना पहले से कुछ भिन्न रूप से काय करने लगती है। उदाहरणार्थ, हम एकान्त में एक विजेप प्रकार से कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के आते ही अपनी क्रिया में परिवर्तन कर देते हैं। क्रिया में उत्पन्न होने वाला इस प्रकार का परिवर्तन एक और तो दूसरे के व्यवहारों से प्रभावित होता है और दूसरी और दूसरों के व्यवहारों को प्रभावित भी करता है। यह स्थिति सामाजिक अन्त क्रिया का ही उदाहरण है। अन्त क्रिया दो-पक्षीय प्रक्रिया है, एकपक्षीय नहीं। यदि एक व्यक्ति गहरी नीद में सो रहा है और दूसरा सामाजिक चुरा ले जाता है तो यह सामाजिक अन्त क्रिया नहीं है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की निया दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की क्रिया करने की प्रेरणा नहीं देती। दूसरे जब्दों में, यह क्रिया एक-पक्षीय है, द्विपक्षीय नहीं। पर यदि दो व्यक्ति परस्पर झगड़ते हैं, दो सवार एक दूसरे से टक्कर बचाने को जेब्टा करते हैं, दो व्यक्ति प्रतियोगिता करते हैं, तो ये सब सामाजिक अन्त क्रियाओं के उदाहरण हैं क्योंकि एक व्यक्ति की क्रिया के फलस्वरूप दूसरे व्यक्ति की क्रिया का रूप बनता है।

सामाजिक अन्त क्रिया का क्षेत्र इतना छापक है कि हम इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। एक ही विषय पर हम परस्पर कठोरता, नर्मा, सहयोग, सधर्पं, समझौता, मध्यस्थिता, महमति, अमहमति आदि का प्रदर्शन कर सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण, या शत्रुतापूर्ण औपचारिक या अनोपचारिक, महङ्गोगी या अधिनायकवादी हो सकते हैं। मूल बात यह है कि समाज के किन्ती दो या अधिक सदस्यों या समूहों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्पर्क होने पर किसी न किसी प्रकार की सामाजिक अन्त क्रिया प्रारम्भ हो ही जाती है। इन्हीं अन्त क्रियाओं के कारण सामाजिक सम्बन्धों का जात बना हुआ है।

### अन्त निया की परिभाषाएँ

यदि हम अन्त क्रिया की समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई कुछ प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख करें। एलड्रिज एवं मेरिल (Eldrege and Merrill) के अनुसार, "सामाजिक अन्त क्रिया वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो अथवा अधिक व्यक्तियों में परस्पर एक अर्थपूर्ण सम्बन्ध होता है जिसके फलस्वरूप उनके व्यवहारों में कुछ गमोपन हो जाता है, पाहे इस सशोधन की मात्रा कितनी ही कम नहीं न हो।"<sup>1</sup> स्पष्ट है कि व्यक्तियों या समूहों का यह सम्पर्क उनके व्यवहारों को पारस्परिक चेतना द्वारा प्रभावित करता है और इसी अर्थपूर्ण क्रिया को हम सामाजिक अन्त-निया के नाम से सम्बोधित करते हैं।

1 Eldrege and Merrill Culture and Society, p. 436

डॉसन और गेटिस (Dawson and Gettys) के अनुसार, "सामाजिक अन्त क्रिया वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य के एक दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं।" इस परिभाषा से प्रकट है कि सामाजिक अन्त क्रिया में व्यक्तियों में मानसिक सम्बन्ध स्थापित होता है। ~~लेकिन एक दूसरे के विचारों, कार्यों, भावनाओं आदि से प्रभावित होते हैं।~~

किम्बल यंग (Kimbal Young) की हस्ति में "मोटे तौर पर अन्त क्रिया में यह तथ्य स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति की अनुक्रिया (Response), चेहरे के भाव, शब्द अवधा शारीरिक क्रिया से दूसरे व्यक्ति को उत्तेजना प्राप्त होती है, जिनके फलस्वरूप दूसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के अनुसार ही प्रतिक्रिया करता है।"<sup>1</sup> यह परिभाषा सत्य के लिए होने हुए भी पूर्णत ठीक नहीं कही जा सकती। अन्त क्रिया के लिए उत्तेजना का होना सदैव आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम स्वयं पारस्परिक सम्पर्क द्वारा एक दूसरे की विणेपताओं और मफलताओं के प्रति जागरूक रहते हैं तथा यह स्थिति भी सामाजिक अन्त क्रियाओं की नात्रा को बढ़ाती है।

सदरलैण्ड एवं बुडवर्थ (Sutherland and Woodworth) की परिभाषा बहुत कुछ उपयुक्त है। तदनुसार, "सामाजिक अन्त क्रिया विभिन्न बल्तियों (Forces) द्वारा बहु गतिशील स्थिति है जिसके अन्तर्गत त्रिभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच सम्पर्क होने से उनके व्यवहारों तथा मतावृत्तियों में संशोधन हो जाता है।"<sup>2</sup> यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि जब कभी भी व्यक्तियों एवं उनकी मतावृत्तियों में कुछ परिवर्तन होता है वहाँ सामाजिक अन्त क्रिया की उपस्थिति अवश्य होती है।

गिस्ट (Gist) ने लिखा है कि "सामाजिक मन क्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो बनुष्य परस्पर उत्तेजना और प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं।" यह परिभाषा बतलाती है कि मनुष्य समाज में रहता है और उसका अन्य लोगों से शारीरिक के साथ-साथ मानसिक सम्पर्क भी अवश्य होता है। प्रपनी प्रपनी प्रस्थिति तथा भूमिका (Status & Role) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करता है। सम्पर्क एवं सचार की क्रियाएँ ही सामाजिक अन्त क्रियाएँ कहताता हैं। सामाजिक अन्त क्रिया सरचनात्मक अन्त क्रिया (Communication interaction) होती है।

### अन्त क्रिया के तत्त्व

अब हमें देखना चाहिए कि अन्त क्रिया होने के लिए कौन-कौन से तत्त्व आवश्यक हैं, अर्थात् वे आवश्यक शर्तें कौनसी हैं जो किसी भी अन्त क्रिया की पूर्वदशाएँ हैं। सामाजिक अन्त क्रिया के ये तत्त्व तीन हैं—सामाजिक सम्पर्क (Social contact), सचार (Communication), एवं संवेदन गति (Sensibility)।

(1) सामाजिक सम्पर्क—इस तत्त्व भी विस्तार से चर्चा आगे एक पृथक् रूप से की गई है। यहाँ इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि सामाजिक सम्पर्क

<sup>1</sup> Kimbal Young. A Handbook of Social Psychology, p. 18

<sup>2</sup> Sutherland and Woodworth. Op. cit., p. 99

अन्त किया के लिए आवश्यक है क्योंकि अनेका आदमी उभी प्रति क्रिया नहीं कर सकता। सम्पर्क मध्ये द्विपक्षीय होता है। प्रत्येक सम्पर्क में अन्त क्रिया करने वाले परस्पर शारीरिक सम्पर्क में रहते हैं जबकि अप्रत्यक्ष सम्पर्क में परो, टैलीफोन या अन्य साधनों द्वारा सम्पर्क रिया जा सकता है। आवश्यकता इस बात से ही है कि जिन व्यक्तियों में सम्पर्क हो रहा है, उन्हें एक दूसरे के सम्पर्क के प्रति जागरूक होना चाहिए। सम्पर्क के लिए इन्ड्रिय वाय आवश्यक है।

(2) सचार—अन्त क्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व सचार है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति या भूमुख के विचारों का अन्य वर्ग द्वारा संप्रेषण या सचारण (Transmission)। सचार की प्रक्रिया के अन्तर्भूत ही सामाजिक सम्पर्क के लिए दो पक्षों की भौतिक विकटता आवश्यक नहीं रह गई है। सचार की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के प्रतीकों, सकेतों या गतियों द्वारा एक व्यक्ति अथवा भूमुख के विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाती है और तब दोनों पक्षों में पारस्परिक-उद्दीपन (Inter-stimulation) होता है। सचार तभी हो सकता है जब वह अर्थपूर्ण हो। अर्थपूर्ण सचार तब सम्भव है जब कि एक तो अन्त क्रिया करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक हो, और दूसरे, वे एक दूसरे द्वारा वही जाने वाली बात समझ रहे हो। इसीलिए विभिन्न डेविस ने सचार से प्रक्रिया को 'सामाजिक सम्पर्क का अर्थपूर्ण पक्ष' कहा है और वह निष्कर्ष दिया है कि "मानवीय अन्त क्रिया वास्तव में संवेदनात्मक अन्त क्रिया ही है (Human interaction is communication interaction)।"

(3) संवेदन शक्ति—सामाजिक अन्त क्रिया का तीसरा आवश्यक तत्त्व संवेदन-शक्ति है। इसारा अर्थ है इन्द्रियों के द्वारा जारीरिक एवं मानसिक मानस्थों को अनुभव करने की क्षमता होना। यह संवेदन-शक्ति ही व्यक्ति को सामाजिक सम्पर्क की प्रेरणा प्रदान करती है। इसी के द्वारा सचार की प्रक्रिया प्रभावशाली बन पाती है। यदि इन्द्रियी अक्षम या वैकार वृत्तियों ने सचार का कोई अर्थ नहीं होया और समस्त प्रतीक अर्थहीन रह जायगा। वास्तव में, संवेदनशीलता (Sensitivity) अन्त क्रिया का आधार है जो सम्पर्क के द्वारा शिपाजील होती है और जो सचार के माध्यम से पूर्णत प्राप्त करती है।

### सामाजिक अन्त क्रिया के ग्राह्ययन का महत्व

समाज की जड़ें सामाजिक अन्त क्रिया में गड़ी होती हैं। यह समाजजात्य में सामाजिक अन्तक्रियाओं का ग्राह्ययन करना न बेकल महत्वपूर्ण है वरन् अनिवार्य भी है। लूपले ने लिखा है कि "सम्पर्क तथा अन्त क्रियाएँ हमारे जीवन की नीति के पत्थर हैं। वास्तव में सामाजिक से हमारा नात्य इन्हीं से है। वे समाज के निर्वाचनी ही हैं जैसी कि इमारतों के लिए इंटर और पूता।" समाज का अद्वितीय नभी सम्पर्क है जब वहुन बड़ी सम्प्यो में लोगों में अन्त क्रिया होती रहे। समाज का जन्म ही सामाजिक अन्त क्रिया से होता है यदोंकि अन्त क्रिया के विना अनुभोग में सामाजिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता। पार्क और वर्गेस ने इर्पानिए कहा है कि "समाज की सीमाओं का

निश्चय सामाजिक अन्वयों से होता है।" व्यक्तियों में असहमति सामाजिक अन्वय स्थापित होने हैं जो सभी समाज द्वारा परिभाषित या स्वीकृत होते हैं। इन सम्बन्धों की मूली बनावट उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं समझा जा सकता और न ही उनका वर्णन किया जा सकता है। उन्हें समझने के लिए सामाजिक अन्वय के रूप को, जिन्हें सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है, समझना आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में वह कहना चाहिए कि समाज की सतिशीलता का ठोक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक अन्वय किया जो समझना अनिवार्य है।

समाज ही नहीं वन्कि मस्कुर्गी भी सामाजिक अन्वयों पर आधारित है। विल्सन और बोल्व (Wilson and Kolb) के अनुसार, "सम्झौति और समाज दानों ही सामाजिक अन्वय की उपज है।" सामाजिक अन्वयों से ही समाज का जीवन है, सम्झौति वा विकास होता है और उनका अस्तित्व बना रहता है। सार रूप में हम इह भक्ति है कि सामाजिक अन्वय किया से ही सामाजिक सम्बन्धों को समझा जा सकता है, समाज की मीमांसा वा निश्चय होता है और इसलिए उनका भूत्ता अधिक है।

### सहयोग : अर्थ, स्वरूप एवं महत्व

#### (Co-operation : Meaning, Forms and Importance)

सामाजिक अन्वय की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया सहयोग है। यह वह प्रक्रिया है जो समाज का सार्वजनिक रूप है, वायसम वनानी है और व्यक्तियों का इस बात की प्रेरणा देती है कि वे परस्पर मिलकर बार्य करें। यदि हम वर्तमान नटिन समाज पर टृटि डालें तो वही पाएँगे कि नागभग प्रत्यक्ष स्तर पर सहयोग की प्रक्रिया अपना कार्य कर रही है—चाहे प्रत्यक्ष रूप न या प्रप्रत्यक्ष रूप से। सहयोग समाज के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसके जीवन के प्रन्थिक द्वेष को प्रमाणित कर रखा है, चाहे वह धार्मिक द्वेष हो या आर्थिक, राजनीतिक अवश्यक नाईटिक। समाज में आज तक की व्यवस्था का प्राधार ही सहयोग रहा है। यदि सधिय सहयोग की अपना अवधि प्रभावजनकी होना तो समाज सम्बद्धि कभी का नहीं ही गया होना।

#### सहयोग का अर्थ एवं परिभाषा

भरत जात्यों में सहयोग सामाजिक अन्वय का वह महत्वपूर्ण रूप है जिसमें दो अपना अधिक व्यक्ति परस्पर मिलकर सामान्य लक्ष्यों का पाने के लिए बायं बातें हैं और वे इस भावना अथवा चेतना से प्रमाणित रहते हैं कि वे बास्तव में अलग अलग न हो कर एक हैं। लव सहयोग की यह भावना समाज के सदस्यों में व्याप्त हो जाती हैं तो सम्पूर्ण समाज प्रगति के दश पर नेजी से बढ़ता है। विस्तृत देविस के अनुसार, "एवं सहयोगी समूह वर है जा एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है जिस लक्ष्य का सब चाहते हैं।"

सामान्यत सहयोग को प्रतियोगिता अथवा प्रतिस्पर्द्धि (Competition) का विलोम समझा जाता है। लेकिन यह एक आमक धारणा है। बहुत-सी परिस्थितियों में हमें वह अनुभव होता है कि प्रतियोगिता सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती और इसलिए प्रतियोगिता की व्यवस्था को अनुमति दी जाती है। उदाहरणार्थे, सोशियल रूस को अपनी समाजवादी व्यवस्था के आरम्भक काल में यह अनुभव हुआ कि यदि ऊंचा वेनम प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में प्रतियोगिता अथवा प्रतिस्पर्द्धि उत्पन्न हो जाए तो इसका उत्पादन पर प्रेरणात्मक प्रभाव पड़ेगा। चूंकि रूस को अपने उत्पादन में भारी वृद्धि करने की आवश्यकता थी, अत उसने सहयोग के साथ 'समाजवादी प्रनियन्त्रित' की व्यवस्था को भी विकसित किया।<sup>1</sup> अभिप्राय यह हुआ कि सहयोग सधर्ये का विलोम हो सकता है, लेकिन प्रतिस्पर्द्धि अथवा प्रतियोगिता (Competition) का नहीं।

समाजसांस्कृतियों ने सहयोग को विभिन्न प्रशार से परिभाषित किया है। एल्ड्रिज तथा मेरिल (Eldridge and Merrill) के अनुसार, "सहयोग सामाजिक अन्त किया का वह रूप है जिसम दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में एक साथ मिल कर काय करते हैं।"<sup>2</sup> इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि एक से अधिक वितने ही मनुष्यों अथवा समूहों द्वारा सामान्य हित के लिए एक साथ रह कर काय करने की दशा 'सहयोग' है।

ग्रीन (A W Green) ने लिखा है कि, 'महयोग दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई काय करने या सामान्य रूप में इच्छित किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किया जाने वाला नियन्त्र एव नामूदिक प्रयात्र है।'<sup>3</sup> इस परिभाषा से प्रकट होता है कि सबंध्रथम सहयोग में नियन्त्रता का गुण है, दूसरे, इसमें 'सामूहिकता' का तापावेश है अर्थात् बहुत ये व्यक्ति मिल जर साथ साथ प्रयत्न करते हैं एव तीसरे, सहयोग करने वाले व्यक्तियों में एक सामान्य लक्ष्य पाया जाता है जो कि उसके सहयोग का आधार है।

फिचर (Fisher) के अनुसार, "सहयोग सामाजिक प्रक्रिया का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह किसी गामान्य उद्देश्य को पूरा करने हेतु एक साथ मिलकर कियाएं करते हैं।"<sup>4</sup> स्पष्ट है कि फिचर की परिभाषा भी उपरोक्त परिभाषाओं से मिलनी-जुलती है।

इन सभी परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि सहयोग सामाजिक अन्त क्रिया का एक बहुत ही महत्वपूण स्वरूप है जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति या समूह किसी सामान्य लक्ष्य को पाने के लिए साथ साथ कार्य करते हैं। उनमें यह ऐनाना बनी रहती है कि वे सब एक हैं। दूसरे शब्दों में सहयोग के अन्तर्गत 'हम की भावना' पाई जानी है। सहयोग एक वेनन-प्रक्रिया है जिसमें सहयोग न हो

1. फिचर के विवर वही वेच 141.

2. A W Green Sociology, Page 66

बाले व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति जागरूक रहते हैं। सहयोग एक पारम्परिक सम्बन्ध है, यह एक तरफ़ा नहीं हो सकता।

### सहयोग के स्वरूप

सहयोग के विभिन्न प्रवर्गों पर विभिन्न समाजों में विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। चूंकि सहयोग सदैव समान प्रकृति का नहीं होता, अतः उसका अनेक हीरी होना स्वभावित है। विभिन्न समूहों, राष्ट्राओं, राजितियों प्रादि के सहयोग के हर एक दूसरे से भिन्न ही सहते हैं। कभी सहयोग स्थानीय होता है तो कभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हो जाता है। शान्तिकान में सहयोग का जो रूप विवाइ देता है वह युद्धकालीन सहयोग से भिन्न हो सकता है। आधिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग एक दूसरे से विलकुल भिन्न पाए जा सकते हैं।

सहयोग की पद्धति और अभिव्यक्ति भी हृष्टि से, इसको समाजशास्त्रियों ने विभिन्न ढंगों में विभाजित किया है। हम अग्रिम पत्रियों में मेकाइवर तथा पैज, आँखबन्ध तथा निमकॉफ एवं ग्रीन के वर्गीकरणों का उल्लेख करेंगे।

(क) मेकाइवर तथा पैज का वर्गीकरण—इन विद्वानों ने सहयोग के दो रूप बताए हैं—

(1) प्रत्यक्ष सहयोग (Direct Co-operation)—इस प्रकार के सहयोग का अभिप्राय किसी ममान कार्य को मिन-जुन कर सम्पन्न करना है। जब दो ममान अनेक व्यक्ति या समूह आमते-सामने (Face to face) के सम्बन्धों द्वारा किसी समान कार्य को करते हैं तो उनमें प्रत्यक्ष सहयोग होता है। उदाहरण के लिए बैन के मैदान में एक टीम के खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को जो सहयोग देते हैं वह प्रत्यक्ष सहयोग है। मिन-जुलकर फैल बोना या काटना भी प्रत्यक्ष सहयोग का उत्तम उदाहरण है। स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष सहयोग के लिए सम्बन्धित लोगों में समान उद्देश्य एवं समान कार्य की दिशा होना नितान्त आवश्यक है।

(2) अप्रत्यक्ष सहयोग (Indirect Co-operation)—इस प्रकार के सहयोग में अनेक व्यक्ति-व्यक्ति होते हैं, और यद्यपि सबके कार्य अलग-अलग होते हैं, किन्तु सभी का लक्ष्य एक होता है। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष सहयोग तब होता है जब सहयोग करने वाले लोगों का उद्देश्य तो समान होता है वर इस उद्देश्य की वे असमान भार्यों द्वारा प्राप्त करते हैं। श्रम-विभाजन अप्रत्यक्ष सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है जिसमें अनेक व्यक्ति मासमान कार्यों को करते हुए भी समान उद्देश्य की प्राप्ति में जुगते हैं। उदाहरणार्थ, घड़ी बनाने की एक कम्पनी में सेकड़ों मजदूर काम करते हैं। कोई मजदूर एक पुर्जा बनाता है तो कोई दूसरा पुर्जा। इन प्रकार सभी मजदूर मासमान कार्यों में लगे होते हैं, किन्तु फिर भी सबका उद्देश्य-एक होता है और वह है घड़ी बनाना। बतंसर जटिल समाज में द्वैतीयक सम्बन्धों की अविकर्ता है और विलोपीकरण की प्रधानता है। फलस्वरूप भाज अप्रत्यक्ष सहयोग का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है।

1. मेकाइवर तथा पैज : समाज (Society), देव 56-57.

(ब) अंगबन्दी एवं निमकोंक का वर्णकरण—इन लेखकों के अनुसार सहयोग के तीन रूप निम्नलिखित हैं—

(1) सामान्य सहयोग (General Co-operation)—जब कुछ व्यक्ति परस्पर मिल कर सामान्य कार्य करते हैं तो ऐसा सहयोग 'सामान्य सहयोग' कहा जा सकता है। सांस्कृतिक उत्सवों आदि के समय पाया जाने वाला सहयोग ऐसा ही होता है। इस प्रकार के सहयोग में लोगों की मनोवृत्तियाँ सामान्य होती हैं।

(2) मित्रवत् सहयोग (Friendly Co-operation)—इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति एवं क्षमता के अनुसार प्रयत्न करके दूसरों के कार्य में सहायता करता है। अमदान इसी प्रकार के सहयोग का उदाहरण है। मित्रवत् सहयोग में हम सामूहिक आनन्द आवश्यक भूल पाने के लिए एक-दूसरों को सहयोग देने को तत्पर होते हैं। ही-पुरुषों द्वारा साधन्यात्मक नृत्य करना, साथ साथ गीत गाना, साथ घूमने जाना आदि मित्रवत् गहरोग के ही उदाहरण हैं। इस सहयोग के स्वरूप में यद्यपि सामूहिकता का तत्त्व होता है, लेकिन कुछ वा वा तरु व्यक्तिगत स्वार्थ का तत्त्व भी पाया जाता है।

(3) सहायता मूलक सहयोग (Helping Co-operation)—सहयोग के इस रूप में पारस्परिक सहायता का तत्त्व अवधार पाया जाता है। जब कुछ लोग सकटकाल में दूसरों की सहायता के कार्य करते हैं तो यह सहायतामूलक सहयोग है। अमदान में लगे व्यक्तियों का सहयोग भी इस श्रेणी में आता है।

(ग) श्रीन का वर्णकरण—श्रीन ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों की प्रकृति के आधार पर सहयोग के निम्नलिखित तीन रूप वर्तलाएँ हैं—

(1) प्राथमिक सहयोग (Primary Co-operation)—इस प्रकार के सहयोग का सम्बन्ध प्रायमिक समूहों से है। इस सहयोग में व्यक्ति तथा समूह के बीच कोई स्वार्थ भिन्नता नहीं रहती। व्यक्ति अपने उद्देश्यों और स्वार्थों की समूह के उद्देश्यों और स्वार्थों में भिन्न नहीं समझता। वह समूह के कल्याण को अपना कल्याण समझता है। वास्तव में इस प्रकार के सहयोग की उत्पत्ति वैयतिक सन्तुष्टि वी हृष्टि से होती है। परिवार, पड़ोस, मित्र-मण्डली आदि में पाए जाने वाला सहयोग प्राथमिक सहयोग ही होता है। माँ अपने बच्चे को हर कार्य ये सहयोग देती है। यह प्राथमिक सहयोग ही है। बच्चे जी सन्तुष्टि माता की अपनी सन्तुष्टि है।

(2) द्वितीयक सहयोग (Secondary Co-operation)—इस प्रकार के सहयोग से अपनी उपर्युक्त के लिए दूसरों के साथ सहयोग करता है। यह सहयोग दिखावटी और विशेषीकृत होता है जिसमें व्यक्ति को समूह के कल्याण की उत्तरी चिन्ता नहीं रहती जितनी अपने कल्याण की। वह दूसरों को उतना ही सहयोग देता है जितना उसके स्वयं के स्वार्थ की पूर्णी की हृष्टि में प्रावश्यक हो। आधुनिक मिल या कारखानों में मानिकों और अभिकों के बीच यो सहयोग पाया जाता है, भवित्वा राजनीतिक क्षेत्रों में जो सहयोग देखने को मिलता है, वह द्वितीयक सहयोग ही है।

(३) तृतीय सहयोग (Tertiary Co-operation)—इस प्रकार के सहयोग को हम 'समायोजन' (Accommodation) ही कहते हैं। जब समाज में विभिन्न समूह आपस में समायोजन करने के लिए सहयोग करते हैं तो इसे तृतीयक सहयोग बहा जाता है। यह सहयोग पूर्णतः अवसरवादी होता है। फलस्वरूप इनकी प्रकृति बड़ी ढीली प्रौर अस्थिर होती है। राजनीतिक संघर्ष के बाद जो सहयोग स्थापित होता है अथवा युद्धकाल में विभिन्न गत्तों में जो सहयोग किया जाता है, वह तृतीयक सहयोग ही होता है। इस प्रकार का सहयोग करने वालों में प्राय यह भय द्विग्रहता है कि जिसे सहयोग किए उनका अस्तित्व भी सुरक्षित नहीं है।

(४) हजांतर का वर्गीकरण—इस लेखक ने सहयोग के दो रूप बताए हैं—

(१) ऐच्छिक सहयोग (Spontaneous Co-operation)—यह वह सहयोग है जिसमें दो अथवा अधिक व्यक्ति या प्राविनिक समूह स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। ग्रामीण जीवन में पाया जाने वाला सहयोग इसी प्रकार का होता है। इस प्रकार के सहयोग में व्यक्ति प्राप्तने-प्राप्तने के मम्पक होता है।

(२) संगठित सहयोग (Organised Co-operation)—यह वह सहयोग है जिसमें विभिन्नता के बावजूद लोग साप-साथ कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ, विशालकाय कार्यों की योजना कियान्वित करने में इसी प्रकार के सहयोग की प्रावश्यकता होती है। संगठित सहयोग आज के जटिल और दृढ़तीयक समूहों में पाया जाता है।

### सहयोग का महत्व

वास्तव में, सहयोग पर ही सम्पूर्ण मानव-समाज निर्भर है। यह सामाजिक जीवन में स्थापित, निरन्तरता प्रौर प्रगति का आधार है। समाज में आज तक की अवस्था का आधार यही है। यदि सधर्य सहयोग की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता तो समाज 'सम्भवत' कभी का नष्ट हो गया होता। जहर्य मध्ये की प्रकृति अस्थायी है, वहाँ सहयोग की प्रकृति स्थाई है। इसीलिए सहयोग सामाजिक संगठन का स्थायी तत्त्व है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में सहयोग सदा से महत्वपूर्ण रहा है। आदिम से आदिम समाज के सांस्कृतिक जीवन में भी यह सबसे प्रमुख तत्त्व है। सहयोग की प्रक्रिया के फलस्वरूप भी समाज की सांस्कृतिक परम्पराएँ व्यवस्थित और मुद्दह बनती हैं। यह सहयोग ही है जो सामूहिक कल्याण के प्रति लोगों में निष्ठा उत्पन्न करता है और इस प्रकार सामाजिक उत्तरति को मन्मह बनाता है। सहयोग के माध्यम से ही मानवीय गुणों का प्रसार होता है। मित्र अपनी मित्रता और प्रेमी अपने प्रेम का निर्वाह सहयोग के बल पर ही करता है।

सहयोग सामूहिकता की आधारशिला है। यह सामान्य उद्देश्य के लिए लोगों को माध्य-साथ काम करने की प्रेरणा देता है। फलस्वरूप सामूहिक भावता में अभिवृद्धि होनी है जिससे समाज को अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है।

सहयोग के फलस्वरूप सामाजिक एकता स्थापित होती है। यद्यपि पूर्ण एकता अव्यावहारिक है, जिसके कुछ न कुछ अशो में समाज के मदस्यों में मतभेद अवश्य पाए जाते हैं लेकिन सहयोग इन मतभेदों को मानसिक रूप से गोण बना देता है जिससे फूट के बनिश्चित एकता की जटियों को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। सहयोग के कारण ही सामाजिक उद्देश्य के राभी अग परस्पर उत्त्वनिधन है।

सहयोग की प्रक्रिया में ही मनुष्य का यामाजीकरण होता है। समाज से नड़ कर और अलग रह कर वह अपनी चुदिक का विश्वास नहीं कर सकता। महयोग के अभाव में मनुष्य की भृजनात्मक जटियाँ कुण्ठित हो जाती हैं।

महोप ने, अपनी प्रकृति से सहयोग सामाजिक जीवन का आधारभूत स्तम्भ है। इसके माध्यम से जीवन की बाधाओं का दूर हटाते हुए हम सफलता के मार्ग पर बढ़ते हैं। सहयोग इस सधर्वपूर्ण समाज में हमें कठिनाइयों और ग्रापतियों का समना करने में सक्षम बनाता है। बिना सहयोग के मानव-जीवन नीरस और दुष्कर हो जाएगा।

### प्रतिस्पर्द्ध : अर्थ, विशेषताएँ, स्वरूप एवं महत्व

(Competition Meaning, Characteristics Forms and Importance)

सहयोग जहाँ समठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया (Associative Social Process) है, वहाँ प्रतिस्पर्द्ध को असहयोगी अथवा विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया (Dissociative Social Process) माना जाता है। प्रतिस्पर्द्ध उत्तम तर द्वारा होती है जब सीमित लक्ष्यों को अनेक लोग प्राप्त करना चाहते हैं।

### प्रतिस्पर्द्ध का अर्थ और परिभाषा

प्रतिस्पर्द्ध वह प्रक्रिया है जो विरोधी अवहार के द्वारा लोगों को एक-दूसरे के उद्देश्यों को पराजित करके अपने निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए प्रोत्साहन देती है। सघर्ष (Conflict) का अधेय विरोधी को हटा देता अथवा उसका नाश कर देना है। इसके विपरीत प्रतिस्पर्द्ध का उद्देश्य है कि एक ही लक्ष्य या उद्देश्य को ज्यान रखने वाले प्रतिस्पर्द्धियों में से किमी को सफल और किसी को असफल बना देना है। डेविस के अनुसार ने, "प्रतिस्पर्द्ध का उद्देश्य किसी पारम्परिक इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने प्रतिस्पर्द्धियों को मार्ग से हटा देना मात्र है।"<sup>1</sup> इस प्रकार यह सघर्ष का सशोधित अथवा कोमल रूप है। सघर्ष में हिसाकों की भावना होती है जबकि प्रतिस्पर्द्ध में हिसाकों नहीं होती। प्रतिस्पर्द्ध के कुछ नियम होते हैं जो घोषेवाजी अथवा मधर्ष को महत्व नहीं देते। जब प्रतिस्पर्द्ध अपने नियमों को तोड़ देती है, तो यह सघर्ष में बदल जाती है। यदि दूकानदार अपने ग्राहकों को कम कीमत में अच्छा माल देकर दूसरे व्यक्ति के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो यह प्रतिस्पर्द्ध है। लेकिन यदि छोटे दूकानदार वरकार से प्रार्थना करें, बड़े दूकानदार पर उसकी शक्ति से अधिक वार लगा दिए जाएं तो यह प्रतिस्पर्द्ध नहीं है, बरोंकि राजन्य के चलपूर्वक शक्ति के प्रयोग का अधिकार होता है। यदि एक राजधानी का समचारन्यम

<sup>1</sup> इसमें डेविस वही, नें 137

प्रतिस्पर्द्धी समाचार-पत्र को समाप्त करने के लिए धोखे अथवा प्रबचना से काम लेता है तो यह विसी प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा नहीं है। यदि दूकानदार मार-बीट कर दूसरे दूकानदार को दूकान उठाने वो मजबूर कर दें तो यह प्रतिस्पर्द्धा न होकर सधर्ष है।

प्रतिस्पर्द्धी को पारिभाविक रूप में भी समझ लेना उपयुक्त होगा। सदर्शनलैण्ड (Sutherland) ने अनुभाव, 'प्रतिस्पर्द्धा कुछ व्यक्तियों या समूहों के चैन उन सन्तुष्टियों की प्राप्ति के लिए होने वाला अवैयक्तिक, अचेतन और निरन्तर सधर्ष है, जिसकी पूति सीमित होने के कारण उन्हे सभी व्यक्ति प्राप्त नहीं करते।'<sup>1</sup>

ए इव्वल्यू ग्रीन (A. W. Green) के शब्दों में, "प्रतिस्पर्द्धा में दो अथवा दो से अधिक समूह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जिनमें किसी भी समूह को दूसरे से समझीता करने की आशा नहीं की जाती।"<sup>2</sup> स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्द्धा में प्रत्येक व्यक्ति अथवा समूचे प्रयत्नों का आधार पूर्णत बैयकिर होता है।

बोगार्डस (Bogardus) की छवि में, "प्रतिस्पर्द्धा किसी भी ऐसी वस्तु की प्राप्त करने के लिए हाँ याली होड (Contest) है जिसमें मात्र इन्हीं अधिक नहीं होती कि उसको भाँग को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके।"<sup>3</sup> इसी में मिलती-जुलती परिवापा फैग्चाइल्ड (Fauchild) ने दी है—“प्रतिस्पर्द्धा सीमित वस्तुओं के उपयाप अथवा अधिकार के लिए होने वाला सघर्ष (Struggle) है।”

इन सभी परिवापाओं से स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्द्धा का लक्ष्य उन वस्तुओं को प्राप्त करना होता है जो सीमित है। हबा और पानी को प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिस्पर्द्धा प्राप्त नहीं होती क्योंकि ये प्रतीमित मात्र में प्राप्त हैं। हम वह सकते हैं कि जब दो अथवा अधिक व्यक्ति या समूह परस्पर द्वेष, ईर्ष्या और होड़ द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो ऐसे प्रयत्नों की प्रक्रिया ही प्रतिस्पर्द्धा है। प्रतिस्पर्द्धी की प्रकृति काफी वरियर्टेशनील है इनमें सम्भवता भी मिल सकती है और असफलता भी।

### प्रतिस्पर्द्धा का स्वभाव

अब एवं परिवापाओं से प्रवर्ट है कि मनुष्य में प्रतिस्पर्द्धा एक मौतिक, मावेशीमिक और निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह परस्पर द्वेष, ईर्ष्या, शोत-सघर्ष आदि से प्रभावित होकर सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होड़ करते हैं। लक्ष्य अथवा वस्तुएं सीमित होती हैं, उनकी मौग पूर्ति से अधिक है। स्पष्टतः सभी इनको प्राप्त नहीं कर सकते, परं क्योंकि सभी इनको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, अतः अनिवार्य रूप से प्रतिस्पर्द्धी का जन्म हो जाता है। प्रतिस्पर्द्धा एक प्रकार का बहुत ही कोनक विरोध है जिसमें हिसां और धोखेबाजी को स्पान नहीं मिल पाता। प्रतिस्पर्द्धा रखने वाले व्यक्ति समानान्तर रेखाघात के समान आगे बढ़ते हैं और प्राप्त समान रूप से अवहार करते हैं। अन्तर केवल इतना होता है कि

1. Sutherland: Op. cit., p. 207.

2. A. W. Green: Sociology, p. 65.

3. E. S. Bogardus: Sociology, p. 527.

सफल व्यक्ति पहुँचे या भनी प्रशार में काम कर लेता है। चेष्टाएं विरोधी भावनाओं के समान एक दूसरे के विषय नहीं होता। उद्देश्य यह नहीं होता कि प्रतिस्पर्द्धार्द्दि को रोका जाए या अलग हृषा दिया जाय या एकदम समाप्त कर दिया जाए। उद्देश्य ऐही होता है कि इच्छित वस्तु या लक्ष्य को अपने लिए प्राप्त किया जाए। पात्र का उद्देश्य होता है कि वह सफलता प्राप्त करे। यह कहना चाहिए कि प्रतिस्पर्द्धार्द्दि चेष्टा एक "दोड़" है "लडाई" नहीं। बर्नार्ड (Bernard) ने इसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करने हुए लिखा है कि "प्रतिस्पर्द्धार्द्दि एक प्रकार में व्यक्ति या समूह की परीक्षा है अथात् उस समय की परीक्षा जब वे अपनी-अपनी अमरण योग्यताओं और अपने प्रपत्रे व्यवहारों के साथ एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं—आवश्यक या इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए। यह इच्छित वस्तु शौकिक हो सकती है, स्वातं से सम्बन्धित हो सकती है, अवधा जीवन साथी, सरति, सकृति, अवसर, गृहन-महन का स्तर, कार्य प्रतिष्ठा आदि भी हो सकती है।"

### प्रतिस्पर्द्धार्द्दि की विशेषताएं

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रतिस्पर्द्धार्द्दि की कुछ सामान्य विशेषताओं को हम निम्नानुसार इग्नित कर सकते हैं—

1 केवल स्वहित्यूर्ति को होड़—प्रतिस्पर्द्धार्द्दि वह प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति, समूह या समूह के बीच अपने हिनों की पूर्णि के लिए प्रयत्न करते हैं और कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के हितों का निनिक भी ध्यान नहीं रखता।

2 अचेतन प्रक्रिया—प्रतिस्पर्द्धार्द्दि अपने अधिकतर रूपों में विना किसी प्रकार के मानविक सम्पर्क के कागमन्त्रित होनी है। प्रतिस्पर्द्धार्द्दि करने वाले बहुत बार परस्पर मिलते नहीं, एक दूसरे के बारे में प्रज्ञात रहते हैं और पारस्पारिक व्यक्तिता की सीमा को भी नहीं जानते। यदि वे मिलते भी हैं तो अपना विषयी के समान परिचय नहों देते। आव ही उनका सामाजिक सम्पर्क भी बाह्य होता है। यदि प्रतिस्पर्द्धार्द्दि पथ एक दूसरे की क्रियाओं को भूक्षम रूप से जानते हुए उनसे संघर्ष करे तो यह स्थिति प्रतिस्पर्द्धार्द्दि की न होकर 'प्रतिद्वन्द्विता' (Rivalry) भी होगी। आवृत्तिक व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धार्द्दि वस्तुत प्रतिद्वन्द्विता का ही उदाहरण है।

3 अवैयक्तिक प्रक्रिया—चूंकि प्रतिस्पर्द्धार्द्दि में मनुष्य एक दूसरे का नहीं जानते, अन यह एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है। व्यक्तियों का ध्यान उद्देश्य की प्राप्ति है, वे एक दूसरे के संघर्ष में नहीं आते। किन्तु प्रतिस्पर्द्धार्द्दि में भाग लेने वाले जब एक दूसरे में रुच लेने सकते हैं तो प्रतिस्पर्द्धार्द्दि संघर्ष या विरोध (Conflict) में परिवर्तित हो जाती है।

4 निरन्तर प्रक्रिया—प्रतिस्पर्द्धार्द्दि एक निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है। किसी भी समाज के अधिकांश सदस्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की प्रतिस्पर्द्धार्द्दि करते रहते हैं। अपनी स्थिति को ऊपर उठाए रखने की इच्छा प्रतिस्पर्द्धार्द्दि को निरन्तरता प्रदान करती है और यह कभी समाप्त नहीं होती। बास्तव में,

प्रतिस्पर्द्धा की प्रक्रिया के अभाव में जीवन में सकृत होने की सम्भावना बहुत कम रह जाती है।

**5 सार्वभौमिक प्रक्रिया—**प्रतिस्पर्द्धा एक ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है। जब तक मनुष्य उन वस्तुओं को चाहेगा जो कम है और जब तक मांग पूर्ण से अधिक है तब तक प्रतिस्पर्द्धा अवश्य विद्यमान रहेगी।

**6 किसी तीसरे'** का भी हाथ होना—प्रतिस्पर्द्धा में किसी 'तीसरे' का भी हाथ होता है—गिलिन और गिलिन ने 'प्रतिस्पर्द्धा' और 'सघर्ष' में अन्तर बताते हुए कहा है कि प्रतिस्पर्द्धा में तीसरा पक्ष मद्देश विद्यमान रहता है, और प्रतिस्पर्द्धा में भाग लेने वाले व्यक्ति इस तीसरे पक्ष की कृपा के इच्छुक होते हैं। उदाहरणार्थे एक ही प्रेयमी के दो प्रेमी उसका व्यान व्यक्तिगत रूप में जीतना चाहते हैं। इनी तरह सौदागर एवं व्यापारी याहको का मुँह ताकते हैं।

### प्रतिस्पर्द्धा के स्वरूप

प्रतिस्पर्द्धा के विभिन्न रूपों को समाजज्ञास्त्रियों ने प्रकट किया है। गिलिन एवं गिलिन तथा थीन वे वर्गीकरण अधिक उपयुक्त प्रनीत होते हैं और अग्रिम पक्षियों में हम इन्हीं को लेंगे।

(क) गिलिन एवं गिलिन का वर्गीकरण—गिलिन एवं गिलिन के प्रमुख प्रतिस्पर्द्धा के चार रूप हैं, पर इन्हीं चार रूपों के पारे एक पांचवाँ रूप भी उभने जोड़ दिया है।

**1 आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा**—यह उत्पादन, विनियोग, वितरण और उपभोग के क्षेत्र में पाई जाती है। प्रत्येक उत्पादक गता काठ प्रतिस्पर्द्धा (Cut Throat Competition) के द्वारा अपने हिन्दों को ग्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

**2 मांस्कृतिक प्रतिस्पर्द्धा**—प्रत्येक देश व इनिहाम में आदिवासियों और बाहर से आने वालों वीं माल्कृतियों में प्रतिस्पर्द्धा अनिवार्यत देखने को मिलती है। मांस्कृतिक प्रतिस्पर्द्धा का आगम्भ ही दोनों विभिन्न साल्कृतियों के ममकर्म में होता है। उदाहरणार्थे अश्वीका एवं भारत में यूरोप से आकर वसने वाले लोगों की भिन्न मम्मूलियों के कारण कुछ समय तक मांस्कृतिक प्रतिस्पर्द्धा अपनी चरम गीमा पर रही। बाद में हमारे समाज म हिन्दू, ईसाई, बौद्ध इस्लाम आदि धर्मों के आदर्श भी एक दूसरे से भिन्न रहे अत मांस्कृतिक प्रतिस्पर्द्धा की समस्या उत्पन्न हुई।

**3 पद एवं कार्य सम्बन्धी प्रतिस्पर्द्धा**—आधुनिक नमाजों में प्रतिस्पर्द्धा का यह रूप बड़े तीव्र रूप में दिखाई देता है। ऊँची सामाजिक स्थिति पाने के लिए जीवत के हर क्षेत्र में व्यक्ति, नमूद और मगठन तीव्र प्रतिस्पर्द्धा में यतान हैं। ऊँच पद व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदण्ड बन गया है, अत लोग ऊँचे लिए प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। वे इस रूप में अपनी मूलिका निभाने का प्रयत्न करते हैं कि उनका अक्षिल्प प्रकाश में आए, और वे सफलता वीं सीढ़ियाँ चढ़ें। मनुष्य-समूह में सम्पूर्ण सहृदाता संकुल दूसरे समूह की मम्मूति से प्रतिस्पर्द्धा करता है।

**४ प्रजातीय प्रतिस्पर्द्धा**—यह वास्तव में एक प्रकार की सांस्कृतिक प्रतिस्पर्द्धा ही है। प्रजातीय लक्षणों में जो विषयमता दिखाई देती है जैसे कि चमड़ा, रंग, कदम, आहुति, बाल आदि की विशेषताएँ—ये वास्तव में सांस्कृतिक विषयमता की ही द्योतक है। इन्हीं के कारण गोरे-काले, जर्मनी या यूद्धियों में प्रतिस्पर्द्धा चलती है। दक्षिणी अफ्रीका में काली और योरी प्रजातियों में बड़ी उम्र प्रतिस्पर्द्धा पाई जाती है। अमेरिका में श्वेत अमेरिकियों और काले नींगो के बीच पाई जाने वाली प्रतिस्पर्द्धा प्रजातीय प्रतिस्पर्द्धा का ही उदाहरण है।

**५ राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा**—वर्तमान समय में प्रतिस्पर्द्धा का एक अन्य महत्वपूर्ण रूप राजनीतिक भी है जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। राष्ट्रों में, विभिन्न राजनीतिक दलों ने, अलग-अलग तुलों और संगठनों में भी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्द्धा वरावर चलती रहती है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय द्वेष में विभिन्न राष्ट्रों में कूटनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्द्धा (Diplomatic Competition) चलती रहती है। बस्तुतु आज के युग में प्रतिस्पर्द्धा के सभी रूपों में राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा सबसे धूमिक उम्र और जटिल बन चुकी है।

(ल) ग्रीन का वर्णनकरण—ग्रीन ने प्रतिस्पर्द्धा के ये स्वरूप बताए हैं—  
 (1) आधिक, (2) सामाजिक, (3) राजनीतिक, एवं (4) पद-सम्बन्धी। ग्रीन का अभिमत है कि प्रतिस्पर्द्धा किसी भी रूप में मौजूद हो, यह समाज के नैतिक नियमों से सदैव प्रभावित होती है। जब प्रतिस्पर्द्धा में नैतिकता का तत्त्व वही रहता हो वह सधर्म का रूप ले लेती है।

### प्रतिस्पर्द्धा का महत्व

प्रतिस्पर्द्धा यद्यपि असहगामी भवित्वा विषटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन इसका संगठनात्मक पहलू भी है। दूसरे शब्दों में प्रतिस्पर्द्धा समाज में विषटन प्रथा असहयोग ही नहीं फैलाती अपितु सहयोग का भी प्रशार करती है। यह सहयोगी प्रक्रिया इस रूप में है कि समाज में सही व्यक्ति को सही स्थान दिलाने में सहयोगी है। उदाहरणार्थ किसी परीक्षा में बेठने वाले प्रत्याशियों में जो प्रतिस्पर्द्धा होती है, उसे हम विषटनात्मक नहीं कह सकते।

प्रतिस्पर्द्धा से कार्य-समता का विकास होता है। यदि सहयोग कामों को पूरा करवाता है तो प्रतिस्पर्द्धा प्राक्षवासन देती है कि वे काम मली प्रकार लिए जाएं। व्यक्ति द्वारा अर्जित पदों भवित्वा अस्थितियों (Achieved Statuses) के क्षेत्र में तो प्रतिस्पर्द्धा का इतना अधिक महत्व है कि दोनों शब्दों को एक दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। अर्जित पदों की प्रकृति और मात्रा समाज में भिन्न-भिन्न होती है, अतः प्रतिस्पर्द्धा के रूपों और इसकी सीमा ने भी विभिन्न समाजों में भिन्नता पाई जाती है। प्रतिस्पर्द्धा की प्रक्रिया से सम्पूर्ण समाज जीवन व्यक्ति प्राप्त करता है। एक व्यक्ति के रूप में हम प्राप्त दूसरे व्यक्तियों की नीकरी, सम्मान, प्रतिष्ठा, साधियों ग्राहकों आदि के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। एक समूह के सदस्य के हृत्योग, व्यापार, लोकप्रियता, साल एवं साधनों के समूह आदि के क्षेत्र में अन-

से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। इसी तरह एक प्राणी के रूप में ग्रन्थ प्राणियों से जीवन सधर्य में हमारी प्रतिस्पर्द्धा होती है तथा एक सामाजिक प्राणी के रूप में विभिन्न आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जैक्षणिक आदि क्षेत्र में एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा की जाती है। स्त्रियाँ पुरुषों से प्रतिस्पर्द्धा करती हैं व पुरुष स्त्रियों से प्रतिस्पर्द्धा करते हैं। युवक वृद्धों से तथा वृद्ध युवकों से प्रतिस्पर्द्धा करने हैं और घनाढय जिक्रों में, शिक्षित घनाढयों ने प्रतिस्पर्द्धा में लगे रहते हैं। इस प्रकार समूण जीवन प्रौर सम्पूण समाज प्रतिस्पर्द्धा में आच्छादित रहता है।

प्रतिस्पर्द्धा प्रगति और उत्पादन के विकास में सहायक है। रूप में उत्पादन बढ़ाने के तिए समाजवादी प्रतिस्पर्द्धा (Socialist Competition) से आश्चर्यजनक परिणाम सामने प्राए है। बहुत, आधुनिक युग में व्यक्ति और समाज की विस्मयजनक प्रगति में प्रतिस्पर्द्धा का बड़ा हाथ है। व्यक्ति और समाजों के बीच प्रतिस्पर्द्धा का महत्वपूर्ण इदेश्य अपनी-अपनी स्थितियों की रक्षा या उन्नति ही अधिक होता है।

प्रतिस्पर्द्धा समाज के लिए प्रकार्यात्मक है। इससे स्थिरीकरण में सहायता मिलती है। प्रतिस्पर्द्धा से पक्षपात एवं भाई-भतीजेवाद पर रोक लगती है क्योंकि प्रतिस्पर्द्धा योप्ता को आने बढ़ाती है। स्वस्य प्रतिस्पर्द्धा में नियमों का पालन होता है, अत सधर्य नहीं होगा। लोकसेवा आयोगों, आदि हारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएँ संस्थात्मक प्रतिस्पर्द्धा है जिसमें नियमों का पालन होता है और सधर्य की गुंजाइश नहीं होती। इस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा एक संगठनात्मक-महसूसी प्रक्रिया है। दो व्यक्तियों या समूहों में होने वाली प्रतिस्पर्द्धा भी अनुचित नहीं है क्योंकि इससे उनकी कार्यक्षमता को प्रोत्साहन मिलता है।

यह ध्यान रहे कि अवौछित प्रतिस्पर्द्धा समाज को अवश्य विषट्टित करती है। प्राय देखा जाता है कि प्रतिस्पर्द्धा अरम्भ हो जाने के बाद अपनी बांधित मीमांसा से बाहर निकल जाती है और प्रतिस्पर्द्धा व्यक्ति या समूह नीतिक मूल्यों को भूल जाते हैं। सामाजिक समठन के लिए आवश्यक है कि समाज न तो प्रतिस्पर्द्धा हीन हो और न पूर्णत प्रतिस्पर्द्धान्युक्त, बरन् दोनों स्थितियों के बीच मत्तुलन रहे। अस्वस्य प्रतिस्पर्द्धा पर अकृश बनाए रखने के लिए सामाजिक शक्तियाँ निरन्तर सजग रहे।

**सधर्य : अर्थ, विशेषताएँ, स्वरूप और महत्व  
(Conflict : Meaning, Characteristics,  
Forms and Importance),**

सधर्य मानव सम्बन्धों में एक हमेशा रहने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। जब व्यक्तियों में सहयोग नहीं होता अथवा जब वे एक दूसरे के प्रति तटस्य भी नहीं रहते, तो सधर्य की स्थिति प्रकट हो जाती है। सधर्य समाज में अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि जब सीमित लक्ष्य को प्रत्येक लोग प्राप्त करना चाहे तो सधर्य उत्पन्न हो ही जाता है।

## सधर्य का अर्थ एवं परिभासा

सधर्य अन्ततः प्रतिस्पर्द्धा की ही उपज है। प्रतिस्पर्द्धा रूपण प्रतिद्वन्द्विता (Rivalry) बन जाती है और प्रतिद्वन्द्विता से सधर्य उत्पन्न होता है। प्रतिस्पर्द्धा जब विवितक, प्रतिद्वन्द्वी और हिमातमक हो जाती है तो इसी प्रतिस्पर्द्धा को हम सधर्य की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब व्यवितयों अथवा समूहों के मध्य समझौत की कोई उभावना नहीं रहती, प्रतिस्पर्द्धा अनियन्त्रित हो जाती है और हम व्यक्तिविशेष या समूह-विशेष को हानि पहुँचा कर अपना हित साधन करने लगते हैं, सामाजिक नियन्त्रण के साधन प्रभावी नहीं रहते हों सधर्य की प्रक्रिया अनिवार्य है स उत्पन्न हो जाती है। बौगाडस ने लिखा है कि 'प्रतिस्पर्द्धा राधर्य से विकसित हो जाती है'।<sup>1</sup>

सधर्य को समाजसामित्रयों ने विभिन्न शब्दावलियों में परिभाषित किया है। गिलिन एवं गिलिन वे अनुसार, 'सधर्य वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विरोधी के प्रति मीरी हिसा या हिमा वी समकी का प्रयोग करत है।'<sup>2</sup> ग्रन्हित्राव पह दुयां कि सधर्य नीं प्रकृति में ही विरोधी के प्रति धूरा और हिमा की भावना होती है। सधर्य की प्रक्रिया में व्यक्ति का ध्यान माध्यनों पर उत्तना नहीं रहता जितना साध्य पर रहता है और साध्य को पाने के लिए व्यक्ति किसी भी सीमा छव या सकते हैं।

प्रो. शोन ने लिखा है कि "सधर्य किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छा का जान-बूझ वर विराम करन, उस रोकने या उसे शक्ति ने पूर्ण बरामदे तो राम्भन्ति त प्रयत्न है।"<sup>2</sup> शोन ने अपनी परिभाषा में हिसा एवं आकृषण के साथ उत्तीर्ण औ भी सधर्य का प्रमुख तत्त्व मान लिया है। किंक्षते डिविन ने प्रतिस्पर्द्धा के परिवर्तित हृष को ही सधर्य का नाम दिया है। डिविन के अनुसार 'प्रतिस्पर्द्धा तथा सधर्य में वेबल मात्रा का ही अन्तर है।'

## सधर्य की विशेषताएँ

उपर्युक्त अर्थ एवं परिभाषाओं के आधार पर सधर्य की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली कुछ सामान्य विशेषताएँ निम्नानुसार इंगित वीं जा सकती हैं—

1. चेतन प्रक्रिया—प्रतिस्पर्द्धा वे प्रतिवृत्त भवर्य एक चेतन प्रक्रिया है। सधर्य में दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते हैं और उनमें से प्रत्यक्ष एक दूसरे को हरा कर या नष्ट करके प्रपन उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। सधर्य प तीव्र उद्देश उत्पन्न हो जाता है।

2. व्यंतिक प्रक्रिया—सधर्य लक्ष्य के लिए नहीं वल्कि प्रतिद्वन्द्वी को पद्धाडने के लिए किया जाता है। सधर्य में दोनों पक्षों का ध्येय मूल लक्ष्य से हटकर एक दूसर पर अधिक आ जाता है। इसमें प्रतिद्वन्द्वी को हानि पहुँचाना, हराना या नष्ट करना

1. Gilli and Gilli: Cultural Sociology, p. 622

2. A. W. Green: Op. cit. p. 58

ही ग्रसली उद्देश्य होता है। अन सधर्य वैदिकि प्रक्रिया है। हम किसी व्यक्ति-विशेष या समूह-विशेष से सधर्य में होते हैं, सामान्य व्यक्तियों से नहीं।

3 अनिरन्तर प्रक्रिया—प्रतिस्पर्द्धा एक निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है जबकि सधर्य एक अनिरन्तर, अस्थायी तथा थोड़े-थोड़े यथा बाद होने वाली प्रक्रिया है। सधर्य अविराम नहीं होता, वल्कि इक एक चलता है, क्योंकि उसके लिए जाति एकत्रित बरनी पड़ती है। सधर्य में शारीरिक, मानसिक और कभी-कभी आर्थिक जाति दहुत व्यय होती है, अन इनको निरन्तर चलाए रखना सम्भव नहीं होता। सधर्य जब उत्पन्न होता है तो कई तरीकों से यह समाप्त हो सकता है। कभी इसका अन्त एक दल की हार के साथ होता है तो कभी कभी दोनों पक्षों में समझौता हो कर।

4 सार्वभौमिक प्रक्रिया—सधर्य एक सार्वभौमिक और मवंव्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। यह किसी न किसी रूप में तथा किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक समाज में प्रत्येक सम्पत्ति तथा प्रत्येक परिस्थिति में पाया जाता है। परिवार से लेकर सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सधर्य दिखाई देता है। आधुनिक जटिल समाजों में तो सधर्य निस्तार प्रगति पर है।

सारांग रूप में हम कह सकते हैं कि सधर्य दो व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच होने वाले वे प्रयास हैं जिनमें प्रत्येक पक्ष अहृसा, विरोध, आक्रमण, उत्पीड़न या मृणा आदि के द्वारा दूसरे पक्ष के विचारों और लक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास वरता है। सधर्य जाति, शासन, सम्पत्ति आदि के लिए एक लडाई है जिसमें सभी पक्षों का लक्ष्य अपने विरोधियों पर तथा उद्देश्य पर रहता है। प्रतिस्पर्द्धा के नियमों का उल्लंघन करन या विरोध की अवस्था में ही सधर्य उत्पन्न होता है। जब तक सामाजिक प्रयास, रुद्धियाँ आदि शक्तिशाली होती हैं और इनका व्यक्तियों की इच्छाओं तथा स्वार्थों पर नियन्त्रण रहता है तब तक वे सधर्य की अवस्था को रोकती हैं। परन्तु इच्छाओं और उद्देश्यों में भरिवान् शीघ्र होता है जबकि प्रयास तथा रुद्धियाँ उसी गति से नहीं बदलती, अतः सधर्य की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। जब तक इच्छाओं और स्वार्थों के नए रूप आते रहेंगे तब तक सधर्य भी उपस्थित रहेगा।

#### सधर्य के रूप-

मानव-सम्पर्क के क्षेत्र में सधर्य के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। समाज-शास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार में सधर्य के अवृह्यों को व्यक्त किया है। हम यहाँ कुछ प्रमुख वर्गों का उल्लेख करेंगे—

(क) किसले डेविस का वर्गीकरण—डेविस ने सधर्य के दो रूप बताए हैं—

1. अर्थशाली सधर्य—इस सधर्य के उदाहरण में हम एक ऐसी न्यूनि को में सकते हैं जिसमें लक्ष्यों को ग्राह करने के माध्यमों के बारे में विचार आरम्भ हो गया हो।

2. पूर्ण सधर्य—इसका अभिप्राय ऐसी हिति से है जिसमें किसी भी प्रकार का समझौता होना ही नहीं है, बेकल समस्त शारीरिक, जाति द्वारा ही अपने उद्देश्यों को पूर्ण करना एकमात्र मार्ग रह गया हो।

चास्तब में ग्रांशिक और पूर्ण सधर्ष में केवल मात्रा का भेद है, अतः दोनों में कोई स्पष्ट सीमा-रेखा खीचना बड़ा कठिन है।

(ख) अन्य चर्चाकरण—कुछ समाजशास्त्रियों ने सधर्ष के निम्नलिखित दो स्वरूप बतलाए हैं—

1 प्रत्यक्ष सधर्ष—यह वह सधर्ष है जब व्यक्ति या समूह एक दूसरे को हानि पहुँचा कर, बाधा डाल कर, डरा-घमका कर, या नष्ट करके किसी उद्देश्य को प्राप्त करते का प्रयत्न करते हैं। प्रत्यक्ष सधर्ष हमें बाह्य रूप में दिखाई पड़ता है। युद्ध, दंग-कसाड़, सड़ाई भायड़, मार पीट, हत्या आदि प्रत्यक्ष सधर्ष के उदाहरण हैं। जातीय सधर्ष तथा आद्योगिक केन्द्रों में धर्मिकों भे होने वाले सधर्ष, विद्यान्-विज्ञेद आदि भी प्रत्यक्ष सधर्ष के प्रतीक हैं।

2 अप्रत्यक्ष सधर्ष—यह सधर्ष वह है जिसमें व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की हानि न करके या प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नष्ट न करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति इस तरह करने का प्रयत्न करते हैं कि दूसरे व्यक्तियों को उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा पड़े। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष सधर्ष का अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं विशेष व्यक्तियों के हितों में बाधा पहुँचा कर अपने हितों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। उदाहरणार्थ, अनियन्त्रित प्रतिस्पर्द्ध अप्रत्यक्ष सधर्ष ही होती है। सधर्ष के इस रूप में शत्रुता, घृणा, हिंसा आदि की अभिव्यक्ति अप्रत्यक्ष ही होती है, प्रत्यक्ष नहो। आधुनिक राजनीति में शीर्ष-युद्ध (Cold-war) अप्रत्यक्ष सधर्ष ही है।

(ग) गिलिन एवं गिलिन द्वारा वर्णित रूप—सधर्ष के और भी अनेक रूप हो सकते हैं। नितिन एवं गिलिन ने सधर्ष के अनेक दूसरे रूपों की चर्चा की है—

1 व्यक्तिगत सधर्ष—इसमें परस्पर विरोधी लड़ी वाले व्यक्तियों में सधर्ष होता है। सधर्षशील लोगों में व्यक्तिगत रूप से घृणा होती है और वे स्वयं के हितों के लिए दूसरे को शारीरिक हानि पहुँचाने अथवा नष्ट तक कर देने को तैयार हो जाते हैं।

2 प्रजातीय सधर्ष—वभी-कभी कुछ प्रजातियाँ (Races) दूसरों पर जासन करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते लगती है, अतः उनका औरों से सधर्ष होता है। नीओ और फ्रेंट प्रजाति, इंडेंट और जापानी प्रजाति तथा अफ्रीका में इंडेंट और सबसे प्रजातियों के बीच हिंसात्मक घटनाएँ ग्राएँ दिन प्रकाश में आती हैं।

3 धर्म सधर्ष—आधुनिक युग में धर्म सधर्ष विश्व के सभी समाजों में फैल गया है। विभिन्न समूह सामाजिक और आधिक स्थिति में परस्पर अत्यधिक विभ्रह होते हैं। उनके जीवन प्रतिमान एक-दूसरे से मेल नहीं जाते। अतः इन समूहों ने विभिन्न वर्गों का रूप ले लिया है, प्रत्येक वर्ग सामाजिक एवं आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण बताता है। इस प्रकार को स्थिति उनके बीच विवादों और सधर्ष को संतप्त करती है। मार्क्स के अनुसार "आज तक अस्तित्व में ही समाज का इतिहास वर्ग सधर्ष का इतिहास है।" हमें भजदूरों और मिल-मालि। |

का सधर्य दिखाई देता है। इसी प्रकार निम्न और उच्च वर्ग के बीच भी सदैव संघर्ष चलता रहता है। प्राय एक ही वर्ग में अधिक सत्या होकर सदस्य जब आपस में मनभेद नहीं रखते तो भी सधर्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम वर्ग का अन्तरिक सधर्य कहते हैं। तीव्र सामाजिक परिवर्तनों से व्यक्तियों के विचारों और सामाजिक अन्त नियाओं में भी तेजी से परिवर्तन होते हैं और फलस्वरूप वर्ग सधर्य विभिन्न रूपों में हमारे सामने आता है।

**4 राजनीतिक सधर्य—**आज के युग में राजनीतिक सधर्य सबंत देखने को मिलता है। इसके भी दो रूप हैं—एक राष्ट्रीय और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय सधर्य में राष्ट्र के भीतर विभिन्न राजनीतिक दल परस्पर सधर्परत रहते हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत से राष्ट्र एक-दूसरे के विरोध में होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सधर्य राजनीतिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी और धार्मिक भी। जिन राष्ट्रों में विचारों की स्वतंत्रता सविधान द्वारा स्वीकृत है, वहाँ प्राय सधर्य के अवसर अधिक होते हैं।

**5 जातीय सधर्य—**सधर्य का यह रूप हमारे देश में स्पष्ट है जहाँ ऊँच नीच की भावना के कारण विभिन्न जातियों में वैरभाव रहता है और जातिगत सधर्य चलता है। यद्यपि कानूनी रूप से विभिन्न जातियों के बीच पाइ जाने वाली ऊँच-नीच की भावना को मिटाया गया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से जातीय सकीणता विभिन्न सामाजिक सधर्यों का कारण बनी हूँद है।

सधर्य के और भी अनेक रूप हो सकते हैं जैसे सामुदायिक सधर्य जिसमें हम समुदाय के भीतर के सधर्यों और अन्तर-सामुदायिक सधर्यों को ले सकते हैं। बहुमरवक और अल्पसम्मुख समूह सधर्य भी देखने में याते हैं। धार्मिक सधर्य भी किसी में द्विपे नहीं है। वास्तव में, सधर्य मानव समाज में सदैव से होते आए हैं, लेकिन आधुनिक युग में विविध रूपों में अधिक व्यापक रूप से देखने को मिलते हैं।

### सधर्य को कम करने के साधन

विभिन्न डैविस के शब्दों में, “नि मन्देहृ ऐमे भी सामाजिक साधन हैं जो सधर्यों को कम करने का प्रयत्न करते हैं।” देविंग ने इस प्रकार के पांच साधन गिनाए हैं—

1. पृथ्वी साधन रसिन्ना है जो हमारे मन के उन तनावों को दूर करती है जो शारीरिक हिंसा के रूप में बढ़ा सकते हैं।

2. दूसरा साधन “भासाजिक दूरी” अथवा “परिदूर” है।

3. होमरा साधन मनाभावों का निर्माण है जो विभिन्न स्वार्थों के सधर्य वो यह दिखा कर समाज करना चाहता है कि विपक्षी दलों के प्रयत्न सधर्यों की अपेक्षा एकता उच्चतर लक्ष्य है।

4. चौथा साधन है—परिदूर एवं भिन्नता, दबोकि वर्नमान परिस्थिति भी जब अधिक सहनोर्य होने लगती है जब यह मालूम हो जाता है कि वह अधिक समय तक नहीं रहेगी।

5. पांचवां साबन संगठित प्रतिद्वन्द्विता है। यह आन्तरिक-सामूहिक थदा को अद्वा हूमरे को समाप्त करने के पराक्रम को अनुकरणात्मक लडाई का अवसर प्रदान करती है।

उद्दिष्ट ने लिखा है कि ऐसे ताबन सदैव सफल नहीं होते। विनोद, सामाजिक दूरी, तेक मनोभाव, सामाजिक परिवर्तन और संगठित प्रतिद्वन्द्विता कभी-कभी संघर्षों को रोकने के स्थान पर उन्हे श्रोत्साहित करती हैं। सच तो यह है कि प्रत्येक परिवर्तिति में संघर्ष के कुछ तत्व विद्यमान अवश्य रहते हैं। संघर्ष मानव समाज का एक अग है, वयोंकि मानव ममाज इसी प्रकार की एक वस्तु है।

### संघर्ष का महत्व

संघर्ष यद्यपि भ्रस्तयोंगे अधिक विद्वनात्मक प्रक्रिया है, तथापि यह मानव समाज का एक आवश्यक अग है। सामाजिक और व्यक्तित्व के संगठन के लिए यह महत्वपूर्ण है। संघर्ष समूह और व्यक्ति दोनों से आत्म-वेतना तथा आत्मविश्वास की तृदि करता है। यह विभिन्न सामाजिक, धार्थिक राजनीतिक आदि समस्याओं का सामना करने के लिए हमारी कार्यक्षमता और शक्ति को बढ़ाता है। संघर्ष कठिनाई के हृष में उपरिचित होता है और अत में प्राप्त सहयोग, प्रदूषकता तथा समाजोजन में परिवर्तित हो जाता है।

हमारी मानसिक विशेषताएँ व्यक्तिगत होती हैं और हमारे लक्ष्य भी बहुत कुछ व्यक्तिगत होते हैं। अब अपने प्रपने सदृशों को पुरा करने की होड में संघर्ष का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन संघर्ष सदैव ही सामाजिक हित के विरुद्ध नहीं होता। संघर्ष के कारण व्यक्ति या समूह अपनी शक्ति का अनुभव करते हैं। संघर्ष की अनुपस्थिति में मानव जीवन का मूल्य एह निर्जीव पदार्थ से अधिक नहीं कहा जा सकता। संघर्ष मानवीय किशाओं की गतिशीलता और जागरूकता प्रदान करता है। कभी तो यह पूरकरण की प्रक्रिया न रहती एकीकरण तक को श्रोत्साहित करता है। क्या भारतीय जनता जानित के अलों को अपेक्षा संघर्ष के अलों में, विशेषकर अन्य राष्ट्रों के साथ होने वाले संघर्ष के अवधरों पर, यक्षिण संगठित नहीं रही है?

संघर्ष के बिना मनुष्य जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। यदि संघर्ष नहीं है तो हम बहुत-सी बातों में अनभिज्ञ ही रह जाएंगे और कठिनाईयाँ तथा समस्याएँ हमें दबोच लेंगी। विभिन्न बाधाएँ हमे बाध्य करती हैं कि हम अपनों के साथ संगठित होकर रहें। यह अनुमूलि सामूहिकता में अभिवृद्धि करती है। अनेक सवालों पर देखा गया है कि जो कार्य महायोग से सम्भव नहीं हो सकता है, संघर्ष ने उने अन्य समय में ही सम्भव बना दिया है।

संघर्ष सामाजिक आप की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यदि समाज में अधिकारी वर्ग और प्रभुता सम्बन्ध लोगों के सामाजिक संघर्ष की स्थिति की कोई आशका न हो तो वे पूर्णत निरकुश बन जाएंगे। कार्ल मार्क्स और उनके अनुपाधियों ने संघर्ष की इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए सभूएँ मानव इतिहास को ही वर्ग संघर्ष का डितिहास कह दिया है।

आज के युग में सधर्ष के विविध रूप सर्व विदित है और इन पर नियन्त्रण रखना भी व्यक्ति तथा समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। सधर्ष औचित्य की सीमा को इतना न लाख जाए कि हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, इसलिए सधर्ष की स्थिति पर आवश्यक नियन्त्रण प्रवेशित है। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि प्रत्यक्ष सधर्ष की स्थिति को कम से कम किया जाए। सधर्ष पर नियन्त्रण के लिए सह-अस्तित्व की धारणा को महत्व दिया जाना चाहिए।

भौमि

संघर्ष और प्रतिस्पर्द्धा में अन्तर

### (Distinction between Conflict and Competition)

सधर्ष और प्रतिस्पर्द्धा की दोनों प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं को हम समझ चुके हैं। उपर्युक्त होगा कि इनके बीच आधारभूत भिन्नताओं को स्पष्ट रूप से जान लिया जाए—

(1) सधर्ष चेतन प्रक्रिया है, प्रतिस्पर्द्धा एक अचेतन प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में सधर्ष में प्रतिद्वंद्वी की एक-दूसरे का पूर्ण ज्ञान होता है जबकि प्रतिस्पर्द्धा विना किसी प्रकार के सामाजिक सम्पर्क के अपने अधिकतर हणी में कार्यान्वित होती है।

(2) सधर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्द्धा एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है। सधर्ष में व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं और उनका ध्यान उद्देश्य से हटकर एक दूसरे पर आ जाता है। प्रतिस्पर्द्धा में लोग प्रायः एक दूसरे को नहीं जानते और उनका ध्यान उद्देश्य की प्राप्ति पर होता है। वे एक दूसरे के सधर्ष में नहीं आते।

(3) सधर्ष एक अनिरन्तर प्रक्रिया है। सधर्ष कुछ कान तक चलता है और किर समाप्त हो जाता है। ज्योही विरोधी शक्तियाँ धीण होती हैं, सधर्ष भी छीला पड़ने लगता है और मिट जाता है। प्रतिस्पर्द्धा एक निरन्तर प्रक्रिया है। मनुष्य में अपनी स्थिति को ऊपर उठाने की इच्छा प्रतिस्पर्द्धा को निरन्तरता प्रदान करती है और यह कभी समाप्त नहीं होती।

(4) सधर्ष से प्रतिस्पर्द्धा की भाँति किसी तीसरे पक्ष की कृपा प्राप्त करने की इच्छा प्रतिद्वन्द्वियों द्वारा नहीं रखी जाती। विरोध पक्ष विना किसी मध्यस्थता के प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे को नष्ट करने तथा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इनके विपरीत प्रतिस्पर्द्धा में किसी तीसरे का हाथ भी होता है। इसमें सदैव एक तीसरा पक्ष रहता है और सभी प्रतिस्पर्द्धा व्यक्ति इस तीसरे की कृपा के इच्छुक रहते हैं।

(5) सधर्ष में हिसाएँ एक महत्वपूर्ण तत्व है जबकि प्रतिस्पर्द्धा में हिसा, घोड़े और आदि आदि को कोई स्थान नहीं मिलता।

(6) सधर्ष दोनों विरोधियों को हानि पहुँचा सकता है। प्रतिस्पर्द्धा में दोनों विरोधियों को लाभ हो सकता है।

(7) सधर्ष अत्यधिक मात्रा में पृथक् करने वाला है। प्रतिस्पर्द्धा अति न्यून मात्रा में पृथक् करने वाली है।

(8) सघर्ष में सामाजिक नियमों का नालंग नहीं किया जाता, जबकि प्रतिस्पद्धी में किया जाता है। ग्रीन के अनुसार, "प्रतिस्पद्धी सदैव नेतृत्व नियमों से बेधी रहती है, जबकि सघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती।"

(9) सघर्ष से उत्पादन नहीं बढ़ता बल्कि उसमें मानसिक, आरोग्यिक साधनों का दुखलयोग होता है। प्रतिस्पद्धी में उत्पादन से वृद्धि होती है, यद्योऽपि प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक और अच्छा कार्य करके एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है।

इन अन्तरों के बावजूद प्रतिस्पद्धी और सघर्ष दोनों ही सार्वभौमिक प्रक्रियाएँ हैं और मानव समाज के आवश्यक अवयव हैं।

### सामाजिक क्रिया : परिभाषा और तत्त्व

#### (Social Action : Definition and Elements)

समाज के सभी सदस्य सामाजिक प्राणी होते हैं और सामाजिक प्राणी के हृष में उनकी विभिन्न आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए उन्हें कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। ये प्रयत्न 'क्रिया' हृष में ही देखने को मिलते हैं। इन क्रियाओं के सम्बन्ध में व्यक्ति 'स्वयं पूर्ण' नहीं होता अर्थात् न तो वह वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों से धेरे शून्य में क्रिया कर सकता है और न ही क्रिया के दौरान अन्य सामाजिक प्राणियों के प्रभाव से सर्वथा प्रकृता रह सकता है। दूसरे शब्दों में उसे किसी न किसी हृष में सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक प्राणियों द्वारा प्रभावित होने हुए कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार के काय अवश्य क्रिया को ही समाजशास्त्रीय भाषा में 'सामाजिक क्रिया' सम्बोधित किया जाता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाजिक क्रिया के तीन आवश्यक तत्त्व हैं—प्रथम, कोई न कोई मानवीय आवश्यकता जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है, द्वितीय, वास्तविक सामाजिक परिस्थिति जिसमें कि क्रिया की जाती है, एव तृतीय, अन्य सामाजिक प्राणियों का व्यक्ति की क्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव। इन तीनों तत्त्वों द्वारा व्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि 'किसी न किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश से अन्य सामाजिक प्राणियों द्वारा प्रभावित होते हुए वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों में जो क्रियाएँ की जाती है, उन्हें सामाजिक विया कहा जाता है।'

किसी भी वित्त ने लिखा है कि 'किसी एक क्रिया का विश्लेषण अतिः-प्रबान या स्वेच्छाचारी इप्टिकोसु से निर्मांकित चार अपरिहार्य एव अविभाजनीय तत्त्वों की पदावली में किया जा सकता है—(1) एक कर्ता, (2) एक लक्ष्य, अर्थात् भविष्य की वह स्थिति जिसको और कर्ता अपनी क्रियाओं को केन्द्रित करता है, (3) परिस्थितियाँ, स्थिति के वे पहलू जिस पर कर्ता का कोई नियन्त्रण नहीं होता, (4) विभिन्न साधन, परिस्थिति के वे पहलू जिस पर कर्ता का नियन्त्रण होता है (कर्ता की विद्यमानता स्वयं एक अपरिहार्य तत्त्व है, इसे हम यो ही स्वीकार कर सकते हैं और इस प्रकार अपरिहार्य तत्त्वों की सम्भावना केवल तीन रह जाएगी, किन्तु

धर्मिक स्पष्टता के लिए कर्ता को एक रात्रि मान लेना आवश्यक नहीं होता है।) पुनर्जन्वय वे चारों तर्फ इसे हृषिकेश से प्रपरिहार्य हैं कि इनमें से किसी वा भी प्रादुर्भाव दूसरे से नहीं होता। लक्ष्य साधनों से नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, प्यारे साधन स्थितियों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। वे विज्ञेयणात्मक हृषि से जिल हैं तथा कोई व्यक्ति इन चारों प्रयत्नों का प्रयोग किए बिना किया की बुद्धिमत्ता व्याख्या नहीं कर सकता।'

ऐसे वेवर के प्रनुसार 'किसी भी किया को सामाजिक किया तभी इह या सकता है जब कर्ता (किया को करने वाला व्यक्ति, Actor) या कर्ताओं द्वारा खपाए गए आत्मतिक अर्थ (Subjective Meaning) के अनुसार उस के अनुसार उपकी गतिविधि निर्धारित हो। परिमाण से स्पष्ट है कि मैंके वेवर ने नामांजिक किया की तीन रामायनिक विभेदणाओं की ओर संकेत किया है—(1) सामाजिक किया को करने वाला अर्थात् कर्ता कोई एक व्यक्ति या एकाधिक व्यक्ति होता चाहिए, (2) किया अर्थपूर्ण होनी चाहिए अर्थात् उद्देश्यविहीन नहीं होनी चाहिए, एवं (3) सामाजिक किया में अन्य व्यक्तियों के गमोभावों और क्रियाओं वा समावेश होता है तथा उन्हीं के अनुसार उनकी गतिविधि निर्धारित होती है, अर्थात् सामाजिक किया अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रभावित एवं निर्देशित होती है।

टाल्कट पारसन्स ने सामाजिक किया को एक नए रूप में परिभ्रान्ति दी है कि 'किया, कर्ता-परिस्थिति-योग्यता (Actor Situation-System) में वह प्रक्रिया है जिसका कि अवेले कर्ता के लिए प्रववा सामूहिक रूप में उस समूह के कुछ व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्व (Motivational Significance) होता है।' टाल्कट पारसन्स की इस परिभ्रान्स से स्पष्ट है कि (1) सामाजिक किया को करने वाला एक कर्ता होना है, (2) कर्ता एक परिस्थिति के प्रत्यंगत रहते हुए ही किया करता है एवं (3) उस क्रिया करने की इच्छा कर्ता में इसकी जाप्रत होती है कि उसके लिए उस क्रिया का कोई न कोई प्रेरणात्मक महत्व होता है।

इन तभी परिभ्रान्सों से प्रकट है कि सामाजिक क्रिया, सामाजिक प्राणी अववा प्राणियों द्वारा वैयक्तिक या सामूहिक आधार पर की जाती है। साथ ही वह क्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है अर्थात् इससे किसी न किसी मानवीय उद्देश्य या आवश्यकता की पूर्ति होती है, एवं सामाजिक क्रिया सूख्य में सम्पन्न नहीं होती अर्थात् वह वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों में वी जाती है—उस पर सामाजिक परिस्थिति और अन्य सामाजिक प्राणियों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, समाजशास्त्रीय हृषि से सामाजिक क्रिया व्यक्ति द्वारा वी गई साधारण क्रिया से जिल है। उदाहरणार्थ, व्यक्ति यदि कभी मे अकेला बैठकर नूब हूँस रहा गा रो रहा है तो वह उसकी व्यक्तिगत क्रिया है न कि सामाजिक क्रिया, एवं यदि व्यक्ति कभी मे अपने मित्रों के अन्य बैठकर मनोरञ्जन के उद्देश्य से या शोक प्रकट करने के उद्देश्य से हूँस रहा या रो रहा है तो उसका यह काय सामाजिक क्रिया है।

सामाजिक क्रिया के तत्त्वों पर किसले द्वेषित ने अपनी पुस्तक 'मानव समाज' में विस्तार से प्रकाश द्दाता है और उसके सारांश को प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि 'मानव-व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व वैयक्तिक समाज है। इस जगत् का केन्द्र-विन्दु 'अहम्' भवया आत्म है तथा कार्य की दिशा का निर्धारण उस लक्ष्य द्वारा पूरा होता है जो किसी परिस्थिति में अहम् द्वारा लाया जाता है। परिस्थिति के बे पहलू जिन पर कर्ता अपना नियन्त्रण रख सकता है, उसके साधन होते हैं तथा वे पहलू जो उसके नियन्त्रण के बाहर होते हैं, उसकी स्थितियाँ (या शर्तें) होती हैं, किन्तु परिस्थितियों पर वह अपना नियन्त्रण रख सकता है, किन परिस्थितियों में नहीं, यह अशत् उसी के द्वारा निर्धारित होने वाला विषय है। इतनिए, क्रिया के विभिन्न तत्त्व एक दूसरे से विट्कूच गिन्न होते हुए भी अन्योन्याधित हैं और यदि हम किसी व्यवहार का विश्लेषण पूछतया आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण से करता चाहते हैं, तो इनमें से किसी तत्त्व की भी अवहेलना नहीं की जा सकती है।'

सामाजिक क्रिया से सम्बन्धित दुर्व्वीम, परेटो और

मैक्स वेबर के सिद्धान्त

### (Social Action Theory of Durkheim, Pareto and Max Weber)

सामाजिक क्रिया की वास्तविक प्रकृति को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने द्वय से समझा है। समाजशास्त्र के जनक ग्राहस्ट काम्ट ने इस बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया था कि सामाजिक क्रिया ही सामाजिक घटनाओं का मूल ज्ञोन है और इन क्रियाओं द्वारा समाज का अस्तित्व सम्भव होता है। जिस तरह शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा समाज का अस्तित्व सम्भव होता है, जिस तरह शरीर के एक अंग का कार्य अन्य अंगों के कार्य से प्रभावित होता है उसी तरह समाज में एक व्यक्ति अवयवा समूह की क्रिया अन्य व्यक्तियों या समूहों की क्रियाओं द्वारा प्रभावित होती है। काम्ट के पश्चात् दुर्व्वीम, परेटो मैक्स वेबर तथा अन्य विद्वानों ने सामाजिक क्रिया के सम्बन्ध में अपने अपने सिद्धान्त प्रस्तुत किए हैं।

**दुर्व्वीम का सामाजिक-क्रिया सिद्धान्त**

### (Social Action Theory of Durkheim)

दुर्व्वीम की विचारधारा में 'समाज' का स्थान सर्वोपरि है और समाज या सामाजिक कारक ही सामाजिक क्रिया को जन्म देते हैं। सामाजिक क्रिया पहले भी घटित होती थी और अब भी घटित होती है अन्तर यही है कि क्रियाओं को प्रेरित करने वाले सामाजिक कारकों या सामाजिक तथ्यों में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन समाज में धर्म, प्रथा, परम्परा आदि सामाजिक कारक या सामाजिक तथ्य (Social Facts) सामाजिक क्रियाओं द्वे अधिक प्रभावित करते थे—इतना अधिक कि व्यक्ति इन कारकों या तथ्यों द्वारा तिर्देशित क्रियाओं व

यन्त्रवत किया करते थे। इसीलिए प्राचीन समाज में 'यन्त्रवत सामाजिक व्यवस्था' (Mechanical Social System) देखते को मिलती थी। आधुनिक समाज में सामाजिक क्रिया की प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों या तथ्यों में परिवर्तन हो गया है। आज जनसत्त्वा वृद्धि, अम-विभाजन, विशेषीकरण आदि तथ्य सामाजिक क्रिया को अधिक प्रभावित करते हैं। जनसत्त्वा वृद्धि के फलस्वरूप आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं जिनकी पूर्ति के लिए बड़े धंगाने पर काम की आवश्यकता हो गई है। फलस्वरूप अम-विभाजन और विशेषीकरण की बहु मिलता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति या समूह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं में केवल कुछ आवश्यकताओं की ही स्वयं पूर्ति कर पाता है, ये प्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समाज के अन्य सदस्यों अथवा समूहों पर निर्भर है। इस निर्भरता के कारण एक व्यक्ति की क्रिया समाज के अन्य प्राणियों की क्रियाओं द्वारा अत्यधिक प्रभावित होने लगी है और उनमें सम्बन्धित भी हो गई है। यह स्थिति लगभग दौसों ही है जैसे कि Organism अथवा शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से सम्बन्धित हैं और एक दूसरे के कार्यों के द्वारा प्रभावित होते हुए क्रिया करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में रिया-विपर्यक सामाजिक प्राणी की यह विशेषता सावधानी विशेषता से मिलती-जुलती है। दुर्लभिम के शब्दों में 'आधुनिक समाज में सदस्य सामाजिक क्रिया के सम्बन्ध में एक दूसरे से सावधानी रूप में (Organically) सम्बन्धित है, अत आधुनिक समाज में सावधानी सामाजिक व्यवस्था (Organic Social System) देखने को मिलता है।'

सामाजिक कारक या सामाजिक तथ्य (Social Facts) सामाजिक क्रिया को कितना अधिक प्रभावित करते हैं, यह स्पष्ट करने के लिए दुर्लभिम ने आत्महृत्या, अनुबन्ध, धार्मिक क्रिया आदि के अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। व्यक्ति आत्महृत्या इसलिए नहीं करता कि वह प्रेम में असफल हो गया है, या नौकरी से हटा दिया गया है या जीवन से छव गया है। आत्महृत्या तो वह उस स्थिति में करता है जबकि उस पर समाज का अस्वस्थ प्रभाव पड़ता है और यह अस्वस्थ प्रभाव तब पड़ता है, जब समाज द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। अनुबन्ध (Contract) की क्रिया दो व्यक्तियों के बीच एक समझौता मात्र ही नहीं है, दोनों व्यक्ति जिन नियमों को मानते हुए अनुबन्ध की क्रिया कर रहे हैं वे नियम भी सामाजिक ही हैं। धार्मिक क्रिया की दृष्टि से लें तो समाज ही बास्तविक देवता है, क्योंकि व्यक्ति जो भी धार्मिक क्रिया करता है वह बास्तव में समाज की सामूहिक शक्ति के सामने मनुष्य के नतमस्तक होने की ही अभिव्यक्ति है। दुर्लभिम का सारांश है कि सामाजिक क्रिया सगात्र द्वारा प्रेरित क्रियाएँ ही होती हैं।

### परेटो का सामाजिक क्रिया सिद्धान्त

#### (Social Action Theory of Pareto)

परेटो के प्रनुसार व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में अनेक प्रकार की क्रियाएँ करता है। इन सामाजिक क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है—

1 तात्कालिक क्रियाएँ (Logical Actions)

2 अतात्कालिक क्रियाएँ (Non Logical Actions)

तार्किक क्रियाएँ अर्थवूलं और युक्तिसम्बन्ध होनी है अर्थात् इन क्रियाओं का ग्रोचित्य और ग्राधार दृढ़ा जा सकता है। ऐसी ही क्रियाओं के बहु पर विज्ञान पदवता है। जब एक समाजशास्त्री वैज्ञानिक पदवियों का सहारा लेकर अपराध या अपराधियों का अध्ययन करता है तो उसके इस कार्य को तार्किक जिया कहा जाएगा क्योंकि जो कुछ भी वह कर रहा है, उसका एक ग्रोचित्य है, एक तर्क संपत्ति ग्राधार है।

अनार्किक क्रियाएँ तर्क संगत और युक्ति संगत नहीं होती। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसे कार्यों को या तो इसलिए क्रिया जाता है, कि उन्हें करने वाला व्यक्ति अर्थात् कर्ता अपनी समझ से ही उन क्रियाओं को उचित मानता है या इसलिए क्रिया जाता है क्योंकि उनका कोई ग्रोचित्यपूर्ण ग्राधार न होते हुए भी सामाजिक परम्परा में प्रचलन हो गया है। परीक्षा में नेकल करना, कुसम्मानों को अपनाना आदि अनार्किक क्रियाएँ ही हैं।

### मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया भिन्नान्त

#### (Social Action Theory of Max Weber)

मैक्स वेबर ने अनुसार “किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब कर्ता (उस क्रिया को करने वाला व्यक्ति) या कर्ताश्वारा इनाये गए प्रतीक्षित अर्थ (Subjective Meaning) के अनुसार उस क्रिया में अन्य व्यक्तियों के मनोभावों और क्रियाओं के समावेश को तथा उन्होंने के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो।” मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को पहचानने के लिए उसकी चार विशेषताओं का उल्लेख किया है—

1. एक व्यक्ति की सामाजिक क्रिया अन्य सामाजिक प्राणी की क्रिया द्वारा प्रभावित होनी है। वह सामाजिक प्राणी या समूह परिवर्त भी हो सकता है और अपरिवर्त भी। साथ ही, कर्ता की क्रिया, अन्य व्यक्ति के किनी भी वर्तमान, भूत, या भवी कार्य से प्रभावित हो सकती है। यदि एक व्यक्ति की हत्या इसलिए कर देता है कि उस दूसरे व्यक्ति ने भूतकाल में पहले व्यक्ति के भाई का खून कर दिया या तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहले व्यक्ति की वर्तमान क्रिया दूसरे व्यक्ति की भूतकालीन क्रिया द्वारा प्रभावित हुई है। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति अपने आकिस का वार्ष इस भाषा में बहुत मेहनत से करता है कि भविष्य में उसका अधिकारी उसकी लग्जरी कर देता जो नए व्यक्ति का बनेंगत जाएं अपिकर्त्ता के अलावे कार्य से प्रभावित है। इसी प्रकार, यदि एक व्यक्ति ने पीटने पर दूसरा व्यक्ति भी उसे तुरत्त लीटने लगता है तो दूसरे व्यक्ति की पहली क्रिया प्रथम व्यक्ति की वर्तमान क्रिया द्वारा प्रभावित मानी जाएगी। इन नीनों ही स्थितियां में किए गए कार्य सामाजिक कार्य या सामाजिक क्रियाएँ हैं।

2. सामाजिक क्रिया का सम्बन्ध एवं प्रभाव के बहुल सामाजिक प्रणालियों या सामाजिक समूहों के साथ ही होता है। यदि एक व्यक्ति रसोई में वर्तन गिरने की आवाज सुनकर जाग पड़ता है तो देखता है कि कोई चोर तो घर में नहीं छुस गया।

है तो उसकी यह किया सामाजिक क्रिया नहीं मानी जाएगी क्योंकि वह असामाजिक या देजानदार द्वारा प्रभावित है। पर यदि यही किया वास्तव में चोर के प्रवेश द्वारा प्रभावित होती तो सामाजिक किया मान ली जाती।

3. या अधिक व्यक्तियों के बीच अन्त नियायों के फलस्वरूप उत्पन्न क्रियाएँ ही सामाजिक क्रियाएँ मानी जाती हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीटता है पर वह दूसरा व्यक्ति पिटकर चुपचाप चला जाता है तो वह सामाजिक क्रिया नहीं है क्योंकि दोनों में अन्त क्रिया नहीं हुई किन्तु यदि दूसरा व्यक्ति भी मारपीट पर उत्तराख हो जाता है या गाली-गलीज करने लगता है तो वह सामाजिक क्रिया कहलाएगी।

4. यदि अनेक व्यक्ति एक साथ मिलकर एक प्रकार का काम करें तो भी वह सामाजिक क्रिया तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक उसमें उपरोक्त विशेषताओं के दर्शन नहीं होते। उदाहरणार्थं वर्षा होने पर यदि राह चलने वाले अनेक लोग एक साथ अपना-अपना छाता खोल लेते हैं तो इसे हम सामाजिक क्रिया नहीं मानेंगे क्योंकि लोगों की यह सामृद्धिक क्रिया अन्य सामाजिक प्राणियों या समृद्धि द्वारा नहीं विक्त वर्षा द्वारा प्रभावित हुई है। दूसरी ओर यदि एक नेता का भाषण सुनने वाले लोग नेता की किसी बात पर एक साथ ताली बजाते हैं या शर्म-शर्म की आवाज बसाते हैं तो वह सामाजिक क्रिया होगी।

मैंकुस बेवर ने सामाजिक क्रिया को चार थेलियों या वर्गों में विभाजित किया है—

(क) तार्किक क्रिया (Rationalistic Action)—यह वह क्रिया है जिसमें क्रिया व साथत एक दूसरे के साथ तार्किक रूप में संयुक्त होते हैं।

(ख) सून्यांकनात्मक क्रिया (Evaluative Action)—यह वह क्रिया है जो किसी नीतिक, धार्मिक अथवा कलात्मक आधार पर की जाती है और उसी आधार पर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। उदाहरणार्थं, एज़ा-याठ इसी प्रकार की क्रियाएँ हैं।

(ग) प्रभावात्मक क्रियाएँ (Effective Action)—यह वह क्रिया है जो संवेदी (Emotions) द्वारा प्रभावित होती है। प्रेम, कोश, शत्रुता, आदि से प्रेरित होकर व्यक्ति जब कोई क्रिया करता है तो उस क्रिया को प्रभावात्मक क्रिया माना जाता है।

(घ) परम्परात्मक क्रिया (Traditionalistic Action)—यह वह क्रिया है जो परम्परा के आधार पर चल पड़ती है। प्रथा, रुढ़ि आदि इसी प्रकार की क्रियाएँ होती हैं।

### स्थायी भाव (Sentiment)

संवेद (Emotions) स्थायी भाव (Sentiment) के मूल जनक हैं। संवेद जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसकी अभिव्यक्ति भय, कोश, शोक, हर्ष, धूणा, प्रेम

आदि के रूप में होती है। यदि एक ही वस्तु या प्राणी या व्यक्ति के प्रति एकाधिक संवेग पतन कर और एक साथ मिलकर समझित रूप धारणा कर लेते हैं और व्यक्तित्व में गहरी जड़ पकड़ सेते हैं तो उस समझित एवं स्थायी स्नायु-विचास मा संवेग-संकुल (Emotion Complex) को स्थायी भाव (Sentiment) कहा जाता है। स्थायी भाव का स्वरूप परिस्थितियों की पृष्ठभूमि के भाव-साथ बदलता रहता है, कलह-वस्तुएँ एक ही स्थायी भाव विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग संवेगों (Emotions) को जन्म दे सकता है। इसीलिए स्थायी भाव को 'स्थिर संवेग-संकुल' (Stable Emotion Complex) कहते हैं।

स्थायी भाव की परिभाषा देने हुए शैंड (Shand) ने लिखा है—“स्थायी भाव किसी वस्तु-विशेष के प्रति केन्द्रित संवेगात्मक प्रवृत्तियों की एक समझित व्यवस्था है।” मैकडूगल (Mc Dugall) के अनुसार “स्थायी भाव मानविक संरचना का एक तथ्य एवं प्रवृत्तियों की एक ऐसी समझित ध्यावस्था है जो कार्य के अवसरों के मध्य न्यूनाधिक शान्त दशा में रहती है।” स्थायी भाव के निर्माण में ज्ञानात्मक, कियात्मक और भावात्मक सभी तत्त्वों का अभिन्न रूप से समवेश रहता है। स्थायी भाव व्यक्तिके व्यवहार पर अद्यतिक प्रभाव डालते हैं। कारण यह है कि ये उनके व्यक्तित्व में गहरी जड़ पकड़ रहते हैं। स्थायी भाव सूख और प्रशावशाली प्रवृत्तियाँ हैं जिनमें व्यक्तिका न्यवहार गहरे रूप में प्रभावित होता है। यह व्यक्तिके चरित्रके विकास में, उसके व्यक्तित्वके निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। व्यक्तिका चरित्र स्वयं स्थायी भावोंकी ही एक व्यापरणा है। यदि व्यक्ति ये अभियां भाव विषये रहते हैं तो उसके चरित्रका विकास नहीं हो पाता, उसके चरित्रमें स्थिरता या कमबद्धनापतन नहीं पाती। स्थायी भावोंके सम्भवनके कारण ही आत्मानुभव और प्राचरणमें स्थिरता प्राप्ती है, मानव-व्यवहारका आदर्श विकास सम्भव है।

### सामाजिक प्रतिमान अथवा आदर्श-नियम (Social Norms)

सामाजिक प्रतिमानोंको सामाजिक आदर्श नियम अथवा सामाजिक मानदण्ड भी कहा जाता है। इनका समाजज्ञात्वीय अध्ययनमें केन्द्रीय महत्व है। एक और तो ये मानव-व्यवहारोंको नियमित बनाते हैं और दूसरी प्रीं और सामाजिक व्यवस्थाको स्थिरता प्रदान करते हैं।

समाजमें हम कहीं भी दर्ते, व्यक्ति मनमानेरूपमें प्राय कार्य नहीं करते। व्यक्तियोंके व्यवहारोंमें एक व्यवस्था दिखाई देती है। परिवारको ले तो वहीं गाता-पिता, भाई-बहिन आदि कुद्द विशेष नियमोंके अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। विकास-स्थानोंको ले तो वहीं भी छात्रा यीर विकासोंके व्यवहार कुद्द विशेष नियमोंसे बंधे रहते हैं। हम सरकारी या गैर-सरकारी वार्षीयोंको ले तो उनमें भी अधिकारियों और कर्मचारियोंद्वारा विभिन्न नियमोंका पालन करते हुए अपनेविधिवूरे किए जाते हैं। अभिप्राय यह हुआ कि समाजके लोगोंके सम्बन्धोंमें एक निश्चित व्यवस्थादिखाई देती है, लोग एक दूसरे के प्रति निरक्ष आचरण

नहीं करते। ऐसा सम्भव इसीलिए होता है कि प्रत्येक समाज में कुछ विशेष सामाजिक आदर्श-नियम अवधारणा सामाजिक प्रतिमान होते हैं जो न केवल लोगों के व्यवहारी को नियमित करते हैं बरन् उन पर समुचित नियन्त्रण भी रखते हैं। किसले देविस के शब्दों में सामाज-समाज में दो प्रकार के तथ्य दिखाई देते हैं—एक और आदर्शात्मक व्यवस्था (Normative order) है जो यह बतलाती है कि “क्या होना चाहिए”, रुचा दूसरी और तथ्य सम्बन्धी व्यवस्था (Factual order) है जो बतलाती है कि “क्या है!”<sup>1</sup> आदर्शात्मक व्यवस्था का सम्बन्ध कल्पना या कोरे आदर्शों से नहीं होता बल्कि यह सांस्कृतिक नियमों के अनुसार व्यवहार के उपयोगी तरीकों पर बत देती है। हम व्यवहार के इन्हीं सांस्कृतिक एवं सम्बन्धात्मक तरीकों को ‘सामाजिक प्रतिमान’ अथवा ‘सामाजिक आदर्श-नियम’ की रक्का देते हैं।

इस पृष्ठभूमि के उपरान्त अब हम सामाजिक प्रतिमानों के विभिन्न पक्षों का विस्तार से विवेचन करेंगे। हमारे अध्ययन की स्परेंसा निम्नानुसार होगी—

- (1) सामाजिक प्रतिमान का ग्रथ्य एवं प्रकृति
- (2) सामाजिक प्रतिमानों की विशेषताएँ
- (3) नामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण—लोक-रीतियाँ (Folkways), लोकाचार (Mores), प्रथाएँ (Customs), परम्पराएँ (Traditions), परिस्पाटी एवं जिल्डाचार (Convention and Etiquette), फैशन तथा सनक (Fashion and Fad), नैतिकता एवं धर्म (Morality and Religion), वैधानिक नियम (Enacted Laws) एवं संस्थाएँ (Institutions)।
- (4) सामाजिक प्रतिमान तथा व्यक्ति
- (5) हम प्रतिमानों से समानुरूपता क्यों रखते हैं?

### सामाजिक प्रतिमान का ग्रथ्य एवं प्रकृति (Meaning and Nature of Social Norms)

मराठ शब्दों में, हम सामाजिक प्रतिमानों को व्यवहार के बे नियम कह सकते हैं जिन्हे किसी समाज के अधिकांश सदस्य मानते हैं। समाज के लोग इन प्रतिमानों के आधार पर ही यह निश्चित करते हैं कि अनुक कार्य अथवा व्यवहार उचित है या अनुचित। यदि समाज के व्यक्ति का आचरण और व्यवहार समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप होता है तो समाज के लोग उस आचरण या व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। ऐसा न होने पर उस आचरण अथवा व्यवहार की निन्दा की जाती है।

सामाजिक प्रतिमानों के विभिन्न और उनकी प्रकृति को स्पष्ट करते हुए वीरस्टीड ने लिखा है—“सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार के आदर्श-नियम है जो एक परिस्थिति-विशेष में हमारे आचरण का निर्देशन करते हैं। सामाजिक प्रतिमान एक

1 किसले देविस वही, पृष्ठ 43.

सामाजिक अपेक्षा (Social expectation) है। यह एक प्रमाण अथवा स्तर है जिसके अनुकूल व्यवहार करने की हम से आशा की जाती है, चाहे बास्तव में हम वैसा व्यवहार वर्ते अथवा न करे। यह एक सांस्कृतिक निर्देश (A cultural specification) है जो समाज में हमारे आचरण अथवा व्यवहार का मार्ग-निर्देशन करता है। यह कार्यों को पूरा करने का एक तरीका (A way of doing things) है, ऐसा तरीका जो हमारे लिए, हमारे समाज द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। यह सामाजिक नियन्त्रण वा एक प्रतिवार्य साधन (An essential instrument of social control) भी है।<sup>1</sup> डिस्ट्रिबिशन के अनुसार "सामाजिक प्रतिमान अथवा आदर्श नियम एक प्रकार के नियन्त्रण है। मानव समाज इन्हीं नियन्त्रणों के बल पर अपने सदस्यों के व्यवहार पर इस प्रकार अकुश रखता है जिससे वे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथन के रूप में कार्य करते रहे, भले ही उनकी प्राणिजात्त्वीय आवश्यकताओं में इससे बाधा पहुँचती हो।"<sup>2</sup>

इन परिमाणाघोर से स्पष्ट है कि सामाजिक प्रतिमान व्यवहार के मार्गनिर्दिष्ट और सम्पादित तरीके हैं जो हमें अपनी मूल प्रवृत्तियों पर अकुश रखते हुए समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को पूरा करने पर बल देते हैं। ये एक प्रकार के ऐसे नियन्त्रण हैं जिनके बल पर समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों के भनमाने द्वारा पर अकुश रखता है। ये प्रतिमान मानव-व्यवहारों की नियमित और व्यवस्थित बनाते हैं। किसीले डेविस ने परिभाषित रूप में सामाजिक प्रतिमानों की 'कर्तव्य' की भावना में सम्बन्धित माना है। "ये इस धारणा से सम्बद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति को विद्यमान परिस्थितियों के अनुपार ही कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए अथवा प्रतिवार्य रूप में करने चाहिए।"<sup>3</sup>

### सामाजिक प्रतिमानों की विशेषताएँ (Characteristics of Social Norms)

उपरोक्त परिभाषाओं और विवरण के प्रकाश में हम सामाजिक प्रतिमानों अथवा सामाजिक आदर्श-नियमों की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का सकेत कर सकते हैं—

(1) ये वे आदर्श सामाजिक नियम हैं जिनके निर्वाह की प्रपेक्षा समाज के मध्ये सदस्यों से की जानी है। ये 'कर्तव्य भावना' से सम्बन्धित हैं जो मार्ग करते हैं कि हमें विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार ही कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार करने चाहिए।

(2) सामाजिक प्रतिमानों के मन्त्रांत्र छोटे-बड़े विभिन्न नियम, उपनियम शामिल हों भकते हैं।

1. Bierschtein : The Social Order, p. 409

2. डिस्ट्रिबिशन के लिए ; यही, पृष्ठ 43

3. यही, पृष्ठ 46

(3) सामाजिक प्रतिमान मानव-प्रस्तुत्व के ऐसे अभिन्न ग्रंथ हैं जो एक द्विमीया तक आन्तरिक बन चुके हैं। ये हमारे जीवन का अंश बन गए हैं और स्वचालित रूप से अपने व्यवहार में हम इनका पालन वरते रहते हैं। यदि नहीं बरते तो यह समाज-विरोधी आचरण है। बीरस्टीड ने तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है—‘जहाँ प्रतिमान नहीं हैं, वहाँ समाज भी नहीं है’ (Where there are no norms, there is no society)।<sup>1</sup>

(4) सामाजिक प्रतिमानों का सम्बन्ध सामाजिक उपयोगिता से है, अत ममाज की आवश्यकताओं में परिवर्तन के माध्य प्राय प्रतिमानों में परिवर्तन होने लगते हैं। यदि प्रतिमान इस प्रकार परिवर्तनशील न हो तो ‘उनका’ म्बरूप रुद्धियों और तुरीतियों का हो जाता है।

(5) सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार के नियन्त्रण हैं जिनके बल पर मानव समाज अपने सदस्यों के व्यवहार पर अपेक्षित अनुष्ठान रखता है ताकि वे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते रहे।

(6) तथ्यात्मक परिस्थितियों की आधारशिला पर ही आदर्शों या प्रनियमों का निर्भाय दोना है। यदि यह आदर्श नियम बना दिया जाए कि प्रत्यक्ष पुरुष की तीन पत्नियाँ हो, पर यदि समाज में स्त्रियों की सम्मान पूर्ति के अनुषान से कम हो तो यह आदर्श नियम व्यर्थ होगा। इसी प्रकार, यह आदर्श नियम बना दिया जाए कि क्षय रोग से रक्षा के लिए प्रतिदिन खारे जल से स्नान करना चाहिए, पर यदि खारे जल से स्नान बरने से क्षय रोग से रक्षा नहीं हो पाती, तो इस आदर्श नियम का कोई मूल्य नहीं होगा।<sup>2</sup> तब इनमें परिवर्तन लाने होगे।

(7) सामाजिक प्रतिमानों की प्रकृति ‘सरल’ होती है, अत इनके अनुसार आचरणों या व्यवहार करने के लिए विशेष प्रयत्नों या बुद्धि की आवश्यकता नहीं होनी। हम विना अधिक सोचे-विचारे ही इनके अनुसार व्यवहार कर सकते हैं और प्राय करते हैं।

(8) सामाजिक प्रतिमान काई विशेष व्यवहार करने पर जोर नहीं देते बरन् एक विशेष सांस्कृतिक नियम के अन्तर्गत विभिन्न विकल्प प्रस्तुत भरते हैं। उदाहरणार्थ भारतीय समाज में अतिथि सेवा एक सामाजिक प्रतिमान या आदर्श-नियम है, लेकिन हमें यह स्वतन्त्रता है कि हम अतिथि का सहकार भोजन से करें, चाय या शर्बत से करें। अमेरिकी संस्कृति में आज एक सम्य समाज के व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह दाढ़ी बनाए, पर यह व्यक्ति की निजी इच्छा पर है कि वह सेफटीरेजर से मेव करे या लम्बे उस्तरे से या विद्युत मशीन से। दूसरे शब्दों में, प्रतिमानों की वैकल्पिक नारणियों के लिए व्यक्ति को पूरी स्वतन्त्रता होती है। किसी एक प्रतिमान की तुलना में वौन से प्रतिमान चुने जाएं, इस बात की व्यक्ति को सुविधा रहती है।<sup>3</sup>

1 Buerstedt op cit., p 212

2 किन्तु डीविम वही, पृ० 43

3 वही, पृ० 47.

स्पष्ट है कि सामाजिक प्रतिमान व्यवहार के प्रमाणित तरीके (Standard form of behaviour) हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। खेल का मैदान हो या परिवार हो या व्यापारिय हो या स्कूल हो या कोई सभा या समिति हो—मध्य जगह व्यक्ति को कुछ प्रतिमानों के अनुसार, कुछ आदर्श-नियमों के अनुसार व्यवहार करना होता है। यदि हम उनका उल्लंघन करते हैं तो न बेवल हमको बल्कि दूसरों को भी असुनिधा होती है और इसके लिए हम दण्डित भी हो सकते हैं जो सोग मामाजिक प्रतिमानों के अनुसार व्यवहार करते हैं, वे सामाजिक हित की दृष्टि करने वाले होते हैं और उनका व्यक्तिगत परिष्कृत माना जाता है। जो लोग सामाजिक प्रतिमानों वा उल्लंघन करते हैं, उन्हें समाज का प्रहित करने वाला या समाज-विरोधी माना जाता है, उनका व्यक्तिगत अपरिष्कृत समझा जाता है।

### सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण (Classification of Social Norms)

सामाजिक प्रतिमानों की विस्तृत विवेचना उनके वर्गीकरण के बिना नहीं की जा सकती। दुर्भाग्यवश समाजशास्त्र में अभी तक सामाजिक प्रतिमानों का कोई सुनिश्चित वर्गीकरण नहीं हो सका है और प्रत्येक समाजशास्त्री ने पुछ भिन्न सूची प्रस्तुत की है।<sup>1</sup> वास्तव म सामाजिक प्रतिमानों का व्यवस्थित वर्गीकरण करना बहुत बड़िया भी है, क्योंकि बहुत-सी भिन्नताएँ अनेक प्रतिमानों ये उभयनिष्ठ (दोनों में पाई जाने वाली) होती हैं। एक विशेष प्रतिमान में दूसरे प्रतिमानों की भी कुछ विशेषताएँ प्रायः पाई जाती हैं। पर इस कठिनाई के बावजूद सामाजिक प्रतिमानों वा कुछ आधारों पर वर्गीकरण किया गया है जो इस प्रकार है<sup>2</sup>—

(1) मान्यता के स्तर के आधार पर—कुछ प्रतिमान ऐसे होते हैं जिनका पालन न करते से समाज उस व्यक्ति की शोड़ी बहुत बिन्दा कर देता है जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनका पालन शक्तिपूर्वक कराया जाता है।

(2) महत्व को मात्रा के आधार पर—प्रतिमानों का यह वर्गीकरण समाज में "नियम धर्यात् प्रतिमान से सम्बन्धित महत्व की मात्रा" के आधार पर किया जाता है।

(3) नियम कार्यान्वयित करने के द्वारा के आधार पर—यह वर्गीकरण उम द्वा के आधार पर किया जाना है जिसके द्वारा नियम कार्यान्वयन हुआ (चाहे वह अधिनियम वे द्वारा हो, अथवा अनेक दृष्टि के द्वारा)।

(4) स्वेच्छा की मात्रा के आधार पर, एवं

(5) नियमों को परिवर्तनशीलता की तीव्रता के आधार पर। बीरस्टीड ने नियम है कि<sup>3</sup>—

1 Bierstedt \*op cit., p. 212

2 इसके बेनित, पृष्ठ 47

3 Bierstedt op cit., p. 213

प्रथमत भाष्यकारी प्रतिमान सकारात्मक प्रवृत्ति के (Prescriptive) होते हैं अर्थात् ऐसे प्रतिमान जो कुछ कार्यों को निर्धारित करते हैं या उनकी अपेक्षा करते हैं (Prescribe or require certain actions), एवं निषेधात्मक (Proscriptive) अर्थात् ऐसे प्रतिमान जो कुछ दूसरे कार्यों का निषेध करते हैं । डदाहरणार्थ, हमारे समाज में हम से अपेक्षा की जाती है कि हम वस्त्र पहने और गली में नगे न पूमे । कॉलेज में हमसे परीक्षा पास करने की अपेक्षा की जाती है और परीक्षा में पास करने के लिए लोगों से महायता लेने का निषेध किया जाता है । निषेधात्मक प्रतिमान, जब कि वे वैधानिक निषेध न हो, टेबू (Taboos) माने जाते हैं ।

द्वितीयत कुछ सामाजिक प्रतिमान सम्पूर्ण समाज में व्याप्त रहते हैं (Pervade an entire society) जबकि कुछ प्रतिमान केवल कुछ समूहों में व्याप्त रहते हैं (Prevail only in certain groups) । हम प्रथम श्रेणी के प्रतिमानों को "सामूदायिक प्रतिमान" (Communal Norms) कहते हैं और दूसरी श्रेणी के प्रतिमानों को 'साधात्मक' प्रतिमान (Associational Norms) कहते हैं । किसी नए व्यक्ति से मिलने पर हाथ मिलाने की परम्परा एक 'सामूदायिक प्रतिमान' है जो कि हमारे सम्पूर्ण समाज में, सभी समूहों और वर्गों में व्याप्त है । दूसरी ओर, समारोह पर प्राच्य वेशभूषा (Oriental costume) धारण करना कवल प्राचीन अरबी व्यवस्था के सदस्यों (Members of Ancient Arabic Order) पर लागू होने वाला प्रतिमान है ।

अधिकांश समाजशास्त्रियों का प्रयत्न सामाजिक प्रतिमानों को कुछ मुख्य वर्गों भी विभक्त करने का रहा है, जिनकि वे स्वीकार करते हैं कि विभिन्नता के सभी मापदण्ड उभयनिष्ठ हैं<sup>1</sup> । इस प्रकार हमारे प्रतिमानों का वर्गीकरण लोक-रीतियों (Folk ways), लोकाचारों (Mores), और विधि (Law) में किया गया है । कभी-कभी उन्हें (Fashion), सनक (Fad), परिवाटी (Convention), शिष्टाचार (Etiquette), सम्मान (Honour) आदि भागों में विभाजित किया जाता है । अप्रिम पक्षियों में हम कुछ प्रमुख सामाजिक प्रतिमानों का विस्तार से विवेचन करेंगे ।

### 1 लोक-रीतियाँ

#### (Folkways)

अर्थ—हमारे अधिकांश दैनिक व्यवहार-प्रतिमानों पर लोक-रीतियों का प्रभाव होता है<sup>2</sup> । ये ऐसे सामाजिक प्रतिमान हैं जिनकी पक्षत अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है, कर्तव्य-भावना से अधिक सम्बन्धित होती है और जिनके द्वारा लोगों पर प्रायःस्तिक प्रभाव पड़ता है । माटिघड़ेल तथा भोजाकेसी के शब्दों में "लोक-रीतियाँ" कार्य करने के बाय-अस्त तरीके हैं जो एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों और अपनी स्थायी विशेषताओं से अभियोजना करने के कलस्वरूप निर्मित होते हैं ।<sup>3</sup> मेकाइवर

1. किंवद्देवेवित वही, पृष्ठ 45

2. वही, पृष्ठ 47

3. *Morals and Monachies: Elements of Sociology* p. 120

के अनुसार “लोक रीतियाँ या जन-रीतियाँ समाज में आचरण करने की स्वीकृत अथवा मान्यता प्राप्त पद्धतियाँ हैं।”

बीरस्टीड ने लिखा है कि “संक्षेप में लोक-रीतियाँ वे प्रतिमान हैं जिनका हम पालन करते हैं क्योंकि हमारे समाज में ऐसा करने का दिवाज है। लोक-रीतियों के अनुपालन के लिए न तो कानून द्वारा बल दिया जाता है और न ही समाज के किसी विशिष्ट अभिकरण द्वारा इन्हें लागू किया जाता है। उदाहरणार्थे ऐसा कोई कानून नहीं होता जो हमें जूते पहनने के लिए बाध्य करे, मूवह नाश्ता करने के लिए, रात को विस्तर में सोने के लिए, हमारे पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए, गिलास से पानी पीने के लिए, चाय या काफी कम से पीने के लिए अथवा अयोजी बोलने के लिए बाध्य करे। ये सब बातें समाज में दिवाज बन गई हैं, परम्परा के रूप में चली आ रही है। वे हमारी लोक-रीतियाँ हैं।

महत्व—लोक-रीतियों की समाज में कोई निश्चिन मरणा निर्धारित नहीं की जा सकती, तथा पि इसमें सन्देह नहीं कि सभी समाजों में ये सार्वभौमिक रूप में पाई जाती हैं और कोई भी समाज इनके बिना रह नहीं सकता।<sup>३</sup> इस प्रकार ये लोक-रीतियाँ हमारे सामाजिक ढाँचे के एक महत्वपूर्ण भाग वा निर्माण करती हैं और सामाजिक मन्दन्धों में व्यवस्था तथा स्थायित्व लाती हैं।<sup>४</sup> लोक-रीतियाँ हमें सामाजिक सम्झूलिक बातावरण में रहने की कला सिखाती हैं। ये जीवन की सम्भावनाओं से हमारे भूतिपूर्ण बोधतन्त्र करके हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं। वे लोक-रीतियाँ जो बार-बार व्यवहार में लाई जाती हैं, हमारे कार्य दरने और विचार करने की आदत बन जाती है।<sup>५</sup>

साधारणतया कुछ लोक-रीतियों का उल्लंघन करना सम्भव है लेकिन समाज की सभी लोक-रीतियों का उल्लंघन करना सम्भव नहीं है। यदि ऐसा किया गया तो अक्ति को समाज-विरोधी समझा जाएगा, वह अपने को सामाजिक सम्पर्क से वृश्चक पाएगा, और समाज में उसका जीवन अत्यधिक कठिन हो जाएगा। “यदि सानव-जीवन के आधारभूत तथ्य कही दियाई वहसे हैं तो समाज की लोक-रीतियों में, क्योंकि यह इन लोक लोक-रीतियों से अपना-जीवन आरम्भ बरके उन्हीं तक सीमित रहते हैं।”<sup>६</sup>

विभिन्न प्रकार—लोक-रीतियों के विभिन्न रूप हो सकते हैं जिन्हें किसने देविस ने निम्नानुसार प्रकट किया है—

(1) कुछ तकनीकी लोक-रीतियाँ होती हैं, जैसे कार चलाने में स्ट्रीयरिंग, हेडसिंग, बलच वा प्रयोग अथवा टायर को बदलना।

1. Bierstedt : op cit., p 214.

2. वही, पृष्ठ 214

3. वही, पृष्ठ 214.

4. किसके देविस वही, पृष्ठ 48

5. वही, पृष्ठ 48

(2) कुछ लोक-रीतियाँ विधि दन जाती हैं।

(3) सबसे विवादास्पद श्रेणी की लोक-रीतियाँ वे हैं जो प्रतीकों का प्रयोग करती हैं, उदाहरणार्थ भाया मे किसी शब्द की व्यवतितता उसके अर्थ मे कोई आन्तरिक मम्बन्ध नहीं होता। इस प्रकार वो लोक-रीतियों मे निश्चित मम्बन्ध पूर्णतया विवादास्पद है।

(4) लोक-रीतियों वो स्वीकार करना स्वयं भी एक लोक-रीति है।

**प्रकृति**—कुछ लोक-रीतियाँ अधिक आवश्यक होती हैं तो कुछ अपेक्षाकृत वर्ग। एक समाज मे जो लोक-रीतियाँ आवश्यक हैं, वे कभी-कभी हूमरे समाजों मे महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती। उदाहरणार्थ भारत मे बड़ों के पैर छाना या भूक कर उन्हें नमस्कार करना एक महत्वपूर्ण लोक-रीति है जबकि पाश्चात्य देशो मे इनका कोई महत्व नहीं है और इसे “पिछड़ेवन का प्रतीक” भी मान लिया जाता है।

लोक-रीतियों की प्रकृति मुख्यतया दो तरह होती है। यदि कोई व्यक्ति समाज के किसी आदर्श-नियम या प्रतिमान का जान-बूझ कर बाट-बाट उल्लंघन करता है तो समाज के प्रतिशोध की भावना उसी अनुपात मे बराबर बढ़ती जाती है। यदि कोई व्यक्ति समाज की बहुत-सी लोक-रीतियों अथवा नियमों का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक उल्लंघन का दण्ड उस अवस्था मे अधिक होगा, यदि वह केवल एक लोकरीति का उल्लंघन करता।<sup>1</sup>

लोक-रीतियों से सम्बन्धित स्वीकृति अथवा दण्ड की व्यवस्था केवल एक विशेष समूह तक ही सीमित रहती है। यदि उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उस समाज का पूर्ण सदस्य नहीं है तो समाज के अनोपचारिक प्रतिशोध वा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।<sup>2</sup> गाँवों और शहरों मे भी लोक-रीति की स्वीकृति मे अन्तर मिलेगा। यदि नगर का एक व्यक्ति गाँव मे भड़कदार वस्थ पहिने प्रीत सोने, खेलने या भोजन करने के समय अतग-अलग वस्थ पहिने तो गाँव के लोग उसकी आलोचना करेंगे जब कि नगर मे ऐसा करना लोक-रीति है। यदि नगर का वह व्यक्ति ग्रामीणों के विचारों का कोई मूल्य नहीं समझता तो आलोचनाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण लोक-रीति विवादास्पद है वह अपने सामाजिक प्रतिमानों को हृष्टि मे रखते हुए वह नगर मे ही है।

## 2 लोकाचार अथवा रुद्धियाँ (Mores)

**अर्थ एवं प्रकृति**—लोक-रीतियाँ और लोकाचार मे वस्तुतः कोई मौलिक भेद नहीं है यरन् केवल इनकी निष्पन्न शक्ति का अन्तर है। लोकरीतियों वो यदि हम व्यवहार वा केवल एक “आदर्श” ही न मानकर उन्हें व्यवहारी को निश्चित करने वाली प्रभावपूर्ण इकाई मानतें तो यह प्रभावपूर्ण लोक-रीतियाँ ही लोकाचार कही

1. वही, पैज 49.

2. वही, पैज 49.

जार्देंगी। किंग्सले डेविस ने लिखा है कि, “जहाँ प्रत्येक लोकरीति बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, तथा उनके साथ शक्तिशाली सामूहिक स्वीकृति नहीं होती, वही प्रत्येक लोकाचार को समाज के कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता है और फलस्वरूप उन्हें प्रधिक दृढ़तापूर्वक स्वीकृति प्रदान की जाती है।”<sup>1</sup> इस परिभाषा से स्पष्ट है कि लोकाचार सामूहिक कल्याण के लिए प्रधिक आवश्यक है, और उनकी निष्ठत्वण शक्ति लोक-रीतियों की तुलना में अधिक होती है। विश्वात् समाजशास्त्री सम्मनर (Sumner) ने लिखा है कि ‘लोकाचार वे ध्वनियाँ (Practices) हैं जिनसे सामाजिक कल्याण (Social welfare) की ग्रपना की जाती है। दूसरी ओर लोक-रीतियाँ कल्याण के माध्यम द्वारा सम्बद्ध नहीं होती।’

लोक-रीतियों और लोकाचार में स्पष्टीकरण में कुछ उदाहरणों द्वारा भली प्रकार कर सकते हैं। एक विशेष रूप से कपड़े पहिनना लोकरीति है, लेकिन कपड़े निश्चिन्त रूप से पहिनना लोकाचार है। यदि हम विशेष रूप से कपड़े नहीं पहिनते तो इसमें लोक-कल्याण को कोई हानि नहीं पहुँचनी, लेकिन यदि हम वस्त्रहीन रहें तो निश्चिन्त ही सामाजिक कल्याण को इससे आघात पहुँचेगा और नगे व्यक्ति को अविष्ट मानकर समाज उसे निरस्त करेगा। इसी प्रकार सभ्य समाज में अपने से बड़े अधिक गुणजनों या सम्मानित व्यक्तियों को अभिवादन करना लोकाचार है, लेकिन अभिवादन करने का इस लोकरीति है। टिकट खरीदने के लिए लोगों की पक्षि को उत्तर्धि कर आये घुसना भी सभ्य समाज में लोकाचार का उल्लंघन है। यदि कोई स्त्री अपने बच्चों के प्रति निर्देशी है तो यह भी सभ्य समाज में लोकाचार का उल्लंघन माना जाता है।<sup>2</sup>

लोकाचारों के रूप और इनके पीछे मान्यता—लोकाचार आदर्श नियमों अथवा सामाजिक प्रतिमानों की व्यवस्था के कठोरतम रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंग्सले डेविस ने लिखा है कि “लोक-रीतियाँ कोठ के जीवन-रस अथवा भारी भ्रग (Bulky parts) के समान हैं जब कि लोकाचार नाभिसूल (Nucleus) के समान आवश्यक अन है।”

लोकाचारों में अधिकांशत हिंदूवादिना की प्रवृत्ति पाई जानी है। प्रत्येक गृह के सदस्य अपने लोकाचारों को सबसे अच्छा मानते हैं और यह विश्वास करते हैं कि समूह के महान् और मेधावी व्यक्तियों के अनुभव द्वारा उनके लोकाचारों का निर्माण हुआ है। नैतिक दृष्टिकोण से लोकाचारों को उचित माना जाता है तथा उनका उल्लंघन अनेकिक समझा जाता है। समाज में उचित-अनुचित का सर्वथेष्ठ मापदण्ड लोकाचार ही माने जाने हैं, और इसलिए यह किवदन्ती प्रचलित हो रही है कि “लोकाचार किसी भी वस्तु को उचित अथवा अनुचित बना सकते हैं।” विभिन्न प्रकार वे विश्वास लोकाचारों को पौराणिक गाथा के रूप में ताकिंग बनाने का प्रयत्न करते हैं। विश्व अनुष्ठान उन्हें प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं, और विभिन्न

1. किंग्सले डेविस : वही, पृष्ठ 49.

2. Biersmedt op cit., Page 215

प्रकार की विधाएँ इन लोकाचारों को व्यवहार के सही तरीके के रूप में स्वीकार करती हैं। पितृश्रामाग्रो के भय उथा उनके प्रति धड़ा के कारण भी लोकाचारों की प्रवृत्तिनामा का प्रथल्प प्राप्त नहीं करते। इस प्रकार रुद्धिवादिता को बताए रखने में लोकाचारों का सबसे बड़ा हाथ होता है। इसी कारण किसी भी समाज में रुद्धिवादी व्यवहारों में तब तक परिवर्तन जाना कठिन होता है जब तक कि समाज के रुद्धिवादी लोकाचारों के विहङ्ग जनसत जाग्रत न कर दिया जाए।

लोकाचारों में रुद्धिवादिता की प्रवृत्ति से आशय यह नहीं है कि उनमें प्रावृत्ति परिवर्तन होते नहीं हैं। अल्पकाल में लोकाचार चाहे हमें स्थिर प्रतीत हो, सेकिन शताविंशी की दीर्घीवधि में लोकाचारों के परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। भारत में स्थियों के सम्बन्ध में पर्वों रखने तथा उन्हें बाह्य स्वतन्त्रता देने पर अकृत रखने के लोकाचार में भ्राता कितना परिवर्तन आ गया है, कहने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी समाज में लोकाचारों में परिवर्तन की गति तब बहुत तेज हो जाती है जब नियोजन-मार्ग द्वारा वह समाज अपनी पुरानतन सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील होता है।

लोकाचारों वे हप्तों को निश्चित रूप से गिनाया नहीं जा सकता, तथापि मोटे रूप में लोकाचार सकारात्मक भी होते हैं और नियोधात्मक भी। ऐसी को बीन सम्बन्धों में पति के प्रति विश्वसनीय होना चाहिए, यह एक सकारात्मक लोकाचार है जब कि स्त्री को पर-पुत्र के साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए, यह तकारात्मक लोकाचार है। टैबू अथवा नियोग (Taboos) वे लोकाचार हैं जो तकारात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। कुछ लोकाचार विशिष्ट परिस्थिति में दो व्यक्तियों के बीच के सम्बन्ध की ओर सुनेत करते हैं, जैसे पति-गृही का सम्बन्ध, चिकित्सक और रोगी का सम्बन्ध, घम गुरु तथा अपना पाप स्वीकार करने वाले व्यक्ति का सम्बन्ध आदि। कुछ लोकाचार सामान्य प्रकृति के होते हैं जो अनेक प्रकार के सम्बन्धों तथा परिस्थितियों से भवन्धित हैं, जैसे ईमानदार होने का उपदेश, माहसी अथवा व्यवसायी होने का उपदेश आदि।

वास्तव में हम जीवन पर्यंत विविध लोकाचारों के अनुकूल चलने की चेष्टा करते हैं। जो व्यक्ति समान लोकाचारों में विश्वास करते हैं, उनमें स्पष्ट सहयोग होता है, व्योकि उनके मनोभाव भी समान होते हैं। उनसे भिन्न लोकाचारों को मानने वाले लोगों के प्रति प्राप्त अवरोध और विरोध की भावना पाई जाती है। जहाँ विदेशी लोक-रीतियाँ हमारी जानिं को भग करती हैं वही विदेशी लोकाचार भी हमें क्षुद्र कर देते हैं, व्योकि वे हमारे मनोभावों पर आघात करते हैं।

सामाजिक जीवन में लोकाचारों का महत्व—उपरोक्त विवरण से लोकाचारों वा महत्व और उनकी उपयोगिता स्वतं स्पष्ट है। लोकाचारों की इतना महत्वपूर्ण मानने के दो मुख्य कारणों की ओर किसले देविस ने सकेत किया है—

1. लोकाचारों से सम्बन्धित व्यवहार समाज के कल्याण के लिए अपेक्षाकृत आधिक आवश्यक माने जाते हैं, एवं

2 लोकाचारों द्वारा आवश्यकताओं को पूरण बनने में आने वाली बाधाओं (चाहे वह जीव रक्षना में हो अथवा व्यक्तिरक्षा में) को दूर किया जा सकता है।

लोकाचारों के महत्व के अन्य विनियुक्ति को हम चिमानुपार प्रकट बर सकते हैं—

3 लोकाचार व्यक्तिगत व्यवहारों के विविध और सामाजिक एकता के सरदार होते हैं। ये समूह के गद्दियों को एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने के लिए चार्य करते हैं और सामाजिक कल्याण को खातिर कभी कभी कुछ व्यक्तिगत व्यवहारों पर नियन्त्रण भी लगाते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायत होते हैं। विभिन्न समूहों में, परिवार में, स्त्री-पुरुषों में, व्यक्ति के आदर्श-नियमों या सामाजिक प्रतिमानों को स्पष्ट करने में लोकाचारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्तियों को व्यर्थ के सधीयों और तनावों से छुटकारा दिलाकर सामाजिक एकता की स्थापना करने में इनका बड़ा हाथ है।

4 लोकाचार हम हिंदू से भी महत्वपूर्ण है कि ये व्यक्तियों को समूह के अनुत्तम बनाने के साथ है। व्यक्ति लोकाचारों की सहायता में अन्य सदस्यों के समान स्वयं को बनाने में अथवा उनके अनुकूल स्वर्यं को ढालने में सरलता का अनुभव करते हैं।

वास्तव में जो व्यक्ति लोकाचारों का पालन करते हैं, वे समाज में प्रशंसा और सम्मान के पात्र होते हैं लेकिन जो व्यक्ति उनका उल्लंघन करते हैं, उन्हें समाज 'विद्रोही' मानकर अच्छी निःशाह से नहीं देखता। जनता के मत में लोकाचारों से उच्च कोई भी न्यायालय नहीं है। यामान्य श्रेणी के समाजों में तो लोकाचारों के अतिरिक्त अन्य आदर्श-नियमों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लोकाचारों की प्रामाणिकता विश्वास करने वाले व्यक्तियों को "सामाजिक" माना जाता है जबकि इनमें घन्टेह करने वालों पर "सनकी" या "सिरफिरा" वहा जाता है। लोकाचारों को न्यायोचित सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वे ग्राने ही अधिकार में जीवित रहते हैं।<sup>1</sup>

### 3 प्रथाएँ (Customs)

प्रथा—प्रत्येक भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रतिमानों अथवा आदर्श-नियमों की बड़ी अनिश्चित व्यक्ति का प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणार्थ अंग्रेजी भाषा में प्रथा (Customs), परिवारी (Convention), नैतिकता (Morality), शिष्टाचार (Etiquette), लोकव्यवहार (Usage), फैशन (Fashion), सतक (Fad) आदि शब्दों के अर्थ एक-दूसरे के लक्षण समान हैं, लेकिन इनका अवश्य स्पष्ट करते हैं कि ममाज में अनेक प्रकार की लोकरीतियाँ तथा सोकाचार हैं।<sup>2</sup>

1. विष्णु वेदविषय वही, पृष्ठ 50

2. वही, पृष्ठ 60.

(3) प्रथा का पालन प्राय इसलिए होता है कि उस हम समाज का परम्परागत आदर्श नियम मानते हैं। उसे समाज की विरासत समझ कर हम सम्मान देते हैं।

(4) प्रथा प्रत्यक बाल में उपयोगी सिद्ध हो ऐसा नहीं है। यद्यपि प्रथा म स्थायित्व का अङ भारी मात्रा में रहता है लेकिन वह परिवर्तनशील है। जब कभी किसी प्रथा विषेष को समाज के सदस्य अनुपयोगी समझने लगते हैं तो वे उसका परित्याग कर देते हैं अथवा उसे एक नया हथ दे देते हैं।

(5) सदियों तक प्रथा बनी रहने पर सत्या का रूप धारण कर लेती है।

(6) प्रथा शक्तिशाली होती है और एक देश की स्वत्तुति के निर्माण म दड़ा सहयोग देती है।

प्रथाओं की माध्यम के पीछे आधार—प्राम हीर पर लोग प्रथाओं को बिना सोचे-विचार स्वीकार कर लेते हैं और सामाजिक प्रथाओं को हटाने या परिवर्तन करने में गड़ी कठिनाई होती है। प्रत्यन यह उठाना है कि प्रथाओं के पीछे इतनी मात्रना के आधार क्या है? समाजशास्त्रियों ने इस सम्बन्ध म मुख्यतः तीन आधार बनाए हैं—

(1) मनोवैज्ञानिक रूप म लोग प्रथाओं की पवित्र और अनुपालन करने योग्य मानते हैं। आम तौर पर लोगों में वह विश्वास पाया जाता है कि प्रथाओं का आरम्भ तूबजो ने किया है। ये इन लम्बे समय से चली आ रही हैं और उनको तोड़ना नैतिक हृष्टि से उचित नहीं होगा। नैतिकता वी भावना इतनी शक्तिशाली होती है कि लोग प्रथाओं की अवहेलना म अपने पूर्वजों के अपमान की कल्पना कर भेते हैं।

(2) दूसरा काय यह है कि आम तौर पर लोग उन कार्यों को करते रहना मुक्तिश और निरापद समझते हैं जो लम्बे समय से चलते आ रहे हैं। पहल करने की प्रवृत्ति का उनमें अभाव पाया जाता है। इस बात में यद्य लगता है कि जो प्रथाएँ लम्बे समय से चली आ रही हैं, उनको अवहेलना करके व्यवहार करने के नए दृग अपनाएँ गए तो सम्भवन वे हानिकारक मिह देंगे। यह प्रवृत्ति व्यवहार के नए नरीकों को ऊपर धाने से रोकती है और प्रथाएँ हांगारे जीवन को ज़कड़ती चली जानी है।

(3) तीसरा मुख्य कारण समाज की आत्मोचना का भय होता है। समाज में ऐसे लृष्टिकारी वय की सदैव प्रधानता होती है जो लम्बे समय से चली आ रही प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले का अपनी कटु आत्मोचना का शिकार बनाता है। अधिकांश लोगों में इतना ताहस नहीं होता कि वे समाज की आत्मोचना महकर भा प्रथाओं में परिवर्तन लाने या उन्हे तोड़न के लिए भागे बढ़ें। समाज के दुर्जुर्ग लोग छोटों को प्रथाओं के अनुपालन की शिक्षा देते हैं। समाज का आत्मोचक वर्ग, जो अपनी इन्द्रिय से लृष्टिकारी और सनातनी होता है, प्रथाओं के न्यायित्व को अधिकाधिक बल पहुंचाता है।

प्रथाओं का पालन कहीं तक किया जाए?—नि सन्देह प्रथाओं का पालन उनकी उपयोगिता के कारण होता है, लेकिन यदि प्रथाएँ समाज के लिए अनुपयोगी सिद्ध होने लगें तो उनमें परिवर्तन लाने से इनकार करना या हिचिंचाना सामाजिक हित की हृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। प्रथाओं का पालन नैतिक हृष्टि से उचित है, पर ज्ञान के विकास के लिए उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन होना ही चाहिए। यदि हम सभी कार्य बैबल प्रथाओं के द्वारा ही करते रहें तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि हम रुढ़िवादी बने रहेंगे और अपनी प्रगति के दरवाजे बन्द करते रहेंगे। यदि प्रथाएँ समाज की उच्चति में बाधक बनें तो आवश्यक है कि उनको परिवर्तित कर दिया जाए। पर यह परिवर्तन आवश्यकतानुसार ही होना चाहिए, न कि इतना अधिक या इतना आमूल ब्रूल कि समृद्धि सामाजिक ढाँचा ही बदल जाए। उपयोगी प्रथाओं को बनाए रखते हुए अनुपयोगी प्रथाओं में परिवर्तन कर देने की नीति ही धेयस्कर है और यथासुभव यह परिवर्तन शर्ने-शर्ने हो तो अधिक अच्छा है। इससे सामाजिक जीवन में प्रस्त-व्यस्तता नहीं आ पाएगी।

प्रथा और लोकरीति में अन्तर—कुछ समाजशास्त्री प्रथा और लोकरीति में कोई भेद नहीं करते, लेकिन बास्तव में ये दो भिन्न धारणाएँ हैं। यह मही है कि प्रथाएँ लोकरीतियों के निकट हैं, लेकिन उन्हें लोकरीतियों का पर्याय नहीं माना जा सकता। दोनों में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं—

1. मूह की किसी आदत विशेष को लोकरीति की सज्जा दी जाती है जबकि प्रथा का सम्बन्ध आदत में नहीं होता। जब समाज किसी विशेष व्यवहार को आवश्यक मानते हुए उसके अनुकूल आचरण करता है तो यही व्यवहार प्रथा बन जाती है।

2. प्रथाओं की तुलना में लोकरीतियाँ कम होती हैं। प्रथाओं की अवैलना करने पर सामाजिक नियमकार जितना प्रबल ही सकता है, उनना लोकरीतियों की अवैलना करने पर प्रायः नहीं होता।

3. प्रथाओं का ग्राधार लम्बा ग्रथवा दीर्घ अनुभव होता है तथा उनकी उपयोगिता को हम तर्क के ग्राधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरी ओर लोकरीतियों का सम्बन्ध कल्याण से बहुत ही कम किन्तु शिष्टता से अधिक होता है।

4. किसी एक प्रथा को हम अनेक लोकरीतियों द्वारा कियान्वित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, जन्मोत्सव मनाना एक प्रथा है, पर जन्मोत्सव मनाने की लोकरीतियाँ अनेक हो सकती हैं।

#### 4 परम्परा (Tradition)

प्रथा एवं प्रकृति—परम्परा का सम्बन्ध भी साधारणतया समाज के कुछ ऐसे तत्त्वों में होता है जो पीढ़ी-दर्पीढ़ी हस्तान्तरित होते रहते हैं। परम्परा का क्षेत्र प्रथाओं ग्रथवा लोकरीतियों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत होता है, यद्योऽकि परम्परा का निर्वाह अनेक प्रथाओं और लोकरीतियों के माध्यम से सम्भव है। परम्परा का क्षेत्र इस हृष्टि से भी व्यापकतर है कि जहाँ लोकरीतियों और प्रथाओं का सम्बन्ध

समाज द्वारा स्वीकृत विचारों और कार्य करने के डणी से है, वहाँ परम्पराओं के प्रत्यागत पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आने वाले विश्वासों को भी सम्मिलित किया जाता है।

परम्परा को परिभाषित करते हुए गिन्सबर्ग ने लिखा है कि “इसका (परम्परा का) अर्थ उन सम्पूर्ण विचारों, आदतों और प्रथाओं के योग से है जो एक समूह की विशेषता है और जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होती रहती है।”<sup>1</sup> रॉट ने प्रति सक्षिप्त किस्तु सारणीति परिभाषा देते हुए लिखा है कि ‘परम्परा का पर्याय है चिन्तन तथा विश्वास करने की विधि का हस्तान्तरण।’<sup>2</sup> ड्रेवर के अनुसार “परम्परा को हम कानून, प्रथा, वहाँनी और पीराणिक कथाओं का वह संग्रह कह सकते हैं जो मौखिक रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित किया जाता है।”

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि (i) परम्पराओं की प्रकृति मौखिक होती है। लिखित हो जाने पर ये कानून बन सकती है। दूसरे शब्दों में सामाजिक विरासत का प्रतिलिपित रूप ही परम्परा कहा जाएगा। (ii) परम्परा एक भावात्मक विशेषता को इधिन करती है। जिस तत्व को हम वीडियो से प्रहरण करते आए हैं, उसे प्रथा अथवा लोकरीति त कहकर परम्परा ही कहा जाएगा। उदाहरण के लिए माता-पिता, नानी और द्वारा छोटे बच्चों को कहानी सुनाना एक परम्परा बन चुकी है क्योंकि यह बात वीडियो से चलती आ रही है। इसी प्रकार गुरुजी अथवा माता-पिता या साधुओं के प्रति सम्मान एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो महस्त्रों वर्षों में हमारे समाज में पीढ़ी दर-पीढ़ी चलता आ रहा है। इसे हम परम्परा ही मानेंगे।

महस्त्र एवं प्रभाव—समाजशास्त्रीय टॉपिकों से परम्पराएं काफी प्रभावपूर्ण एवं जल्दियां होती हैं। इनसे सामाजिक समठन, सामाजिक एकता और भावात्मक एकीकरण की प्राप्ति की दिशा में बड़ा सहयोग मिलता है। परम्पराओं के साध्यम से महस्त्रों वर्षों का ज्ञान स्थायी रूप से बना रहता है। सामाजिक विरासत के रूप में हम उस ज्ञान को पीढ़ी दर-पीढ़ी हासिल करते रहते हैं।

स्वस्थ परम्पराएं समाज में सदस्यों की शक्तियों और क्षमताओं के अपव्यय को रोकती हैं। यदि स्वस्थ परम्पराएं न हो तो समाज को विभिन्न क्षेत्रों में अत्यावश्यक रूप से नए-नए परीक्षण करने पड़ेंगे, और इस प्रकार शक्तियों तथा क्षमताओं का अनावश्यक घटय होगा। दूसरी ओर जब स्वस्थ परम्पराएं विद्यमान होंगी तो कोई भी कार्य करते समय अतीत के अनुभवों के आधार पर हम आश्वस्त रहेंगे, फलस्वरूप विभिन्न नए परीक्षणों की भूमिका से हम बच जाएंगे और हमारी जक्कि वा उपयोग ग्रन्थ क्षेत्रों में हो सकेगा।

परम्पराएं इन टॉपिक से भी महत्वपूर्ण हैं कि वे हमारे हृदय में आत्मविश्वास और दृढ़ता का सचार करती हैं। इनसे व्यक्तियों के व्यवहारों में एक रूपना आती है। जो समाज स्वस्थ परम्पराओं से भरा-पूरा है, वह दूसरे समाजों के लिए उदाहरण

1 Ginsberg : The Psychology of Society, p. 104.

2 Ross : Social Psychology, p. 168.

ये न सहता है। परम्पराओं के रूप में ज्ञान का जो सचित भण्डार हमें प्राप्त होता है, वह मानदंता की अमूल्य धरोहर है।

### 5 परिषाटी एवं शिष्टाचार (Convention and Etiquette)

**परिषाटी-** किसी देविल ने लिखा है कि परिषाटी और शिष्टाचार विशिष्ट प्रकार की लोकरीनियाँ हैं। इनका दोई गृह अर्थ नहीं होता, केवल सामाजिक मम्बन्धों में सरलता उत्तम करना ही इनका प्रमुख महत्व है।<sup>1</sup>

परिषाटी व्यवहार के अनेकाहुए एक निपित्त रद्दरूप को स्पष्ट करती है जिमरा किसी विशेष परिमिति में सामाजिक मम्बन्धों द्वारा अनुसूरण अवश्य होना चाहिए।<sup>2</sup> यडक के दाँड़ और बोटर चलाने का नियम एक परिषाटी है। इस नियम के बीचे दवित्रता का कोई भाव या कोई रहभ्यवादी मिहाल निहित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ने केवल इस नियम को स्वीकार कर लिया है और वह इस बात से भी परिवित है कि इस नियम का पालन न करन पर महार पर चलना खतरनाक हो जाएगा। इसी प्रकार, यह भी एक परिषाटी ही है कि हम प्राय विषी आदमी के मुँह पर ऐसी बातें नहीं कहते जो स्पष्ट रूप से उम्मेद मिठो को बढ़ा सकते हैं। कभी-बभी हमी में हम कोई अत्य बात इसलिए कह देते हैं कि इसका प्रस्तुत यान लिया जाए, अथवा बद्ना जैसी बात पैदा न हो। परिषाटियों के युक्त उदाहरण ही स्पष्ट संकेत बनते हैं कि यदि इनका पालन न किया जाए तो हमारे सामाजिक मम्बन्ध अपेक्षीय तथा असहनीय बन जाएंगे।

**शिष्टाचार—**इसका प्रभिप्राय जिसी काय को करने का वह उचित ढग है। किमले देविल ने शिष्टाचार की व्याख्या करते हुए लिखा है कि—“इसका अर्थ यह है कि हम जिसी कायं का कई दृगों में कर सकते हैं तिए मृतन्त्र होते हैं, विन्तु उनमें से एक अच्छा टग चुन लेते हैं। इस बारण वाह्य साधनों में शिष्टाचार एक प्रतीक के रूपान है, जिसे व्यक्ति के बगं का पद जाना जा सकता है। सामाजिक कार्यक्रमता और सरलता के हिटिकोण से इसका अधिक महत्व नहीं है, जैसे कि आप अपना कौटा और चाकू किस हाथ में पकड़ने हैं, किसी मित्र का परिचय दूसरे से किम प्रकार बांधते हैं, प्रथमा शाम के भीजत के ममय कोत से वस्त्र पहनत हैं। किन्तु, शिष्टाचार के हिटिकोण से यही तरीके एक बड़ी भिन्नता उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक विषयों में से उचित अथवा अनुचित ढग को चुनना व्यक्ति का सामाजिक स्तरीयकरण में स्थान स्पष्ट करता है। इस प्रकार शिष्टाचार एक साधन है जिससे समाज के विभिन्न स्तर के व्यक्तियों की पहचान हो जाती है।”<sup>3</sup>

समाजप्राप्तीय भाषा में, प्रतिमानों की एक पद्धति ने रूप में शिष्टाचार के तीन मूल दृद्देश्यों को रॉबर्ट बौरस्टीड ने अग्रानुमार स्पष्ट किया है—

1. किमले देविल वही, पृष्ठ 62.

2. वही, पृष्ठ 62.

3. वही, पृष्ठ 63.

4. Bierstedt, Op. cit., p. 239.

1 अन्य प्रतिमानों की नश्ह, यह विशिष्ट अवमरो पर पालन की जाने वाली मात्रक प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।

2 यह "उन महावपुणे सामाजिक भेदों को सूचित करता है जिन्हे कुछ विशेष कारणों से समाज के कुछ मान सदृश बनाए रखता चाहते हैं।"

3 जहाँ पर घनिष्ठता या परिवर्तना आवश्यक न हो, वहाँ सामाजिक भेद बनाए रखने का काम शिष्टाचार ही करता है।

#### 6. फैशन तथा सनक (Fashion and Fad)

फैशन का अर्थ एवं प्रकृति—फैशन से सावारणत प्रत्यक्ष व्यक्ति परिचित है। समाजशास्त्रीय हिटिकोण से हम कह सकते हैं कि मनुष्य में नवीनता और विभिन्नता के तिए परिवर्तन की एक चाहूँ होती है। यह प्राचीन मादरों का पालन करते हुए भी नवीनता और परिवर्तन का प्रेमी होता है। इस विरोधाभास की प्राचिन तुल्य इस प्रकार के ग्रादर्श नियमों के माध्यम से करता है जो व्यापि बहुत घोड़े शमश तक चलने वाले होते हैं, लेकिन उन्ने समय तक वह उनके प्रति निष्ठाबान रहता है। ये ही मादर नियम फैशन, मनक या रुचि अथवा नवीनता के प्रति लगाव (Craze) कहे जाते हैं।<sup>1</sup> बीरस्टीड ने लिखा है—"अनुरूप और भिन्न बनने की विरोधी प्रवृत्तियों में समझौता करने के लिए फैशन ही एक बहुत उपयुक्त कला है। फैशन की विभावा एक प्रतिमान के चारों ओर परिवर्तन की एक स्वेकृत परिवर्ति (A permitted range of variation around a Norm) के स्पष्ट मानी जा सकती है।"<sup>2</sup>

फैशन विभिन्न सेवों में दिखाई देता है, लेकिन शायद, यह वस्त्रों के द्वायरे में अवांधिक लोक प्रसिद्ध है। वस्त्रों में होने वाले नित्य नए परिवर्तन फैशन ही है। कुछ वर्षों पहले चिस तरह के बन्न बड़े प्रचलित समझे जाते थे, आज वे हास्यास्पद समझे जाते हैं। जो छण आज बड़ा युन्दर लगता है, कुछ वर्षों बाद ही वह हास्यास्पद होकर ममाप्त हो सकता है। कुछ पुरानी फोटो देखकर आज हम हँसते हैं और ही सकता है कि आज जो फोटो फैशन में है वे अबले कुछ वर्षों बाद हास्यास्पद बग जाएँ। इस प्रकार, फैशन का तात्पर्य वेवत वस्त्रों में या अन्य इमों में होने वाले परिवर्तनों से ही नहीं है, बल्कि समाजशास्त्रीय अर्थों में इनका शायद उन मान्य परिवर्तनों से है जो प्रथा के ही प्रत्ययें होते हैं पर मूलभूत अवस्था को कोई हानि नहीं पहुँचाते। फैशन का काम विविधता को अनुभवि किना और उसे नियमित करना, और जो भी तथा शृंतप्राप एकल्पना है उमं दूर करना हीता है।<sup>3</sup> जनभत, विश्वास, बन्न, शृंगार, साहित्य, कला एवं संगीत, मनोरजन आदि फैशन के प्रमुख क्षेत्र हैं, इन तभी क्षेत्रों में फैशन प्रथाओं के अनुमार ही हमारे अवहारों की नियन्त्रित और ध्यास्थित करता है।

1 फिल्मे एविम बड़ी, पृष्ठ 63.

2 Bierstadt : op. cit., p. 235

3 Ibid., P. 235

तत्त्व या विशेषताएँ—उपरोक्त विवरण ये फैशन की कुछ विशेषताएँ अथवा इसके कुछ तत्त्व स्पष्ट हैं—

(1) फैशन विभिन्न क्षेत्रों में दे मान्य परिवर्तन हैं जो प्रधानों के अन्तर्गत ही हमारे व्यवहारों को नियन्त्रित और व्यवस्थित करते हैं।

(2) फैशन व्यक्ति की समाज के अनुरूप बने रहने की इच्छा की पूर्ति करते हैं। कोई भी नवीन व्यवहार या छग आरम्भ होने पर साधारणतया व्यक्ति उसी के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयत्न करता है।

(3) फैशन का मौलिक तत्त्व समय है। इसीलिए हम नहीं कह सकते कि भविष्य में कैसे परिवर्तन होंगे और जो वर्तमान समय के फैशन होने वड़ अच्छे तथा अपने आप में पूर्ण लगते हैं, वे भविष्य में क्या रूप लेंगे।

(4) फैशन इतनी शोध्रता से बदलते हैं कि हर नए फैशन को समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त नहीं अपना पाता। कुछ लोग किसी फैशन को अपनाना आरम्भ करते हैं जबकि कुछ लोग इन्हे अपनाकर घोड़ना आरम्भ कर देते हैं।

(5) फैशन हमारे सामाजिक जीवन के बाह्य पक्ष से ही अधिक सम्बद्ध है।

फैशन और प्रथा में अन्तर—यद्यपि फैशन प्रधानों के अनुसार ही हमारे व्यवहारों को नियन्त्रित और व्यवस्थित करते हैं, लेकिन फैशन और प्रथा में महसूस पूर्ण अन्तर है। किसने डेविस के शब्दों में, “फैशन का सम्बन्ध उन वस्तुओं से होता है जो तुम्हारा के कारण बदलती रहती है, जबकि प्रथाओं का सम्बन्ध उन वस्तुओं से होता है जो बहुत महसूस पूर्ण होने के कारण परिवर्तित नहीं हो सकती। फैशन के बल परिवर्तन से ही सम्बन्धित है, किसी विशेष परिवर्तन का उससे कोई तात्पर्य नहीं है।” विद्यार्थी फैशन समाजशास्त्री डेविसल टार्ड ने प्रथा और फैशन में एक मनोरजक भेद किया है। उन्हीं के शब्दों में, ‘प्रथा से अनुरूपता लाने में हम अपने पुरुषों का अनुकरण करते हैं और फैशन से अनुरूपता लाने में अपने साथियों का।’

फैशन का प्रचार वर्तमान सम्भव समाज में आदिम अथवा कृपक ममुदायों की अपेक्षा अधिक होता है। फैशन नवीनता को प्रोत्तमाहन देकर व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। फैशन में परिवर्तन मान्य प्रधानों के अन्तर्गत ही होने चाहिए अन्यथा समाज विशेष के मूल्यों को आवात पहुँच सकता है। उदाहरणार्थ, भारतीय समाज में साढ़ी पहनने की प्रथा है तो किसी भी प्रकार तरह-तरह की साड़ियां पहनी जा सकती हैं। लेकिन यदि औरतें ऊँची फ्रांक पहनना आरम्भ कर दें तो देश के सामाजिक मूल्यों को ठेस पहुँच सकती है।

<sup>1</sup> सनक—जब परिवर्तन आपेक्षित रूप से तैज या आडम्बर-पूर्ण या तुच्छ या अप्रत्याशित या अनुत्तरदायी या बेहूदा हो जाते हैं, तब वे फैशनों के बजाय सनक या अतिराग (Fads) बन जाते हैं।<sup>1</sup> डेविस ने उदाहरण लहित इवण्टीकरण देते हुए लिखा है कि “सनक तथा परिवर्तन की भूक फैशन की अपेक्षा अधिक परिवर्तनशील,

आदम्बरपूरण, अतार्किक और अस्थायी होती है। मध्यकाल से नृत्य की धुन एक प्रकार की भक्ति थी, इसी प्रकार लिन्डी होप (Lindy Hop) नामक नृत्य एक सनक है। अपनी इन विशेषताओं के कारण सनक और झक, फैशन की तुलना में जनसंख्या के बहुत कम अनुपात तक ही सामान्यतया सीमित होती है। जब लम्बे स्कर्ट पहनने का फैशन आता है, तो सभी विवरी अपना स्कर्ट लम्बा करवा लेती है, किन्तु जब कोई नए सेल या नृत्य के किसी कदम की धुन कुछ लोगों पर सवार होती है तो जनसंख्या का बहुत छोटा भाग ही उसमें सम्मिलित होता है। यह विवेचन स्पष्ट करता है कि समान रूप से फैशन की अपेक्षा सनक अचार परिवर्तन की झक (Craze) का सामाजिक महत्व कम होता है। हम इसको ग्रादर्श नियम न मानकर केवल भीड़ या व्यवहार का उदाहरणमात्र समझते हैं।<sup>1</sup>

### 7. नैतिकता एवं धर्म (Morality and Religion)

सामाजिक नियन्त्रण के साधन के रूप में नैतिकता और धर्म दो विस्तार से विवेचना एक अमर्त्य अध्याय में वीर्य है। सामाजिक प्रतिमानों के सन्दर्भ में हमें यहीं संक्षेप में ही इह समझ लेना उपयुक्त होगा।

नैतिकता शब्द कर्त्तव्य की आन्तरिक भावना पर बल देता है अर्थात् इसका सम्बन्ध 'उचित' और 'अनुचित', 'शुभ' और 'शुभुग' की भावना से है। इसरे शब्दों में, जिन नियमों की स्वीकृति सभाज द्वारा उचित-अनुचित, शुभ-अशुभ की भावना के ग्राहार पर होती है, उन नियमों की व्यवस्था को हम नैतिकता कहते हैं। किसी भी इविस के अनुसार "नैतिकता" के अन्तर्गत किसी नियम को मानने के प्रति मनोभाव और वृद्ध मात्रा में व्यक्ति के व्यवहार सम्बन्धी चारित्रिक हृष्टा तथा हिद्दान्तों का पालन सम्मिलित है। किसी आदर्श नियम (Norm) का पालन हम केवल इसलिए नहीं करते कि वह परम्परागत है, अचार प्रामारे आस-पास के दूसरे लोग उसका पालन करते हैं वल्कि इसलिए भी करते हैं कि वह न्याय, पवित्रता सच्चाई आदि के अमूर्त सिद्धान्तों के अनुरूप है। इस प्रकार, नैतिकता प्रथा की अपेक्षा अधिक आत्म-चेतन, प्रमूर्ती और अनुरूप प्रकृति की होती है इसलिए यह लोगोंका अधिक निरुट है।<sup>2</sup>

धर्म कुद्र अलोकिक विश्वासों और ईश्वरीय सत्ता पर आधारित एक शक्ति है जिसके नियमों का पालन करने में हमें पुण्य का आकर्षण होता है और उन नियमों का उल्लंघन करने में हमें पाप का भय लगता है। धार्मिक नियमों और प्रतिमानों का लक्ष्य व्यक्ति वो परिव्रत्र आचरण करने वा प्रोत्साहन देना तथा उसे शुभ मार्ग की ओर से जाना होता है। धार्मिक नियम "स्वर्ग और नरक" की कल्पना के सहारे हमारे व्यवहारों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। धर्म अदा और विश्वास की वर्तु है। यह हाकिक नियमों पर आधारित नहीं होता और न ही इसके लिए प्रमाणिकता का

1. दिसले डेविस बड़ी, पृष्ठ 66

2. बड़ी, पृष्ठ 61.

प्रश्न उठता है। जिस्बटे ने लिखा है कि धर्म-सहिता दो रूपों में स्पष्ट होती है—एक तो इसका आन्तरिक रूप है और दूसरा बाह्य रूप। इसके प्रान्तरिक रूप में हम धार्मिक विधारो, मान्यताओं तथा ईश्वर के प्रति हमारे उद्देशों को सम्मिलित करते हैं। इसके बाह्य रूप में हम मानव-स्तकारो, अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं को लेते हैं। इनके द्वारा हमारी धार्मिक भावनाओं को मूर्ति रूप प्राप्त होता है।

धार्मिक प्रतिमानों का सामाजिक जीवन को नियन्त्रित करने के साधन रूप में विशेष महत्व है। लोग प्राय विश्वास करते हैं कि अपने समाज के धार्मिक प्रतिमानों को न भानने से दुःख भोगना पड़ेगा और परन्तु कभी भी बिमढ़ेगा। विभिन्न धर्मों के नियम अलग अलग हैं जो सामाजिक जीवन को नियन्त्रित करने का कार्य अलग अलग आदर्शों द्वारा पूरा करते हैं। उदाहरणार्थ बौद्ध धर्म अर्हिता के द्वारा, जैन धर्म सत्य, अर्हिता, कर्म एव समानता के द्वारा तो ईसाई धर्म दस ग्रादेशों पर शिक्षाओं (Ten Commandments) के द्वारा अपना नियन्त्रणकारी प्रभाव रखता है।

### 8. वैधानिक नियम (Enacted Laws)

जिन प्रतिमानों को हम वैधानिक नियम अथवा राजकीय कानून कहते हैं उनसे हम सम्भवत आज सर्वाधिक परिचित हैं। पर, जहाँ सभी समाजों में लोक-रीतियाँ और लोकाचार अदर्श होती हैं, वहाँ सभी समाजों में वैधानिक नियम नहीं होते। वैधानिक नियम अथवा राजकीय कानून केवल उन्हीं समाजों में अस्तित्व में होते हैं जिनमें कोई राजनीतिक संगठन होता है, अर्थात् जिनमें कोई सरकार है। वैधानिक नियम विधानमण्डलों द्वारा बनाए जाते हैं अथवा जिनकी घोषणा राज्य की ओर से लिखित रूप में होती है और जिनका उल्लंघन करने पर राज्य की ओर से दण्ड दिया जाता है। कुछ समाज इनसे छोटे और साधारण होते हैं कि उनमें इन श्रोपचारिक वायों का अभाव होता है। चूंकि वैधानिक नियम सदैव लिखित होते हैं और किसी न किसी रूप में उनका रिकार्ड रखा जाता है, अत वे निरक्षर समाजों में नहीं पाए जा सकते।<sup>1</sup> यद्यपि कुछ लेखक कानून अथवा विधि का अर्थ व्यापक रूप में लेते हैं और उसमें उन सब रिकार्डों और नियमों को सम्मिलित कर लेते हैं जो किसी भी साधारण या निरक्षर समाज में किसी मान्य सत्ता द्वारा लागू किए जाते हों, और इस अर्थ में वे "आदिम कानून" (Primitive law) की बात करते हैं। लेकिन, जैसा कि बीरस्टीड का अभिमत है समाजशास्त्रीय इतिहास से यह उचित है कि वैकाशिक नियमों (Laws) को श्रोपचारिक रूप में नियमित और अभिनियत प्रतिमानों के रूप में लिया जाए, ज्ञात तोर पर इसलिए कि तभी यह सम्भव होगा कि हम एक और वैधानिक नियमों तथा दूसरी और लोकरीतियों और लोकाचारों के बीच महत्वपूर्ण रूप से अन्तर कर सकें।<sup>2</sup>

1 Ibid, p 216

2 Ibid, P 216

लोकाचार और लोकरीतियाँ विकसित (Grow) होती हैं, जबकि वैधानिक नियम निर्मित (Enact) किए जाते हैं। जब किसी क्लास-रूम (Class room) में विद्यार्थी पहली बार प्रवेश करते हैं तो वे अपनी इच्छानुसार सीटों पर बैठ जाते हैं और प्रतिविन अपनी उन्हीं सीटों पर बैठने लगते हैं। इस प्रकार क्लास में ऐसे की एक व्यवस्था (Sitting pattern) इतना विकसित हो जाती है, उसका कोई पूर्व नियोजन नहीं होता। यह लोकरीति अथवा लोकाचार का उदाहरण है। दूसरी ओर वैधानिक नियमों का इस तरह विकास नहीं होता, वरन् उनका विद्यानमण्डलों द्वारा निर्माण होता है, ज्यायालयों द्वारा उनकी व्याख्या की जाती है और पुस्तिक उन्हे लागू करती है। वीरस्टीड का स्पष्ट प्रभिमत है कि “मनुषित कानून” (Unwritten law) जैसी मनुषित सामाजिक व्यवस्थाएँ (Laws) से न लेकर “सोकाचारों” (Mores) से लिया जाता चाहिए।<sup>1</sup> पादिम समाजों में जो ऐसे नियम थे कि उनका पालन सभी के लिए अनिवार्य था, उन्हे प्रथागत विधियाँ (Customary laws) कहता उचित होगा, न कि “वैधानिक अथवा राजकीय विधियाँ” (Enacted laws)।

वैधानिक नियम सहिता में दकाव और बाध्यता की क्षेत्रपताएँ होती हैं; राज्य सभी को वैधानिक नियमों के भ्रन्तिसार व्यवहार करने को दाव्य करता है। उनसे हमारे कार्य नियन्त्रित होते हैं। आधुनिक जटिल सामाजिक युग में सघर्षों को रोकने और सामाजिक जीवन को रामबद्ध बनाने के लिए वैधानिक नियम अनिवार्य हैं। वे नियम सुविचारित होते हैं, यत वद्दलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनने की क्षमता रखते हैं। समाज जितना ही एवंशील होगा, वह परम्परा से प्राप्त प्रथागत नियमों पर उतना ही कम निर्भर रहेगा और उतना ही अधिक नवीन वैधानिक नियमों पर आधित बनता जाएगा।

## 9 संस्थाएँ (Institutions)

विमले डे विस ने लिखा है कि ‘संस्था’ को परस्पर सम्बन्धित लोकरीतियों, सोकाचारों तथा वैधानिक नियमों को सम्प्रता कह कर परिभाषित किया जा सकता है, जो एक प्रथवा अधिक कार्यों के लिए बनाई गई हो। यह सामाजिक सरचना का एक भाग होती है जो अपने संरचन की घनिष्ठना तथा कार्यों की विभिन्नता द्वारा बनती है। लोकरीतियों तथा सोकाचारों के अभाव में किसी संस्था का जन्म नहीं हो सकता।<sup>2</sup>

हम उदाहरणों के माध्यम से “संस्था” को समझ सकते हैं। विवाह एक संस्था है। यह अनेक लोकरीतियों का एक संकुल है जिसमें विवाह की दात पकड़ी करता, विवाह की अदृढ़ी देना, चावल फैकना, मुहागरात मनाना आदि नियमित है। इसमें कुछ लोकाचार भी सम्मिलित हैं, जैसे विवाह से पूर्व लड़के-लड़की का

1 Ibid, P. 216

2 इण्डियन इंसिस्ट . वही, पृष्ठ 59.

ब्रह्मचर्य जीवन, विवाह के बाद दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास की प्रतिज्ञा करना, पुरुष द्वारा पत्नी की रक्षा वरने और उसका भरण-पोषण करने का भार लेना आदि। अन्त में, इसमें कुछ वैधानिक नियम भी सम्मिलित हैं, जैसे कानूनी मान्यता, समुचित कारण होने पर विवाह-विच्छेद का अधिकार, उचित आयु, निपेघात्मक नम्बन्धों का पालन आदि। ये सब आदर्श-नियम अथवा सामाजिक प्रतिमान एक साथ मिल कर एक सामाजिक सरचना के जन्म देते हैं, जैसे "विवाह की स्थिति"। किम्बले डे विस के अनुमार "यह कहा जा सकता है कि जितनी भी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा मनोरजनकारी स्थितिएँ हैं, वे सभी भिन्न-भिन्न प्रकार की अन्तर्संबन्धित लोकरीतियों, लोकाचारों और वैधानिक नियमों के उस टॉपे का प्रतिनिधित्व करती हैं जो परस्पर संगठित हैं और विभिन्न प्रकार के बार्य करने के योग्य हैं।"

### सामाजिक प्रतिमान तथा व्यक्ति (Social Norms and the Individual)

सामाजिक प्रतिमानों अथवा आदर्श-नियमों का चाहे हम पूर्णतया पालन वरें अथवा न करें, ये हमारे व्यवहारों तथा विचारों को अवश्य प्रभावित करते हैं। इन्हीं प्रतिमानों के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यवहार को व्यवस्थित और समाज के अन्य मदस्यों के अनुकूल बनाता है। वस्तुतः प्रतिमानों द्वारा ही समाज एक संगठित सरचना प्राप्त करता है। प्रतिमानों के द्वारा ही सामाजिक जीवन के बार्य व्यवस्थित बनते हैं।<sup>1</sup> हम ऐसे मानव समाज की कलना नहीं कर सकते जो प्रतिमानों से रहित हो। यदि किसी समाज के अपने प्रतिमान न हो तो वह तो हाँड़स का अररजह और जगली समाज बन जाएगा जहाँ सहयोग का नहीं वरन् सधर्प का बोलबाना होगा। व्यक्ति सामाजिक प्राणी इसलिए है कि वह विभिन्न प्रतिमानों को सीखता है तथा उनके माध्यम से अपने व्यवहार को सचानित करता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि व्यक्तियों के सामाजिक सम्बन्धों को हम सामाजिक प्रतिमानों से पृथक् करके नहीं समझ सकते। दूसरे शब्दों में जब हम मानव समाज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा अभिग्राय बेवल व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सम्बन्धों की व्यवस्था से ही नहीं होना वरन् सामाजिक प्रतिमानों की व्यवस्था से भी होना है।

सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति के लिए इन्हें महत्वपूर्ण हैं कि उनके धर्माद में उसका सामाजिक जीवन ही दूभर हो जाएगा। बीरस्टीड ने लिखा है कि "व्यक्ति के लिए प्रतिमानों का प्रभुत्व कार्य उन अमर्त्य सामाजिक परिस्थितियों में जिनका कि वह सामना करना है और जिनमें कि वह भाग लेता है, निरंय लेन की आवश्यकता को घटाना है।"<sup>2</sup>

प्रतिमान इस स्थिति को सम्भव बनाते हैं कि "जिन्हें अधिक कार्यों का हम विना विचारे कर सकते हैं, हम उतने ही अधिक अच्छे हैं।"<sup>3</sup> मेकाइवर के अनुसार

1. हिम्ले डेविस द्वी, पृष्ठ 66.

2. Bierschmidt op cit., P. 211

3. Ibid., P. 211

भी "सामाजिक प्रतिमानों के दिना निर्णय का भार असहनीय होगा तथा आचरण की तरी पूरी तरह दौखला देने वाली होगी।"

प्रतिमान व्यक्ति के जीवन को कितना गरल, गुविधामय और स्वचालित बना देते हैं, वह एक रोबक उदाहरण से स्पष्ट है जो कि रॉबट बीरस्टीड ने निम्नवत् प्रस्तुत किया है—

"एक काल्पनिक स्नातक कक्षा के विद्यार्थी का मामला तौजिए और देखिए कि हमारे समाज के प्रतिमान, उसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए के विवार में सारा दिन खर्च किए जिन ही, दिन बिताना कैसे सम्भव बनाते हैं। प्रातः काल जब वह जागता है तब उसको यह निर्णय नहीं करना पड़ता है कि वह जूते पहने या नहीं, कि दाढ़ी एक उस्तरे से बचाए या एक छोटे चाकू से, कि अपने सहवासियों का स्वागत अप्रेजी में करे या अन्य किसी भाषा में, कि अपने बाक्सों में उद्देश्य को विषय पद के पूर्व रखे, कि अपनी कॉर्नी को एक चम्मच से हिलावे पा एक कहाँ में, कि अपने धातुते के साथियों को छोड़ने पर 'हैलो' (Hello) कहे या 'सो लोग' (So long) कि क्या उपमार्ग के चढ़ावार या बस की सूखी मिट्टी में कील, नुकीनी चीज़, या बिस्ता डालना चाहिए। अथवा, यदि वह कार चला रहा है तो, एक समीप आदी हुई कार को बाहिनी ओर से निकलने दे या बायी ओर से, कि अपन प्रोप्रेसर को 'बच' (Butch) के रूप में सम्बोधित करे या कि 'डॉ जॉन्स' के रूप में, कि कक्षा में धुन्नपान करे या नहीं, कि कक्षा में कब तक करे और कब नहीं, कि दोपहर के बाद बेसबाल खेले या विकेट। इसी तरह की और भी बातें इसमें भी बहुत बड़े बाक्य में रखी जा सकती हैं।"<sup>1</sup>

बीरस्टीड ने उपरोक्त उदाहरण देकर बताया है कि प्रतिमानों के सहारे ये सब काम स्वचालित ढग से होते रहते हैं, हमें इनके बारे में निर्णय करने सम्बन्धी कोई विवार नहीं करने पड़ते। बास्तव में, यदि प्रतिमान न हो तो हमारे सामाजिक सम्बन्ध ऊन-जलूस, अराजक, और सम्भवनया हानिकारक हो जाएंगे। ये प्रतिमान ही हैं जो सामाजिक जीवन को अवस्था, हिंसरता, तथा निश्चयात्मकता प्रदान करते हैं और परिणामस्वरूप सामाजिक सरचना के अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व हैं। जहाँ कोई प्रतिमान नहीं है वहाँ फिर समाज भी नहीं है।<sup>2</sup>

सामाजिक प्रतिमान न केवल हमारे निर्णयों को मरल बनाने हैं और हमारे बहुत में कार्यों को स्वचालित बनाते हैं, बल्कि सामाजिक सोसाइटी की प्रतिक्षिप्ति को भी अस्तर बता देते हैं। प्रतिमानों के द्वारा भी इसके अस्तित्व की विवरण की अवधि ही प्राप्त कर लेने का दावा करने लगेगा जिससे सामाजिक संघर्षों की स्थिति पैदा हो जाएगी और व्यक्ति का अस्तित्व ही उन्हें में पड़ जाएगा। प्रतिमान इस विवरण से हमें बचाते हैं। प्रतिमान सामाजिक सीख के लिए एक स्वस्य बानावरण तैयार कर देते हैं और उन तरीकों को स्पष्ट कर देते हैं जिनके द्वारा हम अपने कार्यों को

1. बीरस्टीड, सामाजिक व्यवस्था (हिंदी अनुवाद by शृंखला एक जेट्टी), पृष्ठ 237

2. पही, पृष्ठ 238.

व्यवस्थित और सुचारू टग से कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक प्रतिमान बाहु बन्धन के इन में नहीं होते, अत हमारे हृदय में प्राय यह भावना पैदा नहीं होती कि इन्हें स्वीकार करें या इससे बचें। प्रतिमानों की सर्वोपरि उपदोषिता इस बात में है कि ये हमारे व्यक्तित्व का अग बनकर हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। ये हमसे इतने अभिन्न बन जाते हैं कि हम इनकी सत्ता का अनुभव किए बिना ही इनके अनुसार व्यवहार करते रहते हैं।

इस विवेचन का यह प्रभिप्राय नहीं है कि हमारे जीवन में प्रतिमान ही सब कुछ हैं और प्रत्येक प्रतिमान का हमें अक्षरण पालन करना चाहिए। प्रतिमान और व्यक्ति के सम्बन्ध में स्थिति लगभग वैसी ही है कि जिस प्रकार एक माँ की प्राकृतिका होती है कि वच्चा दसवीं अण्डाओं के अनुरूप व्यवहार करे, उसी तरह समाज अपेक्षा करता है कि उसके सदस्य प्रतिमानों का पालन करें। अब व्यक्ति किस अनुपात में सामाजिक प्रतिमानों का पालन करता है, यह उनकी विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर है। पुनर्शब्द, हमें यह भी स्मरण रखना हांगा कि प्रत्यक्ष सामाजिक प्रतिमान सभी व्यक्तियों पर तथा सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होता। एक विशेष स्थिति (Status) के अन्तिरिक्त के लिए जा प्रतिमान उचित है, वही दूसरी स्थिति के अन्तिरिक्त के लिए अनुचित व्यवहा कम महत्वपूर्ण हा सकता है। कुछ प्रतिमान बहुत ही आवश्यक होते हैं जिनका पालन की अपेक्षा समाज के सभी सदस्यों से भी जाती है जबकि कुछ प्रतिमानों का हम सभोधित रूप म पालन कर सकते हैं। अनक प्रतिमान इतने कम महत्वपूर्ण होते हैं कि उनका पालन न भा किया जाए तो भी किसी गम्भीर प्रतिक्रिया की सम्भावना नहीं होती। सक्षेप में, प्रतिमान तिरकुण और वाध्यकारी प्रकृति के नहीं हानि वरन् परिस्थितियों के अनुसार इसमें समुचित संशोधन और परिवर्तन के माध्यम से रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिमानों के वैकल्पिक चुनाव की भी व्यक्ति का काफी स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। आधुनिक सुमस्तृत व्यक्ति से आशा दी जाती है कि वह दाढ़ी बनाए, पर उस दात की स्वतन्त्रता है कि वह दाढ़ी सेफांडी रेजर से बनाए, त्रिवृत मर्नीन न या किसी पुराने छग के लम्बे उस्तरे से।

अन्त में, हम सामाजिक प्रतिमानों की काई पूर्ण सूची नहीं बना सकते। किसी भी जनजाति, समुदाय अथवा राष्ट्र म प्रतिमानों की सह्या इनकी अधिक होती है कि उनकी सूची कभी समाप्त ही नहीं होगी। समाजशास्त्री प्रतिमानों की सूची दो नहीं देखता वह तो प्रतिमानों की व्यवस्था को गम्भीरा जाहूता है।<sup>1</sup>

(Why We Conform to the Norm, ? )

रॉबर्ट शीरस्टीट ने उन प्रमुख पाठों की चर्चा की कि उनकी वजह से हम प्रतिमानों से समानरूपता रखते हैं—“न पाधारों का दलेलख करते समय बीरस्टीट ने लोकाचारों, लोक-रीतियों और न् न् में बरने की कोई आवश्यकता नहीं समझी है। प्रतिमानों से समानरूपता व् व् मूल में मुख्य आधार में है—

1 किंडले देविय ऐड 66

2 शीरस्टीट सामाजिक व्यवस्था, पृष्ठ 24

**१ सिद्धांत शिक्षण (Indoctrination)**—प्रतिमानों से समानरूपता रखने का प्रयत्न कारण यह है कि हमको ऐसा करने के लिए शिक्षा दी गई है। अपने बचपन से लेकर हमें समाज के प्रतिमानों वा पालन करने की सीख दी गई है। उदाहरण के लिए, हमको शिखाया जाता है कि दिन में अमुक समय पर भोजन करना चाहिए, अपने से बड़ों को आदरपूर्वक सम्मोधन करना चाहिए, अपने भाषण से अमुक अविष्टताओं को निकाल देना चाहिए, बार्एं से दार्एं को लिखना-पढ़ना चाहिए, छोटे बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, आदि। वास्तव में बच्चे का “समाजीकरण” उसके अपने समाज के प्रतिमानों को सीखने की प्रतिया ही है। बहुत-सी स्थितियों में हम प्रतिमानों से अनुरूपता बनाते हैं वयोंकि हम बोई विकल्प नहीं जानते।

**२ अभ्यस्तता (Habituation)**—प्रतिमानों से अनुरूपता रखने का दूसरा कारण यह है कि हम उनके आदि हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, चाकू, कॉटा और चम्मच के प्रयोग के लिए हमें शिक्षा दी जाती है और कुछ समय के बाद इनका प्रयोग एक आदत का विषय बन जाता है। जब कोई व्यक्ति इस अन्यास का आदी बन चुकता है तो वह उसे बिना किसी परिवर्तन अवश्य प्रयास के अपने प्राप करने लगता है। वास्तव में किसी लोकरीति का उल्लंघन करना उससे अनुरूपता बनाए रखने की अपेक्षा अधिक कठिन हो जाता है। इस्तेह है कि अभ्यस्तता प्रतिमानों को ज्ञानिकाली बनाती है और अनुरूपता की नियमितता की सुरक्षा करती है।

**३ उपयोगिता (Utility)**—समाज के प्रतिमान के अनुरूपता बनाए रखने का तीसरा बारण उनकी उपयोगिताएँ हैं। प्रतिमान हमको सबकी सर्वोत्तम रुचियों के लिए सहायक ढंग से दूसरों के साथ परस्पर अवहार करने के लिए समर्थ बनाते हैं तथा सामाजिक सम्पर्क की सरलता में योगदान करते हैं।

**४ समूह तादात्मीकरण (Group Identification)**—प्रतिमानों से अनुरूपता का चौथा कारण यह है कि अनुरूपता समूह से तादात्मीकरण का एक साधन है। उदाहरणार्थ, हम अपने से सम्बन्ध न रखने वाले समूहों के प्रतिमानों के बजाय अपने निजी सामाजिक समूह के प्रतिमानों से अनुरूपता रख सकते हैं, इसलिए नहीं कि हम अपनों को थेठ मानते हैं, और इसलिए भी नहीं कि हमको विजेपकर उन्हीं की शिक्षा दी गई है तथा उन्हीं की आदत है बल्कि इसलिए कि उनसे अनुरूपता रखने के लिए हम इन समूहों के साथ अपनी पहचान को दर्शाते हैं। लोक-रीतियाँ सदैव तर्कसंगत नहीं होतीं, जेकिन किर भी हम उनसे अनुरूपता बनाते हैं वयोंकि वे हमारी अपनी हैं, वयोंकि वे हमारा, हमारे निजी समाज और हमारे निजी सामाजिक समूहों से परिचय करती हैं।

## सामाजिक परिवर्तन, उद्देशिकास और प्रगति के सिद्धान्त

(THEORIES OF SOCIAL CHANGE,  
EVOLUTION AND PROGRESS)

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समाज इसी प्रकृति का एक अग्र है, अतः सामाजिक परिवर्तन प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक है। परिवर्तन की प्रक्रिया कभी रक्ती नहीं। हम विंसी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जो पूर्णत स्थिर (Static) हो। यदि हम 1874 और 1974 के समाजों की तुलना करें तो सभी दशाओं में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें देखकर हम विस्मित हो जाएंगे। मानव-समाज की जो सरचना अतीत में थी वह आज नहीं है और जो आज है वह कुछ बर्धों बाद नहीं रहेगी। पूरा समाज ही नहीं, बल्कि व्यक्ति का जीवन भी बदलन से युतावस्था, फिर वृद्धावस्था और अन्त में मृत्यु के स्तर तो परिवर्तित होता रहता है। धीरे-धीरे परिवर्तन की यह प्रक्रिया 'उद्देशिकास' (Evolution) कहलाती है, लेकिन यह भी परिवर्तन का ही एक विशिष्ट स्वरूप है।

प्रत्येक समाज में परिवर्तन की 'प्रकृति' समान नहीं होती। यहाँ 'प्रकृति' से हमारा आशय 'गति' (Speed) तथा 'स्वरूप' (Form) से है। कुछ समाजों में परिवर्तन की गति तीव्र होती है तो कुछ में मद। पर परिवर्तन की प्रक्रिया चलती अवश्य रहती है। इसी प्रकार परिवर्तन के स्वरूप में भी मित्रता ही सकती है। किसी समाज में धार्मिक पक्ष में तीव्र परिवर्तन होते हैं तो किसी में आधिक या राजनीतिक पक्ष में। यह भी नहीं होता कि समाज के एक पक्ष में तो परिवर्तन होता रहे जबकि दूसरा पक्ष 'स्थिर' बना रहे। सामाजिक जीवन के किसी भी एक पक्ष में परिवर्तन दूसरे पक्षों में भी न्यूनाधिक परिवर्तन अवश्य ही लाएगा। परिवर्तन की अवधारणा 'समय' से भी सम्बन्धित है, अर्थात् परिवर्तन की गति प्रत्येक समय अथवा प्रत्येक युग में समान नहीं होती। मुगलकानीन भारतीय समाज में परिवर्तन की जो गति थी वह ब्रिटिश कालीन समाज में नहीं रही और ब्रिटिश काल में जो

गति रही उससे कही अधिक तीव्र गति से परिवर्तन बत्तमान स्वतन्त्र भारत के समाज में हो रहे हैं। पुनः यह भी है कि परम्परागत समाजों की तुलना में खुले अथवा मुक्त समाजों (Open Societies) में परिवर्तन की गति अधिक होती है।

इस पृष्ठभूमि के उपरान्त अब हम सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करेंगे। हमारे प्रब्लेम की रूपरेखा निम्नवत् होगी—

- (1) सामाजिक परिवर्तन अर्थ एवं परिभाषा
- (2) सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ
- (3) सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान
- (4) सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ
- (5) सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित घन्य घबघारणाएँ
- (6) सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में भन्तर
- (7) परिवर्तन की दर
- (8) सामाजिक परिवर्तन के कारक
- (9) सामाजिक परिवर्तन की दशाएँ

### सामाजिक परिवर्तन : अर्थ एवं परिभाषा

#### (Social Change : Meaning and Definition)

सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौम प्रौद्योगिक शब्द के पीछे सामाजिक फल का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा आशय मानव समाज में होने वाले परिवर्तनों से होता है। आज हमे मानव समाज का जो भी रूप दिखायी देना है, वह वस्तुतः परिवर्तनों की प्रक्रिया का ही परिणाम है। प्रत्येक बात जिसको हम सामाजिक कहते हैं, कभी भी स्थिर नहीं रहती बल्कि गतिशील और परिवर्तनशील रहती है।

सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है। कुछ के अनुसार सामाजिक ढंगे में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है तो कुछ दूसरों के अनुसार सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहना उचित है। वास्तव में, गोठे तौर पर समाज में अथवा समाज के सदस्यों के जीवन में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ही सामाजिक परिवर्तन कहना उपयुक्त है।

पारिभाषिक विवेचन वो हिट से लें तो मेरिल एवं एल्ड्रेज (Merill and Eldredge)<sup>1</sup> के अनुदो ऐ, "सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि समाज के अधिकतर व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में सलग्न हैं जो कि उनके पहले के लोगों के कार्यों से भिन्न हैं। समाज प्रतिमानित (Patterned) मानवीय सम्बन्धों का एक विशाल प्रौद्योगिक जटिल जाल-सा है जिसमें सभी मनुष्य भाग लेते हैं। जब मानव-व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया में होता है तो हम इसी बात को दूसरे रूप में कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है।"<sup>1</sup> स्पष्ट है कि इस परिभाषा में सामाजिक

1. Merill and Eldredge : Culture and Society, pp 512-13

परिवर्तन की क्षमता के रूप में मानवीय क्रिया-कलापों को लिया गया है। मानवीय क्रिया-कलाप ही उनके व्यवहारों को व्यक्त बरते हैं। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन मानवीय क्रिया-कलापों अथवा मानवीय व्यवहारों में होने वाला परिवर्तन है।

किंग्सले डेविस (Kingsley Davis) ने अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन से हमारा भ्रमित्राय केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक समाज में होते हैं—पर्याप्त समाज की सरचना और समाज के कार्यों में।"<sup>1</sup> इस परिभाषा के अनुसार सामाजिक समाज की सरचनात्मक (Structural) और प्रकारात्मक (Functional) दोनों पक्षों में हीने वाले परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवर्तन स आशय समाज की किन्हीं एक-दो विशेषताओं में नहीं बल्कि समूणे व्यवस्था में परिवर्तन है।

डॉवन एवं गेटिस (Dawson & Gettys) के अनुसार, "सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है व्योकि समूणे सकृति अपनी उत्पत्ति अपने प्रथ्य और प्रयोग में सामाजिक है।"<sup>2</sup> इन लेखकों ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई अन्वर नहीं माना है, व्योकि इनका विचार है कि सकृति वास्तव में एक सामाजिक घटना है जिसकी उत्पत्ति सामाजिक पृष्ठभूमि पर ही होती है। अत सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में अन्वर करना कोई भावने नहीं रखता।

गिलिन एवं गिलिन (Gillen & Gillin) ने लिखा है कि "सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में परिवर्तनों को कहत है, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तनों से हुए हो या प्रथवा सांस्कृतिक साधनों, जनस्वास की रचना या सिद्धान्तों के परिवर्तनों से हुए हो या प्रमार से हुए हो या समूह के अन्दर ही प्राणियारों के फलस्वरूप हुए हो।"<sup>3</sup> यह परिभाषा उन विभिन्न चारणों को प्रस्तुत करती है जिनके कारण सामाजिक परिवर्तन घटित होता है।

मेकाइवर एवं पेज (MacIver & Page) के अनुसार, "समाजसम्बोधी के रूप में हमारा प्रत्यक्ष सम्बन्ध केवल सामाजिक सम्बन्धों में है प्रत कवल सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।"<sup>4</sup> जेन्सन (Jenson) के अनुसार, "सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्यों करने और विचार करने की पद्धतियों में होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है।"<sup>5</sup> मेकाइवर और जेन्सन की ये दोनों ही परिभाषाएँ सामाजिक परिवर्तन के विस्तृत द्वारा प्रकाश ढालती हैं। **द्वारा द्वारा द्वारा** (ज्ञानी परिभाषण) का निचोर निकालें तो दूसरे कद्दमे समाजिक परिवर्तन एक सांबोधित और निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें समाज द्वारा

1. डिम्बले डेविस, वही, पृष्ठ 544

2. Dawson & Gettys : Introduction to Sociology, p 580

3. Gillen & Gillin : Cultural Sociology, pp 561-62

4. MacIver & Page, Society, p 511

5. M'D Jenson : Introduction to Sociology and Social Problems, p 190

स्वीकृत सम्बन्धों, प्रक्रियाओं, प्रतिमाओं, संस्थाओं आदि के रूपों में इस प्रकार परिवर्तन उपस्थित होते हैं। किंवद्दन समझ उनसे पुनः प्रनुकूल करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वस्तुतः आज हम एक बहुत तीव्र और विशाल रूप से परिवर्तित होने वाले समाज में रह रहे हैं। जीवन के प्रत्येक स्तर पर हमें परिवर्तन दिखायी देता है। वैयक्तिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में सामाजिक ढंगों, रूपों, घटनाओं और आदर्शों में परिवर्तन होता है। समाज कभी स्थिर नहीं रहता, वह सदैव बदलता रहता है। प्राचीन समाजों में परिवर्तन की प्रक्रिया चाहे बहुत गीमी रही हो, लेकिन आधुनिक सम्य समाजों में यह प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से बहुत तीव्र है।

### सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ (Characteristics of Social Change)

सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सभी समाजों में एक ही नहीं होती अर्थात् अलग-अलग समाजों में इसकी गति और इसके रूपों में, भिन्नता होती है। फिर भी हम इसकी प्रकृति से सम्बन्धित कुछ आधारभूत विजेताओं का उल्लेख कर सकते हैं—

1 सामाजिक परिवर्तन का सम्बन्ध सामुदायिक परिवर्तन से है—जैसाकि नाम से ही स्पष्ट है, सामाजिक परिवर्तन में अन्तर्निहित परिवर्तन की धारणा “वैयक्तिक” नहीं है। सामाजिक परिवर्तन का सम्बन्ध किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से न होकर वास्तव में सामुदायिक परिवर्तनों से है।

2 सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य घटना है—सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक और अनिवार्य घटना है। ऐसा नहीं हो सकता कि सामाजिक परिवर्तन घटित न हो। किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन सदैव होता रहता है और वह सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। यह सम्भव है कि विभिन्न समाजों में परिवर्तन की मात्रा में अन्तर हो, लेकिन यह सम्भव नहीं है कि परिवर्तन हो ही नहीं। समाज की यावश्यकताएँ सदैव बदलनी रहती हैं और मानववृत्तियों तथा रुचियों में परिवर्तन आता रहता है। जबीन परिवर्तनियों से अनुकूलन करना ही पड़ता है। इन सभी कारणों से सामाजिक परिवर्तन एक आवश्यक स्थिति है, अर्थात् यह सदैव विद्यमान रहती है।

3 सामाजिक परिवर्तन सार्वभीमिक है—सामाजिक परिवर्तन दिना किसी अपवाद के ससार के सभी समाजों में मामाल्य है। मानव समाज के इतिहास के द्वारम्भ से लेकर आज तक समाज का रूप चाहे जैसा भी रहा हो, परिवर्तन की प्रक्रिया निरन्तर चलती रही है। परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रभाव इतना सर्वध्यापी होता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं पाए जाते। व्यक्तियों, समूहों और समाजों को आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं और उनका हृषि सामाजिक परिवर्तन द्वारा निश्चित होता रहता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवर्तन अनेक जबीन परिवर्तनों का जनक होता है। यदि परिवहन और सचार साधनों में बृद्धि होगी तो सामाजिक वित्तीय भी बढ़ेगी और इसी प्रकार अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा ही।

4. सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती—कोई भी अविकृत यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि समाज में कौन-कौन से परिवर्तन होंगे और कब होंगे? अधिक से अधिक परिवर्तन की सम्भावना मात्र प्रकट की जा सकती है। इस सम्भावना का संकेत दिया जा सकता है कि आपामी कुछ वर्षों में विवाह की पद्धति कीमी हो जाएगी, औद्योगिक परिवर्तन के कलस्वरूप अपराध कितने बढ़ जाएंगे और वे किस प्रकार होने लगेंगे? लेकिन इन सबके बारे में निश्चित भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है। अभिप्राय यह है कि सामाजिक परिवर्तन की सम्भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, उनके बारे में निश्चित मत प्रकट नहीं कर सकते। सामाजिक परिवर्तन अत्यधिक अस्पष्ट एवं अनिश्चित होते हैं।

5. सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है—सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को हम चिनों द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। इसका सम्बन्ध गुणात्मक परिवर्तनों (Qualitative Change) से है। गुणात्मक तथ्यों का माप नहीं हो सकता। अत सामाजिक परिवर्तन की जटिलता भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। भौतिक वस्तुओं में होने वाला परिवर्तन अधिक सरल होता है जबकि सांस्कृतिक मूल्य (Cultural Values) में इतना जटिल होता है कि हम सरलता से उसके रूप भी नहीं समझ सकते। ज्यो-ज्यो सामाजिक परिवर्तन की मात्रा बढ़ती जाती है त्यो-त्यो वह अधिक जटिल और दूरस्थ (Complex and Distant) होता जाता है।

6. सामाजिक परिवर्तन की गति असमान होती है—सामाजिक परिवर्तन एक नियत प्रक्रिया है, लेकिन इसकी गति प्रत्येक समाज में अथवा एक ही समाज के विभिन्न पक्षों में समान नहीं होती। चूंकि सामाजिक परिवर्तन के कारक प्रत्येक समाज में समान रूप से क्रियाशील नहीं होते अत सामाजिक परिवर्तन की गति का असमान होना स्वाभाविक है। जिन समाजों में परिवर्तन के कारण अधिक प्रभावपूर्ण होते हैं वहाँ परिवर्तन की गति तीव्र होती है बल्कि उन समाजों में जहाँ कि परिवर्तन के कारक शियिल या कम प्रभावपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार एक ही समाज के विभिन्न अंगों में भी परिवर्तन की समान गति नहीं पाई जाती। यह सम्भव नहीं है कि अर्थव्यवस्था में भी उसी गति से परिवर्तन हो जिस गति से राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हों अथवा जाति व्यवस्था, विवाह तथा अन्य सामाजिक मूल्यों और आदर्शों में ही रहे हों। प्राय आर्थिक परिवर्तनों की गति सामाजिक परिवर्तनों की तुलना में अधिक तेज होती है।

7. सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक है—हम सामाजिक परिवर्तन का अनुमान किन्हीं दो या अधिक समाजों की तुलना करके ही लगा सकते हैं। हम कह चुके हैं कि परिवर्तन की गति और मात्रा में अन्तर होता है। किन्हीं समाजों में परिवर्तन कम और धीरे-धीरे होता है तो दूसरे समाजों में प्रति ज्ञान नवीन परिवर्तन होता रहता है। यहीं नहीं, गांवों में प्राय परिवर्तन की गति धीमी रहती है जबकि नगरों में बड़ी तेज होती है। कभी-कभी कुछ विशेष घटनाएँ या परिस्थितियाँ (जैसे औद्योगिक क्रान्ति) आकस्मिक रूप से ऐसे परिवर्तनों को जन्म दे देती हैं जिनका हमें

पहले से अनुमान नहीं होता। कहने का सार यह है कि दूसरी परिस्थितियों की तुलना में ही सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट किया जा सकता है। हम यह नहीं कहते कि "परिवर्तन हो रहा है" पर यह प्रबश्य विचारते हैं कि पूर्विका यह परिवर्तन कितना और कैसा हो रहा है?

### मूर द्वारा बताई गई विशेषताएँ

विद्याद्रू समाजशास्त्री मूर (W E Moore) ने आधुनिक समाजों के सन्दर्भ में सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित विशेषताओं को स्पष्ट किया है<sup>1</sup>—

1. सामाजिक परिवर्तन विषा किसी प्रवाद के एक अनिवार्य नियम है, अर्थात् सामाजिक सरचना के किसी न किसी प्रबंध में परिवर्तन प्रबश्य होता रहता है। सामाजिक पुनर्निर्माण के द्वारा परिवर्तनों की गति सबसे तेज़ होती है।

2. पूर्विका बत्तमान युग में सामाजिक परिवर्तनों का अनुपात कही अधिक है और इन परिवर्तनों को हम अधिक स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं।

3. परिवर्तन का फैलाव यद्यपि सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में है लेकिन विचारों और संस्थाओं में परिवर्तन की गति से कही अधिक तेज़ गति भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में देखने को मिलती है।

4. स्वाभाविक दण से और सामान्य गति से होने वाले परिवर्तनों का हमारे विचारों तथा हमारी रामाजिक सरचना पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

5. सामाजिक परिवर्तनों के बारे में हम अनुमान ही लगा सकते हैं, निरिचित रूप से कुछ नहीं कर सकते।

6. सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होता है अर्थात् इसके अन्तर्गत एक स्थिति दूसरी स्थिति को परिवर्तित करती है और यह कभी तब तक छलता रहता है जब तक कि समाज इसके अच्छे अथवा बुरे प्रभावों से परिचित नहीं हो जाता।

7. आधुनिक समाजों में सामाजिक परिवर्तन मनमाने और असाधित ढा से नहीं किया जाता बल्कि 'सामाजिक नियोजन' द्वारा इसे नियन्त्रित रखकर इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में क्रियाशील बनाया जाता है।

### सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान

#### (Patterns of Social Change)

हम कह चुके हैं कि सभी समाजों में और सभी समयों में सामाजिक परिवर्तन एक-सा नहीं होता। अत इवाजाविक है कि सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न रूप अथवा प्रतिमान (Pattern) देखने को मिले। मेकाइवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन के तीन प्रमुख प्रतिमानों का उल्लेख किया है<sup>2</sup>—

प्रथम प्रतिमान—इसके अन्तर्गत हम उन परिवर्तनों को लेते हैं जो एकाएक हमारे सामने आ जाते हैं पर एक बार उत्पन्न होने के बाद निरन्तर कुछ न कुछ अवासी परिवर्तनों को जन्म देते हैं। बदाहरण के लिए एक नवीन आविकार समाज

1. W E Moore : Social Change, p. 2

2. MacIvor & Page : op. cit., pp. 519-521.

में न केवल आकस्मिक परिवर्तन गता है बल्कि घटेक आगामी परिवर्तनों का कम पा सिलसिला भी उत्पन्न करता है। इस प्रतिमान में ज्यो-ज्ञो मुचार होते जाते हैं, परिवर्तनों का सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। टेलीफोन, मोटर कार, हवाई जहाज, रेडियो आदि प्राविकारों के इतिहास में यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से देखी जाती है। तूँकि इस प्रथम प्रतिमान के अन्तर्गत परिवर्तनों की प्रकृति निरन्तर एक ही दिशा में आगे बढ़ने की ओर होती है, अतः ऐसे परिवर्तनों को “रेखीय परिवर्तन” (Linear Change) भी कहते हैं।

**द्वितीय प्रतिमान—**इस प्रतिमान के अन्तर्गत परिवर्तन की प्रवृत्ति निरन्तर एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ने की बनिष्ठता ऊपरनीचे जाने की होती है। दूसरे गल्डो में कुछ समय तक परिवर्तन हास या प्रगति की ओर बढ़ने के बाद विपरीत दिशा की ओर अथवा गति या हास की ओर मुड़ जाता है। तूँकि इस द्वितीय प्रतिमान में परिवर्तनों की दिशा ऊपर वे नीचे की ओर तथा फिर नीचे से ऊपर की ओर (अथवा पहले नीचे से ऊपर की ओर तथा फिर ऊपर से नीचे की ओर) होती है अतः इन परिवर्तनों को “उतार-चढ़ावदार परिवर्तन” (Fluctuating Change) भी कहते हैं। इस दम का परिवर्तन विशेषकर आर्थिक प्रबटायो और अधिक लम्बे, कालों के जनसंख्या के कार्य-व्यापारों में देखा जा सकता है। नगरों का पहले विकास होता है और तब हास। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उभति और अवनति होती है और इसी प्रवार व्यापारिक क्षेत्र में तेजी या मन्दी आती रहती है। प्रथम प्रतिमान में कम से कम इतनी निश्चितता रहती है कि परिवर्तन एक ही दिशा में होंगा जब कि द्वितीय प्रतिमान में इस प्रकार की जारी निश्चितता नहीं रहती।

**तृतीय प्रतिमान—**यह प्रतिमान कुछ कुछ दूसरे प्रतिमान से मिलता-जुलता है। अन्तर बेवल इनना है कि द्वितीय प्रतिमान में परिवर्तन की दिशा एक सीमा के बाद विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाती है और इस विपरीत रूप को दूसरे विपरीत रूप में देख सकते हैं, जबकि तृतीय प्रतिमान में, लहरों की तरह एक के बाद दूसरा परिवर्तन याता रहता है और यह नहीं नहा जा सकता कि दूसरी लहर पहली लहर के विपरीत है या दूसरा परिवर्तन प्रथम में सन्दर्भ में हास अथवा प्रगति का सूचक है। इसीलिए तृतीय प्रतिमान को “तरारीय परिवर्तन” (Wave-Like change) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, समाज में नए-नए फैशनों की तरग या लहर आती रहती है जिसमें पतन या प्रगति की कोई बात कहना कठिन है। जैसे समुद्र में लहर उठने समय इसका न तो कोई निश्चित आरम्भ होता है और न ही कोई निश्चित अन्त, लेकिन सहरों का आना-जाना लगभग एक निश्चित रूप में बना रहता है, जैसे ही वहूं से विद्वानों ने मानवीय कार्यों, व्यवहारों और राजनीतिक नियायों के परिवर्तनों को इसी प्रतिमान के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि कुछ विद्वानों ने इसी प्रतिमान को “चर्नीय परिवर्तन” (Cyclical change) की सज्जा दी है, लेकिन यह धारणा भ्रामक है। चर्नीय परिवर्तन का ग्रन्थ है कि परिवर्तन की गति गोलाकार में आगे बढ़ते-बढ़ते पुनः वही लौट आती है जहाँ

भारतमें थी, जबकि वास्तविकता यह है कि हम किसी परिवर्तन को, किसी विशेषता को दुवारा गहण करते भी हैं तो भी उसमें कुछ न कुछ संशोधन अवश्य हो जाता है। अत इस प्रतिमान को 'तरभीय' कहना ही अधिक उपयुक्त है।

### सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ (Processes of Social Change)

परिवर्तन के विभिन्न प्रतिपादनों के आधार पर सामाजिकान्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की कुछ प्रक्रियाओं का छल्लेश किया है। हम मैकाइवर एवं मारोकिन के विचारों को ग्रहण करते हुए इन प्रक्रियाओं का विवरण देंगे। इनका अभिन्नान आवश्यक भी है, क्योंकि किसी भी समाज में एक साथ ही परिवर्तन की प्रनेक प्रक्रियाएँ गठित होती हैं। कहीं समायोजन होता है। मध्यर्थ समायोजन को समाप्त कर देता है। कहीं प्रबलता स्थापित होती है और कहीं उसे उखाड़ फेंका जाता है। कहीं आन्ति होती है और कहीं वह दबाई जाती है। कहीं लोग नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की आकॉला करते हैं और कहीं वे पुराने लक्ष्यों पर बायिस लौटना चाहते हैं।

(1) एक चक्रीय प्रक्रिया (Cyclical Process) के रूप में सामाजिक परिवर्तन—इस प्रक्रिया के अन्तर्गत परिवर्तन की प्रकृति एक चक्र की भाँति होती है। परिवर्तन एक निश्चित क्षेत्र में होता है और जिस स्थिति से वह शुरू होता है, उसकी गति गोलाकार में आगे बढ़ते-बढ़ते पुनः उसी स्थान पर लौट आती है जहाँ पर यह वह आरम्भ की थी। उदाहरणार्थ, फैशन के क्षेत्र में वस्त्रों और आझूपणों के प्रनेक डिजाइन, मरीत, नृत्य प्रादि, जो कि बहुत प्राचीन या प्रादिकालीन समाजों में प्रचलित थे, परिवर्तनों के चक्र से गुज़रते हुए पुनः प्राचीन या प्रादिकालीन समाजों में प्रचलित थे, परिवर्तनों के चक्र से गुज़रते हुए पुनः प्राचीन या प्रादिकालीन समाजों में लौट आए हैं। भारत में विवाह काल में विवर्ष-विवाह (Late marriage) का प्रचलन या जो परिवर्तन के चक्र में धूमता हुआ अब पुनः प्राचीन रियनि में लौट आया है और याज हम कम उम्र में विवाह या बाल-विवाह को त्याग कर पुनः विवर्ष विवाह को अपनाने लगे हैं।

(2) विकासवादी प्रक्रिया (Evolutionary Process) के रूप में सामाजिक परिवर्तन—ग्राम्यनिक काल में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए उद्विकासवादी धारणाएँ का व्ययोग यन्नेक प्रकार देकिया गया है। यद्यपि प्राचीन काल में सोफोक्लिस (Sophocles) ने समाज के उद्विकास की धारणा भी व्यापका का प्रयास किया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में डार्पिन के विश्लेषण के बाद उद्विकासवादी सिद्धान्तों की ओर प्रभुत्वर्थ रूप से प्राकरण बढ़ा। हृष्टवं स्वेत्सुर ने सामाजिक परिवर्तन की विकासवादी प्रक्रिया को एक निश्चिन ढग से प्रस्तुत किया और बाद में प्रनेक समाजगत्ती इस दिशा में आगे बढ़े।

विकासवादी प्रक्रिया के धनुसार प्राणी-जातीय परिवर्तन की भाँति सामाजिक परिवर्तन भी कुछ आन्तरिक शक्तियों के कारण सम्भव होता है। किसी व्यक्ति के आन्तरिक और छिपे हुए तन्त्र स्वतं प्रकट हो कर वस्तु का रूप बदल देते हैं। यदि वाह्य शक्ति के दबाव से वस्तु के रूप में परिवर्तन हो तो इसे उद्विकासीय परिवर्तन

नहीं वहा जा सकता। सामाजिक परिवर्तन को विकासवादी प्रतिया के समर्थकों का कहना है कि समाज और उसकी विभिन्न स्थाएँ आन्तरिक शक्तियों के बारण घपने साप परिवर्तित होते रहती हैं। सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे कुछ निश्चित स्तरों से गुजरता हुआ सरल से जटिल की ओर होता है। उदाहरणार्थ, भारत में समाज का हप इत्यावधि सरल था, लेकिन विभिन्न स्तरों से धीरे-धीरे गुजरते हुए साज बह इतना जटिल हो गया है। उदाविकास की प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता। यह निरन्तर क्रियानीत रहने वाला एक अप्रिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन की एक प्रमुख प्रतिया है।

(3) प्रगति (Progress) के रूप में सामाजिक परिवर्तन—सामाजिक परिवर्तन की यह प्रतिया तब सामने आती है जब परिवर्तन अच्छाई की दिशा में हो रहा हो। अच्छाई के लिए परिवर्तन ही प्रगति है। परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने चाहिए। समाज विरोधी उद्देश्यों के लिए होने वाले परिवर्तनों का हम प्रयत्न नहीं वह सकते। इस प्रकार प्रगति का नीतिकाल से प्रत्यक्ष हम्बन्ध है। सामाजिक परिवर्तन की उदाविकासीय प्रक्रिया में परिवर्तन आन्तरिक शक्तियों के फलस्वरूप धीरे-धीरे कुछ स्तरों को पार करते हुए सामने आता है जबकि प्रगति के रूप में सामाजिक परिवर्तन बाह्य शक्तियों द्वारा भी प्रभावित होते हैं। इसके प्रतिरिक्ष, परिवर्तन बहुत देखी से भी हो सकते हैं, एक के बाद दूसरे स्तर में से उनका गुजरता आवश्यक नहीं। प्रगति के रूप में सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक नहीं बल्कि अवधिकांशत परिमाणात्मक (Quantitative) होता है। यह समाज के लिए कल्पाशुकारी होता है और इस अच्छाई की मात्रा को देखा होना आवश्यक सकता है।

(4) वान्ति (Revolution) के रूप में सामाजिक परिवर्तन—यह सामाजिक परिवर्तन का चरम रूप है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया तब सामने आती है जबकि परिवर्तन बहुत ही आकस्मिक और विस्मोटिक रूप भ होता है। वान्ति की मिथ्यनि में ग्राम्यिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भारी उन्नत-पर हो जाता है तथा एक नई समाज-व्यवस्था का निर्माण आवश्यक होता है। हम व्याप से देखें तो वान्ति भी एक प्रतिया ही है जबोकि वान्ति के लिए उत्तरदायी सभी परिस्थितियों और कारणों का विकास एकाएक नहीं हो जाता बल्कि उनका धीरे-धीरे संग्रह होना चाहिए। वान्ति द्वारा परिवर्तन लाने के लिए हिस्सात्मक भाग्यन बढ़ाया काम में लाए जाते हैं। लेकिन 'प्रौद्योगिक वान्ति' की तरह अहिसक वान्ति के माध्यम से भी सामाजिक-ग्राम्यिक परिवर्तन लाए जाने की अभ्यावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(5) अनुकूलन (Adaptation) के रूप में सामाजिक परिवर्तन—प्राय अनुकूलन भी सामाजिक परिवर्तन भी प्रमुख प्रतिया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न रूप्य ग्रथवा विभिन्न व्यक्ति संदैव एक दूसरे से समायोजन का प्रयत्न करते रहते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि व्यक्ति संदैव ही इन्हें को परिस्थितियों और पर्यावरण के अनुकूल नहीं बनाता बल्कि कभी-कभी पर्यावरण को

ही अपने अनुकूल बना लेता है या बना लेने का प्रयास करता है। इन दोनों ही स्थितियों में कोई न कोई परिवर्तन अवश्य होता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया अभियोजन (Adjustment), समाप्तोत्तर (Accommodation), सार्वभौमकरण (Assimilation), एकहस्ता (Harmony) आदि विभिन्न रूपों में देखने रो मिलती है। अनुकूलन के रूप में परिवर्तन प्रत्येक समाज में सदैव विद्यमान रहता है। दोनों ही प्रक्रियाएँ (प्रथात् स्वयं को परिवर्तित करने के अनुसार ढालने और आवश्यकतामुक्त समाज को ही बदल देना) समाज में सदैव कियाजील रहती हैं, फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन घटित होता रहता है।

### सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन (Social Change and Cultural Change)

सामाजिक परिवर्तन की अधिकारस्था को स्पष्ट करने के लिए यह जान नेना चाहिए कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन से भिन्न है। कुछ समाजशास्त्रियों ने जैस गिलिन एवं गिलिन ने, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई अन्तर नहीं माना है। उनका कहना है कि जीवन के स्वीकृत तंत्रोंको में परिवर्तन हो सामाजिक परिवर्तन है और चूंकि जीवन के स्वीकृत तंत्र द्वा का दूसरा नाम ही सम्प्रूद्धि है, अतः सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है।

लेकिन अधिकतर समाजशास्त्री दोनों में आतंरकरण है। डेविम ने लिखा है कि 'सांस्कृतिक परिवर्तन की परिधि सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा कही अधिक विस्तृत होती है।' यह सच है कि सम्प्रूद्धि वा कोई भी भाग सामाजिक व्यवस्था में पूर्णतः असम्बद्ध नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि सामाजिक व्यवस्था को विना किसी झान रूप में प्रभावित किए हुए, सम्प्रूद्धि की शास्त्रान्वयों में परिवर्तन हो सकता है।<sup>1</sup> डेविम के अनुमान सामाजिक परिवर्तनों का अर्थ केवल उन परिवर्तनों में है जो समाज की सरचना और समाज के कादों में होते हैं। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का केवल एक भाग है वयोंकि सांस्कृतिक परिवर्तनों में सामाजिक सरचना में होने वाले परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं जो कला, ज्ञान, आचार, प्रथा और परम्परा, विज्ञान और दर्शन, यन्त्रविद्या और वास्तुकला, विश्वास और कानून, आदतों और प्रविधियों अर्थात् सभी दोनों में होते हैं। मेकाइवर एवं पेज ने भी सामाजिक परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन से भिन्न माना है। तदनुसार, समाज सम्बन्धों को जाल है अतः सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है जबकि गांगृतिक परिवर्तन के प्रत्यर्गत कला, साहित्य, धर्म आदि सभी विषयों में होने वाले परिवर्तन सामाजिक हैं। मिल-मालिकों अमिकों के सम्बन्धों में कोई परिवर्तन होता है तो इसका सम्बन्ध समाज में होगा न कि सम्प्रूद्धि से जबकि मोटरों या वस्त्रों के डिजाइन में कोई परिवर्तन होगा तो इसका सम्बन्ध सम्प्रूद्धि से होगा न कि समाज से।

इस विवेचन के आधार पर अब हम सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में निम्नलिखित प्रमुख अन्तरों का संकेत बर सकते हैं—

1. सामाजिक परिवर्तन केवल सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले परिवर्तन हैं जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन के अन्तर्गत कला साहित्य, धर्म आदि में होने वाले परिवर्तनों को लिया जाता है।

2. सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन की परिवर्तन कही अधिक विस्तृत है।

3. सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप समाज का ढाँचा कुछ न कुछ अवश्य बदल जाता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप सकृति के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन होते हैं।

4. सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक और सचित दोनों ही कारणों या प्रयत्नों से निरन्तर रहती है जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन इस प्रक्रिया की उपज (Product) है अर्थात् सामाजिक परिवर्तनों का होना स्त्रामाविन है जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन साधारणत नियोजित होता है। सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए सबेत प्रयत्न करने पड़ते हैं।

5. सामाजिक परिवर्तन की बति सांस्कृतिक परिवर्तन की अपेक्षा तेज होती है क्योंकि सामाजिक सम्बन्धों में जितनी शीघ्रता से परिवर्तन हो सकते हैं उन्हीं जीघ्रता से कला, धर्म और धर्मन, विज्ञान और परम्परा आदि में नहीं हो सकते।

स्पष्ट है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन दो भलग अलग तरह के परिवर्तन हैं, लेकिन मिमता का अर्थ यह नहीं है कि दोनों में कोई सम्बन्ध है ही नहीं। वास्तव में दोनों का एक दूसरे से विनाश सम्बन्ध है और एक का प्रभाव दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कुछ न कुछ अवश्य ही पड़ता है।

**सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित अन्य धारणाएँ**

(Other Concepts of Social Change)

'सामाजिक परिवर्तन' एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सामाजिक जीवन में आने वाले सभी प्रकार के रूपान्तरण आ जाते हैं। अत इसमें सम्बन्धित कुछ अन्य अवधारणाएँ (Other Concepts) भी हैं जिनसे परिवर्तन की प्रणाली (Mode of Change) अधिक स्पष्ट होनी है। ऐसी तीन मुख्य अवधारणाएँ निम्नलिखित हैं—

- (1) सामाजिक प्रक्रिया (Social Process)
- (2) सामाजिक उद्विक्काम (Social Evolution)
- (3) सामाजिक प्रगति (Social Progress)

**सामाजिक प्रनिया**

(Social Process)

जब सामाजिक परिवर्तन में निरन्तरता होती है, तो उसे हम प्रनिया कहते हैं। मेहादीवर तथा पेंज के अनुसार, 'प्रनिया का अभिप्राय उस निरन्तर परिवर्तन से

है जो एक परिस्थिति विशेष में आरम्भ से ही मोजूदा शक्तियों की श्रियारोलना के मोहृष्यम से एक निश्चित प्रकार से होता है।<sup>1</sup> उदाहरणार्थ जब दो विभिन्न समूहों के व्यक्ति सम्पर्क में आते हैं तो उनके चरित्र में स्पष्ट परिवर्तन हो जाते हैं। ये समूह-प्रक्रिया हैं। उनमें यह परिवर्तन अन्त निया (Interaction) के कारण होता है। इसी प्रकार दो समूहियों के सम्पर्क में आने पर अन्त निया के कारण परिवर्तन होते हैं। यदि दो समूह या मस्कुलियों में विरोध हो जाता है तो उनमें संघर्ष (Conflict) की शुरआत हो जाती है और प्राच निर्वचन समूह या समूहियों को शक्तिशाली समूह या समूहनि से अभियोजन (Adjustment) करना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर शक्तिशाली समूह या समूहियों द्वारा उसका सात्योकरण (Assimilation) कर लिया जाता है। अभिप्राय यह हुआ कि प्रतिस्पर्द्धा, संघर्ष, सहयोग, एकीकरण, विघटन आदि सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं। ये सब प्रक्रियाएँ इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन, सागाठार, निरन्तर हो रहा होता है। यदि इनमें लगातार, निरन्तर परिवर्तन न हो रहा हो तो इन्हें 'प्रनिया' नहीं कहा जा सकता। विशेष बात यह है कि प्रक्रिया में हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। किन्तु इन परिवर्तनों की कोई निश्चित दिशा नहीं होती और न ही इनमें किन्हीं गुणों या दोषों का सकेत मिलता है। प्रक्रिया तो निरन्तर परिवर्तनमात्र है जिससे वस्तु-पठना एक मियनि से दूसरी स्थिति दी ग्रीष्म बदली है।

उल्लेखनीय है कि सामाजिक प्रक्रियाओं के दो मोटे रूप होते हैं—(अ) संगठनात्मक प्रक्रियाएँ (Associative Processes), एवं (ब) विघटनात्मक प्रक्रियाएँ (Dissociative Processes)। सहयोग, व्यवस्था, आत्मसात् आदि संगठनात्मक प्रक्रियाएँ हैं जबकि प्रतिस्पर्द्धा, संघर्ष आदि विघटनात्मक प्रक्रियाएँ हैं।

### सामाजिक उद्विकास (Social Evolution)

जब सामाजिक परिवर्तन में निरन्तरता होती है, किन्तु कोई विशेष दिशा नहीं होती तो उसे हम प्रक्रिया कहते हैं। जैकिन गद्दी प्रक्रिया किसी विशेष दिशा में होती है तो परिवर्तन को हम प्रक्रिया व कहकर उद्विकास (Evolution) की सज्जा देते हैं, जैकाइवर के शब्दों में "जब हम परिवर्तन में, निरन्तरता के प्रतिरक्त दिशा की भी व्यक्त करना चाहते हैं तो अन्य शब्द-समूहों वा प्रयोग करना। आवश्यक हो जाता है। वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए इन शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण उद्विकास (Evolution) है।"<sup>2</sup> उद्विकास को स्पष्ट करते हुए जैकाइवर ने लिखा है, "उद्विकास वा अर्थ वृद्धि से अधिक होता है। वृद्धि में भी परिवर्तन की दिशा का अर्थ निहित होता है, परन्तु यह दिशा केवल परिमाणात्मक प्रकृति की होती है। उद्विकास में किसी वस्तु अथवा संगठन के आकार में ही परिवर्तन नहीं होता अपितु उसकी रचना में भी परिवर्तन का होना निहित होता है। अर्थात् उद्विकास में कुछ

1. जैकाइवर एवं पेज वही, पृष्ठ 457.

2. वही, पृष्ठ 457.

अधिक आनंदिक परिवर्तन निहित होता है। उद्विकास से ही सम्बन्धित अन्य शब्दों-विकास (Development), प्रावर्तन (Regression) और अवनति (Restrogression) जैसे शब्दों में दूसी प्रकार का अर्थ निहित है। इन सभी शब्दों में कुछ मात्रा में आगे अथवा पीछे अथवा नीचे जाने का सुभाव मिलता है।<sup>1</sup>

मान्यता-ऐ—सामाजिक उद्विकास का सिद्धान्त डार्विन के प्राणिशास्त्रीय उद्विकास पर आधारित है। डार्विन ने कहा था कि किसी वस्तु का सरलता से जटिलता की ओर जाना उद्विकास है, और सरलता से जटिलता की ओर जाने की यह प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों में गुजरती है। स्पेन्लर के शब्दों में, “उद्विकास किसी तत्त्व (Matter) का समन्वय तथा उससे सम्बन्धित वह गति है जिसके द्वारा वह तत्त्व एक अनिश्चित असम्बद्ध समानता से निश्चित सम्बद्ध भिन्नता में बदलता है।”<sup>2</sup> स्पेन्लर के अनुमान प्राणिशास्त्री उद्विकास के नियम समाज और मस्तृनि के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं—

1. प्रारम्भ में प्रत्येक जीवित वस्तु सरल होनी है और उसके विभिन्न अंग इस तर पूले-मिले होते हैं कि उन्हें न तो अलग किया जा सकता है और न उनका कोई निश्चित स्वरूप बताया जा सकता है। यह ‘अनिश्चित असम्बद्ध समानता’ (Indefinite incoherent homogeneity) की स्थिति होती है। पर धीरे-धीरे उम वस्तु के विभिन्न अंग स्पष्टता और निश्चितता ग्रहण करते हैं। यह ‘निश्चित सम्बद्ध भिन्नता’ (Definite coherent homogeneity) की स्थिति है।

प्राणिशास्त्रीय उद्विकास का यही नियम समाज पर लागू होता है। प्रारम्भ में समाज अत्यन्त सादा और सरल था जिसके विभिन्न अंग इतने पूले मिले थे कि उन्हें पृथक् करना सम्भव न था। उदाहरणार्थ एक ही परिवार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी कार्यों को करता था। इसी प्रकार लोगों के कार्य, व्यवसाय और विचार लगभग एक-से थे। पर इस स्तर पर कुछ भी निश्चित न था। न निश्चित जीवन था, न निश्चित सामाजिक संगठन और न निश्चित स्कृति। दूसरे शब्दों में यह आरम्भिक अवस्था ‘अनिश्चित असम्बद्ध’ समानता की थी। लेकिन धीरे-धीरे लोगों के अनुभवों, विचारों और ज्ञान में उन्नति होती गई। सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न अंग स्पष्ट होते गए। परिवार, राज्य, धार्मिक संस्था, ग्राम, नगर, आदि ने स्पष्टता और निश्चितता प्राप्त की। इस प्रकार, निश्चित सम्बद्ध भिन्नता की स्थिति विकसित हुई।

2. जीवित वस्तु के विभिन्न अंग स्पष्ट और पृथक् होने के साथ-साथ अपने-अपने विशेष प्रकार के कार्य करने लगते हैं, जैसे हाथ अपना कपड़ करता है, और चलने का, मूँह खाने का तो आँख देखने का। समाज पर भी यही नियम लागू होता है। विकास के द्वारा समाज के विभिन्न भाग ज्यो-ज्यो स्पष्ट हृप लेते जाते हैं त्यो-त्यो द्वे अपने-अपने विशेष प्रकार के कार्य करने लगते हैं, अर्थात् समाज के विभिन्न अंगों

1. ऐकाइवर द्वारा ये वही, पृष्ठ 457-58

2. Herbert Spencer First Principles, p 396

के बीच थम-विभाजन और विशेषीकरण हो जाता है। परिवार एक विशेष प्रकार का कार्य करता है तो शिक्षण-संस्थाएँ दूसरे प्रकार के कार्य और राज्य मन्त्र प्रकार के कार्य।

3 जीव के विभिन्न अग विकसित और स्पष्ट होने पर यद्यपि ग्रन्ति-प्रन्ति काम करने लगते हैं, लेकिन सभी ग्रन्ति में वृद्ध ग्रन्ति सम्बन्ध बना रहता है। उनमें अन्तिमिंस्तता होती है। इसीलिए एक अग के खलाव होने पर दूसरे ग्रन्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। समाज में भी यद्यपि विभिन्न ग्रन्ति के विकसित हो जाने पर थम-विभाजन और विशेषीकरण हो जाता है, लेकिन वे अग एक दूसरे ने सबंधा पृष्ठ और आत्म-निर्भर नहीं होते। उनमें कुछ-न-कुछ अन्तिमिंस्तता बनी रहती है, कुछ में निश्चित अन्तःसम्बन्ध होता है। परिवार, राज्य से सम्बन्धित और उस पर निर्भर हैं तो राज्य भी परिवारों से सम्बन्धित और उन पर निर्भर है।

4 उद्दिकास की प्रक्रिया एक निरन्तर प्रक्रिया है, प्राणी के शरीर में कद, बौन-ना परिवर्तन हुआ इसे हम निश्चित हृप से नहीं बता सकते क्योंकि प्रतिक्षण उसमें विकास हो रहा है। बहुत कुछ यही बात समाज पर लागू होती है। सामाजिक उद्दिकास की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है और जिस तरह एक छोटा-सा जीव वर्षों में पूर्ण व्यक्ति का हृप धारण करता है उत्ती तरह एक समूर्ण समाज या निर्माण दीर्घावधि में धीरे-धीरे होता है।

5 उद्दिकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों से गुजरती है। एक जीव दृक्ष के हृप में विकसित होने से पूर्व अनेक स्तरों से गुजरता है। एक बच्चा पहले जन्म लेता है किर वचपन, युवावस्था, दृढावस्था आदि के स्तर पार करता है। समाज भी अपने सरल हृप से अनेक स्तर पार करते हुए जटिल हृप धारण करता है। उदाहरणार्थ, भाष्यिक जीवन में प्रारम्भ में 'अदला-बदली' की व्यवस्था थी और धीरे-धीरे आज वह जटिल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का हृप धारण वर चूका है। प्रारम्भ में व्यक्ति का जीवन परिवार तक ही सीमित था पर वृद्ध अन्तर्राष्ट्रीय बन गया है। समाज का यह सम्पूर्ण विकास अनेक स्तरों से होकर गुजरा है। सामाजिक जीवन में विकास-क्रम को मोटे तौर पर इन स्तरों में रखा जा सकता है— (1) शिकारी अवस्था, (2) चरवाही अवस्था, (3) हृषि अवस्था, एवं (4) आद्योगिक अवस्था। शिकारी अवस्था के अत्यन्त सरल और साधारण स्वरूप में विकसित होती होती समाज आधुनिक जटिल पौद्योगिक स्वरूप धारण कर सकता है। इस प्रकार समाज उद्दिकास का फल है, इसी किसी विशेष समय पर उत्पत्ति या रचना नहीं होती। उद्दिकास के इस लम्बे युग में समाज में भिन्नता और समन्वय दोनों ही के सत्त्व विकसित होते रहे हैं तथा इन दोनों तत्त्वों की नियाशीतता में कारण ही समाज का अस्तित्व सम्भव है। इसीलिए समाज को 'समन्वय और विभिन्नता का एक यतिशील सम्पुलन' कहा जाता है।

ममीशा—यद्यपि सामाजिक उद्दिकास का सिद्धान्त बड़े त्रस्तुत और नाकिक स्वर में प्रतिकृति किया गया है, लेकिन यह विभिन्न दृष्टियों से कठुआलोचना का विषय है—

1 इस मिद्दान्त के समर्थकों ने इस तथ्य की उपेक्षा करदी है कि सभी समाजों के लिए एक भा नियन तागू नहीं किया जा सकता। हर समाज की भौगोलिक और अन्य परिस्थितियों में भिन्नता होती है जिनका प्रभाव सामाजिक विकास की प्रक्रियाओं पर पड़ना स्वाभाविक है। यह नहीं माना जा सकता कि परिस्थितियों की भारी भिन्नताओं के बावजूद प्रत्येक समाज में उद्विकासीय प्रविष्टि एक-सी रही होगी।

2 उद्विकास के सभी चरण अथवा स्तर सभी समाजों में एक ही क्रम में आए हैं—यह दावा भी गलत है। आज भी अनेक ऐसी जन-जातियाँ हैं जहाँ शिकारी अवस्था, पशुपालन और कृषि प्रबन्ध भर—तीनों साथ माय चल रही हैं। उद्विकासीय मिद्दान्त आविष्कार और प्रमार के कार्यों की विहायकम में जो महत्ता है, उसकी उपेक्षा करता है। इस मिद्दान्त की मान्यता है कि प्रत्येक परिवर्तन प्राकृतिक शक्तियों में होता है जबकि इस इस सच्चाई को नहीं खुलता लक्षि कि मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों को अपने नियन्त्रण में लेकर अनेक नए परिवर्तन भी करता है।

3 यह मिद्दान्त इन तथ्य की अवहेलना कर देता है कि स्तरिति भा एक स्थान ने इसरे स्थान को प्रसार होता है। प्रसार (Diffusion) के मिद्दान्त को मूला देना और इस तरह उसके परिणामों को नजरों से ओझल कर देना इस मिद्दान्त की घटी भूल है। एक स्तरिति को मानने वाले लोग ज्यो-ज्यो दूसरी स्तरिति के समर्क में आते हैं, सांस्कृतिक प्रादान इदान बढ़ते हैं जिससे स्तरितियों का विकास होता है।

4 प्रसार की भाँति ही आविष्कार के महत्त्व की भी उपेक्षा करदी गई है। स्वत सामाजिक विकास के साथ आविष्कारों के फलस्वरूप सामाजिक विकास किनारा होता है, इस तथ्य की उद्विकासीय सिद्धान्त में उपेक्षा कर दी गई है।

संक्षेप में, सामाजिक उद्विकास के मिद्दान्त को हम सर्वथा प्रामाणिक या मान्य नहीं कह सकते। इसमें असमितियाँ हैं दुर्वलताएँ हैं। पर साथ ही इसे पूर्ण ठुकराया भी नहीं जा सकता क्योंकि यह किमी सीमा तक हम समाज के विस्तृत इतिहास को समझने में सहायता देता है। इस मिद्दान्त में सांस्कृतिक विकास के अध्ययन का एक अच्छा सिलसिला मिलता है। इसकी उपेक्षा कर देना एक अध्ययन-पढ़ति से बचित रह जाना है।

### सामाजिक प्रगति

#### (Social Progress)

विकास जब इच्छित दिशा में चलता है अर्थात् विकास की प्रक्रिया जब अपि को जाती है, यीदे को नहीं जाती तब हम 'प्रगति' (Progress) शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रगति में प्रादर्शात्मक मूल्यों (Normative Values) का भाग निहित रहता है। न्यूरॉ शहरों में, प्रगति में हम, अच्छे, बुरे, आ, उसके मूल्यांकन का, प्रियंग, करते हैं। प्रगति में विकास की दिशा का कोई न कोई लक्ष्य होता प्रावधारक है। इस लक्ष्य का निर्माण प्राकृतिक शक्तियों (Natural Forces) द्वारा न होकर समाज के मूल्यों (Values) से होता है। प्रगति (Progress) और प्रवृत्ति या परावर्तन (Regression) का निर्णय विभिन्न व्यक्ति-गम्भीर अपनी मानसिकता (Mentality) एवं अनुभव के अनुसार करने हैं।

मेकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि "प्रगति का तात्पर्य केवल दिशा में नहीं होता, बल्कि किसी अन्तिम लक्ष्य की ओर जाने वाली दिशा पे होता है, और किसी ऐसे ग्रादर्श पर गन्तव्य से होता है जिसका विनार कार्यरत जातियों के केवल बस्तुपरक विचार पर आधारित नहीं होता।" लुम्से के शब्दों में, "प्रगति एक परिवर्तन है, लेकिन यह इच्छिता ग्रथवा मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाला परिवर्तन है, किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन नहीं।" याँगवर्न एवं निश्कर्णक के मतानुभार, "प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए होने वाला वह परिवर्तन है जिसमें मत्य निधीरण का तत्त्व निहित हो।" इसी प्रकार गिन्सवर्ग की हाइट में, "प्रगति का अर्थ उस दिशा में होने वाला विकास है जो सामाजिक मूल्यों का विवेकयुक्त हल प्रस्तुत करता हो।"

इन विभिन्न परिभाषाओं से धरी निष्कर्य निकलता है कि समाज के ऐच्छिक और मृजनात्मक परिवर्तन का ही दूसरा नाम 'प्रगति' है। प्रगति के लिए मूल्य-निधीरण का तकसंगत मापदण्ड और निश्चित लक्ष्य होना आवश्यक है।

**विशेषताएँ—सामाजिक प्रगति के अर्थ को हम इसकी निम्नलिखित विशेषताओं के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हैं—**

**1. बौद्धित दिशा की ओर परिवर्तन—** जब परिवर्तन बौद्धित दिशा ही ओर होता है तभी प्रगति है, अन्यथा नहीं। परिवर्तन समाज की हाइट में लाभकारी भी हो सकता है और हानिकारक भी। इन्तु प्रगति सदा नाभदायक तत्त्व लिए होनी है। इससे पैदे एक निश्चित लक्ष्य होता है और जब समाज उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है।

**2. प्रगति तुलनात्मक है—** प्रत्येक समाज में प्रगति का अर्थ एक सा नहीं होता। कुछ समाज आधारितिक उन्नति को वास्तविक गणत मानते हैं तो दूसरे समाज भौतिकता को प्रगति का आधार मानते हैं। इस प्रकार प्रगति या मापदण्ड सामाजिक मूल्य-द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों की ओर परिवर्तन कहा जाना है।

**3. निश्चित लक्ष्य—** प्रगति के लिए एक निश्चित लक्ष्य होना जरूरी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति से ही समाज में उत्पन्न होती है।

**4. सामूहिक जीवन से सम्बन्धित—** प्रगति किसी एक या कुछ व्यक्तियों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को नहीं कह सकतो। प्रगति उभी होती है जब सामाजिक परिवर्तन अधिकांग संगो के हित में हो।

**5. स्वचालित नहीं—** प्रगति स्वचालित नहीं है बल्कि मनुष्य के सक्रिय प्रयास और परिश्रम पर आधारित है। समाज में बौद्धित लक्ष्यों की पूर्ति तभी सम्भव है जब हम जागरूक होकर प्रयत्न करें।

**6. केवल मनुष्य से सम्बन्धित—** प्रगति का भौमध्य केवल मनुष्य से है, किन्तु अर्थ प्राणी से नहीं। प्रगति का अर्थ मान्यता—प्राप्त लक्ष्यों की आर बड़ना ही और लक्ष्य केवल मनुष्य ही निश्चित करना है।

उद्विकास और प्रगति में अन्तर—इन दोनों ही शब्दों में यद्यपि परिवर्तन का बोध होता है, लेकिन इन दोनों में निम्नलिखित मौलिक भेद है—

1. उद्विकास विशेषत, एक जैविकीय धारणा है जबकि प्रगति एक नैतिक धारणा है। उद्विकास जैविकीय नियमों पर आधारित है और जैविकीय परिवर्तनों के नम द्वारा स्पष्ट करता है। समाज से इसका विशेष सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत प्रगति का समाज से अनिष्टतम् सम्बन्ध है। समाज की नैतिकता से यह निश्चित किया जाता है कि कौन-सा परिवर्तन प्रगति है अथवा नहीं।

2. उद्विकास सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें आगे आने वाली अवस्था का पिछली अवस्था से सम्बन्ध होता है। प्रगति का तात्पर्य एक इच्छित दिशा की ओर होने वाला परिवर्तन है।

3. उद्विकास मानवीय नियन्त्रण में मुक्त है जबकि प्रगति के लिए मानवीय नियन्त्रण आवश्यक है। जहाँ विकास एक अनियन्त्रित और प्राकृतिक प्रक्रिया है वहाँ प्रगति एक नियन्त्रित प्रक्रिया है।

4. विकास की धारणा मार्दभौमिक है क्योंकि जैविकीय नियम सभी समाजों में एक में होते हैं। इसके विपरीत प्रगति की धारणा तुलनात्मक है क्योंकि सभी समाजों के नैतिक मापदण्ड, सामाजिक मूल्य आदि एक दूसरे से भिन्न होते हैं।

5. विकास की प्रक्रिया स्वचालित होती है जबकि प्रगति पूर्णतः मनुष्यों के जागरूक प्रयत्नों पर निर्भर है।

6. विकास की प्रतियोगीकरणीय होती है जबकि प्रगति का सम्बन्ध भौतिक तथ्यों के तीव्र परिवर्तनों से होता है।

स्पष्ट है कि प्रगति और विकास की धारणाएँ परस्पर भौलिक अन्तरों को लिए हुए हैं पर वे दोनों ही सामाजिक जीवन के दो महत्वपूर्ण जटिल तथ्य हैं। इसका उपयोग भारी सावधानी से किया जाना चाहिए।

प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं है (Every Change is not Progress)—प्रगति सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंग है, लेकिन हम प्रत्येक परिवर्तन को प्रगति नहीं कह सकते, क्योंकि यिन्हा किसी उद्देश्य की पूर्ति किए भी परिवर्तन सम्भव है। इसके अतिरिक्त, जहाँ परिवर्तन यिसी भी दिशा में हो सकता है वहाँ प्रगति के लिए आवश्यक है कि परिवर्तन इच्छित दिशा की ओर ही हो। इस प्रकार प्रगति सामाजिक नियोजन का पर्यायवाची रूप है। सामाजिक परिवर्तन से समाज को लाभ भी हो सकता है, और हानि भी, लेकिन प्रगति एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करती है, जिसमें सदैव लाभ ही पहुँचता है। प्रगति की दिशा भी सामाजिक मूल्यों और आदर्शों के अनुसार निश्चित होती है। वास्तव में, जैसा कि हम कह चुके हैं, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रतियोगी है जिसका रूप सदैव एक-मा नहीं रहता। इसके रूप और इसकी मात्रा को स्पष्ट करने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनमें परिवर्तन, प्रक्रिया, उद्विकास, प्रगति आदि मुख्य हैं।

यह कि विभिन्न प्रवार के सम्पूर्ण समाजों के बीच की सुलता, धर्मि कठिन है फिर भी, प्रामाणिकता का अस्थिक दावा कर सकती है।<sup>1</sup>

### सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन के कारक (Factors of Socio-cultural Change)

सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए कोई एक कारक नहीं अद्यता कारक उत्तरदायी है। नारण और वारव में कुछ अन्तर है। इतिहासकार उन घटनों को कारणों की सौजन्य करने का प्रयत्न करता है जो किमी विशेष घटना को उत्पन्न करते हैं जबकि एक समाजशास्त्री उन घटियों को सौजन्या है जो कारणों के एक वर्षे द्वारा उत्पन्न होते हैं। इन कारणों के बारे को हम "कारकों" (Factors) की मांगा दें सर्वते हैं।<sup>2</sup> प्राये हम कुछ इन विशेष कारकों का विवेचन करेंगे जो समाजशास्त्रियों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से प्रत्येक वा सामाजिक परिवर्तन के एक विशेष सिद्धान्त में पृथक् पृथक् धर्मशास्त्रियों द्वारा होता है।<sup>3</sup>

#### (1) प्राकृतिक कारक

#### (Natural Factors)

धृष्टि पर्याप्त सम्यता और ज्ञान विज्ञान का विविकारी होने पर भी सम्पूर्ण प्रकृति पर विद्यु प्राप्त नहीं कर पाया है। मतः कई वार प्रकृति प्रणो तरीके में सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। प्राकृतिक सकटों के फलस्वरूप सामाजिक बीवर में नालिकारी परिवर्तन आ जात हैं कल के एक शहर और गाँव आज उजाड़ या ढीरात् स्थानों में बदल जाते हैं। गर्मी, मर्दी बर्षा, भूकम्भ भूमि की बनावट आदि प्राकृतिक दशाओं तथा विभिन्न प्राकृतिक सूचनाओं का व्यक्तिगत विचारों पर बढ़ा प्रभाव पड़ता है। इनसे व्यक्तियों में प्रेरणा और आत्मवल का स्वावर होता है तो उनमें निराकार और इकमाहीनता भी प्राप्त सकती है। प्रकालों के फलस्वरूप बनावट और लोगों के पारस्परिक सम्बन्ध में भवकर परिवर्तन उपस्थित हो जाते हैं। इहां जाता है कि कुछ प्रीहित मर्द बड़वे को छोड़कर खनी जाती है पर्ति मुख्य भीर चावल में लिए पत्ती को बेख देता है और रोटी के टुकड़े के लिए मनुष्य और कुत्ते में संघर्ष होता है। हैजा ऐसे आदि महामारियों का प्रभाव लोगों के जीवन और सामाजिक सम्बन्धों पर अवश्य ही पड़ता है। प्राकृतिक धर्मों भीयोगिक परिवर्तनों पर मनुष्य का नियन्त्रण यहां कम अवश्या नहीं होता है, अन् इस प्रकार के परिवर्तनों के साथ-साथ उक्तों भी परिवर्तित होता ही पड़ता है। बकल तथा हटियटन का तो अभियंत है जि जातायु सम्पूर्ण सम्यता के विकास प्रौर विनाश का कारण बन सकती है और प्राकृतिक अवस्था के अनुसार ही मनुष्य की बल्यना, भौतिक विकास आदि सम्भव होते हैं।

1. शीरसीड़ बही, देव 526

2 बही, देव 526

## (2) प्राणिशास्त्रीय कारक (Biological Factor)

प्राणिशास्त्रीय अवधा जीवशीय कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। जनसंख्या की रचना, उसका घटना-बढ़ना, वितरण, स्त्री-पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, वर्गियों के जातीयिक और मानसिक गृहण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन लागों का आना आदि प्राणिशास्त्रीय कारक में लिए जाते हैं। ये सभी बातें सामाजिक समठन और सम्बन्धों को परिवर्तित करके सामाजिक रूप को अनुभाविक बदल देती हैं। उदाहरणार्थ, यदि वज्ञानुसरण द्वारा दुर्बल सन्तानों हो रही हैं अर्थात् फिसी समाज में स्वास्थ्य का स्तर नीचा है तो उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर अवश्य ही पड़ेगा। जीवनावधि कम होने से देश में अनुभवी व्यक्तियों की कमी होगी और इस प्रकार सामाजिक व्यविकासों की सम्भावनाएँ भी कम हो जाएंगी। फिसी समाज में अधिकावधिक लड़के ही पैदा होने जाने से लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी, लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक होगा, जिसका कार्यकार्थ विवाह विवरण पर अवश्य अधिक होगा तो बहुआत्मीय प्रथा पन्दिती होगी। यदि समाज में दाढ़ीवियों का जन्म अधिक होगा तो बहुआत्मीय प्रथा पन्दिती होगी। फलस्वरूप अधिक गत्वान पैदा होगी, पुरुषों का स्वास्थ्य गिरेगा और हितों की दशा दृष्टीय हो जाएगी।

## (3) जनसंख्यात्मक कारक

### (Demographic Factor)

जनसंख्यात्मक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए अनेक प्रकार में उत्तरदायी हो सकते हैं—

प्रथम, जनसंख्या के प्राकार और जनसंख्या के घनत्व के घटने-बढ़ने में सामाजिक परिवर्तन हो जाने की सम्भावना रहती है। उदाहरणार्थ, जन्म दर बढ़ने और मृत्यु दर घटने से देश में जनसंख्या बढ़ेगी और यदि अतिजनसंख्या की स्थिति पैदा हो गई तो देश में भूखपरी, मरुमारी आदि का प्रकोप होगा। जाति करोड़ी व्यक्ति मृत्यु का चिकार होगे। इन सब बातों का सामाजिक जीवन और सम्बन्धों पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर जन्म दर घटने और मृत्यु दर बढ़ने से देश की जनसंख्या गिरती जाएगी और समाज में कार्यशील व्यक्तियों की भी उत्पत्ति हो जाएगी। फलस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनों का भरपूर प्रयोग नहीं हो पाएगा, देश को आर्थिक दशा गिरेगी, परिवारों का प्राकार घटहा जाएगा और इन सब के कानून सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्धों में परिवर्तन होंगे। यह स्वाभाविक बात है कि जनसंख्या बहुत अधिक होने से गरीबी और वैश्वारी का प्रसार होगा, अपराधी मतोवृत्तियों को प्रोत्तमाहत मिलेगा, तथा जनसंख्या बहुत कम होने से भी सामाजिक परिवर्तन प्रतिकूल रूप में प्रभावित होगा।

द्वितीय, यदि आप्रवास (Immigration) होगा अर्थात् एक देश में दूसरे देश से आग आकर बसेंगे तो भी सामाजिक परिवर्तन होगा। विभाजन के बाद भारत में

परिवर्ती और पूर्वी पारिवर्तन में लगभग 90 लाख लोगों ने आर्कार बम जाने में यहाँ से मौस्कुलिंग, अधिक और सामाजिक जीवन में किन्तु परिवर्तन था गए, यह बनाने की आवश्यकता नहीं। आपदान में न देवत इसी समाज की जनसम्प्य में शृंखि होनी है वल्कि प्रतीकी (Racial) श्रेणि में इसी अधिक बड़ा प्रभाव स्पष्ट होता है। समाज में ऐसे लोगों की सम्प्य बढ़नी है जिनकी 'मन्दूति, प्रतीकी विगेपनाएँ सामाजिक मूल्य, जीवन-भूत प्रादि मूल-निवासियों में भिन्न होने लगता है, परम्परा दोनों समूहों की विभिन्न मन्दूति विभिन्न होने लगती है, अबहार के तरह दृग फनफने हैं और जैवीय गुणों के भिन्न होने जान में अक्षियों की मानसिक और जारीरिक विगेपनाएँ भी परिवर्तित होने लगती हैं। इन सभी बानों का प्रमाण लोगों के चिन्ह-प्रणाली, नैतिकता, अवहार-प्रतिमानों प्रादि पर पड़ता है और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन होता है।

तीव्र, यदि उत्तराधि (Emigration) होता है अर्थात् इमारे समाज में अस्ति दूसरे समाज में चले जाने हैं तो हमारी जनसम्प्य कम होने लगती है और अस्तिवृष्टि उत्तराधि-जावनों से पुनः अभिनोन की समस्या उत्पन्न होती है। उत्तराधि के अस्तिवृष्टि सामाजिक बुद्धि ममय के निए अधिकों का अनुपात बढ़ता है, क्योंकि उत्तराधि पृथ्वी द्वारा ही प्रायः अधिक सस्या में होता है। अनेक परिवारों में पुरुषों की अनुपस्थिति के अस्तिवृष्टि सामाजिक परिवर्तन के तत्त्व प्रबल हो जाने हैं। इस प्रकार समाज में परिवर्तन होने लगता है।

चतुर्थ, जनसम्प्य के अन्तर्व के बटने से भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जनसम्प्य का अन्तर्व अधिक होने से उस अधिक जनसम्प्य का यानने-यानने के निए नए-नए आविष्टारों से सामाजिक प्रगति सरल होती है और यह बूँदि तरा नई भूमि पर बूँदि की प्रो-याहन मिलता है। किंर भी यदि भूमि पर जनसम्प्य का दबाव बना रहता है तो लोग यादों को छोड़कर शहरों में बसने लगते हैं और इस प्रकार गहरों का विचास होता है।

अन्त में, आयु लिंग, देवाहिक स्तर आदि वा अर्थात् जनसम्प्य सम्बन्धी सरचना का भी सामाजिक परिवर्तन से निकट सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ, यदि जनसम्प्य में अधिक आयु के लोगों की अधिकता होती है तो अनुगासन के बड़ी नियम पनपते हैं और परमाणुक विचारों की रक्षा की जाती है। उदमाहृत्युं कामों की ओर प्रायः शिथिलता पाई जाती है। यदि बृहों की अपेक्षा युवकों की सहस्र अधिक होती है तो अन्तिमता के प्रति आकर्षण बढ़ता है, घर्म में तक वा प्रवेश होना है, सैरिंग अक्रीयाएँ बढ़ती हैं और शक्ति तथा उत्तमाधि का बातावरण पनपता है। यदि पुरुषों की प्रवृक्षा विधियों का अनुपात बढ़ते कम होता है तो समाज ने हर दोनों में पुरुषों की प्रवासना मिलती है और यदि अधिकों का अनुपात अधिक होता है तो सामाजिक पद, आर्कार सेवाओं, राजनीतिक प्रतिनिवित्र आदि में स्थियों की पुल्यों से कम महन्त्र पाय नहीं दिया जाता, जैसाकि परिवर्ती देशों में—विशेषकर अमेरिका और फ्रांस में है। जब

स्थिरी पुस्तकों के कार्य करने लगती हैं जो इन्होंने पुस्तकों में सम्भवतः आदने पनप जाती हैं और पति-पत्नी, माला-फिला, तथा बच्चों के पारस्परिक सम्बन्धों में परिवर्तन आ जाते हैं।

#### (4) प्रौद्योगिकीय कारक

##### (Technological Factor)

आधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तनों का सम्भवन सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकीय कारक है। नई मशीनों, नए यन्त्रों के आविष्कारों का प्रभाव सामाजिक जीवन पर अवश्य पड़ता है। नेवाइवर द्वया यज्ञ ने टीक ही लिखा है कि वाष्प-इजनों के आविष्कार से सामाजिक जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन में इन्हें कानूनिकारी परिवर्तन हुए हैं कि उनकी कल्पना भी बढ़िया है। आगे दाने ने रेडियो के आविष्कार के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले 150 परिवर्तनों का उल्लेख किया है। ये तथ्य हमसे दिखाए नहीं हैं कि मशीनों प्रादि के आविष्कार से वृहद्भूतीय उत्पन्न सम्भव हुआ है श्रम-विभाजन और विशेषीकरण का महत्व बढ़ा है, व्यापार और वाणिज्य का प्रसार हुआ है, नगरों का तीव्र गति से विकास होने लगा है, जीवन स्तर ऊँचा उठा है, विभिन्न शास्त्रिक संकाठों द्वारा व्यौद्योगिक संघर्षों में अभिवृद्धि हुई है, ग्रामों का नवरीकरण हुआ है, सदृश एवं उत्पन्न हुई है, घर्म का प्रभाव घटा है, इन्होंने क्षिति में परिवर्तन आया है और वे धर में बाहर काम करने लगी हैं, नई-नई सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, आदि। बीरस्टोड ने लिखा है—“कारण (आविष्कार) से परिणाम (सामाजिक परिवर्तन) की गति एक सरल या स्वचालित प्रक्रिया है।”

#### (5) राजनीतिक तथा मैनिक कारक

##### (Political and Military Factor)

बीरस्टोड ने लिखा है कि “कुछ लेखकों के अनुसार मामाजिक परिवर्तन युद्धों (Battles), दृष्ट्युट लडाईशों (Skirmishes), दासों (Dynasties) और युद्धों, विजय तथा पराजय की कहानी है। वास्तव में, इतिहास कुछ ही समय पूर्व तक भी सैनिक शक्ति के द्वायार पर ही लिखा गया था और इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन में भी मैनिक समाजीय सिद्धान्त विद्यमान है।”<sup>1</sup> यदि मराठों की लडाईयों में परशियनों ने अपेनियनों की नहीं हराया होता, यदि नमोनियन का मास्को पर आक्रमण सफल हो गया होता, यदि हिंटलर इतिलिश जैनल का पार कर लेना, तो सैनिक सिद्धान्त के अनुसार सम्भवना का नम कुछ और ही होता।<sup>2</sup> यदि हम इन व्याख्याओं को स्वीकार करें, तो इतिहास को केवल थल घौंसते सेनाओं को छाने गिरते भाग्यों के सम्बन्ध में ही समझा जा सकता है। एक सेना की विजय वह एकमात्र कारक बन जाता है जो एक समाज के विकास में पनेकों परिवर्तनों की व्याख्या करता है। इस प्रकार समाज की कहानी सर्वथा और युद्ध, विजय और पराजय की कहानी है। यद्यपि

1. Bierstedt, The Social Order, p. 513

2. Ibid., p. 59

सामाजिक परिवर्तन में सैनिक कारक वे महत्व पूर्ण स्वीकार करना होगा, तथा पि बीरस्टीड का यह लिखना उचित है कि 'सैनिक निदान' अकेना ही युद्ध के समाज-शास्त्र (Sociology of war) की व्याख्या नहीं कर सकता।"

सैनिक बारक को राजनीतिक बारक से पृथक करना कठिन है क्योंकि इतिहास के अनेक प्रकरणों में क्रान्ति और युद्ध की राजनीतिक पटनाएँ हैं। इतिहास एक भूतकालीन राजनीति है और राजनीति इतिहास को प्रस्तुत करती है। "वह ढंग (The manner) जिसके द्वानुमार दाग स्वयं पर और दूसरों पर शायन करते हैं"—उन महत्वपूर्ण हृष्टियों में से एक है जो हम समाज के बारे में पूछ सकते हैं। यद्यपि इतिहास कभी शासकों और शासन-धरानों की कहानी या और इन राजवादों में हए परिवर्तनों का उन सभी समाजों पर प्रभाव पड़ता था जिन पर कि वे शासन करते थे, तथापि इन राजनीतिक और राजवादीय प्रभावों का समाजशास्त्रीय महत्व अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।<sup>1</sup>

## (6) सांस्कृतिक बारक

### (Cultural Factor)

सामाजिक परिवर्तन के सौकृतिक बारक में हम धर्म, विचार, नीतिकता, विवाह, प्रथा, परम्परा, लोकाचार, जनभूत, विभिन्न संस्थाओं आदि को लेते हैं। इनके फलस्वरूप यह जाने वाले कोई भी परिवर्तन हमारे सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन लाते हैं। उदाहरणार्थ, समाज में प्राय नई पीढ़ी अपनी प्रथाओं और परम्पराओं को वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त समझती है, अत नए सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। विवाह आज के बल धार्मिक सत्कार नहीं रहा है बल्कि एक 'समझीता' बन गया है और अनेक विवाहों का अन्त विवाह-विच्छेद में हो रहा है। विवाह का आदर्श आज बदल चुका है। धर्म महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों को जन्म देता रहा है। धर्म और नीतिकाना में परिवर्तन होने में सामाजिक स्थायित्व में प्राय कमी आती है और ध्यक्तिवादिता में तृदि होती है। संस्थाओं के परिवर्तन से सम्भवत् सर्वाधिक सामाजिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि सास्थाएँ ही सामाजिक जीवन को नियन्त्रित करती हैं। विवाह-सन्धा में परिवर्तन का उदाहरण हम दे चुके हैं। परिवार संस्था में विघटन से न केवल दैयक्तिक जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं बल्कि सामाजिक जीवन में भी विनिन्न परिवर्तन होने हैं। ध्यक्तिवादी और अन्य मनोवृत्तियों के विकास के माय आज सन्तान का महत्व घट रहा है जिसमें लोग कम से कम वच्चों को जन्म देना चाहते हैं। फलस्वरूप परिवारों के आकार में कमी और इसके बारण देश की जनसंख्या तृदि पर प्रतिकूल प्रभाव घटित होते हैं। धार्मिक, आधिक, राजनीतिक एवं अन्य संस्थाओं के परिवर्तनों से महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों की निरन्तरता बनी रहती है।

**सांस्कृतिक विलम्बन (Cultural Lag)**—यह हमें आँगबर्न के "सौकृतिक विलम्बन" (Cultural Lag) के सिद्धान्त को भी समझ लेना चाहिए। आँगबर्न

द्वारा मस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के सन्दर्भ में इस भिद्धान्त का उल्लेख सर्वप्रथम सन् 1922 में प्रकाशित प्रफनी पुस्तक 'Social Change' में किया गया और उत्पत्तिवाला सन् 1947 में प्रकाशित अन्य पुस्तक 'A Handbook of Sociology' में। बीरस्टीड के शब्दों में, 'आँगवर्न के सांस्कृतिक विलम्बन का भर्त्य यह है कि सस्कृति के एक भाग का परिवर्तन दूसरे को प्रपक्षा अधिक शीघ्रता से होता है और ऐसा ही संदेह होता रहता है। कलम्बस्ट दो भागों में सन्धि भए हो आती है। वास्तव में यदि सम्पूर्ण नहीं तो भनको सामाजिक समस्याओं का कारण यही है कि सस्कृति के विभिन्न तत्त्वों का एक दूसरे से समुचित समझजस्य नहीं हो पाना। समाज को नए आविष्कारों के कलम्बस्ट उत्पन्न होने वाले आवातो और नवीनता के साथ सामर्ज्यकरण में एक लम्बा समय (जिसे कभी तो ज्ञानियों का समय) लग जाता है, और याविष्कारों को गणि सामर्ज्यकी सम्भावनाओं से विरक्तर आगे बढ़ सकती है।'<sup>1</sup> आँगवर्न द्वारा प्रस्तुत यह 'विलम्बन' (Lag) का तात्पर्य 'पीछे रह जाना' अथवा लगाड़ जाना है, अर्थात् सस्कृति के भौतिक पक्ष की तुलना में जब अभौतिक पक्ष पिछड़ जाना है तो सम्पूर्ण सस्कृति में एक असम्मुलन की हितिं पैदा हो जाती है और यही स्थिति 'सामूहितिक विलम्बन' (Cultural Lag) कहलानी है। आँगवर्न ने उन विभिन्न समस्याओं और परिस्थितियों को गिनाया है जो सोस्कृतिक विलम्बन के कलम्बस्ट उत्पन्न हो जाती हैं। यद्यप्रथम तो सामाजिक परिवर्तन होने सम्भवता है क्योंकि सस्कृति के एक भाग के दूसरे भाग से पिछड़ जाने में लोगों के व्यवहार के तरीकों और प्रविधियों नथा उनकी मनोवृत्तियों पर प्रभाव पड़ता है। सोग परिवर्तन दशाओं से नए मिरे में अनुकूलन करने को बाध्य होते हैं, अतः परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि सांस्कृतिक विलम्बन काफी लम्बे समय तक चलता रहता है तो व्यक्तिगत और सामूहितिक विषयों उत्पन्न होने लगती है। सांस्कृतिक विलम्बन का एक अन्य परिशाम समाज की महत्वपूर्ण समस्याओं के बार्यों वा दूसरी समस्याओं की हस्तान्तरण है। यह डमनिंग होता है कि पिछड़ जाने की स्थिति में समाज की महत्वपूर्ण प्रथाओं और लोकाचारों की उपर्योगिता समाप्त होने लगती है और उनके स्थान पर नवीन सम्भाएँ पहले लगती हैं। इस प्रकार, सांस्कृतिक विलम्बन विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों और सामाजिक समस्याओं को जग्य देता है।

### (7) महान् लोगों को भूमिका (The Role of Great Men)

बीरस्टीड ने सामाजिक परिवर्तन के एक अन्य कारक 'महान् लोगों की भूमिका' पर टिप्पणी की है। वहां से लोगों वा हितिकोण है कि इनिहाम कभी भी महान् पुरुषों और महान् स्थितियों के प्रभाव से विमुक्त नहीं होता है। नि संवेद समाज को मोड़न, घटनाओं को नई दिशा देन, आदि की हितिं से महान् व्यक्तियों के प्रभाव

की उपेक्षा नहीं की जा सकती लेकिन वास्तविकता यह है कि "ग्रन्तिम रूप में, सभी सामाजिक परिवर्तन पुरुषों और स्त्रियों की क्रियाओं के कारण ही घटित होते हैं। एक समाज में मनुष्य कहीं न कहीं किसी प्रकार से परम्पराओं को थोड़ा बहुत खण्डित करता है और वह एक अन्य दृग से कुछ करता है। वह एक सक्षिप्त मार्ग ढूँढ़ता है। वह एक नया विचार प्रस्तुत करता है अथवा एक नई खोज करता है। वह एक 'महान् व्यक्ति' हो अथवा नहीं, लेकिन उपरोक्त कार्य वरके वह सौस्कृतिर जलस्रोत (Stream of Culture) को क्षुध बर देना है और जिस प्रकार पानी में पथर फैलन पर पानी नारी और उद्धनता है उसी प्रकार सौस्कृति के जल स्रोत रोक्षुद बर देने से उठी हुई लहरें सदैव चलनी रहती हैं तथा कुछ समय बाद सम्भवि के सभी ग्रन्थ और समाज के सभी क्षेत्र इससे प्रभावित हो सकते हैं।"<sup>1</sup>

### (8) आर्थिक कारक (Economic Factor)

सामाजिक परिवर्तन को आर्थिक आवार पर भी स्टैट किया जाता है। इसका प्रमुख थेय कार्ल मार्क्स को है। सम्पत्ति का रूप, व्यवसाय की प्रकृति, सम्पत्ति का वितरण, व्यापार-चक्र, वर्ग-संघर्ष, व्यक्तियों का जीवन-स्तर, उत्पादन का ग्राहक आदि समाज को एक विशेष रूप पदान करते हैं। इन परिस्थितियों में जो भी परिवर्तन होते हैं वे विविध सामाजिक परिवर्तनों को जन्म देते हैं। उदाहरणार्थे यदि सम्पत्ति का रूप पूँजीवाद के स्थान पर समाजवादी हो जाए तो आर्थिक परिस्थितियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन आ जाएगा और परिणामस्वरूप एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होगा। वास्तव में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आर्थिक कारकों में क्रान्तिकारी परिवर्तन के फलस्वरूप ही हसी समाज में अल्पकाल में ही इलना परिवर्तन हो गया है कि द्वितीय महायुद्ध से पूर्व रूस को और भारत के रूस को पहचानना कठिन है। व्यापार में होने वाले परिवर्तन कभी नभी समाज को इतने प्रभावित करते हैं विसमाज विघटित तक हो जाता है। सार्वजनिक आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन लाने में निरण्यिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और अन्य कारकों से मिलकर ये निरण्यिक रूप से प्रभावशाली हो उठते हैं।

वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन के एक नहीं बरन् प्रनेक कारण हैं। एक कारण समाज में प्रनेक परिवर्तनों को जन्म दे सकता है और प्रनेक कारण मिलकर भी एक परिवर्तन कर सकते हैं। किन्तु परिवर्तन की प्रक्रिया इकती कभी नहीं है। परिवर्तन एक अनिवार्य नियम है जो समाज में सदैव व्याप्त रहता है।



## सामाजिक नियन्त्रण और प्रमुख संस्थाएँ

(SOCIAL CONTROL AND MAJOR INSTITUTIONS)

मनुष्य ने प्रचली और हुए दोनों प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। उसमें उन प्रवृत्तियों के भी दर्शन होते हैं जो पशुओं में पाई जाती है। व्यक्ति को पूरी अवधि छोड़ देने पर यह सम्भव है कि वह स्वेच्छाधारी आचरण करे और सामाजिक दृष्टि अस्त-अस्त हो जाए। अतः इस स्थिति से बचने के लिए सामाजिक नियन्त्रण का पार्ग अपनाया जाता है। समाज में कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिनसे व्यक्तियों के व्यवहार नियन्त्रित रखे जा सकते हैं। समाज में सामाजिक नियन्त्रण एक मनुष्यन शक्ति के हथ में कार्य करता है। प्रत्युत अध्याय में हम सामाजिक नियन्त्रण के परिचयात्मक स्वरूप पर क्षेत्र नियन्त्रित रूपरेखाओं के अन्तर्भूत प्रकाश ढालेंगे—

- 1 सामाजिक नियन्त्रण अर्थ एवं परिभाषा
- 2 सामाजिक नियन्त्रण के स्वरूप
- 3 सामाजिक नियन्त्रण की ग्रावशक्ता और महत्व
- 4 सामाजिक नियन्त्रण के साधन

**सामाजिक नियन्त्रण : अर्थ एवं परिभाषा**  
(Social Control Meaning and Definition)

समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है। ये सम्बन्ध समाज के साथ साथ विकसित होते हैं। ये सम्बन्ध सदा बदलते रहते हैं, लेकिन एक निश्चित व्यवस्था अवश्य रहती है। जिस पद्धति अथवा मण्डन द्वारा ये सम्बन्ध नियन्त्रित होते हैं, उन्हें हम सामाजिक नियन्त्रण कहते हैं। समाज व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ सकता। ऐसा होने पर सामाजिक यरचबा (Social Structure) ही नष्ट हो सकती है। समाज ऐसा नहीं चाहता। वह अपने को धिन-भिन न होने देने के लिए सामाजिक नियन्त्रण का प्रयोग करता है समाज इस प्रकार के नियम, नीति रिकाग, प्रवाएँ आदि बनाता है जो व्यक्ति पर आवश्यक नियन्त्रण रखते हैं। ये प्रतिष्ठित उसे यथासाध्य मनमानी नहीं करने देते। इस तरह यह कहना उचित है कि

सामाजिक नियन्त्रण का अथ वे समस्त शक्तियाँ हैं जिनके कारण समाज या मनुदाय व्यक्ति को अपने प्रतिरूप बनाता है।<sup>1</sup>

सामाजिक नियन्त्रण का समाजशास्त्रियों ने, पारिभाषिक रूप में विभिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है। दी बी बाटमर के अनुसार सामाजिक नियन्त्रण का आशय मूल्यों के उस संबलन से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और समूह के बीच तनावों तथा सघर्षों को दूर आयवा कर किया जा सकता है ताकि किसी अधिक समवित्ती समूह (Inclusive group) ने सुट्टता बनाए रखी जा सके। इसका ता यह ऐसे सम्बंधों से भी है जिनके माध्यम से इन मूल्यों एवं आनंदों का सचार किया जाता है तथा उनका समाज के भीतर समावेश होता है।<sup>2</sup> इस परिभाषा से दो बातें स्पष्ट होती हैं—एक तो यह कि सामाजिक नियन्त्रण का सम्बन्ध कुछ मूल्यों और मान्यताओं से है जिनके अनुपालन से समाज में सन्तुलन रहता है तथा दूसरी यह कि सामाजिक नियन्त्रण का काम समाज में एकमात्र तथा एकरूपता बनाए रखता है।

मेकाइवर एक पत्र के अनुसार सामाजिक नियन्त्रण का अथ उस ढंग में है जिसमें सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में सामजिक स्तर और स्थायित्व बना रहता है अर्थात् उस ढंग से जिसमें सामाजिक व्यवस्था एक समष्टि के रूप में और एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में काय परती रहती है।<sup>3</sup> इस परिभाषा से प्रकट है कि सामाजिक नियन्त्रण कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती जिसमें कभी परिवानन न आता है। सामाजिक नियन्त्रण को हमें ऐसी स्थिति मानना चाहिए जिसमें परिवर्तनों के बारे भी विभिन्न तत्त्वों के बीच संतुलन बना रहता है।

आगवान एवं निमकाफ के अनुसार दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज व्यवस्था बनाए रखने वाला नियमों को स्थापित रखने के उपयोग में लाता है सामाजिक नियन्त्रण है।<sup>4</sup> स्पष्ट है कि इस परिभाषा के अनुसार सामाजिक नियन्त्रण एक व्यवस्था है और दबाव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं चाहे वह या नतिकर्ता के रूप में हो या सामाजिक मूल्यों के रूप में या कोनून के रूप में। प्रायः वह यह सभी साधनों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियन्त्रण रखता जाता है।

इन विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक नियन्त्रण शब्द का प्रयोग हमें किसी सकीण अथ में न लेकर व्यापक अथ में लेना चाहिए। इसका अथ बेबल यक्ति के व्यवहारों का नियन्त्रण करना ही नहीं होता बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का नियमाण करना भी होता है जिससे व्यक्ति विकास के अधिकाधिक प्रबल से प्राप्त कर सके और अराजक प्रवृत्तियों के विरुद्ध उत्तुल न हो। प्रथा और जाम वह और

1 E A Ross Social Control

2 T B Bottomore Sociology p 211

3 मेकाइवर एवं पत्र वही पृष्ठ 124

4 Ogburn and Nimkoff op cit p 139

भौतिकता, कानून, शिक्षा आदि सभी सामाजिक नियन्त्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं। हम, बस्तुतः, सामाजिक नियन्त्रण को लीन स्तरों पर देखते हैं—

- (1) समूह का समूह पर नियन्त्रण (Control of group over group)
- (2) समूह का अपने सदस्यों पर नियन्त्रण (Control of group over its members)
- (3) व्यक्तियों का अपने साथियों पर नियन्त्रण (Control of individuals over their fellows)

### सामाजिक नियन्त्रण के स्वरूप (Forms of Social Control)

प्रत्येक समाज में सामाजिक घटनाओं, व्यवितरणों के स्वभावों, व्यक्तियों के व्यवहारों आदि में भिन्नता होती है। अतः स्वभाविक रूप से नियन्त्रण भी एक ही प्रकार के न होकर विभिन्न प्रबार के होते हैं। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियन्त्रण के अनेक स्वरूपों को स्पष्ट किया है जिनमें से कुछ प्रमुख संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(1) चेतन और अचेतन नियन्त्रण (Conscious and Unconscious Control)—ये दो स्वरूप चाहें हुए ने बताए हैं। चेतन में, गायांजिक घटनाएँ चेतन भी होती हैं और अचेतन भी। चेतन घटनाओं के प्रति व्यवित जागृत होते हैं, सोच-मन्यमान कार्य करते हैं। अचेतन घटनाएँ प्रायः सामान्य अनुभव से परे होती हैं। इन दोनों व्यक्तियों में व्यक्ति जो जीवस्थाएँ नियन्त्रित करती है उन्हें चेतन नियन्त्रण और अचेतन नियन्त्रण कहा जाता है। बहुत-सी प्रथाओं, लोकाचारों आदि का पालन हम इसलिए करते हैं कि वे हमारे लिए लाभदायक हैं। अतः इनके नियन्त्रण चेतन सामाजिक नियन्त्रण है। पर अतेक परम्पराएँ, सद्व्याकार आदि ऐसे हैं जिनमें हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, पर हम उन्हें प्रायः अनुभव नहीं करते, हम उनके प्रति जागरूक नहीं रहते। इनका नियन्त्रण अचेतन सामाजिक नियन्त्रण है। कूले के अनुसार, बुद्धि या ज्ञान का उद्देश्य समाज के अधिक विवेकपूर्ण चेतन नियन्त्रण का प्राप्त बरना है।

(2) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियन्त्रण (Direct and Indirect Control)—मातृहीन ने सामाजिक नियन्त्रण को दो भागों में बांटा है—प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष नियन्त्रण वह है जो हम पर बहुत निहित के व्यक्तियों द्वारा लगाया जाता है, जैसे—माता पिता, पित्रों पा पड़ीसियों द्वारा लगाया गया नियन्त्रण। यह नियन्त्रण प्रबन्धता, प्रालोचना, सम्मान, बहिकार आदि के माध्यम से लगता है और इसका प्रभाव स्थायी होता है, जिसे व्यवित प्रायः आन्तरिक रूप से स्वीकार करता है। अप्रत्यक्ष नियन्त्रण वह है जो प्रायः समूहों या सम्पादों द्वारा लगाया जाता है भीर हमारे द्वाटे से छोटे व्यवहारों को नियन्त्रित करता है। इस नियन्त्रण के माध्यम से हम एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने की विवश होते हैं। पहले हम चेतन रूप से नियन्त्रित होते हैं पर किर ऐसे नियन्त्रण में रह कर काम करना हमारी आदत बन जाती है।

(3) शौपचारिक एवं अनौपचारिक नियन्त्रण (Formal and Informal Control)—शौपचारिक नियन्त्रण स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। राज्य के समस्त कानून विभिन्न समितियों के नियम, संस्थागत नियम आदि शौपचारिक नियन्त्रण के ही विभिन्न साधन हैं। आवृत्तिक समाजों में नियन्त्रण के इन साधनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। विभिन्न वैधानिक सहिताओं (Legal Codes), आर्थिक सहिताओं (Economic Codes), समिति महिताओं (Associational Codes) की चर्चा हम सुनते रहते हैं। अनौपचारिक नियन्त्रण के साधन वे हैं जो स्वतं समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होते रहते हैं और अपने आप नियन्त्रण का कार्य करते रहते हैं। प्रथाएँ, रीति-रिवाज, घर्म, शिक्षा, जनसत्, लोक रीतियाँ, सामाजिक आदर्श आदि अनौपचारिक नियन्त्रण के प्रमुख साधन हैं। यद्यपि इनकी अवहेलना करने से राज्य की ओर से दण्ड नहीं मिलता, लेकिन व्यवहार में इनका प्रभाव शौपचारिक नियन्त्रण से कही अधिक होता है।

(4) सकारात्मक और नकारात्मक नियन्त्रण (Positive and Negative Control)—किम्बाल यग ने सामाजिक नियन्त्रण को इन्हीं दो भागों में बांटा है। सकारात्मक नियन्त्रण का अर्थ है—पुरस्कारों युद्ध पारितोषिक, द्वारा व्यक्ति को प्रोत्साहन देना। व्यक्ति पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए स्वयं अपने व्यवहारों पर नियन्त्रण रखता है। वह अनुशासित और नियमित रहने की बढ़ा करता है। स्कूलों में सबसे अधिक उपस्थिति (Attendance) पर पुरस्कार देना, अनुशासन के लिए विशेष पुरस्कार देना, किसी कार्य के लिए बधाई देना, आदि सकारात्मक सामाजिक नियन्त्रण के उदाहरण हैं। नकारात्मक सामाजिक नियन्त्रण का अभिप्राय है—नियमों का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देना। वह दण्ड नियम के उल्लंघन की गम्भीरता पर निर्भर करता है। यह दण्ड सामाजिक आलोचना में लेकर मूल्यदण्ड तक हो सकता है। जगति बहिष्कार, उपहार, व्यंग, निन्दा, सामुदायिक नियम आदि नकारात्मक सामाजिक नियन्त्रण के स्वरूप हैं।

(5) सत्रित, असत्रित और सहज नियन्त्रण (Organised, Unorganised and Automatic Control)—नियन्त्रण के ये तीन स्वरूप गुरुविन एवं मूरे ने बताए हैं। इन लेखकों के अनुसार सामाजिक नियन्त्रण विभिन्न स्तरों से रहता है। सत्रित नियन्त्रण का तात्पर्य उस नियन्त्रण से है जो विभिन्न छोटी बड़ी एजेन्टियों तथा व्यापक नियमों द्वारा किसी निश्चित ढंगे के भीतर व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। ऐसे नियन्त्रणों का विकास नियमित रूप से होता रहता है और इनकी प्रकृति स्वच्छाचारी होती है। विवाह, परिवार, स्कूल, प्रौंगिस आदि संस्थाओं द्वारा लगाए गए नियम सत्रित नियन्त्रण के उदाहरण हैं। असत्रित नियन्त्रण के अन्तर्मन सांस्कृतिक नियम और प्रतीक आते हैं। उदाहरणार्थ विभिन्न सकार, परम्पराएँ लोकाचार, सामाजिक मानदण्ड आदि असत्रित नियन्त्रण के साधन हैं। दैनिक जीवन में इन नियन्त्रणों का प्रभाव सबसे अधिक होता है। सहज नियन्त्रण का आधार हमारे मूल्य, आदर्श, विचार, अनुभव,

आवश्यकताएँ आदि हैं। इनके कारण हम स्वभावत् कुछ नियमों के अन्तर्गत कार्य करते हैं। अपने आदर्शों, आवश्यकताओं और मूल्यों की पृति के लिए हम सहज ही कुछ नियमों का पालन करते हैं। कानून और धार्मिक नियम सहज नियन्त्रण के कुछ उदाहरण हैं।

(6) कुछ अन्य स्वरूप (Some other Forms)—सामाजिक नियन्त्रणों के सभी प्रमुख स्वरूप ऊपर बताए गए हैं, तबापि कुछ समाजशास्त्रियों ने और भी अलग ढंग से नियन्त्रण के स्वरूपों को बताया है। उदाहरणार्थे फ्रेडरिक जे॰ टेगार्ट (Frederick J. Teggart) के मनुसार व्यक्तियों के बीच सामाजिक सम्बन्ध आप्रह और वाच्यता (Persuasion and Constraint) से नियन्त्रित होते हैं। गिडिंग्स (Giddings) ने समाज द्वारा लगाए गए बन्धनों के दो मुख्य कारण माने हैं—पुरस्कार और इष्ट (Reward & Punishment)। व्यक्ति प्रशसा और धारोप, परिहार और घमकाता, पश्चाताप और जुर्माना, सजा, अत्यधिक शारीरिक थप आदि से साजा अथवा नियमों का पालन करना सीखता है। रिन्हार्ड (Reinhardt) ने भी सामाजिक नियन्त्रण के दो सामान्य ढंग बताए हैं—प्रयम, शिक्षा एवं समाजीकरण तथा डितीय, सामाजिक निर्देश जैसे पुरस्कार एवं जुर्माना।

सामाजिक नियन्त्रण के सभी साधन समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों को सन्तुलित रखते हैं। इन नियन्त्रणों से ही सामाजिक सरकना और व्यवस्था बनी रहती है। समाज का निर्माण ही 'सामाजिक सम्बन्धों' और 'नियन्त्रण की व्यवस्था' द्वारा होता है। एक की मनुप्रभिति से दूसरे का अस्तित्व किसी प्रकार भी सुरक्षित नहीं है।

### सामाजिक नियन्त्रण की आवश्यकता और महत्व (Need and Importance of Social Control)

जैसे कि हम कह चुके हैं, समाज में सामाजिक नियन्त्रण एक सन्तुलन-गविर के हृष में काय करता है। यह मनुष्य की अप्राजक और अतिशय व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पर नियन्त्रण लगाता है जिससे सामाजिक अन्त क्रिया के नियमों की एकलूपता बनी रहती है और समाज प्रव्यवस्था से प्रस्ता नहीं होता। सामाजिक नियन्त्रण का प्रमुख उद्देश्य ही विभिन्न स्थितियों में समूह के सन्तुलन को बनाए रखना तथा माद्यस्यों में सहयोग की भावना वा पोषण करना है। वह उपयुक्त होगा कि हम सामाजिक नियन्त्रण की आवश्यकता और महत्व को द्रष्टव्य-द्रष्टव्य विन्दुओं में स्पष्ट करें—

(1) सामाजिक संगठन की स्थिरता—नियन्त्रणों के कानूनवाही सामाजिक संगठन को स्थिरता प्राप्त होती है। व्यक्ति स्वेच्छाचारी भवित्वा मनमाने दण से कार्य नहीं कर पाते, अतः सामाजिक जीवन की समिश्रितता कम हो जाती है और स्थायित्वाचारी व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है।

(2) सहयोग का प्रसार—नियन्त्रणों से सहयोग की स्थापना व प्रसार में सहायता मिलती है। यदि व्यक्ति मनमाने दण से बाहर और व्यवहार करते का

स्वतन्त्र हो तो वे सहयोग से नहीं बल्कि शक्ति और सशर्य द्वारा अपने स्वार्थों को पूरा करने लगें। मनुष्यों में जो सामाजिक प्रवृत्तियाँ छिपी पढ़ी हैं वे सुन कर सामने आ जाएँगी और इस प्रकार सहयोग को बोई रखना न रहेगा। सामाजिक नियन्त्रण की उपस्थिति में ही सहयोग और महत्वारिता जैसी बातें सम्भव हैं। कहीं नहयोग दबावपूर्वक प्राप्त किया जाता है तो कहीं यह देखिक रूप से दिया जाता है। दोनों ही स्थितियों में सामाजिक नियन्त्रण की प्रावधानता होती है अन्यथा अनियन्त्रित जीवन और सामाजिक विवरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

(3) परम्पराओं की रक्षा—परम्पराओं के दृढ़ने से समाज में घनेक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। सामाजिक नियन्त्रण द्वारा परम्परागत व्यवहार करने पर बल दिया जाता है। परम्पराओं का पालन न करना समाज में हृषि समझ जाता है। इस प्रवार सामाजिक नियन्त्रण से परम्पराओं की रक्षा होती है। इनकी सहायता से भक्ति की भी रक्षा होती है।

(4) सामूहिक विरोधों का पालन—सामाजिक नियन्त्रण सामूहिक विरोधों का पालन करने के लिए समाज के सदस्यों को बाध्य करता है। जो नवीन विरोध समाज करता है उनका पालन करवाने के लिए सामाजिक नियन्त्रण भी निश्चित कर दिए जाते हैं।

(5) समाज में ए-रक्षा—सामाजिक साक्षण के लिए सदस्यों में एक स्वतंत्रता दा होता आवश्यक है। एक स्वतंत्रता का अर्थ है—व्यवहारों इंटिकोगों और आदाओं की एकता। सामाजिक नियन्त्रण सदनों वो यह एक ता निभाने के लिए प्रेरित और बाध्य करता है। यह सदस्यों को सम त नियमों के अनुसार रहता और कार्य करना मिलता है। नियमों का उत्तम वरों पर दण्ड भी देता है। सामाजिक नियन्त्रण न होने से मतभेदी, विवरण और संघर्ष की प्रान्त माहन मिलता है।

(6) सामाजिक सुरक्षा—सामाजिक नियन्त्रण व्यक्तियों वा सामिक और दाह्य जन से सुरक्षा प्रदान करता है। सामिक रूप में वह विभिन्न पैदा करता है जिनके लिए पर दाई गवित समाज विरोधी रूप में धारात नहीं करेगा। बाह्य दृष्टि से यह आश्वस्त करता है कि समर्पित और गोजी के ऐप में व्याप्र का जीवन सुरक्षित रहता है। सामाजिक नियन्त्रण ने तिक नियमों द्वारा लागी वी समाज-विरोधी प्रवृत्तियों को दबाता है। यह उन्हे समाज से अनुकूल रहना चाहता है।

### सामाजिक नियन्त्रण के साधन

(Means of Social Control)

सामाजिक नियन्त्रण एक विस्तृत व्यवस्था है जिसमें विभिन्न दायी प्रयोग रूप से व्यवितरण एवं सामूहिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। नियन्त्रण की व्यवस्था सतत चलती रहती है और एसा भी नहीं है कि एक समय में काई एवं ही साधन समाज में नियन्त्रण रखे। सामाजिक नियन्त्रण के विभिन्न प्रयोग साधनों का उल्लेख प्रत्येक पक्षियों में किया जा रहा है। यह व्यापक रहे जिसे सोकरीतियों,

लोकानारो, प्रशास्त्रो, आदि अनेक साधनों का पारिभाविक विवेचन हम सामाजिक प्रतिमानों के प्रध्याय में कर चुके हैं, और प्रया तथा जनमन, घर्म एवं नैतिकता, कानून तथा शिक्षा पर प्रागे पृथक् व्यव्याप्ति लिखे गए हैं। सामाजिक नियन्त्रण के विभिन्न प्रमुख साधन निम्नवत् हैं—

(1) जन-रीतियाँ (Folksways)—मेकाइटर के अनुसार, "जन-रीतियाँ समाज में व्यवहार करते की स्वीकृति अथवा मान्यता प्राप्त विधियाँ हैं।" समाज द्वारा मान्य होने से वे व्यक्ति के व्यवहारों को प्रतरक्ष और प्राप्तिह रूप से प्रभावित करती हैं। जन-रीतियों की अवहेलना बरते वाले की समाज के ग्राम्य सदस्यों द्वारा बढ़ोर प्रालोचना होती है और वह तिन्दा का पात्र बनता है।

कुछ जन-रीतियाँ बहुत आवश्यक होती हैं और कुछ अपेक्षाकृत कम्। नमस्कार करना, आवाज देकर घर में घुसना, स्वयं दूसरे की किसी वस्तु का उपभोग नहीं से पूर्व जिष्ठतादेश दमके पूँछ लेना आदि कम् महत्वपूर्ण जन-रीतियाँ हैं, वयाकि इनका सम्बन्ध अतिथियन् जिष्ठासे से अधिक और इनकी अवहेलना में सामाजिक ढंगी की विवेष छेत नहीं पहुँचती। दूसरी ओर पड़क के किनारे चलना, सड़क पर कुड़ा न डालना, घर को स्वच्छ रखना आदि जन-रीतियाँ अधिक महत्वपूर्ण हैं, वयोकि एह और तो इनका सम्बन्ध सामाजिक उपयोगिता से है और दूसरे इनसे नमाज-दिशेष की प्रकृति स्पष्ट होती है।

जन-रीतियाँ हमारे स्वभाव में इनसी घुल-मिल जाती हैं कि हम अनजाने ही उनका अनुसरण करते रहते हैं। इसी अंतर में वरते हुए सुमन्त्रन लिखा है कि "जन-रीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान हैं जिनका पालन व्यक्ति अचेन रूप से करता रहता है।" जन-रीतियों का जन्म न्वन होता है तथा बार-बार दोहराने से वे विकसित हो जाती हैं। एक समाज की जन-रीतियों साधारणतः दूसरे समाजों की जन-रीतियों से भिन्न होती हैं। यहाँ तक कि एक ही समाज में ग्रामीण और नगरीय जन-रीतियों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। जन-रीतियों का नियन्त्रण अनौपचारिक और असंगठित होता है।

(2) लोकाचार (Mores)...जन-रीतियों में जब गूह-कृदारणी की भाषना गुड़ जाती है तो उन्हे हम लोकाचार या रुदियाँ कहते हैं। इनके नियन्द आधरणी समाज के लिए अहिनकर माना जाता है, अन् इनका अनुपालन एक सामाजिक कर्तव्य है। इनसे आचरण की शुद्धता अधिक प्रवाचनपूर्ण ढा में अधिव्यक्त होती है।

लोकाचार सामाजिक रूप से दो प्रकार के होते हैं—प्रादेशात्मक (Positive) एवं नियेधात्मक (Negative)। आदेशात्मक लोकाचार वे हैं जो कुछ कार्यों को करने का आदेश देते हैं, जैसे माता-पिता का चादर करना चाहिए, मच बोलना चाहिए, ईमानदार हाना चाहिए, आदि। नियेधात्मक लोकाचार वे हैं जो कुछ व्यवहारों पर प्रतिबन्ध लगाते हैं, वर्तिकता से बचना चाहिए, और तो नै अविष्ट व्यवहार या देवतानी नहीं करनी चाहिए, जोरी नहीं करनी चाहिए, आदि।

लोकाचारों या लृष्टियों का उल्लंघन करने वालों की समाज निष्पत्ति करता है, यद्यपि इनका पालन करने के लिए विवश होते हैं। लोकाचारों में अच्छे कुरे का भाव या मूल्य निहित है, प्रति सोग इन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं। हमारे समाज में अनन्वितवाह, वहिविवाह, पर्द-प्रथा आदि लोकाचारों या लृष्टियों के रूप में हमारे व्यवहार को नियन्त्रित रखते हैं और सामाजिक नियन्त्रण के प्रभावशाली साधन बने हुए हैं। डेविस ने लिखा है कि लोकाचारों को उचित प्रमाणित करने की शावश्यकता नहीं होती बल्कि वे तो स्वयं की अधिकार-गति से ही जीवित रहते हैं।

(3) परम्परा (Tradition)—समुदाय के जो विचार, आदतें और रीति विचार पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आते हैं, उन्हें परम्परा कहा जाता है। समुदाय परम्पराओं द्वारा अपने भूल और भविष्य को जोड़ता है। इनमें व्यक्ति के सामुदायिक जीवन का विकास होता है। प्रत्येक समाज की अपनी परम्पराएँ होती हैं जो, मनुष्य के जीवन पर नियन्त्रण रखती हैं। माहित्य, संगीत, कला शादि में भी विचारों की परम्पराएँ पाई जाती हैं।

(4) प्रचार (Propaganda)—भावुकिक युग में सामाजिक नियन्त्रण के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। ग्राज व्यक्ति के विभिन्न व्यवहारों को किसी प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा नहीं बल्कि प्रचार द्वारा प्रभावित और नियन्त्रित की जाने की देखताएँ ही अधिक व्यापक हैं। उदाहरणार्थे परिवार नियोजन के क्षेत्र में प्रचार के प्रभाव से हम सभी परिचित हैं। प्रचार के महत्वपूर्ण माध्यम समाजिक पत्र, चतुर्चित्र, रेडियो, प्रेस, नायक नायिकाएँ आदि हैं। इनके माध्यम से व्यक्तियों के विचारों का प्रभावित किया जाता है, व्यक्तियों में किसी बात के पक्षि समाज हृष्टिकोण विकसित करके सामाजिक एकलूपता प्राप्त की जाती है।

साधारणतः 'प्रचार' शब्द से अच्छा प्रथं नहीं लगाया जाता। किन्तु उचित प्रयोग से यह नियन्त्रण का प्रमुख साधन बन सकता है। भारत में चलचित्रों ने कुछ अनेतिकरणों को अवश्य बढ़ाया है, लेकिन दूसरी ओर इन्होंने समाज की लृष्टिवादिता की ओर बढ़ने में रोका भी है। साथू, सन्त, समाज-सुधारक आदि पर्मी अपने विचारों का प्रचार ही तो करते हैं। इन प्रचार द्वारा ही वे एक अनुकूल नोकरी का निर्माण करते हैं।

(5) परिवार (Family)—सामाजिक नियन्त्रण के क्षेत्र में परिवार का विशेष महत्व है। समाजीकरण के अध्याय में भी हम इस हृष्टि से परिवार के प्रभाव पर सकेत डाल चुके हैं। व्यक्ति का जीवन परिवार से ही सबसे अधिक सम्बन्धित रहता है। जन-रीतियाँ, लोकाचार, प्रथा, जैनिकता, धर्म आदि आदि ही अक्तियों को नियन्त्रित नहीं करते बरन् नियन्त्रण का यह प्रथं अधिकांशत परिवार के माध्यम से ही होता है। परिवार व्यक्ति को बाल्यकाल में ही इनके बारे में परिचय कराता है, इन्हें समझाता है। परिवार में रहकर ही बच्चा युह से समाज की नेतृत्वता को समझने लगता है, भूल या गलती ही जाने पर माकी माँगने तथा भविष्य से उसे न दौहराने और प्रायोगिकता करने आदि के महत्व को अनुभव करने लगता है तथा

सामाजिक मूल्यों में उसका विश्वास बढ़ता जाता है। बुद्धाइयों से बचने और प्रच्छाइयों की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा जिनमें परिवार में मिलती है उनमें प्रन्तव्य नहीं। माता पिता उच्चे के जीवन के हरे पहनू पर अपनी सबेत निगरानी रखते और उसके जीवन को अनुशासित बनाते हैं। परिवार द्वारा की जाने याली प्रालोचना या पारिवारिक तिरस्कार व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दण्ड होता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति आरभिक जीवन से ही सामाजिक नियमों के अनुसार आचरण करता है और अपने व्यवहारों पर नियन्त्रण रखता है। परिवार सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक मध्यूह है, अतः सामाजिक नियन्त्रण के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव प्राथमिक होता है।

(6) **फैशन (Fashion)**—फैशन समाज में एक रूपरता का निर्माण करके सामाजिक नियन्त्रण का कार्य करता है। यह हमारे बाह्य और बानावश्यक व्यवहार पर नियन्त्रण रखता है। समाज के अनुसूच होते वी हमारी इच्छा को फैशन पूरा करता है। हम प्रायः फैशन के विश्व द्वारा कार्य करने का साहस नहीं रखते, क्योंकि समाज के उपहास का हमें भय रहता है। फैशन हमारे बाह्य व्यवहार को नियमित करके सामाजिक नियन्त्रण का महत्वपूर्ण काम करता है।

(7) **नेतृत्व (Leadership)**—यह भी सामाजिक नियन्त्रण का एक प्रभावशाली साधन है। महान् नेतृयों के विचार समाज को नियन्त्रित रखने में सर्व महत्वपूर्ण रहे हैं। सेवा में ही नेतृत्व का अत्यधिक महत्व है। इसके अभ्यास में सेविकों का जीवन एकदम अतियमित और उच्छ खल ही सकता है। उचित नेतृत्व द्वारा समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों को नियन्त्रित किया जा सकता है। लोगों का एक विशेष प्रकार से कार्य करने का निर्देश दिया जा सकता है। सुपोषण और महान् नेता समाज को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा मुमोलिनी, हिटलर आदि ने अपने देश के लोगों को किस तरह नियन्त्रित किया, यह सर्वविदित है।

(8) **प्रथा (Custom)**—सामाजिक प्रथाएँ हमारे जीवन में इतनी छुल मिल जाती हैं और हमारे जीवन को इस गहराई से प्रभावित करती हैं कि हम अपनाने ही उनके अनुकूल आचरण करते रहते हैं। सामाजिक नियन्त्रण में इनके महत्व को एक कारक (Factor) के रूप में हमगे से बहुत कम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि य हमारे जीवन के अनुभवों में इतना सामान्य स्थान प्राप्त किए रहती है कि हम जीवन भर इनके प्रभावों का भान नहीं हा पाता। मैकाइवर के एक्स्ट्रीम, 'प्रथाएँ' हमें इतनी घनिष्ठ होती हैं कि जब तक हम उन पर विचार नहीं बरते हम वह कभी नहीं जान पाते कि वे किन प्रकार हमारे जीवन के लगभग प्रत्येक अवसर से सम्बन्धित होती हैं और सूध हमें लेकर रात तक तया जायाजी से लेकर बुढ़ापे तक किस प्रकार हमारे सारे कार्य प्रथाओं द्वारा नियमित होते हैं।<sup>1</sup>

समाज चाहे सरल हो या जटिल, प्रयाएं सामाजिक नियन्त्रण का प्रमुख आधार हैं। ये न केवल अक्षिगत व्यवहारों को नियन्त्रित करती हैं बल्कि हमारी सत्सुखित को भी स्थायित्व प्रदान करती हैं। प्रयाशो के पीछे इनकी अधिक सामाजिक शक्ति छिपी होती है कि समाज में कृद्र प्रयाएं अनुपयोगी ही हो। समाज में प्रयाशो का पालन करना ही मनुष्य का उचित आचरण समझा जाता है और व्यवहार के विसी भी अध्याय पर हम प्रयाशो को महत्वपूर्ण रूप से उपमित्यन पाते हैं। सामाजिक नियन्त्रण में प्रयाएं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं अबवा इस दृष्टि से प्रयाशो वे जो उपयोगी काय हैं, उन्हे पृथक् पृथक् विन्दुओं के अलगत समझना अधिक मुश्किल होगा—

(1) सामाजिक सीख का भाव्यम से नियन्त्रण—प्रयाएं हम यह सामाजिक सीख देती हैं कि यदि हम पीढ़ियों से चले आ रहे व्यवहारों को तिनाँजनि देने रहे और सभी कार्यों को करन में अपनी ही दुष्कृती प्रयोग करते लेते तो इतना अस यह होगा कि—प्रबन्ध हमस्ता मारा जीवन त्रुटि और सुधार (Trial and Error) के मैले भी ही बीन जाएगा और हम अपनी यावध्यकताओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंग, इतापि हम पीढ़ियों से चले आ रहे व्यवहारों और ज्ञान का कोई सामनही उठा पाएंगे, एवं तृनीय, हम हर चीज दुवारा सीखती होगी इससे हमारे समय और हमारी शक्ति का अनावश्यक रूप से घटन्य होगा। प्रयाएं वास्तव में हम यह विश्वास दिलाती रहती हैं कि वे पीढ़ियों से उपयोगी रही हैं यदि उनका पालन करन से हम कोई हानि नहीं होगी। यह विश्वास हमारे हृदय में इतना धर किए रहता है कि हम अवेन्युन रूप से वही व्यवहार करने लगते हैं जो समाज की हृति पे उचित है। सफ्ट है कि सामाजिक सीख देवर प्रयाएं हमारे व्यवहार की नियन्त्रित करती हैं, सामाजिक नियन्त्रण के लिए समुचित बातावरण बनाए रखती है।

(ii) हमारे व्यवहारों में एक व्यक्ति साइर सामाजिक नियन्त्रण बनाए रखना—प्रयाएं सामाजिक एकलूकता पावर सामाजिक नियन्त्रण को प्राप्त साहृदय देती है। हमारे व्यवहारों में अविनाशिक समरूपता उत्पन्न करके समाज का संगठन करने की दिशा में प्रयाशों का महत्वपूर्ण योग रहा है। प्रयाशों की प्रबोलना करने पर सामाजिक नियन्त्रण का एक मूल उद्देश्य यही रहता है कि व्यक्ति प्रयाशों की अनिवायता को महसूस करे और उन व्यवहारों को अनाएं विन्ही समाज उचित समझना है। प्रयाशों में एक प्रवार की निर्देश शक्ति होती है जिसका हम अवेन्युन रूप से पालन करते रहते हैं उसका निर्देश जान का साहृदय नहीं करते। आदिम समाजों में प्रयाशों की या निर्देश शक्ति और उनका उत्पन्न करने पर सामाजिक दण्ड का भय बहुत अधिक रहता है। सम्भव समाजों में तुलनात्मक रूप से प्रयाशों की यह शक्ति कम रहती है, क्योंकि सम्भव समाजों की परिस्थितियाँ कानून (Law) को अधिक प्रहरू देती हैं। किर भी व्यक्तियों में, चाहे किसी भी समाज के हो,

प्रथाओं के प्रति अद्वा पाई जाती है और हम व्यवहार में प्राय देखते हैं कि यदि हमसे प्राकस्तिक रूप में या परिस्थितिविदश किसी महत्वपूर्ण प्रथा की अवहेलना हो जाती है तो हमारे हृदय में स्वयं ही प्रात्म-प्लानिंग की भावना पैदा हो जानी है और हमारे परिवार के लोग, मित्रगण, सो-सम्बन्धी हमें इसके लिए बुरा-भला कहते हैं और हम नतमस्तक होकर यह ग्राहकासन देते हैं कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। वास्तव में, प्रथाएँ व्यक्तियों के व्यवहारों पर मनोवैज्ञानिक रूप से नियन्त्रण रखती हैं और इस प्रकार सामाजिक नियन्त्रण में सहायक होती है।

(iii) सामाजिक अनुकूलन में सहायक—प्रथाओं के पीछे सारे समूह की शक्ति दिखी होती है, अत व्यक्ति समूह या समाज में अनुकूलन करने के लिए प्रथाओं का पालन करना उचित समझता है। ऐसा करने में हम प्रथाएँ को सुरक्षित महसूस करते हैं। आदिम समाजों में और कछु-कुछु हमारे समाजों में भी लोग अनेक प्रथाओं की अवहेलना इस भय से भी नहीं बरतते कि कहीं कुनै देवता अप्रसन्न न हो जाए। धार्मिक दीन में प्रथाओं को पवित्रता का जापा पहिना दिया जाता है और इस प्रकार लोगों में यह भाव मरने की कोशिश की जाती है कि अमुक प्रथाओं को लोग अनिवायत मान, अन्यथा वे प्रधार्मिक आचरण के भावी होंगे। सामाजिक परिवर्तनों की लहर धाने पर भी प्राय प्रथाओं को प्रामूल चूल उड्डाड फौंका नहीं जाता वरन् प्रथागत व्यवहारों में समयानुकूल सशोथन करके उन्हें बने रहने दिया जाता है। स्पष्ट है कि प्रथाएँ प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यवहारों पर कुछ न कुछ नियन्त्रण सदैव बनाए रखती हैं और समाज से अनुकूलन करने के लिए हम पर दबाव डालती रहती हैं। प्रथाओं की अवहेलना का विचार ही हमें यह मनुभव कराता है कि हम कोई "सामाजिक आपराध" करने जा रहे हैं। समाज के ढर से हम इनका पथासाध्य उल्लंघन नहीं करते। इसीलिए वृक्ति ने प्रथाओं को व्यक्ति के जीवन का प्रमुख दण्डाधिकारी (The principal magistrate of man's life) माना है।

(iv) समूह-कल्याण में वृद्धि—यद्यपि प्रत्यक्ष ममाज में कुछ प्रथाएँ रुदिवादी अथवा मनुष्योगी हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश प्रथाएँ अपनी उपयोगिता के बल पर टिकी होती हैं अथात वे ऐसी प्रथाएँ होती हैं जिनसे समूह-कल्याण (Group-welfare) में वृद्धि होती है। इसीलिए वे इनी जड जमाए होती हैं और इतना गहरा प्रभाव रखती है कि व्यक्ति द्वारा उनकी अवहेलना को "सामाजिक आपराध" माना जाता है। इस प्रकार की उपयोगी और कल्याणकारी प्रथाएँ समाज में व्यवहार के तरीकों में कुछ न कुछ बदले जाएंगे क्योंकि वे अपनी उपयोगिता के सुपरीयित होती हैं, अत उनका अनुपालन करने से व्यक्ति विभिन्न आशकाओं और विपस्तियों रो बचा रहता है। प्रथाओं की उपयोगिता इस बात में भी है कि वे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पद वा स्थिति और कार्य (Status and Role) का नियन्त्रण करती हैं, और इस प्रकार सदस्यों को पारस्परिक संघर्षों से बचाती हैं। प्रथाओं से व्यक्तियों को मानसिक सन्तोष मिलता है जिससे अन्तरोगत्वा

समूहकल्पणा में बृद्धि होनी है। प्रथाएँ अनिवार्य रूप से 'स्थिर' (Static) नहीं रहती, क्योंकि परिस्थितियों और व्यवस्थकनामों में परिवर्तनों के साथ प्रथाओं की प्रकृति में भी थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। लेकिन प्रथाएँ व्यापक परिवर्तनों का स्वागत नहीं करती, क्योंकि इसमें सामाजिक नियन्त्रण में शिखिलता की आशका रहती है।

(७) प्रशासन में प्रथाओं की उपयोगिता—यदि समुचित सामाजिक नियन्त्रण की व्यवस्था बनी रहे तो प्रशासन की सफलता का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस हृष्टि से प्रथाओं के महत्व की प्रशासनिक क्षेत्र में सदैव स्वीकार किया जाता रहा है। सामाजिकवादी प्रशासनी ने भी अपने प्रशासन को चलाने तथा प्रशासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने की हृष्टि से समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों की सेवाओं का उपयोग किया था। ये समाजशास्त्री और मानवशास्त्री उपनिवेशों में लोगों की प्रथाओं का अध्ययन करके प्रशासनको को सुझाव देते थे कि प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रविशेष के लिए किस प्रकार के कानून बनाना उपयोगी होगा। जिन सामाजिकवादी शासकों ने अपने द्वारा प्रशासित प्रदेशों की प्रथाओं की अवहेलना की, उन्हें इसके कटु-स्वाद खलने पड़े।

(८) व्यक्तित्व के निर्माण द्वारा सामाजिक नियन्त्रण में योग—प्रथाएँ व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग देवर भी सामाजिक नियन्त्रण को हड़ बनाती है। व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अनेक युगों का विकास विभिन्न प्रथाओं द्वारा होता है और फलस्वरूप व्यक्ति का जीवन अनुशासित तथा समाज के अनुकूल बनता है। जिन समाजों में प्राकृतिक आपदाएँ बहुत अधिक होती हैं वहाँ की प्रथाएँ व्यक्ति-प्रदर्शन के व्यवहारों को अधिक मान्यता देती है। वैदाहिक प्रथाओं में भी जातीरिक जक्ति परीक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दूसरी प्रोर हमारे जटिल और नगरीकृत समाजों में प्रथाओं का सम्बन्ध मामूलिकता तथा शिष्टता के व्यवहारों में अधिक होता है। आश्य यह हमारा कि प्रथाएँ सकृति के सन्दर्भ में हमारे व्यक्तित्व का विकास करने में सहयोग देती हैं जिससे सामाजिक नियन्त्रण में प्रधिक सम्मुख सरचना एक अर्थ में प्रथागत ही होती है।

स्पष्ट है कि प्रथाएँ वहाँ कुछ “एक निरकृश राजा” की तरह समाज पर नियन्त्रण रखती है और यह कहने में कोई प्रतिशयांकित नहीं होगी कि समाज की सम्मुख सरचना एक अर्थ में प्रथागत ही होती है।

(९) जनमत (Public Opinion)—जनमत सामाजिक नियन्त्रण का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। यह व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियन्त्रण रखने वाली प्रभुत्व जक्ति ही नहीं है बल्कि विशालकाय सबों और सभी के स्वेच्छाधारी व्यवहार पर भी अकृश रखती है। प्रत्येक समाज में, चाहे वह सरल हो या जटिल ग्रथवा प्रार्थिक हो या दूसीप्रक, जनमत का प्रभाव देखा जा सकता है। आदिम समाजों में तो जनमत ही सब कुछ है, वही प्रवा है और वही राजा। हमारे सभ्य समाजों में भी जनमत सामाजिक व्यवहार को, राजकीय नीतियों को, सबों और

समूहों को विविल रूपों में प्रभावित करने वाला शक्तिशाली हृषिकार है। जहाँ प्रधा "एक निरकृष्ण राजा" की तरह समाज पर नियन्त्रण रखने की क्षमता रखती है वहाँ जनमत अनजाने ही व्यक्ति को समाज के अनुकूल व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। जनमत के नियन्त्रणकारी महत्व को हम निम्नलिखित बिन्दुओं में प्रधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त कर सकते हैं—

(i) प्राथमिक समाज में व्यक्तिगत व्यवहार पर नियन्त्रण—जनमत प्राथमिक और द्वैतीयक सभी समाजों में व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियन्त्रण का प्रभावशाली साधन है। व्यक्तियों के उन विचारों, मनोवृत्तियों और इच्छाओं पर जो समाज के लिए उचित न हो, जबरन के कारण बहुत कुछ अकृष्ण लगा रहता है। प्राथमिक समाजों में व्यक्ति ने प्रधिकांश व्यवहार सामाजिक निष्ठा या उपहास के भय से नियन्त्रित होते हैं। अधिकांश सोगों के प्रत्यक्ष अधबा आमने सामने के सम्बन्ध होते हैं, यह कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यवहारों से बचता है जिनके कारण उसे नीचा देखना पड़े, लोगों की निष्ठा का पात्र बनना पड़े। प्राथमिक समाजों में यह विश्वास प्रबल होता है कि जनमत सैव सावंजनिक कल्याण को अभिभवत करने वाला है अत जो व्यक्ति जनमत की अवहेलना करता है वह समाज विरोधी है। दूसरी ओर, प्राथमिक समाजों में अधिकांश व्यक्ति इतने जागरूक और जिकित नहीं होते कि वे किसी विषय पर स्वयं निर्णय ले सकें। यह जनमत के अनुसार कार्य करना ही उन्हें निराशद लगता है। प्राथमिक समाजों में लोग जनमत वो एक प्रबल ज्ञानित के रूप में देखते हैं, और प्राय व्यक्तिगत हाति उठाकर भी जनमत की अवहेलना करने का साहस नहीं करते।

(ii) द्वैतीयक समाज ने व्यक्तिगत व्यवहार पर नियन्त्रण—द्वैतीयक समाजों में तो जनमत वर्ष प्रधा, परम्परा आदि साधनों की तुलना में नियन्त्रण का कही अधिक प्रभावशाली साधन है। अपनी नियन्त्रणकारी शक्ति में कभी-कभी तो यह कानून की शक्ति को भी पीछे छोड़ देता है। द्वैतीयक समाजों ने लोगों के पारस्परिक सम्बन्ध अधिकांशत निजी स्वायों पर प्राधारित होते हैं, यह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मत को प्राय सम्मान देता है। इसके अतिरिक्त, व्यक्ति का औबन सामान्यता इतना व्यक्त होता है कि हर समस्या और हर स्थिति के बारे में यही होता है कि वह जनमत वी थारा में बहता था। इसीलिए उसके अधिकांश व्यवहार जनमत के अनुकूल होते हैं। इसी में उसके व्यक्तित्व के विकास भी छोड़ होता है, क्योंकि अधिकांशिक व्यक्तियों का समर्वन पार्कर ही व्यक्ति एक द्वैतीयक समाज में सफल ही गकता है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। जनमत समाज की मानवताओं को प्रकट करता है, यह लोगों को स्थाल रहता है कि समाज की मानवताओं के अनुरूप व्यवहार करने पर ही उन्हें समाज में सम्मान मिलेगा।

(iii) शासन पर नियन्त्रण—जनमत वह है जिसकी उपेक्षा करने से शासन भी प्राय भय खाता है। हजारों लाखों व्यक्ति जब समाज निर्णय पर पहुँचते हैं तो उस निर्णय का निराशर करना जिसी नीं सरकार के लिए कठिन है। सरकार चाहे

लोकतान्त्रिक हो या अधिनायकवादी, अपने पक्ष में जनमत को बिना प्राप्त किए अधिक दिन तक नहीं रह सकती। शासन जनता की मनोवृत्तियों और इच्छाओं की मनमाने दण में अवहेलना करने में मुकुताता है। डेविस के शब्दों में, “जनता की शक्तिशाली अभिक्षिया एक युद्ध आरम्भ कर सकती है, अथवा फ्रान्सि उत्पन्न कर सकती है। प्रत्येक सरकार आवश्यक रूप में अपने पक्ष में जनमत रखने का प्रयत्न करती है, अन्यथा उसके उल्लंघन का भव वहाँ रहता है।”<sup>1</sup> यदि शासन जनमत की निरन्तर अवहेलना करता रहे तो एक ऐसा शक्तिशाली असत्तुष्ट युद्ध वह जारी जो सरकार को चैन से नहीं बैठने देगा। जनमत कानून से अधिक तेजी के साथ कार्य करता है और महीं जनमत जानकर शासन कार्य चलाने से सरकार अपेक्षित आशक्तियों से बच जाती है। प्रत्येक सरकार लोगों को यह विश्वास दिलाती रहती है कि वह जो कुछ भी कर रही है वह सार्वजनिक हित में है। ग्राम्यवर्ग ने लिखा है कि “सरकार के लिए जनमत का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि जनमत एक बहुत बड़े जन-समूह के विचारों का मूर्त्त स्वरूप होता है और इसकी उपेक्षा करने से निश्चित ही एक बड़ी दुर्घटना होने का भय रहता है।”

(iv) रीक्षणिक मूल्य—सामाजिक नियन्त्रण के क्षेत्र में जनमत का बड़ा ईक्षणिक मूल्य इस रूप में है कि वह व्यक्ति को अपने अवहारों पर नियन्त्रण रखना प्रियता है। जनमत व्यक्ति में यह भाग जाग्रत करता है कि वह किसी परिस्थिति-विशेष पर केवल अपने व्यक्तिगत हृषिकोण से ही विचार न करे बरन् सामाजिक हित की हृषिकोण से भी विचार करे और अपने व्यक्तिगत हृषिकोण का यथासाध्य सामाजिक हृषिकोण व साथ सामृद्धस्य बैठाने का प्रयत्न करे। जनमत व्यक्ति को अनुशासित बने रहने की शिक्षा देना है। शाशुनिक जटिल समाजों में जनमत समाजीकरण का एक अप्रत्यक्ष साधन है, क्योंकि जनमत की प्रशसा पाने के लिए व्यक्ति अपने चरित्र, व्यवहार और कार्यों को सही ढंग से रखने और करने का प्रयत्न करता है तथा ऐसे कदमों को उठाने से बचने की चेष्टा करता है जिनसे समाज में उम्मी निवाद का भय हो। जनमत को सामाजिक नियन्त्रण की एक सहायक शक्ति माना जाता है।

(v) प्राय उच्च वर्ग का व्यवहार स्वेच्छाचारिता की ओर अधिक आकर्षित होता है, किन्तु जनमत उनकी इस प्रवृत्ति पर बहुत कुछ रोक लगाए रखता है। उच्च वर्ग के लोगों में यह जागरूकता बनाए रखने में जनमत का विशेष योगदान होता है कि यदि स्वेच्छाचारिता का मार्ग अपनाया गया और जनमत के विचार कार्य किया गया तो उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आधात लगेगा। जनमत का इस हृषिक से भी अधिक महत्व है कि यह शासकों को उच्च वर्ग के लोगों को, राजनीतिज्ञों को इस बात का अहसास कराता है कि उनकी वास्तविक कमज़ोरी क्या है। अपनी इच्छा के प्रतिकूल भी राजनीतिज्ञ और शासक वर्ग जनमत का सम्मान करने को बाध्य होते

1. किंग्स्टन डेविस मानव समाज, पृष्ठ 311।

है। इतिहास बताना है कि नेपोलियन ने जनमत को अपने पक्ष में बनाए रखने की कला सीख कर ही अपनी राज्य-सत्ता को सुइड बनाया।

(vi) समाज में कोई भी प्रथा, धर्म, फैशन, रीति रिवाज आदि सामाजिक नियन्त्रण का कोई भी अन्य रूप विना जनमत की सहायता प्राप्त किए नहीं रह सकता। प्रथाएँ जनमत के आधार पर ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रहती हैं और जब कभी जनमत प्रथाओं के विरोध में आ जाता है तो उन प्रथाओं को बदलना या उनमें संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए स्त्रियों का राजनीति में भाग न लेना एक प्राचीन और परम्परागत प्रथा थी, लेकिन जब जनमत इस प्रथा के प्रतिकूल हुआ तो स्त्रियों का राजनीति में भाग लेना उपयुक्त समझा जाने लगा और आज स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही राजनीतिक अधिकारी का उपयोग करती हैं।

जनमत सामाजिक नियन्त्रण का एक मूलभूत शक्तिशाली साधन है और हम यह भलीभांति जानते हैं कि एक प्रबल जनमत के विरोध का परिणाम सामाजिक वहिकार एवं प्रतिष्ठा की हानि आथवा आर्थिक सम्मान की हानि या अन्य कोई हानि हो सकती है। आविग रामाजों में तो जनमत की अवहेलना का परिणाम जीवन की समाप्ति तक हो सकती है।

(10) धर्म(Religion)—सामाजिक नियन्त्रण के माध्यम के रूप में धर्म का समाज में सदा से विशेष महत्व रहा है। बैतिक, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन को नियन्त्रित करने में धर्म एक प्रमुख शक्ति की भूमिका निभाता रहा है। पाप और पूर्ण, स्वर्ग और नरक के विचार ने मानव-जीवन को जितना नियन्त्रित किया है उतना अन्य किसी भी एक तत्व ने नहीं। टायबर, मेरट, दुर्व्वास, मैकमूलर आदि मानव जास्त्रियों ने सामाजिक नियन्त्रण स्थापित करने में धर्म के महत्व को विशेष रूप में रेप्ट लिया है। हम इस लेते में धर्म की भूमिका को निम्नलिखित विन्दुओं में व्यक्त कर सकते हैं।

(1) धर्म व्यक्ति में 'पाप' और 'पूर्ण' के प्रति विचार उत्पन्न करता है, और यह भाव भरता है कि धार्मिक नियमों का पालन न करना, समाज के अनुकूल चलना, चरित्र को गिराने वाले कार्यों को करना आदि 'मनुष्य को 'पाप' की ओर धकेलते हैं। धर्म व्यक्ति ने इस भय का सचार दरता है कि अपराध और दुराचार करने पर वह 'अनीकिक' शक्ति अप्रसन्न होगी और फूलस्वरूप इस लोक में भी उसे दुख भोगने पड़े तथा परलोक में भी उसका जीवन याननामय होगा। व्यक्ति के कुकर्मों का फल उसकी मन्तान को भी भोगना पड़ेगा। इस प्रकार का भय व्यक्ति के मन में इतनी गहराई से समा जाता है कि वह पाप-कार्यों, अपराधों, दुराचार आदि से यथायम्भव बचने का प्रयत्न करता है। स्वर्ग और नरक की धारणा उसके व्यवहारों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। जान के औद्योगिक बुग में कानून और न्याय के नियन्त्रण के बल औपचारिक साधन बन गए हैं जिनकी अवहेलना उनका हमारी आदत बन गई है। लेकिन 'ईश्वरीय दण्ड' का भय हमें अतेक बुरे कार्यों को करने से रोके रहता है और इसका हम अपने दिनिं जीवन में अनुभव भी करते हैं।

(ii) धर्म न केवल मनुष्य और ईश्वर के सम्बन्ध में अपितु मनुष्य और मनुष्य के सम्बन्ध में भी नियम बनाता है। इस प्रकार धर्म के कारण व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध और विभिन्न कार्य बड़ी सीमा तक नियन्त्रित व निर्देशित होते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि धर्म के प्रभाव के अभाव में सामाजिक दुराचार और अनेतिकता में इतनी वृद्धि हो सकती है कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। धर्म के नियमों का पालन करने से लागतों में यह विश्वास पत्तपता है कि वे अपने जीवन को सुधार रहे हैं और परतीक में उन्हें मुख की प्राप्ति होगी। उनमें यह विश्वास भी पैदा होता है कि उनके अच्छे बायों ना सुन्दर फल उनके बच्चों को बहने को मिलेगा। इस प्रकार के विचार और व्यवहार से समाज में नीतिकता और मानवीयता का सधार होता है।

(iii) धर्म निराश व्यक्तियों का सबसे बड़ा सहारा है। निराशा से ब्रह्म व्यक्ति सामाजिक नियमों की सबसे अधिक अवहेलना करते हैं और केवल धर्म ही एक-मात्र ऐसी सहा है जो उसमें नीतिकता का सचार करती है, उसमें भात्म नियन्त्रण की भावना भरती है। धर्म निराश व्यक्ति से कहता है कि पिछले कर्मों का तो उसे यह फल मिला है और अब फिर युरे कर्म करके क्यों अपना भगवा जीवन अन्धकार में ढालता है। धर्म निराश व्यक्ति में साहस का सचार करता है कि “भगवान के घर देर है, प्रभेत नहीं, भ्रत, तू अपने कर्तव्य से भ्रत डिग।” धर्म ने व्यक्तियों और परिवारों के विषट्टन को जितना रोका है उतना अन्य सभी साधन मिलकर भी नहीं कर सके हैं।

(iv) धर्म ‘एक आध्यात्मिक सप्तर’ की रचना करता है जिसमें रहने के फलस्वरूप व्यक्तियों में सहनशीलता, उदारता, परोपकारिता, दया, सत्यवादिता आदि, मानवीय गुणों का विकास होता है। आधिक स्थायाएं सामाजिक व्यवस्था में जितनी हृदयों से सामाजिक नियन्त्रण की स्थापना करती हैं, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। विवाह को एक सम्मान का हृष देकर धर्म ने पारिवारिक जीवन को जितना स्थायी बनाया है, इसकी प्रत्येक हिन्दू सहज ही कल्पना कर सकता है। इन्हें और नरक तथा जन्म और पुनर्जन्म के धार्मिक विचारों में भारतीय सकृति को जितना सहनशील, उदार और समन्वयकारी बनाया है, कहने की आवश्यकता नहीं।

(v) धर्म व्यक्तित्व का निर्माण करने वेळा और सामाजिक जीवन का समर्थन-कर्ता है। धर्म व्यक्ति को सांसारिक नियाशों से बचा कर उसके व्यक्तित्व को समर्थित रखता है और फलस्वरूप समाज में व्यवस्था बनी रहती है। जब दुनिया व्यक्ति को ठुकराने सकती है तो धर्म उसे सहारा देता है और दूटने से बचता है। धर्म उसे विश्वास दिलाता है कि नीतितापूर्ण जीवन विता कर वह वर्णमान विपत्तियों से छुटकाय पाएगा और समझ में पुनर्जन्म और प्रतिष्ठा पाएं करेगा। धर्म व्यक्ति को दूने उत्साह से काम करने की प्रेरणा देता है। धर्म उसे हर चरण में समाज से अनुकूलन करना सिखाता है। इस प्रकार धर्म व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय पैदा करने वाली सत्था है। बचपन मिश्नोरावस्था, बैवाहिक अवस्था, बृद्धावस्था आदि सभी स्तरों पर धर्म ने विभिन्न सम्बारों और व्यवहारों की व्यवस्था

की है जिसे शुल्क से आविर तक वैयक्तिक जीवन में और फलस्वरूप समाज में एक सन्तुलन बना रहता है, एक निश्चित व्यवस्था बनी रहती है। धर्म वास्तव में भूत, वर्तमान और नवित्र्य का एक आदर्श समन्वय है।

(vi) धर्म व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा देकर उसे निर्बलता, अभाव और अनिश्चितता की स्थितियों से मम्बल पहुँचाना है। वह मनुष्य को अपनी परिस्थितियों से ग्रन्तकूलन करने की क्षमता देता है जिससे समाज में नियन्त्रण की व्यवस्था को राहरा गिलना है। आज के शुक्र वैज्ञानिक रिकार्डों के युग से व्यक्ति को विग्रामधिक सहारे की प्राप्तिकता होती है, जिन व्याधहारिक और अनुभवातीत लक्ष्यों की आवश्यकता होती है, उनकी प्राप्ति में केवल धर्म ही सहायक होता है।

(vii) धर्म आत्म-ट्राया, वलिदान, उत्कट देश-भविन धार्दि का सचार करने वाली विलक्षण शक्ति है। इन भावनाओं के विकास से वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में अनुभावन प्राप्ता है। धर्म व्यक्ति के सामने मानव-जीवन के महत्व को स्पष्ट करता है उसे पलायनबादी प्रवृत्ति से हटा कर कर्त्तव्यपरायणता की ओर उन्मुख करता है। धर्म कहता है—“तुम्हारा जीवन अपना नहीं है, वह दूसरों के लिए है ग्रन्त दूसरों के लिए काम करते हुए ही जिसी और भरो, इसी में तुम्हारा अपना कल्याण है इसी में जानक-जीवन की महानता है। जब रामाज के सदस्यों में ऐसे भाव प्रवल रूप से जाग्रत हो उठते हैं तो वह समाज एक तेजस्वी, समर्पी, मुव्ववस्थित और स्वनियन्त्रित समाज बन जाता है।

(viii) धर्म उन सभी शक्तियों को, उन सभी तत्त्वों को और साधनों को प्रोत्याहित करता है जिसमें सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। लोकाचार समाज के नैतिक मूल्य है जिनकी अनिवार्यता को स्पष्ट करने और जिन्हे स्थायी बनाए रखने में धर्म का बड़ा हाय है। मेरिल ने निखारी ही कि “लोकाचारों का कार्य सामाजिक कल्याण में अभिवृद्धि है और इन लाकाचारों की स्वीकृति धर्म के द्वारा होती है।” ग्रनेक सामाजिक प्रतियान धर्म का सहारा पाकर स्वायित्र प्रहण करते हैं, सदाज में लोकप्रिय होते हैं। धार्मिक ग्रन्थों के यनेक आदेश लोकाचारों के रूप में होते हैं जो स्पष्ट करते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के कर्त्तव्य क्या हैं।

(ix) धर्म सामाजिक जीवन में तनावों को रोक कर सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहन देता है। इस इंपिट से धर्म व्यवहार के समान तरीकों को अपनाने को प्रेरणा देता है और व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्णि के स्थान पर सामाजिक कल्याण की शिक्षा देना है। वैयक्तिक रवार्थ और सामाजिक कल्याण के बीच समर्थनीयता में धर्म सामाजिक कल्याण को प्रभुत्वता देकर सामाजिक एकीकरण में महायक होता है। धर्म वा एक प्रमुख कार्य सामाजिक मूल्यों की उपयोगिता और महत्वा को स्पष्ट करना है जिसमें सामाजिक एकीकरण की शक्तियों को महारा मिलता है। हेरो एम जॉनसन ने निखारा है कि “धर्म एकीकरणकारी कोई एकमात्र शक्ति नहीं है वरन् अनेक साधनों में से एक है जो एकीकरण की प्रक्रिया में योगदान करता है।” पर हम इसमें इतुआ और जोड़ देना चाहते हैं कि यदि धर्म को स्वस्प रूप में अपनाया जाए तो वह

सामाजिक एकीकरण की स्थापना करने वाली सबसे प्रबल शक्ति है जिसके सहयोग के अभाव में अन्य साधन शिथिल पड़ जाएंगे।

(5) धर्म सामाजिक परिवर्तन पर समुचित नियन्त्रण लगा कर समाज में स्थायित्व लाता है, विषट्टित करने वाली शक्तियों से उसे बचाता है। स्वस्थ सामाजिक परिवर्तन समाज को लाभ पहुँचाते हैं पर यदि परिवर्तन तेजी से हुए तो समाज के विषट्टन का भय भी उत्पन्न हो जाता है। धर्म आकस्मिक और तीव्र परिवर्तनों पर अकुश लगाता है। धर्म प्रपनी प्रकृति में छहिकादी, अपरिवर्तनिचादी और परम्पराचादी होता है, अतः किंहीं भी परिवर्तनों को सहसा ही समाज में बढ़ जमाने की अनुमति नहीं देता। धर्म का अकुश समाज के सदस्यों को इतना अवगत प्रदान करता है कि वे परिवर्तनों की लाभ हानि को बसौटी पर कहते हैं। त्री परिवर्तन आवश्यक हो, समाज के लिए बड़े उपयोगी और स्वस्थ हो, उन्हांना धर्म स्वागत दरकार है लेकिन समिति रूप से, हृदबड़ी में नहीं। धर्म का महत्व इस बात में भी है कि वह लोगों में एक ऐसे आत्म-बल का सचार करता है जिससे धर्म की अस्वस्थ छहियों को दूर करके या उनमें भशोधन करके उस समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

(6) धर्म इस हाइट से भी सामाजिक नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है कि वह लोगों को स्वस्थ मनोरजन प्रदान करके उसमें भावनात्मक एकता पैदा करता है, तोमो की यामूहिकता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। विभिन्न धार्मिक अवसरों पर सामूहिक भजन-कीरति, भक्तिपूर्ण नृत्य आदि के आयोजन होते हैं, कथावाचन होते हैं, कर्मकाण्ड और स्तकार सम्पन्न किए जाते हैं। इन अवसरों पर उपस्थित जन-समुदाय में ऐसे मनोभावों का सचार होता है कि अपने को 'एक' समझने लगते हैं। ये मनोभाव इही सीमा तक सामाजिक जीवन में लोगों को 'अपनेपन' की भावना में बद्धि रखते हैं। धार्मिक उत्सव मनुष्य की विनोदप्रियता का स्वस्थ रूप में प्रोत्साहन देकर उसे नीतिक प्राणी बनाने में सहायक होते हैं।

सार रूप में, धर्म सरल और जटिल, प्रादर्शिक और द्वितीयक समाजों में सामाजिक नियन्त्रण का एक प्रभावशाली साधन है। यह अन्धे' या 'बुरे' का सम्बन्ध एक अलौकिक शक्ति से जोड़कर मनुष्य के कार्यों को नियमित करता है और उसमें यह भावना भरता है कि समाज-विराधी कार्य करने से ईश्वर अवश्य अप्रसन्न होता है। इस प्रकार सामाजिक नियमों के अनुपालन को प्रोत्साहन मिलता है। धर्म के भय से समाज में विषयमानी व्यवहार (Deviant behaviour) पर बहुत कुछ अकुश लगा है।

(7) नीतिकता (Morality)—हम कह चुके हैं कि नीतिका सामाजिक नियन्त्रण का एक बहुत ही प्रभावशाली साधन है। नीतिका का पालन व्यक्ति अपनी अन्त करण की प्ररणा से करता है। वह उत नियमों अथवा कार्यों का अनुसरण करना अपना कर्तव्य समझता है जो न्याय, पवित्रता और सत्पता पर आधारित होते हैं। नीतिकता ने नियमों का उत्तराधन यद्यपि शारीरिक या धार्मिक रूप से दण्डनीय नहीं है, लेकिन मनुष्य की आत्मा और सामाजिक दुराई का डर व्यक्ति को नीतिक नियमों के उल्लंघन से रोकता है।

नैतिकता में ममूह कल्याण की भावना छिपी रहती है। इसमें मन की भावनाओं और वाहा व्याकरण दोनों पर नियन्त्रण लगता है। 'नैतिकता इस रूप में अधिक सामाजिक हो गई है कि यह अकिञ्चन अद्युषणे की भवेष्या सामाजिक न्याय से उत्तरोत्तर सम्बद्ध होती जा रही है।' नैतिक सहिताओं का राजनीतिक तिदान्तों से अधिक अनिट रस्म-व्यय ही गया है और नैतिक विश्वासों का अधिकतर राजनीतिक विचार-वारांशो में समावेश ही गया है। वह विकास सामाजिक नियन्त्रण की व्यवस्था में नैतिकता के योगदान को बढ़ाने वाला है। साथ ही इन सभी मामलों में नैतिकता के राजनीतिक व्यापक अध्ययनों के लिए भव अधिक व्यापक लेवर हो गया है।

धर्म और नैतिकता एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अत धर्म जिस रूप में सामाजिक नियन्त्रण की सन्तुलन गणित है, उसी रूप में नैतिकता भी सामाजिक नियन्त्रण स्वापिन करने वाली एक प्रमुख गणित है। ईमान-दारी, सत्य, न्याय, नैतिकता के ग्रन्थ हैं। चौरी करना, व्यस्त्य बोलना, अभिचार करना आदि अनैतिक कार्य हैं। लोगों में सामान्यत यह ग्रन्थ व्याप्त रहता है कि नैतिक कार्यों का फल अच्छा मिलेगा और अनैतिक का बुरा। नैतिक कार्यों को करने से पहले लोक भी सुधरेगा और परन्तु वे भी मोक्ष मिलेगा। अनैतिक कार्यों को करने से नाना प्रकार के अभिशाप ज्ञाने पड़ेंगे और परस्ती में नरक देखना पड़ेगा। इस प्रकार के विचारों के फलस्वरूप लोगों में नैतिकता के प्रति प्राप्त्या विद्यमान रहती है और वे अक्तिन व सामाजिक दोनों क्षेत्रों में बुरे कार्य करने से व्यापसम्बद्ध बनते हैं।

(12) **कानून (Law)**—कानून सामाजिक नियन्त्रण की भी व्याख्यारिक व्यवस्था है जिसका प्रभाव नैतिक नियमों, प्रथाओं आदि की भवेष्या अभिक निश्चित और अधिक व्यापक होता है। सुनिश्चित नियमों और स्थीरतियों के द्वारा मानव-व्यवहार में जो निश्चयात्मकता उत्पन्न होती है वह सामाजिक नियन्त्रण के अन्य साधनों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। रोस (Ross) के फ़ाइल में "कानून सामाजिक नियन्त्रण का सर्वाधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट बहुकृत है जिसको स्वयं समाज विधायील बनाता है।"<sup>1</sup> मैलिनोव्स्की (Malinowski) के प्रनुमार, "सामाजिक नियन्त्रण के शैक्ष में कानून की शक्ति इसके विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित है, और कानून का सीलिक कार्य अविन के प्राकृतिक उद्देशों और उसकी मूल प्रत्युतियों के प्रवाह को कम करना तथा समाजीकृत व्यवहार को प्रोत्साहन देना है। कानून अविनियोगी के द्वीच इस नरह महवाग पैदा करता है कि वे सामान्य सक्षणों की प्राप्ति के लिए प्रयोग निजी स्वाधीनों का बनिदान कर राकें।"<sup>2</sup>

ग्रन्थी पाउण्ड के अनुसार "कानून शक्ति के अविनियन्त्रित प्रबोग द्वारा सामाजिक नियन्त्रण का एक राजनीतिक आधार है।"<sup>3</sup> पाउण्ड ने प्रनुमार कानून के तीन मुख्य कार्य हैं जिन्हें सामाजिक नियन्त्रणकारी माध्यम के रूप में देख सकते हैं—

1. E A Ross Social Control p 183

2. Malinowski Crime and Custom, p 64

3. इसी एवं गोस्वामी, 'सामाजिक विवेचन' से उद्धृत, पृष्ठ 304

(1) शक्ति के व्यवस्थित प्रयोग द्वारा सामाजिक सम्बन्धों में समावैज्ञानिक स्थापित करना एवं आचरणों में व्यवस्था बनाए रखना, (2) समाज के विवादों को सुलझाने के लिए समाज द्वारा स्वतः आदर्शों पर आधारित मिळानों को लागू करना, एवं (3) प्रशासनिक दाँचे को सुनिता प्रदान करना। राष्ट्रीय पाउण्ड की ये तीनों दशाएँ सामाजिक नियन्त्रण को सन्तुलित रखने के लिए आवश्यक हैं।

विभिन्न समाजशास्त्रियों और विद्वानों द्वारा प्रबन्ध दिए गए विचारों के आधार पर सामाजिक नियन्त्रण में कानून की भूमिका को हम निम्नांकित रूप में पृथक् पृथक् रूप से अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं—

(i) व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियन्त्रण—कानून का निर्माण राज्य द्वारा होता है और उन्हें राज्य के सभी नागरिकों पर समान रूप से लाए किया जाता है। जो व्यक्ति कानून की आज्ञा अथवा कानूनी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं उन्हें राज्य द्वारा इण्ड का नामों हाना पड़ता है। अत इण्ड के भय से लोक कानून सम्मत व्यवहार करने लगते हैं। बट्टेंड रसन ने कहा है कि सर्वाधिक ग्रादर्श नागरिक का अच्छा व्यवहार बहुत कुछ पुलिस की शक्ति के अस्तित्व के कारण होता है। कानून लागों के विवरणामी व्यवहार को महन नहीं करना, फैनस्वरूप सामाजिक नियन्त्रण अपने आप बना रहता है और लोग कानून के शिक्षे में जकड़े जाने के भय से अपने आप सामान्य व्यवहार करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कानूनी शक्ति के व्यवस्थित प्रयोग द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों में समावैज्ञानिक स्थापित करते हैं और उन्हें एक दूसरे के अधिकारों में अतिक्रमण से योक्ते हैं। कानूनों द्वारा व्यक्तियों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं जिनका किसी भी व्यक्ति द्वारा हृनन या उल्लंघन दाढ़नीय है।

(ii) समूह सम्प्राणों आदि के व्यवहारों पर नियन्त्रण—कानून समाज में विभिन्न समूहों, समितियों, सम्प्राणों के व्यवहारों पर अकुश रहता है। कानून के भय से ही शक्तिशाली समूह निर्वंत ममूहों का उन्मूलन नहीं कर पाते। कानून सबको सहजाए प्रदान करता है, अतः शक्तिशाली वर्ष और निर्वंत वर्ग सभी का अस्तित्व बना रहता है, समाज में मत्स्य-न्याय नहीं फैल पाता। कानूनों के माध्यम से नमूहों, गमिनियों और सबों के व्यवहारों पर एक वास्तवामूलक नियन्त्रण लगा रहता है।

(iii) प्रयाप्ति की रक्षा—कानूनों की नियन्त्रण-शक्ति वहूत कुछ इसतिए कायम है कि वे समाज में प्रचलित प्रयाप्ति के सांसाधित रूप होते हैं और उन विभिन्न कायों को करते हैं जो कि प्रयाप्ति द्वारा किए जाते रहे हैं। प्राचीन समाजों के आरम्भिक कानून तो वर्म और कथाप्रो में ही मिने-जुने थे और कुछ मस्तृतियों में, जैसे भारतीय संस्कृति में, कानूनों का रूप घर्म द्वारा ही निर्धारित होता है। प्राचुरिक समाजों में भी कानून प्रयाप्ति से अद्यते नहीं है और वेस्टर्नराइट के इस कथन में सच्चाई है कि कानूनों का पालन प्राय इसीलिए शक्ति होता है कि वे एक प्रशार की प्रयाप्ति होती है। यही कारण है कि जो कानून समाज की प्रयाप्ति द्वारा अच्छे, नहीं समझे जाते वे ध्यावहारिक रूप में सफल नहीं हो पाते और उन्हें बदलना

या संघोधित करना पड़ता है। अथवा वे व्यवहार में वैसे ही मृतप्राय हो जाते हैं। भारत में अन्तर्जातीय विवाह प्रथायां द्वारा मान्य नहीं है, अर्त कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर भी ऐसे विवाह देश में इने पिछे ही होते हैं। अभिप्राय वह हुआ कि कानूनों के माध्यम से प्रवासी को सुदृढ़ता प्राप्त होती है, कल स्वरूप समाज की नैतिकता की रक्षा होती है।

(ii) सुधार द्वारा प्रेरित भनोवृत्तियों और आचरण की स्थापना—बाटोमोर ने लिखा है कि सामाजिक व्यवहार पर कानून का एक खतनन्त्र प्रभाव पड़ता है—कम से कम इस ग्रन्थ में कि सामान्यत एक समाज में यह ऐसी मनोवृत्तियों और आचरण की स्थापना करता है जो कि प्रारम्भ में सुधारकों के एक छोटे-से अल्पमत द्वारा प्रेरित होते हैं। सोवियत संघ में व्यवहार के उन ढांगों की स्थापना कानून से हुई जो प्रारम्भ में कानूनिकारियों के एक-छोटे से समूह की आकांक्षाएँ थीं। पश्चिमी यूरोप में व्यवस्थित विधान द्वारा घनेक प्रकार के नोकर्त्तात्रिक कल्याणकारी राज्यों का निर्माण हुआ है जैसे सामाजिक सुधारकों के मिडान्टों का मार्ग दर्शन प्राप्त था।

(v) सामाजिक परिवर्तन का रूप-निर्धारण—जैसा कि उपरोक्त बिन्दु से स्पष्ट होता है, सामाजिक परिवर्तन का रूप निर्धारित करके भी कानून सामाजिक नियन्त्रण की व्यवस्था में सन्तुलन बनाए रखता है। विभिन्न कारणों से आधुनिक समाजों की प्रकृति अत्यधिक परिवर्तनशील है। तीव्र परिवर्तनों के कारण, अनेक व्यक्ति बदली हुई दण्डों से समुचित अनुकूलन नहीं कर पाते जिससे विभिन्न सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अनियन्त्रित परिवर्तन व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन का मार्ग प्रशस्त कर मकता है। कानून का यह एक प्रमुख कार्य है कि वह अनियन्त्रित परिवर्तनों पर अकृश लगा कर विघटनकारी तहबी को न्यौत्ताहित करे। कानून नियोजित परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है जिससे समाज के लक्ष्यों और साधनों के बीच सन्तुलन बना रहता है। नई परिस्थितियों के प्रकाश में कानून व्यवहार के ऐसे तरीकों को प्रोत्साहन देता है जिनके सहारे व्यक्ति उन परिस्थितियों से अनुकूलन कर पाते हैं। इस प्रकार सामाजिक जीवन में व्यवस्था और समाज बनाए रखने से कानून का प्रत्यधिक योगदान होता है।

(vi) विवादों और सघर्षों को तुलसा कर नियन्त्रण व्यवस्था बनाए रखना—कानून विरोधी हितों के बीच सामग्रस्य लाकर सामाजिक नियन्त्रण की व्यवस्था बनाए रखता है। किन्हीं भी दो पक्षों के बीच विवाद जड़ आपसी बातों से नहीं सुलभ पात ता कानून के माध्यम से विवाद सुलझाएँ जाते हैं और कानूनों के आधार पर दिए गए व्यायिक नियंत्रणों को काई भी पक्ष अमान्य नहीं कर सकत। जहां नमाज में प्रचलित प्रवादों, लोकाचारों, नैतिकता आदि की अविकार जॉनिं को लोग अवहेलना कर सकते हैं वहाँ कानूनों की प्रवहेलना करने से लोगों को विशेष भय लगता है क्योंकि कानून किसी वो प्राफ नहीं करता। व्यक्तियों के बीच, समूहों या समिनियों के बीच और विभिन्न राज्य इकाइयों के बीच विवादों के समाधान में सहयोग देकर कानून सामाजिक नियन्त्रण की प्रभावशाली व्यवस्था करता है।

(४३) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के नियन्त्रण में महत्व—बाटोमोर ने लिखा है कि सामाजिक नियन्त्रण में कानून के महत्व का एक उदाहरण समझातीन प्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में रखने की मिलता है। आज अन्तर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न राष्ट्रों के सम्बन्धों के नियन्त्रण में अधिकाधिक महत्वपूर्ण स्थान पाते जा रहे हैं। बीसवीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समझनों द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून-प्रणाली की द्वाधार-जिम्माएँ रखने के प्रयास किए गए हैं, किन्तु राष्ट्रीय प्रभुमत्ता के होते हुए प्रगति अभी बहुत थोड़ी हुई है। बास्तव में यह महमूम किया जाने लगा है कि समाजों के बीच सम्बन्धों को नियमित करने में कानूनी स्पष्टताएँ अधिक प्रभावनारी हो सकती हैं बनिस्पत नैतिक भावनाओं के। नैतिक भावनाएँ, जब हितों या तिद्धान्तों का सधर्य उत्पन्न हो जाता है, अधिकांशत प्रभावहीन रहती हैं। पर यदि इहें मुनिपिचल रूप से कानूनी नियमों का रूप दे दिया जाए तो इनका प्रभाव बढ़ जाएगा।

(४४) वैधानिक चेतना उत्पन्न करके सामाजिक नियन्त्रण को प्रभावजाली बनाना—कानूनों द्वारा समाज के सदस्यों में वैधानिक जागरूकता उत्पन्न करदी जाती है। जब लोग वैधानिक चेतना-सम्पद होते हैं तो वे कानून के अनुसार सामाजिक नियन्त्रण बनाए रखने में अपने आप योग देते रहते हैं और इप्रकार नियन्त्रण की व्यवस्था बहुत कुछ 'स्व धारित' सी हो जाती है। कानून किसी व्यक्ति�-विजेय के हित में न होइर सार्वजनिक हित में होत है, यह इनका कार्य लोगों में अपने सामाजिक राजनीति तथा आधिक जीवन और विभिन्न नम्बन्धित समस्याओं के प्रति चेतना-जाग्रत करना होता है। यह चेतना व्यक्ति का समाजीकरण करती है। जब लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक होते हैं तो सामाजिक जीवन अनुशासित प्रीर नियन्त्रित बनता है।

स्पष्ट है कि कानून सामाजिक नियन्त्रण का बहुत ही प्रभावजाली साधन है—विशेषकर प्रापुनिक सभ्य समाजों में तो यह सामाजिक नियन्त्रण की आधार शिला है। नियन्त्रण के दूसरे सभी साधन वह अधिकार-जटिल नहीं रखते जो कानून रखते हैं। अध्युक्तिक जटिल समाजों में, जहाँ दृतीयक नम्बन्धों की प्रवानता है, अन्य सभी साधन संयुक्त रूप में भी उतनी प्रभावी नियन्त्रण-व्यवस्था नहीं बनाए रख सकते जितनी अकेले कानूनों द्वारा बनाए रखी जाती है।

(13) शिक्षा (Education)—सामाजिक नियन्त्रण के साधन के रूप में शिक्षा का महत्व असदिग्य है। 'यह व्यापक श्रव्य में, बद्धपन से लौकर प्रौढ अवस्था तक सामाजिक नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा द्वारा नई पीढ़ियों सामाजिक शादशों को सीधती है और उनके उल्लंघन पर दण्ड-निधारण बरती है।' शिक्षा सामाजिक नियन्त्रण का वह प्रभावजाली माध्यम है जो विसी प्रकार के दबाव द्वारा नहीं बल्कि तक, विवेच और वास्तविकता का ज्ञान करा कर प्रतीक्षात्मक रूप से समाज में नियन्त्रण-व्यवस्था की स्थापना करता है। समाज का चाहे जो भी है वह, शिक्षा व्यक्तिगत अवहार को अनुशासित करने, लोगों को सामाजिक और

भौतिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक नियन्त्रण की हाइट से शिक्षा के डल्लेजनीश कार्यों को हम नियन्त्रित बिन्दुओं में स्पष्ट कर सकत है—

(i) व्यक्ति का समाजोकरण—शिक्षा व्यक्ति का समाजोकरण कर सामाजिक नियन्त्रण की स्थापना बरती है। यह व्यक्ति को प्राप्तिवाति और उसकी भूमिकाओं के बीच ताल-मेल बढ़ाने में सहयोग देती है। यद् हमारे जीवन की सर्वसित करती है, निखारती है और हमें सामाजिक आदर्शों के अनुकूल बनाने में सहायता देती है। यह व्यक्ति का सही प्रकार से समाजोकरण करती है ताकि वह सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार कर सके। गलत समाजोकरण होने से विपर्यासी व्यवहार में दृढ़ होती है और शिक्षा का यह प्रमुख कार्य है कि वह गलत बात को सही की प्रोर मांडे। बाटोमोर के शब्दों में, “जैकिक व्यवस्था नैतिक विचारों को स्पष्ट करके और अशान व्यक्ति का बोल्डिंग विकास करके सामाजिक नियमों में योगदान देती है।” शिक्षा ऐसे गुणों का विकास करती है जिनसे सामाजिक हितों को हम अपना हित समझने लगते हैं और सामाजिक व्यवस्थाओं को पानन करना अपना कर्तव्य मानते हैं। शिक्षा “करने योग्य व्यवहार” और “न करने योग्य व्यवहार” का स्पष्टीकरण करने योग्य बनाकर हमारे जीवन को अनुशासित बनाती है।

(ii) आत्म-विश्वेषण द्वारा सामाजिक नियमों के अनुपालन की प्रेरणा—शिक्षा सामाजिक नियन्त्रण का एक ऐसा साधन है जिसमें दबाव अथवा दण्ड की मात्रा नगण्य रहती है। शिक्षा से जब हमारे हृदय में नैतिक विचारों और नान्तरिक गुणों का विकास होता है तो इस बात की नीई धावशक्ता नहीं रहती कि कोई बाहरी दबाव या दण्ड घोषा जाए। शिक्षित समाज में व्यवस्थाओं का पालन स्वतं समुचित रूप से होता रहता है, जबकि अविशिष्ट समाज में प्राप्त अनियन्त्रित और अनियमित जीवन-व्यवस्था देखने को मिलती है। नियन्त्रण के अन्य साधन प्रचार, दबाव तथा उद्देश्यपूर्ण दशाओं पर आधारित हैं जबकि शिक्षा स्वतं ही अन्तर्विच्छेदप्रण द्वारा सामाजिक नियमों के अनुपालन की प्रेरणा देती है। नियन्त्रण के अन्य साधन एकपक्षीय हैं, लेकिन शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व के आन्तरिक और बाह्य दोनों पक्षों का नियन्त्रण होता है। शिक्षा सम्पूर्ण जीवन को सञ्चुनित बनाती है तथा हमारे व्यक्तित्व का नियन्त्रण करती है। यह समाज के सदस्यों में समान विचारों और समान भावनाओं को और सहन देकर स्वस्य एकहस्ता नामे का प्रयत्न करती है जो कि सामाजिक नियन्त्रण का मुख्य आधार है।

(iii) नैतिक गुणों और जीवन का विकास—शिक्षा व्यक्ति में महयोग, प्रेम, स्पृश्य, अनुशासन, वर्त्तन्यपरायग्यगुता आदि नैतिक गुणों का विकास करती है। यह हमें अपने अविचारों और कर्तव्यों को समझने में सक्षम बनाती है, फलस्वरूप सम्पूर्ण सामाजिक जीवन में जागहरता प्रीत अनुशासन का प्रयार होता। कर्तव्य-दोष की भावना से हमारे हृदयों में सामाजिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा पैदा होती है। भगुणों में भी प्रीत, हिसा, सर्पण, द्वेष, स्वार्थपरता आदि पाश्चिमक भावनाएँ विद्यमान होती

है। यदि ये भावनाएँ प्रबल हो जाएँ तो समूर्ण समाज में अगजक्ता द्वा जाएगी, सामाजिक नियन्त्रण की समूर्ण व्यवस्था नष्ट-ध्रष्ट हो जाएगी। शिक्षा मनुष्य को इन पाठ्यिक प्रदृष्टियों पर अकुश लगाती है और वह भी बिना किसी दबाव के। शिक्षा द्वारा हम स्वेच्छा से ऐसे आधार-विचार सीखते हैं और व्यवहार में लाते हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत और फलस्वरूप सामाजिक जीवन में व्यवस्था बनी रहती है। शिक्षा ज्ञान का विवाह करती है और चरित्र का गठन। शिक्षा द्वारा हमारी प्रात्मा सत्य का धर्मन करती है। शिक्षा अच्छी नागरिकता की कृच्छ्री है। शिक्षा के साध्यम से राष्ट्रीय चेतना जाग्रत होती है, हमारे मानसिक, बोहिक और नैनिक गुणों का विकास होता है हम सच्चे अध्यो में मनुष्य कहनाने के अधिकारी बनते हैं। हम उन्नित अनुचित को समझ पाते हैं और जब 'इच्छित' का पालन करते हैं तो स्वन सामाजिक नियन्त्रण की स्थापना होती है। शिक्षा हमें तर्क प्रशान करती है तथा अनावश्यक उन से भावूक, अर्थात् और व्यक्ति-परक निरांयों से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। आत्म नियन्त्रण शिक्षा कर शिक्षा सामाजिक नियन्त्रण की स्थापना करती है।

(५) समृद्धि का सचरण—शिक्षा समृद्धि के सचरण द्वारा भी सामाजिक नियन्त्रण में महायोग देती है। समृद्धि में वे सभी आदर्श-व्यवहार, नियम, सांस्कृतिक प्रत्याज्ञाएँ (Cultural expectations) आदि सम्मिलित होती हैं जो सामाजिक जीवन के सगठन की आधारशिलाएँ हैं। शिक्षा इसी समृद्धि को पोटी-दर पीटी हस्तान्तरित करती है। शिक्षा द्वारा हमें पुरानी समृद्धि का ज्ञान होना है और हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान हमारी भावी पीटी का मिलता है। इस प्रकार शिक्षा भूत, वर्तमान और भविध के ज्ञान का समन्वय है। "शिक्षा के सचरण से ही नए लोगों को पुगने लोगों की मान्यता प्राप्त निपियों का ज्ञान होता है और वे उसका अनुसारण करते हैं। फलस्वरूप सामाजिक नियन्त्रण बना रहता है।<sup>1</sup> शिक्षा से हमें समाज की आदर्शित्वक व्यवस्था का ज्ञान होता है जो कि सामाजिक नियन्त्रण की स्थापना के लिए अनिवार्य है। शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान को पीटी-दर-पीटी हस्तान्तरित करते रहने से ही विभिन्न पीटियों के बीच मूल्यों के मध्य (Conflict of Values) की समस्या उत्पन्न नहीं हो पाती<sup>2</sup> और यदि होनी भी है तो वह 'विघटनकारी शक्ति' का रूप प्रहरण नहीं करती।

(६) व्यवस्थित स्तरीकरण द्वारा सामाजिक नियन्त्रण में सहयोग—शिक्षा परिवर्तनशील समाजों में व्यवस्थित स्तरीकरण द्वारा सामाजिक नियन्त्रण की स्थापना में सहयोग देती है। आदिम बन्द जनाओं (Closed societies) में प्रस्त्रिति-निश्चिरण के आधार जन्मजात होते हैं जबकि बन्दमान गतिशील प्रीर मुक्त समाजों (Open societies) में अर्जित प्राप्तियों (Achieved status) का

1. विद्या एवं सोसाजों द्वारा, पृष्ठ 300.

2. J. B. Mcgee, Introduction to Sociology, p. 390.

महत्व बढ़ता जा रहा है। हम ग्रन्ति ही देश को लें तो देखते हैं कि लोग परम्पराओं से यौवं न रहकर अपने प्रयत्नों से सामाजिक स्थिति पाने को प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार की परिस्थिति समाज के लद्यों और साधनों में सन्तुलन की समस्या उत्पन्न बढ़ती है। शिक्षा इस समस्या के समाधान में सहायता पूर्ववा कर सामाजिक नियन्त्रण में सहयोग देती है। यह एह और तो पुराने प्रतिक्रियावारण के समाप्त होते हुए आधारों के विकल्प के रूप में नए आधार प्रस्तुत करती है प्रौर साथ ही दूसरी और स्तरीकरण की नई व्याख्या द्वारा हर व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार उन्नति करने की प्रेरणा भी देती है। इस प्रकार, स्तरीकरण के जन्मजात् आधारों से सकारात्मक होने में जो सकलण की स्थिति पैदा हो गई है उसका हर शिक्षा द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।<sup>1</sup> बाटोमीर ने भी लिखा है कि शिक्षा, स्तरीकरण की व्यवस्था के अन्दर, व्यक्तियों का स्थान और उनके अधिकारों का निपत्रण करती है।

(ii) व्यक्ति में अनुकूलन की क्षमता का चिकित्सा—जैसा कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति के समाजीकरण के सांदर्भ में कहा जा चुका है, शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक और भौतिक पर्यावरण से अनुकूलन अथवा समयोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। फलस्वरूप सामाजिक नियन्त्रण की स्थापना में महयोग मिलता है। शिक्षा द्वारा एक और तो व्यक्ति में इतनी विकेत वृद्धि जाग्रत को जाती है कि वह घटनाओं और परिस्थितियों का व्यावहारिक विशेषण कर उनके प्रनुल्य व्यवहार कर सके, तथा दूसरी और उसमें यह क्षमता भी पैदा करती है कि परिस्थितियों को भी अपन अनुकूल बना सके। इस प्रकार व्यावहारिकनानुसार एह और नो परिस्थितियों से अनुकूलन करने और दूसरी और परिस्थितियों को स्वय के प्रनुकूल बनाने की दोहरी क्षमताओं का विकास व्यक्ति ने शिक्षा द्वारा हा पाया है जिसमें समाज में नियन्त्रण की स्थापना होती है। शिक्षा व्यक्ति को सिखाती है कि प्रतिकूल प्रवर्ती पर सदृशों को आनन्दित न किया जाए वहिक स्वय को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया जाए।

(iii) सामाजिक सन्तुलन की स्थापना ने सहयोग—समाज में परिवर्तन की धारा सदैव बहती रहती है। नए-नए मूल्यों का उदय होना है, नई-नई शक्तियाँ जन्म लेती हैं। दूसरी और पुराने मूल्य और पुरानी शक्तियों इन नए मेहमानों को घर में घुमने में रोकती है। फलस्वरूप दानों में टकराव या सघर्ष चलना रहता है, यदि कोई सन्तुलनकारी समित न हो तो समाज में विवर्ण की स्थिति पैदा हुआ जाएगी। शिक्षा वह प्रभावकारी साधन है जो इस दृष्टि में रान्तुलनकारी शक्ति का काम करता है। शिक्षा द्वारा एक और तो अनुपमोगी पुराने मूल्यों और ग्रन्थ-विद्वानों के वहिकार की प्रेरणा दी जाती है और दूसरी और उभयोगी परम्परागत मूल्यों को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। शिक्षा आकस्मिक और तीव्र परिवर्तनों को अनियन्त्रित स्वय में प्रवनने के पश्च में नहीं होती। अभिप्राय दुष्टा कि

1. यिथो एवं गोस्वामी, वहो, पृष्ठ 300

न तो यह परिवर्तन की विरोधी होती है और न सभी प्रकार के परिवर्तनों का एकदम स्वागत करती है। इस प्रकार शिक्षा द्वारा समाज में सन्तुलनकारी परिवर्तित का विकास किया जाता है। शिक्षा ऐसा विवेक प्रदान करती है जिसमें हम पुराने मूलयों के उपर्योगी पक्ष को चुन लेते हैं और अनुपर्योगी से चिपटे नहीं रहते, उपर्योगी नए मूलयों को श्रद्धण्ठ कर लेते हैं किन्तु अनुपर्योगी नए मूलयों के प्रति सचेत बने रहते हैं। शिक्षा का यह कार्य सामाजिक नियन्त्रण व्यवस्था को प्रभावशाली बनाता है।

इस प्रकार शिक्षा विभिन्न रूपों में सामाजिक नियन्त्रण की महत्वपूर्ण शक्ति है। आधुनिक जटिल समाजों में, जहाँ द्वैतीयक सम्बन्धों की प्रधानता है, नियन्त्रणकारी साधन के रूप में शिक्षा का महत्व अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि सामाजिक नियन्त्रण का कोई एक साधन नहीं बल्कि सभी साधन संयुक्त रूप में प्रभावशील होते हैं और समाज में व्यवितर्यों के व्यवहारों को सन्तुलित रखते हैं। इन नियन्त्रणों से ही सामाजिक सरचना और व्यवस्था बनी रहती है। समाज का निर्माण ही “सामाजिक सम्बन्धों” और “नियन्त्रण की व्यवस्था” द्वारा होता है। एक की प्रतुपस्थिति में दूसरे जा प्रतिवर्त्त किसी प्रकार भी मुरक्खित नहीं है।



## प्रश्नावली

### (UNIVERSITY QUESTIONS)

#### प्रश्नावली-1

- 1 समाजशास्त्रीय विश्लेषण के उद्देश्यों तथा विधियों की व्याख्या कीजिए। (1975)  
Explain the objectives and methods of sociological inquiry
- 2 समाजशास्त्रीय परिदृष्टि के विविध प्रतिमान बता है ? विवेचना कीजिए।  
What are the distinct patterns of Sociological perspective ? Discuss
- 3 सामाजिक स्थल्यों की समझते के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। अब सामाजिक विज्ञानों द्वारा अपनाए एवं दिखाईदेने वाले यह किस प्रकार निवार है ? (1978)  
Discuss the sociological way of understanding social phenomena. How does it differ from the approaches of other social sciences ?
- 4 समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जात तथा समझते हैं ? (1978)  
What do you understand by sociological perspective ?
- 5 समाजशास्त्रीय परिदृष्टि (सर्वरेखिक) से जात तथा हममते हैं ? इसके विशिष्ट विशेषताओं को विवेचना कीजिए। (1976)  
What do you understand by sociological perspective ? Discuss its distinctive features
- 6 समाजशास्त्रीय विषय को वैज्ञानिक प्रगति की विवेचना कीजिए।  
Discuss the scientific nature of sociological enquiry
- 7 इसको विवेचना कीजिए कि समाजशास्त्र विद्या प्रकार एक विज्ञान है।  
Discuss how Sociology is a science
- 8 विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को अनेक प्रकार से परिभासित किया है। इस सम्बन्ध में आपका विचार बता है ?  
Sociology has been defined in many ways by various sociologists. What are your views on the theme of sociology ?
- 9 समाजशास्त्र की प्रकृति की विवरणाएँ बता हैं, विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए।  
Discuss in detail the characteristics of the nature of Sociology
- 10 “समाजशास्त्र हिस्तो भी व्याप्ति गतिशील विज्ञान की व्याप्ति एक विज्ञान है।” इस कथन का आलोचनात्मक स्पष्टीकरण कीजिए।  
“Sociology is a science like any other natural Science.” Discuss

- 11 "समाजशास्त्र एक विज्ञान है"—इन कथन को विवेचना विज्ञान के रूप में समाजशास्त्रीय नीमाओं का ढंगेल रखते हुए कीजिए।  
 "Sociology is a science" Discuss this Statement with reference to the limitations of Sociology as a Science
- 12 समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण यहा है : समाजशास्त्री की जागोगिता बतलाइए।  
 What is the Sociological point of view ? Mention the value of Sociology
- 13 "समाजशास्त्र यहा है" का अध्ययन करता है, त कि 'यहा होना चाहिए का' समझाइए।

## प्रध्याय 2

- 14 प्रतिष्ठित एवं भूमिका की अवधारणाओं की परिभाषा कीजिए और उनके पारस्परिक सम्बन्धों की विवेचना कीजिए। (1978)  
 Define the concepts of status and role and discuss their inter relationships
- 15 प्रतिष्ठित व भूमिका के परस्पर सम्बन्धों की विवेचना कीजिए। (1976)  
 Discuss the relationships between Status and Role
- 16 प्रवत्त व लक्षित प्रतिष्ठितियों में भेद स्पष्ट कीजिए। उनके परस्पर सम्बन्धों का अधीक्षण कीजिए। (1976)  
 Distinguish between ascribed and achieved status Examine their relationship
- 17 "भूमिका प्रतिष्ठिति का गत्यात्मक पद है।" मोदाहरण स्पष्ट कीजिए। (1977)  
 Role is the dynamic aspect of status" Illustrate
- 18 प्रतिष्ठित और भूमिका से आप क्या अवसरते हैं? प्रतिष्ठित और भूमिका के आवश्यक तत्त्व क्या हैं?  
 What do you understand by the terms 'Status' and 'Role'? What are the essential elements of Status and Role?
- 19 प्रतिष्ठित और भूमिका अथवा स्थिति और कार्य की अवधारणाओं की परिभाराएं कीजिए।  
 (क) जीवात्मक तथा (ब) सांस्कृतिक कारक, किस भाँति सामाजिक भूमिकाओं (अथवा सामाजिक कार्यों) को प्रभावित करती हैं?  
 Define the concepts of status and role How do (a) Biological and (b) Cultural factors affect social roles?
- 20 नामांकिक सरचना के विश्लेषण में स्थिति (अथवा प्रतिष्ठिति) और कार्य (अथवा भूमिका) के महत्व की आलोचनात्मक जीव कीजिए।  
 Critically examine the importance of Status and role in analysing social structure
- 21 क्रियालयित पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए—  
 (क) कार्यान्वय (व) कार्य सेट (स) प्रियति सेट  
 Write a critical note on the following—  
 (a) Role Performance (b) Role set and (c) Status Set
- 22 प्रतिष्ठिति के दर्शन लिखिए। प्रतिष्ठिति के प्रकारों का वर्णन कीजिए?  
 Explain the meaning of Status. What are the types of Status?

- 23 प्रसिद्धि तथा भूमिका के प्रत्यय को व्याख्या कीजिए। विविध समाजों में प्रसिद्धि प्रदान करने के मुख्य बाबारण क्या हैं ?  
 Explain the concept of Status and role. What are the main bases of Status ascription in different societies ?
- 24 प्रसिद्धि तथा भूमिका के प्रत्यय को व्याख्या कीजिए। विविध समाजों में प्रसिद्धि प्रदान करने के मुख्य बाबारण क्या हैं ?  
 Explain the concept of Status and role. What are the main bases of status ascription in different societies ?
- 25 प्रदत्त स्थान अविभागित वे भेद स्पष्ट कीजिए। सामाजिक जीवन में प्रसिद्धि और भूमिका के महत्व को समझाइए।  
 Distinguish between ascribed and achieved status. Show the importance of status and role in social life.
- 26 प्रसिद्धि तथा भूमिका को लारण का नामांकित व्यवस्था की लारण से क्या सम्बन्ध है ? What is the relationship of status and role with the concept of social order ?
- 27 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दिलाइए—  
 (a) प्रसिद्धि के प्रकार  
 (b) प्रसिद्धि एवं भूमिका का महत्व  
 (c) प्रसिद्धि तथा भूमिका के निर्धारण के बाबारण  
 (d) प्रसिद्धि तथा भूमिका के आवश्यक तत्व।  
 Write short notes on the following—  
 (a) Types of status  
 (b) Importance of Status and role  
 (c) Bases for the determination of Status and role  
 (d) Essential elements of status and role
- प्रश्नावली 3**
- 28 सामाजीकरण के ग्राम व व्या समझते हैं ? सामाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा विविध समिक्षाओं का अन्तर्विकास कैसे किया जाता है ? (1975)  
 Define Socialisation. How are various roles internalised through the process of socialisation ?
- 29 “समाजीकरण हृदय से के शाहीद हो सम्भवित है” (डेविस) इस कथन को समझाइए। (1976)  
 “The heart of socialization is the emergence of the self” (Devis). Explain the statement.
- 30 सामाजीकरण का वाचा क्या है ? इसके प्रमुख निदानों की व्याख्या कीजिए। (1976)  
 What is Socialization ? What are the major theories of Socialization ?
- 31 सामाजीकरण के अधीन व महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसकी प्रमुख सम्भालों की व्याख्या कीजिए। (1976)  
 Explain the meaning and significance of socialization. What are its important agencies ?
- 32 सामाजीकरण के प्रक्रियात्मक पद पर वर्णित रूप के प्रकार इन्हें योगावलाल की एक वाचाइ-पूछ अवधारणा के रूप में विवरित कीजिए। (1977)

Analyse socialization as a basic concept in sociology throwing adequate light on its processual aspect

33 समाजीकरण के अर्थ व प्रक्रिया को विवेचना कीजिए। (1977)  
Discuss the meaning and process of socialisation

34 समाजीकरण के विभिन्न सिद्धान्तों की विवेचना, मुख्यतः कूने और मीड के सिद्धान्तों के सन्दर्भ  
में कीजिए। (1978)

I scuss the various theories of socialization with special reference to Cooley and Mead

35 मीड के समाजीकरण के सिद्धान्त की आवोचनामक परीक्षा कीजिए। हूने के समाजीकरण  
के सिद्धान्त से यह किस प्रकार भिन्न है? (1978)

Examine critically Mead's theory of socialization. How it is differs from Cooley's theory of Socialisation?

36 द्वितीय और मीड ने समाजीकरण की प्रक्रिया का दो दृष्टिकोण रखा है उसकी विवेचना  
कीजिए।

Discuss the process of socialisation as viewed by Durkheim and Mead

37 समाजीकरण की प्रक्रिया और दस्ती एवं स्थिरों की विवेचना कीजिए।  
Discuss the process and agencies of Socialisation

38 यह समाजीकरण ही है जो बालक को समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाता है और उसे  
सामाजिक परिवर्तन के लिए करता है। कैसे? दालक का समाजीकरण कौन करता  
है? व्याख्या कीजिए।

It is socialisation that turns the child into a useful member of the Society  
and gives him social maturity." How? Who socializes the child? Explain

39 को प्रति भीड़ के बन्दुसार 'आत्म' वा उदय और विश्वास इस प्रकार होता है?  
How does the 'Self' emerge and develop according to G H Mead?

40 समाजीकरण के उद्देश्य क्या है? आध इस समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाइए।  
What are the aims of socialisation? Also explain the process of Socialization.

41 एक व्यक्ति के समाजीकरण में बहुत से समूह तथा समाजांमें सहाय्य का वर्ती है। व्याख्या  
कीजिए।

Many groups and institutions play an important part in socializing the person. Discuss

42 हमाजीकरण प्रक्रिया से आप का समझ है? व्यक्ति के समाजीकरण में परिवार तथा  
विद्यालय के महत्व को बताइए।

What do you understand by the "Process of Socialization"? Show the  
importance of family and educational institution in the socialization of the individual.

43 निम्नलिखित पर हल्लिए टिप्पणियों निहिए—

- (अ) समाजीकरण की प्रक्रिया में नायाजीकरण-बनाना'
- (ब) समाजीकरण वा कूने वा सिद्धान्त
- (स) समाजीकरण वा द्वितीय का सिद्धान्त
- (द) समाजीकरण में चीड़ा लम्हा
- (इ) समाजीकरण के लदेश्य

Write short notes on the following—

- The 'Identification stage' in the process of socialization
- Cooley's theory of socialization
- Durkheim's theory of socialization
- Play groups in socialization
- Aims of socialization.

44 बालक का समाजीकरण कौन करता है ? अदिन समाजों पर बालक के समाजीकरण में औपचारिक शिक्षा की क्षय महत्ता है।

Who socializes the child ? What is the role of formal education in socializing the child in complex societies ?

45 'यह समाजीकरण है जो बालक का समाज का एक दृष्टिगति सदृश्य बनाता है और उसे सामाजिक परिवर्तन प्रदान करता है।' कैसे ? बालक का समाजीकरण कौन करता है ? व्याख्या कीजिए।

"It is socialization that turns the child into a useful member of the Society and gives him social maturity." How ? Who socializes the child ? Explain

#### प्रश्नावली 4

46 निम्नलिखित विद्युतों पर प्राप्तिक 'समूह' की विवेचना कीजिए—

- ओपचारिक समूहों में प्राप्तिक समूह के प्रकार्य
- प्राप्तिक समूहों की आन्तरिक गतिशीलता।

Discuss the primary group on the following points—

- The function of the primary group in formal organisations
- The internal dynamics of the primary group

47 मानव-समूहों के कुछ अनिवार्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। संक्षेप में मानव-सम्बन्धों में प्रबन्ध समूह के प्रकार्य का उल्लेख कीजिए।

Discuss some of the essential characteristics of human groups. Mention in short the role of reference group in human relations

48 समूह की परिभाषा दीजिए और उसका बगीचरण बताइए।

Define group and give its classification

49 मानव-समूहों के बड़यतन में होमन्स की देन की व्याख्या कीजिए। (1976)

Discuss the contribution of Homans to the study of Human Groups

50 मानव-समूह की प्रधा विशेषताएँ हैं ? सन्दर्भ समूह के वर्णन व प्रहृत्य की व्याख्या कीजिए। (1976)

What are the characteristics of human group ? Discuss the meaning and significance of Reference Group

51 सामाजिक समूह की प्रधा विशेषताएँ हैं ? सामाजिक समूहों के वर्गोंकरणों की विवरण कीजिए। (1978)

What are the characteristics of Social Group ? Discuss classifications of Social Groups

52 प्राप्तिक समूह की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। (1977)

Discuss the characteristics of Primary group

53 प्राप्तिक समूहों के वर्णन, वहां पर एक आवश्यक परिवर्तियों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। (1977)

Explain clearly the meaning significance and essential conditions of primary groups

64 प्राथमिक समूह की व्यवहारणा की व्याख्या कीजिए। समकालीन समाज में प्राथमिक समूहों का यथा महत्व है ? (1978)

I discuss the concept of Primary group? What is the significance of primary groups in contemporary society?

65 प्राथमिक समूहों के लक्षणों की जांच कीजिए। ये द्वितीयक समूहों से किस प्रकार भिन्न हैं ?

I examine the characteristics of primary groups. How do they differ from Secondary Groups?

56 प्राथमिक और द्वितीय समूहों की प्रमुख विशेषताएँ यथा हैं ? प्रत्येक के तीन बीन उदाहरण दीजिए।

What are the main characteristics of Primary and Secondary Groups ? Give three examples of Each

57 अद्य अथवा आधासी समूह से आप क्या समझते हैं ? अद्य समूह और प्राथमिक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए।

What are Quasi Groups? Distinguish between Quasi and Primary Groups?

58 ग्रामीण और नगरीय जीवन में भद्र वर्तमान है। नगर के सामाजिक प्रभाव क्या है ?

Give the contrast of rural and urban life. What are social effects of the city ?

59 ग्रामीण समूदाय से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रमुख विशेषताएँ यथा हैं ?

What is rural community ? What are its main characteristics ?

60 भीड़ और जनहाँ को परिभ्रान्ति कीजिए और इनका अंतर स्पष्ट कीजिए।

Define Crowd and Public' and distinguish them

61 भीड़ की परिचय दीजिए ; भीड़ में अल्प वा अधिकांश व्यवहार उसके भीड़ के बाहर होने के अवहार से क्यों और कैसे निपट होता है ?

Define a crowd. Why and how does the behaviour of man differ in a crowd from its behaviour when outside ?

62 जनता वा समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है ? इसकी प्रमुख विशेषताओं वा उत्तरों का जाजिए।

What is the sociological meaning of Public ? Explain its main characteristics

63 प्राथमिक समूह एवं योग को मुद्रण व्यवया शक्तिहीन बनाने वाले बीन कौन से तत्व हैं ?

What are the factors that strengthen or weaken the primary group cohesion ?

64 प्राथमिक समूहों के व्यक्तिको विवेचन कीजिए।

I discuss the dysfunctions of primary groups

65 निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए—

(अ) सम्बन्ध वैयक्तिक होते हैं

(ब) प्राथमिक समूह की कियाजों पर नगरीकरण का प्रभाव

(स) अन्त समूह तथा वाह्य समूह

(द) द्वितीयक समूह

Write short notes on the following—

- (a) Relations are personal.
- (b) The effect of urbanization on the actions of primary groups
- (c) Inter groups and other groups
- (d) Secondary groups

### प्रश्नावली 5

66 स्तरीकरण के कुछ विद्यार्थी की आलोचनात्मक रूप से जवाब कीजिए।

Examine critically some of the theories of stratification.

67 स्तरीकरण पर प्रकार्यवादियों के विचारों की विवेचना कीजिए। इनके विचार आमतौर परिवर्तन वादियों से किस प्रकार अलग हैं?

Discuss the views of functionalists on stratification. How do they differ from radicals?

68 सामाजिक विद्योकरण एवं सामाजिक स्तरीकरण के में ऐसे को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक स्तरीकरण के आधारों का विवेचन कीजिए। (1976)

Distinguish between social differentiation and social stratification. Examine the bases of social stratification.

69 स्तरीकरण के प्रकार्यत्मक विद्यालय की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। (1978)  
Critically examine the functional theory of Stratification

70 सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति का विवरण कीजिए तथा इसके कुछ स्वरूपों की विवेचना कीजिए।

Describe the nature of social stratification and discuss some of its forms

71 सामाजिक स्तरीकरण में आप क्या समझते हैं? सामाजिक स्तरीकरण के आधारों की व्याख्या कीजिए।

What do you understand by 'Social Stratification'? Examine the bases of social stratification

72 स्तरीकरण की विवादाधारों को परिभ्रान्ति कीजिए; स्तरीकरण के प्रकार्यत्मक विद्यालय का आलोचनात्मक वृल्यांकन कीजिए। (1978)

Define the concept of stratification. Critically evaluate the functional theory of stratification.

73 सामाजिक स्तरीकरण के आप क्या जर्मा लेते हैं? उपर्युक्त उदाहरण देते हुए सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यत्मक यक्षों की विवेचना कीजिए। (1977)

What do you understand by social stratification? Discuss the functional and dysfunctional aspects of social stratification with suitable examples

74 सामाजिक स्तरीकरण के कार्यों व अपकार्यों का उल्लेख कीजिए। (1975)  
Discuss the functions and dysfunctions of social stratification.

### प्रश्नावली 6

75 सामाजिक अन्तर्विद्या पर संस्कृत में एक निबन्ध लिखिए।

Write a short essay on social interaction.

76 सामाजिक अन्तर्विद्या की विभिन्न प्रक्रियाओं पर विशिष्ट निबन्ध लिखिए। (1975)  
Write a short essay on various processes of social interaction.

- 77 सामाजिक बहुत किया के अर्थ को स्पष्ट हर से समझाइए। उपयुक्त उदाहरण देने हुए सामाजिक अत किया के अर्थ के कुल मूल स्वरूपों की विवेचना कीजिए। (1977)  
Explain clearly the meaning of social interaction. Discuss some of the basis forms of social interaction giving suitable examples
- 78 सहयोग की परिभाषा दीजिए। इनके स्वरूपों का भी उल्लेख कीजिए। Define co operation. Explain its forms
- 79 सघय के सामाजिक प्रकारों की विवेचना कीजिए। इस सम्बन्ध में कोनर के विवारों का सदर्श कीजिए। Discuss the social functions of conflict. Refer to the views given by Coser
- 80 प्रतिस्पर्द्धा और सघय के अन्तर को उदाहरण सहित बताइए। सघय के विविध स्वरूपों का भी उल्लेख कीजिए। Illustrate the differences of between competition and conflict. Give various forms of conflict
- 81 सामाजिक प्रक्रियाओं पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। Write a critical note on social processes
- 82 प्रतियोगिता (अवका प्रतिस्पर्द्धा) की परिभाषा दीजिए, तथा सामाजिक विकास में इसकी महत्वपूर्णता की विवेचना कीजिए। Define competition and discuss its role in social development
- 83 सघय, प्रतिस्पर्द्धा तथा सहयोग का सम्बन्ध बताइए। Bring out the relationship between conflict, competition and cooperation
- 84 सामाजिक प्रक्रिया के लैंग की विवेचना कीजिए। इसके प्रमुख प्रकार कौन से हैं। (1977)  
Discuss the meaning of social processes. What are its important types?
- 85 सघय की सामाजिक प्रक्रिया के रूप में व्याप्ति कीजिए। यह प्रक्रिया सार्वभौमिक क्यों है ? Explain conflict as a social process. Why is it universal?
- 86 प्रतिस्पर्द्धा और सघय में बन्तर को उदाहरण सहित बताइए। सघय के विविध स्वरूपों का भी उल्लेख कीजिए। Illustrate differences between competition and conflict. Give various forms of conflict
- 87 सघय का अर्थ और परिभाषा दीजिए। इसके स्वरूप बताइए। सघय का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है ? Give the meaning and definition of conflict. Explain its forms. What is its sociological importance?
- 88 प्रतिस्पर्द्धा की परिभाषा दीजिए। इसकी प्रमुख विशेषताएँ यथा हैं ? Define competition. What are its chief characteristics?
- 89 प्रतिस्पर्द्धा के विविध स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। समाज में प्रतिस्पर्द्धा का बहा महत्व है ? Describe various forms of competition. What is its importance in society?
- 90 “सानांशीय सम्बन्धों में सघय की प्रक्रिया हर समय विद्यान रहती है” इस कथन की व्याप्ति कीजिए और बताइए कि वह कौन से सामाजिक संवत् (साधन) है जिनसे सघय की जागृत व्यवस्था कर किया जा सकता है ? ‘Conflict is an ever present process in human relations’ Explain this statement and state what are the social mechanisms that smooth over conflict.

- 91 सामाजिक क्रिया के क्या तत्व हैं ? सामाजिक क्रिया व क्रिया में क्या भेद है ? स्पष्ट कीजिए । (1977)  
 What are the elements of social action ? How social action is different from action ? Explain
- 92 सामाजिक क्रिया के उत्तों की विवेचना कीजिए । (1976)  
 Examine the elements of social action
- 93 डिविस के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक क्रिया के कारणों की विवेचना कीजिए । (1976)  
 What are the elements of Social Action as given by Davis ? Discuss
- 94 किसी एक प्रमुख सामाजिक सोसाइटी के सामाजिक क्रिया सम्बन्धी अध्ययन की विवेचना कीजिए । (1976)  
 Discuss the contributions of any one eminent sociologist to the study of Social Action
- 95 सामाजिक क्रिया की व्यवस्था की व्याख्या कीजिए । (1978)  
 Discuss the concept of Social Action
- 96 सामाजिक क्रिया को परिमाणित कीजिए । सामाजिक क्रिया के विभिन्न तत्व बताइए । (1978)  
 Define Social Action. Discuss various components of Social Action
- 97 सामाजिक प्रतिमान अथवा आदर्श नियम क्या होते हैं ? आदर्श-नियमों का समाज को संरचित करने में सामाजिक स्तर्त्व बढ़ाइए ।  
 What are Social Norms ? Discuss the sociological importance of norms in the organization of society
- 98 “जहाँ आदर्श नियम या प्रतिमान नहीं हैं, वहाँ समाज भी नहीं है ।” इस कथन की विवेचना कीजिए ।  
 “Where there are no norms, there is also no society” Discuss this statement
- 99 व्यक्ति और समाज के जीवन को नियन्त्रित करने में सामाजिक प्रतिमार्तों के योगदान की व्याख्या कीजिए ।  
 Explain the contribution of Social norms in exercising control over individual and society
- 100 लोक रीतियाँ क्या हैं ? क्या लोक रीतियाँ कभी लियाँ दब सकती हैं ? उदाहरण सहित बताइए ।  
 What are Folkways ? Can Folkways become ‘Mores’ ? Explain with illustrations
- 101 प्रथा और परम्परा में बाप किस तरह भीर कर सकते हैं ? सामाजिक जीवन में उनकी दबावोंगती का मूल्यांकन कीजिए ।  
 How would you distinguish between ‘Custom’ and ‘Tradition’ ? Evaluate their importance and utility in social life
- 102 निम्ननिवित पर टिप्पणी तिथिए—  
 (अ) परम्परा  
 (ब) धर्म एवं वाचार या नैतिकता  
 (स) फैशन तथा संस्करण (वस्त्रों सोक व्यवहार तथा इति)  
 (द) वैशालिक कानून  
 (इ) लोक रीतियाँ और सोकाचार ।

Write short notes on the following—

- Traditions
- Religion and Morality
- Fashion and Fad
- Enacted Laws
- Folkways and Mores.

### प्रश्नावली 7

103 सामाजिक परिवर्तन का ग्राह है—सामाजिक संरचना में परिवर्तन। टिप्पणी लिखिए।  
“Social change means change in social structure” Comment.

104 सामाजिक परिवर्तन सम्बंधी यादुदंत्रादो व्यापका पर आव्वोबनात्मक टिप्पणी लिखिए। (1977)

Comment critically on the Marxist explanation of social change.

105 सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं ? परिवर्तन की सांस्कृतिक व्यापका का विवेशण कीजिए। (1978)

What do you understand by Social change ? Discuss the cultural explanation of change

106 सामाजिक परिवर्तन के विद्वान्त में मैक्स वेबर के दो प्रश्न की जाँच कीजिए। (1978)  
Examine Marx Weber contribution to the theory of Social change

107 सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न विद्वानों की विवेचना कीजिए। (1976)  
Discuss various theories of social change.

108 सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है ? सांस्कृतिक विलम्बना के विद्वान्त की व्याख्या कीजिए।  
What is the meaning of social change ? Discuss the theory of Cultural Lag

109 सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के कारणों का डल्लेल कीजिए।  
Explain the concept of social change. Discuss the causes of social change

110 परिवर्तन, उद्विदाप इया प्रगति की अवधारणाओं के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।  
Clearly distinguish between the concepts of change Evolution, development and progress

111 सामाजिक उद्विदाप और प्रगति के विद्वानों पर आव्वोबनात्मक निबन्ध लिखिए।  
Write a critical essay on the “theories of social evolution and progress”

112 सामाजिक विकास और सामाजिक प्रगति की अवधारणाओं के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए।  
इन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिन्हें सामाजिक प्रगति में सहायक गुणवत्ता है। (1977)

Mark out the difference between the concepts of social evolution and social progress. Discuss those conditions which in your view are conducive to social progress.

113 सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान क्या है ?  
What are the main patterns of social change ?

114 सामाजिक परिवर्तन को क्रियाओं पर हस्तिष्ठ टिप्पणी लिखिए।  
Write a short note on the processes of social change.

- 115 सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर प्रकट कीजिए । या आप ये काइवर के इस अध्यन से सहमत हैं कि “सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन से दिन है ?”  
 Distinguish between social change and cultural change. Do you agree with the statement of Max Horkheimer that “Social change is a distinct thing from cultural or civilizational change ?”
- 116 सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारकों की विवेचना कीजिए ।  
 Discuss the demographic factors of social change
- 117 सामाजिक परिवर्तन के श्रृंखलागतीय कारकों की विवेचना कीजिए ।  
 Discuss the technological factors of social change
- 118 सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक, गणोद्देशात्मक तथा आर्थिक कारकों का सम्बन्ध में डलेल दीजिए ।  
 Discuss the cultural, psychological and economic factors of social change
- 119 विमलाखित पर समिति टिप्पणियाँ लिखिए—  
 (अ) सांस्कृतिक परिवर्तन  
 (ब) उद्दिकास और प्रगति  
 (स) परिवर्तन और उद्दिकास  
 (द) सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान  
 (इ) सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है ।  
 Write short notes on the following—  
 (a) Cultural change  
 (b) Evolution and progress  
 (c) Change and Revolution  
 (d) Patterns of Social Change  
 (e) Social change in Universal
- अध्याय 8**
- 120 सामाजिक नियन्त्रण के अर्थ की विवेचना कीजिए । कानून और शिक्षा-व्यवस्था का सामाजिक नियन्त्रण के साधनों के रूप में इन्होंने महत्व है ?  
 Discuss the meaning of social control. What is the significance of law and educational system as the means of social control
- 121 सामाजिक नियन्त्रण के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कीजिए और यह बताइए कि वर्तमान जटिल समस्याओं के लिए कौनसा स्वरूप नियन्त्रण उपयुक्त है ?  
 Discuss the various forms of social control and explain which of those forms is best suited to the modern complex societies
- 122 अपने निजी शब्दों में सामाजिक नियन्त्रण को परिचित कीजिए । वर्तमान यमाद में सामाजिक नियन्त्रण के औपचारिक एवं अनोन्यात्मक साधनों के दुलारात्मक महसूस पर एक साक्षात्कार टिप्पणी कीजिए । (1977)  
 Define social control in your own words. Write an illustrative note on the relative importance of the formal and informal methods of social control in the present day society.
- 123 सामाजिक नियन्त्रण पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए । (1976)  
 Write a short essay on social control

- 124 सामाजिक नियन्त्रण में धर्म और कानून की भूमिकाओं को विवेचना कीजिए। (1975)  
 Discuss the role of religion and law in social control
- 125 सामाजिक नियन्त्रण की कुछक बौद्धार्थिक विधियों को विवेचना कीजिए।  
 Discuss some of the informal methods of social control
- 126 सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा दीजिए ? समाज अवस्था को बनाए रखने में इसके कार्यों वी विवेचना कीजिए।  
 Define social control and discuss its functions for maintaining social order
- 127 सामाजिक नियन्त्रण के कुछ साधनों और प्रविधियों को विवेचना कीजिए।  
 Discuss some of the means and techniques of social control.
- 128 प्रथा और जनसत वा सामाजिक नियन्त्रण के माध्यमों के हप में क्या महत्व है ?  
 What is the significance of customs and public opinion as the means of social control.
- 129 धर्म और देविकता वा सामाजिक नियन्त्रण के माध्यमों के हप में क्या महत्व है ?  
 What is the significance of law and morality as the means of Social Control ?

## SUGGESTED READINGS

---

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1 <i>Alex Inkeles</i>           | What is Sociology ?                        |
| 2 <i>Anderson</i>               | Society                                    |
| 3 <i>Bernard Phillips</i>       | Society Social Structure & Change          |
| 4 <i>Bogardus</i>               | Sociology                                  |
| 5 <i>Bottomore, T B</i>         | Sociology                                  |
| 6 <i>Bierstedt R</i>            | The Social Order                           |
| 7 <i>Broom &amp; Selznick</i>   | Sociology A Text with Adapted Read         |
| 8 <i>Chamber J B</i>            | Introductory Rural Sociology               |
| 9 <i>Cuber J F</i>              | Sociology                                  |
| 10 <i>Cooley C H</i>            | Social Organization                        |
| 11 <i>Davis, K</i>              | Human Society                              |
| 12 <i>Eldrege &amp; Merrill</i> | Culture & Society                          |
| 13 <i>Fawcett</i>               | Dictionary of Sociology                    |
| 14 <i>Heebel</i>                | Man in the Primitive World                 |
| 15 <i>Gillin &amp; Gillin</i>   | Cultural Sociology                         |
| 16 <i>Giddings</i>              | Introductive Sociology                     |
| 17 <i>Groves &amp; Moore</i>    | An Introduction to Sociology               |
| 18 <i>Gisbert P</i>             | Fundamentals of Sociology                  |
| 19 <i>Gurnett &amp; Moore</i>   | 20th Century Sociology                     |
| 20 <i>Kimbai Young</i>          | A Handbook of Social Psychology            |
| 21 <i>Levy M J</i>              | The Structure of Society                   |
| 22 <i>Lundberg</i>              | Social Research                            |
| 23 <i>Morris Ginsberg</i>       | Sociology                                  |
| 24 <i>Maciver &amp; Page</i>    | Soc ety                                    |
| 25 <i>Manzer, H C</i>           | Practical Sociology and Social Research    |
| 26 <i>Max Weber</i>             | Theory of Social and Economic Organisation |
| 27 <i>McKee J D</i>             | Introduction of Sociology                  |
| 28 <i>Ogburn &amp; Nimkoff</i>  | A Handbook of Sociology                    |
| 29 <i>Olsen N E</i>             | The Processes of Social Organization       |
| 30 <i>Reuter, E B</i>           | Handbook of Sociology                      |
| 31 <i>Ross</i>                  | Social Psychology                          |
| 32 <i>Sapir, E</i>              | Groups Encyclopaedia of Social Sciences    |

33	<i>Sutherland &amp; Others</i>	• Introductory Sociology
34	<i>Sargent</i>	: Social Psychology at Cross-Road
35	<i>Sorokin P A</i>	Society, Culture & Personality
36	<i>Sorokin, P.A.</i>	Contemporary Sociological Theories.
37	<i>Talcott Parsons</i>	Encyclopaedia of Social Sciences
38	<i>Wright</i>	• Elements of Sociology
39	रिनोरे टेरिग	भलव समाज
40	रॉबर्ट कोर्सीड	सामाजिक अवस्था
41	हेठी एम जॉनलन	समाजशास्त्र
42	मेवाद्वर तथा पेट	समाज
43	निरो एवं गोस्वामी	समाजशास्त्र विषयक
44	टी वी बाटोमोर	समाजशास्त्र

